रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102023-249262
CG-DL-E-10102023-249262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945
No. 671] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सं. 1-सीए(5)/74/2023.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति एतद्द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

74वीं वार्षिक रिपोर्ट

जब पूरा देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव मान रहा है और भारत सरकार 75 वर्षों के प्रगतिशील भारत का उत्सव मनाने तथा भारत के लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एक पहल के रूप में आजादी का अमृत उत्सव मना रही है और भारत इस अमृत काल में एक नई यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, उसी समय आईसीएआई भी प्रधानमंत्री मोदी के भारत 2.0, जिसे आत्मनिर्भर भारत की भावना से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, को साकार बनाने के स्वप्न को समर्थ बनाने के इस समारोह के प्रति अपना योगदान दे रहा है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने भी 1 जुलाई, **2023** को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। आईसीएआई भारत की जी20 की अध्यक्षता की थीम – "वसुधैव कुटुंबकम" या "एक पृथ्वी – एक कुटुंब – एक भविष्य" का हृदय से समर्थन करता है। साथ ही भारत के लिए जी20 की अध्यक्षता 15 अगस्त, **2022** को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 25 वर्ष की अवधि के "अमृत काल" के आरंभ की ओर संकेत करती है, जो भारत की स्वतंत्रता की एक शताब्दी पूरा होने पर समाप्त होगी और इस दौरान हम एक भविष्य की ओर दृष्टि रखने वाले, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज को तैयार करेंगे ताकि भारत विश्व गुरु भारत बन सके।

उभरता हुआ भारत अब वैश्विक विकास के लिए एक कार्यबल के रूप में कार्य कर रहा है और आईसीएआई सदैव भारत के आर्थिक विकास के प्रति योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और वह लोक हित और कल्याण के अभिरक्षक और राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा । आज आईसीएआई ने तकनीकी, नैतिक क्षेत्रों और सवहनीय सुदृढ़ शिक्षा और परीक्षा मानकों के क्षेत्र में सर्वोच्च मानक स्थापित करने के लिए वैश्विक मान्यता की उपलब्धि प्राप्त की है । वस्तुत: चार्टर्ड अकाउंटेंट उभरते भारत के इतिहास में प्रमुख स्तंभ बन रहे हैं । चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्ति लोक हित के लिए एक योद्धा के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसे इस समुदाय के संपूर्ण पणधारियों द्वारा मान्यता और अभिस्वीकृति प्रदान की गई है । परिषद्, चार्टर्ड लेखांकन की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है । इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एकसाथ मिलकर दर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के कारण हुई है । भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 ट्रिलियन अमेरीकी डालर अर्थव्यवस्था के स्वप्न की पूर्ति की दिशा में पूर्णरुपेण राष्ट्र की तेजी से परिवर्तनशील मांगों की पूर्ति करने में सफल रहे हैं ।

आईसीएआई की परिषद् को **31** मार्च, **2023** को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 74वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । 1 जुलाई, 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा संस्थान के प्रारंभ से चार्टर्ड लेखांकन वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है । संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, 31 मार्च, 2023 को उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 3.8 लाख हो गई है । यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष **2022-2023** के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, **2023** को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की प्रमुख विशिष्टियों को उपदर्शित करती है । परिषद्, चार्टर्ड लेखांकन की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान, मान्यता और ख्याति के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है । इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एकसाथ मिलकर दर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के कारण हुई है, जिसके दौरान छात्रों और सदस्यों ने नैतिकता, नव-परिवर्तन, संवहनीयता, प्रौद्योगिकी पर अपना ध्यान बनाए रखा और इस प्रकार वे अपने अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप संपूर्ण लेखांकन वृत्ति को वैश्विक रूप से रूपांतरित करने की दिशा में अग्रसर हुए ।

किए गए प्रमुख क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है :

1. आईसीएआई ने 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में मिश्रित पद्धति को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट फेडरेशन के साथ भागीदारी में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए), जो लोकप्रिय रूप से 'अकाउंटेंटों का ओलंपिक्स' के रूप में विख्यात है, का आयोजन किया । उक्त कांग्रेस के 118 वर्ष से अधिक के इतिहास में भारत में पहली बार मिश्रित पद्धति से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया । भारत दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश है जहां इस बृहत्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है । इस आयोजन में 120 देशों से 10,000 से अधिक प्रतिभागियों (वर्चुअल प्रतिभागियों सहित) ने भाग लिया और यह प्रतिभागियों की आज तक की सर्वाधिक बड़ी संख्या है और उक्त कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के एकेएएम समारोह के साथ हुआ । यह आयोजन किसी भी संगठन द्वारा एकेएएम समारोह के अधीन आयोजित किए जाने वाले सर्वाधिक बड़े आयोजनों में से एक है ।

2. डिजीटल रुपांतरण के माध्यम से कारबार करने की सुगमता के प्रति सरकार के साथ सहयोग करने और एमसीए को एमसीए-21 पोर्टल के वर्जन 3 को महत्वपूर्ण समर्थन उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई द्वारा एमसीए वर्जन 3 समर्थन परियोजना आरंभ की गई है, जो वर्ष 2022-23 की एक प्रमुख पहल है । यह आईसीएआई की अपनी तरह की पहली परियोजना है, जहां आईसीएआई दैनिक आधार पर एमसीए के साथ निकट रूप से कार्य कर रहा है, जिससे सुचारू रूपांतरण को समर्थ बनाया जा सके और साथ ही वह एमसीए की उपयोक्ता स्वीकार्यता परीक्षण उपलब्ध कराने और एलएलपी तथा कंपनी प्ररूप भरे जाने से संबंधित एमसीए पोर्टल वर्जन 3 के लिए सहायता और नियोजन समर्थन उपलब्ध करा रहा है । इस उद्देश्य के प्रति विभिन्न कार्रवाईयां आरंभ की गई हैं, जैसे कि सभी कार्य दिवसों के लिए 5 हेल्पलाइन उपलब्ध कराना, जागरुकता संगोष्ठियों का आयोजन करना, अनन्य गूगल प्ररूप लिंक स्थापित करना जहां सदस्य उनके सामने आने वाले मुद्दों को रिपोर्ट कर सकते हैं तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना आदि जैसे कार्यक्रम ।

3. आईसीएआई ने सक्रिय रूप से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया है और उसने देश भर में स्वच्छता और सफाई का संवर्धन करने के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति स्वयं को समर्पित किया है और वह अपने कार्यालयों, प्रादेशिक कार्यालयों, शाखाओं और विभिन्न आयोजनों के दौरान स्वच्छता अभियानों का आयोजन करता है और इसके अलावा संस्थान ने सक्रिय रूप से स्वयं को देश भर में स्वच्छता और सफाई का संवर्धन करने के राष्ट्रीय आंदोलन में समाविष्ट करके स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी की है ।

4. आत्मनिर्भर भारत, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, एक ऐसी नीति है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए तैयार किया गया है । इस नीति का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है । आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों में अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, क्रियाशील जनसांख्यिकी और मांग हैं । तदनुसार, जनता को भारत में विद्यमान आधारिक कर विधियों, लेखांकन और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न पहलूओं के संबंध में शिक्षित करने और उन्हें निजी वित्त, वित्तीय कल्याण और कर अनुपालनों का प्रबंध करने, जिसके अंतर्गत अनुपालन में अभिवृद्धि तथा समाज में ज्ञान की खाई को पाटना भी है, के लिए शिक्षित करना है । संस्थान ने वित्तीय और कर साक्षरता अभियान – वित्तीय ज्ञान - आईसीएआई का अभियान, का शुभारंभ किया है । इस कार्यक्रम के अधीन आईसीएआई इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 12 स्थानीय भाषाओं में भिन्न-भिन्न उपकरणों/माध्यमों का उपयोग करते हुए वित्त और कर साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रहा है । वर्ष 2022-23 के दौरान आईसीएआई ने ज्ञान भागीदार के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर ज्ञान दर्शन चैनल पर लाइव टेली व्याख्यान श्रृंखला के 75 ऐपिसोडो को पूरा किया है । आत्मनिर्भर भारत के विकास में योगदान के प्रति जीएसटी और एमएसएमई के लिए 100 सुविधा केंद्रों को भी आरंभ किया गया है । एमएसएमई और कारबार करने की सुगमता, आईएफएसई, गिफ्ट सिटी, इसईजेड आदि के संबंध में अपने सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने और वृत्ति से संबद्ध भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आईसीएआई की विभिन्न समितियों, प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, सीपीई अध्ययन चैप्टरों और सर्कलों आदि ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है । आईसीएआई अपनी 168 शाखाओं के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में कर क्लिनिकों का आयोजन कर रहा है । इनके माध्यम से आईसीएआई के सदस्य स्टार्ट-अप की स्थापना में अपने ज्ञान को साझा करके साधारण जनता की सहायता कर रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की पूर्ति के प्रति महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है ।

5. एमएसएमई सशक्तिकरण आईसीएआई के प्रमुख फोकस केंद्रों में से एक है और आईसीएआई इस दिशा में विभिन्न पहलें कर रहा है । आईसीएआई द्वारा एमएसएमई यात्रा संबंधी पहल को सम्मानित भारतीय रिकार्ड बुक में सम्मिलित किया गया है । यह उपलब्धि उस समय हासिल की गई जब आईसीएआई ने राष्ट्रव्यापी 'आईसीएआई एमएसएमई सेतु' और 'आईसीएआई एमएसएमई यात्रा' अभियान को अधिकतम नगरों में आयोजित किया । इन अभियानों के अधीन उद्यमशीलता का संवर्धन करने और साथ ही नौकरियों के सृजन तथा अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए 75 दिनों में राष्ट्र के 22 राज्यों में 75 नगरों में इन कार्यक्रमों को चलाया गया । यह अभियान 18 अगस्त, 2022 से 18 नवंबर, **2022** के दौरान चलाया गया । हाल ही में, आईसीएआई को उसकी एमएसएमई यात्रा और एमएसएमई सेतु पहलों के लिए एशिया रिकार्ड बुक में भी दर्ज किया गया है ।

6. आईसीएआई ने वैश्विक रूप से सीए की सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए अनेक पहलें की हैं, जैसे कि विश्व भर के विभिन्न लेखांकन वृत्तिक निकायों के साथ परस्पर मान्यता संबंधी करारों पर हस्ताक्षर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से अपने सदस्यों की सक्षमता का निर्माण और उनके कौशल का विकास करना, विदेशी चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना करना, सीए सेवाओं के निर्यात को सुकर बनाने के लिए आनलाइन मंच और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम उपयोग करना । द्विपक्षीय व्यापार करारों, चाहे वे एफटीए, ईपीटीए, सीईपीए और अन्य संयुक्त व्यापार कमीशन हों, के लिए सतत अंत:निवेश उपलब्ध कराकर आईसीएआई सीए सेवाओं के निर्यात के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस उद्देश्य के लिए वह कृत्रिम बैरियरों को हटाने में भी सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे लेखांकन वृत्तिकों का सुगम संचलन समर्थ हो सके और जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वार्षिक आधार पर विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए की जाने वाली पहल भी है ।

7. आईसीएआई ने भारत को लेखांकन और वित्तीय आउटसोर्सिंग का केंद्र बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं । इन पहलों में से एक प्रमुख पहल लेखांकन आऊटसोर्सिंग सेवा पोर्टल है, जिसे आईसीएआई शीघ्र ही आरंभ करने की योजना बना रहा है, जिससे वैश्विक ग्राहकों को आमंत्रित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, आईसीएआई 'वित्तीय सेवा' शीर्ष के अधीन लेखांकन, लेखा बहियां तैयार करने और कराधान सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए आईएफएस सीए के संपर्क में है, जिससे भारत में एफडीआई को आमंत्रित किया जा सकेगा और भारत को लेखांकन और वित्तीय केंद्र बनाया जा सकेगा ।

8. संस्थान ने, सितंबर, **2019** से नए सृजित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों से आने वाले छात्रों और 8 पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को उत्साहित करने के लिए सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों, अर्थात् फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल, के लिए उक्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से रजिस्ट्रीकरण कराने वाले छात्रों को रजिस्ट्रीकरण फीस में 75 प्रतिशत की छूट मंजूर की है । उक्त छूट 31 मार्च, **2022** तक विधिमान्य थी, किंतु अब इसे 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है । संस्थान 1 अप्रैल, **2022** से अंदमान और निकोबार द्वीप समूह से रजिस्टर कराने वाले छात्रों को भी इसी प्रकार की फीस रियायत की प्रस्थापना कर रहा है ।

9. भारत के आर्थिक विकास की कहानी को अग्रसर करना, आईसीएआई बी20, जो जी20 सचिवालय के अधीन है, के साथ प्रमुख भागीदार बना है, जिससे हमारी भारत को विश्व गुरु भारत बनाने में भारत सरकार को समर्थन प्रदान करने की प्रतिबद्धता उपदर्शित होती है ।

10. संस्थान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन करता है, जिससे साधारण जनता के बीच जागरुकता का सृजन किया जा सके और निवेशकों की संरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके । अभी तक 7500 से अधिक निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन किया गया है ।

11. स्वतंत्र और पारदर्शी रीति में सामाजिक संपरीक्षकों के विनियमन और विकास के लिए आईसीएआई ने "भारतीय सामाजिक संपरीक्षक संस्थान" (आईएसएआई) को धारा 8 कंपनी के रूप में निगमित किया है ।

12. आईसीएआई इंड एएस, जीएसटी, कराधान और लेखांकन के क्षेत्र में सरकारी पदधारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

13. आईसीएआई भारतीय रेल के लेखाओं को एकल प्रविष्टि से दोहरी प्रविष्टि में संपरिवर्तित कर रहा है ।

14. सितंबर, **2021** से मिश्रित पद्धति को अपनाते हुए 200 से अधिक संगोष्ठियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनके दौरान एकेएएम के संदेश का प्रचार-प्रसार किया गया और ऐसे अनेक अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई जा रही है ।

15. आईसीएआई ने सदैव इस लक्ष्य को सामने रखा है कि वह अपनी महिला पणधारियों को अपनी वृत्तिक संभावनाओं को उपदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराए तथा महिला पणधारियों में वृत्तिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास का संचार करे, जिससे अंततोगत्वा हमारे राष्ट्र की सामाजिक बनावट में आमूल-चूल परिवर्तन लाया जा सके। आज की तारीख को 1,04,398 महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्यमान हैं, जो हमारे कुल सदस्यों की संख्या (3,65,368) का 28.6**%** से अधिक हैं और साथ ही वर्तमान में हमारे पास 3,39,020 महिला छात्राएं हैं,जो कुल छात्रों की संख्या (7,90,974) के 42.86**%** हैं और वे निरंतर बेहतर परिणाम दर्ज कर रही हैं ।

16. आईसीएआई भिन्न-भिन्न देशों में सक्षमता निर्माण और लेखांकन वृत्ति को संस्थागत बनाने के लिए उनकी सहायता कर रहा है । पूर्व में नेपाल, भूटान, जिबूटी, मंगोलिया, सीपीएपीएनजी, आदि को समर्थन उपलब्ध कराया गया था और वर्तमान में आईसीएआई संयुक्त कार्यक्रमों, अनुसंधान, ज्ञान साझा किए जाने संबंधी क्रियाकलापों आदि के क्षेत्रों में विश्व भर के 15 लेखांकन निकायों के साथ परस्पर सहयोग करार कर रहा है ।

17. संस्थान सरकार की शासन में लेखांकन सुधारों को कार्यान्वित करने में भी सहायता कर रहा है । स्थानीय निकायों में लेखाओं को तैयार करने और उनकी संपरीक्षा में अंतराल के मुद्दे का समाधान करने और उन्हें 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का फायदा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए आईसीएआई इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराके नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय की सहायता कर रहा है ।

18. आईसीएआई ने विजन 2049 को तैयार करने का विनिश्चय किया है, जिससे देश के आर्थिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा जा सके और साथ ही आईसीएआई के पणधारियों की मांग की भी पूर्ति की जा सके । आईसीएआई विजन 2049 का उद्देश्य लेखांकन वृत्ति के लिए एक ऐसा संपरिवर्तनशील मार्ग तैयार करना और वहनीय आर्थिक विकास को बढावा देना और एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना को साकार करना है, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट वित्तीय प्रणालियों को आकार देने, नवपरिवर्तन लाने और वृत्तिक ईमानदारी के सर्वोच्च मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ।

19. आईसीएआई, जो विश्व का सबसे बड़ा वृत्तिक लेखांकन निकाय है, सक्रिय रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), **2020** के दक्ष क्रियान्वयन में योगदान कर रहा है । आईसीएआई की शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम का शुभारंभ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपद्री मूर्मू द्वारा 1 जुलाई, **2023** को किया गया । अपनी नई शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम में आईसीएआई ने एनईपी 2020 की सिफारिशों की रूपरेखा के अनुसार अनेक विशिष्टियों को सम्मिलित किया है । छात्रों द्वारा स्व:मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ पठन और स्व:गतिशील आनलाइन माड्यूल के लिए निर्धारण और एमसीक्यू डैश बोर्ड ऐसी प्रमुख विशिष्टियां हैं, जिन्हें एनईपी 2020 की रूपरेखा के अनुसार सम्मिलित किया गया है । आईसीएआई की नई शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम का उद्देश्य भावी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अपेक्षित सक्षमताओं से सुसज्जित करके "वैश्विक रूप से तैयार" वृत्तिकों को तैयार करना है और ऐसा करने के लिए समृद्ध पठन पद्धतियों, आकाटय

और अनुकूल कौशल निर्धारण, प्रभावी और केंद्रित व्यवहारिक प्रशिक्षण, उद्योग अनुकूलन तथा बहु आयामी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा ।

रिपोर्ट की अनुक्रमणिका

क्रम सं.	**विवरण**
1.	परिषद
2.	परिषद् की समितियाँ
3.	संपरीक्षक
4.	स्थायी समितियां
4.1	कार्यपालक समिति
4.2	वित्त समिति
4.3	परीक्षा समिति
5.	अनुशासन निदेशालय
6.	तकनीकी एवं वृत्तिक विकास
6.1	लेखांकन मानक बोर्ड
6.2	संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड
6.3	व्यवसाय में कार्यरत सदस्यों संबंधी समिति
6.4	सतत वृत्तिक शिक्षा समिति
6.5	निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति
6.6	प्रत्यक्ष कर समिति
6.7	आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाहकार समिति
6.8	डिजिटल लेखांकन और आश्वासन बोर्ड
6.9	नैतिक मानक बोर्ड
6.10	विशेषज्ञ सलाहकार समिति
6.11	वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड
6.12	जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति
6.13	आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखा बोर्ड
6.14	अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति
6.15	उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति
6.16	पियर पुनर्विलोकन बोर्ड
6.17	वृत्तिक विकास समिति
6.18	लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति
6.19	जन संपर्क समिति
6.20	अनुसंधान समिति
6.21	वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड
6.22	वित्तीय बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति
6.23	संपरीक्षा समिति
6.24	अंकीय पुन: इंजीनियरी और संपरिवर्तन समिति

6.25	प्रबंधन समिति
6.26	मूल्यांकन मानक बोर्ड
6.27	कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड
6.28	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति
6.29	महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति
6.30	एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति
7.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति
8.	अन्य गैर-स्थायी समितियों द्वारा क्रियाकलाप
8.1	उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति
8.2	विधिक निदेशालय
8.3	अवसंरचना विकास संबंधी समिति
8.4	अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति
8.5	रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति
8.6	यूडीआईएन निदेशालय
8.7	प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय
8.8	संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय के लिए केंद्र
8.9	भू-संपदा विकास निदेशालय
8.10	निविदा मानीटरी निदेशालय
8.11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
8.12	एक्सबीआरएल
8.13	आईसीएआई - लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन
8.14	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
8.15	आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान
8.16	भारतीय सामाजिक संपरीक्षक संस्थान
8.17	क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड
9.	अन्य मामले
9.1	चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2022
9.2	केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय
9.3	संपादक बोर्ड
10.	सदस्य
10.1	सदस्यता
10.2	दीक्षांत समारोह 2022-23
10.3	चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि
10.4	एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि
10.5	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि
11	अध्ययन बोर्ड

11.1	अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक)
11.2	छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड
12.	कैरियर परामर्श समिति
13.	प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं (आरबीए निदेशालय)
14.	वित्त और लेखा
15.	अनुशंसा
	परिषद की संरचना (2023-2024)
	अंकेक्षित वार्षिक लेखा

1. परिषद्

पच्चीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2022 को किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। संस्थान की 25वीं परिषद् की संरचना पृथक रूप से प्रकट की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिषद् की 10 बैठकों का आयोजन किया गया था।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन और विकास करने के लिए स्थायी और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन करती है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, उक्त स्थायी और गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों की 416 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

मैसर्स अरुण के. अग्रवाल एंड एसोशिएटस और मैसर्स एस.के. मित्तल एंड कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे, जिन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए पैनल में से नियुक्त किया गया। परिषद् उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी अनुशंसा दर्ज करती है।

4. स्थायी समितियां

आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियां निम्नानुसार हैं :

4.1 कार्यपालक समिति

4.2 वित्त समिति

4.3 परीक्षा समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति के कृत्यों में आर्टिकल्ड और संपरीक्षा सहायकों तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, नामों को हटाए जाने, नामों की पुन: प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित हैं। कार्यपालक समिति संस्थान की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही वह आईसीएआई के कार्यालय के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी है। कार्यपालक समिति ने वर्ष के दौरान 9 बैठकें की।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है। वित्त समिति ने वर्ष के दौरान 5 बैठकें की।

4.3 परीक्षा समिति

आईसीएआई की परिषद् के परीक्षाओं से संबंधित सभी कृत्यों का निर्वहन परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है। परीक्षा समिति देश भर में और साथ ही विदेशों में भी एक उत्तम रीति से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षाओं का संचालन करती है। इन परीक्षाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(I) परीक्षाएं

मई/जून, 2022

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों के अधीन मध्यवर्ती, फाइनल पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) की परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 572 केंद्रों पर 14 मई, 2022 से 30 मई, 2022 के दौरान तथा फाउंडेशन परीक्षा का संचालन 24, 26, 28 और 30 जून, 2022 के दौरान सभी सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया गया था। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षा देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती	80605	10717	63777	7943	24475	1337
फाइनल	66575	14643	63253	13877	29348	3695

नवंबर, 2022

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों के अधीन मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 553 केंद्रों पर 1 नवंबर, 2022 से 17 नवंबर, 2022 के दौरान तथा और अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) और बीमा तथा जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा (आईआरएम) के साथ फाउंडेशन परीक्षा का संचालन 14, 16, 18 और 20 दिसंबर, 2022 के दौरान सभी सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया गया था। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षा देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती	100265	21244	79292	19380	37428	4759
फाइनल	65291	13969	64775	12053	29242	3243

	परीक्षा में बैठने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
फाउंडेशन परीक्षा जून, 2022	93729	23693
फाउंडेशन परीक्षा दिसंबर, 2022	126015	36864

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) का आयोजन देश भर में सफलतापूर्वक जुलाई और दिसंबर, 2022 के दौरान किया गया था। उक्त परीक्षा में बैठने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षा में बैठने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
आईएसए - एटी, जनवरी, 2022 (पुराना पाठ्यक्रम)	2465	1203
आईएसए - एटी, जनवरी, 2022 (नया पाठ्यक्रम)	1182	247
आईएसए - एटी, जुलाई, 2022 (पुराना पाठ्यक्रम)	2643	378
आईएसए - एटी, जुलाई, 2022 (नया पाठ्यक्रम)	1998	166
आईएसए - एटी, दिसंबर, 2022 (पुराना पाठ्यक्रम)	2106	57
आईएसए - एटी, दिसंबर, 2022 (नया पाठ्यक्रम)	1880	267

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2022 के दौरान देश भर में कराया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षा देने वाले	**उत्तीर्ण होने वाले**
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा, नवंबर, 2022	30	1

सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन मई और नवंबर, 2022 के दौरान किया गया था । इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

	परीक्षा देने वाले	**उत्तीर्ण होने वाले**
मई, 2022 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	184	27
नवंबर, 2022 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	203	27

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम के अधीन अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण (आईएनटीटी – एटी) के लिए ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का आयोजन :

नवंबर, 2022 से अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण (आईएनटीटी – एटी) के अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम की परीक्षा की अवधि 4 घंटे की कर दी गई है, जिसका आयोजन ओपन बुक पद्धति के माध्यम से किया जाता है । इस संबंध में निम्नानुसार विनिश्चय किया गया था :

- अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण (आईएनटीटी)– एटी) परीक्षा के अधीन अभ्यर्थियों को यह अनुमति दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में अपने स्वयं की सामग्री ला सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं । ऐसी सामग्री में आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्रियां, प्रैक्टिस मैनुअल, पाठ्य पुस्तकें, अधिनियम, छात्रों द्वारा स्वयं तैयार किए गए नोट्स या कई अन्य संदर्भ सामग्रियां सम्मिलित हो सकेंगी ।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा हाल में मोबाइल फोन, आई पेड या अन्य इलैक्ट्रानिक युक्तियों को लाने की अनुमति नहीं है ।
- परीक्षा हाल/कक्ष के भीतर किसी सामग्री का अभ्यर्थियों के बीच परस्पर आदान-प्रदान किए जाने की अनुमति नहीं है ।

वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस) परीक्षाओं का भी नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आयोजन किया गया था :

एआईसीआईटीएसएस-एआईटीटी तारीख	**परीक्षा केंद्रों की संख्या**	**उन स्थानों (शहरों) की संख्या, जहां परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे**	**उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या**	**उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या**
25-फ़रवरी-22	99	81	6802	6681
20-मार्च-22	80	76	3933	3911
23-अप्रैल-22	84	77	4515	4401
22-जुलाई-22	105	83	8098	8088
27-अगस्त-22	83	80	3804	3769
24-सितम्बर-22	74	73	2912	2898
24-दिसम्बर-22	71	71	1933	1919

21-जनवरी-23	73	72	3165	3153
25-फरवरी-23	81	78	3907	3902
25-मार्च-23	95	89	6021	6007

ऐसे परीक्षा केंद्रों की संख्या, जहां भारत और विदेशों में 2022-23 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं का आयोजन किया गया था :

परीक्षाएं	मई/जून 2022	नवंबर/दिसंबर 2022
फाउंडेशन पाठ्यक्रम	508	541
मुख्य, अर्थात् फाइनल और मध्यवर्ती	572	553
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा	118	118
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम)	-	59
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा	73	114

वर्ष 2022 के दौरान आयोजित की गई संस्थान की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के आंकड़े

परीक्षाएं	मई/जून 2022	नवंबर/दिसंबर 2022
फाउंडेशन पाठ्यक्रम	104427	136020
मध्यवर्ती	151817	176818
फाइनल	118771	121068
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा	403	438
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम)	लागू नहीं	93
अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा	6005	4883

संस्थान अपनी परीक्षा प्रक्रिया में निरंतर सुधार करता रहा है और यह सुधार प्रश्न-पत्र निर्धारण करने से परिणाम की घोषणा तक के सभी प्रक्रमों को अंतर्विष्ट करता है, जिससे परीक्षा प्रणाली की निष्ठा और पवित्रता, जो सात दशकों से अधिक की अवधि से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके । संस्थान की परीक्षाएं आधारिक रूप से सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे छात्र उनके सामने आने वाली नई चुनौतियों और वृत्ति के विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें । संस्थान की परीक्षा प्रक्रिया मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करती है कि संस्थान की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित प्रश्नों के अनुमान से बचा जा सके ताकि उन परीक्षाओं को अर्हित करने वाले छात्र एक पूर्ण रूपेण योग्य वृत्तिक हों ।

(II) आईसीएआई परीक्षा आवेदन प्ररूपों का स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकरण :--

छात्रों की सुविधा हेतु आईसीएआई परीक्षा आवेदन प्ररूपों को अन्य एकल पोर्टल की बजाए स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है । यह एकीकरण सीए की नवंबर, 2022 की परीक्षाओं से किया गया है । यह एकीकरण छात्रों को सुगमता से स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर परीक्षा प्ररूपों को भरने में समर्थ बनाता है, जहां छात्रों के ब्यौरे, अर्थात् फोटो, हस्ताक्षर, छूटों आदि को स्वत: ही प्ररूप में भर दिया जाता है और इससे छात्रों को प्ररूप भरे जाने के प्रक्रम पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता (परीक्षाओं के लिए आईसीएआई के पात्रता मानदंडों के अनुसार) स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो जाती है । परीक्षाओं हेतु आवेदन प्ररूप भरे जाने के अलावा छात्रों को परीक्षा के नगर/समूह/माध्यम में भी परिवर्तन (शुद्धिकरण पटल के माध्यम से) करने की सुविधा प्राप्त होती है और साथ ही छात्र परीक्षाओं के लिए अपने प्रवेश-पत्रों को भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इन क्रियाकलापों को भी स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है ।

(III) एमआरए/एमओयू के अधीन विशेष परीक्षा :--

ऐसे संस्थानों के, जिनके साथ आईसीएआई ने परस्पर मान्यता करार (एमआरए) /समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, सदस्यों के लिए 13 से 15 जून, 2022 के दौरान चार्टर्ड अकांउटेंट विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया।

(IV) छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :--

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध परियोजना नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जिस पर सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा-दर-परीक्षा प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

(V) छात्रों के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं का नया प्ररूप :--

दिसंबर, 2021 से सीए परीक्षाओं के सभी प्रश्न-पत्रों में उत्तर-पुस्तिकाओं की कवर शीट पर अंक तालिका को ओएमआर से प्रतिस्थापित किया गया है ताकि बहु विकल्प वाले प्रश्नों में सही विकल्प को चुना जा सके और इस प्ररूप को छात्रों तथा अन्य पणधारियों की सुविधा के लिए मई/जून तथा नवंबर/दिसंबर, 2022 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया।

(VI) डिजीटल अंकन प्रणाली/डिजीटल मूल्यांकन :--

100 प्रतिशत अंकीयकरण के पथ पर अग्रसर होते हुए वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 30.65 लाख उत्तर-पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन का अंकीयकरण संस्थान की द्रुत मूल्यांकन, त्रुटि मुक्त परिणाम तथा साथ ही परीक्षकों के लिए सुगमता और सुविधा को सुकर बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है।

(VII) परीक्षकों के लिए डिजीटल कार्यशाला/वेबकास्ट :--

डिजीटल पद्धति से परीक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने के पथ पर अग्रसर होते हुए, वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 9,000 परीक्षकों ने डिजीटल कार्यशाला में भाग लिया। इन डिजीटल कार्यशालाओं के कारण लागत में भी भारी बचत होती है और साथ ही परीक्षकों के लिए भी अपने निवास-स्थान से सुगमता तथा सुविधाजनक रूप से इन डिजीटल कार्यशालाओं में भाग लेना आसान हो जाता है, जिन्हें अन्यथा भौतिक कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियों की यात्रा तय करनी पड़ती थी। परीक्षकों के लिए वेबकास्ट के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की क्वालिटी और संगतता में वृद्धि करने के लिए कार्यक्रमों का, मई/जून, 2022 तथा नवंबर/दिसंबर, 2022 की परीक्षाओं हेतु सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल से यह आशा की जाती है कि इससे मूल्यांकन की गुणवता में भारी सुधार आएगा।

(VIII) विद्यमान और नए परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा :--

विद्यमान परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से केवल ऐसे विद्यमान परीक्षकों को परीक्षा संबंधी समनुदेशन आबंटित किए गए, जिन्होंने आज्ञापक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। इसी प्रकार, नए आवेदकों, जो परीक्षक के रूप में पैनलबद्ध होने की वांछा करते हैं, को भी आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। वर्ष 2022-23 के दौरान, बड़ी संख्या में नए परीक्षकों को पैनलबद्ध करने और साथ ही ऐसे परीक्षकों के, जिनकी तीन वर्ष की अवधि की विधिमान्यता पूरी हो रही थी, पैनल में नाम के नवीकरण हेतु एक बृहत्त अभियान चलाया गया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 2210 नए और विद्यमान परीक्षकों ने आज्ञापक परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा वे परीक्षकों के पैनल का भाग बने।

(IX) परीक्षा कृत्यकारियों के लिए वेबकास्ट/केंद्रों और संप्रेक्षकों के लिए वेबकास्ट

मई/जून, 2022 तथा नवंबर/दिसंबर, 2022 की परीक्षाओं के लिए संप्रेक्षकों, परीक्षा केंद्रों, बैंक ऑफ बडौदा, परीक्षा समन्वयकों के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी वेबकास्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

(X) नए परीक्षा केन्द्रों का खोला जाना

छात्रों के सामने आने वाली कठिनाईयों को मान्यता प्रदान करते हुए तथा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों और सदस्यों के कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए तथा उनके सामने आने वाली कठिनाईयों को कम

करने के एक सक्रिय उपाय के रूप में तथा छात्रों और सदस्यों के फायदे तथा कल्याण के लिए संस्थान ने जून, 2022 की परीक्षाओं से थिम्पू (भूटान) में एक अतिरिक्त परीक्षा केंद्र आरंभ किया है ।

(XI) संप्रेक्षक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रायड/आईओएस)

परीक्षा केंद्रों में नियुक्त संप्रेक्षकों से संबंधित सभी क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, आबंटित समनुदेशनों के ब्यौरों को होस्ट करना, स्वीकृति पत्रों/दैनिक रिपोर्टों/मानदेय के लिए दावों को प्रस्तुत करना आदि भी है, को सुकर बनाने, संप्रेक्षक पोर्टल को विकसित करने तथा मोबाइल ऐप को तैयार करने के लिए एक वेब पोर्टल http://observers.icaiexam.icai.org स्थापित किया गया है । मोबाइल ऐप को आरंभ करने से किसी विशिष्ट दिन के लिए अभिप्रेत सही कोड के सीलबंद पैकेटों को एकत्रित करने में काफी सहायता मिली है ।

(XII) केंद्रीय वेब पोर्टल

परीक्षा की तारीख को दैनिक आधार पर अनुपस्थित व्यक्तियों से संबंधित डाटा को आनलाइन रूप से प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल http://centres.icaiexam.icai.org को स्थापित किया गया है ।

(XIII) पीक्यूसी परीक्षाओं के लिए आनलाइन परीक्षा आवेदन प्ररूप

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम परीक्षाओं, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) और बीमा तथा जोखिम प्रबंध (आईआरएम) तकनीकी परीक्षा (जो संस्थान के सदस्यों के लिए खुली है) में बैठने के लिए सदस्य वीजा या मास्टर या मास्टरो क्रेडिट/डेबिट कार्ड/रुपए कार्ड/ नेट बैंकिंग/ भीम यूपीआई के माध्यम से आनलाइन रूप से परीक्षा फीस का संदाय करके pqc.icaiexam.icai.org पोर्टल पर आनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

(XIV) परीक्षा केंद्रों/परीक्षा देने वालों हेतु कोविड-19 महामारी से संबंधित दिशानिर्देश

परीक्षा केंद्रों ओर परीक्षा देने वालों अभ्यर्थियों के लिए सलाह जारी की गई थी कि वे सभी समयों पर सभी परीक्षा कृत्यकारियों के बीच भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें । कोविड-19 महामारी के कारण, अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे के पश्चात् परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी और साथ ही उन्हें सायं 4 बजे के बाद परीक्षा हाल से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी । नवंबर/दिसंबर, 2022 की परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् ही परीक्षा हाल से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी ।

5 अनुशासन निदेशालय

अनुशासन निदेशालय, सदस्यों के विरुद्ध में एक औपचारिक शिकायत या किसी "सूचना" के माध्यम से प्राप्त अभिकथित वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोपों के मामलों के संबंध में अन्वेषण करने हेतु स्थापित किया गया है जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण प्रक्रिया और मामलों का संचालन) विनियम, 2007 में उपबंधित है ।

अनुशासन तंत्र के अधीन आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय को यह आज्ञापक कर्तव्य सौंपा गया है कि वह उसके सदस्यों द्वारा की गई किन्हीं अभिकथित त्रुटियों/अनियमितताओं की जांच करे, जिससे न केवल सभी पणधारियों और साधारण जनता में वृत्ति के प्रति विश्वास अक्षुण्ण बना रहे अपितु साधारण रूप से वृत्ति के सदस्यों को स्वीकार्य वृत्तिक आचार के मानदंड उपलब्ध कराए जा सकें । हालांकि, अधिकांश सदस्य अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से समाज और विश्व को निस्वार्थ और समर्पित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं फिर भी आईसीएआई के लिए सतत रूप से यह आवश्यक है कि वह अपने संतुलित अनुशासन तंत्र के माध्यम से सावधानी बरते और नगण्य सदस्यों, जो असावधानीवश विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, को सही दिशा प्रदान करे ।

अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक निकायों, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेट (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया था, के माध्यम से अपना कार्यकरण कर रहा है, अर्थात् :--

- अनुशासन बोर्ड ; और
- अनुशासन समिति ।

अनुशासन तंत्र में अंतर्वलित प्रक्रियाओं को ऐसी रीति में विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र के पणधारियों और साधारण जनता के विश्वास में अभिवृद्धि करती हैं और साथ ही ऐसे सदस्यों को, जिन पर वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोप लगाए गए हैं, निष्पक्ष और साम्यापूर्ण न्याय उपलब्ध कराती हैं ।

व्यवसायियों और फर्मों की जवाबदेही में सुदृढ़ता लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि युक्तियुक्त समय के भीतर न्याय प्रदान किया जाता है, वर्ष 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 का संशोधन किया गया है। यद्यपि, उस तारीख को अभी अधिसूचित किया जाना है, जिसको अनुशासन संबंधी उपबंध लागू होंगे, फिर भी यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय आरंभ कर दिए गए हैं कि संशोधित अधिनियम में यथा परिकल्पित लोक जवाबदेही और न्याय का शीघ्र परिदान किया जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लागत और संकर्म लेखापाल और सीएस (संशोधन) अधिनियम, 2022 के कारण उदभूत होने वाले अनुशासन तंत्र और विनियमों से संबंधित प्रारूप नियमों को तारीख 4 जुलाई, 2022 को मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

वर्तमान परिषद् वर्ष के दौरान अनुशासन समिति की चार खंडपीठों का गठन किया गया है, अर्थात् खंडपीठ I, खंडपीठ II, खंडपीठ III और खंडपीठ IV और अनुशासन बोर्ड की एक खंडपीठ का भी गठन किया गया है, जिससे निदेशक (अनुशासन) द्वारा तैयार की गई प्रथमदृष्ट्या राय पर विचार किए जाने के साथ-साथ जांच के अधीन मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, धारा 21घ के अधीन अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति का गठन किया गया है, जो शेष बचे पुराने मामलों और ऐसे मामलों, जो उसे परिषद् द्वारा पुन: निर्दिष्ट किए जाते हैं, के संबंध में कार्यवाही करेगी।

(I) विशिष्ट पहलें/उपलब्धियां :

- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी के साथ ई-सुनवाईयों का सफलतापूर्वक आयोजन। यह प्रक्रिया एक वरदान साबित हुई है और साथ ही इससे समय और लागत की भी बचत होती है तथा इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि मामले के पक्षकार यात्रा संबंधी लागतों के संबंध में चिंता किए बिना अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित हो सकें। ई-सुनवाईयों की प्रभाविकता स्पष्ट रूप से इसके माध्यम से निपटाए गए मामलों की बड़ी संख्या में उपदर्शित होती है, जिनके संबंध में अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति की बैठकों में कार्यवाही की गई, जैसा कि पश्चातवर्ती पैराओं में कथन किया गया है।
- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए अनुशासन संबंधी मामलों के ब्यौरों और साथ ही अन्य चीजों के साथ मामलों की वाद सूची को भी अनुशासन निदेशालय के समर्पित वेब पोर्टल पर रखा जा रहा है, जिससे विभिन्न पणधारियों के बीच और अधिक जागरुकता का सृजन किया जा सके और अनुशासन निदेशालय से संबंधित जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु एकल पटल उपलब्ध कराया जा सके।
- अनुशासन निदेशालय के अभिलेखों के अंकीयकरण के लिए अनुशासन निदेशालय के भौतिक अभिलेखों को स्कैन किए जाने की प्रक्रिया को स्थापित किया गया है ताकि पुराने अनुशासन संबंधी अभिलेखों तक भी पहुंच उपलब्ध कराई जा सके।
- आज की तारीख तक पुराने अनुशासन तंत्र (धारा 21घ के अधीन) के अधीन शेष बचे सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है। हाल ही में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने धारा 21(4) के अधीन दंडादेश के लिए लंबित एक मामले में मंजूर किए गए आस्थगन को अपास्त कर दिया है।

(II) अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है। अवधि के दौरान (अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023), अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर 78 बैठकें की थी, जिसमें भौतिक/ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं। इन बैठकों में, बोर्ड ने 98 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या	78
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय	456

	तैयार की गई थी।	
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	98
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	36

(III) अनुशासन समिति

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के परिधि-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अवधि के दौरान (अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023), अनुशासन समिति (सभी खंडपीठों) ने 84 बैठकें की थी, जिसमें भौतिक/ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 129 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**मामलों की सं.**
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या	84
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय तैयार की गई थी।	252
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति* द्वारा निर्दिष्ट किया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	129
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति* द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	118

(IV) धारा 21घ के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र [धारा 21घ] के अधीन कार्यवाही की गई

चूंकि, अनुशासन समिति द्वारा वर्ष 2018 में ही शेष सभी मामलों के संबंध में सुनवाई पूरी कर दी गई थी तथा उनका निपटारा कर दिया गया था, इसलिए पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान समिति की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। पूर्वोक्त अवधि के दौरान, अनुशासन समिति की कोई भी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष विचारार्थ लंबित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कदाचार के संबंध में परिषद् द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् (जिसे कि मामले में आस्थगन के कारण पूर्व में प्रदान नहीं किया जा सका था), चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (असंशोधित) की धारा 21(4) के अधीन एक आदेश पारित किया गया है।

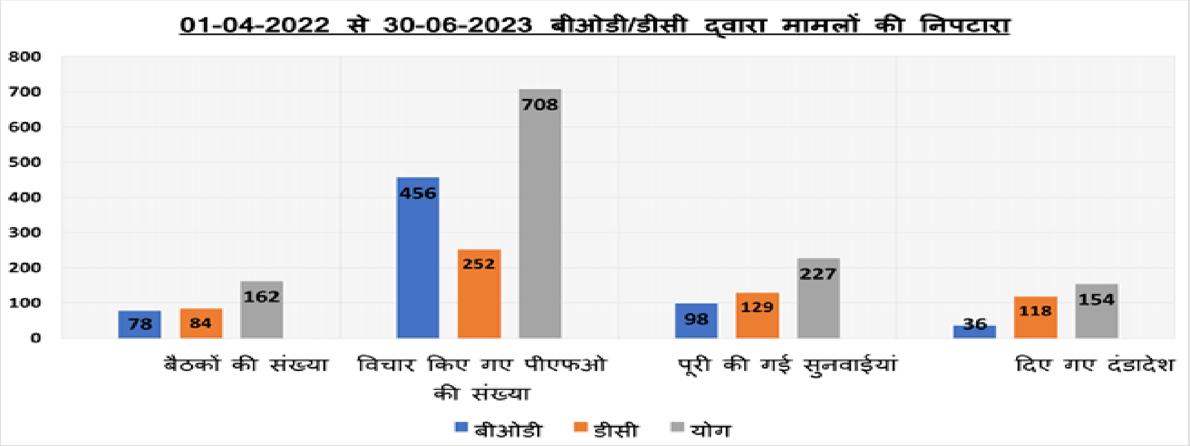

6. तकनीकी और वृत्तिक विकास

6.1 लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

लेखांकन मानक बोर्ड का गठन आईसीएआई द्वारा 1977 में सटीक, विश्वसनीय और उच्च स्तरीय लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रदान करने तथा भारत में विविध लेखांकन नीतियों और व्यवहारों को समन्वित करने के लिये लेखा मानक विरचित करने हेतु किया गया था। एएसबी ने अपने आरंभ से ही नए लेखांकन मानक विरचित करने के साथ-साथ, समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप मानक तैयार करने के लिए नए लेखा मानक विरचित करके इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। लगातार बढ़ते हुए जटिल कारबार पर्यावरण, परिवर्तित होती आर्थिक दशाओं और विनियामक अपेक्षाओ में लेखा मानकों के एकरूप अनुप्रयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करने के दृष्टिकोण से एएसबी समय-समय पर विभिन्न मार्गदर्शी सामग्री भी जारी करता है। आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार कंपनियों के लिए लेखा मानक विरचित करता है। आईसीएआई गैर-कंपनी इकाइयों के लिए भी लेखांकन मानक विरचित और जारी करता है।

लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

- इंड एएस के संशोधन - कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन आईसीएआई द्वारा सिफारिश किए गए, एमसीए द्वारा 23 मार्च 2023 को अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।
- सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए लेखा मानकों पर राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को सिफारिशें की गई है।
- एएसबी विद्यमान लेखा मानकों के पुनरीक्षण के लिए लगातार अपने प्रयास कर रहा है और इस संबंध में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत एएस 108 खंड रिपोर्टिंग एंड एएस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट पुनरीक्षित किया। इसके साथ एएस के पुनरीक्षित सेट के अधीन 32 मानक में से 30 मानक पूर्ण हो चुके हैं।
- इंड एएस कार्यान्वयन पहल के भाग के रूप में इंड एएस 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग और इंड एएस 21, विदेशी विनिमय में परिवर्तन के प्रभाव जारी किए गए। इंड एएस पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के 14 बैच भी आईसीएआई के प्लेटफार्म के डिजिटल पठन केंद्र (डीएलएच) के माध्यम से संचालित किए गए हैं।

(II) अंतर्राष्ट्रीय पहलें दीर्घकालिक भागीदारी स्थापित करना

- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) और आईएफआरएस द्वारा जारी किए गए विभिन्न परामर्शी दस्तावेजों, (एक्सपोज़र ड्राफ्ट डिस्कशन पेपर अनंतिम कार्यसूची) निर्णयों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
- 15-16 नवंबर 2022 को 14 वार्षिक डिजीटल एओएसएसजी बैठक में भाग लेना। विभिन्न तकनीकी सत्रों पर विचार-विमर्श किया गया।
- वर्ष के दौरान उभरते हुए आर्थिक समूह (ईईजी) बैठकों, आईएफएएसएस बैठकों और विश्व मानक गठनकर्ताओं (डब्ल्यूएसएस) के सम्मेलन में आईसीएआई प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर भागीदारी की।

(III) विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध बनाना :

- विनियामकों (जैसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न लेखांकन मुद्दों पर दष्टिकोण प्रस्तुत करना और जहाँ कहीं समुचित महसूस हो सुसंगत विनियामकों के साथ लेखांकन मुद्दों पर चर्चा करना ।

(IV) जागरूकता के सृजन के लिए विभिन्न वेबकास्ट, बेबीनार, आउटरीच बैठक संचालित करना तथा एएसबी द्वारा विरचित लेखांकन मानकों और एंड एएस पर आवश्यक जानकारी का प्रसार करना ।

(V) अन्य पहलें :

- 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में लेखांकन मानक दिवस देश के विकास और जीएसटी आय-कर तथा वित्तीय विवरणों पर संपूर्ण रूप से लेखांकन मानकों और वित्तीय विवरणों के उपयोग और महत्त्व के प्रसार हेतु मनाया गया ।
- रेखांकन पहलों तथा ज्ञान प्रसार क्रियाकलापों पर नवीनतम विकास को सदस्यों के साथ साझा करने के लिए ट्विटर हैंडल आरंभ किया गया ।
- हिंदी में इंड एएस का विस्तृत संस्करण हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए भारत सरकार की पहल का समर्थन करने के लिये आईसीएआई और एएसबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाया गया।
- मानकों के अन्य सुसंगत भागों के त्वरित संदर्भ के लिए हाइपरलिंक की सुविधा के साथ लेखा मानकों, भारतीय लेखा मानकों के एचटीएमएल स्पष्ट मुख्य अंतर वस्तु को नजर अंदाज किए बिना मानकों के अन्य सुसंगत उपबंधों के संदर्भ को आसान बनाने में पाठकों की सहायता के लिए बनाए गए ।
- सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने के महत्त्व को दर्शाने वाले लेखांकन मानकों और वित्तीय विवरणों की भूमिका पर तथा हिंदी और अंग्रेजी में वित्तीय विवरण को कैसे पढ़ें इसके लिए छोटे वीडियो बनाए गए ।
- 18-21 नवंबर 2022 को अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस 2022 में विशेषज्ञ सलाहकार समिति के साथ संयुक्त रूप से लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा लेखांकन पर जागरूकता का सृजन करने और ज्ञान के प्रसार के लिए मुंबई में आयोजित किया गया ।
- लेखांकन और वित्तीय विषयों को सरल बनाने के लिए शिक्षा के यंत्र के रूप में लेखांकन क्विज का सृजन किया गया, जिससे पदधारी इस पर सीख सकें और अपनी समझ को बढ़ा सकें ।
- एएसबी के सभी प्रकाशन तथा एएस और इंड एएस के वीडियो व्याख्यान डिजिटल पठन केंद्र पर अपलोड कर दिए गए हैं ।

(VI) जारी किए गए प्रकाशन

- भारतीय लेखांकन मानकों 2023 पर सार-संग्रह पुस्तक
- इंड एएस मार्गदर्शन सामग्री का ई-संस्करण
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) प्रकटन जांच सूची (पुनरीक्षित नवंबर 2022)
- इंड एएस एक दृष्टिकोण (2023)
- लेखांकन मानक प्रकटन जांच सूची (पुनरीक्षित अक्टूबर 2022)
- सीमित दायित्व भागीदारी के वित्तीय विवरणों पर तकनीकी गाइड
- गैर-निगम इकाइयों के वित्तीय विवरणों पर तकनीकी गाइड
- गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लिए लेखांकन पर तकनीकी गाइड
- इंड एएस 34 पर शैक्षणिक सामग्री, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
- इंड एएस़ 21 पर शैक्षणिक सामग्री, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव

6.2 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी)

वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही को मजबूत करके और भरोसा तथा विश्वास प्रदान करके लोकहित की सेवा और उसे संरक्षित करके संपरीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । संपरीक्षा लोगों के द्वारा संव्यवहारों की विविधता, संख्या और मूल्य का वर्धन करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायता करती है । तथापि, हाल ही के वर्षों में कारबार पर्यावरण और कारोबार प्रतिमान को तथा उनके भौगोलिक प्रसार, उनकी बढ़ती हुई जटिलता के कारण संपरीक्षा के व्यवसाय में विभिन्न पणधारियों से अपेक्षाओं में अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है । आईसीएआई इन अपेक्षाओं का प्रत्युत्तर देने की अतिरिक्त अत्यधिक आवश्यकता को सकारात्मक रूप से पहचानता है ।

आईसीएआई ने अपने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के माध्यम से संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य संबंधित सेवाओं पर उच्च गुणवत्ता मानक विकसित किए हैं । ये मानक न केवल संपरीक्षा में सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हैं बल्कि वहाँ बेंचमार्क भी प्रदान करते हैं, जिससे संपरीक्षकों के निष्पादन को मापा जा सकता है । बोर्ड संपरीक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से जेनरिक के साथ-साथ उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों पर भी मार्गदर्शी टिप्पण विकसित करता है । ये दस्तावेज बोर्ड की कठोर सम्यक प्रक्रिया के पश्चात् आईसीएआई की परिषद के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं । आईसीएआई द्वारा जारी किए गए संपरीक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वित किए जाते हैं । बोर्ड तकनीकी मार्गदर्शन, प्रैक्टिस मैनुअल, अध्ययन और अन्य पत्र भी विरचित करता है, जो सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए इसके स्वयं के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं, संपरीक्षा के मानकों के कार्यान्वयन में सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बोर्ड उन मानकों के कार्यान्वयन मार्गदर्शन भी लाता है । आज की तारीख तक सदस्यों के लिए की गई पहलें और महत्वपूर्ण उपलब्धियां का विस्तृत सिंहावलोकन, निम्नानुसार है :

(I) मंत्रालयों, विनियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव

- बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उनकी अधिसूचना के लिए एनएफआरए को संपरीक्षा पर 35 मानकों पर आईसीएआई को सिफारिशें प्रस्तुत की ।
- बोर्ड ने डिजिटल लेखांकन और आश्वासन बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से सेबी को विभिन्न पोर्टल अर्थात् जीएसटी, एनडीजीएफटी, ईपीएफओ तक संपरीक्षकों को पहुंच प्रदान करने के लिए अनुरोध किया ।

(II) जारी किए गए प्रकाशन

- संपरीक्षा मानकों पर जांच सूची
- ऑडिट वर्किंग पेपर टेम्पलेट
- आमंत्रण दस्तावेजों में मुख्य निष्पादन सूचकों के प्रकटन और रिपोर्टिंग पर तकनीकी मार्गदर्शन
- कम्पनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के अधीन रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन
- बैंकों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण 2023 संस्करण
- एसए 580 का कार्यान्वयन मार्गदर्शन, लिखित अभ्यावेदन
- डिजीटल आश्वासन पर तकनीकी मार्गदर्शन
- एसए 230 का कार्यान्वयन मार्गदर्शन, संपरीक्षा दस्तावेजीकरण (पुनरीक्षित 2022 संस्करण)
- कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2022 संस्करण)

(III) सदस्यों के लिए नई पहल

- बोर्ड ने सदस्यों की जागरूकता और वृत्तिक संवर्धन के लिए संपरीक्षा मानकों, बैंक संपरीक्षा और अन्य संपरीक्षा पहलों पर विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशाला, वेबकास्ट, आभासी सीपीई बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए ।

- इस वर्ष भी बोर्ड ने पूर्ववर्ती वर्षों की भांति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षा के संबंध में सदस्यों के प्रश्नों के समाधान हेतु विशेषज्ञों के ऑनलाइन पैनल का गठन किया । पैनल ने 1 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक सदस्यों के प्रश्नों को सुलझाया ।
- इस वर्ष बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपरीक्षा पहलूओं से संबंधित कानूनी संरक्षण से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए विशेषज्ञों के एक ऑनलाइन पैनल का गठन किया है । पैनल 30 सितंबर 2023 तक प्रश्नों का समाधान करेगा ।
- बोर्ड ने बौद्धिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से तृतीय पक्षकार वेंडर के माध्यम से बाहरी संपुष्टियों पर एक घोषणा जारी की है ।

(IV) अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर योगदान

- अध्यक्ष एएसबी और उपाध्यक्ष एएसबी ने जून, 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड - राष्ट्रीय मानक निर्धारण बैठक (आईएएएसबी-एनएसएस) में भाग लिया ।

6.3 व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन गठित एक अस्थायी समिति है, जो व्यवसायरत सीए फर्म और सदस्यों द्वारा व्यवसाय के मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई गयी थी । इसका लक्ष्य संस्थान और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच निकट संबंधों को प्रोत्साहित और संवर्धित करना है, जिससे उनकी वृत्तिक ज्ञान में वृद्धि विशेषज्ञता कौशल और सहायता के निबंधनों का आधार प्रदान किया जा सके । समिति व्यवसायरत सीए फर्मों और सदस्यों के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कार्य करती है और कारबार समुदाय के बीच उनकी क्षमता और दृष्टिकोण का संवर्धन करके सीए फर्मों, वृत्तिकों की क्षमता को मजबूत और विकसित करने के लिए काम करती है ।

समिति ने कौशल विकास ज्ञान प्रबंधन व्यक्तिगत वृत्तिक सुरक्षा फायदों आदि के लिए लाभकारी उत्पादों और/या सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न इकाइयों के सहयोग से सदस्यों की वृत्तिक और विकास के लिये अन्य उत्पाद/सेवाएँ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :

(I) आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए प्रदान किए गए उत्पादों की सूची

बीमा उत्पाद

- आईसीएआई एलआईसी ग्रुप टर्म इंश्योरेंस
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा प्रोफेशनल इंडेम्निटी इंश्योरेंस
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा हाउसहोल्डर इंश्योरेंस
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा ऑफिस प्रोटेक्शन शील्ड इंश्योरेंस
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस
- एचडीएफसी ग्रुप पूर्ण सुरक्षा

सॉफ्टवेयर उत्पाद

- सीए व्यवसायियों और सीए फार्मों के लिए प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आईसीएआई के सदस्यों के लिए निशुल्क
- टैली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस
- इंटिग्रेटेड जीआरसी प्रोडक्ट्स शूट सॉफ्टवेयर
- सिंप्लिफाइ प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर

- पैपिलियो सॉफ्टवेयर फॉर द प्रैक्टिशनर्स
- एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर एंड सीए फर्म बाई केडीके सॉफ्टवेयर
- एंटी वायरस प्रोटेक्शन फेसिलिटी
- जीएसटी एनुअल रिटर्न सॉफ्टवेयर फ़ोर मेंबर्स इन प्रैक्टिस/ सीए फर्म बाई केडीके सॉफ्टवेयर
- ऑल इन वन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर
- एफ्फ फैक्टर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर एंड सीए फर्म
- टीडीएस सॉफ्टवेयर बाइक एड़ी के सॉफ्टवेयर
- सीओ आर डी एल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर
- रिसर्च मैप सॉफ्टवेयर
- ऑटोमैटिक अकाउंट कन्फर्मेशन्स एंड रिकॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर
- जीएसटी सॉफ्टवेयर
- जो हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर
- काउंट मैजिक सॉफ्टवेयर
- संपरीक्षा के लिए एनईएस एलआईयू तक पहुँच व्यवसायरत सदस्यों के लिए समिति की एक पहल
- माइक्रो विस्टा टेक्नोलॉजीज से व्यवसायरत सदस्यों के लिए एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर के लिए व्यवस्था
- माइक्रो विस्टा टेक्नोलॉजीज से व्यवसाय सदस्यों के लिए जीएसटी सॉफ्टवेयर की व्यवस्था
- लेखांकन सॉफ्टवेयर का क्लाउड आधारित इको सिस्टम
- व्यवसायरत सदस्यों के लिए रेजरपे टैक्स बैंकिंग पेरोल औरअन्य फाइनेंस
- प्रो 42 प्लेटफॉर्म तक पहुँच व्यवसाय सदस्यों के लिए समिति की एक पहल

प्रकाशन

- प्रकाशनों पर वाणिज्यिक विधि प्रकाशकों का कंबो ऑफर
- भारत लॉ हाउस डिस्काउंटेड प्रकाशन

ऋण सुविधाएँ

- बीओबी क्रेडिट कार्ड
- ऑनलाइन पीएसबी लोन्स (ओपीएल)
- एस बी आई द्वारा सीएलपी के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एसएमई फायनेंस

स्वास्थ्य सेवाएं

- ट्रू वर्थ वेलनेस द्वारा हेल्दी बेनिफिट प्लान
- आईसीएआई के सदस्यों छात्रों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए मैक्स हेल्थ केयर द्वारा प्रदान किए गए स्वास्थ्य देखभाल फायदे
- आईसीएआई के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए मेदांता द्वारा प्रदान किए गए बट्टाप्राप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
- आईसीएआई के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए डॉ लाल पैथलैब्स द्वारा बट्टाप्राप्त नैदानिक और संबंधित स्वास्थ्य देखभाल परीक्षण

वाणिज्यिक और यात्रा फायदे

1. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से उत्पादों पर विशेष ऑफर
2. यात्रा और होटल बुकिंग पर विशेष डील

उपरोक्त व्यवस्था के ब्यौरे पर उपलब्ध है https://cmpbenefits.icai.org/

(II) क्षमता निर्माण उपाय

डिजिटल संपरीक्षा टूल्स का विकास

- आईसीएआई की सीआईआरसी, जयपुर शाखा द्वारा बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में व्यवसायरत सदस्यों के लिए 20 और 21 जनवरी 2023 को समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन "श्रेयण" में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आईसीएआई द्वारा 21 जनवरी 2023 को प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया।

प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की प्रास्थिति

प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए कुल 5501 रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए थे। उक्त साफ्टवेयर के प्रदेशवार उपयोक्ता निम्नानुसार हैं :

विशिष्टियां	उत्तरी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	योग
प्रोपराइटर	4	10	1	64	2	81
साझेदारी	671	2082	259	1223	1185	5420
योग	675	20922	260	1287	1187	5501

- संपरीक्षा विश्लेषण टूल - यह संपूर्ण डाटा के विश्लेषण के लिए एक उपयोगी टूल हैं बजाय संपरीक्षा नमूना में संलग्न रहने के कोई संपरीक्षक क्षमता निर्धारण से लेकर संपूर्ण उपसंहार तक किसी संपरीक्षा के प्रत्येक चरण में डाटा विश्लेषण का प्रयोग कर सकता है।
- संपरीक्षा दस्तावेजीकरण टूल सॉफ्टवेयर - स्वचालित प्रक्रिया करता है तथा विभिन्न संपरीक्षा क्रियाकलापों जैसे क्लाइंट एंगेजमेंट, विश्लेषण प्रक्रियाओं और लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, लेखांकन को निगम विधियों, विभिन्न संपरीक्षा प्रक्रियाओं के दस्तावेज़ीकरण, रिपोर्टिंग आदि की व्यवस्था करने में संपरीक्षा को आसान बनाता है।
- ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय - एक ही स्थान पर इससे संबंधित कानूनी अधिनियमों अधिसूचनाओं प्रेस विज्ञप्तियों और निर्णयों को उपलब्ध कराता है। अंतर्वस्तु डाटाबेस की पहचान किए गए विषय, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर अंतरराष्ट्रीय कराधान माल और सेवाकर, दिवाला और शोधन अक्षमता, विधि अंतरण कीमत और निगम विधियां हैं, आईसीएआई के सदस्यों को प्रदान की जाती हैं।

(III) वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- धन प्रबंधन और वित्तीय नियोजन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (30 संरचनात्मक सीपीई घंटे)
- वर्किंग पेपर प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (30 संरचनात्मक सीपीई घंटे)
- अपीलों की तैयारी विलेख और दस्तावेजों के प्रारूप और अपीलीय प्राधिकारियों तथा कानूनी विनियामकों को अभ्यावेदन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (30 संरचनात्मक सीपीई घंटे)
- सीए फर्मों की नेटवर्किंग और अन्य समेकित उपायों का संवर्धन।

(IV) कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन/अभिविन्यास कार्यक्रम/राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन/नेटवर्किंग कार्यशाला

समिति ने जीएसटी और क्षमता निर्माण व्यवसाय में वर्तमान में वृद्धि, व्यवसाय को बढ़ाने और अधिकतम करने सीए व्यवसाय वृद्धि रणनीतियों नेटवर्किंग कनेक्ट शेयर एंड ग्रो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यवसाय के रूप सीए कनेक्ट आदि सनराइज एरिया आफ प्रैक्टिस जीएसटी/आईबीसी/मूल्यांकन/अपराध शास्त्र/सरकारी लेखांकन/आंतरिक संपरीक्षा/केपीओ/सहकारी समितियों प्रणाली संपरीक्षा/ न्यूनतम फीस सिफारिशों/नई नैतिक संहिता के अनुसार फीस, निविदा मार्गदर्शन निविदा मॉनिटरी समूह की भूमिका, लागत सीट आदि, फर्म की क्षमता, निर्माण संहिता, फार्म टू स्मार्ट

फर्म और पैनल चर्चा युवा व्यवसायरत सदस्यों, महिला व्यवसायरत सदस्यों, माध्यमिक व्यवसायिक सदस्यों, बड़ी फर्मों की भागीदारी वरिष्ठ व्यवसाय सदस्यों आदि पर विभिन्न कार्यशालाएं/कार्यक्रम/सम्मेलन/ संगोष्ठी/अभिविन्यास/कार्यक्रम राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन वीसीएम/बेबीनार आयोजित किए।

6.4 सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी)

आईसीएआई अपनी सतत वृत्तिक शिक्षा समिति के माध्यम से अपने सदस्यों को चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए समकालीन ज्ञान और कौशल अर्जित करने में उन्हें समर्थ बनाने की उभरती हुई आवश्यकता के प्रति और वृत्तिक जागरूकता से अद्यतन रहकर अवसर प्रदान करने के लिए सदैव सक्रिय रहा है।

(I) सीपीई समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और नवीनतम पहलें

- **कैलेंडर वर्ष के आधार पर सदस्यों द्वारा सीपीई घंटों को पूरा करना**

सदस्यों से सीपीईसी घंटे अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष 2023 से कैलेंडर वर्ष की आधार पर सीपीई घंटे अपेक्षाओं को पूर्ण करना अपेक्षित है। कैलेंडर वर्ष 2023 से तीन वर्ष की ब्लॉक/रोलिंग अवधि संकल्पना को हटा दिया गया है।

- **कैलेंडर वर्ष 2023 से पुनरीक्षत सीपीई घंटे अपेक्षाएं**

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवसायों के समकालीन कैलेंडर वर्ष 2023 से लागू सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए सीपीईसी क्रेडिट घंटा अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

सदस्यों का प्रवर्ग	सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षा
(60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है (उन सभी सदस्यों को छोड़कर, जो विदेश में रह रहे हैं)	क. प्रत्येक कलैंडर वर्ष में कम से कम 40 सीपीई क्रेडिट घंटे पूर्ण करना। ख. कलैंडर वर्ष के दौरान संरचनात्मक अधिगम के कम से कम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूर्ण करना। ग. बकाया 20 सीपीई क्रेडिट घंटे या तो संरचित या असंरचित अधिगम के माध्यम से पूर्ण किए जा सकते हैं (सदस्य के विकल्प के अनुसार)
(60 वर्ष या अधिक आयु) के सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है।	क. कलैंडर वर्ष के दौरान संरचित या असंरचित अधिगम के कम से कम 30 सीपीई क्रेडिट घंटे पूर्ण करना (सदस्य के विकल्प के अनुसार)
(60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र नहीं है, और सभी सदस्य, जो विदेश में निवास कर रहे हैं (चाहे व्यवसाय का प्रमाणपत्र रखते हों या नहीं)	क. कलैंडर वर्ष के दौरान संरचित या असंरचित अधिगम के कम से कम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूर्ण करना (सदस्य के विकल्प के अनुसार)

- **सीईसी एलईए समिति के साथ संयुक्त रूप से सीपीई द्वारा संकाय डाटाबेस के विकास के लिए ट्रेन द ट्रेनर (टीटीटी) कार्यक्रम**

  सीपीई समिति ने सीईसी एलईए के साथ संयुक्त रूप से में प्रशिक्षित संकाय और वक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समिति के कार्यक्रमों में गुणवत्ता शिक्षण प्रदान करने के लिए संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन ढंग से अखिल भारतीय आधार पर ट्रेन ट्रेनर कार्यक्रम आयोजित किया है। 11 टीटीटी पिछले परिषद वर्ष के दौरान आयोजित किए गए हैं।

- **आजादी का अमृत महोत्सव के अधीन कार्यक्रम (एकेएएम)**

  भारत सरकार द्वारा यथा नियोजित देश व्यापी आजादी का अमृत महोत्सव, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों को स्मरण और इसके गौरवशाली इतिहास और प्रगतिशील वृद्धि दर का उत्सव मनाने के लिए आरंभ किया गया। आईसीएआई ने राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में अपने विभिन्न सीपीई पीओयू के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन/आफलाइन पद्धति से विभिन्न सीपीई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

- **इन हाउस एग्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रम (आईएचईडीपी)**

  सीपीई समिति पीएसयू सरकारी कंपनियों, राष्ट्रीय बैंको और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी लगी हुई है । ये सब लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों जैसे निगम विधियों, कारबार और आर्थिक विधियों, वित्तीय प्रबंधन तथा विश्लेषण, निगम विधियों में अनुपालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात उपबंधों पर पूर्ण जानकारी, लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके कर्मचारियों के लिए इन हाउस एग्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इन संगठनों को प्रस्ताव भेजे गए ।

(II) सदस्यों तथा सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाइयों के लिए सीपीई समिति द्वारा की गई आईटी पहलें

- **सीपीई पोर्टल को और अधिक उपयोक्ता तथा प्रौद्योगिकी मित्र बनाने के लिए उसका संपूर्ण स्वचालन तथा मोबाइल एप्लीकेशन का विकास**

  सीपीई पोर्टल सदस्यों को संरचनात्मक और असंरचनात्मक सीपीई घंटों को अनुदत्त करने के लिए आईसीएआई के सीपीईसी के संपूर्ण तंत्र का प्रबंधन करता है । उत्कृष्टता के प्रयास में सीपीई समिति ईपीई क्रियाकलापों में आईटी टूल्स के एकीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही है, जिसके अंतर्गत सीपीई पोर्टल का पुनः अभिकल्पन/नवीनीकरण पोर्टल में एकल साइन इन सुविधा तथा उपस्थिति प्रणाली की सुधरी हुई मॉनीटरिंग भी है । सीपीई पोर्टल वृत्ति से संबंधित नवीनतम विकास के संबंध में सूचना प्रदान करने तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए विभिन्न आईसीएआई संबंधी पहलों का समर्थन करने के लिए ज्ञान के केंद्र का विकास करने के लिए है ।

- **सीपीई अनुमोदन क्रियाविधि का संवर्धन**

  सतत शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तथा उनकी उचित मॉनीटरिंग कार्यक्रमों की संरचना, विषयों के चयन, संकाय आदि सीपीई प्रणाली के और सुधार के लिए सीपीई समिति एक उत्कृष्ट सीपीई पोर्टल का विकास करने की प्रक्रिया में है, जो सीपीई कार्यक्रम का उनके संगठन और उपस्थिति के संबंध में बेहतर मॉनीटरी और सुधरी हुई नियंत्रण प्रणाली पर ज़ोर देगी । सीपीईसी ने सीपीई कार्यक्रम को और अन्य सीपीई पीओयू द्वारा सीपीई संबंधित अनुपालनों के अनुवीक्षण और व्यवस्था को विनियमित करने के लिए कठोर विनियामक प्रणाली को अंगीकार किया है ।

- **सुधरी हुई संकाय फीडबैक या पुनर्विलोकन प्रणाली**

  सीपीई पठन और प्रदाय तंत्र के निबंधनानुसार सीपीई कार्यक्रमों की क्वालिटी में अभिवृद्धि करने के लिए सीपीईसी उत्तम संकायों के विकास और उनके स्वयं के पुनर्विलोकन प्रणाली को स्थापित करने का लक्ष्य रखती है । वर्तमान में, संकाय की प्रतिक्रिया/पुनर्विलोकन, सीपीई कार्यक्रम, सेशन पीपीटी या संकाय के प्रोफाइल को अपलोड किए जाने के विकल्प, यूहीं चयन द्वारा सदस्यों के पठन की क्वालिटी जांच और पोर्टल में प्रतिक्रिया के संबंध में उपस्थिति प्राप्त करने के लिए आज्ञापक बन गया है ।

(III) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए पहलें

- **सदस्यों के साथ जुड़ना :**

  आईसीएआई की सीपीई समिति का 658 सीपीई पीओयू का एक सुदृढ़ नेटवर्क आधार है जो सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरे भारत वर्ष और विदेशों में फैला है और साथ ही वह मुफसिल सदस्यों/दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों को सीपीई क्रियाकलाप करने में भी सहायता करते हैं । आईसीएआई की सीपीई समिति द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत के सभी राज्यों/जिलों/ तहसीलों में देश के दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले आईसीएआई के सभी सदस्यों की सुविधा के लिए 5600 से अधिक पीओयू को खोला जाए । ज्ञान के बेहतर प्रचार-प्रसार और आईसीएआई के प्रत्येक सदस्य तक पहुंच बनाने के लिए समिति सदस्यों से यह अनुरोध कर रही है कि वे मिलकर एकसाथ आएं तथा नए सीपीई पीओयू को खोलने के लिए स्वैच्छिक योगदान दें और साथ ही ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान करें जहां सीपई पीओयू (सीपीई अध्ययन सर्कल, सीपीई अध्ययन चैप्टर और सीपीई अध्ययन समूहों) को खोला जा सकेगा ।

- **ज्ञान का प्रसार**

  संगोष्ठियां/वेबीनार/कार्यशालाएं/आरआरसी

- सतत पठन को जारी रखने और सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए सीपीई समिति नियमित आधार पर पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करती है । तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त समिति अपना ध्यान सदस्यों के लोक वक्ता संबंधी कौशलों में अभिवृद्धि करने पर भी केंद्रित कर रही है और साथ ही उन्हें एक प्रबुद्ध नेता बनने हेतु परामर्श भी प्रदान करती है । आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों से संबंधित होते हैं :
  - विभिन्न तकनीकी और समवर्ती वृत्तिक विषयों पर सिद्धांत और अभ्यास के संबंध में ज्ञान का प्रसार ।
  - वृत्ति के विविध क्षेत्रों में सदस्यों की भूमिका में अभिवृद्धि करना ।
  - सदस्यों को नेटवर्किंग संबंधी अवसर उपलब्ध कराना ।

  परामर्शी कार्यक्रम

  समिति ने सदस्यों को गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में शिक्षित करने के लिए परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि वे वैश्विक व्यवसायी, सफल सीएफओ और सीईओ बनने में समर्थ हो सकें । ये कार्यक्रम छात्रों को भी शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं । पिछले परिषद् वर्ष में 12 परामर्शी कार्यक्रमों का भौतिक रूप से और 7 परामर्शी कार्यक्रमों का वर्चुअल पद्धति से आयोजन किया गया था ।

  निम्नलिखित के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकें :
  - **संकाय/मोडरेटर**
  - **प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा आईसीएआई के सभी प्रदेशों के सीपीई अध्ययन सर्कल/चैप्टर/समूह के संयोजक और उप संयोजक**

    समिति ने पठन का संवर्धन करने तथा अध्यापन कौशलों तथा साफ्ट कौशलों में सुधार करने के उद्देश्य से ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए संकाय/मोडरेटर के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया था । सीपीई समिति ने प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा आईसीएआई के सभी प्रदेशों के सीपीई अध्ययन सर्कल, सीपीई अध्ययन चैप्टर और सीपीई अध्ययन समूह के संयोजक और उप संयोजक के साथ भी विभिन्न क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया है । इन बैठकों का आनलाइन पद्धति से प्रदेशवार आयोजन किया गया, जिनमें सतत वृत्तिक विकास समितियों और कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक सुधार करने के लिए सुझाव मांगे गए, जिससे उन्हें सीपीई समितियों की विभिन्न नीतियों और पहलों के संबंध में शिक्षित किया जा सके और साथ ही सीपीई कार्यक्रमों आदि के संवर्धन के लिए सीपीई पीओयू की प्रत्याशाओं के संबंध में समझ बनाई जा सके/उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके ।

    सीपीई समिति ने सदस्यों के साथ 14 परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, इन आनलाइन परस्पर क्रियाशील बैठकों के दौरान सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सीपीई समिति ने पहली बार आईसीएआई के सभी प्रदेशों के सीपीई अध्ययन सर्कल, सीपीई अध्ययन चैप्टर और सीपीई अध्ययन समूह के संयोजक और उप संयोजक तथा आईसीएआई के पश्चिमी क्षेत्र के अध्ययन सर्कलों और सीएमआईबी (उद्योग में लगे सदस्य संबंधी समिति) के साथ भी भौतिक पद्धति से विभिन्न क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया है ।

- **सीपीई बुलेटिन :**

  समिति ने, अपने सदस्यों के बीच सीपीई घंटों के अनुपालन के क्षेत्र में तथा अन्य विनिश्चयों के माध्यम से हुई हाल ही की घटनाओं के संबंध में जागरुकता का सृजन करने तथा समिति की पहलों को उपदर्शित करने और अपने कार्यक्रमों के ब्यौरों को साझा करने के लिए एक ई-न्यूज लैटर को जारी किया है, जिसे संस्थान की वेबसाइट के सीपीई पृष्ठ पर रखा गया है और साथ ही उसे सीपीई पोर्टल पर https://www.icai.org/post/e-newsletter-of-the-continuing-professional-education-committee लिंक पर रखा गया है ।

(IV) सीपीई समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए प्रमुख आयोजन

- आनलाइन सीपीई पठन आयोजन – सीपीई समिति असंरचित सीपीई घंटें प्रदान करने के लिए सदस्यों के पठन और उन्नयन हेतु नियमित और सतत रूप से आनलाइन सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है ।
- राष्ट्रीय सम्मेलन – जीएसटी और आचार-संहिता, ज्ञान का अमृत महोत्सव, अभ्युदय अभिनव : स्वप्न, हिम्मत करें, प्रदाय करें, प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता के लिए, विवेचना, भविष्य के लिए खोज आदि विषयों पर 8 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया ।

(V) सदस्य शिक्षा और सक्षमता निर्माण

- सीपीई समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आयोजित सीपीई कार्यक्रम – सदस्यों को सशक्त करने तथा विविध क्षेत्रों में उनके पठन में अभिवृद्धि करने तथा उनके द्वारा प्रस्थापित कौशल सेटों को बढ़ावा देने के लिए 176 भौतिक और वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।
- समिति के पीओयू द्वारा आयोजित सीपीई कार्यक्रम – समिति के पीओयू द्वारा 8801 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
- सदस्यों के फायदे के लिए सीपीई कार्यक्रम – आईसीएआई के सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों द्वारा वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर पूरे देश भर में सदस्यों के लिए 8801 सीपीई कार्यक्रमों (जिनके अंतर्गत 6006 सीपीई कार्यक्रमों का भौतिक पद्धति से आयोजन किया जाना भी है) का आयोजन किया गया ।
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम – केंद्रीय समितियों/बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों, अर्थात् जीएसटी, फेमा, लेखांकन मानक, आय-कर अपील कार्यवाहियों, समुन्नत एक्सेल और डाटा डैशबोर्ड, डाटा/न्यायालयिक विश्लेषण, सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए, एसएपी परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी संपरीक्षा, आईएसए और डाटा विश्लेषण के संबंध में प्रैक्टिकल गाइड और माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर और पावर बीआई के साथ अभिकल्पना आदि के संबंध में 80 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
- राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन – 933 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन किए गए थे ।

(VI) समाज का समर्थन – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

आईसीएआई ने 3146 अन्य सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनके माध्यम से सरकार की जीएसटी और जीएसटी संपरीक्षा, एमएसएमई, भारत में कारबार करने की सुगमता, स्टार्ट-अप, संपरीक्षा मानकों, चेहरा विहीन निर्धारण आदि के क्षेत्र में की जाने वाली पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से समर्थन किया गया था ।

6.5 निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी)

निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी) सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के माध्यम से वृत्ति के सशक्तिकरण और एक निष्पक्ष निगम व्यवस्था का संवर्धन करने का प्रयास करती है । सरकार के साथ सहयोग करते हुए, समिति सक्रिय रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर संवाद करते हुए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित विषयों पर नियमित अभ्यावेदन तथा सुझाव भी उपलब्ध कराती है । ज्ञान के वर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समिति यह सुनिश्चित करती है कि उसके सदस्य निगम विधियों के संबंध में सदैव अद्यतन जानकारी से लैस हों, जिससे उन्हें सफलतापूर्वक निगम शासन के क्षेत्र में सदैव विकासशील परिदृश्य में स्वयं को स्थापित करने में समर्थ बनाया जा सके ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2023) के दौरान एमसीए/सेबी को अभ्यावेदन/सुझाव/सिफारिशें

समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रियाएं करती हैं । समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित अभ्यावेदन/इनपुट/राय/सुझाव प्रस्तुत किए ।

अभ्यावेदन

- कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 के उपबंधों में विसंगतियों के संबंध में अभ्यावेदन।
- अपलिखित कंपनियों और एलएलपी की डाटा अपेक्षाओं के संबंध में अभ्यावेदन।
- एमसीए के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र संबंधी क्रियाकलापों के लिए 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव।
- स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की अपेक्षाओं का विश्लेषण करने तथा अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों की डाटा अपेक्षाओं के संबंध में अभ्यावेदन।
- अपलिखित कंपनियों की डाटा अपेक्षाओं के संबंध में अभ्यावेदन।
- आईएफएससी कंपनियों में भारतीय रुपए के बजाए विदेशी मुद्रा में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का शिथिलीकरण।
- आईसीएआई द्वारा राष्ट्रीय भू-संपदा विकास परिषद् (एनएआरई डीसीओ) से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(2) के अधीन वितरण के लिए लाभांश की संगणना की पद्धति में विसंगति और आरईआईटी विनियम, 2016 के संबंध में प्राप्त पत्र के संबंध में सुझाव।
- कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में आईसीएआई के सुझाव/सिफारिशें।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के अनुसार सर्वर को भारत में रखे जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में सुझाव।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय को खंडों में वायुयान स्वामित्व दिशानिर्देशों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए।

(II) वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न समितियों और समूहों की सदस्यता

- आईसीएआई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्य को सरल बनाने हेतु कार्य समिति का सदस्य है।
- आईसीएआई, कंपनी अधिनियम, 2013 को सरल बनाने से संबंधित सुझावों के परीक्षण के लिए उप समूह (2) का सदस्य है।
- आईसीएआई राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों की स्टेयरिंग समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई सामाजिक उत्तरदायित्व अनुभागीय समिति, एमएसडी-10, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गठित प्रबंध और प्रणाली प्रभाव परिषद् (एमएसडीसी) के अधीन है, का सदस्य है।
- आईसीएआई, निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन की शासी परिषद् (एनएफसीजी) का एक पदेन सदस्य है।
- आईसीएआई, आईसीएसआई के अनुसचिवीय मानकों के विशेषज्ञ समूह का एक सदस्य है।

(III) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को एमसीए 21 वी3 पोर्टल के सहज अंतरण तथा कार्यकरण में समर्थन प्रदान करना।

वर्ष 2022-23 के दौरान सीएलएंडसीजीसी के लिए एमसीए की वी3 परियोजना के आरंभ को समर्थन प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहल रही है। यह अपनी तरह की ऐसी सहबद्धता है, जहां आईसीएआई सहज अंतरण को समर्थ बनाने के लिए दैनिक आधार पर निकटवर्ती रूप से एमसीए के साथ कार्य कर रहा है। वी3 वर्जन को शासन अपेक्षाओं के निबंधनानुसार तथा समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण रूप से समुन्नत किया गया है। वर्जन 3 का कार्यान्वयन एक बड़े स्तर पर किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारबार प्रक्रिया परिवर्तन है और इसके कारण, इसके कार्यान्वयन में कतिपय चुनौतियां सम्मिलित हैं, जिनका प्रभावी रूप से समाधान किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा चुके है/रहे हैं :

- **उपयोक्ता की स्वीकार्यता संबंधी परीक्षण (यूएटी)**
    - प्ररूपों का कड़ा उपयोक्ता की स्वीकार्यता संबंधी परीक्षण, जहां कंपनी प्ररूपों में अंतर्वलित मुद्दों को दैनिक आधार पर एमसीए/एलटीआई को सूचित किया जाता है।
    - एक गूगल लिंक स्थापित किया गया है, जहां दैनिक आधार पर मुद्दों को लॉगिन किया जाता है।

- अद्वितीय मुद्दों की पहचान और उन्हें अद्यतन करना ।
- मुद्दों के समाधान के लिए दोषपूर्ण एक्ससेल को दैनिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है ।
- रिपोर्ट किए गए मुद्दों की प्रास्थिति जांच ।
- यूएटी में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए कुल प्ररूपों संबंधी साप्ताहिक प्रस्तुतिकरण और मुख्य सुझाव ।

- **एलएलपी प्ररूप फाइल करने / कंपनी प्ररूप फाइल करने के लिए एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में एमसीए के साथ पुनर्विलोकन बैठक**

  सचिव, संयुक्त सचिव, एमसीए के साथ एलएलपी प्ररूप फाइल करने / कंपनी प्ररूप फाइल करने के लिए एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के सुचारु कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए आगे की जाने वाली प्रगति/क्रियाकलापों के संबंध में विचार-विमर्श करने और साथ ही उनके सम्यक् अनुपालन के लिए फाइल किए जाने की प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है । ऐसी बैठकों में साधारण रूप से संयुक्त सचिव, एमसीए, अध्यक्ष, सीएलएंडसीजीसी और उपाध्यक्ष, सीएलएंडसीजीसी भाग लेते हैं ।

- **सदस्यों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान**

  पणधारियों के साथ परामर्शी बैठक

  माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री तथा सचिव, एमसीए के स्पष्ट निदेशों के अधीन जून, 2023 में पूरे भारत वर्ष में विभिन्न नगरों में पणधारी परामर्शी बैठकों का आयोजन किया गया था । इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पणधारियों के समक्ष एमसीए 21 वर्जन 3 के संबंध में आने वाली चुनौतियों के संबंध में बातचीत के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना और उनके लिए उपयुक्त समाधानों को खोजना था । पणधारी परामर्शी बैठकें, पणधारियों के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी जहां वे सक्रिय रूप से आवश्यक विषयों पर परिचर्चा कर सकते हैं तथा उनके संबंध में अपनी मूल्यवान अंत:दृष्टि उपलब्ध करा सकते हैं । इन बैठकों में पणधारियों के साथ प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत परस्पर क्रियाएं करना सम्मिलित है, जिससे एमसीए और आईसीएआई के दल को सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में व्यापक समझ बनाने में सहायता प्राप्त होती है । आईसीएआई ने सरकार का विभिन्न अवस्थानों पर स्थिति आईसीएआई के परिसरों में इन पणधारियों की बैठकों का आयोजन करने में समर्थन किया है, उल्लेखनीय रूप से इन बैठकों में 1800 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सीएलएंडसीजीसी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सीएलएंडसीजीसी के दल ने एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल पर पणधारियों के सामने आने वाले मुद्दों को समाधान हेतु एमसीए के सामने रखने का कार्य किया ।

- **ओपन हाऊस/हेल्पलाइन/चैट कक्ष**

  समिति लॉगिन के संबंध में मुद्दों का सामना करने वाले सदस्यों, एलएलपी, कंपनी प्ररूपों, निगमन 1 और निगमन 2 के संबंध में पृथक् हेल्पलाइनों और ओपन हाऊस परिचर्चाओं का संचालन कर रही है । ये हेल्पलाइनें 23 सितंबर,2022 से सोमवार से आरंभ की गई और वे शुक्रवार तक कार्य करती हैं ।

  एलएलपी, कंपनी और लॉगिन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए गूगल लिंक/समर्पित मेल आईडी

  एक समर्पित गूगल लिंक को स्थापित किया गया है, जहां प्राप्त हुई कॉल संबंधी प्रतिक्रियाओं पर आधारित उपयोक्ताओं के साधारण और विनिर्दिष्ट मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है और जहां सदस्य और उपयोक्ता अपनी-अपनी शिकायतों को लॉगिन कर सकते हैं । इस संबंध में समर्पित ईमेल आईडी तथा गगूल लिंक पर बड़ी संख्या में शंकाएं समाधान हेतु प्राप्त हुई हैं । आईसीएआई के दल ने सदस्यों की शंकाओं को समझने के लिए ऐसे सदस्यों को कॉल किया और उन्हें समाधान हेतु आगे बढ़ाया । मुद्दों पर पूर्विकता से कार्य करने तथा उनका समाधान उपलब्ध कराने के लिए एमसीए/एलटीआई के साथ दैनिक आधार पर बैठकें की गई ।

- **आईसीएआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पणधारियों के साथ बैठकें**

शाखाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और संयुक्त सचिव, एमसीए के साथ बैठक

शाखाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और संयुक्त सचिव, एमसीए ने एलएलपी फाइलिंग हेतु एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के सुचारु कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए निर्वाचित शाखा प्रतिनिधियों के साथ परस्पर क्रियाएं की और इस बात पर भी परिचर्चा की गई कि समय-सीमाओं के अनुपालन के लिए फाइलिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ।

एलएलपी फाइलिंग हेतु एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

एलएलपी फाइलिंग हेतु एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए वृत्तिक प्रशिक्षकों के एक बड़े आधार का सृजन करने के उद्देश्य से समिति ने सदस्यों को गूगल प्ररूप के साथ बड़ी संख्या में मेल भेजी, जिसके माध्यम से सदस्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे प्रशिक्षक को प्रशिक्षण दिए जाने संबंधी समारोह के लिए अपनी सहमति दें । उक्त आयोजन के लिए बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया । उक्त आयोजन में अध्यक्ष, सीएलएंडसीजीसी द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया गया । प्रशिक्षकों के एक पूल को विकसित किया गया, जो सदस्यों को एमसीए 21 पोर्टल के नए वर्जन के संबंध में आगे और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय निकालने में समर्थ थे । सूचीबद्ध प्रशिक्षकों के ब्यौरों को आईसीएआई की शाखाओं में परिचालित किया गया और उन्हें आधारिक मुद्दों का समाधान करने और सदस्यों के बीच और अधिक जागरुकता का सृजन करने के लिए वी 3 पोर्टल के संबंध में सत्रों का संचालन करने हेतु आमंत्रित किया गया ।

एमसीए 21 वी 3 पोर्टल के संबंध में आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के अध्यक्षों की अध्यक्ष, सीएलएंडसीजीसी के साथ बैठक

आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था ताकि उन्हें इस संबंध में जागरुक बनाया जा सके कि आईसीएआई भी वी 3 पोर्टल पर विद्यमान विभिन्न प्ररूपों को समझने का प्रयास कर रहा है और इसके अतिरिक्त, इस विषय में सहायता करने के लिए उन्हें यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सदस्यों को यह जानकारी प्रदान करें कि आईसीएआई ने एक गूगल प्ररूप लिंक स्थापित किया है जहां सदस्य ऐसे "किसी मुद्दे" के संबंध में रिपोर्ट कर सकते हैं, जो उस समय उनके सामने आते हैं जब वे एलएलपी प्ररूपों तक पहुंच बनाने का प्रयास करते है और उनका उपयोग करते हैं ।

(IV) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 के उपबंधों में विसंगति के संबंध में अभ्यावेदन

समिति ने एक अभ्यावेदन के माध्यम से एमसीए से यह अनुरोध किया है कि वह कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षकों को नियम 11(छ) के लागू होने के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी करे ।

(V) कंपनियों की स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों संबंधी अपेक्षाओं का विश्लेषण करने और अनुपालन में समर्थ बनाने के लिए डाटा अपेक्षाओं के संबंध में अभ्यावेदन

यह सुनिश्चित करने में एमसीए की सहायता करने के लिए कि कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 के स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित उपबंधों का अनुपालन कर रही हैं, समिति ने एमसीए को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि ऐसे अस्तित्वों की कुल सूची उपलब्ध कराई जाए, जिनसे ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है ।

(VI) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) तथा अमूर्त आस्तियों के लिए रजिस्टर बनाए रखने के लिए प्ररूप को विकसित करना

समिति को कारपोरेट कार्य मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि कंपनियों द्वारा नियत आस्तियों या पीपीई (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) रजिस्टर बनाए रखने के लिए प्रक्रियाओं के मानकीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधनों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करे । समिति ने इस मामले पर

विचार-विमर्श किया और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सीएलएंडसीजीसी के परामर्श से रजिस्टर के लिए एक प्रारूप तैयार किया । कंपनियों द्वारा नियत आस्तियों या पीपीई (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) रजिस्टर बनाए रखने के लिए प्रक्रियाओं के मानकीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधनों के संबंध में सुझावों को आगे और कार्रवाई हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(VII) कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में आईसीएआई के सुझावों/सिफारिशों को एमसीए को प्रस्तुत किया जाना

कंपनी विधि समिति, जिसका गठन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, ने 12 अप्रैल, 2022 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसके संबंध में 6 मई, 2022 तक सुझावों को आमंत्रित किया गया था । इस रिपोर्ट पर एएएसबी की संयुक्त बैठक में विचार किया गया था और उसके आधार पर कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में आईसीएआई के सुझावों/सिफारिशों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था ।

(VIII) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन को एमसीए को प्रस्तुत किया जाना

एमसीए ने यह वांछा की थी कि आईसीएआई विभिन्न देशों में लेखाबहियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पण प्रस्तुत करे । इस संबंध में, समिति ने विभिन्न देशों, अर्थात् यूके, यूएस - डेलावेयर आस्ट्रेलिया और सिंगापुर के लिए अध्ययन को पूरा किया तथा एमसीए को प्रस्तुत किया ।

(IX) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त एक पत्र के माध्यम से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि खंडात्मक वायुयान स्वामित्व दिशानिर्देशों के संबंध में इनपुट उपलब्ध कराएं जाएं

सिविल विमानन मंत्रालय ने खंडात्मक स्वामित्व दिशानिर्देशों, जिनकी तुलना व्यवसाय पर लेखांकन और कर से की जा सकती है, के संबंध में एक प्रारूप दस्तावेज और साथ ही सिविल विमानन क्षेत्र में खंडात्मक स्वामित्व माडल को आरंभ करने हेतु उपयुक्त समर्थकारी ढांचे के सृजन से संबंधित मुद्दों की एक संकेतात्मक सूची उपलब्ध कराई थी । खंडात्मक वायुयान स्वामित्व से संबंधित प्रारूप मार्गदर्शनों संबंधी दस्तावेज, संभाव्य कठिनाईयों की एक सूची के साथ आईसीएआई को उपलब्ध कराया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि उसका पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उनके संबंध में टीका-टिप्पणियां या प्रतिक्रिया उपलब्ध कराई जाए । आईसीएआई की निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति तथा लेखांकन मानक बोर्ड ने प्रतिक्रिया तैयार की थी और उसे एमसीए को प्रस्तुत किया गया था ।

(X) उस दशा में, जहां उपयोक्ता पूर्व में भरे गए डाटा से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं, परिवर्तन प्रतिदाय प्ररूप को दृष्टांत स्वरूप विकसित करना, जिसे आरईसी को उपलब्ध कराया जाएगा ।

समिति ने, एमसीए और संस्थान के सदस्यों की बैक एंड से मास्टर डाटा को अद्यतन करने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए परिवर्तन प्रतिदाय प्ररूप का दृष्टांत स्वरूप प्रारूप विकसित किया है, जिसका उपयोग करके कोई सदस्य उस दशा में अधिकारिता रखने वाली आरईसी को उसे प्रस्तुत कर सकता है जब उसे पूर्व में भरे गए डाटा या अन्य डाटा संबंधी मुद्दे सामने आ रहे हों, जिनका सुधार आरओसी द्वारा किया जाएगा ।

(XI) राष्ट्रीय भू-संपदा विकास परिषद् (एनएआरई डीसीओ) को सुझाव

समिति ने राष्ट्रीय भू-संपदा विकास परिषद् (एनएआरईडीसीओ) से प्राप्त हुए एक पत्र के लिए उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(2) के अधीन वितरण हेतु लाभांश की संगणना करने की पद्धति और आरईटी विनियम, 2016 में विद्यमान विसंगति के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए थे ।

(XII) राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार – जिनकी घोषणा एमसीए द्वारा की गई, जिसमें आईसीएआई पात्र कंपनियों को नामांकन प्रस्तुत करने के लिए एक पदाभिहित प्राधिकारी है

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 17 जून,2022 को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों की घोषणा की थी, जो राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार स्कीम – 2022 के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में उत्कृष्ट सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए हैं :

- सीएसआर व्ययों पर आधारित, सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए चार पुरस्कार (एक पुरस्कार एमएसएमई के लिए आरक्षित है)
- आंकाक्षात्मक जिलों/दुरुह क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के लिए पांच पुरस्कार (एक पुरस्कार एमएसएमई के लिए आरक्षित है)

- राष्ट्रीय पूर्विकता क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के लिए 11 पुरस्कार (एक पुरस्कार एमएसएमई के लिए आरक्षित है)

इन पुरस्कारों के लिए आईसीएआई को एक ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, जो पात्र कंपनियों के नामांकनों को प्रस्तुत कर सकता है। नामांकन पदाभिहित संगठन के रूप में आईसीएआई ने पदाभिहित ई-मेल आईडी पर देश भर में प्रपुंज मेल भेजकर राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों के लिए कंपनियों को अपने नामांकन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया था। कुल 16 नामांकन प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुए आवेदनों को आगे और विचार किए जाने हेतु नामनिर्दिष्ट किया गया था। आवेदकों की व्यापक रूप से पात्रता की पुष्टि करने के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्टों और वेबसाइटों का व्यापक पुनर्विलोकन किया गया था। नामांकन की प्रक्रिया के लिए, उसमें अंतर्विष्ट डाटा की किसी संपरीक्षा के संबंध में कोई अनुकल्पना नहीं की गई थी। प्राप्त हुए नामांकनों को अभिहित पोर्टल पर प्रस्तुत तथा अपलोड किया गया था।

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार – सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार, 2022 की स्टेयरिंग समिति की बैठक

समिति ने, राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार – सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार, 2022 की स्टेयरिंग समिति की पहली बैठक में भाग लिया। इस बैठक की मुख्य कार्यसूची में पुरस्कारों के तीसरे चक्र (एनसीएसआरए-2022) के लिए अधिसूचना को जारी करने, पुरस्कारों के लिए ग्रैंड ज्यूरी का गठन करने, क्षेत्रीय दौरे/सत्यापन करने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं को पैनलबद्ध करने और एनसीएसआर के लिए बजट संबंधी प्रस्ताव तैयार करने आदि जैसे विषय सम्मिलित थे। समिति ने राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार – 2023 की प्रस्तावित स्कीम पर परिचर्चा करने के लिए 7 फरवरी, 2023 को आयोजित दूसरी बैठक में भी भाग लिया था।

(XIII) मद्रास वाणिज्य चैम्बर (एमसीसीआई) के लिए वेबीनार

23 दिसंबर, 2022 को नए वी3 एमसीए पोर्टल पर सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए मद्रास वाणिज्य चैम्बर (एमसीसीआई) के लिए वेबीनार का आयोजन किया गया था। वेबीनार के दौरान, कतिपय मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए थे और साथ ही सदस्यों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी कठिनाईयों का उल्लेख करें ताकि मुद्दों के समाधान के लिए अगली बैठक को नियत किया जा सके।

(XIV) तमिलनाडु राज्य के सभी पीएसयू/कानूनी बोर्डों के सीएफओ और कंपनी सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआई की सीएलएंडसीजीसी समिति ने तमिलनाडु सरकार के वित्त विभाग के अनुरोध पर, लोक उद्यमों के वित्तीय ब्यूरो (बीपीई) विभाग, तमिलनाडु के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें राज्य के सभी पीएसयू/कानूनी बोर्डों के सीएफओ और कंपनी सचिवों ने भाग लिया था। तिरु एन. मुरुगानंदम, तमिलनाडु सरकार के अपर मुख्य वित्त सचिव इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य विशिष्टियों में विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्रों का आयोजन सम्मिलित था, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक संपरीक्षा नियंत्रणों की अपेक्षाओं, संगठन में कपटों को कम करने के लिए अन्य विनियामक अनुपालनों की अपेक्षा और सरकार को सही रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न पहलूओं को सम्मिलित किया गया था। साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 तथा अन्य विनियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों पर भी इन तकनीकी सत्रों के भागरूप में परिचर्चा की गई थी।

(XV) भारतीय रुपए के बजाए विदेशी मुद्रा में आईएफएससी कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं में शिथिलीकरण

एमसीए ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह आईएफएससी में प्रचालन करने वाली कंपनियों को अनुज्ञात करने, उनके वित्तीय विवरणों को रिपोर्ट करने या उनकी विभिन्न विवरणियों को फाइल करने के लिए कतिपय ई-प्ररूपों में संशोधन करने की साध्यता की संवीक्षा करे ताकि विद्यमान लेखांकन मानकों/इंड एएस या अन्यथा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रुपए की बजाए मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उक्त विवरणों/विवरणियों को फाइल किया जा सके। इस दिशा में प्राधिकरण के साथ दो बैठकों का आयोजन किया गया था।

(XVI) संपरीक्षा समिति की प्रभाविकता के क्षेत्र में केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निदेशकों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

समिति को लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि संपरीक्षा समिति की प्रभाविकता के क्षेत्र में केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निदेशकों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इस दिशा में, आईसीएआई ने लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से संपरीक्षा समिति की प्रभाविकता के क्षेत्र में केंद्रीय

पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निदेशकों के लिए एक सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न पीएसयू के लगभग् 300 स्वतंत्र निवेशकों ने भाग लिया।

(XVII) समिति द्वारा जारी प्रकाशन

- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के गैर-इंड एएस - खंड 1 संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के इंड एएस - खंड 2 संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में इंड एएस के अनुपालन के लिए अपेक्षित एनबीएफसी के लिए - खंड 3 संबंधी मार्गदर्शी टिप्पण
- एलएलपी और कंपनी हेतु प्ररूप फाइल करने के लिए तकनीकी गाइड #1: प्ररूप 11 (एलएलपी की वार्षिक विवरणी) इंड एएस के अनुरूप

(XVIII) कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम	संख्या
1	कंपनी विधि, निगम विधि आदि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	4
2	सीएआरओ 2020, न्यायालयिक संपरीक्षाओं, निगम विधि आदि संबंधी वर्चुअल सीपीई बैठकें	11
3	कंपनी विधि, संपरीक्षा और इसकी व्यावहारिक विवक्षा, कंपनी अधिनियम के अधीन हाल ही के संशोधन आदि संबंधी सम्मेलन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं	25
4	मंथन-वेबीनार श्रृंखला	6
5	एमसीए के साथ संयुक्त रूप से वेबीनारों का आयोजन	16

6.6 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) आईसीएआई की महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित विषयों के संबंध में कार्यवाही करती है तथा सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा अन्य उपयुक्त मंचों पर समय-समय पर प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न विधायी संशोधनों तथा मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करती है। समिति के मुख्य क्रियाकलापों में नए प्रकाशनों को निकालकर तथा विद्यमान प्रकाशनों का पुनरीक्षण करके, संगोष्ठियों, वेबीनारों, सम्मेलनों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा सदस्यों के कौशल में अभिवृद्धि करना सम्मिलित है।

(I) सरकार को अभ्यावेदन/के साथ परस्पर क्रियाएं

- चेहरा विहीन अपील स्कीम, 2020 के अधीन अपीलों का आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि सीआईटी (अपील) के पास लंबित अपीलों के लंबित समयवार आंकड़े जारी किए जाएं। सीआईटी (अपील) के कार्यालय से अपीली आदेशों की प्राप्ति के लिए त्वरित उपायों को आरंभ किया जाना चाहिए। समयबद्ध रीति में सीआईटी (अपील) द्वारा जारी आदेशों के लिए तंत्र का विनिश्चय किया जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए।
- सीआईटी (अपील) द्वारा जारी आदेशों के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुधार/पुनरीक्षण के विकल्प को समर्थ बनाने के लिए सीबीडीटी को अनुरोध।
- राष्ट्रीय चेहरा विहीन अपील केंद्र/सीआईटी (अपील) द्वारा जारी आदेशों के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुधार/पुनरीक्षण के विकल्प को समर्थ बनाने के लिए अनुरोध।
- प्ररूप 3गघ के संबंध में आईसीएआई के इनपुटों को प्रस्तुत किया जाना।
- प्ररूप 3गघ ने आनलाइन ई-फाइलिंग उपयोगिता में अशुद्धियों को दूर करने के लिए अनुरोध, जिसमें एक विशिष्ट खंड 35 अधिसूचित प्ररूप 3गघ के अनुरूप नहीं है।

- निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए प्ररूप सं. 3गघ के खंड 30ग और खंड 44 के लागू होने के संबंध में आईसीएआई की चिंताएं ।
- आईटीआर फाइल किए जाने की अंतिम तारीख के आस-पास के कुछ दिनों में ई-फाइलिंग वेबसाइट के कार्य न करने/धीमी गति से कार्य करने के कारण कर संपरीक्षा रिपोर्टों को अपलोड करने तथा आईटीआर प्ररूपों की ई-फाइलिंग में आने वाली कठिनाईयां ।
- निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करते समय करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाईयों पर विचार करने का अनुरोध तथा उनके संबंध में सक्रिय रूप से करदाताओं/पणधारियों के हितों की संरक्षा करने के लिए सभी संभव और उपयुक्त उपाय करके पर्याप्त अनुतोष उपलब्ध कराने का अनुरोध ।
- सीपीसी द्वारा अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन स्वचालित प्रक्रिया से उदभूत होने वाली चिंताओं का समाधान करने का अनुरोध, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आय की परिगणना की अनदेखी करते हुए प्ररूप 3गघ के खंड 16 में उपबंधित एकमात्र सूचना को विचार में लेने के कारण उसी आय में दोहरी वृद्धि कारित हो रही है ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234ग के अधीन ब्याज की प्रत्यक्ष अशुद्ध गणना के मुद्दे का समाधान करने का अनुरोध, जैसा कि आईटीआर प्ररूपों की आय-कर ई-फाइलिंग उपयोगिताओं द्वारा लागू किया जाता है ।
- प्ररूप सं. 10ख के गहन पुनरीक्षण पर विचार करने के अनुरोध (पूर्त या धार्मिक न्यासों या संस्थाओं की दशा में आय-कर अधिनियम की धारा 12क(1)(ख)(ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट) ।
- निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए लागू आईटीआर प्ररूप सं. 7 की शासकीय ई-फाइलिंग उपयोगिता में कतिपय त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध ।
- उस दशा में, जहां सेवानिवृत्त होने वाला भागीदार विद्यमान है और उसे वेतन का संदाय किया जाता है/ वेतन संदेय है, आईटीआर के प्ररूप 5 में सीपीसी द्वारा प्रत्यक्ष त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुरोध ।
- प्ररूप 10ख और प्ररूप् आईटीआर 7 को फाइल करने में कतिपय चिंताओं का समाधान करने के लिए अनुरोध ।
- बजट-पूर्व ज्ञापन, 2023 के लिए प्रत्यक्ष करों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना ।
- बजट-पश्च ज्ञापन, 2023 में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट-पश्च सुझाव प्रस्तुत करना ।
- वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा किए गए संशोधनों के कार्यान्वयन के लिए प्रारूप नियम 11पक से संबंधित इनपुट को सीबीडीटी को प्रस्तुत किया जाना ।
- 5 मई, 2022 को यूडीआईएन निदेशालय, आईसीएआई और प्रत्यक्ष कर समिति, आईसीएआई की आय-कर विभाग के पदधारियों के साथ एक बैठक (वर्चुअल पद्धति से) का आयोजन किया गया था, जिसमें त्रुटिपूर्ण निर्धारण वर्ष और प्ररूप 3गघ के कारण अविधिमान्यकरण से संबंधित मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया था ।
- 20 जुलाई, 2022 को सीबीडीटी के अध्यक्ष के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, डीटीसी ने भी भाग लिया था । इस बैठक के दौरान अध्यक्ष, सीबीडीटी को आईसीएआई द्वारा अनुशासन, तकनीकी, विनियामक और कर के क्षेत्रों के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलों से अवगत कराया गया था । आईसीएआई ने सीबीडीटी और सरकार द्वारा की जाने वाली सभी पहलों के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था और साथ ही वर्चुअल डिजीटल आस्तियों और अन्य उभरते क्षेत्रों जैसे विषयों के संबंध में आय-कर विभाग के पदधारियों के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहायता/समर्थन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था । सीबीडीटी से यह अनुरोध किया गया था कि वह आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी पुनरीक्षित मार्गदर्शन टिप्पण के उदभासन प्रारूप के संबंध में इनपुट उपलब्ध कराए और साथ ही विशिष्ट रूप से खंड 30ग और खंड 44 के संबंध में आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करे ।
- 20 सितंबर, 2022 को आय-कर विभाग (प्रणाली) के दल से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सदस्यों द्वारा कर संपरीक्षा विवरणियों को पूरा करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में परिचर्चा की गई थी । पूर्त संस्थाओं के आईटीआर, आईटी पोर्टल पर रजिस्टर करने में असमर्थ सदस्यों के डाटा का सुमेलन न होना,

आईटीआर 7 में अंतर्वलित मुद्दों, कर संपरीक्षा रिपोर्टों को फाइल करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा अन्य कानूनी प्ररूपों की फाइलिंग में आने वाली समस्याओं आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था । 30 सितंबर, 2022, जो कर संपरीक्षा रिपोर्ट को अपलोड करने की अंतिम तारीख थी, को कर संपरीक्षा रिपोर्टें अपलोड करने में सदस्यों के सामने आए विभिन्न मुद्दों की संसूचना सीबीडीटी के पदधारियों को दी गई थी । तदुनसार, विभाग ने उनका संज्ञान लिया और अंतिम तारीख को 7 अक्तूबर, 2022 तक बढ़ा दिया ।

- 23.11.2022 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सीबीडीटी के अध्यक्ष और अन्य सीबीडीटी के पदधारियों के साथ एक बजट-पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा प्रत्यक्ष करों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अंतर्विष्ट करने वाली एक पीपीटी अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी ।
- 13 जनवरी, 2023 को सक्षमता निर्माण आयोग (सीपीसी) के एक दल के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था ताकि निम्नलिखित दो मुद्दों पर कोई ठोस प्रस्ताव सामने आ सके :
  - आय-कर प्राधिकारियों के विद्यमान संकाय समाधान तंत्र में अंतर्वलित मुद्दे
  - आय-कर अधिकारियों और कर्मचारिवृंद को अनुबंधित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में इनपुट, जिनके अंतर्गत कतिपय मामला अध्ययन भी हैं, जिन्हें अध्यापन सहायिकियों के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है ।

(II) सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वीसीएम/वेबीनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

प्रत्यक्ष कर समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनेक संगोष्ठियों/सम्मेलनों/वीसीएएम/वेबकास्टों आदि का आयोजन किया ।

(III) अन्य पहलें

- समिति ने संघीय बजट, 2023 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों, बजट, 2023 का विश्लेषण – प्रतिधारण करों और अंतरण कीमत निर्धारण से संबंधित कतिपय धाराएं, कारबार आय और कारबार आय कराधान, बजट विश्लेषण – धारा 115 से आगे, एनआईआर कराधान को छोड़कर, वित्त विधेयक, 2023 के संबंध में टीका-टिप्पणियां/मत (कुछ विनिर्दिष्ट उपबंधों पर), सहकारी सोसाइटियों से संबंधित प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के विषयों पर जर्नल के बजट अंक (मार्च, 2023) में लेखों का योगदान दिया ।
- सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परिपत्रों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों, आदेशों आदि जैसे प्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों पर आईसीएआई की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाना ।
- मासिक आधार पर टैक्स टाइम्स प्रकाशन को जारी रखना ।
- प्रत्येक मास सीए जर्नल में सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित महत्वपूर्ण परिपत्रों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों, आदेशों आदि के संबंध में लेखों का योगदान ।

6.7 वाणिज्यिक विधियों, आर्थिक सलाहकारी और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति (सीसीएलईएएंडएनपीओ)

आईसीएआई लेखांकन वृत्ति के भविष्य को आकार देने, उत्कृष्टता का संचार करने तथा वित्तीय इको प्रणाली में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाने का प्रयास करता है । आईसीएआई की वाणिज्यिक विधियों, आर्थिक सलाहकारी और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति (सीसीएलईएएंडएनपीओ), चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच विश्लेषणात्मक दूरदर्शिता को वाणिज्यिक बुद्धिमता के साथ जोड़कर आर्थिक विकास के प्रति योगदान में उनके लिए उपलब्ध वृत्तिक अवसरों के बारे में जागरुकता का सृजन करने का प्रयास करती है और साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि सदस्य संगठनों की जटिलताओं से जुझने में सहायता करके सकारात्मक प्रभावों के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान दें । समिति ज्ञान के प्रसार और वृत्तिक विकास के बिन्दुओं पर भी बल देती है । समिति समकालीन मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिनके दौरान वह विशेषज्ञों और बौद्धिक नेताओं को अपनी अंत:दृष्टि तथा सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करती है । इसके अतिरिक्त, सीसीएलईएएंडएनपीओ सदस्यों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को भी प्रस्थापित करती है, जिससे इन क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का संवर्धन किया जा सके तथा उनके वृत्तिक आयामों को विस्तारित किया जा सके । अपने सदस्यों की सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए समिति सक्रिय रूप से ऐसी

नीतियों और विनियमों को तैयार करने में भी योगदान देती है, जो एक अनुकूल कारबार परिस्थितियों का संवर्धन करते हैं तथा आर्थिक विकास को सुकर बनाते हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी :

- वाणिज्यिक विधियों, आर्थिक सलाहकारी और एनपीओ सहकारिता संबंधी समिति ने पीएमएलए के अधीन तारीख 3 मई और 9 मई, 2022 की अधिसूचनाओं के संबंध में 10 मई, 2022 को सायं 5.30 बजे से एक राष्ट्र व्यापी वर्चुअल परिचर्चा का आयोजन किया, जिसे आईसीएआई के माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीसीएलईएएंडएनपीओ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विषय के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। 3000 से अधिक सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसकी रिकार्डिंग को आईसीएआई टीवी पर अपलोड किया गया। उक्त रिकार्डिंग को आईसीएआई के ट्वीटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है।
- समिति ने 26 अगस्त, 2022 को "प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022" पर आईसीएआई के सदस्यों, बाहरी विशेषज्ञों तथा अन्य पणधारियों के साथ चर्चा करने के लिए अनन्य रूप से एक परस्पर क्रियाशील आनलाइन बैठक का आयोजन किया था। विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुटों (जिसके अंतर्गत अधिनियम और विधेयक के बीच तुलना तथा सीए के लिए वृत्तिक अवसर जैसे विषय भी सम्मिलित थे) को समेकित करने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया।
- समिति ने, 3 मई, 2023 को "आपराधिक अन्वेषणों में कारबार परिस्थितियों और लेखांकन प्रणालियों को समझना – एक मामला अध्ययन आधारित दृष्टिकोण" विषय पर अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के लिए एक भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी द्वारा की गई।

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) संबंधी क्रियाकलाप :

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार की देशव्यापी पहल – आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के भागरूप में समिति ने सदस्यों और अन्य पणधारियों के फायदे के लिए अनेक वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनके अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र और एमएसएमई वित्तपोषण तथा पुन:संरचना में स्कीम और अवसर, एडीआर व्यवहार/माध्यस्थम/मध्यकता, बैंकिंग का गणित और अर्थशास्त्र, नई विदेशी निवेश व्यवस्था का ब्यौरेवार विश्लेषण, विधिक मेट्रोलाजी उपबंध और अवसर तथा प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ), पर्यावरण विधियों में अवसर, फेमा के अधीन शमन, श्रम विधियों में हाल ही में हुए परिवर्तन, एसएआरएफएईएसआई विधियों के ज्ञान का महत्व, बौद्धिक संपदा अधिकारों में वृत्तिक अवसर, भारतीय अर्थव्यवस्था में एफटीए, पीटीए, सीईपी, सीईसीए की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करार आदि जैसे विषय सम्मिलित थे।

सदस्यों की शिक्षा और सक्षमता निर्माण :

(i) असंरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने के लिए वेबीनार

कोविड 19 महामारी की स्थिति के पश्चात् सभी केंद्रीय समितियों ने केवल असंरचित सीपीई घंटे प्रदान करने के लिए वेबीनारों के आयोजनों को जारी रखा। समिति ने अप्रैल, 2022 से जून, 2023 की अवधि के दौरान, कुल 81 वेबीनारों का आयोजन किया। परिषद् वर्ष 2023-24 के दौरान समिति ने प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक आधार पर "अपनी विधि को जाने श्रृंखला" का आयोजन किया। इन सत्रों में सम्मिलित किए गए कुछ विषयों को नीचे उल्लिखित किया गया है:

रेरा-अन्य विधियों के साथ परस्पर क्रिया का पर्यावलोकन और वृत्तिक अवसर	वैश्विक रूप से उभरते भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि
धनशोधन - अपराध, कुर्की और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां	बौद्धिक संपदा की प्रस्तावना और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका
निवासी व्यष्टियों द्वारा विदेशी निवेश	संनिर्माण संविदाओं का प्रारूपण : मुद्दे और समाधान
वैकल्पिक विवाद समाधान की मूल बातें	बहु राज्य सहकारी सोसाइटी - रजिस्ट्रीकरणं, प्रबंधन, अनुपालन और नवीनतम उच्चतम न्यायालय के निर्णय
एफसीआरए से संबंधित हाल ही की विधियां	बेनामी विधि का पर्यावलोकन और समझ

पीएमएलए में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	सेबी की शक्तियां और कृत्य, शास्तियां, न्यायनिर्णयन, समझौता और एसएटी तथा एससी अपीलें आदि ।
फेमा के अधीन बाहर जाने वाले निवेश	एमएसएमई क्षेत्र में स्कीमें और अवसर तथा एमएसएमई वित्तपोषण और पुन:संरचना

समिति द्वारा कुल 81 वेबीनारों का आयोजन किया गया, जिनके द्वारा उसने आईसीएआई के सदस्यों को असरंचित सीपीई घंटे प्रदान किए थे ।

(ii) संरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने के लिए वर्चुअल सीपीई बैठकें

परिषद् वर्ष 2022-23 के दौरान, समिति ने सदस्यों के लिए विभिन्न वीसीएम का आयोजन किया, जिनमें आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों तथा आर्थिक सलाहकारी कृत्यों से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि बेनामी और धन शोधन निवारण विधियां, रेरा, ओडीआर – आगे की योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), विलयनों और समामेलनों में अवसर, कृषि उद्योग और विभिन्न कृषि क्षेत्रों में वैश्विक वृत्तिक अवसर, फेमा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, खाद्य उद्योग में सीए की भूमिका, स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता, खाद्य सुरक्षा विधियां और वैश्विक अवसर, निगम शासन, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का पर्यावलोकन, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के क्रंतिक पहलू, मानव संसाधन प्रबंध और श्रम विधियां आदि । समिति द्वारा कुल 43 वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से आईसीएआई के 34,444 सदस्यों को कुल 71,876 संरचित सीपीई घंटे प्रदान किए गए ।

(iii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने 28-30 अप्रैल, 2023 के दौरान अपने उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में "वाणिज्यिक विधियों में वृत्तिक अवसर" विषय पर तीन दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा द्वारा की गई, जिमसें 53 प्रतिभागियों को 18 सीपीई घंटे प्रदान किए गए ।

(iv) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

क्रम सं.	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का नाम	बैच	पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण सदस्यों/रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की संख्या
1	धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ)	धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 20वां बैच - ऑनलाइन पद्धति से तीसरा बैच- 18 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक। धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 21वां बैच - ऑनलाइन पद्धति से चौथा बैच- - 13 सितंबर से 17 नवंबर 2022 तक। धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 22वां बैच - ऑनलाइन पद्धति से पांचवां बैच- 22 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। धनशोधन निवारण विधि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धनशोधन निवारण विशेषज्ञ) का 23वां बैच - ऑनलाइन पद्धति से छठा बैच- - 31 मार्च, 2023 से शुरू हुआ ।	49 68 74 121

2	एडीआर (माध्यस्थम, मध्यस्थता और सुलह) संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	माध्यस्थम, मध्यस्थता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का 26वां बैच - ऑनलाइन पद्धति में तीसरा - 12 सितंबर से 25 नवंबर 2022 तक। माध्यस्थम, मध्यस्थता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का 27वां बैच - चौथा ऑनलाइन पद्धति में - 28 नवंबर 2022 से।	44 54
3	आईपीआर विधि (बौद्धिक संपदा अधिकार विधि) संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	आईपीआर विधि (बौद्धिक संपदा अधिकार विधि) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच ऑनलाइन पद्धति में - 2 दिसंबर 2022 से।	51
4	सहकारिताओं संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (वर्तमान में चल रहा है)	ऑनलाइन पद्धति में सहकारिताओं संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच - 5 जून, 2023 से।	96 (पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत)
5	गैर-लाभकारी संगठन संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (वर्तमान में चल रहा है)	ऑनलाइन पद्धति में एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का तीसरा बैच - 6 जून, 2023 से।	92 (पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत)

(v) भौतिक संगोष्ठियां

समिति ने उक्त अवधि के दौरान, विभिन्न स्थानों पर रेरा, फेमा, आईपीआर, एएमएल, प्रतिस्पर्धा विधियों, श्रम विधियों आदि जैसे विभिन्न विषयों पर विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दिवसों संबंधी समारोह

समिति ने हमारे भ्रातृसंघ के सदस्यों के ज्ञान को आधुनिक बनाने के लिए सर्वाधिक सुसंगत और समकालीन विषयों के संबंध में पठन और जागरुकता के सृजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दिवसों को मनाए जाने संबंधी सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

(vii) प्राधिकरणों/विनियामकों के साथ कार्यक्रम

समिति ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से "प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विधियां" विषय पर 27 मई, 2022 को आईसीएआई टावर, बांद्रा-कुर्ला काम्पलेक्स, मुंबई में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई।

(viii) विनिर्दिष्ट विषयों पर वर्चुअल आयोजनों की श्रृंखला

समिति ने अनुसंधान संबंधी वर्चुअल श्रृंखला, फेमा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण तथा भू-संपदा क्षेत्र से संबंधित विधियों और मानव संसाधन प्रबंध तथा श्रम विधियों में व्यापक और केंद्रित पठन उपलब्ध कराने के लिए वर्चुअल आयोजनों की एक श्रृंखला आयोजित की।

(ix) परस्पर क्रियाशील संकाय बैठकें

समिति ने, आईसीएआई के सदस्यों को वक्ता/मोडरेटर /लेखक/पुनर्विलोकक बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु विभिन् स्थानों, अर्थात् दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में तथा साथ ही आनलाइन पद्धति से सदस्यों के लिए भौतिक/वर्चुअल परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया।

(x) विभिन्न विधेयकों/विधियों पर मत

- समिति ने विभिन्न विधियों/विधेयकों, अर्थात् प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022, राष्ट्रीय संभार नीति, दूर संचार विधेयक के संबंध में अपने इनपुट/मतों को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, समिति ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन तारीख 3 मई और 9 मई, 2023 की अधिसूचनाओं के संबंध में भी अपने इनपुट/मतों को प्रस्तुत किया।

(xi) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति, सीपीई समिति के साथ संयुक्त रूप से अखिल भारत आधार पर आनलाइन/आफलाइन पद्धति में समिति के कार्यक्रमों में क्वालिटी पठन उपलब्ध कराने के लिए संकाय को प्रशिक्षित करने हेतु 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन करती रही है, जिसका उद्देश्य देश को प्रशिक्षित संकाय और वक्ता उपलब्ध कराना है । इस अवधि के दौरान, समिति द्वारा हैदाराबाद, चेन्नई, रायपुर, मुंबई, पंचगनी, पुरी, मानेसर आदि में कुल 11 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया (भौतिक/वर्चुअल रूप से), जिसके द्वारा आईसीएआई के लगभग 430 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

6.8 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)

आईसीएआई ने एक सूचना शासक, नियंत्रक, संरक्षक और संपरीक्षा वृत्तिक के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका को सुदृढ करने के लिए वर्ष 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआईटी) का अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी) के साथ विलयन किया । डीएएबी प्रास्थिति पत्रों और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित लेखों के माध्यम से ज्ञान आधार को विकसित कर रहा है । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी वृहत डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के डिजीटल युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है ।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- **सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम**

  बोर्ड द्वारा संचालित सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए) को वर्ष 2001 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके संबंध में मांग बढ़ती जा रही थी । डीआईएसए पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी, सूचना आश्वासन तथा सूचना प्रबंध विशेषज्ञता को समिश्रित करता है, जो किसी डीआईएसए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक भरोसेमंद सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार बनने तथा सूचना सुरक्षा आश्वासन सेवाओं के प्रदाता के रूप में स्वयं को विकसित करने में समर्थ बनाता है । वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 33,030 से अधिक सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है । डीआईएसए का संचालन श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लिए भी किया गया था । अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को भी अद्यतन किया है । 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान कुल 28 वर्चुअल/भौतिक बैचों का आयोजन किया गया था ।

- **न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  बोर्ड, "न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" का संचालन करता है और आज की तारीख तक लगभग 12,042 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है । इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, लेखांकन, संपरीक्षा, सीएएटी/डाटा माइनिंग उपकरणों संबंधी कौशलों और कपट/त्रुटियों का पता लगाने संबंधी अन्वेषणात्मक कौशलों को अर्जित करने में सहायता करना है । 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के दौरान इसके कुल 49 बैचों का आयोजन किया गया था ।

(II) जारी किए गए प्रकाशन

- न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानक संबंधी सार-संग्रह (1 जुलाई, 2023 से आज्ञापक)
- न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानक संबंधी कार्यान्वयन गाइड (1 जुलाई, 2023 को यथाविद्यमान)
- निम्नलिखित विषयों पर अवधारणा पत्र:
  - रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन- लेखांकन वृत्ति के लिए अवसर और चुनौतियाँ (2021)
  - ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी - लेखांकन वृत्ति के लिए अंगीकरण और विवक्षाएं (2021)
  - प्रौद्योगिकी की एबीसीडी
  - इंटरनेट ऑफ थिंग्स – बेसिक्स एंड एप्लीकेशन संबंधी एक गाइड
  - क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधी गाइड (जुलाई 2021)

(III) ई-पठन माड्यूलों का शुभारंभ

बोर्ड ने आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर निम्नलिखित ई-पठन कैप्सूलों को आरंभ किया है :

- माइक्रोसाफ्ट एक्ससेल में डाटा समेकन और विश्लेषण
- एक्ससेल में टेबल तक टेबल डाटा
- संख्याओं से परे एक्ससेल
- एक्ससेल में लाजिकल्स टू लुकअप
- एक्ससेल में पाइवॉट टेबल
- सूचना प्रणाली संपरीक्षा 3.0 संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम पर गेमीफाइड श्रृंखला
- ब्लॉक चेन की मूलभूत जानकारी
- अंकीय न्यायलयीन की मूलभूत जानकारी

(IV) सम्मेलन/वेबीनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम/पात्रता परीक्षा/निर्धारण परीक्षा/कार्यशाला/संगोष्ठियां

बोर्ड ने, न्यायलयीन लेखांकन के पर्यावलोकन और अन्वेषण मानकों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए डाटा विश्लेषण में अवसर, अंकीय आश्वासन/साइबर सुरक्षा, समुन्नत एक्ससेल और डाटा डैश बोर्ड, वित्तीय रिपोर्टिंग में स्वचालन, सीए वृत्ति में संचालन और रूपांतरण आदि जैसे विषयों पर विभिन्न सम्मेलनों/वेबीनारों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पात्रता परीक्षाओं/निर्धारण परीक्षाओं/वीसीएम का आयोजन किया ।

6.9 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने नैतिकता के सर्वोच्च मानकों को स्थापित करने के अपने प्रयास के भागरूप में नैतिक मानक समिति (जो अब नैतिक मानक बोर्ड के रूप में विख्यात है) का गठन वर्ष 1976 में किया था, जिसे विशेष रूप से सदस्यों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु उपयुक्त नैतिक मानकों को तैयार करने तथा सदस्यों को मानकों के अनुपालन के संबंध में दिशानिर्देश उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया था । नैतिक मानक बोर्ड का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों को स्थापित करना, स्थानीय विधियों के अधीन रहते हुए नैतिकता संबंधी सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के साथ अभिसरण करना और इस प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी और संगतता में अभिवृद्धि करना तथा वृत्ति में साधारण जनता के विश्वास को सुदृढ़ करना है । नैतिक मानक बोर्ड एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता तथा सदस्यों के लिए एक ऐसे नैतिक आचार को तैयार करने के प्रति कार्य करता है, जिसमें लंबे समय से अपेक्षित 'उत्कृष्टता स्वतंत्रता, ईमानदारी' के आदर्शों को अक्षुण्ण रखते हुए सदस्यों के सम्मान और हितों की संरक्षा करना भी है । नैतिक मानक बोर्ड नैतिक सिद्धांतों के सूत्रीकरण के साथ उनके कार्यान्वयन और अंगीकरण के संबंध में भी कार्य करता है। बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच नैतिक आचार का प्रवर्तन करने के लिए विभिन्न उपाय करता है । बोर्ड समय-समय पर सदस्यों के लिए 'नैतिक संहिता' का पुनर्विलोकन करता है और उसके पुनरीक्षित संस्करणों का प्रकाशन करता है । बोर्ड के अन्य प्रकाशन, अर्थात् 'नैतिक मुद्दों संबंधी एफएक्यू' का भी समय-समय पर पुनरीक्षण करता है । बोर्ड द्वारा विभिन्न अन्य एकल संस्करण प्रकाशनों को भी जारी किया जाता है, जो वृत्तिक नैतिकता के मुद्दों से संबंधित होते हैं ।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- नैतिक मानक बोर्ड /परिषद् के निर्णयों संबंधी पुस्तिका को जारी किया गया । नैतिक मानक बोर्ड ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों और निर्णयों का संक्षिप्त सार तैयार किया है और तदनुसार नैतिक मानक बोर्ड /परिषद् के निर्णयों संबंधी पुस्तिका को जारी किया गया । इस पुस्तिका में नैतिक मुद्दों से संबंधित चुनिंदा पीएसपी के निर्णयों और परिषद् के निर्णयों को अंतर्विष्ट किया गया है और साथ ही उक्त निर्णयों के कारणों/औचित्यों को भी दर्शित किया गया है ।
- उस समय कोविड-19 महामारी के कारण विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 3 उपबंधों, अर्थात् विधियों और विनियमों (धारा 260 और 360) के अननुपालन के संबंध में प्रतिक्रिया, फीस – तुलनात्मक आकार (पैरा 410.3 से 410.6) और नैतिक संहिता, 2019 की जिल्द 1 में अंतर्विष्ट संपरीक्षा ग्राहकों को कर सेवाएं (उपधारा 604) को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितंबर, 2022 तक आस्थगित कर दिया गया था, उन्हें कतिपय संशोधनों के साथ अब 1 अक्तूबर, 2022 से लागू किया गया है ।

- नैतिक संहिता की जिल्द 3 को अद्यतन बनाया गया है और इसमें मार्च, 2022 तक के महत्वूपर्ण अनुशासनिक मामलों को सूचीबद्ध करके सम्मिलित किया गया है ।
- नैतिक संहिता की जिल्द 2 के उपबंधों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्में संस्थान के पीओयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह को प्रायोजित कर सकती हैं, बशर्तें आयोजन को संस्थान के सीपीई निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है । इसके अनुसरण में, सभी फर्मों को एकसमान अवसर उपलब्ध कराने के लिए तथा शैक्षिक और वृतिक आदान-प्रदान के अवसरों का सृजन करने के लिए, अन्य बातों के साथ, सीए फर्मों को उक्त आयोजन को प्रायोजित करने का अवसर प्रदान किया गया था ।
- उदभासन प्रारूपों, प्रश्नोत्तरों और अन्य उदघोषणाओं के संबंध में टीका-टिप्पणियां – अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन के अकाउंटेंटों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) द्वारा जारी विभिन्न उदघोषणाओं के संबंध में टीका-टिप्पणियों को ईएसबी को अग्रेषित किया गया था ।

(II) अन्य क्रियाकलाप

- प्रत्येक मास जारी किए जाने वाले सीए जर्नल में नैतिकता जागरुकता संबंधी स्तंभ, अर्थात् "नो यूअर ऐथिक्स" को नियमित रूप् से उपलब्ध कराया जाता है ।
- ईएसबी ट्विटर पर भी मौजूद है, जहां नियमित रूप से सदस्यों की जागरुकता के लिए पुनरीक्षित नैतिक संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों/मामलों को रखा जाता है । इसके पीछे ईएसबी का उद्देश्य सदस्यों द्वारा पुनरीक्षित नैतिक संहिता को उपयुक्त रूप से अपनाए जाने तथा उसके कार्यान्वयन के उद्देश्य की पूर्ति करना है ।
- ईएसबी ने नैतिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न विषयों पर भिन्न-भिन्न स्पष्टीकरणों तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया है तथा वह नैतिक मुद्दों के विभिन्न विषयों पर वीडियो प्रस्तुतीकरणों को भी अपलोड करता है ।
- ईएसबी ने पुनरीक्षित नैतिक संहिता के उपबंधों के संबंध में सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए 9 वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों तथा वेबीनारों का आयोजन किया है ।
- ईएसबी ने सदस्यों द्वारा संपरीक्षक के रूप में उन्हें अनुचित रूप से हटाए जाने के विरुद्ध दर्ज की गई तीन शिकायतों पर भी तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच और विचार किया है तथा उसने इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाए हैं ।
- सोशल मीडिया सहित सार्वजनिक रूप से वृत्तिक/गैर-वृत्तिक विषयों पर अपने मत व्यक्त करते समय सदस्यों द्वारा अपने नाम से पूर्व "चार्टर्ड अकाउंटेंट" या "सीए" का उपयोग करने के संबंध में सलाह जारी की गई ।
- 20 नवंबर, 2022 को डब्ल्यूसीओए के आयोजन के साथ ही जियो कन्वेशन सेंटर, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, मुंबई में अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईइएसबीए) के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की गई । वहनीयता रिपोर्टिंग संबंधित मुद्दों, "लोक हित अस्तित्व" पद की परिभाषा में प्रस्तावित परिवर्तनों, एनओसीएलएआर के अंगीकरण और कार्यान्वयन तथा वृत्तिक हित के कतिपय अन्य नैतिक मुद्दों पर इस बैठक के दौरान विचार किया गया ।
- सदस्यों और पणधारियों के बीच सीए कनेक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए । सीए कनेक्ट पोर्टल आईसीएआई के मंच पर सीए फर्मों/व्यष्टिक सीए व्यवसायियों को सूचीबद्ध करने की एक देशी प्रणाली है । इस वेबसाइट/पोर्टल का उद्देश्य सूचीबद्ध किए जाने के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है । यह ग्राहकों/सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/पणधारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच एक अनिवार्य सेतु उपलब्ध कराता है ।
- सुसंगत अवधि में, अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईइएसबीए) की 7 बैठकों का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(III) नैतिक मानक बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

नैतिक मानक बोर्ड सदस्यों और अन्य पणधारियों द्वारा उठाए गए वृत्तिक नैतिकता से संबंधित मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराता है । बोर्ड द्वारा नैतिक संहिता के उपबंधों के अनुसार कुल 50 नैतिकता संबंधी मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था, जो संपरीक्षकों को स्वतंत्रता, व्यवसायरत सदस्यों को अनुज्ञेय वृत्तिक सेवाओं, हित का विरोध, अन्य कारबारों/व्यवसायों में नियोजित होने, अन्य पदों/हैसियतों को धारण करने, विज्ञापन और कार्य मांगने आदि जैसे विषयों से संबंधित थे । इसके अतिरिक्त, विभिन्न वृत्तिक नैतिकता संबंधी मुद्दों के संबंध में सदस्यों की

300 से अधिक शंकाओं का समाधान किया गया था और सचिवालय ने भी उनके संबंध में समाधान उपलब्ध कराए थे और उसके पश्चात् सरकारी अभिकरणों, जैसे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आरबीआई, आर्थिक अपराध खंड (ईओडब्ल्यू), सेबी, सीडीएसएल, आदि द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर भी उपलब्ध कराए गए थे ।

स्पष्टीकरण

- यह स्पष्ट किया गया था कि किसी अस्तित्व के कानूनी संपरीक्षक को एसआरएस 4410 के अनुसार समेकन नियोजन के समनुदेशन में नियोजित होने की अनुमति प्राप्त नहीं है ।
- व्यवसायरत सदस्यों के लिए यह अनुज्ञात है कि वे किसी शैक्षिक संस्था द्वारा अनुदान में से व्यय की गई रकम (प्रयुक्त) को प्रमाणित करने के लिए किसी शैक्षिक संस्था द्वारा उपयोग की गई रकम के प्रतिशत पर फीस प्रभारित करें ।
- व्यवसायरत सदस्यों के लिए यह अनुज्ञात है कि वे आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी भागीदारी फर्म या एलएलपी में किसी दिवाला वृत्तिक अस्तित्व/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक अस्तित्व का भागीदार बन सकें और साथ ही वह परिषद् से पूर्व और विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् दिवाला वृत्तिक अस्तित्व/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक अस्तित्व के पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक भी बन सकेंगे ।
- बोर्ड का मत यह था कि किसी भविष्य निधि और पेंशन निधि न्यास के संपरीक्षक को उक्त न्यास को निवेश संबंधी सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं करानी चाहिए क्योंकि न्यास की संपरीक्षा के दौरान संपरीक्षा से यह अपेक्षित होता है कि वह इस बारे में टिप्पणी करे कि न्यास द्वारा अपनी निधियों का किस प्रकार उपयोग/निवेश किया गया है । इस संबंध में, सलाह प्रदान किए जाने से स्व:पुनर्विलोकन का जोखिम उत्पन्न होगा और वह संपरीक्षक की स्वतंत्रता को कम करेगा ।
- इस बात को भी स्पष्ट किया गया था कि व्यवसायरत सदस्यों को सेबी से निवेश सलाहकार के लिए अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अनुज्ञात है । तथापि, सदस्यों के लिए यह अनुज्ञात नहीं है कि वे दलाली, अवलेखन, पोर्टफोलियो प्रबंध की सेवाओं में नियोजित हों और वे परस्पर निधियों आदि के अभिकरण को भी नहीं ले सकते । कानूनी संपरीक्षक संपरीक्षा ग्राहकों को निवेश परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के निबंधानुसार अनुमति प्राप्त नहीं है ।
- यह स्पष्ट किया गया था कि व्यवसायरत सदस्य सहकारी बैंकों के प्रबंधन बोर्ड में वृत्तिक निदेशक बन सकते हैं ।
- यह स्पष्ट किया गया था कि व्यवसायरत सदस्यों के लिए यह अनुज्ञात है कि वे किसी विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड में मानद विशेष आमंत्रिती की हैसियत को स्वीकार कर सकते हैं।
- यह स्पष्ट किया गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कोई फर्म अपना स्वयं का विजन और मिशन संबंधी कथन रख सकती है, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई विज्ञापन या कार्य की मांग नहीं करेगी । फर्म के लिए यह अनुज्ञात नहीं है कि वह पत्र शीर्ष, विजिटिंग कार्ड या लेखन सामग्री आदि पर अपने विजन या मिशन संबंधी कथन का प्रकाशन करे । विजन और मिशन संबंधी कथन को फर्म के प्रोफाइल पर मुद्रित नहीं कियाजा सकता और न ही किसी विनिर्दिष्ट अनुरोध की प्रतिक्रियास्वरूप उसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

6.10 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

वर्ष 1975 में गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित मुद्दों के संबंध में सुसंगत और विश्वसनीय मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है । इसके आरंभ से ही, समिति तत्परतापूर्वक उसे संस्थान के सभी उद्योगों में कार्यरत सदस्यों और साथ ही विनियामक और शासकीय निकायों जैसे कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों पर अपनी राय उपलब्ध करा रही है । अर्थव्यवस्था के सतत विकास और कारबार के विविधीकरण के वर्तमान युग में नए प्रकार के संव्यवहार किए जा रहे हैं, जिनमें कभी-कभार लेखांकन वृत्तिकों को ऐसी जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित होती हैं। इस परिदृश्य में, विशेषज्ञ सलाहकार समिति की भूमिका ऐसे जटिल मुद्दों के संबंध में समाधान उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण हो जाती है,जो वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करते समय अकाउंटेंटों के समक्ष आते हैं।

(I) विशेषज्ञ राय

समिति, सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराती है । नियमों के अनुसार समिति लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराती है और वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन संबंधी प्रश्न ही अंतर्वलित होता है । समिति ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकरणों या सरकार के किसी अन्य विभाग के समक्ष लंबित मामले से संबंधित हैं । ये नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर https://www.icai.org/new_post.html?post_id=495&c_id=142 हाइपरलिंक के अधीन उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है ।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा अभिव्यक्त रायें उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर आधारित होती हैं और साथ ही सुसंगत विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा प्रश्न पूछे जाने की तारीख को विद्यमान लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को विचार में लेते हुए समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है । अत:, समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक ईएसी राय, जिसमें उसे अंतिम रूप प्रदान किए जाने की तारीख अंतर्विष्ट होती है, को उस तारीख के पश्चात् किए गए किन्हीं संशोधनों/अभिवृद्धियों के आलोक में विचार में लिया जाना चाहिए ।

(II) ऐसी राय, जिन्हें अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किया गया है

समिति ने, विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 50 रायों को अंतिम रूप प्रदान किया था ।

(III) रायों का सार-संग्रह/ज्ञान का प्रसार

किसी परिषद् वर्ष के दौरान, समिति द्वारा जारी रायों को नियमित रूप से एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् 'रायों का सार-संग्रह' । अब तक रायों के सार-संग्रह की 42 जिल्दों का प्रकाशन किया गया है । इन जिल्दों का व्यापक रूप से वृत्तिकों द्वारा प्रतिनिर्देश किया जाता है तथा अवलंब लिया जाता है । सुगम संदर्भ हेतु इन रायों को संकलित किया गया है तथा आईसीएआई की वेबसाइट पर एक खोज एप्लीकेशन के रूप में रखा गया है । समिति की कुछ रायों को संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाता है । समिति की हाल ही की रायों को संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा जाता है । सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच ईएसी रायों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने तथा ज्ञान का प्रसार करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने 2 नवंबर, 2022 को 'हाल ही की ईएसी राय' संबंधी एक वेबीनार का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था ।

(IV) किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे

1.4.2022 से 30.06.2023 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों पर रायों को अंतिम रूप प्रदान किया गया:

- चालू पूंजी संकर्म से और साथ ही आधुनिकीकरण संकर्म की दशा में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के रूप में ट्रांसमिशन लाइनों और उप-केंद्रों के पूंजीकरण का समय ।
- कार्यसूची या संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के रूप में 'स्टॉक आफ ट्रेक' का वर्गीकरण ।
- नकद प्रवाहों के विवरण में प्रोदभूत ब्याज की प्रस्तुति ।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की कंपनी के संबंध में इंड एएस 108, 'प्रचालन खंड' को लागू करना ।
- केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) की हैसियत में बिलिंग, संग्रहण और संवितरण (बीसीडी) से संबंधित संव्यवहारों के संबंध में लेखांकन उपचार ।
- इंड एएस 114 को लागू करना और 'विनियामक आस्थगन खातों' के संबंध में आस्थगित कर दायित्वों की प्रस्तुति ।
- लाभ और हानि विवरण में स्क्रैप की वस्तु-सूची में परिवर्तनों का प्रकटन ।
- कंपनी के वित्तीय विवरणों में छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों के तनावग्रस्त निवेशों का लेखांकन उपचार ।
- दर विनियमों के अनुसार उद्भूत होने वाले ट्रू-अप मूल्य का लेखांकन उपचार ।
- साम्या लिखतों, जिनकी सक्रिय बाजार में कोई कोट की गई बाजार कीमत नहीं है, में निवेशों के उचित मूल्य का मापमान करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों में से एक के रूप में 'शुद्ध बही मूल्य' पद्धति को अपनाना ।

- विलंबित संदाय प्रभारों का लेखांकन उपचार।
- परीक्षण के दौरान ऊर्जा जनन का लेखांकन उपचार, जिसे अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में आंतरिक रूप से उपयोग किया गया है।
- नवीनीकरण के अधीन पीपीई का वर्गीकरण, उस पर अवक्षयण और उसका हानिकरण।
- एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अधीन ऋण आस्तियों का और पुन: कब्जे में ली गई परिसंपत्तियों का इंड एएस 105 के अनुसार 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियों' के रूप में वर्गीकरण
- नगर गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने के भागरूप में वे-लीव प्रभारों के मद्दे किए गए अग्रिम संदाय के लिए लेखांकन उपचार।
- कंपनी की लेखाबहियों में मूर्त/अमूर्त आस्ति के रूप में रेल कॉरिडोर आस्ति का वर्गीकरण और उसका अवक्षयण/परिशोधन। (2 रायों को सम्मिलित करें)
- लिग्नाइट हैंडिंग प्रणाली के पूंजीकरण का समय और उस पर अवक्षयण।
- गैर-राजस्व जनन संगठन में लाभ और हानि विवरण को तैयार करना।
- पीटीसी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतिकरण ठहराव और निवेशों के लिए लेखांकन।
- नगर गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए एक भागरूप में हुकिंग-अप प्रभारों के मद्दे किए गए निश्चित/अग्रिम संदाय के लिए लेखांकन उपचार।
- राजस्व को मान्यता के लिए प्रधान बनाम अभिकर्ता का संबंध।
- सिंचाई आस्तियों के पूंजीकरण का समय।
- निर्यात प्रोत्साहनों का लेखांकन उपचार। (2 रायों को सम्मिलित करें)
- राज्य सरकार के कार्यान्वयन अभिकरण की दशा में राजस्व मान्यता।
- किसी संयंत्र में जनित प्रकीर्ण स्क्रैप मदों और इंड एएस ढांचे के अधीन निपटारे की प्रतीक्षा कर रही स्क्रैप आस्तियों को मान्यता।
- इंड एएस ढांचे के अधीन ग्राहकों की ओर से रखे गए नकद और नकद समतुल्यों की प्रस्तुति।
- इंड एएस ढांचे के अधीन परियोजना संविदाओं के प्रति जुटाए गए अग्रिम पर ब्याज की मान्यता।
- इंड एएस 16, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर' के अनुसार पश्चातवर्ती व्यय का लेखांकन उपचार।
- पट्टा प्राप्यों का वर्गीकरण।
- इंड एएस ढांचे के अधीन पट्टाधृत भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित करने पर राजस्व का लेखांकन उपचार।
- एएस ढांचे के अधीन सीएसआर व्यय के लिए लेखांकन।
- एएस ढांचे के अधीन सरकारी अनुदान का उपचार।
- मूल और अनुषंगी कंपनी द्वारा धारित समान पट्टाधृत आस्तियों का लेखांकन उपचार, जिनकी कार्यकरण मुद्राएं भिन्न-भिन्न हैं और उनका इंड एएस ढांचे के अधीन समेकन। (2 रायों को सम्मिलित करें)
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 की अपेक्षाओं के अनुसार चैनल वित्तपोषण सुविधा के अधीन प्राप्त रकमों की प्रस्तुति।
- एएस ढांचे के अधीन रियायत करार का लेखांकन उपचार।
- इंड एएस 116 के अनुसार पहचान की गई आस्तियों के रूप में पट्टाधृत परियोजना आस्तियों को मान्यता।
- निगम के वित्तों में पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चितता (सीआरएसी) के वित्तों की प्रस्तुति।
- इंड एएस ढांचे के अधीन कार्यसूची या अग्रिम के रूप में भूमि के अर्जन के लिए संदत्त रकम का वर्गीकरण/प्रस्तुति।

- इंड एएस ढांचे के अधीन प्राकृतिक गैस/एलपीजी पारेषण पाइपलाइन का अवशिष्ट मूल्य ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन कंपनी द्वारा हाई स्पीड रेल परियोजना के निर्माण के लिए उपगत स्पेक्ट्रम प्रभारों, परियोजना संवर्धन व्ययों तथा अनुसंधान एवं विकास व्ययों का लेखांकन उपचार । (3 रायों को सम्मिलित करें)
- इंड एएस ढांचे के अधीन वित्तीय विवरणों में बीजकों के बट्टे के माध्यम से वसूल किए गए व्यापार प्राप्यों की प्रस्तुति ।
- लाभ और हानि विवरण में परियोजना में अप्रत्याशित घटना के दौरान उपगत स्टैंडबाय, स्टापेज और संबद्ध लागतों की प्रस्तुति ।
- इंड एएस फ्रेमवर्क के अधीन अर्हित संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निधियों और क्यूआईपी निर्गम व्ययों में से किए गए सावधि निक्षेपों (एफडी) पर अर्जित ब्याज आय का लेखांकन ।
- इंड एएस ढांचे के अधीन अन्य आय का लेखांकन उपचार (रेल मंत्रालय (एमओआर) से प्राप्त अग्रिम में से निवेश की गई निधियों पर बैंक ब्याज, जिसे बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) कहा गया है)
- भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रायोजित और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रबंधित विभिन्न स्कीमों और निधियों के संबंध में वित्तीय प्रस्तुति ।

6.11 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) भारत में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इस बोर्ड का गठन आईसीएआई द्वारा एक गैर-स्थायी समिति के रूप में जुलाई, 2002 में किया गया था और इसका गठन देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में किया गया था । एफआरआरबी विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यथासंभव सीमा तक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं, विनियामक निकायों, कानूनों/नियमों और उद्यमों से सुसंगत विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तथा उद्यम और साथ ही संपरीक्षक की रिपोर्टिंग बाध्यताओं का भी अनुपालन करते हैं । बोर्ड में, आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के नामनिर्देशिती भी हैं । इस अवधि के दौरान, बोर्ड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए ।

वर्ष की उपलब्धियां :

(I) किए गए पुनर्विलोकन (स्व:विवेकानुसार या विशेष रूप से चुने गए मामलों का पुनर्विलोकन)

बोर्ड ने स्व:विवेकानुसार चुने गए या विशेष मामलों के रूप में चुने गए 125 मामलों का पुनर्विलोकन किया है । इसके अंतर्गत, 23 ऐसे वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किया गया, जिन्हें विशेष मामलों के रूप में लिया गया था और साथ ही इंड एएस वित्तीय विवरणों के 88 मामलों का भी पुनर्विलोकन किया गया । इन कुल 125 मामलों में से 14 मामलों को संबद्ध विनियामकों और निदेशक (अनुशासन) को आगे और कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट किया गया है तथा 78 मामलों में बोर्ड ने उद्यम के संपरीक्षक को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया था ।

(II) समाज के प्रति योगदान - राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

विनियामकों का समर्थन करने और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयास में एफआरआरबी ने अवधि के दौरान विशेष मामलों के रूप में विभिन्न उद्यमों के 29 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया है जिन्हें विनियामकों द्वारा मीडिया की रिपोर्टों और प्राप्त हुए अन्य निर्देशों के आधार पर निर्दिष्ट किया गया था और जो पुनर्विलोकन के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं ।

- **विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट मामलों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति**
  - भारत निर्वाचन आयोग ने बोर्ड से यह अनुरोध किया था कि वह कम से कम छह राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और मान्यताप्राप्त दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन आरंभ करे, जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए

से अधिक है । तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग बोर्ड को प्रत्येक वर्ष ऐसे राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं को अग्रेषित करता है । इस अवधि के दौरान एक राजनैतिक दल के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं को एफआरआरबी को अग्रेषित किया गया है, जिस पर बोर्ड विचार करेगा ।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से आईसीएआई को ऐसी सीए फर्मों की एक सूची प्राप्त हुई थी, जिनकी "पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के संपरीक्षकों के रूप में असंतोषप्रद कार्यपालन" के रूप में पहचान की गई थी । एफआरआरबी ने ऐसे 6 समुत्थानों के एक साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन आरंभ किया है, जिनकी संपरीक्षा उक्त सूची में सम्मिलित किए गए संपरीक्षकों द्वारा की गई है और इनमें से बोर्ड ने चार मामलों में पुनर्विलोकन प्रक्रिया को पूरा कर दिया है और शेष दो मामलों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

○ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से प्राप्त परिसमापनाधीन कंपनियों की सूची के आधार पर बोर्ड ने इस अवधि के दौरान चुनी गई 15 कंपनियों के पुनर्विलोकन पर विचार किया है । इनमें से छह मामलों को आगे और अन्वेषण हेतु निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किया गया है और चार मामलों में बोर्ड ने समुत्थान के संपरीक्षक को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया है ।

(III) एफआरआरबी के वेब पोर्टल का शुभारंभ : एफआरआरबी के कार्य का नियम आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए स्वचालन

एफआरआरबी के वेब पोर्टल का शुभारंभ जनवरी, 2022 में किया गया, जिसका उद्देश्य एफआरआरबी के कार्य को स्वचालित बनाना और नियम आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल वित्तीय विवरणों के आधार पर सामान्य अननुपालनों की पहचान करना है । तकनीकी पुनर्विलोककों और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह (एफआरआरजी) को आनलाइन व्यापक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से अवधि के दौरान निर्दिष्ट पुनर्विलोकन संबंधी मामलों का पुनर्विलोकन आरंभ किया गया, जो वर्तमान में विभिन्न प्रक्रमों पर है ।

(IV) प्रकाशन

बोर्ड ने, वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों, संपरीक्षकों और अन्य सदस्यों को विभिन्न वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में शिक्षित करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2022 में 'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं (इंड एएस ढांचा) के अनुपालन संबंधी अध्ययन' की दूसरी जिल्द का विमोचन किया और इस प्रकार उसने वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने और साथ ही सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त किया है । इसमें इंड एएस, संपरीक्षा संबंधी मानकों और लागू मार्गदर्शन टिप्पणों और साथ ही अन्य सुसंगत विधियों तथा कानूनों के संदर्भ में बोर्ड के अनिवार्य संप्रेक्षण अंतर्विष्ट हैं । यह प्रकाशन सदस्यों और अन्य पणधारियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें इन मानकों (इंड एएस) को उसी भावना के साथ कार्यान्वित करने में समर्थ बनाया जा सके, जिस भावना से उन्हें तैयार किया गया है ।

(V) जर्नल में लेख

संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए अननुपालनों से अवगत कराने के विचार से बोर्ड ने 'विभिन्न रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अननुपालन' विषय पर सीए जर्नल में लेखों की एक श्रृंखला का प्रकाशन आरंभ किया है । इसे ध्यान में रखते हुए संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के अप्रैल, 2022, मई, 2022, जून, 2022, सितंबर, 2022, अक्तूबर, 2022, जनवरी, 2023 और फरवरी, 2023 के अंकों में 'इंड एएस वित्तीय विवरणों में पाए गए अननुपालन' शीर्षक वाले सात लेखों का प्रकाशन किया गया है । इन लेखों में "वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने की दिशा में एफआरआरबी की भूमिका" और "तुलन-पत्र के आस्ति पक्ष" से संबंधित बोर्ड के संप्रेक्षण, "तुलन-पत्र में साम्या और दायित्व", "लाभ और हानि के घटक", "नकद प्रवाह संबंधी विवरण", "अन्य प्रकटन" और सीएआरओ 2016 से संबंधित लेखों को सम्मिलित किया गया है । एफआरआरबी की अद्यतन जानकारी (आईसीएआई जर्नल में) की अंतर्वस्तु को पाठकों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है ।

(VI) अन्य लेख : बड़ी संख्या में मेल भेजकर सदस्यों के बीच जागरुकता का प्रसार

सदस्यों को वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए विभिन्न अननुपालनों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक नई पहल आरंभ की गई है । इस पहल के अनुसरण में समय-समय पर सदस्यों को बड़ी संख्या में मेल भेजी जा रही हैं । इस पहल के अधीन फरवरी, 2023 और मई, 2023 में "बैंकों के वित्तीय विवरणों में

सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालन" तथा जून, 2023 में "कंपनियों के वित्तीय विवरणों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालन – संपरीक्षक की रिपोर्ट और सीएआरओ, 2016" विषयों से संबंधित बड़ी संख्या में तीन मेल भेजी गई हैं ।

(VII) ट्विटर हैंडल – एफआरआरबी

सदस्यों के बीच एफआरआरबी के द्वारा पाए गए अननुपालनों के संबंध में जागरुकता का प्रसार करने और उसके संबंध में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2020 में एफआरआरबी के लिए एक ट्विटर अकाउंट का सृजन किया गया, जिस पर 'डिड यू नो' शीर्ष से एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके आज की तारीख तक 3830 फोलोअर्स हैं । आज की तारीख तक लेखांकन मानकों से संबंधित अनुपालनों के संबंध में पाई गई त्रुटियों के संबंध में 396 ट्वीट पोस्ट किए गए हैं ।

(VIII) महत्वपूर्ण घटनाएं

- **अकाउंटेंटों की 21वीं विश्व कांग्रेस – आईसीएआई पैवेलियन – एफआरआरबी**

  वैश्विक लेखांकन वृत्ति के लिए अकाउंटेंटों की 21वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें अन्य बातों के साथ, आईसीएआई के पैवेलियन में सभी छह क्षेत्रों में आईसीएआई की भूमिका को प्रदर्शित किया गया । ये क्षेत्र, "सीए वृत्ति के विनियमन के लिए आईसीएआई", "आईसीएआई - राष्ट्रीय निर्माण में भागीदार", "आईसीएआई - मानक निर्धारक", "वित्तीय अनुशासन के लिए आईसीएआई", "आईसीएआई-एक उत्कृष्ट शिक्षक" के रूप में नामित थे । आईसीएआई पैवेलियन, आईसीएआई के लिए एक उत्तम ब्रांडिंग प्रयोग सिद्ध हुआ और उसके कारण आईसीएआई की विभिन्न समितियों को वैश्विक संगतता के अपने क्रियाकलापों को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ । एफआरआरबी – आईसीएआई ने भी "सीए वृत्ति के विनियमन के लिए आईसीएआई" क्षेत्र के तत्वाधान में आईसीएआई पैवेलियन के प्रति अपना योगदान दिया । प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने तथा इस कार्यक्रम को परस्पर क्रियाशील बनाने के लिए फ्लैश कार्ड पद्धति के माध्यम से क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें आईजीएएपी, इंड एएस, सीएआरओ, संपरीक्षा संबंधी मानकों, कंपनी अधिनियम के संदर्भ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में प्रश्न पूछे गए । एफआरआरबी के प्रकाशन, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं (इंड एएस ढांचा) के अनुपालन संबंधी अध्ययन की दूसरी जिल्द' की प्रतियां प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार को समर्थ बनाया जा सके और साथ ही उक्त प्रतियां इस बृहत्त आयोजन के स्मृति चिह्न के रूप में भी उपलब्ध कराई गई ।

- **पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुंबई में, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के लिए हैदराबाद में और उत्तरी तथा मध्य क्षेत्र के लिए अमृतसर में एकेएएम क्रियाकलाप के रूप में तकनीकी पुनर्विलोककों और एफआरआरजी सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन –** तकनीकी पुनर्विलोककों (टीआर) तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह (एफआरआरजी) के सदस्यों को इंड एएस के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने तथा उन्हें इंड एएस आधारित वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए अपेक्षित कौशलों से सज्जित करने के लिए एफआरआरबी द्वारा 12-13 मई, 2023 के दौरान मुंबई में, 25-26 अगस्त, 2023 के दौरान हैदराबाद तथा 2-3 जून, 2023 के दौरान अमृतसर में एकेएएम क्रियाकलापों के रूप में तकनीकी पुनर्विलोककों और एफआरआरजी सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

- **वेबीनार, संगोष्ठियां, वीसीएम और कार्यक्रम**

  बोर्ड ने क्रमश :'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों' और 'वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों' के विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठकों और संगोष्ठियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

6.12 जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईडीटीसी)

आईसीएआई की जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईडीटीसी), अपनी समृद्ध बौद्धिक क्षमता तथा तकनीकी गुणवत्ताओं के माध्यम से भारत में एक निष्पक्ष और साधारण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्थापित करने में सरकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है । जीएसटी के कार्यान्वयन के दौरान समिति के सहयोग को सरकार द्वारा अभिस्वीकृति प्रदान की गई है । समिति को सदस्यों के साथ उसके गहरे संबंधों के कारण व्यापक रूप से सराहना प्राप्त होती है । वर्ष के दौरान, समिति ने अपने कृत्यकरण के विस्तार क्षेत्र के दोनों क्षेत्रों, अर्थात् सरकार के साथ भागीदारी करना और सदस्यों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से योगदान दिया है ।

(I) राष्ट्र निर्माण में सरकार के साथ भागीदारी

केंद्र, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी जीएसटी की यात्रा पर विचार-विमर्श करने तथा इस यात्रा के दौरान हुए अनुभवों का आदान-प्रदान करने में समृद्ध बनाना – राष्ट्रीय जीएसटी विचार-गोष्ठी, 2022 – सिनर्जी को पुन: स्थापित करना।

समिति ने, 15 और 16 दिसंबर, 2022 के दौरान चेन्नई में सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी के अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय जीएसटी विचार-गोष्ठी, 2022 का आयोजन किया। तमिलनाडु सरकार के माननीय वित्त और मानव संसाधन प्रबंध मंत्री डा. पलानीवेल त्यागराजन ने इस विचार-गोष्ठी का उदघाटन किया। इस विचार-गोष्ठी के माध्यम से केंद्रीय कर, राज्य कर और संघ राज्यक्षेत्र कर से संबंधित अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया, जिससे सिनर्जी, विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान को सुकर बनाया जा सके तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके उनके समाधानों को तैयार किया जा सके। 20 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों से जीएसटी परिषद्, जीएसटीएन, सीबीआईसी और केंद्रीय जीएसटी कमिशनरियों और राज्य वाणिज्य कर विभागों के उच्च पंक्ति के अधिकारियों जैसे कि आयुक्तों, अपर आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों ने इस विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

"कर्तव्य", करदाताओं, व्यापार और अन्य पणधारियों के लिए एक कर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ सहयोग

राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर ने आईसीएआई की जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के सहयोग से करदाताओं, व्यापार संघों और अन्य पणधारियों की जागरुकता के लिए 1 मार्च, 2023 को कन्वेशन सेंटर, जम्मू में "कर्तव्य: एक कर जागरुकता पहल" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर के अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी, करदाता, चार्टर्ड अकांउटेंट और विभिन्न व्यापार संघों के प्रतिनिधि आदि सम्मिलित थे। जम्मू-कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गर्वनर श्री मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता, लेफ्टिनेंट गर्वनर के सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर और आयुक्त, राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर डा. रश्मि सिंह ने इस उद्घाटन सत्र में भाग लिया था।

जीएसटी नीति निर्धारण, कार्यान्वियन और अनुसंधान की पुन:स्थापना – तकनीकी अंत:निवेश

(i) **प्रारूप जीएसटीआर – 3ख प्ररूप के संबंध में सुझाव :** समिति ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी प्रारूप जीएसटीआर – 3ख प्ररूप के संबंध में तारीख 15 सितंबर, 2022 को अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार प्रस्तुत सुझावों के संबंध में 20 सितंबर, 2022 को नार्थ ब्लॉक में आयोजित एक निजी बैठक में श्री संजय मंगल, प्रधान आयुक्त, जीएसटी नीति खंड, सीबीआईसी को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए। बैठक में हुई परिचर्चा के अनुसरण में, तारीख 4 अक्तूबर, 2022 को इस मुद्दे पर कि प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सुमेलन न हो पाने को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सके और प्ररूप जीएसटीआर-9 और प्ररूप जीएसटीआर-9ग को संशोधित प्ररूप जीएसटीआर-3ख के साथ सुमेलित करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में प्रधान आयुक्त, सीबीआईसी को अतिरिक्त सुझाव उपलब्ध कराए गए।

(ii) **जीएसटी के अधीन सकल आवर्त संबंधी अवधारणा टिप्पण :** समिति ने विभिन्न देशों के जीएसटी/वेट विधानों के अधीन "सकल आवर्त" पद के संबंध में समीक्षा की और अपने निष्कर्षों तथा सिफारिशों को 'जीएसटी के अधीन सकल आवर्त संबंधी अवधारणा टिप्पण' में अंतर्विष्ट किया और उसके पश्चात् तारीख 4 जुलाई, 2022 को उसे विचारार्थ सरकार को प्रस्तुत किया गया। यह सिफिारिश की गई थी कि छूट प्राप्त परिदानों को सकल आवर्त की परिभाषा से बाहर रखा जाए।

(iii) **कठिनाईयों को दूर किए जाने संबंधी आदेश, 2022 के संबंध में सुझाव :** केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 172 केंद्रीय सरकार को, अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक रूप से किसी साधारण या विशेष आदेश को जारी करके ऐसे उपबंध करने हेतु सशक्त करती है। तारीख 29 जून, 2022 को सरकार को ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें ऐसे कतिपय विषयों को प्रमुख रूप से दर्शित किया गया था, जिनके लिए कठिनाईयों को दूर किए जाने संबंधी आदेश को जारी किया जा सकेगा क्योंकि ऐसा कोई आदेश जारी करने की शक्ति 30 जून, 2022 को समाप्त हो रही थी।

(iv) **मध्य प्रदेश के जीएसटी संपरीक्षा मानक प्रचालन व्यवहारों और मैनुअल का पुनर्विलोकन :** वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त अनुरोध के आधार पर समिति ने विभाग के जीएसटी संपरीक्षा मानक प्रचालन व्यवहारों और मैनुअल का पुनर्विलोकन किया।

देश में अप्रत्यक्ष कर विधियों को सरल, पारदर्शी, निश्चित और साम्यापूर्ण बनाने का प्रयास – सरकार को अभ्यावेदन

(i) राज्य कर आयुक्त, महाराष्ट्र के कार्यालय द्वारा जारी अंतरिम परिपत्र की रुपरेखा के अनुसार एक परिपत्र जारी करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से 2017-18 और 2018-19 की कर अवधियों के लिए विवरणियों की संवीक्षा से संबंधित विधिक मुद्दों के संबंध में दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जा सकें ।

(ii) चार्टर्ड अकाउंटेंटों को जीएसटी अपील अधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने संबंधी अभ्यावेदन ।

(iii) जीएसटीएन को यह अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन कि सीजीएसटी नियम, 2017 के संशोधित नियम 89(5) के अधीन यथाउपबंधित अवतरण कर संरचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय हेतु जीएसटी पोर्टल पर एक नया सूत्र तैयार किया जाए ।

(iv) चार्टर्ड अकाउंटेंटों को मध्य प्रदेश एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए पैनलबद्ध किए जाने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन ।

संघीय बजट की समृद्धिकारी कार्यसूची

बजट-पूर्व ज्ञापन, 2023 – अप्रत्यक्ष कर – समिति ने तारीख 30 नवंबर, 2022 को अपना बजट-पूर्व ज्ञापन, 2023 प्रस्तुत किया, जिसमें ऐसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में सुझाव अंतर्विष्ट थे, जो सरकार की सीमा-शुल्क विधि से संबंधित थे ।

केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और अन्य सरकारी विभागों और पीएसयू के पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम – रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और अन्य सरकारी विभागों और पीएसयू के पदधारियों के लिए 30 सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनके माध्यम से 2600 से अधिक अधिकारियों के कौशल को सुदृढ़ किया गया ।

विधायकियों के साथ बैठक

जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ने 6 जुलाई, 2022 को गोवा के माननीय मुख्य मंत्री डा. प्रमोद सावंत तथा 27 जुलाई, 2022 को ओडिशा सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री निरंजन पुजारी के साथ बैठक की थी ।

समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार के अधिकारियों के लिए 25 से 29 अप्रैल, 2022 के दौरान एक पांच दिवसीय सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया था । समिति द्वारा 15 और 16 दिसंबर, 2022 के दौरान राष्ट्रीय जीएसटी विचार-गोष्ठी की मेजबानी की गई थी, जिसका उदघाटन तमिलनाडु सरकार के माननीय वित्त और मानव संसाधन मंत्री डा. पलानीवेल त्यागराजन द्वारा किया गया था । माननीय मंत्री ने 30 और 31 जनवरी, 2023 को चेन्नई के दौरान तमिलनाडु सरकार के खजाना और लेखा विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित एक दो दिवसीय सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया था ।

मंत्रियों ने आईसीएआई द्वारा उसकी जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों के जीएसटी विभागों के अधिकारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने की पहल की अनुशंसा की है और साथ ही जीएसटी संबंधी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य के प्रति समिति के योगदान की भी सराहना की है ।

राज्य सरकारों के कृत्यकारियों के साथ बैठकें

समिति केंद्रीय और राज्य सरकारों, दोनों तक पहुंच बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और साथ ही वह ऐसे मार्गों और उपायों के संबंध में भी विचार-विमर्श कर रही है, जिनके माध्यम से समिति जीएसटी संबंधी नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सरकारों का समर्थन कर सकती है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने राज्य कर/जीएसटी की विभिन्न कमिशनरियों के साथ तथा विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विशिष्ट अधिकारियों के साथ अनेक बैठकें की, जिनके दौरान उन्हें आईसीएआई द्वारा जीएसटी के संबंध में की गई विभिन्न पहलों के संबंध में अवगत कराया गया और साथ ही ऐसे मार्गों और उपायों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया, जिनके माध्यम से जीएसटी और आईडीटी समिति जीएसटी के क्षेत्र में सरकार को अपना सक्रिय समर्थन उपलब्ध करा सकती है ।

राजस्व सचिव के साथ बैठक

जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 17 जून, 2023 को जीएसटी नीति खंड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लिया, जिसमें नकली आईटीसी और नकली रजिस्ट्रीकरणों की बढ़ी संख्या पर रोक लगाने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा द्वारा की गई थी।

(II) सदस्यों को सशक्त बनाना

ई-पहलें :

- **10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला – जीएसटी संबंधी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के प्रति एक नई पहल :** समिति द्वारा सभी पणधारियों के बीच जीएसटी के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से "10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला" नामक एक लघु वीडियो श्रृंखला को तैयार किया गया है। जीएसटी विधि को इन लघु वीडियो में यथा संभव सरल रीति में स्पष्ट किया गया है, जिससे कि साधारण जनता को जीएसटी के संबंध में आधारिक समझ प्राप्त हो सके। इस वीडियो श्रृंखला में जीएसटी विधि के भिन्न-भिन्न पहलूओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक पहलू को एक वीडियो के माध्यम से 10 बिन्दूओं में स्पष्ट किया गया है। यह श्रृंखला एक निरंतर चलने वाला फीचर है जहां नियमित अंतरालों पर वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। कुल मिलाकर 15 लघु वीडियो तैयार किए गए हैं और उन्हें समिति की वेबसाइट और आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र पर रखा गया है।

- **लाइव वेबकास्ट/वेबीनार/वीसीएम :** समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, जीएसटी में अंतर्वलित विभिन्न समकालीन विषयों के संबंध में 12 लाइव वेबकास्टों/वेबीनारों तथा 7 वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया, जिसमें 12384 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- **जीएसटी संबंधी आईसीएआई न्यूज लैटर :** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईसीएआई – जीएसटी संबंधी न्यूज लैटर के चार संस्करणों का प्रकाशन किया गया है। सामान्य व्यवहार के अनुसार इनमें से प्रत्येक संस्करण की 3000 प्रतियों को मुद्रित किया गया तथा उन्हें संसद् सदस्यों, जीएसटी परिषद् सदस्यों, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों तथा सरकारी पदधारियों को अग्रेषित किया गया।

- **जीएसटी संबंधी अद्यतन जानकारी :** जीएसटी विधि एक अत्यधिक क्रियाशील विधि है, जिसमें बार-बार बड़ी संख्या में अधिसूचनाएं/परिपत्र/ आदेश/अनुदेश जारी किए जाते हैं। सदस्यों को इस क्षेत्र में तेजी से होने वाले परिवर्तनों से लगातार अवगत कराने के विचार से जीएसटी से संबंधित अद्यतन जानकारी, जिसमें ऐसे परिवर्तनों के सार को उस समय अंतर्विष्ट किया जाता है, जिस समय सीबीआईसी द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना/परिपत्र/आदेश/अनुदेश जारी किया जाता है, संबंधित दस्तावेज समिति द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसे समिति की वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत 50000 उपयोक्ताओं को मेल किया जाता है और साथ ही उसे समिति की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है।

- **ई-प्रकाशन – सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक उपकरण :** समिति ने अपने सभी प्रकाशनों, जीएसटी न्यूज लैटर के सभी अंकों आदि को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसे किसी भी पणधारी द्वारा नि:शुल्क रूप से डाउनलोड किया जा सकता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ऐसे प्रकाशनों की कुल 15000 प्रतियों को विभिन्न पणधारियों द्वारा डाउनलोड किया गया।

- **माल और सेवा कर संबंधी ई-पठन तथा यूएई वेट** : जीएसटी के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित करने वाले ई-पठन माड्यूल को आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र पर रखा गया है। यह सुविधा सभी सदस्यों को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध है जो उनके द्वारा किसी भी समय तथा कहीं से भी पठन को सुकर बनाता है। इस ई-पठन हेतु 13,636 सदस्यों ने ग्राहकी प्राप्त की है। यूएई वेट से संबंधित एक ई-पठन माड्यूल, जिसमें यूएई वेट से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र पर रखा गया है। यह सुविधा सभी सदस्यों को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध है जो उनके द्वारा किसी भी समय तथा कहीं से भी पठन को सुकर बनाती है। इस ई-पठन हेतु 2,182 सदस्यों ने ग्राहकी प्राप्त की है।

- **समिति की वेबसाइट :** समिति के पास https://idtc.icai.org/ पोर्टल पर अपनी वेबसाइट उपलब्ध है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए एकल समाधान के रूप में कार्य करती है, जो अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। समिति द्वारा तैयार/पुनरीक्षित किए गए सभी तकनीकी प्रकाशनों को

इस वेबसाइट पर रखा जाता है, जो सभी पणधारियों द्वारा नि:शुल्क डाउनलोड हेतु उपलब्ध हैं । यह वेबसाइट समिति की अन्य पहलों के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराती है जैसे कि जीएसटी संबंधी अद्यतन जानकारी, बजट-पूर्व और पश्च ज्ञापन, सरकार को प्रस्तुत किए गए सुझाव और अभ्यावेदन, जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, समिति द्वारा आयोजित विभिन्न सीपीई आयोजन और अन्य कार्यक्रम आदि । इस वेबसाइट के 50000 उपयोक्ता सबसक्राइबर है और औसतन समिति की वेबसाइट को प्रतिदिन 300 (लगभग) उपयोक्ता देखते हैं ।

(III) अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- **यूएई वेट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** समिति ने अपने दुबई चैप्टर के माध्यम से दुबई और ओमान में यूएई वेट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो बैचों का आयोजन किया, जिनके दौरान 20 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त, यूएई वेट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए आनलाइन रूप से एक निर्धारण परीक्षा का भी 11 दिसंबर, 2022 को आयोजन किया गया, जिसमें 13 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस निर्धारण परीक्षा को उत्तीर्ण किया ।
- **प्रगतिशील वेट के संबंध में वेबीनार :** समिति ने 9 जून, 2022 को प्रगतिशील वेट के संबंध में एक वेबीनार का आयोजन किया, जिसमें 1400 सदस्यों ने भाग लिया । इस वेबीनार को प्रोफेसर रीटा डे ला फेरिया, स्कूल आफ लॉ में टैक्स लॉ की अध्यक्ष, लीड्ज़ विश्वविद्यालय ने संबोधित किया ।

(IV) प्रकाशन – एक अनुसंधान पहल :

- जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री - अप्रैल (11) 2023 पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी अधिनियम और नियम - बेयर विधि - अप्रैल 2023 पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी के अधीन अवरुद्ध क्रेडिट संबंधी हैंडबुक - जनवरी, 2023 – नया
- जीएसटी में महत्वपूर्ण न्यायिक और अग्रिम विनिर्णय - एक संकलन - दिसंबर, 2022 - नया
- जीएसटी के अधीन निरीक्षण, तलाशी, अधिहरण और गिरफ्तारी संबंधी हैंडबुक - अगस्त, 2022 – नया
- जीएसटी के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों संबंधी हैंडबुक - जनवरी, 2023 - पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी के अधीन बीजक संबंधी हैंडबुक - दिसंबर, 2022 - पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी के अधीन विवरणियों और संदायों संबंधी हैंडबुक - अक्टूबर, 2022 - पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी के अधीन वार्षिक विवरणी संबंधी हैंडबुक - अक्टूबर, 2022 - पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी के अधीन रचना स्कीम संबंधी हैंडबुक - अगस्त, 2022 - पुनरीक्षित संस्करण
- जीएसटी के अधीन लेखा और अभिलेखों संबंधी हैंडबुक - जून, 2022 - पुनरीक्षित संस्करण ।

(V) कार्यक्रम और पाठ्यक्रम

- **जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :**

  रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने पूरे भारत वर्ष में जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र के 12 भौतिक बैचों का संचालन किया, जिनमें 418 सदस्यों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, 209 सदस्यों ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम की निर्धारण परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

- **जीएसटी संबंधी सीपीई आयोजन**

  समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सदस्यों को जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष विधियों के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से 49 भौतिक सीपीई आयोजनों (राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि) का आयोजन किया, जिनके दौरान 8591 से अधिक सदस्यों के कौशलों को समुन्नत किया गया ।

6.13 आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखा बोर्ड (बीआईएएमए)

आंतरिक संपरीक्षा किसी भी संगठन में शासन ढांचे की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नींव है । भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए पहले ही वृत्ति में आंतरिक संपरीक्षा के बढ़ते महत्व को महसूस कर लिया था और इसके परिणामस्वरूप उसने 19 वर्ष पूर्व फरवरी, 2004 में "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति" का गठन किया था । उसके पश्चात्, नवंबर, 2008 में उस समय इस समिति को "आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड" के रूप में पुन: नामित किया गया जब आंतरिक संपरीक्षा मानकों को जारी करने के महत्व को मान्यता प्रदान की गई । उस समय से ही बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा वृत्ति के क्षेत्र में उदाहरणात्मक कार्य कर रहा है और इसके अतिरिक्त वह संपूर्ण समवर्ती बैंक संपरीक्षा कार्यसूची का भी पर्यावलोकन कर रहा है । अभी तक आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी और जेनेरिक गाइडों के साथ कुल 22 मानकों को जारी किया गया है, जिनमें विभिन्न विषयों और उद्योगों को सम्मिलित किया गया है और साथ ही समवर्ती संपरीक्षा, आंतरिक संपरीक्षा और जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का भी समय-समय पर बोर्ड द्वारा संचालन किया गया । इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखा संबंधी समिति को आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड में सम्मिलित कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड को, आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखा बोर्ड (बीआईएएमए) के रूप में पुन:नामित किया गया ।

(I) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए)

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) आंतरिक संपरीक्षकों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों के संहिताकरण को उपलक्षित करते हैं ।

बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित छह मानकों को जारी किया है :

- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 130, जोखिम प्रबंध
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 520, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में संपरीक्षा
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 530, वित्तीय पक्षकार सेवा प्रदाता
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 140, शासन
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 150, विधियों और नियमों का अनुपालन
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 250, शासन का प्रभार धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मानक अभी प्रारूपण के प्रक्रम पर हैं :

- एसआईए 710, प्रचालनात्मक पुनर्विलोकनों का संचालन
- एसआईए 740, कर्मचारिवृंद और प्रबंध मंडल के कार्यपालन का पुनर्विलोकन

(II) उद्योग विनिर्दिष्ट और साधारण आंतरिक संपरीक्षा गाइड

बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित गाइडें जारी की थीं :

- खुदरा उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- शैक्षिक संस्थाओं की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- कपड़ा उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।

बोर्ड कोयला उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड को मुद्रण हेतु अंतिम रूप प्रदान कर रहा है ।

बोर्ड ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अध्ययन समूहों का गठन किया है :

- आंतरिक संपरीक्षा जांच सूची ।
- होटल उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- भेषजीय उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा ।

(III) प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ)

आईसीएआई का आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड, प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ) नामक एक अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है, जिससे सदस्यों को प्रबंध और कारबार वित्त के क्षेत्रों में बौद्धिक ज्ञान, विशेषज्ञता और गहन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके । यह सदस्यों को गहन नीतिगत और नेतृत्व क्षमताएं प्राप्त करने और साथ ही उनकी निर्णय करने की क्षमताओं में अभिवृद्धि करने तथा प्रबंधकीय सक्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा ऐसे कौशलों को अर्जित करने में समर्थ बनाता है, जिससे वे ऐसे ग्राहकों/संगठनों/फर्मों, जिनके लिए वे कार्य करते हैं, के हित में प्रभावी और सफल योगदान प्रदान कर सकते हैं । 2022-23 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने डीएमबीएफ पाठ्यक्रम के तीसरे बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया और बोर्ड ने 28 जनवरी, 2023 से डीएमबीएफ के चौथे बैच का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत 100 घंटे का आनलाइन कक्षा प्रशिक्षण सत्र और तीन सप्ताहांत आनलाइन कार्यक्रम हैं, जिनका आयोजन डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से जमनालाल बजाज प्रबंध अध्ययन संस्थान (जेबीआईएमएस) के सहयोग से किया जाएगा ।

(IV) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड, सदस्यों को बैंकों द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन करने में संव्यवहारों की आंतरिक जांच और अन्य सत्यापन करने तथा अधिकथित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में बैंकों के प्रयास को अनुपूरित करने तथा बैंकों में समवर्ती संपरीक्षा प्रणाली की प्रभाविकता में सुधार करने, समवर्ती संपरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता और उसके अंतर्गत आने वाले विषयों में सुधार करने तथा बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा की जटिलताओं को समझने में सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है । बोर्ड ने इस अवधि के दौरान बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 16 बैचों का आयोजन किया और लगभग 2260 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है ।

(V) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आंतरिक संपरीक्षा एक अत्यंत क्रियाशील, तेज गति से विकसित होने वाली वैश्विक रूप से मान्यतप्राप्त वृत्ति है, जो संगठनों को उनके जोखिम, शासन और अनुपालन प्रक्रियाओं का प्रबंध करने में सहायता करती है । संस्थान अपने सदस्यों को उन्हें इस वृत्ति में सफलता के लिए अनिवार्य ज्ञान, कौशलों और विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर उन्हें आंतरिक संपरीक्षा के उत्तम वृत्तिकों के रूप में तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है । संस्थान, सर्वोत्तम व्यवहार उपकरणों, तकनीकों और व्यवहारों के क्षेत्र में ऐसी अधिकाधिक सामग्रियों की प्रस्तावना करता है, जिनका उपयोग संगठनों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है । आईसीएआई के आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पूर्णरुपेण पुनरीक्षण करते हुए उसमें सुधार किया है और उसमें नए विषयों तथा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया है और सभी पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे एक समकालीन अवतार में पुन: आरंभ किया जा रहा है । बोर्ड ने दिसंबर, 2022 में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी पाठ्यक्रम के पहले बैच का आनलाइन पद्धति से आयोजन किया और इसके दौरान 41 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया । बोर्ड, 7 जुलाई, 2023 से अपने डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से इस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच का संचालन कर रहा है ।

(VI) आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में जागरुकता संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 40 वेबीनारों और 18 वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनकी विशिष्ट थीम – "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक – सुधारों के साथ कदम मिलाकर चलना", "आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रवृत्तियां – आगे कदम बढ़ाना", "प्रभावी आंतरिक संपरीक्षा तैयार करना - उद्योगवार", "डिजीटल युग में अनुपालन और संपरीक्षा – अवसर और चुनौतियां", "बैंकों, वित्तीय सेवाओं और बीमा सेक्टर में आंतरिक संपरीक्षा" थी और इसके अतिरिक्त, आंतरिक संपरीक्षकों संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन, कारबार के लिए नए युग के मूल्य सृजक (मिश्रित पद्धति), संकाय विकास कार्यक्रम – सितंबर, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी चार दिवसीय संगोष्ठी, आंतरिक संपरीक्षा मानकों संबंधी सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया ।

(VII) पीएसयू के लिए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड ने मार्च, 2023 के दौरान बीएचईएल के लिए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । बीएचईएल के कुल 20 पदधारियों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया ।

(VIII) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ बैठक

आंतरिक संपरीक्षा और प्रबंध लेखांकन बोर्ड, आईसीएआई के अध्यक्ष ने 3 अप्रैल, 2023 को दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के पदधारियों के साथ बैठक की ।

(IX) बोर्ड ने 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई में आयोजित "अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस" में भाग लिया और साथ ही मानक निर्धारक क्षेत्र के रूप में आईसीएआई पैवेलियन को भी स्थापित किया ।

(X) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ई-पठन – वर्तमान में, 3228 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है ।

6.14 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति (साईटैक्स)

अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय कराधान के उपबंधों के संबंध में उनके कार्यकारी ज्ञान को विकसित करने में और साथ ही इस कार्यकारी ज्ञान को विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट समस्या वाले क्षेत्रों में लागू करने हेतु विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अर्जित करने में सहायता करती है । यह कार्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशनों को जारी करके, अंतर्राष्ट्रीय कराधान (जिसके अंतर्गत अंतरण कीमत निर्धारण भी है) संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करके, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, ई-पठन या समान प्रकृति के कार्यक्रमों का आयोजन करके किया जाता है । समिति अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित ऐसी कर विधियों, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, डीटीएए आदि की भी समीक्षा करती है, जिन्हें सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अधिनियमित या जारी किया जाता है और साथ ही समिति उपयुक्त प्राधिकारियों को उचित अभ्यावेदन भी अग्रेषित करती है ।

(I) सरकार को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर संवाद

- बजट पूर्व ज्ञापन, 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित सुझावों का प्रस्तुत किया जाना ।
- बजट-पश्च ज्ञापन, 2023 में सम्मिलित किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित बजट-पश्च सुझावों का प्रस्तुत किया जाना ।
- राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में, कर प्राधिकारियों से निम्नलिखित परस्पर क्रियाएं की गई हैं ताकि उन मार्गों का पता लगाया जा सके, जिन्हें कार्यान्वित करके करदाताओं और कर प्राधिकारियों के बीच होने वाली मुकदमेबाजी को कम से कम किया जा सके, राष्ट्र के कर आधार में अभिवृद्धि करने के उपायों का पता लगाया जा सके, कर अपवंचन को समाप्त किया जा सके, संगोष्ठियों/सम्मेलनों/वेबकास्टों/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/कैप्सूल पाठ्यक्रमों आदि को संबोधित करने का निमंत्रण दिया जा सके, जिससे सदस्यों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जा सकें जहां वे सरकार के मत को समझने के लिए कर नीति निर्धारकों को सुन सकें और उनके साथ परस्पर क्रिया कर सकें और साथ ही अपने विचारों को भी साझा कर सके :
    - उपाध्यक्ष, साईटैक्स ने श्री सुनील कुमार, डीजीआईटी (आईएनवी.), चेन्नई, श्री प्रेमानंद जे., अपर सीआईटी – I (अंतर्राष्ट्रीय कर) और श्री शिव शंकर, अपर सीआईटी – I (अंतर्राष्ट्रीय कर) के साथ 27.04.2022 को एक बैठक की ।
    - साईटैक्स के सदस्यों में से एक सदस्य ने 2.5.2022 को जयपुर में सुश्री रेणु जौहरी, डीजीआईटी (आईएनवी.) के साथ मुलाकात की ।
    - साईटैक्स के सदस्यों में से एक सदस्य ने 16.06.2022 को गुजरात में श्री रविन्द्र कुमार, प्रधान सीसीआईटी के साथ मुलाकात की ।

(II) विभिन्न विषयों पर प्रारूप ओईसीडी/यूएन पत्रों के संबंध में अभ्यावेदन/सुझाव

- वैश्विक कार्यान्वयन ढांचा (स्तंभ-2) के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।
- स्तंभ-1 की रकम क के अधीन विस्तार क्षेत्र संबंधी देशी विधान के लिए प्रारूप आदर्श नियम - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – क्रिप्टो-आस्ति रिपोर्टिंग ढांचे के संबंध में प्रश्नोत्तर और स्तंभ-1 की रकम क के अधीन क्षेत्र संबंधी देशी विधान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग मानक प्रारूप आदर्श नियम ।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – स्तंभ 1 की रकम क के अधीन निष्कर्णात्मक अपवर्जन ।
- स्तंभ 1 के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – रकम क : विनियमित वित्तीय सेवा अपवर्जन ।
- बीईपीएस 2.0 स्तंभ 1 के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – रकम क के लिए कर निश्चितता ढांचा और रकम क से संबंधित मुद्दों के लिए कर निश्चितता ।
- रकम क के तकनीकी डिजाइन के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।
- स्तंभ 1 की रकम क के प्रशासन और कर निश्चितता पहलूओं के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।
- स्तंभ 1 की रकम क के प्रारूप बहु पक्षीय अभिसमय (एमएलसी) उपबंधों संबंधी डिजीटल सेवाकर (जीएसटी) और अन्य समान उपायों के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।
- अंतरण कीमत निर्धारण नियमों के सरलीकरण से संबंधित स्तंभ 1 की रकम ख के डिजाइन तत्वों के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।

(III) अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी तीन संगोष्ठियों, तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों, 'डिजीटल संव्यवहारों से संबंधित भारत की कर विधियों में हुए हाल ही के परिवर्तनों का प्रभाव और स्तंभ 1 और 2 के संबंध में ओईसीडी के प्रस्तावों – अधिकारिता संबंधी मुद्दों, कर व्यापकता और टीडीएस उपबंध – पैनल परिचर्चा', 'विषय 1 – ओमान में भारतीय निवेश के लिए कर व्यवहार और चुनौतियां – ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख क्षेत्र और विषय 2 – भारत द्वारा विदेशी निवेशों के लिए कर प्रोत्साहन और विदेशों में निवेश करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख क्षेत्र – भारत और ओमान के बीच डीटीएए के विशेष प्रतिनिर्देश से – पैनल परिचर्चा', 'कनाडा में भारतीय निवेश के लिए कर व्यवहार और चुनौतियां – ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख क्षेत्र और विषय 2 – भारत द्वारा विदेशी निवेशों के लिए कर प्रोत्साहन और विदेशों में निवेश करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख क्षेत्र – भारत और कनाडा के बीच डीटीएए के विशेष प्रतिनिर्देश से – पैनल परिचर्चा', 'सिंगापुर में भारतीय निवेश के लिए कर व्यवहार और चुनौतियां – ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख क्षेत्र और विषय 2 – भारत द्वारा विदेशी निवेशों के लिए कर प्रोत्साहन और विदेशों में निवेश करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख क्षेत्र – भारत और सिंगापुर के बीच डीटीएए के विशेष प्रतिनिर्देश से, संघीय बजट 2023-24 के कर प्रस्तावों की प्रमुख विशिष्टियां – पैनल परिचर्चा', संघीय बजट – 2023 (कराधान) पर पैनल परिचर्चा संबंधी 7 लाइव वेबीनारों, तीन वर्चुअल सीपीई बैठकों, बजट अवलोकन सत्र (संघीय बजट – 2023-24) संबंधी एक कार्यशाला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी पांच दिवसीय वर्चुअल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया ।

(IV) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा/यूएई कारपोरेट कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के निम्नलिखित बैचों का संचालन किया :

आनलाइन और भौतिक पद्धति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
नवां	आनलाइन	20.06.2022	140	पूरा किया गया
दसवां	आनलाइन	20.03.2023	182	पूरा किया गया
26वां	अहमदाबाद	28.01.2023	40	पूरा किया गया
27वां	दिल्ली	29.04.2023	65	अभी चल रहा है

समिति ने, फरवरी, 2023 में यूएई कारपोरेट कर संबंधी एक नए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है।

यूएई कारपोरेट कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – भौतिक पद्धति

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
पहला	आबू धाबी	4.02.2023	16	पूरा किया गया
दूसरा	दुबई	5.02.2023	41	पूरा किया गया

(V) अन्य पहलें

- समिति ने अपना नया पाठ्यक्रम, अर्थात् यूएई कॉरपोरेट कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को 4 फरवरी, 2023 और 5 फरवरी, 2023 से क्रमशः अबू धाबी और दुबई में आरंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) के परीक्षा पैटर्न को परिवर्तित किया गया है ताकि इसे आईएनटीटी-एटी आधारित ओपन बुक मामला अध्ययन परीक्षा बनाया जा सके।
- समिति ने अपने निम्नलिखित प्रकाशनों को पुनरीक्षित किया है :
  - प्रवासी कराधान संबंधी तकनीकी गाइड
  - तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस संबंधी तकनीकी गाइड
  - आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ (अंतरण कीमत निर्धारण) के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा यथा संशोधित विधि पर आधारित)
  - अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं

    प्रश्न-पत्र 1 अंतर्राष्ट्रीय कराधान – कीमत अंतरण निर्धारण
  - प्रश्न-पत्र 2 अंतर्राष्ट्रीय कराधान – व्यवहार (भाग I और भाग II)
- समिति ने अपने तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस संबंधी तकनीकी गाइड, शीर्ष वाले प्रकाशन का पुनरीक्षण किया और इसे अंतिम रूप देकर इसका विमोचन किया।
- समिति ने इंदौर, मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और वैश्विक निवेश संबंधी शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उसने अपने बूथ को कराधान के प्रति समर्पित किया।
- समिति ने कैपिटल मार्किट के साथ परस्पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह करार किया गया है कि वह व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों और सीए फर्मों को विशेष पट्टा प्राप्त प्रस्थापना के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए केपिटालाइन एडब्ल्यूएसटीपी कारपोरेट डाटा बेस (अद्यतन) पाठ की अनुज्ञप्तियां प्रदान करेगा, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :
  - केपिटालाइन एडब्ल्यूएसटीपी (क्लाउड और ब्राउजर आधारित) – 25,000 रुपए प्रति लॉगिन प्रति वर्ष धन जीएसटी एक वर्ष के लिए।
  - केपिटालाइन एडब्ल्यूएसटीपी (क्लाउड और ब्राउजर आधारित) – 55,000 रुपए प्रति लॉगिन धन कर, यदि अग्रिम संदाय के साथ तीन वर्ष के लिए लिया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत निर्धारण के विषयों पर आईसीएआई के सदस्यों को क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना।

6.15 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी)

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम (जिसका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है) नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों (एनक्यूसीए) और अपनी मानव संसाधन अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सर्वोत्तम योग्यता को चुनने के लिए उत्सुक संगठनों, दोनों को एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम, जो एकल समाधान के रूप में कार्य करता है, नियोक्ताओं को एनक्यूएसी से

परस्पर क्रिया करने, योग्य वृत्तिकों के एक बड़े पूल की विशिष्टियों का परिशीलन करने और ऐसे उपयुक्त सीए को चुनने, जिसे सर्वोत्तम से भी बेहतर पाया जाता है, का अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराता है।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 55वां संस्करण – फरवरी-मार्च, 2022

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 55वें संस्करण में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने दिसंबर, 2021 में आयोजित परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 21 केंद्रों (9 प्रमुख और 12 छोटे) पर साक्षात्कारों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के 55वें संस्करण के संक्षिप्त सांख्यिकी ब्यौर निम्नानुसार हैं :--

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम	**कैम्पस नियोजन कार्यक्रम फरवरी-मार्च, 2022**
अर्हित सीए की संख्या	14186
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	10197
भाग लेने वाली कंपनियों की कुल संख्या	173
भाग लेने वाले संगठनों द्वारा तैयार किए गए साक्षात्कार लेने वाले दलों की संख्या	504
भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्थापित नौकरियों की संख्या	7360
भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	5538
प्रस्थापित अधिकतम वेतन (कंपनी को कुल लागत)	घरेलू नौकरी के लिए डच सीआईबी केंद्र द्वारा 30.30 लाख रुपए एलपीए
औसत वेतन	10.57 रुपए एलपीए

9 अप्रैल, 2022 को 12 छोटे केंद्रों (भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, नागपुर, नोएडा, राजकोट, ठाणे और विशाखापत्तनम) पर रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों के लिए एक संयुक्त वर्चुअल अनुकूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 56वां संस्करण – अगस्त-सितंबर, 2022

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 56वें संस्करण में ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने मई, 2022 में आयोजित परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और ऐसे अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया, जिन्होंने तुरंत पूर्ववर्ती परीक्षा में बैठकर फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी, किंतु उन्होंने उस समय कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के लिए स्वयं को रजिस्टर नहीं किया था। 27 केंद्रों (9 प्रमुख और 18 छोटे) पर साक्षात्कारों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 6 नए छोटे केंद्रों को भी जोड़ा गया (भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची और वदोदरा) सभी 9 बड़े केंद्रों पर, पूर्ववर्ती व्यवहार, जिसमें 5 बड़े केंद्रों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, बंगलूरु, चेन्नई और कलकत्ता को प्रमुख दिवस स्लॉट दिए जाते थे, को समाप्त करके प्रमुख स्लॉट आबंटित किए गए। न्यूनतम सीटीसी सीमा को छह लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर सभी विद्यमान 21 केंद्रों के लिए 9 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया था। 6 नए केंद्रों के लिए न्यूनतम सीटीसी को 7.2 लाख रुपए प्रतिवर्ष रखा गया था।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के 56वें संस्करण के संक्षिप्त सांख्यिकी ब्यौर निम्नानुसार हैं :--

कैम्पस नियोजन कार्यक्रम	**कैम्पस नियोजन कार्यक्रम फरवरी-मार्च, 2022**
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	10253
भाग लेने वाले संगठनों की कुल संख्या	135
घोषित कुल रिक्तियां	9 बड़े केंद्रों पर 8595

	18 छोटे केंद्रों पर 3033
सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की कुल संख्या	9 बड़े केंद्रों पर 10150 18 छोटे केंद्रों पर 6033
भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्थापित नौकरियों की संख्या	5194
भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	3521
घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम वेतन	डी.ई. शॉ इंडिया प्रा. लिमिटेड - 31.50 लाख रुपए प्रति वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए अधिकतम वेतन	स्विस सिंगापुर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - 41 लाख रुपए प्रति वर्ष
औसत वेतन	12.48 लाख रुपए प्रतिवर्ष

अगस्त से 9 अगस्त, 2022 के दौरान 9 बड़े केंद्रों में अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और 22 से 27 अगस्त, 2022 के दौरान 9 बड़े केंद्रों में वर्चुअल पद्धति से मोक साक्षात्कार का आयोजन किया गया था।

(I) अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एक विशेष रूप से तैयार किए गए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का प्रस्ताव करती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां वे प्रमुख संगठनों में अपने कैरियर में उत्थान को सुनिश्चित कर सके और साथ ही संगठनों को भी यह एक ऐसा उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जहां वे सर्वोत्तम वित्त और लेखा वृत्तिकों की भर्ती कर सकते हैं। यह अभियान विद्यमान कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का एक विस्तारित आयाम है, जिसे सीएमआईएंडबी द्वारा वर्ष में दो बार नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। जून, 2022 में आयोजित इस कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं :

कैरियर उत्थान कार्यक्रम	2022
संगठनों की संख्या	98
रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की संख्या	2241
प्रस्थापित रिक्तियों की संख्या	4654

(II) महिला सीए के लिए पहला नियोजन कार्यक्रम

आईसीएआई प्रभावी रूप से अपनी महिला सदस्यों की सक्षमताओं को विकसित करने के लिए अनेक उपाय कर रहा है, जिससे उनके वृत्तिक ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। महिला सदस्यों को सशक्त करने की भावना से आईसीएआई महिला सदस्य विनिर्दिष्ट पहलों को अपनी कार्यसूची में सर्वोपरि रखता है। सीएमआईएंडबी ने आईसीएआई की इस कार्यसूची को समर्थन प्रदान करने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) के साथ संयुक्त रूप से महिला सीए के लिए पहले नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) के साथ संयुक्त रूप से महिला सीए के लिए पहले नियोजन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन 31 अक्तूबर और 1 नवबंर, 2022 को वर्चुअल पद्धति से 9 बड़े और 12 छोटे केंद्रों पर किया गया। भर्ती करने वाले संगठनों और अभ्यर्थियों को नमनीय समय, अंशकालिक समय और घर से कार्य करने के विकल्प प्रदान किए गए थे। इस कार्यक्रम के संक्षिप्त सांख्यिकीय ब्यौरे निम्नानुसार है :

कुल रजिस्ट्रीकृत सदस्य	1613
संगठनों की कुल संख्या	81
साक्षात्कार दलों की कुल संख्या	133
घोषित रिक्तियां	1179

सूचीबद्ध अभ्यर्थी	1376
सहमति देने वाले अभ्यर्थी	1039
ऐसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या, जिन्हें अद्वितीय प्रस्ताव किए गए	97
प्रस्ताव स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	50

(III) विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

31 अक्तूबर, 2022 को दुबई और आबू धाबी में विदेशी एचआर बैठक

सीएमआईएंडबी ने सीडीआईटीएस एंड डब्ल्यूटीओ के साथ संयुक्त रूप से 31 अक्तूबर, 2022 को दुबई और आबू धाबी में एक विदेशी एचआर बैठक का आयोजन किया, जो कि जनवरी-फरवरी, 2023 में भौतिक-सह-वर्चुअल पद्धति से आयोजित किए जाने वाले विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम की एक पूर्व घटना थी । इस कार्यक्रम का समर्थन यूएई में स्थित चार चैप्टरों, अर्थात् दुबई, आबू धाबी, फुजायराह और रास अल खैमा द्वारा किया गया । सीएमआईएंडबी ने जनवरी-फरवरी, 2023 में विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा के विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से किया । इस कार्यक्रम के लिए कुल 2579 सदस्यों ने रजिस्ट्रीकरण कराया था, जिसमें से 222 रजिस्ट्रीकरण आबू धाबी में और 2357 दुबई में कराए गए थे । 36 संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्होंने सदस्यों को कुल 150 नौकरियों हेतु प्रस्ताव किया । ये संगठन मुख्यत: मध्य-पूर्व में अवस्थित हैं ।

(IV) उद्योग और कारबार में सीए उपलब्धिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए वार्षिक पुरस्कार

आईसीएआई ने अपने ऐसे सदस्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए, जिन्होंने सीए वृत्तिक के रूप में ऊंचाई छूने के लिए उत्कृष्टता और एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता को उपदर्शित किया है, वर्ष 2007 में ही आईसीएआई पुरस्कारों को आरंभ किया था । ये पुरस्कार ऐसे व्यष्टियों को सम्मानित करने के लिए आरंभ किए गए थे, जिनके पास उत्कृष्ट कौशल, समर्पण की भावना, उत्साह, नेतृत्व वाले गुण तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का सामर्थ्य है और जिनके ऐसे गुणों को पाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं । इस वर्ष पुरस्कारों की प्रक्रिया 28 सितंबर, 2022 से प्रारंभ हुई जब 9 प्रमुख प्रवर्गों के अधीन नामांकनों की प्रक्रिया को आरंभ किया गया । उपरोक्त प्रवर्गों के लिए आनलाइन रूप से 178 नामांकन प्राप्त हुए और ज्यूरी पुरस्कार प्रवर्गों, अर्थात् लोक सेवा में सीए और सीए हाल ऑफ फेम के लिए तीन नामांकन आफलाइन रूप से प्राप्त हुए । 178 नामांकनों में से 132 नामांकनों को पात्र पाया गया और उन्हें नामांकन समिति के समक्ष रखा गया, जो नीचे उल्लिखित सदस्यों से मिलकर बनी है और जिसकी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 20 दिसंबर, 2022 को किया गया, जिसमें से उन्होंने ज्यूरी के समक्ष रखे जाने हेतु विभिन्न प्रवर्गों के अधीन 47 नामों को सूचीबद्ध किया ।

ज्यूरी की बैठक का आयोजन 28 दिसंबर, 2022 को मुंबई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री दिलीप सांघवी ने की और ज्यूरी ने पुरस्कारों के विभिन्न प्रवर्गों के अधीन 20 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया । लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2023 के साथ 16वें आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन 10 जनवरी, 2023 को ताज बंगाल, कोलकाता में किया गया । श्री सी.वी. आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे । लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन सीए वृत्ति से सुसंगत अनिवार्य विषयों के संबंध में किया गया था, जिसमें उद्योग विशेषज्ञों, विचारकों, उद्यमियों और वृत्तिकों ने भाग लिया । "संवहनीयता और स्केलेबिलिटी", "डिजिटल रूपांतरण" और "वित्त का भविष्य" विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में विभिन्न प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया ।

(V) वर्ष के दौरान सीएमआईएंडबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम और अन्य आयोजन

"चार्टर्ड अकाउंटेंट्स – द ग्रोथ गियर्स" शीर्ष वाली टॉक शो श्रृंखला के दूसरे सीजन का निर्माण और टीवी चैनल पर टेलीकास्ट

सीएमआईएंडबी ने जी बिजनेस टीवी के लिए एक टॉक शो, "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स – द ग्रोथ गियर्स" का निर्माण किया और उसे उक्त चैनल पर प्रसारित किया गया । इस टॉक शो के प्रत्येक ऐपिसोड में एक विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाया गया, जो उत्तम बुद्धिमता वाला है और जो एक विख्यात व्यक्तित्व का स्वामी है और उसने अपने जीवन में अपने परिश्रम और समर्पण से महान उपलब्धियां हासिल की हैं और जिसकी जीवन यात्रा में अनेक मील के पत्थर रहे हैं तथा जिसने वृत्तिक उपलब्धियों के एक नए स्तर को छुआ है । ऐसे टॉक शो के माध्यम से वृत्ति के सकारात्मक पहलूओं को दर्शाने का अवसर प्राप्त होता है और साथ ही वह सदस्यों को और अधिक ऊंचाई तक जाने के लिए प्रेरित करता है । इस शो से अनेक नए वृत्तिकों ने प्रेरणा प्राप्त की । इस शो का प्रसारण जी बिजनेस टीवी पर रविवार को प्रात: 11.26 पर किया जाता था ।

सीजन 2

एपिसोड	प्रसारण की तारीख	सीए प्रमुख की विशेषता
1ला	14 अगस्त, 2022	सीए. केकी एम मिस्त्री, उपाध्यक्ष और सीईओ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन
2रा	28 अगस्त 2022	सीए. नीलेश शाह, एमडी और सीईओ, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड।
3रा	11 सितंबर, 2022	सीए. तजेंदर लूथरा, आईपीएस, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुख, भारत सरकार
4था	25 सितंबर, 2022	सीए. विभा पडलकर, एमडी और सीईओ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
5वां	9 अक्टूबर, 2022	सीए. ज़रीन दारूवाला, सीईओ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - इंडिया
6ठा	23 अक्टूबर, 2022	सीए. रंजन कुमार शर्मा, आईपीएस, डीआईजी, सीआईडी, पुणे
7वां	13 नवंबर, 2022	सीए. दीपक केडिया, आईपीएस, महानिरीक्षक (आईजी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), गृह मंत्रालय
8वां	27 नवंबर, 2022	सीए. शेखर भंडारी, अध्यक्ष - ग्लोबल ट्रांजेक्शन बैंकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।
9वां	11 दिसंबर, 2022	सीए. अनुज दयाल माथुर, एमडी और सीईओ, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
10वां	25 दिसंबर, 2022	सीए. जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, एमडी, द मुथूट ग्रुप ऑफ कंपनीज
11वां	15 जनवरी 2023	सीए. सुभाष चंद अग्रवाल, सीएमडी, एसएमसी ग्रुप
12वां	29 जनवरी 2023	सीए. संजीव मेहता एमडी और सीईओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड।

(VI) सीए फाइनल रैंकधारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी ने मई, 2022 की परीक्षाओं के रैंक धारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम के सातवें बैच का आयोजन किया ताकि उनके प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशलों में अभिवृद्धि की जा सके और उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाया जा सके। इस बैच का आयोजन आईआईएम लखनऊ के सहयोग से भौतिक पद्धति के माध्यम से 3 से 13 अगस्त, 2022 के दौरान किया गया तथा नवंबर, 2022 परीक्षा के रैंकधारकों के लिए आठवें बैच का आयोजन 30 जनवरी, 2023 से 9 फरवरी, 2023 के दौरान भौतिक पद्धति के माध्यम आईआईएम, रायपुर, छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया।

(VII) नए अर्हित व्यक्तियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी ने नए अर्हित व्यक्तियों के लिए ईडीपी का आयोजन करने संबंधी एक नई पहल को आरंभ किया है क्योंकि अभी तक एमडीपी का आयोजन केवल रैंकधारकों के लिए किया जा रहा था। गैर-रैंकधारकों के लिए इस प्रकार का कोई कार्यक्रम विद्यमान नहीं था और उनके लिए भी यह आवश्यक था कि वे अपने कौशलों को समुन्नत करें ताकि वे स्वयं को नौकरी हेतु बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकें। हमने पिछले वर्ष सफलतापूर्वक 10 बैचों का आयोजन किया। इस वर्ष समिति ने जुलाई, 2021 की सीए फाइनल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 11वें बैच का आयोजन किया है। यह एक 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक दिन 2 घंटे के सत्रों का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन 17 से 23 अप्रैल, 2021 के दौरान किया गया।

(VIII) मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी ने मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए, विभिन्न प्रबंधकीय और नेतृत्व क्षमताओं के निबंधनानुसार विशेषीकृत रूप से सीए के लिए तैयार किए गए प्रबंध विकास कार्यक्रम को आरंभ करने की एक पहल की है। यह कार्यक्रम सदस्यों की कारबार संबंधी सकल समझ में वृद्धि करेगा और साथ ही उन्हें सुदृढ़ तकनीकी प्रवीणता उपलब्ध कराएगा और

अपने संगठन में उच्चतम हैसियत तक पहुंचने के लिए उनकी सक्षमता को समुन्नत करने में उनकी सहायता करेगा। समिति ने पिछले वर्ष 2 बैचों का संचालन किया था और इस वर्ष आईआईएम जम्मू के श्रीनगर परिसर में 7 से 9 दिसंबर, 2021 के दौरान एक तीन दिवसीय आवासीय प्रबंध विकास कार्यक्रम के रूप में इसके तीसरे बैच का आयोजन किया गया।

(IX) सीएफओ के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकें

क्रम सं.	सीएफओ बैठक	तारीख एवं स्थान	विषय	मुख्य अतिथि
1	सीएफओ की वर्चुअल परस्पर क्रियाशील बैठक (2 संरचित सीपीई घंटे)	11 जून, 2022 (प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक)	जॉब 2.0 मेटा ईरा में रीबूट हो रहा है	--
2	सीएफओ की एक परस्पर क्रियाशील बैठक	26 अगस्त, 2022 को होटल रेडिसन ब्लू, रांची, झारखंड में	--	झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और श्रीमती वंदना डाडेल, आईएएस, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार और श्री जितेंद्र कुमार सिंह, आईएएस, निदेशक, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार सम्मानित अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
3	सीएमआईएंडबी, साफा और डब्ल्यूबीआईडीसी द्वारा सीएफओ की संयुक्त बैठक	14 अक्टूबर 2022 आईटीसी रॉयल बंगाल, कोलकाता में	एस^3: संवहनीयता, स्केलेबिलिटी और रणनीति	पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम तथा सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री माननीय डॉ. शशि पांजा ने उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
4	सीएफओ की परस्पर क्रियाशील बैठक	21 अक्टूबर, 2022, होटल ली-मेरिडियन, दिल्ली में	--	सीए. एम.पी. मेहरोत्रा, वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के सीएमडी।
5	सीएफओ की परस्पर क्रियाशील बैठक	4 नवंबर, 2022 होटल ताज स्काईलाइन, अहमदाबाद में	--	आईसीएआई के तत्कालीन उपाध्यक्ष और तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमआईएंडबी के साथ, केंद्रीय परिषद सदस्य, आईसीएआई, तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीएमआईएंडबी, आईसीएआई, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई की अहमदाबाद शाखा और तत्कालीन सचिव, आईसीएआई की अहमदाबाद

				शाखा ।
6	सीएफओ बैठक	19 नवंबर 2022, सायं 4:00 बजे से, काउंसिल हॉल, आईसीएआई, बीकेसी, मुंबई में	सीएफओ से सीईओ तक संपरिवर्तन संक्रमण	पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और सदस्य, पीएआईबी, आईएफएसी, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमआईएंडबी, आईसीएआई के साथ ।
7	सीएफओ बैठक	24 नवंबर 2022, होटल ली-मेरिडियन, गुरुग्राम में	एस^3: संवहनीयता, स्केलेबिलिटी और रणनीति	तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीएमआईएंडबी, आईसीएआई और तीन केंद्रीय परिषद सदस्य, आईसीएआई
8	सीएफओ बैठक	23 नवंबर 2022 को होटल फॉर्च्यून इन, नोएडा में	एस^3: संवहनीयता, स्केलेबिलिटी और रणनीति	तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीएमआईएंडबी आईसीएआई, तीन केंद्रीय परिषद सदस्य, आईसीएआई, तत्कालीन अध्यक्ष, गुरुग्राम शाखा, आईसीएआई की एनआईआरसी और तत्कालीन सचिव, गुरुग्राम शाखा, आईसीएआई की एनआईआरसी ।
9	सीएफओ बैठक	8 दिसंबर, 2022, होटल प्राइड, नागपुर में	^3: संवहनीयता, स्केलेबिलिटी और रणनीति	तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई, पूर्व अध्यक्ष आईसीएआई के साथ, तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमआईएंडबी, आईसीएआई, तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीएमआईएंडबी, आईसीएआई, तत्कालीन अध्यक्ष, नागपुर शाखा, आईसीएआई की डब्लूआईआरसी, तत्कालीन उपाध्यक्ष, नागपुर शाखा, आईसीएआई की डब्लूआईआरसी और तत्कालीन सचिव, नागपुर शाखा, आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी ।
10	सीएफओ बैठक	23 दिसंबर, 2022 एम के होटल, अमृतसर में	एस^3: संवहनीयता, स्केलेबिलिटी और रणनीति	--
11	सीएफओ बैठक	6 जनवरी, 2023 को जे डब्ल्यू मैरियट	एस^3: संवहनीयता, स्केलेबिलिटी और	सीए. संजय टंडन, सीएमडी, कंपीटेंट समूह, तत्कालीन

		होटल, चंडीगढ़ में	रणनीति	उपाध्यक्ष, सीएमआईएंडबी, आईसीएआई, तत्कालीन अध्यक्ष, चंडीगढ़ शाखा, आईसीएआई की एनआईआरसी, तत्कालीन उपाध्यक्ष, चंडीगढ़ शाखा, आईसीएआई की एनआईआरसी और तत्कालीन कोषाध्यक्ष, चंडीगढ़ शाखा, आईसीएआई की एनआईआरसी

(X) अन्य कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	विषय	तारीख और जगह
1	बैठक	भारतीय उद्योगों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव	4 जुलाई, 2022 को कोलकाता में
2	वेबीनार	सेवारत सदस्यों के लिए एनओसीएलएआर और आचार संहिता के अन्य लागू उपबंध	30 जुलाई, 2022
3	सभा	उद्योग में लगे सदस्यों की सभा	24 सितंबर, 2022 को इंदौर में
4	संगोष्ठी	उद्योग में लगे सदस्यों की एक दिवसीय संगोष्ठी	24 दिसंबर, 2022 को जामनगर में
5	प्रतियोगिता	उद्योग और व्यापार में सदस्यों के लिए "आइडिया@75" थीम के अधीन त्रिस्तरीय प्रतियोगिता	--

(XI) आईसीएआई और स्कोप, स्कोप सभागार, नई दिल्ली में 14 जुलाई, 2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

14 जुलाई, 2022 को स्कोप सभागार, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

(XII) विभिन्न राज्यों के उद्योगों के कार्यपालन संबंधी अध्ययन रिपोर्ट

सीएमआईएंडबी ने विख्यात संस्थाओं, अर्थात् सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, कोलकाता, प्रबंध विकास संस्थान, गुरुग्राम, आईआईएम, लखनऊ और लोयोला कारबार प्रशासन संस्थान, तमिलनाडु के साथ विभिन्न राज्यों में उद्योगों के कार्यपालन के संबंध में अध्ययन करने के लिए सहयोग किया है । इस संबंध में, अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों के साथ पश्चिमी बंगाल के उद्योगों पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए 19 दिसंबर, 2022 को वर्चुअल परिचर्चा का आयोजन किया गया और साथ ही हरियाणा के उद्योगों के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए 26 दिसंबर, 2022 को वर्चुअल परिचर्चा का आयोजन किया गया ।

(XIII) 40 वर्ष से कम आयु के 40 सीए कारबार नेताओं को – "40 अंडर 40 – सीए कारबार नेता" शीर्षक वाले आयोजन के अधीन मान्यता प्रदान करना

सदस्यों के बीच युवा उत्कृष्ट कार्यपालन करने वाले सीए के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों की पूर्व संध्या पर सीएमआईएंडबी ने सीएनबीसी–टीवी 18 के सहयोग से "40 अंडर 40 – सीए कारबार नेता" शीर्षक वाले कार्यक्रम को आयोजित करने का विनिश्चय किया । इन पुरस्कारों के माध्यम से सीएमआईएंडबी ने 40 वर्ष से कम आयु के युवा और क्रियाशील चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उद्योग से उद्यमशीलता से लोक सेवा तक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित उत्कृष्टता की भावना का उत्सव मनाया । 16 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित "40 अंडर 40 – सीए कारबार नेता" कार्यक्रम में 40 सीए को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

6.16 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)

वर्ष 2002 में स्थापित पियर पुनर्विलोकन बोर्ड अपनी स्थापना के समय से ही निरंतर सदस्यों को, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है । पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय

(क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां भली-भांति सुस्थापित हैं। किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकक के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है।

बोर्ड के प्रयास की विनियामकों द्वारा मान्यता संबंधी अपेक्षाओं का नीचे कथन किया गया है :-

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यधीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी सीए फर्मों/एलएलपी को पैनलबद्ध करने की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और 139(7) के अधीन संपरीक्षकों की नियुक्ति और संबद्ध अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कानूनी निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा अनुसरित की जाने वाली नीति को पुनरीक्षित किया है। ऐसी फर्मों को अधिकतम 25 अंक आबंटित किए गए हैं, जिनके पास पैनलबद्ध किए जाने के लिए आवेदन करने की तारीख को एक विधिमान्य पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र मौजूद है।

(I) व्यवसायरत यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन :

बोर्ड पियर पुनर्विलोकन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने और साथ ही अधिकाधिक व्यवसायरत यूनिटों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। पिछले 21 वर्षों के दौरान सृजित की गई जागरुकता के स्तर के कारण हमारे सदस्यों द्वारा प्रदान की जा रही अधिप्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता में सकल सुधार हुआ है। पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 30 जून, 2023 तक 15255 मामलों पर विचार किया है और पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

(II) पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के चरण 2 का आस्थगन

व्यवसाय इकाईयों के लिए पूर्व में पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के दूसरे चरण को 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया जाना था, जिसके अधीन वे 500 करोड़ से अन्यून समादत्त पूंजी वाली असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों या 1000 करोड़ से अन्यून वार्षिक आवर्त कंपनियों या ऐसी कंपनियों, जिनके बकाया ऋण, डिबेंचर और निक्षेप पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व वाले 31 मार्च को 500 करोड़ रुपए से कम नहीं थे या अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवसायी यूनिटें, जिनके 5 या अधिक सदस्य हैं, की कानूनी संपरीक्षा करने का प्रस्ताव कर सकती थी। इस बात को विचार में लेते हुए कि कुछ व्यवसायी इकाईयां, जिनके द्वारा पियर पुनर्विलोकन आज्ञा के दूसरे चरण के अधीन अपना पियर पुनर्विलोकन कराया जाना अपेक्षित है, तैयार नहीं थी इसलिए परिषद् ने आज्ञा के दूसरे चरण को लागू करने की तारीख को तीन मास के लिए आस्थगित करके उसे 1 जुलाई, 2023 से लागू बनाया है। तथापि, चूंकि आज्ञा के दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाली अधिकांश फर्मों का अभी तक पियर पुनर्विलोकन नहीं हो सका था इसलिए परिषद् ने आगे और यह विनिश्चय किया है कि इस आज्ञा को अब 31 मार्च, 2024 से लागू किया जाए।

(III) पियर पुनर्विलोककों का प्रशिक्षण और उन्हें पैनलबद्ध करना

•पियर पुनर्विलोककों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड सदस्यों को पियर पुनर्विलोककों के रूप में पैनलबद्ध करने हेतु सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। ये प्रशिक्षण सत्र सदस्यों को पियर पुनर्विलोकन का संचालन करने की पद्धति के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के दौरान बोर्ड ने भौतिक रूप से 67 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वर्चुअल पद्धति से ऐसे 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

•पियर पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा

बोर्ड के ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और जो पियर पुनर्विलोकक बनने हेतु पात्र हैं, पियर पुनर्विलोककों के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए प्रत्येक मास आनलाइन परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। फाइनल निर्धारण परीक्षाओं का आयोजन एक शुक्रवार को छोड़कर प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्ववर्ती शुक्रवार को प्रत्येक फाइनल परीक्षा के लिए मोक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं का आयोजन प्रत्येक शुक्रवार को दो बार किया जाता है – एक प्रात: और दूसरी दोपहर में। तदनुसार, एक वर्ष

में 52 फाइनल और 52 मोक परीक्षाएं आयोजित करने के लक्ष्य को चुना जाता है । बोर्ड द्वारा आयोजित इन आनलाइन परीक्षाओं को अभी तक कुल 2679 सदस्यों ने उत्तीर्ण किया है ।

6.17 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)

वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हमारे संस्थान के सदस्यों के कौशल सेटों की विद्यमान और नए क्षेत्रों के अनुरूप अभिवृद्धि करना है । पीडीसी ने 18 अप्रैल, 2023 को अपनी 250वीं बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सदस्यों के लिए बैंककारी, वित्तीय सेवाओं, बीमा आदि के क्षेत्रों में नए अवसरों का सृजन करने के संबंध में परिचर्चा की गई थी । यह भी परिकल्पना की गई थी कि संस्थान की अन्य गैर-स्थायी समितियों के सहयोग से संयुक्त रूप से व्यवसाय के विद्यमान और पारंपरिक क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाए । इसके अतिरिक्त, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमता मुख्य रूप से कार्यकरण परिस्थितियों को तेजी से बदल रही है, यह महसूस किया गया था कि अब वह समय आ गया है जब प्रक्रिया संपरीक्षा से कार्यपालन संपरीक्षा तक के गैर-वित्तीय संपरीक्षा के क्षेत्रों का और अन्य बातों के साथ, नीतियों या स्कीमों की प्रभाविकता का मापमान करने हेतु जांच और संतुलनों का मापमान करने के तंत्र का दोहन किया जाए ।

(I) विभिन्न विनियामकों और अन्य बाहरी निकायों के साथ बैठकें :

पीडीसी वृत्तिक अवसरों के लिए अनछुए क्षेत्रों का पता लगाने के अपने प्रयासों में सरकार, विनियामक प्राधिकरणों आदि के साथ परस्पर क्रिया करता है और उनसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का लाभ उठाने का अनुरोध करता है ।

- **माननीय सीवीसी के साथ बैठक -** 8 अप्रैल, 2022 को माननीय सीवीसी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई ने समुचित दिशानिर्देशों को जारी किए जाने संबंधी एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिससे निविदाओं में वृत्तिक समनुदेशनों की न्यूनतम फीस को उल्लिखित किया जा सके और साथ ही न्यूनतम लागत पद्धति की बजाए क्वालिटी और लागत आधारित चयन की पद्धति का उपयोग करते हुए कानूनी संपरीक्षा सेवाएं समनुदेशित की जा सकें । इसके साथ ही आईसीएआई ने बैठक के दौरान मंत्रालय को सभी राज्यों में सहकारिताओं के लिए एकसमान ढांचा तैयार करने में समर्थन किए जाने संबंधी करार भी किया था । इसके पश्चात्, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने परामर्शी और अन्य सेवाओं के उपापन के लिए एक मैनुअल (जून, 2022 तक अद्यतन) जारी किया है, जिसमें उन्होंने उसके पैरा 3.8, जिसका शीर्षक "कीमत आधारित प्रणाली – न्यूनतम लागत चयन (एलसीएस)" है, के अधीन मानक या रुटीन समनुदेशनों के वर्णन से "संपरीक्षा" पद को हटा दिया है । इस प्रकार, न्यूनतम लागत चयन, अर्थात् एल 1 को अब संपरीक्षकों के नियोजन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता ।
- **श्री ज्ञानेश कुमार, आईएएस, सचिव, सहकारिता मंत्रालय के साथ बैठक -** 17 मई, 2022 को श्री ज्ञानेश कुमार, आईएएस, सचिव, सहकारिता मंत्रालय के साथ एक बैठक की गई थी । बैठक के दौरान आईसीएआई ने मंत्रालय के लिए एक अद्यतन लेखांकन और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने और साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया था ।
- **सुश्री किम गुइटे, महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के साथ 1 अगस्त, 2022 को बैठक -** सुश्री किम गुइटे, महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई और श्री सुभेन्दु भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के साथ 1 अगस्त, 2022 को बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों में कानूनी शाखा संपरीक्षकों के पात्रता संनियमों, पात्रता संबंधी संनियमों में यथा उल्लिखित 'फर्म की ख्याति' पद की परिभाषा, अन्य बातों के साथ, कानूनी संपरीक्षकों को पैनलबद्ध करने और उनकी नियुक्ति करने से संबंधित विषयों पर परिचर्चा की गई थी ।
- **नाबार्ड, पश्चिमी बंगाल के साथ बैठक –** नाबार्ड, पश्चिमी बंगाल के साथ 25 अगस्त, 2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नाबार्ड, पश्चिमी बंगाल ने आईसीएआई से आरओसी अनुपालन, संपरीक्षा, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के सामने आने वाले अन्य मुद्दों के संबंध में अंत:निवेश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था और साथ ही नाबार्ड ने उत्पादक कंपनी अधिनियम के अधीन सुसंगत अनुपालनों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने हेतु सहायता की ईप्सा भी की थी और साथ ही अन्य विषयों तथा समय पर की जाने वाली प्रस्तुतियों, लेखांकन संबंधी एफपीओ कार्मिकों का प्रशिक्षण, लेखा बहियां तैयार करने, निधि प्रबंध तकनीकों/प्रक्रियाओं ; प्रणाली जनित (स्वत: जनित) चालानों या लेखांकन, क्रय, स्टॉक,

विक्रय आदि संबंधी रिपोर्टों के लिए समुचित साफ्टवेयर ऐप्लिकेशन का विकास और व्यवस्था किए जाने के संबंध में भी सहायता की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार से क्रेडिट समर्थन/सहायता के लिए किसी कारबार क्रियाकलाप हेतु कारबार योजना तैयार करने और सीए द्वारा फाइल की जाने वाली भिन्न-भिन्न विवरणियों के लिए आधारिक प्रभारों को समझने के लिए भी सहायता की ईप्सा की गई थी।

- **सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा आयोजित "केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा बोर्ड" की बैठक -** सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा 6 सितंबर, 2022 को आयोजित "केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा बोर्ड" की बैठक में आईसीएआई ने सीएंडएजी के कार्यालय को पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए नए वृत्तिकों को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी संनियमों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

- **नाबार्ड, मुंबई के साथ पीएसीएस के लिए सामान्य लेखांकन प्रणाली के संबंध में बैठक –** 19 सितंबर, 2022 को नाबार्ड, मुंबई और आईसीएआई के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नाबार्ड, मुंबई ने देश में विद्यमान सभी सहकारिताओं के लिए एक ऐसी सामान्य लेखांकन प्रणाली के संबंध में आईसीएआई से अंत:निवेश उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया था, जिसे राष्ट्रीय पीएसीएस साफ्टवेयर में अंगीकृत और सम्मिलित किया जा सके ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि साफ्टवेयर ऐसी उपयुक्त लेखांकन प्रणाली से सज्जित होगा,जो सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करेगी।

- **नीति आयोग और आईसीएआई द्वारा महिला उद्यमियों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए की जाने वाली पहल -** नीति आयोग ने आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से महिला उद्यमियों के लिए सूचना के असमान प्रसार की समस्या का समाधान करने और एक उत्तम उद्यम संबंधी वातावरण का सृजन करने के लिए एक पहल की है। 24 जनवरी, 2023 को आईसीएआई और नीति आयोग के बीच एक बैठक (डब्ल्यूईपी) का आयोजन किया गया, जिसमें पद्धतियों और परिदेयों के संबंध में चर्चा की गई और इस संबंध में परस्पर रूप से आगे कार्यवाही की जा रही है और तदनुसार आईसीएआई और नीति आयोग के बीच एक एसओआई पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

- **28 फरवरी, 2023 को मुंबई में श्री टी.के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के साथ बैठक -** 28 फरवरी, 2023 को मुंबई में श्री टी.के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण आईएस संपरीक्षा वृत्तिकों (चाहे वे सदस्यों हों या गैर-सदस्य) के लिए एक पृथक् शासी निकाय को विकसित करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में आईसीएआई ने आईएस संपरीक्षाओं की रिपोर्टिंग में गैर-मानकीकरण, आईएस संपरीक्षा करने के लिए अत्यधिक निम्न फीस संरचना जैसे मुद्दों को उठाया।

- **20 जून, 2023 को श्री आर.जी. विश्वनाथन, उप सीएंडएजी तथा सुश्री कविता प्रसाद, महानिदेशक के साथ बैठक का आयोजन -** 20 जून, 2023 को श्री आर.जी. विश्वनाथन, उप सीएंडएजी तथा सुश्री कविता प्रसाद, महानिदेशक के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें सीएंडएजी की पैनलीकरण प्रक्रिया में यूडीआईएन डाटा का मिलान न होने से संबंधित एक मुद्दे के संबंध में जानकारी दी गई। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि पीडीसी ऐसे कृत्यकरण को विकसित करेगी, जिसमें आवेदकों को एकल समाधान विंडों उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें 1.4.2020 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान जनित यूडीआईएन से संबंधित जानकारी को सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा पहले से उदघोषित विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अधीन उपांतरित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

- **28 जून, 2022 को आरबीआई के साथ गोलमेज बैठक –** आरबीआई और आईसीएआई के बीच एक संरचित आवधिक परस्पर क्रिया का मंगलवार, 28 जून, 2022 को आयोजन किया गया था, जिसमें वृत्तिक संगतता और नीतिगत महत्व के विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा की गई थी। इसके साथ ही भारत और विश्व भर में संपरीक्षाओं और लेखांकन के क्षेत्र में हुई नवीनतम घटनाओं के संबंध में भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई थी।

- **तारीख 27 अप्रैल, 2021 के परिपत्र के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आरबीआई के प्रश्नोतरों पर आईसीएआई के अंत:निवेश –** आईसीएआई ने आरबीआई द्वारा संपरीक्षा बाजार और संबद्ध विनियमित अस्तित्वों (आरई) के संबंध में किए गए अध्ययन, जो आरबीआई के तारीख 27 अप्रैल, 2021 के परिपत्र पर आधारित था और जो कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों (एससीए)/ वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर, के कानूनी संपरीक्षकों (एसए), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों के विषय से संबंधित था, पर अपने अंत:निवेश उपलब्ध कराए। उक्त अध्ययन में आईसीएआई ने कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति, कानूनी संपरीक्षकों की स्वतंत्रता, कानूनी संपरीक्षा क्वालिटी, संयुक्त संपरीक्षा प्रणाली,

संपरीक्षकों का कार्यकाल और चक्रानुक्रम तथा एससीए/एसए द्वारा गैर-संपरीक्षा कार्यों पर निर्बंधन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार उपलब्ध कराए ।

- **राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी)–** वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा 40 से अधिक एसएलसीसी बैठकों का आयोजन किया गया था, जिनमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(II) उपलब्धियां

- **तारीख 24 अप्रैल, 2023 का पुनरीक्षित परिपत्र (पैरा 4) –** आरबीआई ने (i) पब्लिक सेक्टर बैंकों के कानूनी शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देशों ; और (ii) पब्लिक सेक्टर बैंकों की कानूनी शाखा संपरीक्षा के अधीन कारबार समावेशन संबंधी संनियमों के संबंध में एक परिपत्र संदर्भ डीओएस.सीओ.एआरजी/एस8213/08.91.001/2022-23, तारीख 6 मार्च, 2023 को जारी किया था, जिसके संबंध में सदस्यों द्वारा उक्त परिपत्र के पैरा 4 के लागू होने के संबंध में विभिन्न चिंताएं व्यक्त की गई थी । आईसीएआई ने आरबीआई को इनके संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था तथा आरबीआई ने 24 अप्रैल, 2023 को पब्लिक सेक्टर बैंकों को उक्त परिपत्र के पैरा 4 के संबंध में पुनरीक्षित अनुदेश जारी किए थे, जो किसी संपरीक्षा अस्तित्व को किसी अन्य पीएसबी के एसबीए के रूप में अपना त्यागपत्र देने के पश्चात् किसी पीएसबी में एससीए के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने से निवारित नहीं करते हैं ।

- **काफी कम समय सीमा के कारण नियुक्ति पत्र में पुनरीक्षण –** पब्लिक सेक्टर बैंक (बैंक आफ इंडिया) ने एसबीए को नियुक्ति पत्र जारी किया था, जिसके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि अधिमानी रूप से शाखाओं की कानूनी संपरीक्षा 6 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व पूरी की जाए और किसी भी दशा में 8 अप्रैल, 2023 से परे शाखा संपरीक्षा को पूरा करने की अनुमति नहीं है । आईसीएआई ने इस संबंध में बैंक आफ इंडिया को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और तदनुसार, इस संबंध में पुनरीक्षित पत्र जारी किया गया था ।

- **31 मार्च, 2023 को एससीए और सीएफओ को किए गए कार्य की सभी अन्य मदों के लिए फीस नियत करने के संबंध में सलाह जारी की गई –** आरबीआई द्वारा "वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीयकृत बैंकों (एनबी) के कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों (एससीए) और कानूनी शाखा संपरीक्षकों (एसबीए) को संदेय पारिश्रमिक" के संबंध में एक परिपत्र सं. डीओएस.सीओ.एआरजी/एस8056/08.92.001/2022-23, तारीख 1 मार्च, 2023 को जारी किया गया था, जिसका पैरा सं. 2.3 "कानूनी संपरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य की सभी अन्य मदों के लिए फीस" से संबंधित है । उक्त परिपत्र के संबंध में मुद्दा उठाए जाने के पश्चात् तथा परिषद् द्वारा पुनरीक्षित फीसों की सिफारिश जारी किए जाने के पश्चात् एक सलाह तैयार की गई और उसे 31 मार्च, 2023 को कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों और सीएफओ को जारी किया गया । इस सलाह को बैंकों द्वारा उसकी सही भावना के अनुरूप स्वीकार किया गया है ।

- **17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 8-10 जनवरी, 2023, इंदौर, मध्य प्रदेश –** मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर, मध्य प्रदेश में 8 से 12 जनवरी, 2023 के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया, जिसकी शोभा माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाई और जिसमें आईसीएआई ने भी अपनी उपस्थिति को दर्ज किया । इसके अतिरिक्त, आयोजन के दौरान स्थापित किया गया आईसीएआई पैवेलियन अनिवासी भारतीयों, राज्य सरकार के पदधारियों और अन्य प्रदर्शकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना रहा । इसके सौंदर्यबोद्धक डिजाइन के अलावा इसकी इस बात के लिए भी अनुशंसा की गई कि उसे अत्यंत बुद्धिमता से व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की क्रियाशील आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । पैवेलियन ने अपने 3 विशेषज्ञ जोनों, अर्थात् कराधान, एमएसएमई और स्टार्ट अप तथा अनुपालन के साथ अपने अधिकारिता संबंधी विशेषज्ञों के माध्यम से आयोजन के स्थल पर ही अनिवासी भारतीयों की शंकाओं का समाधान उपलब्ध कराया । पैवेलियन में मौजूद विशेषज्ञों ने प्रतिनिधियों की भिन्न-भिन्न शंकाओं का समाधान किया, जो कराधान, लेखांकन, सेक्टर विनिर्दिष्ट निवेश आयामों के विधिक अनुपालनों जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित थी ।

- **वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, 2023, 11-12 जनवरी, 2023, मध्य प्रदेश, इंदौर –** मध्य प्रदेश सरकार ने 11-12 जनवरी, 2023 के दौरान इंदौर में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, 2023 का आयोजन किया, जिसमें 12 जनवरी, 2023 को इंदौर में आईसीएआई ने अपनी वृत्तिक विकास समिति के माध्यम से 'मध्य प्रदेश तक पहुंच (एएमपी) – संपूर्ण कारबार समाधान' विषय पर एक सत्र का आयोजन किया ।

- **बहु प्रयोजन पैनलीकरण प्ररूप (एमईएफ), 2022-23 -** 6 अक्तूबर, 2022 को एमईएफ, 2022-23 को संस्थान की वेबसाइट पर रखा गया, जिसे आनलाइन रूप से प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर, 2022 थी ।

इसके अतिरिक्त, एमईएफ पोर्टल का भी इस वर्ष सुधार किया गया है और क्रम-विकास साइट पुन: डिजाइन (ईएसआर) अवधारणा के साथ इसके संपूर्ण अंत:पृष्ठ को पूर्णतया परिवर्तित किया गया है।

- **रेड फ्लैग की परीक्षा संबंधी कृत्य –** एमईएफ आवेदकों के वित्तीय डाटा की परीक्षा करने तथा रेड फ्लैग (अपवादों) को जनित करने के लिए मानदंड तैयार करने हेतु एक स्वचालित प्रणाली को विकसित किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त हुए एमईएफ आवेदनों की संपरीक्षा विनिर्दिष्ट रेड फ्लैगों के आधार पर की गई थी, जिन्हें विभिन्न पैरामीटरों से जोड़ा गया है।
- **एमईएफ 2022-23 के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) –** एमईएफ को भरे जाने के समय सदस्यों द्वारा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के समाधान को सुकर बनाने के प्रयास के रूप में 50 प्रश्नों को जोड़कर एमईएफ 2022-23 के लिए एफएक्यू को अद्यतन बनाया गया है। कार्यालय द्वारा समय-समय पर प्राप्त भिन्न-भिन्न मामलों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रश्नों को तैयार किया गया है। उन्हें भी सुगम और शीघ्र संदर्भ हेतु एमईएफ पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

➢ **पुनरीक्षित पीडी प्रकाशनों का विमोचन –** पीडीसी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुनरीक्षित प्रकाशनों का विमोचन किया है :

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में त्वरित अंत:दृष्टि (पुनरीक्षित जुलाई, 2022)
- वृत्तिक सेवाओं को प्रदान किया जाना – ऐसी सभी जानकारी, जो आपको ज्ञात होनी चाहिए (पुनरीक्षित 2022)
- एमपी संबंधी पुस्तिका (2023 संस्करण)
- एसएचजी सुविधा प्रदाता के लिए टूल किट (पुनरीक्षित 2023)
- एफसीआरए विधियों संबंधी एनपीओ के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) (पुनरीक्षित 2023)

➢ **विभिन्न प्राधिकारियों को पैनल प्रस्तुत किया जाना –** चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों का पैनल अन्य प्राधिकरणों/ अभिकरणों को उपलब्ध कराया गया है। 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 की अवधि के दौरान प्रस्तुत पैनलों की एक सूची नीचे दी गई है :

क्रम सं.	**पैनल प्रस्तुत करने की तारीख**	**प्राधिकरण/अभिकरण**
1	27 मई, 2022	श्री पबित्रा कुमार दास, प्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, भुवनेश्वर
2	30 जून, 2022	श्री जोगिंदर सिंह (आरईजी-डीआरओ), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	30 जून 2022	उपमहानिरीक्षक (कल्याण), एफएचक्यू बीएसएफ, नई दिल्ली
4	26 अगस्त, 2022	श्री प्रवीण कुमार बोथरा, सहायक महाप्रबंधक (आईएंडए), इंडियन बैंक, चेन्नई
5	7 सितंबर, 2022	श्रीमती निर्मला विंसेंट, सहायक रजिस्ट्रार (आईसी), एनसीएलटी, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
6	9 सितंबर, 2022	श्रीमती निर्मला विंसेंट, सहायक रजिस्ट्रार (आईसी), एनसीएलटी, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
7	9 सितंबर, 2022	श्री वी. शिवकुमार, सहायक महाप्रबंधक, निरीक्षण एवं संपरीक्षा विभाग, तमिलनाडु ग्राम बैंक, प्रधान कार्यालय-सलेम
8	8 दिसंबर 2022	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सुंदरगढ़ डीसीसी बैंक लिमिटेड
9	16 फरवरी, 2023	श्री बी. रामचन्द्रैया, महाप्रबंधक, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा
10	16 फरवरी 2023	डॉ. समीर आर. सामंत्रा, नाबार्ड, ओडिशा प्रादेशिक कार्यालय, भुवनेश्वर
11	21 फरवरी, 2023	श्री. महेंद्र ओझा, उप महाप्रबंधक-लेखा, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मुंबई

12	3 मार्च 2023	सहायक रजिस्ट्रार (मुख्यालय), सहकारी सोसाइटियां, जम्मू-कश्मीर
13	21 मार्च 2023	श्रीमती वसुदा तोरसेकर, उप निदेशक, एफआईयू-इंडिया, नई दिल्ली
14	13 अप्रैल, 2023	श्री एच.आर. पटेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यवेक्षण एवं संपरीक्षा समिति सहकारिता विभाग, गुजरात राज्य, अहमदाबाद
15	2 मई, 2023	डॉ. के.एन. खेर, रजिस्ट्रार, गुजरात टेक्नोलॉजिकल, विश्वविद्यालय, गांधीनगर हाईवे, चांदखेड़ा, अहमदाबाद
16	23 जून 2023	श्री प्रीतम दत्ता, उप सचिव, भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), (राष्ट्रीय कौशल विकास निधि), नई दिल्ली
17	15 जून 2023	सुश्री रजनी अगाड़ी, उप महाप्रबंधक - प्रभाग 2, एसईसी वर्टिकल - निवेश प्रबंधन विभाग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई-400051
18	6 जून, 2023	निदेशक (प्रशासन), द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), 8 गोखले रोड, कोलकाता
19	31 मई, 2023	उप महाप्रबंधक, इंडियन बैंक, चेन्नई
20	26 मई, 2023	पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़

(III) अन्य क्रियाकलाप

- **कार्यक्रम और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

बैंकों के एमडी और सीईओ, ईडी (संपरीक्षा और लेखाओं के प्रभारी), सीएफओ के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकें

समिति ने, 20 दिसंबर, 2022 को, मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों, संपरीक्षा समिति के अध्यक्षों और सदस्यों तथा सीएफओ के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया था । इस कार्यक्रम का उदघाटन इसके मुख्य अतिथि श्री सतीश काशीनाथ मराठे, माननीय निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया । इस बैठक को अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिससे यह साबित हुआ कि आईसीएआई ज्ञान को साझा करने तथा भारत के बैंककारी सेक्टर में महत्वपूर्ण पदों को धारण करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बीच वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में हुए नवीनतम परिवर्तनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इसके अलावा, बैठक से इसके प्रतिभागियों को बैंककारी क्षेत्र में वृत्तिक उत्कृष्टता अभिप्राप्त करने में नई अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हुई ।

- **केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों की बैठक**

14 मार्च, 2023 को मुंबई में मिश्रित पद्धति के माध्यम से बैंकों के कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों के लिए एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से तथा लगभग 50 व्यक्तियों ने वर्चुअल पद्धति से भाग लिया ।

- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/अर्हता-पश्च पाठ्यकर्म**

  - सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – समिति ने 21 मई, 2022 से 18 जून, 2022 की अवधि के दौरान सहकारिताओं संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले आनलाइन बैच का संचालन किया और लगभग 80 प्रतिभागियों ने इस बैच में प्रवेश लिया था । उक्त पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त, 2022 को किया गया था, जिसमें 64 अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से 63 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया ।

  - एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - समिति ने 9 जुलाई, 2022 से 6 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले आनलाइन बैच का संचालन किया और लगभग 60 प्रतिभागियों ने इस बैच में प्रवेश लिया था । उक्त पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर, 2022 को किया गया था । समिति ने 26 नवंबर, 2022 से 24 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे आनलाइन बैच का संचालन किया और लगभग 80 प्रतिभागियों ने इस बैच में प्रवेश लिया था । समिति एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के लिए आनलाइन परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी, 2023 को करेगी ।

- डीआईआरएम पाठ्यक्रम – समिति ने 17 मार्च और 12 मई, 2023 को अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम करने वाले सदस्यों के लिए आनलाइन पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया था । समिति ने ऐसे 19 सदस्यों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए थे, जिन्होंने उक्त आनलाइन पात्रता परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया था । ये सदस्य अब नवंबर, 2023 और उसके पश्चात् आयोजित की जाने वाली तकनीकी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो गए हैं । समिति बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में एक अर्हता-पश्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम का भी प्रशासन करती है । समिति संस्थान के सदस्यों के बीच इस डीआईआरएम पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही है । तारीख 18 मई, 2023 तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए 5496 रजिस्ट्रीकरण हो चुके थे, जिनके क्षेत्रवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

18 मई 2023 तक पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत सदस्य					**योग**
मध्य क्षेत्र	**पूर्वी क्षेत्र**	**उत्तरी क्षेत्र**	**दक्षिणी क्षेत्र**	**पश्चिमी क्षेत्र**	
1177	668	825	1552	1274	5496

5496 रजिस्ट्रीकृत सदस्यों में से 1023 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित कर लिया है, अन्य 95 सदस्यों ने तकनीकी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है किंतु उन्हें अभी अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेना है ।

6.18 लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम)

आईसीएआई ने अपने मिशन और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम) का गठन किया है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग और स्थानीय निकायों सहित भारत सरकार के सभी क्षेत्रों में प्रबंध सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और लोक वित्त संबंधी बेहतर प्रबंध को सुकर बनाने में सहायता करने का अथक प्रयास करती है । स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) को तैयार करने के अलावा, समिति अपना ध्यान मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न टियरों में वित्त से संबंधित पदधारियों की सक्षमता निर्माण पर केंद्रित करती है और इसके लिए समिति विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबीनारों, ई-पठन माड्यूलों आदि का आयोजन । समिति लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी संचालन करती है, जिसमें सरकारी पदधारी भी भाग ले सकते हैं । चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कारपोरेट सेक्टर से परे अपनी वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराके तथा साधारण जनता के लिए कार्य करके अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने संबंधी आईसीएआई की यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपनी भूमिका के प्रति खरा उतरता है ।

(I) निकाले गए प्रकाशन :

- ➢ लोक वित्त और शासकीय लेखांकन में सामान्य रूप से प्रयुक्त पद का पुनरीक्षित संस्करण (1 जुलाई, 2022)
- ➢ 'प्रोदभवन लेखांकन की ओर संपरिवर्तन : शहरी स्थानीय निकायों के लिए मॉडल और पठन' विषय पर आईसीएआई (सीपीएंडजीएफएम) और आईसीएआई एआरएफ द्वारा नीति आयोग के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान अध्ययन (24 जनवरी, 2023)

(II) स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को जारी करना :

- एएसएलबी 40, 'अस्तित्व संयोजन' ।

(III) प्रस्तुत की गई तकनीकी टीका-टिप्पणियां :

- ➢ अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) को निम्नलिखित प्रारूपों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :
  - उदभासन प्रारूप 82, सेवानिवृत्ति फायदे योजनाएं
  - उदभासन प्रारूप 83, 'रिपोर्टिंग संवहनीयता कार्यक्रम जानकारी-आरपीजी 1 और 3 : अतिरिक्त गैर-प्राधिकृत मार्गदर्शन'
  - उदभासन प्रारूप 84, रियायती पट्टे और वस्तु रूप में आस्ति के उपयोग का अधिकार (आईपीएसएएस 43 और आईपीएसएएस 23 का संशोधन)

- पब्लिक सेक्टर संवहनीयता रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने संबंधी परामर्श पत्र ; और
- 'प्राकृतिक संसाधनों' संबंधी परामर्श पत्र

➢ निम्नलिखित जीएएसएबी दस्तावेजों/प्रारूप मानकों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :

- जीएएसएबी की 36वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची
- 'लोक ऋण और सरकार के अन्य दायित्व : प्रकटन अपेक्षाएं' विषय पर प्रारूप आईजीएएस 10
- राजस्व प्राप्तियों की मान्यता : गैर-विनिमय और विनिमय संव्यवहारों से ; और
- प्रारूप 'लोक आस्तियों के विनिवेश संबंधी प्रकटन'
- नीतिगत विकास योजना (एसडीपी) 2023-26

(IV) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

समिति ने जीएसटी के उपबंधों/सीएमडब्ल्यूएसएसबी को लागू लेखांकन मानकों के उपबंधों, प्रत्यक्ष कर उपबंधों, जीएटी संबंधी सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों/ आईसीटी परिस्थितियों में लेखांकन आदि विषयों पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

(V) वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम) :

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अधीन स्थानीय शासकीय कराधान विषयों पर विभिन्न वेबीनारों/वीसीएम का आयोजन किया गया ।

प्रास्थिति और अनुपालन (भाग 1 और 2)

- सरकारी की कल्याण स्कीमों की संपरीक्षा ।
- स्थानीय निकायों में लेखांकन मानकों को लागू किया जाना ।
- सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंध, ई-ग्राम स्वराज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही में अभिवृद्धि करने के लिए डिजीटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग ।
- पंचायतों का लेखांकन और संपरीक्षा ।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर ।
- पीआरआई में लेखांकन और संपरीक्षा ।
- लोक ऋण संबंधी अंतर्दृष्टि ।
- लेखांकन /संपरीक्षा में बेहतर पारदर्शिता किस प्रकार से सरकार की कठोर निर्णय, विशेष रूप से कोविड-19 के पश्चात्, लेने में सहायता कर सकती है ।
- लोक वित्त संबंधी अंतर्दृष्टि ।
- प्रोदभवन लेखांकन में संपरिवर्तन संबंधी अनुसंधान अध्ययन की सिफारिशें ।
- शहरी स्थानीय निकायों के माडल और पठन ।

(VI) स्थानीय निकायों के लिए ई-पठन माड्यूल

समिति ने, आय-कर और माल और सेवाकर के स्थानीय निकायों में लागू होने : प्रास्थिति और अनुपालन अपेक्षाएं तथा किस प्रकार हमारे शहर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, विषयों के संबंध में आईसीएआई टीवी पर ई-व्याख्यानों को प्रस्तुत किया है ।

(VII) लघु वीडियो

समिति ने, निम्नलिखित विषयों पर लघु वीडियो तैयार किए और उन्हें आईसीएआई तथा समिति की वेबसाइट और साथ ही आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर भी रखा :

- लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति के क्रियाकलाप ।

- स्थानीय निकायों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसर ।
- स्थानीय निकायों में लेखांकन मानकों को लागू किया जाना ।
- शासकीय लेखांकन का पर्यावलोकन ।
- आत्मनिर्भर शहरी भारत के लिए नगरपालिक बंधपत्र ।,

(VIII) लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना तथा पाठ्यक्रम सामग्री का पुनरीक्षण –** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में दो नए माड्यूल, अर्थात् लोक वित्त प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सम्मिलित किया गया है ताकि लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में नवीनतम जानकारियों और नव परिवर्तन को पाठ्यक्रम का भाग बनाया जा सके । प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पुनरीक्षित पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को 1 जुलाई, 2022 को 74वें सीए दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया ।
- **सरकारी और स्वायत्त निकायों के पदधारियों के लिए खोला जाना –** विभिन्न सरकारी विभागों के अनुरोध पर इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सरकारी विभागों तथा किसी सरकारी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों के पदधारियों के लिए खोल दिया गया है ।
- **आनलाइन बैच –** रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 7 बैचों का संचालन किया गया ।
- **आनलाइन परीक्षा –** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की 6 आनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया गया ।

(IX) विभिन्न पणधारियों के साथ बैठकों का आयोजन :

क्रम सं.	गणमान्य व्यक्ति का नाम	तारीख
1	श्री विजय कुमार, उप सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और श्री सुबोध गुर्जर, सलाहकार, एमओपीआर	25 अगस्त, 2022
2	श्री आर.एम. जौहरी, अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं एडीएआई (जीएएसएबी)	15 सितंबर, 2022, 13 जनवरी, 2023 और 30 मई, 2023
3	सुश्री ममता वर्मा, संयुक्त सचिव, एमओपीआर	22 सितंबर, 2022
4	श्री मनोज सेठी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय	14 अक्टूबर, 2022
5	श्री नवीन जैन, आईएएस, सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार और श्री देवकी नंदन शर्मा, वित्तीय सलाहकार	15 नवंबर, 2022
6	श्री जोगा राम, आईएएस, सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान	15 नवंबर, 2022
7	श्री कुंजी लाल मीना, आईएएस, प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार	15 नवंबर, 2022
8	श्री. कुन्दन कुमार, आईएएस, सलाहकार, नीति आयोग	16 नवंबर, 2022 और 20 जनवरी, 2023
9	सुश्री डी तारा, अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)	20 मार्च 2023
10	श्री सुबीर मलिक, उप सीएंडएजी (स्थानीय निकाय)	22 मार्च 2023
11	श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और	28 अप्रैल 2023

	शहरी कार्य मंत्रालय	
12	श्री नीरज मंडलोई, आईएएस, प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	1 मई, 2023
13	श्री बक्की कार्तिकियन, आईएएस, उप सचिव एवं निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्य प्रदेश सरकार	1 मई, 2023
14	श्री ई.वी. भास्कर आईआरएस, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के निजी सचिव	8 मई, 2023
15	श्री वी. केज़ो, आयुक्त एवं सचिव, वित्त, भूमि संसाधन, नागालैंड सरकार	23 मई, 2023

(X) सरकार को सहायता –

- समिति ने नि:स्वार्थ आधार पर शासकीय लेखांकन में नकद आधारित अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक (आईपीएसएएस) को अंगीकार करने की सीएंडएजी के कार्यालय की परियोजना के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। इस संबंध में सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे और जिसकी एक बैठक का आयोजन 22 मार्च, 2023 को किया गया।
- समिति सीएंडएजी के कार्यालय को भारत की पंचायतों और नगरपालिक निकायों के लेखांकन और संपरीक्षा में सुधार लाने के लिए भी सहायता उपलब्ध करा रही है।
- राजस्थान की पंचायतों की विद्यमान लेखांकन और संपरीक्षा प्रणाली के अध्ययन संबंधी परियोजना को भी आरंभ किया गया है ताकि राजस्थान की पंचायतों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।

(XI) सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी अंत:निवेश

निम्नलिखित को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे :

- शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) को : शहरी स्थानीय निकायों के पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए, स्थानीय निकायों में प्रोदभवन लेखांकन प्रणाली को कार्यान्वित करने के संबंध में संबद्ध नगरपालिक अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल देने तथा यूएलबी में प्रोदभवन लेखांकन तथा एएसएलबी के कार्यान्वयन के लिए अग्रणी परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अनुरोध भी प्रस्तुत किए गए थे।
- सभी राज्यों के वित्त विभागों को, उन्हें उनके अपने-अपने वित्त विभागों के पदधारियों के कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव देते हुए।

6.19 जन संपर्क समिति (पीआरसी)

जनसंपर्क समिति का उद्देश्य विभिन्न मार्गों और उपायों के माध्यम से, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझा जाए, एक अतिविशिष्ट लेखांकन निकाय और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के लिए एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करना, उसे सुदृढ़ बनाना तथा उसमें अभिवृद्धि करना है। पीआर समिति बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास करती हैं और बेहतर नेटवर्किंग अवसर उपलब्ध कराती है और साथ ही उसका उद्देश्य आईसीएआई की छवि को ऊंचा उठाने हेतु बोद्धात्मक खाई को भरने के लिए अनेक उपाय करना भी है।

महत्वपूर्ण पहलें/उपलब्धियां

(I) चार्टर्ड अकांउटेंट दिवस, 2022

चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 2022 को मुद्रण/इलैक्ट्रानिक और रेडियो मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से विज्ञापित किया गया था :--

- मुद्रण मीडिया : जनसाधारण के बीच जागरुकता का सृजन करने और सीए दिवस का विज्ञापन करने के लिए एक आयोजन पूर्व विज्ञापन तथा 1 जुलाई को एक अन्य विज्ञापन वित्तीय/प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था।

- इलैक्ट्रानिक मीडिया : सीए दिवस को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कारबार/समाचार चैनलों पर उसके प्रोमो का प्रसारण किया गया । जी बिजनेस चैनल सीए दिवस आयोजनों से संबंधित उद्धरणों को रिकार्ड करने के लिए संस्थान से सहबद्ध था और उसके पश्चात् उनका एक आधे घंटे के ऐपिसोड के रूप में चैनल पर प्रसारण किया गया ।
- रेडियो : 29, 30 जून तथा 1 जुलाई को 5 रेडियो चैनलों पर सीए दिवस, 2022 के संबंध में विज्ञापनों का प्रसारण करके सीए दिवस को लोकप्रिय बनाया गया ।
- सदभावना संदेश : आईसीएआई जर्नल के विशेष अंक, अर्थात् जुलाई, 2022 अंक में प्रकाशन हेतु विख्यात व्यक्तियों से सदभावना संदेशों की ईप्सा की गई थी और उन्हें ई-बोर्ड के साथ साझा किया गया था ।
- सोशल मीडिया : सीए दिवस को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी व्यापक रूप से विज्ञापन और प्रचार किया गया ।
- सीए दिवस वीडियो संदेश : संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदेशों को रिकार्ड किया गया तथा उक्त वीडियो क्लिपों को सभी प्रादेशिक समितियों तथा शाखाओं के साथ साझा किया गया और उन्हें यह अनुरोध किया गया कि कि वे उक्त वीडियो को सीए दिवस समारोह के दौरान चलाएं । ये वीडियो आईसीएआई की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे ।

(II) हर घर तिरंगा अभियान – प्रचार

समिति ने "हर घर तिरंगा" अभियान का व्यापक रूप से प्रचार किया क्योंकि यह एक ऐसा उचित अवसर था, जिससे आईसीएआई सरकार के विभिन्न अभियानों के प्रचार-प्रसार के मद्दे अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध कर सकता था । तदनुसार, इस अभियान का संवर्धन करने और उसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

- सभी प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं के साथ एक संसूचना को साझा किया गया, जिसमें उन्हें यह संदेश दिया गया कि वे अभियान का संवर्धन करने के लिए विनिर्दिष्ट/उपयुक्त क्रियाकलाप आरंभ करें ।
- पूरे भारत में 41 प्रकाशनों को सम्मिलित करते हुए डीएवीपी के माध्यम से एक-चौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन किया गया ।
- ईटी-मेट्रो संस्करणों के माध्यम से भी एक-चौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन किया गया ।
- सभी भारतीय सदस्यों को बड़ी संख्या में मेल और एसएमएस भेजे गए ।
- इस पहल का सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया गया ।

(III) एमएसएमई यात्रा – प्रचार और संवर्धन

समिति ने विभिन्न माध्यमों से एमएसएमई यात्रा का प्रचार-प्रसार किया । तदनुसार, एमएसएमई यात्रा के आरंभ की तारीख, अर्थात् 18 अगस्त, 2022 को एकचौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन- किया गया । उसके पश्चात् जब कभी एमएसएमई यात्रा एक नए राज्य में प्रविष्ट हुई तो डीएवीपी के माध्यम से विज्ञापन का प्रकाशन किया गया । इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में रेडियो के माध्यम से भी एमएसएमई यात्रा का प्रचार-प्रसार किया गया ।

(IV) अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीएओ), 2022 – प्रचार-प्रसार और संवर्धन

समिति, जो डब्ल्यूसीएओ की ब्रांडिंग और संवर्धन संबंधी उप समिति का भाग है, द्वारा डब्ल्यूसीएओ के प्रचार और संवर्धन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए :

- विज्ञापन – 12 नवंबर, 2022 को एक आयोजन-पूर्व पूर्ण पृष्ठ के विज्ञापन का प्रकाशन किया गया तथा उद्घाटन के दिन, अर्थात् 18 नवंबर, 2022 को प्रमुख प्रकाशनों में एक अन्य पूर्ण पृष्ठ के विज्ञापन का प्रकाशन किया गया ।
- इकनोमिक टाइम्स – 12, 14, 15, 18 और 22 नवंबर, 2022 को 7 पूर्ण पृष्ठों के विज्ञापन को इकनोमिक टाइम्स में प्रकाशित किया गया ।
- रेडियो अभियान – बिग एफएम और फीवर एफएम के सभी प्रमुख रेडियो स्टेशनों पर डब्ल्यूसीओए का संवर्धन करने वाले 7 दिवसीय अभियान का प्रसारण किया गया ।

- इलैक्ट्रानिक मीडिया पर अभियान – तीन बिजनेस चैनलों, अर्थात् सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी टीवी 18 एचडी, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, एनडीटीवी प्राफिट और आज-तक+ इंडिया टुडे टीवी पर डब्ल्यूसीओए के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया गया।
- आउटडोर प्रचार-प्रसार – आईसीएआई और डब्ल्यूसीओए की ब्रांड छवि बनाने के लिए सृजनात्मक सामग्रियां तैयार की गई और उन्हें आईटीओ, एचओ, प्रगति मैदान और आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रमुख अवस्थानों पर प्रदर्शित किया गया।
- 18 से 21 नवंबर, 2022 के दौरान आयोजित 4 दिवसीय आयोजन के प्रत्येक दिन के संबंध में दैनिक आधार पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई। मीडिया ने डब्ल्यूसीओए से संबंधित समाचारों को प्रमुखता से दिखाया।
- डब्ल्यूसीओए आयोजन को सोशल मीडिया पर विभिन्न सृजनात्मक सामग्रियों, ट्विट आदि को पोस्ट करके भी लोकप्रिय बनाया गया।
- आडियो वीडियो प्रचार – विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 4 एवी तैयार किए गए, जिन्हें भिन्न-भिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट किया गया और साथ ही उन्हें डब्ल्यूसीओए आयोजन के दौरान चलाया गया।
- विमानपत्तन प्रचार-प्रसार – डब्ल्यूसीओए का संवर्धन करने वाली सृजनात्मक सामग्री को मुंबई, अहमदाबाद और गुवाहाटी विमानपत्तनों पर होर्डिंग/स्क्रीनों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
- आयोजन-पश्च ऐपिसोड – महत्वपूर्ण सत्रों को रिकार्ड किया गया तथा उन्हें एक आधे घंटे के ऐपिसोड के रूप में सीएनबीसी टीवी 18 और जी बिजनेस पर प्रसारित किया गया।
- मीडिया परस्पर क्रियाएं–आयोजन के दौरान अध्यक्ष, आईसीएआई की मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं को हिन्दू बिजनेस लाइन,न्यू इंडियन ऐक्सप्रेस और ईटी नाउ जैसे प्रकाशनों के साथ नियत किया गया।

(V) फोटो फ्रेम और काफी टेबल बुक

फोटोग्राफों का एक कोलाज तैयार किया गया था, जिसमें डब्ल्यूसीओए आयोजन के चुनिंदा फोटोग्राफों का चयन करके प्रदर्शन किया गया था। कोलाज के फोटो फ्रेमों को सभी केंद्रीय परिषद् सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साझा किया गया था। डब्ल्यूसीओए आयोजन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों/वक्ताओं के सभी महत्वपूर्ण फोटोग्राफों को अंतर्विष्ट करके एक काफी टेबल बुक तैयार की गई थी और उसका विमोचन किया गया। चूंकि, आईसीएआई के इतिहास में उक्त आयोजन एक ऐतिहासिक क्षण था इसलिए फोटोग्राफों को स्मृति चिह्नों के रूप में परिरक्षित किया गया।

(VI) हृदय स्वास्थ्य और तनाव प्रबंध विषयों पर वर्चुअल चिकित्सा जागरुकता कार्यक्रम

वर्तमान समय में बढ़ते हृदय रोगों की समस्या का समाधान उपलब्ध कराने के लिए समिति ने 30 जनवरी, 2023 को "हृदय स्वास्थ्य और तनाव प्रबंध विषयों पर वर्चुअल चिकित्सा जागरुकता कार्यक्रम" कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि सदस्यों को हृदय स्वास्थ्य और तनाव प्रबंध के संबंध में सदस्यों, छात्रों और उनके कुटुंबों तथा साधारण रूप से पूरे समाज को जागरुक तथा शिक्षित किया जा सके। बेहतर निवारक उपायों के माध्यम से एक स्वस्थ समाज का सृजन करने के उद्देश्य से समिति ने आपातकाल और ट्रामा देखभाल संबंधी डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र, जयप्रकाश नारायण ऐपेक्स ट्रामा सेंटर, आपातकाल मेडिसिन विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से चिकित्सा वृत्तिकों के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव (एकएएम) की पहल के अधीन एक बृहत्त निःशुल्क वर्चुअल राष्ट्रव्यापी "चिकित्सा जागरुकता कार्यक्रम" का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने हृदय रोग/आघात को रोकने, आपातकाल सहायता, हृदय-फेफड़ा पुनर्जीवित करना (सीपीआर) और तनाव प्रबंध संबंधी सलाह उपलब्ध कराने के लिए उपायों का प्रदर्शन किया।

(VII) वार्षिक समारोह

- मुद्रण मीडिया – आईसीएआई के 73वें वार्षिक समारोह का पीआर समिति द्वारा मुद्रण मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। प्रमुख प्रकाशनों में आधे पृष्ठ के एक रंगीन विज्ञापन को प्रकाशित किया गया था ।
- आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में श्रव्य-दृश्य वीडियो – उक्त एवी में वर्ष 2022-23 के दौरान आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मिलित करते हुए समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसे वार्षिक समारोह के दौरान चलाया गया।
- ईयर बुक 2022-23 – प्रत्येक वर्ष आईसीएआई द्वारा उसकी समितियों/विभागों/प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक दस्तावेज "ईयर-बुक" नामक प्रकाशन को तैयार किया जाता है। समिति ने, सभी समितियों/शाखाओं/प्रादेशिक कार्यालयों से प्राप्त

जानकारी को समेकित, संपादित किया और उसके प्रूफ को पढ़ा और इस प्रकार “ईयर-बुक 2022-23” तैयार की गई, जिसका विमोचन वार्षिक समारोह के दौरान किया गया।

(VIII) दिल्ली में आईसीएआई प्रेस सम्मेलन – मीडिया के साथ परस्पर क्रिया

पीआर समिति ने 20 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में नए निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा मीडिया से परस्पर क्रिया करने की व्यवस्था की। मुद्रण/इलैक्ट्रानिक/डिजीटल मीडिया से विभिन्न विख्यात संवाददाताओं ने इस प्रेस सम्मेलन में भाग लिया। परस्पर क्रिया के दौरान वर्ष के लिए कार्य योजना और पूर्विकता क्षेत्रों के संबंध में जानकारी को साझा किया गया और इस प्रेस सम्मेलन को समाचार-पत्रों में प्रमुख और व्यापक रूप से कवरेज प्रदान की गई और इससे संबंधित समाचार को पचास से अधिक प्रकाशनों/आनलाइन पोर्टलों पर प्रकाशित किया गया।

(IX) आईसीएआई की भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के साथ बी20 के लिए प्रमुख भागीदारी

आईसीएआई बी20 के लिए सीआईआई का एक प्रमुख भागीदार बना है। आईसीएआई से यह अपेक्षित है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और सेवाओं के विकास के लिए संपरीक्षा, संवहनीय रिपोर्टिंग मानकों और डिजीटल लेखांकन के क्षेत्र में नेतृत्व उपलब्ध कराए। इस भागीदारी के माध्यम से आईसीएआई, ईएसजी कार्य परिषद् का भाग बनेगा और वह बी20 की विभिन्न नीति निर्धारक पहलों में सम्मिलित होगा। आईसीएआई की इस प्रमुख पहल का प्रचार-प्रसार करने के लिए समिति द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं :

- पहल का प्रचार-प्रसार करने के लिए विज्ञापन – प्रमुख प्रकाशनों में एक आधे पृष्ठ के विज्ञापन का प्रकाशन किया गया।
- प्रेस विज्ञप्ति – इस विषय पर जागरुकता का सृजन करने के लिए मीडिया को ‘आईसीएआई द्वारा बी20 के लिए प्रमुख भागीदार के रूप में सीआईआई के साथ जुड़ना’ नामक एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त प्रेस विज्ञप्ति को आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था।
- पीआर समिति द्वारा सीआईआई की भागीदारी सम्मेलन पुस्तिका, जो एक सृजनात्मक कृति है, का प्रकाशन किया गया।

इस श्रृंखला में नई दिल्ली में मई मास में सीआईआई की वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन नियत किया गया है, जिसके लिए आईसीएआई को विज्ञापन सामग्री के रूप में विभिन्न ब्रांड छवि अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

(X) इंडिया टूडे – काफी टेबल बुक

प्रत्येक वर्ष इंडिया टूडे समूह एक काफी टेबल बुक (सीटीबी) निकालता है, जिसका वितरण वर्षों से क - सूचीबद्ध व्यक्तियों, सभा के आमंत्रितियों के बीच किया जाता है। इस काफी टेबल बुक की प्रतियों को विमानपत्तन लाउंजों और प्रमुख पुस्तक विक्रेता दुकानों पर उपलब्ध कराया जाता है। संस्थान की ब्रांड छवि बनाने तथा उद्योग/मीडिया को लक्ष्यित करने हेतु सीटीबी में एक दोहरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

(XI) मीडिया आवासीय बैठक, आगरा

संस्थान की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने तथा मीडिया, पणधारियों और साधारण जनता के बीच विश्वास का निर्माण करने के उद्देश्य से समिति ने 4 जून, 2023 को आगरा में मीडिया के लिए एक दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन किया। इस आवासीय बैठक का उद्देश्य मीडिया को ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, जिनके संबंध में संस्थान कार्यवाही कर रहा है, के संबंध में संवेदनशील बनाना और राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में और अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति आईसीएआई द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को विशिष्ट रूप से उपदर्शित करना था। विभिन्न तकनीकी सत्रों का अत्यंत दक्षतापूर्वक आयोजन किया गया, ताकि तकनीकी विषयों, आईसीएआई द्वारा की जाने वाली नई पहलों और उसकी उपलब्धियों के संबंध में साधारण और स्पष्ट समझ स्थापित की जा सके। यह मीडिया आवासीय बैठक अत्यंत सफल सिद्ध हुई थी क्योंकि दिल्ली के लगभग सभी 19 विख्यात राष्ट्रीय मीडिया समूहों (मुद्रण/इलैक्ट्रानिक/आनलाइन) ने इस बैठक में भाग लिया और उन्होंने विभिन्न पहलूओं पर रिपोर्टें जारी की। इसके अतिरिक्त, कुछ स्थानीय मीडिया ने भी इस आयोजन में भाग लिया। 25 से अधिक सकारात्मक मुद्रण और आनलाइन समाचार प्रकाशित हुए थे और इस बैठक से मीडिया के साथ परस्पर क्रिया करने के अनेक नए आयाम भी खुले।

(XII) लेपल पिन – प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की प्रबंध समिति सदस्य

अद्वितीय पहचान का सृजन करने, प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता प्राप्त करने और सभी पधधारियों के मस्तिष्क में सकारात्मक छवि का सृजन करने के लिए एक समान ब्रांडिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तद्नुसार, पीआर समिति द्वारा विशेष रूप से लेपल पिनों को तैयार किया गया और उन्हें सभी 5 प्रादेशिक परिषदों और 168 शाखाओं के ‘प्रबंध समिति सदस्यों’ को वितरित किया गया।

(XIII) 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

आईसीएआई, राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) को मनाता रहा है और साथ ही अपने सदस्यों और छात्रों को इस बात हेतु प्रोत्साहित करता रहा है कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का भाग बनाएं । इस वर्ष आईडीवाई, 2023 यात्रा अत्यधिक विशेष रही क्योंकि भारत गौरवान्वित जी20 शिखर सम्मेलन का "वसुधैव कुटुम्बक्म" की थीम से मेजबानी कर रहा है, जो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम से मिलती-जुलती है, अर्थात् "वसुधैव कुटुम्बक्म के लिए योग" । संस्थान ने एनआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से 21 जून, 2023 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया । योग गुरुओं ने 350 से अधिक भौतिक रूप से उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित किया और इस आयोजन का पूरे देश में लाइव वेबकास्ट किया गया । अपने-अपने अवस्थानों से योगाभ्यास से संबंधित सभी शाखाओं की वीडियो फीड को भी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया ।

(XIV) बीडब्ल्यू-बिजनेस वर्ल्ड द्वारा आयोजित संवहनीय विश्व सभा

आईसीएआई, जो भारत में संवहनीय रिपोर्टिंग का संवर्धन करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है, ने बीडब्ल्यू-बिजनेस वर्ल्ड द्वारा आयोजित संवहनीय विश्व सभा के तीसरे संस्करण के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में सहबद्धता की है । यह दो दिवसीय आयोजन 20 और 21 जून, 2023 को द पार्क, नई दिल्ली में आयोजित किया गया । इस सभा में अनेक विशेषज्ञों, उद्योग के नेताओं, नीति निर्धारकों और देश भर से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने "जी20 की अध्यक्षता के साथ भारत की बड़ी छलांग" थीम पर परिचर्चा में भाग लिया । श्री भूपेन्द्र यादव, संघ के माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और नियोजन मंत्री, भारत सरकार 20 जून, 2023 को आयोजन पलेनरी सत्रों के मुख्य अतिथि थे । संवहनीय विकास के उद्देश्य की पूर्ति के प्रति आईसीएआई की पहलों को अग्रसर करते हुए अध्यक्ष, पीआर समिति और उपाध्यक्ष, संवहनीय रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) ने "आईसीएआई : भरोसे का निर्माण और संवहनीयता को समर्थ बनाना" विषय पर एक सत्र को संबोधित किया ।

6.20 अनुसंधान समिति

अनुसंधान समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सबसे अधिक पुरानी तकनीकी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी । अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यवर्धन करने के विचार से अनुसंधान का सृजन करना और अनुसंधान संस्कृति का समर्थन करना है । अनुसंधान समिति का प्रमुख उद्देश्य वृत्ति और साधारण रूप से राष्ट्र के फायदे को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना तथा संस्थागत सक्षमता को मजबूत बनाना है । अनुसंधान समिति वृत्ति में अनुसंधान और नवीनता लाए जाने संबंधी क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए अपनी विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से एक अनुकूल वातावरण तैयार करने का भी प्रयास करती है । समिति अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक वैश्विक अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए ज्ञान का आदान-प्रदान करने और रणनीतियां विकसित करने के प्रति समर्पित है । समिति सतत आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती विषयों पर अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करती है, जिन्हें साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणों, तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनोग्राफों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

(I) प्रगतिशील परियोजनाएं

- इंड एएस के अधीन पूंजी आरक्षितियों के लेखांकन संव्यवहार संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण ।
- अनिवासी खिलाड़ी या खिलाड़ियों के संगम पर कराधान – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ।

(II) वर्ष के दौरान जारी प्रकाशन

- जोखिम प्रबंध : एक नया परिप्रेक्ष्य, के समाधान में संपरीक्षकों और सीएफओ की उभरती भूमिका ।
- वित्त और कर साक्षरता स्टार्ट-अप ।

(III) पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

अनुसंधान समिति वार्षिक पुरस्कार प्रतिस्पर्धा, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के माध्यम से उच्च क्वालिटी की रिपोर्टिंग का संवर्धन करने के लिए वर्ष 1958 से अथक प्रयास कर रहा है,

जिसमें अस्तित्वों को उत्तम रिपोर्टिंग व्यवहारों का अनुसरण करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है । विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2021-22 की प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यूरी की बैठक श्री सुजीत कुमार, संसद् सदस्य, ओडिशा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी । वर्ष 2021-22 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार समारोह का आयोजन 20 जनवरी, 2023 को वाराणासी में किया गया था । इस समारोह में श्री दयाशंकर मिश्रा, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश सरकार और श्री दयाशंकर सिंह, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर प्रदेश सरकार, सम्मानित अतिथियों के रूप में सम्मिलित हुए । इस समारोह के दौरान कुल 36 पुरस्कार – 7 स्वर्ण शील्ड, 16 रजत शील्ड और 13 पट्टिकाएं प्रदान की गईं ।

आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार

इन पुरस्कारों को विश्व की सबसे बड़ी सीमा पार प्रतिस्पर्धा के रूप में माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर के अनुसंधान अध्येताओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना तथा नवीनता और मूल्यवान सृजन को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान अध्ययनों को पूरा करने में उनके योगदान की अनुशंसा करना है । इस पुरस्कार का आयोजन लेखांकन, संपरीक्षा, वित्त, अर्थशास्त्र और कराधान के क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलापों में दिए गए योगदान को मान्यता तथा अभिस्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है । 'आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 2022' के लिए आयोजित ज्यूरी बैठक की अध्यक्षता श्री एलन जानसन, अध्यक्ष, आईएफएसी (2022) द्वारा की गई । ज्यूरी के अन्य सदस्यों में सुश्री असमा रेस मौकी, उपाध्यक्ष, आईएफएसी (2022), श्री वोरावित जनता नकुल, अध्यक्ष, एएफए (2022-23), श्री एच.एम. हेननायके बंडारा, अध्यक्ष, साफा (2022), सुश्री लेबोगैंग सन्ने, तकनीकी निदेशक, पीएएफए (2022), तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई सम्मिलित थे । पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन 21 अक्तूबर, 2022 को किया गया था । इस वर्ष पांच प्रवर्गों में कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए ।

(IV) स्कीमें

आईसीएआई की डाक्टरेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम

आईसीएआई की डाक्ट्रेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को, जिनका शैक्षिक पूर्ववृत उत्कृष्ट है और जिनमें आधारिक बौद्धिक जिज्ञासा विद्यमान है और जिनमें प्रतिभाशाली योगदान करने के लिए आवश्यक अनुशासन भी है, को मासिक छात्रवृत्ति के माध्यम से अपेक्षित समर्थन उपलब्ध कराना है । यह स्कीम संस्थान के ऐसे सभी सदस्यों के लिए खुली है, जो पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं और जो आवेदन की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं है । आईसीएआई की डाक्टरेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य उत्कृष्ट शैक्षिक रिकार्ड वाले पात्र अभ्यर्थियों को, जिनमें संपरीक्षा, कराधान, वाणिज्य, प्रबंध और लेखांकन अनुशासन जैसे अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करने की प्रवृत्ति और प्रतिबद्धता है, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना है । उनका योगदान न केवल कारबार व्यवहारों के प्रति होता है अपितु वह लोक नीति और शासन के क्षेत्र तक भी विस्तारित होता है । आईसीएआई डाक्टरेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम, 2023 के अधीन प्रत्येक वर्ष पांच अध्येताओं को अधिकतम तीन वर्ष के लिए पिचतहर हजार रुपए प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम

आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम का उद्देश्य ऐसे अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है, जो समकालीन विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करने के लिए इच्छुक हैं और जो लेखांकन तथा संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन का आगे और संवर्धन करने की ईप्सा करते हैं । यह स्कीम संस्थान के ऐसे सदस्यों के लिए खुली है, जिनके पास व्यवसाय या नियोजन में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है । दस लाख रुपए की अधिकतम रकम को प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा । आवेदकों को, अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान परियोजना के

अनुमोदन के पश्चात् अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए छह मास का समय दिया जाएगा । यह स्कीम पूरे वर्ष खुली रहती है । स्कीम के प्रारंभ होने के पश्चात् से, इसके अधीन मंजूर की गई विभिन्न परियोजनाओं और पूरी की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली : आंतरिक नियंत्रण मैनुअल तैयार करने के लिए एक अध्ययन
2. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय कार्यपालन पर डिजीटल रूपांतरण रणनीतियों का प्रभाव
3. भारतीय कंपनियां किस प्रकार आस्ट्रेलिया की प्रदाय श्रृंखला में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं ?
4. कर निश्चितता की ओर कदम बढ़ाना : सीमा-पार कराधान के लिए नियोटेरिक घरेलू विवाद समाधान तंत्र
5. गैर-महानगरीय क्षेत्रों और चुनिंदा महानगरीय क्षेत्रों में भारतीय स्टार्ट-अप का विश्लेषण और मूल्यांकन – एक अनकही कहानी
6. भारत में बहुराज्य शहरी सहकारी प्रत्यय सोसाइटियों के "माध्यम" से धनशोधन और घोटाले
7. विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्रों के कराधान संबंधी पहलू – आईआरडीए परिपत्रों का एक अध्ययन
8. कर्मचारी बर्नआउट के संबंध में वैज्ञानिक मध्यकता के प्रभाव का मूल्यांकन : एक बहु राष्ट्रीय अध्ययन
9. जोखिम प्रबंध : एक नया परिप्रेक्ष्य, के समाधान के संबंध में संपरीक्षकों और सीएफओ की उभरती भूमिका
10. स्टार्ट-अप के लिए वित्त और कर साक्षरता ।

इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य परियोजनाएं भी तैयार की जा रही हैं ।

अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन – अनुसंधान प्रस्तावों का मांगा जाना

इस स्कीम को मई, 2023 मास से आरंभ किया गया है । इस स्कीम का उद्देश्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां संस्थान के सदस्यों को विभिन्न समकालीन विषयों पर नए विचारों, नवीन अनुसंधान निष्कर्षों और सोचने पर मजबूर करने वाली अंतर्दृष्टि साझा करने का अवसर प्राप्त होता है । ऐसे आवेदकों को पूर्विकता प्रदान की जाएगी, जिनके पास अनुसंधान क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है और जो पीएचडी धारक हैं । अनुज्ञेय मानदेय की राशि एक लाख रुपए है, जिसे अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाएगा । आवेदकों को अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एक मास का समय प्रदान किया जाएगा । यह स्कीम पूरे वर्ष के दौरान खुली रहती है । इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित विषयों पर तीन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है :

1. ग्रीनवाशिंग की पहचान करने की आवश्यकता
2. भारत में सामाजिक वित्त के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए एसएसई की उत्प्रेरक क्षमता का नीतिगत रूप से उपयोग करने के लिए अन्वेषणात्मक उपकरण
3. कर अपवंचन – उसके निवारण के लिए पद्धतियां और उपाय

(V) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं /आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम /राष्ट्रीय सम्मेलन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति द्वारा प्ररूप 3गघ की जटिलताओं के संबंध में अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करने और आगे की कार्य योजना/ ऐसे मुद्दों तथा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में हाल ही में सामने आई जटिलताओं के संबंध में भावी कार्य योजना, विदेश कर नीति और प्रत्यक्ष करों के मुद्दों पर अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करने, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वृत्तिकों के लिए सर्वोत्तम वृत्तिक रिपोर्टिंग के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने जैसे विषयों के संबंध में पांच ज्ञान साझा करने वाली संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, दो आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

(VI) वर्चुअल सीपीई बैठकें/वेबीनार

अनुसंधान समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 4 वर्चुअल सीपीई बैठकों और 6 वेबीनारों का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न समकालीन विषयों को सम्मिलित किया गया था, जैसे कि अनुसंधान क्या है ?, भारतीय कंपनियां किस प्रकार आस्ट्रेलिया की प्रदाय श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, विषय पर हुए अनुसंधान अध्ययन को ध्यान में रखते हुए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (ईसीटीए) को समझना, अनुसंधान में डाटा विश्लेषण का महत्व, निवेश हेतु न्यूजीलैंड के संपत्ति बाजार के संबंध में अनुसंधान और "विभिन्न भू-संपदा संव्यहारों के संबंध में कर विवक्षाएं, समकालीन शैक्षिक अनुसंधान – चुनौतियां और योगदान, 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता – पढ़े गए पाठ, सर्वोत्तम व्यवहार और सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्रुटियां' विषय पर वेबीनार श्रृंखला, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बैंककारी क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, वित्तीय सेवाएं आदि" ।

6.21 वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा फरवरी, 2020 में वहनीय रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), 2030 हेतु किसी इकाई की प्रगति के बारे में गैर वित्तीय सूचना को-मापने और प्रकट करने हेतु विस्तृत, वैश्विक रूप से समतुलनीय और समझने योग्य मानकों को विरचित करना है । बोर्ड वहनीय रिपोर्टिंग, एकीकृत रिपोर्टिंग हेतु संपरीक्षा मार्गदर्शन के विकास के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसरों की पहचान करने तथा उन्हें विकसित करने तथा सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में वहनीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन तथा तकनीकी साहित्य के प्रकाशन द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निकायों और साथ ही विनियामकों के साथ परस्पर क्रिया करने हेतु पर्याप्त उपाय करके अपना कार्यकरण कर रहा है, जिससे वहनीय विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीतियों और विनियमों का संवर्धन किया जा सके । इसके अतिरिक्त, वहनीय रिपोर्टिंग में सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों को बैचमार्क करने के अपने प्रयास के भागरूप में बोर्ड संवहनीय रिपोर्टिंग पुरस्कार प्रदान करता है, जिससे ऐसे कारबारों को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जा सकें, जो अपने क्रियाकलापों में अधिकाधिक वहनीय और समावेशी सिद्ध हो रहे हैं ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

जारी किए गए प्रकाशन/मानक

- वहनीय रिपोर्टिंग परिपक्वता माडल (एसआरएमएम) पाठ 2.0 का विकास
- वहनीय रिपोर्टिंग – उत्तम शासन का हृदय संबंधी एफएक्यू
- सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की अवधारण संबंधी एक प्राइमर
- सामाजिक संपरीक्षा मानकों का सार-संग्रह
- वहनीय आश्वासन नियोजन संबंधी मानक (एसएसएई) 3000 – वहनीय सूचना संबंधी आश्वासन नियोजन

विनियामकों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ बैठकें/परस्पर क्रियाएं

- अध्यक्ष, एसआरएसबी (सीवाई 2022-23) ने व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और मानक संबंधी अंत:शासकीय विशेषज्ञ कार्यकारी समूह के 39वें सत्र की अध्यक्षता की ।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी (सीवाई 2022-23) ने 2-3 मार्च, 2022 के दौरान व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) द्वारा आयोजित उच्च गुणवत्ता वाली वहनीय रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना संबंधी परामर्शी समूह की बैठक में भाग लिया ।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी (सीवाई 2022-23) ने नवंबर, 2022 में आयोजित सीओपी 27 में भाग लिया ।
- उपाध्यक्ष, एसआरएसबी (सीवाई 2022-23) ने दक्षिण एशियाई लेखापाल संघ (साफा) की वहनीय रिपोर्टिंग और आश्वासन संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता की ।

सक्षमता निर्माण संबंधी पहलें

- कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :

  बोर्ड ने कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 15 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिनमें 1300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य

कारबार उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्टिंग के वर्तमान विनियामक ढांचे को समझना, भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए प्रकटनों का विश्लेषण करना, आश्वासन पहलूओं को समझना तथा अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम व्यवहार पर विचार-विमर्श करना है ।

- वेबीनार/संगोष्ठियां/कार्यक्रम :
  - वहनीयता से धुंध हटाना – ईएसजी, एसएसई और सामाजिक संपरीक्षा में अवसर विषय पर संगोष्ठी
  - वैश्विक वहनीय रिपोर्टिंग और आश्वासन परिदृश्य को परिवर्तित करने संबंधी विषय पर वेबीनार
  - 8 जून, 2022 को आइकोनिक दिवस के भाग रूप में "प्रेक्टिकल आइडिया टू गो ग्रीन एंड मेक अवर प्लेनेट सस्टेनेबल" विषय पर संगोष्ठी
  - वहनीय वित्त और ईएसजी रेटिंग विषय पर वेबीनार
  - नई दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल और वदोदरा शाखाओं में भरोसे का निर्माण करने और वहनीयता को समर्थ बनाने हेतु सीए के लिए आउटरीच कार्यक्रम ।
- आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय वहनीय रिपोर्टिंग पुरस्कार

  आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय वहनीय रिपोर्टिंग पुरस्कारों को, ऐसे अस्तित्वों को मान्यता प्रदान करने हेतु वर्ष 2020-21 में आरंभ किया गया था, जिन्होंने वहनीय विकास के उद्देश्यों के प्रति उत्कृष्ट योगदान दिया है । वर्ष 2021-22 के लिए आईसीएआई वहनीय रिपोर्टिंग पुरस्कारों का आयोजन जनवरी, 2023 मास में किया गया था और मुख्यत: तीन प्रवर्गों में पुरस्कार प्रदान किए गए थे । पुरस्कारों का उद्देश्य अस्तित्वों, निगम और गैर-निगम, दोनों को वहनीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता दर्शित करने हेतु बढ़ावा देना और निवेशों तथा अन्य पणधारियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है । ये पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को मान्यता प्रदान करते हैं, जिन्होंने वहनीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और जिन्होंने अपने प्रचालनों और व्यवहारों में वहनीयता के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है ।

  राष्ट्रीय पुरस्कारों में तीन प्रवर्ग सम्मिलित हैं :

  - एकीकृत रिपोर्टिंग – विनिर्माण, सेवा और पब्लिक सेक्टर उपक्रम
  - एकीकृत रिपोर्टिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए अस्तित्व
  - वहनीय विकास के उद्देश्यों संबंधी रिपोर्टिंग

  अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्ग में दो प्रवर्ग सम्मिलित हैं :

  - लिंग भेद न होना
  - जलवायु परिवर्तन

  अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वहनीय रिपोर्टिंग वार्षिक पुरस्कारों के लिए ज्यूरी पैनल में विख्यात संगठनों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संबंधी सभा (अंकटाड), विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) के गणमान्य सदस्य और साथ ही भारत के प्रमुख निगम अस्तित्वों और बैंककारी संस्थाओं के गणमान्य प्रतिनिधि सम्मिलित थे ।

- **कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय पुन: रिपोर्टिंग परीक्षण :**

  आईसीएआई और सेबी ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से 8 सूचीबद्ध कंपनियों के कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के प्रमुख कार्यपालन सूचकों (केपीआई) की पुन: परीक्षा करने की एक संयुक्त पहल के लिए एक-दूसरे से सहयोग किया । वार्षिक रिपोर्टों, एकीकृत रिपोर्टों और बीआरएसआर रिपोर्टों से तकनीकी दल द्वारा उप-पैरामीटरों के विश्लेषण से अंतर्वलित कंपनियों के रिपोर्टिंग व्यवहारों के संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई । ऐसी परीक्षण प्रक्रियाएं वहनीय रिपोर्टों की विश्वसनीयता और समतुलनीयता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे पणधारियों के बीच विश्वसनीयता को स्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकती हैं ।

- **आईसीएआई वहनीयता संबंधी साक्षरता अभियान**
- 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान, आईसीएआई द्वारा मुंबई में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया था। बोर्ड ने आईसीएआई की प्रथम कार्बन-न्यूट्रल कांग्रेस के आयोजन में सहायता की। इस कांग्रेस में दस हजार से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था – छह हजार ने भौतिक रूप से और चार हजार ने वर्चुअल पद्धति से। यह डब्ल्यूसीओए आयोजन एक कार्बन-न्यूट्रल आयोजन था, जिसमें 18,000 मीट्रिक टन को समायोजित किया गया।
- देशव्यापी पौधा रोपण अभियान - गो ग्रीन का आयोजन, जिससे एक वहनीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जा सके।
- विद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों के लिए आनलाइन प्रतिस्पर्धा – आईसीएआई की वहनीयता चुनौती को स्वीकार करें, का संचालन।
- ईएसजी वार्ता :

  एसआरएसबी ने एक ईएसजी वार्ता "सब का विकास, सतत प्रयास" को आरंभ किया है। ऐसी दस वार्ताओं का जी बिजनेस चैनल पर प्रसारण किया गया। इन वार्ताओं में अनेक विख्यात वक्ताओं ने भाग लिया।
- ईएसजी गोलमेज बैठक :

  एसआरएसबी ने एनआईएसएम के साथ संयुक्त रूप से स्वतंत्र निवेशकों और सीएफओ के लिए पूरे भारत वर्ष में ईएसजी गोलमेज बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इन गोलमेज बैठकों का प्रयोजन निर्णय करने वाले व्यक्तियों के बीच ईएसजी/वहनीयता संस्कृति के प्रति जागरुकता का निर्माण करना है। इस प्रयोजन के लिए आईसीएआई के एसआरएसबी ने 30 मार्च, 2023 को होटल सहारा स्टार, मुंबई में "ईएसजी और वहनीयता संबंधी गोलमेज बैठक : सीए के लिए अवसर" विषय पर एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आउटरीच कार्यक्रम में कारबार उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर), कार्बन-न्यूट्रेलिटी के प्रति कार्य योजना, विश्व भर में एसआरएसबी और ईएसजी की पहलें और जीएसआई संबंधी तकनीकी सत्र सम्मिलित थे। पैनल परिचर्चा में विख्यात वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें उपाध्यक्ष, सीएपीए और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री रिचर्ड बोलविजन, निदेशक, निवेश अनुसंधान, अंकटाड और सीए राज मलिक, उपाध्यक्ष, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एसआरएसबी ने भी इस परिचर्चा में भाग लिया था।

6.22 वित्तीय बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीएफएमएंडआईपी)

वित्तीय बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीएफएमएंडआईपी) सरकार और विनियामकों को प्रस्तुत किए जाने हेतु, वित्तीय बाजारों से संबंधित विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में सुझाव उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, यह समिति विभिन्न मुद्दों के संबंध में नियमित रूप से एमसीए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सेबी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, गैर वित्त कंपनियों – एनबीएफसी (आरबीआई का गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों संबंधी विभाग), वायदा बाजार आयोग और स्टॉक एक्सचेंजों से वित्तीय बाजारों, सीए की भूमिका और निवेशकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से परस्पर क्रिया करती है।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी

साधारण जनता के बीच जागरुकता का सृजन करने और निवेशकों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति विभिन्न संसाधन व्यक्तियों (आरपी) तथा आईसीएआई के विभिन्न कार्यक्रम आयोजक यूनिटों, अर्थात् शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों, अध्ययन सर्कलों के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, (आईईपीएफए) के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन करती है। साधारण जनता में जागरुकता का सृजन करने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समिति ने विभिन्न संसाधन व्यक्तियों (आरपी) तथा आईसीएआई के विभिन्न कार्यक्रम आयोजक यूनिटों, अर्थात् शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों, अध्ययन सर्कलों के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, (आईईपीएफए) के तत्वाधान में 913 निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहयोग से समिति ने अखिल भारतीय आधार पर सीमा सुरक्षा बल के लिए अनेक निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन किया और साथ ही समिति ने जागरुकता का सृजन करने और उनकी वित्तीय संरक्षा को सुनिश्चित करने तथा निवेशकों के वित्तीय बाजारों के व्यापक विकास को समझने के सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने के लिए भारतीय सेना के कार्मिकों के लिए भी निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का संवर्धन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की वित्तीय बाजारों और निवेशकों की संरक्षा संबंधी समिति (सीएफएमआईपी) ने ज्ञान दर्शन चैनल पर 75 ऐपिसोड की लाइव टेली व्याख्यानों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसका उद्देश्य जागरुकता का सृजन करना और साधारण जनता के वित्तीय साक्षरता संबंधी ज्ञान को अद्यतन बनाने की आवश्यकता के महत्व का प्रचार-प्रसार करना था । इस श्रृंखला को वर्ष 2022-23 के दौरान ज्ञान भागीदार के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया था ।

(II) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को टीका-टिप्पणियां/सुझाव

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आरईआईटी (एमएसएम आरईआईटी) के लिए विनियामक ढांचे से संबंधित तारीख 12 मई, 2023 के परामर्श पत्र के संबंध में समिति द्वारा टीका-टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत किए गए । इस परामर्श पत्र में ऐसे विनियामक मंचों, जो भू-संपदा आस्तियों के खंडात्मक स्वामित्व की प्रस्थापना कर रहे हैं, के लिए उन्हें सेबी (भू-संपदा निवेश न्यास), विनियम, 2014 के विस्तार क्षेत्र के अधीन एमएसएम आरईआईटी के रूप में सम्मिलित करके विनियमिति करने के प्रस्ताव पर टीका-टिप्पणियां/सुझाव/ विचार आमंत्रित किए गए थे ।
- संभाव्य बाजार दुरुपयोगों और कपटपूर्ण संव्यवहारों को दूर करने के लिए आस्ति प्रबंध कंपनियों के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित तारीख 20 मई, 2023 परामर्श पत्र के संबंध में समिति द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को टीका-टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत किए गए थे । इस परामर्श पत्र में आस्ति प्रबंध कंपनियों द्वारा पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को स्थापित करने और एएमसी तैयार करने तथा उनके वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की सतत आधार पर मानीटरी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का कार्यान्वयन करके जवाबदेह बनाने और एएमसी संव्यवहारों से संबंधित संभाव्य बाजार दुरुपयोगों और कपटपूर्ण संव्यवहारों को दूर करने हेतु टीका-टिप्पणियां/विचार आमंत्रित किए गए थे ।

(III) सदस्यों के लिए पहलें

भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने नवीनतम परिपत्र (परिपत्र एनएसई/आईएनएसपी/54080, तारीख 14 अक्तूबर, 2022) को उदघोषित किया है, जिसमें आईसीएआई के वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति विधियों (एफएमएसएल) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को स्टॉक ब्रोकर अधिप्रमाणन के लिए तथा व्यापार/क्लियरिंग सदस्यों की आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्रता मानदंड के रूप में सम्मिलित किया गया है । वित्तीय बाजारों और निवेशकों की संरक्षा संबंधी समिति (सीएफएमआईपी) ने इस पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया था ।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम – 4 फरवरी, 2023 को विदेशी मुद्रा विनिमय और खजाना प्रबंध संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन इस क्षेत्र में होने वाले ऐसे परिवर्तनों/संशोधनों से अर्हित सदस्यों को अवगत कराने तथा उनके ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए किया गया था, जो कि इस क्षेत्र के सक्रिय परिदृश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है ।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

हमारे सदस्यों के कौशलों में अभिवृद्धि करने और उन्हें समुचित रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से समिति 4 निम्नलिखित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करती है :

- विदेशी मुद्रा विनिमय और खजाना प्रबंध संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एफएक्सटीएम)
- व्युत्पन्नियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- साम्या अनुसंधान सहित स्टॉक का आधारभूत और तकनीकी विश्लेषण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति विधियों (एफएमएसएल) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने, आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय और खजाना प्रबंध संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, व्युत्पन्नियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, साम्या अनुसंधान सहित स्टॉक का आधारभूत और तकनीकी विश्लेषण संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 8 आनलाइन बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है । उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों हेतु आईसीएआई के कुल 637 सदस्यों ने

नामांकन किया है । इसके अतिरिक्त समिति ने हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के कार्यकारियों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय और खजाना प्रबंध संबंधी पाठ्यक्रम(एफएक्सटीएम) से संबंधित वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया ।

(IV) सदस्यों के वृत्तिक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/ वेबकास्ट/ आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी)

समिति ने विभिन्न वर्चुअल सीपीई बैठकों और वेबीनारों के माध्यम से सदस्यों के बीच ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया है । वित्तीय बाजारों और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति ने आईसीएआई की शाखाओं के सहयोग से सफलतापूर्वक विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, वेबकास्टों और आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया ।

6.23 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, संस्थान की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है । यह समिति संस्थान की विभिन्न इकाईयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति करती है, संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है, अनुवर्ती कार्रवाई करती है और संस्थान की विभिन्न इकाईयों के संपरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है । पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार, संस्थान की विभिन्न इकाईयों के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्मों का पैनल भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त किया जा रहा है । संपरीक्षा समिति सीएजी कार्यालय द्वारा दिए गए नामों में से संस्थान की विभिन्न इकाईयों हेतु संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है । संपरीक्षा समिति, उसकी प्रत्येक प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों के माध्यम से प्रचालन करती है ।

6.24 अंकीय पुन: इंजीनियरी और संपरिवर्तन समिति (डीआरएंडटीसी)

(I) आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र – https://learning.icai.org/iDH/icai/

- वृत्तिक और शैक्षिक दोनों प्रकार के शिक्षण के लिए केंद्रीय भांडागार के रूप में एकल स्रोत
- लोगो एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है

(II) आईसीएआई के अखिल भारत में स्थित अवस्थानों में आईसीएआई के अभिलेखों का अंकीयकरण

- आईसीएआई के प्रधान कार्यालय और आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों में विद्यमान सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रतियों का अंकीयकरण
- ये अभिलेख किसी भी समय और कहीं से भी पहुंच के लिए उपलब्ध हैं और इससे सभी पणधारियों को दक्ष सेवाएं प्राप्त होने में लगने वाले समय में प्रभावी रूप से कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी ।

(III) सदस्यों और छात्रों के लिए नई अंकीय पहचान – mail.CA.IN मेल बाक्स

(IV) आईसीएआई द्वारा वाट्सऐप सेवाओं का सफलतापूर्वक शुभारंभ – सभी सदस्यों और छात्रों के लिए एकतरफा संसूचना मंच

(V) आईसीएआई सोशल मीडिया मंच :

आईसीएआई सोशल मीडिया मंच, आईसीएआई के विभिन्न आयोजनों, आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों को बिना किसी लागत के आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । आईसीएआई सोशल मीडिया नेटवर्किंग की उपस्थिति में सतत रूप से वृद्धि हो रही है और उसके फालोअर्स की कुल संख्या 20 लाख उपयोक्ताओं से अधिक हो गई है । अंकीय पुन: इंजीनियरी और संपरिवर्तन निदेशालय के समर्थ मार्गदर्शन के अधीन फालो करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है और वर्ष 2023-24 के दौरान और अधिक संख्या में व्यक्तियों को इससे जोड़ा जाएगा । डाउनलोड के लिए लिंक निम्नानुसार है – https://www.icai.org/followus

(VI) आईसीएआई मोबाइल ऐप – आईसीएआई नाउ – www.icai.org/mobile

- आईसीएआई की शासकीय मोबाइल ऐप
- आईओएस और एंड्रायड पर इसके अद्यतन वर्जन 2.0 का शुभारंभ
- लोगो एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है

- ऐप को 9 लाख से अधिक उपयोक्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है ।

डाउनलोड के लिंक इस प्रकार है - https://www.icai.org/mobile/

(VII) आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और आंतरिक पणधारियों के लिए सेवा परिदान की ऑनलाइन पद्धतियों को सुकर बनाया गया

- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और छात्रों को आनलाइन पद्धति के माध्यम से व्याख्यान उपलब्ध कराना ।
- आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से कहीं से भी और किसी भी समय पठन का संवर्धन करना ।
- महामारी के समय में वर्चुअल बैठकों और वेबकास्टों की नई पद्धतियों का शुभारंभ करके आईसीएआई के समय की बचत सुनिश्चित होती है ।
- यह सुनिश्चित होता है कि आईसीएआई का सेवा प्रदाता तंत्र रुकेगा नहीं ।
- आईसीएआई के शासन में इन वर्चुअल बैठक पद्धतियों से महत्वपूर्ण फायदे प्राप्त हुए हैं ।

(VIII) आयोजनों का सफलतापूर्वक संचालन – उपलब्ध कराया गया समर्थन

- **डब्ल्यूसीओए 2022**
  - **प्रौद्योगिकी**
    - डब्ल्यूसीओए 2022 मोबाइल ऐप – 6500 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा डाउनलोड किया जाना ।
    - डब्ल्यूसीओए 2022 वर्चुअल मंच – 3500 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा पहुंच बनाना ।
    - डब्ल्यूसीओए 2022 के दौरान प्रदर्शित रोबोटिक्स की सभी द्वारा व्यापक रूप से सराहना।
    - अन्य प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें ।
  - **सोशल मीडिया**
    - 18 नवंबर, 2022 को ट्वीटर पर भारत में डब्ल्यूसीओए हैश टैग, अर्थात् #wcoa 2022 तीसरे नंबर पर तथा 19 नवंबर, 2022 को उक्त हैश टैग कारबार प्रवर्ग में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था ।
    - आईसीएआई एचओ और डब्ल्यूसीओए अकाउंट्स पर भुगतान वाला संवर्धन आईसीएआई के सभी सोशल मीडिया मंचों पर चल रहा था, एचओएएंडडब्ल्यूसीओए अकाउंट : कुल पहुंच/देखा जाना – 1,41,72,918 ।
    - आर्गेनिक अंतर्वस्तु : आईसीएआई द्वारा आर्गेनिक अंतर्वस्तु का सृजन किया गया और उसे आईसीएआई के एचओ पर प्रकाशित किया गया तथा डब्लयूसीओए अकाउंट – कुल आर्गेनिक पोस्ट : 1450+ कुल पहुंच/देखा जाना – लगभग 5 करोड़ से अधिक ।
    - यह प्राक्कलन किया गया है कि कुल उपयोक्ताओं के 85 प्रतिशत उपयोक्ताओं ने डब्ल्यूसीओए की वेबसाइट https://www.wcoa2020mumbai.org/ को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा (आर्गेनिक पोस्ट+ भुगतान वाला संवर्धन) ।
- **इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस और वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन – प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया संवर्धन**
- **नई दिल्ली में आयोजित आईसीएआई सीए दिवस**
- **नई दिल्ली में आयोजित आईसीएआई वार्षिक दिवस, 2023**

(IX) आईटी अवसंरचना संबंधी पहलें

- आईटीओ, नई दिल्ली पर वीडियो दीवार और साइड पैनलों का प्रतिष्ठापन
- डब्ल्यूसीओए 2022 के लिए मुंबई में नई वीसी प्रणाली का प्रतिष्ठापन
- डब्ल्यूसीओए 2022 के लिए मुंबई कार्यालय में नया वाईफाई सोल्यूशन

- अहमदाबाद कार्यालय में नई वीसी प्रणाली का प्रतिष्ठापन
- डाटा केंद्र सर्वरों का प्रतिस्थापन
- नई निविदाओं के साथ प्रपुंज एसएमएस और ई-मेल की लागत को आधा किया गया
- आई पैड और सहायिकियों का उपापन
- आईटीओ, नई दिल्ली पर संपूर्ण नेटवर्क पुन:संरचना
- सभी आईसीएआई अवस्थानों पर नया आईआईएल आरंभ किया जाना
- उपयोक्ताओं को नए डेस्कटाप/लैपटाप/प्रिंटर तथा अन्य सहायिकियां उपलब्ध कराया जाना
- विद्यमान हार्डवेयर और अवसंरचना का उन्नयन
- उपयोक्ताओं को डाटा कार्ड उपलब्ध कराना

(X) अन्य विभागों/आईसीएआई की समितियों को प्रौद्योगिकी समर्थन उपलब्ध कराना

- विधिक विभाग में नि:शुल्क रूप से एलआईएमबीएस (विधिक सूचना प्रबंध और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किए जाने की प्रणाली) का सफलतापूर्वक शुभारंभ ।
- Tracker.icai.org – आईसीएआई के प्रधान कार्यालय में संदाय को ट्रेक करने वाला पोर्टल स्थापित है और भंलीभांति कार्य कर रहा है ।
- कार्यालय ने सदस्यों और छात्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी के लिए डैश बोर्ड विकसित किया है ।
- कार्यालय ने सरकारी ई-उपापन (जीईएम) पोर्टल पर आईसीएआई के लिए जैम क्रेता अकाउंट के प्रशासनिक तंत्र का सफलतापूर्वक सृजन किया है ।
- कार्यालय ने सदस्यों और छात्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी के लिए डैश बोर्ड विकसित किया है ।

6.25 प्रबंधन समिति

परिषद् की अस्थायी समिति के रूप में 2015 में गठित प्रबंधन समिति के लिए, शाखाओं के गठन, विदेश में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखे, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट मामले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधनों के प्रस्तावों, तद्धीन विरचित नियमों और विनियमों, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं विषयक मामले, सदस्यों/सीए फर्मों/ एलएलपी/ विलयनों/ निर्विलयनों/नेटवर्किंग संबंधित विषयों और प्रशासनिक तथा नीतिगत विवक्षाओं वाली संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों तथा जब कभी अपेक्षित हो, इसकी सिफारिशें परिषद् को करने से संबंधित विषयों पर विचार करने संबंधी कार्य करना आज्ञापक है ।

6.26 मूल्यांकन मानक बोर्ड

मूल्यांकन मानक बोर्ड, भारत में विद्यमान मूल्यांकन मानकों (आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018) को सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के समरूप बनाने के लिए प्रयास करता है । इस विजन की पूर्ति हेतु बोर्ड का उद्देश्य भारत और भारत से बाहर, दोनों जगह आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में जागरुकता का सृजन करना तथा उनके कार्यान्वयन को संवर्धित करना है । इसके अतिरिक्त, बोर्ड का उद्देश्य मूल्यांकन वृत्ति का संवर्धन करना तथा देशी और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर मूल्यांकन मानकों के क्षेत्र में अपने सदस्यों के लिए सक्रिय रूप से अवसरों की खोज करना है । ज्ञान के प्रचार-प्रसार के अलावा बोर्ड, अपने विजन की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा की गई पहलों के संबंध में सरकार के साथ निकट रूप से कार्यकरण भी कर रहा है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) सरकार के साथ विधि निर्माण प्रक्रिया को सुकर बनाना

- **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ सहयोग**

  बोर्ड सक्रिय रूप से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ विनियामक पहलूओं के संबंध में कार्य कर रहा है, जिससे मूल्यांकन वृत्ति के संबंध में जागरुकता का सृजन किया जा सके । बोर्ड ने “मूल्यांकन – आईबीसी 2016 के अधीन प्रमुख पहलू और आईबीसी तथा मूल्यांकन संबंधी बृहत्त सभा” विषयों पर वेबकास्टों और वीसीएम का आयोजन किया ।

(II) सरकार/विनियामक निकायों को अभ्यावेदन/सुझाव/अंत:निवेश उपलब्ध कराना

- **भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करना कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अपनाया जाए**

  आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को देश में विद्यमान विधि के अनुसार अपेक्षित उपांतरणों के अधीन रहते हुए वैश्विक रूप से अनुसरित किए जाने वाले व्यवहारों के ब्यौरेवार अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। अंत:, देश भर में एकसमान व्यवहारों को सुनिश्चित करने हेतु आईसीएआई ने आरबीआई से यह अनुरोध किया था कि वह भारत में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के द्वारा मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों की बजाए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अंगीकृत करे और तदनुसार बैंकों को निदेश जारी करे । इस संबंध में, आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को तैयार करने की यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों की तुलना में उसके विशिष्ट फीचरों के संबंध में चर्चा करने के लिए भी अनुरोध किया गया था।

(III) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

- **आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में ई-पठन माड्यूलों/पाठ्यक्रमों को तैयार करना और उन्हें आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया जाना**

  आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 का संवर्धन करने और उसके संबंध में जागरुकता का सृजन करने के विचार से मूल्यांकन मानक बोर्ड ने अपनी 10वीं बैठक के दौरान यह विनिश्चय किया कि आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 से संबंधित ई-पठन पाठ्यक्रमों को आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया जाए। ई-पठन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक मानक के संबंध में मशीन आडियो, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा स्वनिर्धारण हेतु बहु विकल्प वाले प्रश्नों के साथ एक परस्पर क्रियाशील प्रस्तुति भी अंतर्विष्ट है। आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर सदस्यों के पठन और फायदे के लिए एटीक्यू श्रृंखला – 15 को अपलोड किया गया है।

- **"वस्तु सूची मूल्यांकन – लेखांकन बनाम मूल्यांकन" विषय पर वेबकास्ट का आयोजन**

  आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 12 अप्रैल, 2022 को "वस्तु सूची मूल्यांकन – लेखांकन बनाम मूल्यांकन" विषय पर वेबकास्ट का आयोजन किया, जिसमें वस्तु सूची के लेखांकन और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलों पर विचार-विमर्श किया गया। इस वेबकास्ट को सदस्यों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी।

- **मूल्यांकन – आईबीसी 2016 के अधीन प्रमुख पहलू विषय पर वेबकास्ट का आयोजन**

  आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से 19.04.2022 को मूल्यांकन – आईबीसी 2016 के अधीन प्रमुख पहलू विषय पर वेबकास्ट का आयोजन किया। इस वेबकास्ट को सदस्यों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी।

- **आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने, आईसीएआई की एसआईआरसी की तिरुवनंतपुरम् शाखा के साथ संयुक्त रूप से 28 मई, 2022 को मूल्यांकन संबंधी दृष्टिकोणों तथा पद्धतियों के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम के दौरान मूल्यांकन में किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मामला अध्ययनों पर भी चर्चा की गई थी।

(IV) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों को सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/सभाएं

- **अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक परिषद्, यूके की सदस्यता**

  आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक परिषद् का एक सक्रिय सदस्य है।

(V) प्रगतिशील अनुसंधान परियोजनाएं/कार्यक्रम

- आस्ति वर्ग वित्तीय आस्तियों और प्रतिभूतियों के विस्तार क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित क्षेत्रों पर नए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों/तकनीकी गाइडों/अवधारणा पत्रों को तैयार करना और निकालना :

  गैर वित्तीय दायित्व -

- जीव वैज्ञानिक आस्तियां

- आकस्मिक प्रतिफल

- अन्य दो आस्ति वर्गों, अर्थात् संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि और भवन के लिए मूल्यांकन मानकों को तैयार करना । ब्रिक्स, साफा और कापा देशों के साथ मिलकर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और उन्हें आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 को अंगीकृत तथा उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आईसीएलएस अकादमी के साथ संयुक्त रूप से आईसीएलएस अधिकारियों के लिए मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन ।
- शेष आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 से संबंधित प्रकाशित की जाने वाली शैक्षिक सामग्री, जिससे मानकों की समझ और उनके कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके ।

(VI) प्रकाशन

- मूल्यांकन : वृत्तिकों की अंत:दृष्टि, श्रृंखला - 7 ।
- टेलीकोम टावर उद्योग में कारबार के मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू श्रृंखला : 15 – "वस्तु-सूची मूल्यांकन – लेखांकन बनाम मूल्यांकन"
- मूल्यांकन के क्षेत्र में न्यायिक उदघोषणाएं – श्रृंखला 2
- निष्कर्षणात्मक उद्योगों में आस्तियों के मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड
- मूल्यांकन मानकों के लिए त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर

(VII) कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम

आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने, वस्तु-सूची का मूल्यांकन – लेखांकन बनाम मूल्यांकन पहलू, मूल्यांकन – आईबीसी 2016 के अधीन प्रमुख पहलू, मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018, आईबीसी और मूल्यांकन संबंधी बृहत्त सभा, मूल्यांकन मंथन सत्रों संबंधी साप्ताहिक वेबीनार से संबंधित वेबकास्टों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया । आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन संगठन (भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के पांचवें स्थापना दिवस के अवसर पर आईसीएआई आरवीओ ने आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से "मूल्यांकन इको प्रणाली के माध्यम से वहनीय लोकहित" विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया ।

6.27 कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी)

विभिन्न कराधान विधियों के अधीन अनुपालन की रिपोर्टिंग (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)में सुधार करने के लिए संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया गया । यह अनुकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय सदस्य अधिक सावधानी और तत्परता बरतेंगे तथा दीर्घ समय में उनके द्वारा की गई संपूर्ण रिपोर्टिंग तथा प्रमाणीकरण में सुधार होगा ।

क्रियाकलाप/पहलें

- **परिषद् वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान चयनित कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति**

  बोर्ड ने स्व:विवेकानुसार (निर्धारण वर्ष 2022-23 से संबंधित) कंपनियों का 100, उनकी कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए चयन किया । अभी तक, बोर्ड को पुनर्विलोकन हेतु 74 कर संपरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

पुनर्विलोकन के आधार पर :

- सदस्यों को इस संबंध में सलाह जारी की जा रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की त्रुटियों को दोहराया न जाए ।
- कर संपरीक्षा रिपोर्ट ई-फाइलिंग उपयोगिता में परिवर्तनों के लिए सीबीडीटी को संप्रेक्षित किए जाने हेतु सुझावों की पहचान की गई है ।
- ऐसे सुझावों की पहचान की गई है, जिन्हें कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के आगामी संस्करण में सम्मिलित किया जा सकता है ।

- सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के प्रयोजन के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितिताओं तथा किए गए अननुपालनों की पहचान की गई है ।

- **परिषद् वर्ष 2023-24 के दौरान चयनित कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति**

बोर्ड ने स्व:विवेकानुसार (निर्धारण वर्ष 2022-23 से संबंधित) 100 कंपनियों का, उनकी कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए चयन किया । अभी तक, बोर्ड को पुनर्विलोकन हेतु 74 कर संपरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

सदस्यों के लिए पहलें

(I) संगोष्ठियां

बोर्ड ने कर संपरीक्षा, धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा में पाए जाने वाले सामान्य अननुपालनों और मुद्दों, आय-कर संपरीक्षा, कर संपरीक्षा में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सुरक्षोपाय और कर संपरीक्षा क्वालिटी, कर संपरीक्षा के अधीन मुद्दों पर परिचर्चा, प्रत्यक्ष कर और अन्य कर विषयक मामलों के संबंध में 8 संगोष्ठियों का आयोजन किया ।

(II) वेबीनार

सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए बोर्ड ने 'आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर संपरीक्षा के व्यावहारिक पहलू', 'कर संपरीक्षा अभ्यास सत्र 1 - कर संपरीक्षा कार्यक्रम', 'कर संपरीक्षा अभ्यास सत्र 2 – कर संपरीक्षा में संपरीक्षा प्रतिफल संबंधी मानक' और 'कर संपरीक्षा अभ्यास सत्र 3 – कर संपरीक्षा दस्तावेजीकरण' विषयों पर चार लाइव वेबीनारों का आयोजन किया था ।

(III) बोर्ड के वेब पोर्टल का शुभारंभ

- नियम आधारित विश्लेषणों का उपयोग करते हुए कर संपरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों की प्रणालीगत पहचान करना ।
- तकनीकी पुनर्विलोककों के पैनलीकरण सहित पुनर्विलोकन के विभिन्न स्तरों के बीच टीएक्यूआरबी के विभिन्न कार्य प्रवाहों का स्वचालन ।
- बोर्ड द्वारा पाए गए अननुपालनों के भांडागार को बनाए रखना ।
- पुनर्विलोकन कार्य की प्रगति की मानीटरी करना ।
- टीएक्यूआरजी और साथ ही टीआर के डाटाबेस को बनाए रखना ।
- टीएक्यूआरबी के प्रकाशनों को उपलब्ध कराना, जर्नल में टीएक्यूआरबी के लेखों का योगदान, टीएक्यूआरबी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/वेबकास्टों के ब्यौरे, डिड यू नो श्रृंखला आदि ।

(IV) अनुकूलन कार्यक्रम

बोर्ड ने कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन समूहों के सदस्यों के लिए तीन अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

(V) बोर्ड के शासकीय ट्विटर हैंडल का शुभारंभ

1 जुलाई, 2022 को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 2022 के अवसर पर बोर्ड के शासकीय ट्विटर हैंडल, अर्थात् @taqrbicai का शुभारंभ किया गया । बोर्ड ने उक्त हैंडल पर "डिड यू नो श्रृंखला" को भी आरंभ किया ताकि सदस्यों को अनुपालनों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके ।

(VI) प्रकाशन

संस्थान के सदस्यों को उनके द्वारा की जाने वाली कर संपरीक्षाओं की क्वालिटी में अभिवृद्धि करने और उसमें सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बोर्ड ने 1 जुलाई, 2022 को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 2022 के अवसर पर 'कर संपरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्टिंग में अनुपालनों पर अध्ययन' नामक एक प्रकाशन का विमोचन किया । ऊपर किए गए उपायों से यह आशा की जाती है कि उनके माध्यम से सदस्यों द्वारा की जाने वाली कर संपरीक्षा की क्वालिटी में सुधार आएगा ।

(VII) अन्य क्रियाकलाप

- आईसीएआई के डीएलएच पोर्टल के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्टों के विभिन्न खंडों के संबंध में पहचान किए गए विभिन्न अननुपालनों/सामान्य त्रुटियों के संबंध में लघु ई-पठन वीडियो को रिकार्ड करना।
- 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई में आयोजित अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, 2022 में 'उत्तम विनियामक ढांचा' थीम के अधीन आईसीएआई के अन्य विनियामक बोर्डों, उदाहरणार्थ क्यूआरबी, एफआरआरबी, पीआरबी और सीएक्यू के साथ टीएक्यूआरबी की उपस्थिति को भी आईसीएआई पैवेलियन में दर्ज किया गया।
- वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अधीन अद्वितीय सप्ताह के उदघाटन के अवसर पर आईसीएआई की सभी कराधान समितियों से उसमें भाग लेने हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए थे। उक्त समारोह में आईसीएआई की सभी कराधान समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अधीन अद्वितीय सप्ताह के उदघाटन समारोह के दौरान एक साइक्लोथोन नामक कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई गई थी, जिसके अधीन नगर के ऐतिहासिक स्मारकों के दौरे किए गए। उक्त आयोजन के लिए आईसीएआई से स्वैच्छिक प्रतिभागियों की ईप्सा की गई थी। आईसीएआई से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी।

6.28 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईएंडबीसी)

आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति का गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधियों पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है तथा इसने सदस्यों के लिए एक नए वृत्तिक अवसरों का सृजन किया है। समिति का उद्देश्य विधि के व्यवहारिक पहलुओं तथा प्रक्रिया पर बड़े पैमाने पर सदस्यों में दिवाला समाधान के क्षेत्र में व्यवहारों तथा सदस्यों के बीच इस नए क्षेत्र तथा विधि की प्रक्रियाओं तथा व्यवहारिक पहलूओं के संबंध में जागरुकता लाना तथा सदस्यों को शिक्षित करना है।

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की ओर

आईसीएआई भारत सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन हेतु स्थायी समिति के रूप में गठित दिवाला विधि समिति के सदस्य के रूप में योगदान दे रहा है।

क्रम सं.	परामर्श पत्र को जारी करना/आईबीबीआई/एमसीए द्वारा जनता की टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सूचना जारी करना	आईबीबीआई पोर्टल पर आईसीएआई के सुझाव अपलोड करने की तारीख
1	आईबीबीआई ने 15 फरवरी, 2022 को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में वृत्तिकों का नियोजन और नियुक्ति विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और सीआईआरपी (कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों के विनियमन 27 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 30 मार्च, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 30 मार्च, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
2	आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2022 को "समाधान और प्रवर्तन तंत्र का पुनर्विलोकन" विषय पर परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 21 अप्रैल, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 21 अप्रैल, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
3	आईबीबीआई ने 8 अप्रैल, 2022 को "सूचना उपयोगिता की प्रभाविकता में अभिवृद्धि" विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 29 अप्रैल, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 28 अप्रैल, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
4	आईबीबीआई ने 13 अप्रैल, 2022 को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में विलंबों को कम करने से संबंधित मुद्दों पर	आईसीएआई के सुझावों को 2 मई, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर

	एक परामर्श पत्र जारी किया और उस पर 3 मई, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	अपलोड किया गया।
5	आईबीबीआई ने 9 जून, 2022 को दिवाला वृत्तिक के पारिश्रमिक विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 30 जून, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 30 जून, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
6	आईबीबीआई ने 14 जून, 2022 को "अस्तित्वों को दिवाला वृत्तिक बनने में समर्थ बनाना" विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 5 जुलाई, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 5 जुलाई, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
7	आईबीबीआई ने 14 जून, 2022 को "परिसमापन प्रक्रिया के सुव्यवस्थीकरण" पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 5 जुलाई, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 5 जुलाई, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
8	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 14 जून, 2022 को भू-संपदा परियोजनाओं के प्रभावी और शीघ्र समाधान से संबंधित मुद्दों पर एक सूचना जारी की और उस पर 5 जुलाई, 2022 तक साधारण जनता की टीका-टिप्पणियां मांगी, जिन्हें आईबीबीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी पर प्रस्तुत किया जाना था।	आईसीएआई के सुझाव 5 जुलाई, 2022 को उक्त ईमेल आईडी पर प्रस्तुत किए थे।
9	आईबीबी ने 24 जून, 2022 को "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की वित्तीय आत्मनिर्भरता" पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 15 जुलाई, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 15 जुलाई, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
10	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 27 जून, 2022 को "कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में विलंबों को दूर करने और समाधान मूल्य में सुधार करने के लिए परितर्वन" विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया और उस पर 17 जुलाई, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 17 जुलाई, 2022 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।
11	एमसीए ने अपनी तारीख 18 जनवरी 2023 की एक सूचना द्वारा साधारण जनता से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में विचाराधीन परिवर्तनों के संबंध में 7 फरवरी 2023 को सायं 5:30 बजे तक साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।	आईसीएआई के सुझावों को 7 फरवरी, 2023 को आईबीबीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया।

(I) प्रकाशनों को जारी किया जाना

- समाधान वृत्तिक द्वारा निगम ऋणी के समुत्थान प्रबंध संबंधी हैंडबुक।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन न्यायिक उद्घोषाएं – श्रृंखला 4।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन विनियमों में वर्ष 2022 में किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण।
- लेनदारों की समिति की बैठकें – दिवाला वृत्तिक के मार्गदर्शन के लिए हैंडबुक।

(II) आईबीसी मामला विधियों संबंधी अद्यतन जानकारी

आईबीसी मामला विधियों संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित आधार पर उपलब्ध कराए जाने संबंधी इस वर्ष की गई पहल के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दिए गए निर्णयों के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए समिति ने मार्च 2021 से जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान 23 मामला विधियों संबंधी अद्यतन प्रकाशनों को निकाला है।

(III) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के महत्व को तथा उसमें विद्यमान वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने साधारण रूप से सदस्यों के फायदे के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया है। समिति ने अभी तक आनलाइन पद्धति से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पांच बैचों का संचालन किया है। समिति द्वारा उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीसरे बैच के पश्चात् से उनका संचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के सहयोग से किया जा रहा है।

(IV) आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) का संचालन गोवा और पेंच, मध्य प्रदेश में किया गया। समिति ने 26 से 29 मई, 2022 के दौरान एक आईबीसी संबंधी चार दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का संचालन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा और आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पिंपरी चिंचवाड़, अकोला और अहमदनगर शाखा द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

(V) विशेषीकृत पाठ्यक्रम

आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) के साथ संयुक्त रूप से सीमित दिवाला परीक्षा के लिए तैयारी कराए जाने संबंधी वर्चुअल पाठ्यक्रम

आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईबीसी) और भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) ने संयुक्त रूप से सीमित दिवाला परीक्षा के लिए तैयारी कराए जाने संबंधी वर्चुअल पाठ्यक्रम के सात बैचों का संचालन किया है।

(VI) आयोजित सभाओं/परस्पर क्रियाशील बैठकों के ब्यौरे

- आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईबीसी) और आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने आईसीएआई आरवीओ के सहयोग से 5 फरवरी, 2023 को आईसीएआई, बीकेसी, मुंबई में आजादी का अमृत महोत्सव की देशव्यापी पहलों के रूप में आईबीसी और मूल्यांकन संबंधी एक बृहत्त सभा का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई।
- आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईबीसी) ने 8 जुलाई, 2022 को आईसीएआई, बीकेसी, मुंबई में दिवाला वृत्तिकों की कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने तीन दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सहयोग से 20 जनवरी, 2023 को आईसीएआई भवन, चेन्नई में दिवाला वृत्तिकों की एक सभा का आयोजन किया। इस सभा की सह-मेजबानी आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति द्वारा की गई।

(VII) समिति द्वारा देशव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव पहलों के भागरूप में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशाला ाओं के ब्यौरे

- समिति ने 20 अगस्त, 2022 को कोलकाता में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम को एनसीएलटी के माननीय सदस्यों द्वारा भी संबोधित किया गया।
- आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईबीसी) और भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) ने 28 जनवरी, 2023 को जम्मू में संयुक्त रूप से दिवाला और शोधन अक्षमता

संहिता संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू-कश्मीर शाखा द्वारा की गई। इस संगोष्ठी को श्री रोहित कपूर, माननीय सदस्य (न्या.), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने संबोधित किया।

- समिति ने अहमदाबाद और लखनऊ में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी दो संगोष्ठियों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, आईबीसी विधि के अधीन आईबीसी - खोज अवसरों तथा आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए अजमेर और रायपुर में एक तीन दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया।

(VIII) समिति द्वारा देशव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव पहलों के भागरूप में आयोजित सम्मेलनों के ब्यौरे

समिति ने 9 और 10 दिसंबर, 2022 के दौरान पुणे में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पिंपरी चिंचवाड शाखा और सह-मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा और ओरंगाबाद शाखा द्वारा की गई। इस कार्यक्रम को कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई द्वारा संबोधित किया गया।

(IX) समिति द्वारा देशव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी पहलों के भागरूप में आयोजित वेबकास्ट/वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम)

(i) वर्चुअल सीपीई बैठकें :

समिति ने, 'मूल्यांकन – आईबीसी, 2016 के अधीन प्रमुख पहलू', 'आईबीसी के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया – महत्वपूर्ण पहलू', 'आईबीसी के अधीन परिसमापन प्रक्रिया – महत्वपूर्ण पहलू' और 'आईबीसी के अधीन समाधान योजना - महत्वपूर्ण पहलू' विषयों पर चार वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया।

(ii) वीसीएम श्रृंखलाएं

समिति ने आईबीसी पर चार वीसीएम श्रृंखलाओं का आयोजन किया, श्रृंखला 1– कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), श्रृंखला 2- पूर्व – पैकेज दिवाला, श्रृंखला 3– तनावग्रस्त आस्तियों और तनावग्रस्त आस्तियों के वित्तपोषण+ समाधान योजना में अवसर और श्रृंखला 4– परिसमापन।

(iii) वेबीनार

समिति ने, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन कंपनियों के लिए जीएसटी अनुपालन, लेनदारों की समिति की बैठकों, आईबीसी के अधीन कंपनियों के लिए कराधान पहलूओं, आईबीसी के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया – महत्वपूर्ण व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और समाधान योजना – आईबीसी में सफलता की कुंजी के संबंध में पांच वेबीनारों का आयोजन किया। समिति ने आईबीसी के अधीन सफल समाधान मामलों के मामला अध्ययनों संबंधी वेबीनारों की एक श्रृंखला का भी आयोजन किया, अर्थात् आईबीसी के अधीन असम कंपनी इंडिया समाधान का मामला अध्ययन और आईबीसी के अधीन साई वर्धा पावर जनरेशन समाधान का मामला अध्ययन, समिति द्वारा डब्ल्यूसीओए 2022 के दौरान मुंबई स्थित आईसीएआई के पैवेलियन में भाग लेना, आदि।

(X) समिति द्वारा डब्ल्यूसीओए 2022 के दौरान मुंबई स्थित आईसीएआई के पैवेलियन में भाग लेना

आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति ने मुंबई में डब्ल्यूसीओए 2022 के दौरान आईसीएआई पैवेलियन के जोन 1 – 'राष्ट्र निर्माण में भागीदार' में भाग लिया। पैवेलियन में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित एक क्विज का आयोजन किया गया और इस क्विज में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने अति उत्साहपूर्वक भाग लिया।

6.29 महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति (डब्ल्यूवाईएमईसी)

राष्ट्र के एक सच्चे भागीदार के रूप में आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति (डब्ल्यूवाईएमईसी) (तत्कालीन महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति) का गठन किया है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति है। समिति का सृजन वर्ष 2014 में किया गया था और उसके पश्चात् से वह महिला सदस्य सशक्तिकरण संबंधी समूह या महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय जैसे नामों के अधीन महिला सदस्यों के लिए कार्य कर रही थी। समिति के अधिकार क्षेत्र में युवा सदस्यों को सम्मिलित करने के पश्चात् समिति का अधिकार क्षेत्र और अधिक व्यापक हुआ और वह आज के परिवर्तनशील तथा

चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों में महिलाओं और युवा दोनों प्रकार के सदस्यों के सशक्तिकरण और उनके कौशलों में अभिवृद्धि के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रही है । डब्ल्यूवाईएमईसी विशेष रूप से क्षमता निर्माण पहलों, कौशल विकास क्रियाकलापों, विभिन्न रोजगार के अवसरों के बारे में जागरुक करके तथा अन्य समान साधनों के माध्यम से महिला सदस्यों और युवा सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करती है ।

(I) महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सबसे पहला नियोजन कार्यक्रम, जिसमें नमनीय समय/अंशकालिक/घर से कार्य करने संबंधी नौकरियों के अवसरों को सम्मिलित किया गया था :

समिति ने, उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईबी) के साथ संयुक्त रूप से अनन्य रूप से महिला सदस्यों के लिए और अधिक समर्पित नियोजन अवसरों का पता लगाने के लिए, जो ऐसी अनुभव प्राप्त महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए तात्पर्यित हैं, जो नमनीय समय/अंशकालिक रूप से/घर से कार्य करने की इच्छुक हैं, 31 अक्तूबर और 1 नवंबर, 2022 को विशेष नियोजन अभियान का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप से 9 बड़े और 12 छोटे केंद्रों पर किया गया था । इस सुविधा में नमनीय समय/अंशकालिक समय/घर से कार्य करने के विकल्प को सम्मिलित किया गया था और यह ऐसी महिला सदस्यों, जो पूर्णकालिक सीओपी को धारण नहीं कर रही और जिनके पास एक वर्ष से अधिक का अनुभव है, के लिए एक उत्कृष्ट अवसर था कि वे अपनी सुगमता और सामर्थ्य के अनुसार नौकरी के अवसरों को खोज सकें । इस नियोजन कार्यक्रम को अत्यधिक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और इसके दौरान 81 कंपनियां नमनीय समय/अंशकालिक समय/घर से कार्य करने के विकल्प वाली 1179 रिक्तियों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई । कुल 1613 महिला सदस्यों ने उक्त नियोजन कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया, जिसमें से कंपनियों द्वारा 1376 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया । इस कार्यक्रम के दौरान भर्तीकर्ताओं द्वारा 97 अद्वितीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से महिला सदस्यों ने 50 प्रस्तावों को स्वीकार किया ।

महिला सीए को प्रथम नियोजन कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने, साक्षात्कार हेतु तैयारी करने और उनकी शंकाओं तथा संदेहों का समाधान करने के लिए समिति ने 28 अक्तूबर, 2022 को एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया । विख्यात वक्ताओं ने साक्षात्कार/परीक्षा से पहले सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए संगत विषयों पर उन्हें संबोधित किया ।

(II) डब्ल्यूसीओए पैवेलियन

समिति ने, मुंबई में डब्ल्यूसीओए 2022 में स्थापित किए गए आईसीएआई पैवेलियन के प्रति भी अपना योगदान दिया । आईसीएआई पैवेलियन में भाग लेने का प्रयोजन, समिति द्वारा महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के फायदे के लिए की जाने वाली विभिन्न पहलों के संबंध में जागरुकता का सृजन करना और साथ ही डब्ल्यूसीओए में भाग लेने वाले व्यक्तियों की मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करना था । दौरा करने वाले प्रतिनिधियों के साथ परस्पर क्रिया के दौरान समिति की विभिन्न पहलों को विशिष्ट रूप से उपदर्शित किया गया । महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों को समिति के कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/वेबीनारों/वीसीएम में सक्रिय रूप से भाग लेने और नियमित रूप से महिला पोर्टल को देखने हेतु उत्साहित किया गया, जिससे उन्हें समिति की आगामी पहलों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके । तीस प्रश्नों को अंतर्वलित करने वाली एक क्विज की अवधारणा बनाई गई और उसे अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी प्रतिभागियों, दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया । प्रत्येक प्रश्न के लिए सुंदर फ्लैश कार्डों को तैयार किया गया तथा उन्हें मुद्रित करने के पश्चात् क्विज में भाग लेने में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों को वितरित किया गया । समिति की कार्ययोजना के साथ समिति के क्रियाकलापों के संबंध में जागरुकता और दिलचस्पी उत्पन्न करने के लिए भारतीय और साथ ही विदेशी प्रतिभागियों, जिन्होंने क्विज में भाग लिया और उसमें दिलचस्पी दर्शित की, को वहनीय उपहार मदें वितरित की गई । पूरे विश्व से लगभग 1000 महिला वृत्तिकों ने पैवेलियन का दौरा किया और समिति की पहलों के संबंध में पूछताछ की ।

(III) स्वचालन और जोश के साथ सशक्तिकरण की ओर कदम विषय पर नेटवर्किंग बैठक

समिति ने, 16 नवंबर, 2022 को आईसीएआई सभागार, बीकेसी, मुंबई में डब्ल्यूसीओए आयोजनों के साथ-साथ स्वचालन और जोश के साथ सशक्तिकरण की ओर कदम विषय पर नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया । इस बैठक के दौरान, उपस्थित होने वाले गणमान्य वक्ताओं में सुश्री केट बूरर, अध्यक्ष, सीए एएनजेड, सुश्री ग्लेडिस जिल, ए.सेंटोस, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसीपीएपीपी और सीए संध्या शर्मा, सीएफओ, शिन्डलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सम्मिलित थे । आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डब्ल्यूसीओए की कार्यकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय परिषद् के सदस्यों ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई तथा प्रतिभागियों को संबोधित किया । लगभग 80 महिला सदस्यों ने भौतिक रूप से इस बैठक में भाग लिया था ।

(IV) स्काई हाई सिम्पोजियम वेडनेसडे प्रोग्राम :

समिति प्रत्येक सप्ताह स्काई हाई सिम्पोजियम कार्यक्रमों का आयोजन करती है । यह संस्थान की महिला और युवा सदस्यों संबंधी समिति द्वारा संचालित वेडनेसडे श्रृंखला के कार्यक्रम हैं । महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति की अनेक पहलों में से यह ऐसी पहल है, जो महिला और युवा सदस्यों के बीच न केवल तकनीकी जानकारी और गैर-तकनीकी कौशलों का प्रचार-प्रसार करती है अपितु लोक मंचों पर वह उनके मौखिक कौशलों को बढ़ावा देकर तथा उन्हें आगे आने के लिए उत्प्रेरित करके सशक्त करने का प्रयास करती है । आज की तारीख तक स्काई हाई सिम्पोजियम वर्चुअल साप्ताहिक श्रृंखला के अधीन 58 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 116 से अधिक महिला सदस्यों का तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है और 230 से अधिक महिला सदस्यों ने इन कार्यक्रमों में समन्वयक की भूमिका निभाई है । कार्यक्रम के दौरान 27,000 से अधिक प्रतिभागियों को सशक्त बनाया गया और इस प्रकार प्रत्येक कार्यक्रम की औसत भागीदारी 500 सदस्यों से अधिक थी ।

(V) युवा उत्कृष्टता सिम्पोजियम

समिति युवा उत्कृष्टता सिम्पोजियम कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जो संस्थान के युवा सदस्यों को उनके वृत्तिक विकास में सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं और जो वृत्ति में होने वाली नवीनतम घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर युवा सदस्यों की बुद्धिमता में अभिवृद्धि करते हैं और ये कार्यक्रम फ्राइडे श्रृंखला के कार्यक्रम हैं । समिति ने इस फ्राइडे श्रृंखला का आयोजन 25 मार्च, 2023 से आरंभ किया था और आज की तारीख तक 13 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 6,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और प्रत्येक कार्यक्रम की औसत प्रतिभागिता 460 सदस्यों से अधिक रही ।

(VI) अपनी संभावनाओं को अनावृत करें ..... सीखें – कौशल में वृद्धि करें – उत्कृष्ट बनें, विषय पर वर्चुअल श्रृंखला का आयोजन

समिति ने, अपनी संभावनाओं को अनावृत करें ..... सीखें – कौशल में वृद्धि करें – उत्कृष्ट बनें, विषय पर वर्चुअल श्रृंखला का आयोजन किया । यह श्रृंखला महिला और युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति की एक ऐसी पहल है, जिसके माध्यम से उद्योग/ कारपोरेट जगत में कार्य करने वाले ऐसे सदस्यों, जो अपना व्यवसाय आरंभ करने का लक्ष्य रखते हैं और ऐसे सदस्यों, जिन्होंने कार्य से विराम लिया है, किंतु वे अपना वृत्तिक कैरियर पुन: आरंभ करने के इच्छुक हैं या ऐसे सदस्यों, जो संबद्ध वृत्तिक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के दायरे को व्यापक करना चाहते हैं, के ज्ञान और सकल आत्म विश्वास में वृद्धि की जाती है । यह श्रृंखला साधारण रूप से सदस्यों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हुए नवीनतम संशोधनो से अवगत कराके उनके ज्ञान और सकल आत्मविश्वास को समृद्ध बनाने में भी सहायता करती है । आज की तारीख तक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर माड्यूलों को सम्मिलित करते हुए इस श्रृंखला के अधीन 9 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ।

(VII) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

8 मार्च, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए :

- वैश्विक वेबीनार – विशेष स्काई हाई सिम्पोजियम : समिति ने 8 मार्च, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक वैश्विक स्काई हाई सिम्पोजियम का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष – डब्ल्यूआईएमईसी और उपाध्यक्ष – डब्ल्यूआईएमईसी ने आईसीएआई द्वारा महिला और युवा सदस्यों की सक्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के लिए डब्ल्यूआईएमईसी के तत्वाधान में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों और पहलों के संबंध में चर्चा की गई । इस वेबीनार को संबोधित करने वाले गणमान्य वक्ताओं में सुश्री केट बूरर, पूर्व अध्यक्ष, सीए एएनजेड, सुश्री फियोना पियरमेन, संस्थापक – क्वांटम इंपटेक समूह और सीए कला सुब्रमनियन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई सिंगापुर चेप्टर सम्मिलित थे । इस वेबीनार में लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था ।
- **शाखाओं द्वारा महिला दिवस समारोह का आयोजन :** डब्ल्यूआईएमईसी द्वारा साधारण रूप से महिला सदस्यों के फायदे के लिए समारोह का आयोजन करने और उनके हित का संवर्धन करने के संबंध में शाखाओं को भेजी गई प्रपुंज मेलों के प्रत्युत्तर में देश भर की आईसीएआई की 50 से अधिक शाखाओं ने मार्च, 2023 मास के दौरान डब्ल्यूवाईएमईसी के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया ।
- **वीडियो बाइट :** अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई की वीडियो बाइट्स को रिकार्ड करके संस्था के विभिन्न सोशल मीडिया मंचों, समिति के वेब पृष्ठ और महिला पोर्टल पर अपलोड किया गया था, जिससे देश भर में मौजूद महिला और युवा सदस्यों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके ।

(VIII) आजादी का अमृत महोत्सव - आईकोनिक दिवस समारोह :

समिति ने 8 जून, 2022 को ललित होटल, नई दिल्ली में आईकोनिक दिवस समारोह के भागरूप में "महिलाएं – सशक्तिकरण से उत्कृष्टता तक – समकालीन परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया । इस संगोष्ठी को प्रख्यात वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया, जिनमें सुश्री तलवी कुमार, कार्यपालक निदेशक – मल्टी आर्गन हारवेस्टिंग ऐड नेटवर्क (मोहन) फाउंडेशन – दिल्ली एनसीआर और डा. बोरनाली भंडारी – सीनीयर फैलो ऐट नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) सम्मिलित थे ।

(IX) महिला सदस्यों के लिए वर्चुअल मार्गदर्शन कार्यक्रम :

समिति ने, 25 अगस्त, 2022 को सीपीई समिति के साथ संयुक्त रूप से महिला सदस्यों के लिए वर्चुअल मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया । इस सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया था – महिला सदस्यों के लिए आनलाइन अवसर, विकास संबंधी दृष्टिकोण को कैसे विकसित करें, स्वास्थ्य का महत्व – शारीरिक और मानसिक दोनों का स्वास्थ्य (भावना प्रबंध – उत्साह – उत्साह से पुन: कार्य आरंभ करना – सावधानी – सदैव ऊर्जावान बने रहना – अंदर से निडर बने रहना), छुट्टियां मनाना, वृत्तिक या उद्यमी जीवन से लंबे अक्रियाशील अंतराल को नुकसान की बजाए सकारात्मक रूप से देखना, कार्रवाई – अपने सामान्य रुटीन से बाहर आना, सहायिकियां – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय – डब्ल्यूटीओ व्यवहार, उद्यमशीलता – वर्चुअल वैश्विक परामर्श और अध्यापन हेतु किस प्रकार आनलाइन पाठ्यक्रमों और प्रौद्योगिकी को तैयार करें । इस कार्यक्रम में इन आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए विख्यात वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था । समिति ने महिला सदस्यों के लिए पहले वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी । सम्मेलन के सभी सत्रों का चयन क्रियाशील बाह्य कार्य परिस्थितियों, समकालीन व्यवहार के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तथा महिला सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था । इस सम्मेलन को प्रतिभागियों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई

(X) आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने महिला और युवा सदस्यों के लिए विभिन्न आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिनकी मेजबानी निम्नलिखित द्वारा की गई :

- 17 और 18 जून, 2023 को महिला सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की भोपाल शाखा द्वारा की गई, जिसमें निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया – विभिन्न सहायक विधियों के अधीन महिला सीए के लिए वृत्तिक अवसर, जीएसटी में हाल ही में किए गए संशोधन, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक नैतिकता, स्टॉक मार्किट में इनसाइडर व्यापार, आईटी खतरे और प्रतिभूतियां, कार्य जीवन संतुलन आदि ।
- 24 और 25 जून, 2023 को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पिंपरी चिंचवाड शाखा द्वारा की गई, जिसमें युवा सदस्यों के लिए निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया – अतुलनीय भारत और वहनीयता, नेटवर्किंग का महत्व और मार्ग, स्वयं को सफलता हेतु तैयार करना, अपने दोस्तों को जाने, एक मैत्री आरंभ करने वाला सत्र, फायर साइड चैट : स्टार्ट अप और एंजल निवेशक, वृत्तिक दक्षता के लिए कृत्रिम बुद्धिमता का अनुकूलतम उपयोग, सीए वृत्ति में नए अवसरों की खोज आदि ।
- 25, 26 और 27 जून, 2023 को महिला सदस्यों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, जिसकी मेजबानी सीआईआरसी की गोरखपुर शाखा द्वारा की गई, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा की गई – जीएसटी अनुपालन, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए निगमन प्रक्रिया, वित्तीय विवरणों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणों का पुनर्विलोकन, विकास और सफलता के लिए संभावना, कर योजना, जीएसटी के अधीन शास्तियां और अपराध, भाषण देने की कला, आदि ।

मार्च, 2023 मास के दौरान महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के अलावा समिति ने महिला वृत्तिकों के लिए रिमोट कार्यकरण विचारों, आय-कर संबंधी आधारिक जानकारी, जीएसटी संबंधी अद्यतन जानकारी, एक्ससेल टिप्स के साथ उत्कृष्टता, महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उभरते अवसर, अनिवासी भारतीयों के लिए पूंजी अभिलाभ, जीएसटी की आधारिक जानकारी, जीवन – कार्य संतुलन, महिला सदस्यों के लिए वहनीयता रिपोर्टिंग और सामाजिक संपरीक्षा में अवसर, महिला सीए के लिए सामाजिक संपरीक्षा संबंधी अवसर, सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार के लिए आईसीएआई के दिशानिर्देश, महिला सीए के लिए विश्वास का सृजन करने के लिए संसूचना और सॉफ्ट कौशल, वृत्तिक रूप से स्वयं को तैयार करना, वहनीयता रिपोर्टिंग, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज, कैरियर अवसर, उत्साह, उद्यमशीलता, स्टार्ट अप, कार्य

जीवन, वरदान या श्राप और वैश्विक परिस्थितियां – कृत्रिम बुद्धिमता समर्थ संपरीक्षा तकनीकें, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के साथ वृत्ति का भविष्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रूमिंग आदि ।

6.30 एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति

एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने संबंधी समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए आईसीएआई की परिषद् ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति का आईसीएआई की एक प्रमुख गैर-स्थायी समिति के रूप में गठन किया है । इस समिति का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्ट अप के लिए वहनीय ढांचे का विकास करके सक्षमता निर्माण उपायों को कार्यान्वित करना है ।

पहलें

- **आईसीएआई स्टार्ट अप गेटवे**

  भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अपनी एमएसएमई और स्टार्ट अप संबंधी समिति के माध्यम से-स्टार्ट-अप से संबंधित विभिन्न पहलें करता है ।

- **स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्र 2023**

  भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने स्टार्ट-अप समुदाय के लिए, स्टार्ट-अप कार्य क्षेत्र 2023 शीर्षक वाले एक उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्टार्ट-अप इको प्रणाली के भीतर नवप्रवर्तन, सहयोग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है । इस कार्यक्रम का आयोजन 27 और 28 जून, 2023 के दौरान वर्ल्ड जियो सेंटर, मुंबई में किया गया । इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान स्टार्ट-अप समुदाय, भागीदार, यूनिकोर्न, प्रभावोत्पादक व्यक्ति, संस्थापक, निवेशक और उद्यमी स्टार्ट-अप से संबंधित व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ एक मंच पर आए । इस कार्यक्रम को देश भर से 7000 प्रतिभागियों ने देखा । इस कार्यक्रम में 120 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों की एक श्रृंखला सम्मिलित की गई थी, जो उद्यमियों को सशक्त करने हेतु अत्यंत उत्सुक हैं । लगभग 60 स्टार्ट-अप को निवेशक पिच पर अपने अद्वितीय विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर पद्रान किया गया था, जिसके दौरान निवेशकों और निवेश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आमने-सामने लाया गया । 20 से अधिक बृहत्त उद्यम निधियों ने सर्वाधिक नवीन विचारों में निवेश करने के लिए इस कार्यक्रम भाग लिया । 150 स्टार्ट-अप ने प्रदर्शकों के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक जैसी सोच रखने वाले व्यष्टियों साथी उद्यमियों, एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों और संभाव्य भागीदारों के विविध समुदाय से जुड़ने के अवसर का लाभ उठाया ।

  स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्र कार्यक्रम का उद्घाटन श्री उदय सामांत, माननीय उद्योग मंत्री, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया, जिसके दौरान उन्होंने आईसीएआई को देश में स्टार्ट-अप इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बृहत्त कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बधाई दी । इस कार्यक्रम का दूसरा दिन श्री रामनाथ कोविंद, भारत के माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति - जो नेतृत्व और उत्कृष्टता का एक प्रत्यक्ष चिह्न हैं, द्वारा किए गए विशेष संबोधन और आर्शिवाद से आरंभ हुआ और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यह कथन किया कि हमारे योग्य युवा स्टार्ट-अप अस्तित्वों के कर्मचारी बनने की बजाए स्वयं उद्यमों के स्वामी बन सकते हैं और भारतीय युवाओं को आर्थिक मूल्य श्रृंखला की सीढ़ी पर ऊपर की ओर अग्रसर होना चाहिए । स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्र 2023 की मुख्य विशिष्टियों में गणमान्य वक्ताओं और पैनलबद्ध व्यक्तियों द्वारा दिए गए अतिविशिष्ट संबोधन सम्मिलित थे, अर्थात् सीए अमन गुप्ता, श्री नितिन कामत, श्री दीपक साहनी, सीए दीना जैकब, सीए अंकित फतेहपुरिया, सुश्री लिजा रे और सीए गौरव संदारिया, जिन्होंने श्रोताओं के साथ अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि को साझा किया । उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों, बाजार प्रवृत्तियों और सफलता के लिए रणनीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए ।

  यह दो दिवसीय कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक सिद्ध हुआ और इसके दौरान ऐसे अद्वितीवय विषय पर अंतर्दृष्टि और पैनल परिचर्चा को सम्मिलित करने वाली नेटवर्किंग हुई, जिसके संबंध में पहले कभी भी बातचीत नहीं की गई थी, जैसे कि वास्तविक जीवन कारबार परिस्थिति में मेटावर्स का प्रभाव, सीबीडीसी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव, लॉक श्रृंखला और उसमें हाल ही में हुआ नवपरिवर्तन, वेब 3.0 में अंतर्वलित साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे आदि । प्रतिभागियों ने ऐसे विकास उन्मुख व्यष्टियों को देखा, जो अप्रायिक विचारों को जीवन में उतारने तथा समाज पर प्रभाव डालने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं । स्टार्ट-अप मूल्यांकन की कला और विज्ञान, लोगो में निवेश बनाम बाजारों में निवेश, स्टार्ट-अप में इनक्यूबेशन और नव परिवर्तन संबंधी सावधानीपूर्वक तैयार किए गए सत्रों ने बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप आरंभ करने के इच्छुक व्यक्तियों को आकर्षित किया । ऐसे स्टार्ट-अप, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, को मान्यता प्राप्त हुई और साथ ही उन्हें वित्तपोषण मिला और उन्होंने नई नीतिगत भागीदारियों को स्थापित किया ।

स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्र 2023 की सफलता ने भावी स्टार्ट-अप आयोजनों के लिए एक नया बैचमार्क स्थापित किया है, उसने आयोजकों को उत्कृष्टता हेतु प्रयास करने तथा अपनी कार्ययोजना और कार्य निष्पादन में नव प्रवर्तनशील दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्र 2023 में सफलतापूर्वक, उमसें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के बीच नव प्रवर्तन तथा सहयोग की भावना को उजागर किया है। इससे उद्यमी बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने स्वप्नों को साकार करने का प्रयोजन सिद्ध हुआ और साथ ही इससे हमें भविष्य के स्टार्ट-अप परिदृश्य की एक झलक भी प्राप्त हुई। जब यह कार्यक्रम समाप्त हुआ तो इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने एक नए उत्साह तथा कार्रवाई किए जाने योग्य अंतर्दृष्टि और अत्यंत मूल्यवान संबंधों के नेटवर्क के साथ वहाँ से विदाई ली। नि:संदेह रूप से स्टार्ट-अप कार्यक्षेत्र 2023 ने उद्यमशील समुदाय के लिए एक अमिट छाप छोड़ी है और वह आने वाले वाले वर्षों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

- **आईसीएआई स्टार्ट अप संवाद :** आईसीएआई, विभिन्न पणधारियों और स्टार्ट-अप की खाई को पाटने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध करा रहा है।

  भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति ने सदैव स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए प्रयास किया है। समिति को यह जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है कि जनवरी, 2023 मास को आईसीएआई स्टार्ट-अप संवाद के रूप में नामित स्टार्ट-अप मास के रूप में मनाया जाएगा। स्टार्ट-अप सक्षमता निर्माण और उनमें नव प्रवर्तन करने, उनका संवर्धन करने, साथ ही स्टार्ट-अप द्वारा विकसित नए दृष्टिकोणों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के विभिन्न नगरों में अवस्थित विभिन्न शाखाओं प्रादेशिक परिषदों में इस संपूर्ण मास के दौरान स्टार्ट-अप संबंधी कार्यक्रामें का आयोजन किया जाएगा। आईसीएआई स्टार्ट-अप संवाद कार्यक्रम शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों द्वारा जनवरी, 2023 में आरंभ किया जाएगा।इन संपूर्ण समारोहों को, विशिष्ट रूप से स्टार्ट-अपों, निवेशकों, मार्गदर्शकों, साथ ही स्टार्ट-अपों, छात्रों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, इनक्युबेटरों और नव प्रवर्तकों आदि से संबंधित कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। स्टार्ट-अप संबंधी तकनीकी सत्र को सम्मिलित किया जाएगा, जैसे कि स्टार्ट-अप की प्रस्तावना, बाजार रणनीति, स्टार्ट-अप का मूल्यांकन कैसे करें/ स्टार्ट-अप मूल्यांकन, कारबार मॉडल – सफल स्टार्ट-अप का कारबार मॉडल मामला अध्ययन, स्टार्ट-अप वित्त पोषण : ऐंजल / वीसी/सीड वित्तपोषण आदि।

- **स्टार्ट-अप पोर्टल, अर्थात् . https://startup.icai.org/**

  समिति ने संघटकों, अर्थात् स्टार्ट-अप, चार्टर्ड अकाउंटेंट (कारबार परामर्शी), मार्गदर्शकों, उद्यम पूंजीपतियों और इनक्युबेशन केंद्रों के भीतर विभिन्न विनिमय सेवाओं को सुकर बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल https://startup.icai.org/ को आरंभ किया है।

  इस वेब पोर्टल की विशिष्टियों में स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शक और हमारे पोर्टल पर उन्हें पैनलबद्ध किया जाना, स्टार्ट-अप को वित्तपोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्यम पूंजीपति और हमारे पोर्टल पर उन्हें पैनलबद्ध किया जाना, आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत स्टार्ट-अप को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कारबार परामर्शी सेवाएं जैसे कि निगम विधियां, मूल्यांकन, अप्रत्यक्ष कर आदि के लिए कारबार परामर्शी के रूप में आईसीएआई के सदस्य, आईसीएआई स्टार्ट-अप इको सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए हित की अभिव्यक्ति, अन्य सदस्यों को इस लीग में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित और उत्साहित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की स्टार्ट-अप संबंधी कहानियां सम्मिलित हैं और इसके अतिरिक्त स्टार्ट-अप इको सिस्टम से संबंधित अनेक अन्य विशिष्टियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

- **स्टार्ट अप इनक्यूबेशन केंद्र**

  आईसीएआई के भीतर स्टार्ट-अप इको सिस्टम को विकसित करने के उद्देश्य को अग्रसर करते हुए हमने स्टार्ट-अप उद्यमशीलता की भावना और चार्टर्ड अकाउंटेटों के सामर्थ्य को बढ़ावा देने के प्रति स्टार्ट-अप विचारों को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित स्टार्ट-अप इनक्युबेशन केंद्रों की पहचान की है, अर्थात् इंदौर, भुवनेश्वर, नासिक, कानपुर, सूरत, गुवाहाटी, राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे।

- **स्टार्ट-अप संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  इस प्रमाणपत्र का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को इस प्रकार सज्जित करना है कि वे न केवल वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध करा सकें अपितु वे स्वयं स्टार्ट-अप के क्षेत्र में प्रवेश करके राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता कर सकें। यह प्रमाणपत्र

पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को स्टार्ट-अप क्षेत्र के लिए कारबार समाधानकर्ता के रूप में समर्थ बनाएगा।

- **स्टार्ट-अप संबंधी मास्टर क्लास**

स्टार्ट-अप संबंधी मास्टर क्लास का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को, स्टार्ट-अप के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता में अभिवृद्धि करने के लिए ज्ञान आधारित विशेषीकृत माड्यूल उपलब्ध कराना है।

- **स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन**

एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति ने 8 अक्तूबर, 2022 को होटल शांगरिला इरोज, नई दिल्ली में एक स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन में आईसीएआई के सदस्यों ने स्टार्ट-अप समुदाय के व्यक्तियों, भागीदारों, प्रभावोत्पादक व्यक्तियों, संस्थापकों, निवेशकों और उद्यमियों के साथ निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा करने के लिए भाग लिया – वीसी किस प्रकार सोचते हैं+ निवेशकों हेतु पिच डेक तैयार करने का कौशल, स्टार्ट-अप – एमवीपी संबंधी विचार का जन्म, स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम और इसके फायदे और स्टार्ट-अप में मूल्यांकन और साथ ही ऐंजल निवेशकों के साथ दो मिनट आइडिया पिच, स्टार्ट-अप का भविष्य, उद्यम पूंजी, कृत्रिम बुद्धिमता, फिनटेक और स्टार्ट-अप के अन्य पहलू। उक्त शिखर सम्मेलन में 250 प्रतिभागियों ने भौतिक रूप से भाग लिया।

- **आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम**

एमएसएमई की सक्षमता निर्माण में अभिवृद्धि करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से एमएसएमई इको सिस्टम के संबंध में अनेक पहलें करके विभिन्न उपाय किए।

(I) आईसीएआई-एमएसएमई यात्रा

एमएसएमई आवश्यकताओं को प्रति समर्थन उपलब्ध कराने, उन्हें सुविधाएं प्रदान करने तथा उनकी आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए एक पहल के रूप में 18 अगस्त, 2022 को मुंबई से आईसीएआई-एमएसएमई यात्रा को आरंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई के बीच उद्यमशीलता की भावना का संवर्धन करना और साथ ही एमएसएमई को उनके पोर्टफोलियों में अभिवृद्धि करने हेतु समर्थन उपलब्ध कराना तथा विभिन्न राज्य और केंद्रीय सरकार की स्कीमों के संबंध में जागरुकता का प्रचार-प्रसार करना और साथ ही उनके संबंध में उपलब्ध सहायिकियों और प्रोत्साहनों की जानकारी उपलब्ध कराना है। एमएसएमई शिविरों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें एमएसएमई द्वारा उठाई गई शिकायतों का वास्तविक समय के आधार पर समाधान किया जाता है और एमएसएमई का वास्तविक समय में उद्यम रजिस्ट्रीकरण को भी आईसीएआई एमएसएमई सेतु के माध्यम से सुकर बनाया जाता है। आईसीएआई एमएसएमई यात्रा कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानवर्धन सत्रों का भी आयोजन किया गया। एमएसएमई यात्रा ने, अपने प्रारंभ से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा राज्यों के 80 नगरों तक पहुंच बनाई है। आईसीएआई-एमएसएमई यात्रा के अधीन इस क्षेत्र के विकास को अग्रसर करने के लिए एमएसएमई की क्षमता और सक्षमता के निर्माण के प्रति जागरुकता का सृजन किया जा रहा है ताकि देश में नौकरियों के सजृन और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एमएसएमई यात्रा पहल को संबद्ध राज्य सरकारों से अत्यंत उत्साहवर्धक समर्थन प्रापत हुआ है और इस यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में संबद्ध राज्यों के राज्य मंत्रियों, स्थानीय संसद् सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। शिमला में आयोजित आईसीएआई-एमएसएमई यात्रा कार्यक्रम के दौरान श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकर, माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाई थी।

(II) आईसीएआई एमएसएमई सेतु कार्यक्रम : आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम के माध्यम से एमएसएमई का रुपांतरण

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से देश में एमएसएमई पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि करने की एक प्रमुख रणनीति में रूप में आईएसएआई और भावी एमएसएमई के बीच एक संबंध को स्थापित किया है। राज्य को प्रमुखकर्ता के रूप में स्थापित करते हुए, प्रत्येक जिले के सुदृढ बिन्दुओं पर कार्यक्रमों को केंद्रित करते हुए सुधार के लिए अप्रबंधनीय मुद्दों की पहचान की जाती है और सरकारी स्कीमों के अभिसरण तथा एमएसएमई के समन्वयन की सहायता से, एमएसएमई की आवश्यकताओं को आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम के माध्यम से समर्थित करके उनकी प्रगति को मापा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र

प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों के विभिन्न जिलों को आईसीएआई एमएसएमई सेतु कार्यक्रमों के अधीन सम्मिलित किया गया था।

आईसीएआई द्वारा की गई एमएसएमई यात्रा संबंधी पहल को गौरवशाली भारतीय रिकार्ड बुक में सम्मिलित किया गया है। यह उपलब्धि उस समय प्राप्त की गई जब आईसीएआई ने राष्ट्रव्यापी आईसीएआई-एमएसएमई सेतु और आईसीएआई-एमएसएमई यात्रा अभियानों के दौरान उद्यमशीलता का संवर्धन करने और साथ ही नौकरियों के सृजन तथा अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए 75 दिन में राष्ट्र के 22 राज्यों में स्थित 75 नगरों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम नगरों में एमएसएमई कार्यक्रमों के आयोजन को सुकर बनाया। यह अभियान 18 अगस्त, 2022 से 18 नवंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान चलाया गया था। आईसीएआई को हाल ही में एशियाई रिकार्ड बुक में भी, उसकी आईसीएआई एमएसएमई यात्रा और एमएसएमई सेतु पहलों के कारण सम्मिलित किया गया है।

(III) आईसीएआई एमएसएमई साथी

एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने तथा उनके सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के नवीनतम आईटी उपकरणों का उपापन किया है। समिति ने 'आईसीएआई एमएसएमई साथी' नामक अपनी शंका समाधान प्रणाली हेतु इन एआई और एमएल उपकरणों का कार्यान्वियन किया है। यह प्रणाली काफी कम समय में एमएसएमई के लिए एक उत्तम समाधान प्रदाता मंच के रूप में साबित हुई है।

(IV) राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस

एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई के माध्यम से पूरे राष्ट्र में सूक्ष्म और लघु कारबारों का संवर्धन करने के उद्देश्य 30 अगस्त, 2023 को पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप् में मनाया जा रहा है और इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रमों को तैयार किया गया है। यह दिवस हमारे विशेष रूप से तैयार कार्यक्रमों के माध्यम से लघु स्केल सेक्टर के पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे इस उद्देश्य को आकार प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मूल्य श्रृंखला का अभिन्न भाग है और वे एमएसएमई इको सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। इस दिवस के दौरान विभिन्न अन्य संभावनाओं और ऐसे अवसरों को भी प्रस्तुत किया गया, जिनका सृजन इस क्षेत्र में ऐसे व्यष्टियों के लिए किया जाता है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

(V) अंतर्राष्ट्रीस एमएसएमई दिवस

एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति ने भारत की एमएसएमई की विभिन्न आवश्यकताओं पर और एमएसएमई की इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सीए भ्रातृसंघ द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए 27 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया।

(VI) एमएसएमई एक्सचेंज

एमएसएमई एक्सचेंज की अवधारणा को एमएसएमई के विकास और वहनीयता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न आयामों के मूल्यवान सृजन हेतु एक उत्तम मंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यह मंच उत्कृष्ट नेटवर्किंग, ज्ञान को साझा करने, कौशल विकास, शंकाओं के समाधान संबंधी अवसरों तथा एमएसएमई इको सिस्टम के संघटकों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन की प्रस्तावना करता है।

- **सीए सेवा एक्सचेंज**

  एमएसएमई की विशेषीकृत आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट संबंधी समिति के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञ सेवाओं को माउस के एक क्लिक के साथ एमएसएमई की पहुंच के भीतर लाने की पहल की है। सीए सेवा एक्सचेंज एक ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से कोई भारतीय एमएसएमई आईसीएआई-एमएसएमई इको सिस्टम के साथ रजिस्टर कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं की तलाश कर सकता है।

- **एमएसएमई सहायता पटल**

  एमएसएमई सहायता पटल समिति द्वारा आईसीएआई-एमएसएमई एक्सचेंज के अधीन की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जिसके माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों के एक बड़े पूल की विशेषज्ञता को एमएसएमई के स्थानीय नगर में उसके द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। शाखाएं और प्रादेशिक परिषदें, जो आईसीएआई के विस्तार खंड हैं, शाखा

परिसरों में एमएसएमई सहायता पटल को सुकर बनाएंगे, जहां समर्पित विशेषज्ञ (अर्हित और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट), स्थानीय एमएसएमई समूहों के मुद्दों का समाधान करेंगे ।

- **एमएसएमई इल्युमिनेशन**

  एमएसएमई इल्युमिनेशन, आईसीएआई एमएसएमई एक्सचेंज के अधीन समिति द्वारा की गई एक अन्य पहल है, जिसके माध्यम से आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत एमएसएमई के सामने आने वाले किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे के संबंध में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई जाती है । एमएसएमई अपने सामने आने वाले मुद्दों को एक साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें एमएसएमई के सामने आने वाले सामान्य मुद्दों का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा । एमएसएमई, विशेषज्ञ राय की ईप्सा करते हुए इन कार्यक्रमों के दौरान विशेषज्ञों के साथ परस्पर क्रियाएं कर सकेंगे ।

(VII) आईसीएआई एमएसएमई पोर्टल - https://msme.icai.org/

आईसीएआई ने नेटवर्किंग, ज्ञान को साझा करने, शंकाओं के समाधान संबंधी तंत्र और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए एक समर्थ इको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित पोर्टल को आरंभ किया है, जहां कोई एमएसएमई चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता का फायदा ले सकता है ।

(VIII) एमएसएमई संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आशय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सुसज्जित करना और साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने के लिए स्वयं एमएसएमई के क्षेत्र में प्रवेश करना है । ये प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए कारबार समाधान प्रदाताओं के रूप में समर्थ बनाएगा ।

(IX) एमएसएमई संबंधी राज्य विनिर्दिष्ट पुस्तकें

समिति, एमएसएमई राज्य विनिर्दिष्ट पुस्तकों का विमोचन कर रही है । इन पुस्तकों में एमएसएमई स्कीमों, एमएसएमई के लिए सुसंगत औद्योगिक स्कीमों, विभिन्न स्कीमों के अधीन प्रोत्साहन, विभिन्न स्कीमों के अधीन उपलब्ध सहायिकियों, विनिर्दिष्ट राज्य में विभिन्न समूहों में उपलब्ध स्कीमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है । इन पुस्तकों में नए उद्यमियों को उनकी नई स्थापित फर्मों के प्रभावी संगठन में सहायता करने तथा विनिर्दिष्ट राज्य में विद्यमान उनकी फर्मों में उद्यमशील आशयों को समाविष्ट करने तथा विनिर्दिष्ट राज्य में सीए के लिए उपलब्ध अवसरों के संबंध में अंत:दृष्टि उपलब्ध कराई गई है ।

(X) एमएसएमई संबंधी राज्य विनिर्दिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने एमएसएमई संबंधी राज्य विनिर्दिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का संचालन किया है । उक्त पाठ्यक्रम राज्य विनिर्दिष्ट एमएसएमई और औद्योगिक स्कीमों, विनिर्दिष्ट राज्य में उपलब्ध विभिन्न स्कीमों के अधीन उपलब्ध प्रोत्साहनों/सहायिकियों के संबंध में ज्ञान के आधार में अभिवृद्धि करेगा ।

(XI) समझौता ज्ञापन

(i) आईआईएम लखनऊ, उद्यम इनक्युबेशन केंद्र, गुजरात छात्र स्टार्ट-अप और नवप्रवर्तन केंद्र (आई-हब), बीआईएल – रायरसन टेक्नालॉजी स्टार्ट-अप इनक्युबेटर फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन ।

आईसीएआई स्टार्ट-अप गेटवे के माध्यम से स्टार्ट-अप के सक्षमता निर्माण के लिए एआईसी – नालंदा प्रौद्योगिकी फाउंडेशन संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा, एआईसी महामना फाउंडेशन फोर इंनोवेशन एंड एंटरप्रीनियोरशिप आईएम बीएचयू, वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से आईआईएम लखनऊ, उद्यम इनक्युबेशन केंद्र, गुजरात छात्र स्टार्ट-अप और नवप्रवर्तन केंद्र (आई-हब), बीआईएल – रायरसन टेक्नालॉजी स्टार्ट-अप इनक्युबेटर फाउंडेशन, एआईसी – नालंदा प्रौद्योगिकी फाउंडेशन संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा और एआईसी महामना फाउंडेशन फोर इंनोवेशन एंड एंटरप्रीनियोरशिप आईएम बीएचयू, वाराणसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियां हैं और उनके संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि वे सभी स्टार्ट-अप पणधारियों के लिए एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पूर्ण नवप्रवर्तन और उद्यमशील इको सिस्टम के माध्यम से “माइंड टू मार्किट” कार्य मार्गों का सृजन किया जाएगा । आई हब एक क्रियाशील इनक्युबेशन केंद्र है, जिसे तारीख 3.9.2022 को अहमदाबाद में गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एसएसआईपी के अधीन गुजरात राज्य में स्टार्ट-अप के सक्षमता निर्माण हेतु स्थापित किया

गया । आईसीएआई की ओर से तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई और सीईओ, आई हब ने आईसीएआई की एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । उक्त ठहराव का उद्देश्य स्टार्ट-अप का संवर्धन करना और भारत सरकार के उद्यमशीलता के विकास, नवप्रवर्तन संबंधी संस्कृति और स्टार्ट-अप इको सिस्टम के परस्पर एकीकरण के विजन को समर्थन करना है ।

(ii) केरल राज्य में आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम के माध्यम से उद्योग और वाणिज्य निदेशालय तथा तद्धीन विभिन्न बोर्डों को और उपक्रमों के माध्यम से केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से तारीख 1.4.2023 को एर्नाकुलम में एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के लिए केरल राज्य में आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम के माध्यम से उद्योग और वाणिज्य निदेशालय तथा तद्धीन विभिन्न बोर्डों को और उपक्रमों के माध्यम से केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस समझौता ज्ञापन पर आईसीएआई की ओर से अध्यक्ष, एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई और केंद्रीय परिषद् सदस्य और केरल सरकार के पदधारी के बीच माननीय श्री पी. राजीव, विधि, उद्योग और केयर मंत्री के बीच एर्नाकुलम, केरल में 1.4.2023 को आयोजित एमएसएमई शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए ।

(iii) ओडिशा राज्य में आईसीएआई-एमएसएमई इको सिस्टम के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से सक्षमता निर्माण के लिए ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से तारीख 15.04.2023 को भुवनेश्वर में एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के लिए ओडिशा राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस समझौता ज्ञापन पर आईसीएआई की ओर से अध्यक्ष, एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई और केंद्रीय परिषद् सदस्य और ओडिशा सरकार के एमएसएमई विभाग के पदधारी और साथ ही प्रधान सचिव के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में 15.04.2023 को आयोजित एमएसएमई शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए ।

(iv) आईसीएआई-एमएसएमई इको सिस्टम के माध्यम से सक्षमता निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के तमिलनाडु एमएसएमई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वायत्त अभिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से तारीख 25.08.2022 को तिरुपुर में तमिलनाडु राज्य के एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के तमिलनाडु एमएसएमई के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वायत्त अभिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस समझौता ज्ञापन पर आईसीएआई की ओर से अध्यक्ष, एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई और केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई द्वारा तमिलनाडु राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन की उपस्थिति में एक प्रादेशिक एमएसएमई बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए ।

(v) एमएमएमई की सक्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

समिति, आईसीएआई और संबद्ध राज्य सरकारों के बीच परस्पर दिलचस्पी के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास के संबंध में नीति निर्धारण और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभव को साझा करने तथा सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने, विनिर्दिष्ट राज्य में एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के लिए ज्ञान आधार प्रयास उपलब्ध कराने, विनिर्दिष्ट राज्य में एमएसएमई के विकास के लिए केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करने हेतु अध्ययनों की साध्यता और औद्योगिक संभावनाओं संबंधी सर्वेक्षणों के विकास को बढ़ावा देने, एमएसएमई आदान-प्रदान कार्यक्रम उपलब्ध कराने, अर्थात् एमएसएमई सहायता पटल, एमएसएमई इल्यूमिनेशन और एमएसएमई के लिए सीए आदान-प्रदान सेवाएं और साथ ही परस्पर दिलचस्पी के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास के लिए कोई अन्य प्रयास करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के प्रति अपने कार्य को जारी रखेगी ।

(vi) विश्वविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विख्यात संगठनों और अन्य अस्तित्वों के साथ समझौता ज्ञापन

समिति, इनक्युबेशन केंद्रों को सुकर बनाएगी और ऐसा करने के लिए वह विश्वविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विख्यात संगठनों और अन्य अस्तित्वों के साथ प्रस्तावित करारों को अग्रसर करेगी ।

(XII) कार्यक्रम

समिति ने, आईसीएआई-एमएसएमई/ स्टार्ट-अप के सदस्यों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जैसे कि कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन, आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रम ।

7. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीडीआईटीएसएंडडब्ल्यूटीओ)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीडीआईटीएसएंडडब्ल्यूटीओ) का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाओं का संवर्धन करना और उन्हें सुकर बनाना, आईसीएआई के सदस्यों को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों और विनियमों के संबंध में शिक्षित करना, सलाहकारी प्रयासों में नियोजित होना, चार्टर्ड अकाउंटेंटों और कारबार समुदाय के हितों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं से संबंधित परिचर्चाओं में प्रतिनिधित्व करना है । समिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं और डब्ल्यूटीओ से संबंधित विषयों में विभिन्न पणधारियों की सक्षमता निर्माण के प्रति भी अपना समर्थन देती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डब्ल्यूटीओ विनियमों के अनुपालन के संबंध में भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है और इस प्रकार वह कारबारों और वृत्तिकों की जटिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विधियों और करारों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है ।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति पहलें

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), अपनी उक्त समिति के माध्यम से भारतीय आर्थिक परिदृश्य में एक केंद्रीय भूमिका अदा करता है, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है । इसका प्रमुख योगदान मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) में उसके द्वारा सम्मिलित होने से उपलक्षित होता है, जैसा कि उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम (यूके) और कनाडा में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों की प्रतिक्रिया के रूप में लेखांकन, संपरीक्षा और लेखाबहियों संबंधी सेवाओं के अनुमोदन से उपदर्शित होता है । संस्थान का यह कार्य एक ऐसी परस्पर फायदे वाली स्कीम को स्थापित करता है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए इन देशों में समान अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से कार्य करती है । भारत के पांच ट्रिलीयन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में यह पहल अवसरों में अभिवृद्धि करेगी, उन्मुक्त सेक्टरों का समर्थन करेगी तथा लेखांकन सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करेगी । आईसीएआई की सक्रिय भागीदारी व्यापार संबंधी वार्तालापों में भलिभांति जागरुक निर्णय करने तथा भारत की नीतियों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उपदर्शित करती है । आईसीएआई विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराकर ऐसी व्यापार नीतियों को तैयार किए जाने के प्रति अपना योगदान उपलब्ध कराता है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, कारबारों और उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाती हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को भी बढावा देती है ।

सरकार का समर्थन और सहायता करना

- श्री जयेश रंजन, आईएएस, प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य (आईएंडसी) विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी तथा श्री संदीप सुल्तानिया, आईएएस, पंचायती राज विभाग, तेलंगाना सरकार के साथ 29 जुलाई, 2022 को - "कारबार और स्टार्ट-अप अवसरों का पता लगाना (अंतरगामी और बर्हिगामी)" विषय पर आयोजित समारोह में एक परिचर्चा में भाग लिया, जिसका आयोजन आईसीएआई के लक्ज़मबर्ग चैप्टर द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को लक्ज़मबर्ग में किया गया ।
- श्री अनंत सिंघानिया, अध्यक्ष, आईएमसी वाणिज्य और उद्योग चैंबर और सुश्री अपर्णा रणदिवे, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल चैंबर, मुंबई के साथ 4 अगस्त 2022 को एमएसएमई यात्रा का समर्थन करने के लिए एक बैठक का आयोजन ।
- 8 अगस्त, 2022 को सुश्री हर्षा बंगारी, एमडी, एक्ज़िम बैंक के साथ एमएसएमई के लिए निर्यात पहलों के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए एमएसएमई यात्रा का समर्थन करने हेतु एक बैठक का आयोजन ।
- 8 सितंबर 2022 को श्री मुकेश कालरा, कारबार विकास प्रमुख के साथ भावी आयोजनों के संबंध में सहयोग विषय पर यूएई-भारत कारबार परिषद् की बैठक ।
- 26 दिसंबर 2022 को श्री दर्पण जैन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ - चल रही एफटीए वार्तालाप के दौरान यूके और कनाडा के साथ परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर बाजार पहुंच प्रस्थापित करने के संबंध में परिषद के निर्णय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक बैठक । चर्चा के दौरान यूएस के साथ एमआरए के संबंध में एक प्रतिनिर्देश किया गया था, जिसके लिए उनके नेतृत्व में एक अन्य बैठक 27 दिसंबर 2022 को निर्धारित की गई थी ।

- 13 जनवरी, 2023 को श्री इंजेती श्रीनिवास, आईएफएससीए, अध्यक्ष के साथ बैठक - आईएफएससीए (गिफ्ट सिटी) के साथ विदेशों में संभावित सहयोग के लिए आईसीएआई के सदस्यों के हेतु अवसरों के संबंध में चर्चा करने के लिए ।
- 20 जनवरी, 2023 को सुश्री प्रिया नायर, निदेशक, वाणिज्य विभाग के साथ बैठक – भारत कनाडा ईपीटीए और भारत ईयू एफटीए के संबंध में वृत्तिक सेवाओं संबंधी परस्पर मान्यता के संबंध में विलेख और परस्पर मान्यता करार (एमआरए) दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए ।
- आईसीएआई के विदेशी चैप्टर प्रतिनिधियों के साथ, आईसीएआई चैप्टर के नेटवर्क के माध्यम से भारत में कारबार और निवेश अवसरों पर चर्चा करने के लिए 20 नवंबर 2022 को एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन ।
- 3 फरवरी, 2023 को एस्टोनिया के दूतावास के व्यापार और निवेश प्रतिनिधि और मिशन उप प्रमुख के साथ बैठक ।
- 20 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में एस्टोनियाई दूतावास की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भाग लिया ।
- आईसीएआई के निम्नलिखित विदेशी चैप्टरों के प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सेवाओं के निर्यात में अभिवृद्धि के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों और उनकी अधिकारिता में भारतीय सीए के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बैठकें :

चैप्टर का नाम	**तारीख**
थाईलैंड	21 फरवरी 2023
हांगकांग	9 मार्च 2023
जापान	10 मार्च 2023
युगांडा	21 मार्च 2023

सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी इनपुट (कराधान क्षेत्र के अलावा)

- अक्टूबर, 2021 के मध्य से मई, 2022 की अवधि के लिए व्यापार मानीटरी रिपोर्ट
- भारत कनाडा व्यापक आर्थिक सहयोग डब्ल्यूटीओ भागीदारी (सीईपीए) वार्ता - सेवाओं में व्यापार
- भारत-यूएस व्यापार नीति मंच 2022
- भारत-ऑस्ट्रेलिया और भारत-कनाडा एफटीए संबंधी वृत्तिक निकाय
- भारत-यूके एफटीए वार्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार चैप्टर
- भारत-घाना संयुक्त व्यापार आयोग (जेटीसी)
- व्यापार में सेवाओं संबंधी भारत-यूके एफटीए वार्ता – भारतीय वृत्तिकों के सामने आने वाली अडचनें
- जी20 एसीडब्ल्यूजी प्रश्नोत्तर – जनता की भागीदारी और भ्रष्टाचार रोधी शिक्षा कार्यक्रम
- आईसीएआई भारत के संपर्क बिन्दु-यूएई एफटीए और भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए
- भारत कनाडा ईपीटीए/सीईपीए : वृत्तिक सेवाओं संबंधी प्रस्तुतिकरण
- भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार आयोग (एचपीजेटीसी) और व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए)
- यूएस में समकक्ष वृत्तिक निकायों के साथ एमआरए/अर्हताओं की परस्पर मान्यता
- ओईसीडी के अधीन संभावित सुधार उपायों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन – निर्बंधनकारी अनुक्रमणिका और उसके इनपुट
- जापान के साथ लेखांकन सेवाओं में एमआरए/एमओयू

- व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह
- डब्ल्यूटीओ में सेवाओं में व्यापार में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के संबंध में भारत का अधिमानी व्यवहार
- चैंपियन सेवा सेक्टर स्कीम (सीएसएसएस) के अधीन आईसीएआई की 11 स्कीमों को अद्यतन बनाना
- परस्पर मान्यता करारों हेतु मार्गदर्शनों के साथ वृत्तिक अर्हताओं के संबंध में अनुच्छेद एक्स.36 – ईयू का प्रस्तावित पाठ
- लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी भारत-यूके एफटीए वार्ता
- भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति के लिए न्यूजीलैंड के साथ सेवाओं में भारत का व्यापार
- लेखांकन, बहियों और संपरीक्षा सेवाओं में एफटीए वार्ताओं के अधीन कतिपय शर्तों को पूरा करने के पश्चात् परस्पर आदान-प्रदान करने के आधार पर यूके और कनाडा हेतु मंत्रालय का बाजार पहुंच संबंधी प्रस्ताव
- भारत कनाडा ईपीटीए के सेवाओं में व्यापार संबंधी चैप्टर के अधीन मान्यता संबंधी अनुच्छेद
- मलेशिया में आयोजित होने वाला भारत-आसियान कारबार शिखर सम्मेलन
- 13वां भारत थाईलैंड जेटीसी : सेवा सेक्टर संबंधी मुद्दे : लेखांकन और वित्त सेवाएं
- ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष निकायों के साथ समझौता ज्ञापन/एमआरए
- भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता
- भारत यूएस टीपीएफ सेवा कार्य समूह
- भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए)
- संपर्क बिंदु : लेखांकन सेवाओं की मान्यता के लिए कार्य मार्ग (भारत यूएस टीपीएफ)
- ईयू के साथ परस्पर मान्यता करार
- सेवाओं में व्यापार पर परिचर्चा के लिए भारत-ऑस्ट्रिया जेईसी का 16वां सत्र
- यूएई पक्ष के साथ नियोजन की प्रास्थिति के संबंध में अद्यतन जानकारी, जिसे भारत के वृत्तिक निकायों द्वारा आरंभ किया गया है ।
- 13वें भारत थाईलैंड जेटीसी पर परिचर्चा के लिए केंद्र बिंदुओं के ब्यौरे : कार्य बिन्दु - सेवा क्षेत्र में सहयोग

(II) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

सदस्यों के बीच विदेशी भाषा का संवर्धन

आईसीएआई ने भारत में विदेशी दूतावासों के शासकीय सांस्कृतिक भाषा केंद्रों के साथ अपने सदस्यों और छात्रों के लिए आनलाइन विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने के संबंध में ठहराव किए हैं, जिससे उन्हें विदेशी अवसरों के प्रति और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके । आज की तारीख तक आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

- इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टिस, स्पेनीश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से आनलाइन स्पेनीश भाषा पाठ्यक्रम – ए1.1 स्तर पर 612 अभ्यर्थियों के साथ 31 बैच और ए1.2 स्तर पर 122 अभ्यर्थियों के साथ 12 बैच ।
- एलायंस फ्रेन्केशे डे दिल्ली के माध्यम से आनलाइन फ्रैंच भाषा पठन पाठ्यक्रम - ए1 स्तर पर 347 अभ्यर्थियों के साथ 14 बैच ।
- द जापान फाउंडेशन के माध्यम से आनलाइन जापानी भाषा पठन पाठ्यक्रम - ए1 काटसूडो स्तर पर 323 अभ्यर्थियों के साथ 16 बैच और ए1 रिकाई स्तर पर 87 अभ्यर्थियों के साथ 5 बैच और ए2.1 काटसूडो और रिकाई के लिए 17 अभ्यर्थियों के साथ एक बैच ।
- आनलाइन कारबार अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम - 526 अभ्यर्थियों के साथ 16 बैच ।

आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों से विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के संबंध में अधिमानता की ईप्सा करने हेतु सर्वेक्षण

28 फरवरी, 2023 को आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया गया था, जिसकी

अंतिम तारीख 15 अप्रैल, 2023 थी, जिस तक उन्हें कोई विदेशी भाषा पढ़ने हेतु अपनी अधिमानता प्रस्तुत करनी थी। 6343 सदस्यों/छात्रों ने विदेशी भाषा पढ़ने के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी, जिससे आईसीएआई को विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के भावी बैचों को प्रारंभ करने में सहायता प्राप्त होगी।

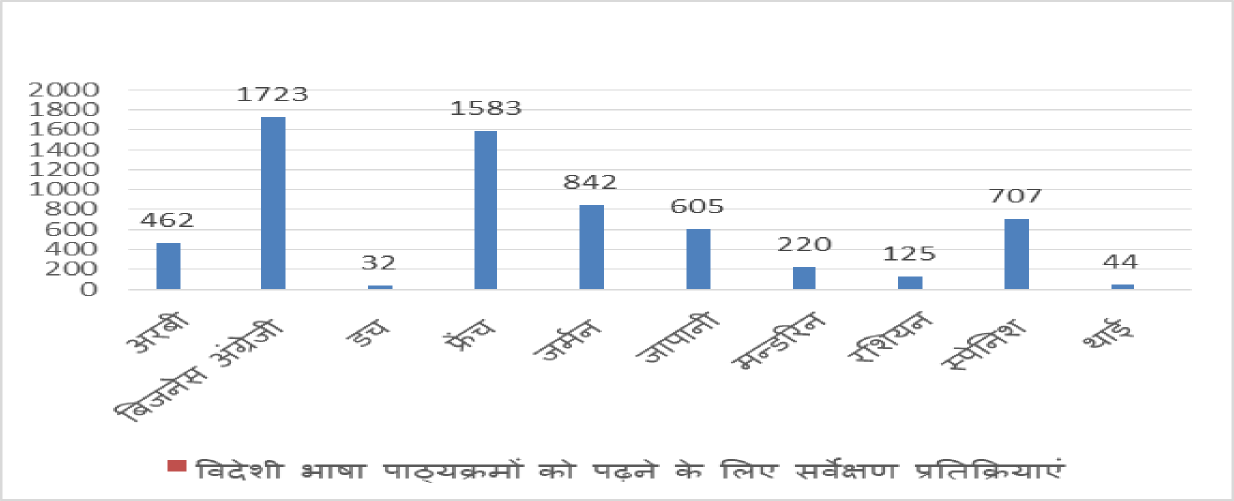

(III) सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

अवधि के दौरान, उपरोक्त पहलों के अलावा समिति ने 'दुबई में नेटवर्किंग और भारतीय सीए के लिए स्कोप', 'गिफ्ट सिटी, गांधी नगर में जीआईएफटी - आईएफएससी में अवसर', 'डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में वैश्विक वृत्तिक अवसर', 'यूएई में कारपोरेट कर को आरंभ करना – एक पर्यावलोकन', 'निर्यात के लिए लेखांकन वृत्तिक और फिनटेक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम' और 'विदेश व्यापार नीति, 2023 – वृत्ति के लिए अवसर' विषयों पर 5 वेबीनारों/संगोष्ठियों का आयोजन किया।

निर्यात उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ (आईटीएल डब्ल्यूटीओ) के युग में विषय पर एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 5 से 7 जुलाई, 2022, 29 नवंबर, 2022 से 1 दिसंबर, 2022 और 17 से 19 जनवरी, 2023 के दौरान आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र मंच पर 'निर्यात उद्यमशीलता' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रमश: तीन बैचों का आयोजन किया गया।

इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (विस्तारण) पर हस्ताक्षर

4 फरवरी, 2019 के पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन को आगे और जारी रखते हुए 10 फरवरी, 2023 को आईसीएआई और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (विस्तारण) पर हस्ताक्षर किए गए। उक्त समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में वहनीय आर्थिक विकास और निवेशों का संवर्धन करना, भारत में कारबार निवेशों के संवर्धन में सहयोग करना और भारत से बाहर भारतीय निवेशों को बढ़ावा देना है, जिसके द्वारा भारत को एक निवेश मित्र गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। यह पहल नवप्रवर्तन, स्टार्ट-अप इंडिया पहलों, पूरे विश्व में निवेश को सुकर बनाना, नौकरी के अवसरों का सृजन करना और सम्मान उद्देश्यों के संवर्धन में आगे और सहायता करेगी, जिससे चैंपियन सेक्टर के अधीन पहचान की गई लेखा और वित्त सेवाओं से संबंधित अंतर्गामी और बहिर्गामी निवेशों के संवर्धन की आज्ञा के उद्देश्य को अग्रसर किया जा सके।

राजदूतों की परस्पर क्रियाशील बैठक

अंत:गामी और बहिर्गामी निवेशों का संवर्धन करने, भारत को निवेश मित्र गंतव्य बनाने, वैश्विक वित्तीय इको सिस्टम को सदृढ करने के लिए अंतर्राष्टीय लेखांकन निकायों से सहयोग करने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने लेखांकन और वित्त क्षेत्र की 12 ऐसी चैंपियन क्षेत्र सेवाओं के रूप में से एक के रूप में पहचान की है, जो निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, के विजन के अनसार वैश्विक रूप से लेखांकन वत्ति का संवर्धन करने के लिए 10 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में राजदतों की एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया गया। राजदत बैठक में मंगोलिया, म्यांमार, सडान गणराज्य, सीरियाई अरब गणराज्य, क्यबा गणराज्य, पेरू गणराज्य, एस्टोनिया, जमैका, फिजी गणराज्य, गैबॉन गणराज्य, मेडागास्कर गणराज्य, नाइजीरिया गणराज्य, रूस, यमन गणराज्य, गिनी गणराज्य, रवांडा गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, टोगो गणराज्य और गुयाना के राजदूतों/उच्चायुक्त/दूतावास प्रतिनिधियों ने वियतनाम दूतावास के साथ भाग लिया।

आईसीएआई ने समिति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की :

- 14-15 मार्च 2023 को मेलबर्न में "लेखांकन और कारबार प्रदर्शनी" के दौरान दो सत्रों में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 16 मार्च, 2023 को सिडनी में अकाउंटेक्स ऑस्ट्रेलिया 2023 में भाग लिया।

एस्टोनिया और नीदरलैंड में प्रतिनिधि मंडल का दौरा

23 से 29 मई, 2023 के दौरान 13 प्रतिनिधियों के एक समूह ने अंत:गामी और बर्हिगामी निवेशों के संवर्धन के लिए एस्टोनिया और नीदरलैंड में प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल दौरे का मुख्य उद्देश्य एस्टोनिया में निवेश अवसरों का पता लगाना था, जिसमें लेटिट्यूड 59 कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया, जो एस्टोनिया में स्टार्ट-अप के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधि मंडल ने सीमापार निवेशों, विलयनों और अर्जनों में भारतीय लेखांकन वृत्तिकों की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने और साथ ही स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा कारबार गृहों को समुचित निवेशों के लिए अस्तित्वों की पहचान करने में सहायता उपलब्ध कराई। एस्टोनिया दूतावास ने दक्षतापूर्वक प्रतिनिधि मंडल के लिए नियोजनों की एक श्रृंखला का समन्वय किया, जिसके अंतर्गत रक्षा डेमो के साथ एक बैठक का आयोजन, ई-एस्टोनिया ब्रीफिंग केंद्र में एक व्यापक ब्रीफिंग का आयोजन, डेलिन में भारतीय दूतावास के साथ एक उत्पादक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन, लेट्टियूड 59 में सक्रिय भागीदारी, बीमलाइन एक्सेलेरेटर के साथ परस्पर क्रिया और 24 और 25 मई, 2023 को लेटिट्यूड आयोजन के साथ नेटवर्किंग के अवसर सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई के नीदरलैंड चैप्टर और आईडीएफसी ने संयुक्त रूप से 26 मई, 2023 को भारत और नीदरलैंड के बीच "मोबिलाइजिंग स्टार्ट-अप इको सिस्टम" शीर्षक वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

(IV) प्रकाशन

- विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कारबार की सुगमता।
- भारत में निर्यात संवर्धन उपाय।
- भारत में निर्यात प्रोत्साहन – निर्यात प्रोत्साहनों का विकास और उनका भावी आउटलुक।

8. अन्य गैर-स्थायी समितियों द्वारा क्रियाकलाप

8.1 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस)

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति आईसीएआई और ऐसे सदस्यों के बीच परस्पर संबंध उपलब्ध कराती है, जो उद्यमों या लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। समिति ऐसे सदस्यों के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलों के संबंध में कार्य कर रही है, जो सफल उद्यमी बनने या सिविल सेवाओं में जाने के लिए इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त, समिति ऐसे सदस्यों की उपलब्धियों को भी मान्यता प्रदान करती है, जिन्होंने अपने-अपने कैरियर में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, जैसे कि सफल उद्यमी बनना या सांसद बनाना या न्यायपालिका का सदस्य बनाना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईसीओएएस, आईआरएएस, आईआरएएएस, आईआरपीएस में सम्मिलित होना, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आईटीएटी, एनसीएलटी जैसे अपील अधिकरणों, अन्य विनियामक निकायों जैसे सेबी, आईआरडीए, आरबीआई आदि के सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीए राष्ट्र के विकास में सतत रूप से सहयोग कर रहे हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य आईसीएआई और उद्यमों या लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों के बीच एक सक्रिय, परस्पर फायदाप्रद संबंध स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य आईसीएआई की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि की जा सके और इसके लिए समिति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है और साथ ही संस्थान के सदस्यों के लिए नए क्षेत्रों और अवसरों का पता लगाती है।

समिति, राष्ट्रीय महत्व के विषयों की पहचान करने और उनके संबंध में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों के लिए आवासीय बैठकों/शिखर सम्मेलनों का आयोजन करती है। आज की तारीख तक सीएमईपीएस द्वारा 12 आवासीय बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा, समिति सतत रूप से ऐसे विभिन्न अवसरों का पता लगा रही है, जो उसके सदस्यों के लिए उद्यमों के क्षेत्र में विद्यमान हैं। भावी सीए को उद्यमों और लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सीएमईपीएस समिति समय-समय पर सीए सदस्यों के लिए विभिन्न मार्गदर्शन/अनुकूलन/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबीनारों /संगोष्ठियों/ प्रादेशिक बैठकों/परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सीए सदस्यों को एक ढांचा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, जिससे नए उद्यमों का संवर्धन करके सक्षमता निर्माण और देश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

की गई पहलों/परस्पर क्रियाशील बैठकों/वेबीनारों/संगोष्ठियों की झलक

(i) कार्यक्रम और प्रादेशिक बैठकें

क्रम सं.	कार्यक्रम/प्रादेशिक बैठक	तारीख और स्थान
1	सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक सीए सदस्यों और सीए छात्रों के लिए सिविल सेवा अनुकूलन और मार्गदर्शन कार्यक्रम (ऑनलाइन पहला बैच)	9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 अप्रैल 2022 और 1 मई 2022 (शनिवार-रविवार) और 14, 15 और 16 अक्टूबर 2022 नई दिल्ली में
2	लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई सदस्यों की प्रादेशिक बैठक	8 सितंबर 2022 नई दिल्ली
3	लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई सदस्यों की प्रादेशिक बैठक	7 अक्तूबर, 2022 मुंबई
4	चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए आर्थिक विकास में सहयोग के लिए उद्यमशील सोच पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	21, 22 और 23 दिसंबर, 2022 मानेसर, गुरुग्राम

(ii) आवासीय बैठकें

(क) 24-26 जून 2022 के दौरान ऊटी (तमिलनाडु) में लोक सेवा में सीए सदस्यों की आवासीय बैठक

सीएमईपीएस समिति ने 24-26 जून, 2022 के दौरान ऊटी में लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत सीए सदस्यों की एक आवासीय बैठक का आयोजन किया था । इस बैठक में राजनीति/न्यायपालिका, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, लागत और अन्य विनियामक सेवाओं के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से 51 सदस्यों ने भाग लिया था ।

इस आवासीय बैठक की शोभा सीए. के. रहमान खान, माननीय पूर्व उप सभापति, राज्य सभा और संघ के पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, सीए. सुरेश प्रभु, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा और ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर दवे, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, न्यायमूर्ति सीए. (डॉ.) विनीत कोठारी, माननीय अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यवाहक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सीए) दिनेश मेहता, माननीय न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, सीए. (डॉ.) अशोक कुमार मिश्रा, माननीय तकनीकी सदस्य, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, सीए. राजेश शर्मा, माननीय सदस्य (तकनीकी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने उसमे भाग लेकर बढाई ।

(ख) 17-19 जून, 2023 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों की 12वीं आवासीय बैठक

17-19 जून, 2023 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों की 12वीं आवासीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लोक सेवा से लगभग 100 सदस्यों (आज तक आयोजित की गई किसी भी आवासीय बैठक के लिए सर्वाधिक बड़ी संख्या में) ने भाग लिया, जिसमें संसद् सदस्य (सीए थॉमस साजीकदन), न्यायपालिका (न्यायमूर्ति सीए दिनेश मेहता), आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईसीओएएस, आईआरएएस, आईआरपीएस के सदस्य, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई जैसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, आईटीएटी, एनसीएलटी जैसे अपील अधिकरणों के सदस्य, अन्य विनियामक निकायों जैसे सेबी, आईआरडीए, आरबीआई आदि के सदस्यों ने श्रीनगर में आयोजित उक्त आवासीय बैठक में भाग लिया । श्री मनोज सिन्हा, माननीय लेफ्टिनेट गर्वनर, जम्मू-कश्मीर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन की शोभा बढ़ाई और उद्धाटन सत्र के दौरान लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों को संबोधित किया । इस बैठक का आयोजन संस्थान की सदस्यों के इस विशिष्ट खंड के संबंध में ली जाने वाली पहलों को पुन:संरचित करने और साथ ही राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों की पहचान करने, जिनके संबंध में आईसीएआई अनुसंधान और अध्ययन कर सकता है, लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था ।

(III) परस्पर क्रियाशील बैठकें

क्रम सं.	बैठक	तारीख और स्थान	थीम	प्रतिभागियों की संख्या
1	भारतीय लागत लेखा सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की परस्पर क्रियाशील बैठक	6 मई, 2022	--	--
2	उद्यमशीलता संबंधी परस्पर क्रियाशील बैठक	1 मई 2023 श्रीनगर में	एक वैश्विक वृत्तिक, उद्यमी, व्यवसायी, सीईओ के रूप में कौशल अर्जित करना	55
3	परस्पर क्रियाशील बैठक	18 मई 2023 नई दिल्ली	वैश्विक उद्यमशीलता और वृत्तिक अवसर	20
4	उद्यमशीलता संबंधी परस्पर क्रियाशील बैठक	19 मई, 2023 गोवा में	वैश्विक वृत्तिक के रूप में कौशल अर्जित करना	
5	लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक	24 मई 2023 नई दिल्ली	--	50
6	लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक (अहमदाबाद, गुजरात)	31 मई, 2023 अहमदाबाद में	--	12
7	लोक सेवा में कार्यरत आईसीएआई सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक	8 जून 2023 मुंबई में	--	15 इस परस्पर क्रियाशील बैठक में लोक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ सदस्यों ने उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई थी, अर्थात् सीए. प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण, आलोक रंजन, सहायक निदेशक (लागत), सीए प्रसून काबरा, आईआरएस, अपर आयुक्त, आय-कर, मुंबई, सीए सारिका जैन, आईआरएस, आय-कर उपायुक्त, मुंबई।

(iv) बेबीनार

क्रम सं.	थीम	तारीख	संबोधन	प्रतिभागियों की संख्या
1	डायनमिक डैशबोर्ड क्रिऐशन	10 मार्च 2023	सीए. आलोक ए सेठी	772
2	पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए यूपीएससी टॉपर्स के टिप्स	24 मार्च 2023	सीए. राहुल कुमार	775

3	ग्रीन ब्लू एंड ब्राउन अर्थव्यवस्था - पर्यावलोकन और अवसर	28 मार्च 2023	सीए. सुशील शर्मा	442
4	उभरते वर्चुअल सीपीओ (मुख्य प्रक्रिया अधिकारी) अवसर	31 मार्च 2023	सीए. प्रतीक कुमार बथवाल	1053
5	युवा उद्यमशीलता : आवश्यकता और चुनौतियाँ	12 अप्रैल 2023	सीए. जितिन कपूर	417
6	भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी मुख्य विशेषताएं	14 अप्रैल 2023	---	362
7	चैट जीपीटी के साथ निजी वर्चुअल सहायक के भविष्य का पता लगाना : अवसर और चुनौतियाँ	20 अप्रैल 2023	सीए. विक्रम पंड्या, सीए. शिवानी गुप्ता, श्री प्रसन्ना लोहार, वक्ताओं के रूप में और सीए. नरेन्द्र सेकसरिया और सीए. शैलेश वधवानिया सत्र समन्वयक के रूप में	750
8	उद्यमशीलता - 'व्यवसाय विकास' के लिए मूल्य सृजन और मूल्य प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य	22 अप्रैल 2023	अध्यक्ष, सीएमईपीएस और डॉ. नकुल परमेश्वर, सहायक प्रोफेसर, उद्यमशीलता और प्रबंध विभाग, आईआईटी हैदराबाद। इस अवसर पर आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।	--
9	उद्यमियों और अन्य वृत्तिकों के लिए डायनमिक डैशबोर्ड का सृजन और कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग	28 अप्रैल 2023	सीए. आलोक ए सेठी	--
10	नए अवसर नया विश्व और पीएमएलए - उद्यमियों और अन्य वृत्तिकों के लिए	29 अप्रैल 2023	अध्यक्ष, सीएमईपीएस, आईसीएआई, श्री पवन सिंह तोमर, अधिवक्ता ए सी सिंह और सीए. पंकज बलदेव दारा वक्ताओं के रूप में और सीए राजेन्द्र बगाड़े, कार्यक्रम समन्वयक के रूप में।	--
11	पर्यावरण दिवस का समारोह - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का ए से जेड - वृत्तिक अवसर, प्लास्टिक को समाप्त करें	5 जून 2023	सीए. श्री डीजी फोनेकर, डा. सुंगधा शेते, डा. धन्या नाम्बियार और वी. विष्णु प्रसाद।	--

(v) वेबकास्ट

क्रम सं.	**विषय**	**तारीख**
1	सिविल सेवकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सफलता की कहानियाँ	8 अप्रैल, 2022
2	कारबार मॉडल नवप्रवर्तन : रचनात्मकता से उद्यमशीलता विशेषज्ञता तक	10 मई, 2022
3	सामाजिक नेतृत्व में सीए को शामिल करना	14 जुलाई 2022
4	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) में भर्ती का नया अवसर	18 दिसंबर, 2022

8.2 विधिक निदेशालय

(I) आईसीएआई का आय-कर छूट मामला

आय-कर विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत याचिका फाइल की है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डीजीआईटी (छूट) को यह निदेश दिया गया था कि वह

संस्थान को अधिनियम की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के रूप में पात्र संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करे ।

उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने आय-कर अधिनियम के अधीन पूर्त संस्थाओं द्वारा दावा की गई छूटों के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय की उद्घोषणा की है । माननीय उच्चतम न्यायलय ने अपने तारीख 19 अक्तूबर, 2022 के निर्णय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"195. अधिनियम (सीए अधिनियम) के ये उपबंध नि:संदेह रूप से इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि संस्थान शिक्षा के मानकों का विनियमन करके एक बृहत्त लोक हित के कानूनी कृत्यों का निर्वहन करता है, जिसके परिणामस्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति को विनियमित किया जाता है और साथ ही वह वृत्तिक संनियमों, व्यवहार और अपने सदस्यों के अनुशासन के संबंध में भी मानकों को विहित करता है । देश में किसी भी अन्य अस्तित्व या निकाय को विधि के अनुसार उन कृत्यों को करने का प्राधिकार नहीं है, जिनका निर्वहन संस्थान करता है । यद्यपि, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को विनियमित करने वाला अधिनियम भारत के संविधान से पहले प्रवर्तन में आया था, फिर भी यह विषय (वृत्तियों को विनियमित करने आदि) समवर्ती सूची 149 की प्रविष्टि संख्या 25 और 26 के अधीन विधायी शक्ति के प्रयोग के समतुल्य प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, वे संघीय सूची (जिसे समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में सम्मिलित किया गया है) की प्रविष्टि 65 का अनुपालन करता है । विद्यमान परिस्थितियों के अधीन, संस्थान केवल अकेला ऐसा निकाय है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के लिए वृतिक शिक्षा की अंतर्वस्तु को विहित करता है और संपूर्ण वृत्ति का विनियमन करता है । वर्तमान में, ये कर्तव्य करने के लिए कोई भी अन्य निकाय प्राधिकृत नहीं है । अत: स्पष्ट रूप से संस्थान साधारण लोक उपयोगिता को अग्रसर करने वाले पूर्त निकाय के वर्णन के अंतर्गत आता है । पूर्त निकायों की प्रकृति के संबंध में पूर्व में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 'व्यापार, कारबार या वाणिज्य की प्रकृति' के क्रियाकलापों के घटक क्या हैं, संस्थान के कृत्य किसी भी प्रकार से ऐसे 'प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों' के वर्णन के अंतर्गत नहीं आते हैं । संस्थान द्वारा प्रभारित फीस और उसका उपयोग करने की रीति पूर्णतया विधि द्वारा नियंत्रित है । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री यह उपदर्शित करती है कि संस्थान द्वारा प्राप्त रकमें कोई वाणिज्यिक सेवा या कारबार सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त नहीं गई अपितु वे समाज और साधारण जनता को सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य हैं । आईसएआई के विरुद्ध फाइल की गई राजस्व अपीलों को खारिज किया जाता है और उन्हीं कारणों से आईसीएआई द्वारा फाइल की गई अपीलों को मंजूर किया जाता है ।"

(II) भारत के लागत लेखा संस्थान द्वारा 'आईसीएआई' के संक्षिप्त नाम का उपयोग

भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा उसके व्यापार चिह्न 'आईसीएआई' के भारतीय लागत लेखापाल संस्थान द्वारा उल्लंघन के लिए फाइल किए गए एक सिविल वाद में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय लागत लेखापाल संस्थान को उसके संस्थान या उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए संक्षिप्त नाम के रूप में 'आईसीएआई' का उपयोग करने के लिए निषेध आज्ञा पारित करके रोक लगा दी है । माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि भारतीय लागत लेखापाल संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करेगा कि ऐसे सभी भौतिक और वर्चुअल मीडिया/वेबसाइटों, जहां पर भारतीय लागत लेखापाल संस्थान की उपस्थिति है, जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइटें और साथ ही उसके सभी सोशल मीडिया मंच भी हैं, से तीन मास की अवधि के भीतर 'आईसीएआई' संक्षिप्त नाम को हटा दिया जाता है।

(III) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईसीएआई के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अन्वेषण को अभिखंडित किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आईसीएआई द्वारा प्रयोग की जाने वाली विनियामक शक्तियां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आती हैं और इसलिए उसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा आईसीएआई के विरुद्ध आरंभ किए गए अन्वेषण को अभिखंडित किया ।

आईसीएआई ने वर्ष 2014 में धारा 26(1) के अधीन सीसीआई के उस निदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की थी, जिसके माध्यम से सीसीआई ने आईसीएआई द्वारा संचालित सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) कार्यक्रम से संबंधित विषय में अन्वेषण करने का निदेश जारी किया था ।

परिवादी द्वारा यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया था कि केवल आईसीएआई और उसके घटक संरचित पठन क्रियाकलापों का संचालन कर रहे हैं और यह कि आईसीएआई ने किसी भी अन्य निकाय को ऐसे पठन क्रियाकलाप चलाने के लिए मान्यता या अनुज्ञा नहीं दी है । यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन किया गया है ।

सीसीआई के उस आदेश को, जिसके द्वारा आईसीएआई के विरुद्ध अन्वेषण करने का निदेश दिया गया था, अपास्त करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"यह न्यायालय इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ है कि सीसीआई की अधिकारिता किसी कानूनी निकाय को अपने ऐसे कृत्यों को किसी अन्य को सौंपने हेतु मजबूर करने तक विस्तारित होती है, जिनका कार्यपालन वह अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए करता है, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि यह आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है। यह उपधारणा करना त्रुटिपूर्ण होगा कि यदि कोई क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आता है तो यह आवययक होगा कि उसके लिए एक खुले बाजार का सृजन किया जाए। यह न्यायालय यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि सीसीआई किसी संगठन या किसी उद्यम को अपने क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने हेतु मजबूर कर सकता है।"

(IV) धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन

3 मई, 2023 को वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएमएल की धारा 2(धक) में संशोधनों को अधिसूचित किया, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंटों, कंपनी सचिवों और लागत लेखापालों को "अभिहित कारबार या वृत्ति करने वाले व्यक्तियों" की सूची में सम्मिलित किया गया। सीए द्वारा, उनकी वृत्ति के अनुक्रम में उनके ग्राहकों की ओर से किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों को अब उक्त सूची में सम्मिलित किया गया है :

क) किसी स्थावर संपत्ति का क्रय और विक्रय ;

ख) ग्राहक के धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का प्रबंधन ;

ग) बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन ;

घ) कंपनियों के सृजन, प्रचालन या प्रबंध के लिए अभिदायों का संयोजन; कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारियों या न्यासों का सृजन, प्रचालन या प्रबंध और कारबार अस्तित्वों का क्रय और विक्रय ;

8.3 अवसंरचना विकास संबंधी समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास संबंधी समिति का सृजन वर्ष 2014 में संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। वर्ष 2014 से, आईसीएआई ने एक ठोस अवसंरचना नीति स्थापित की है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन को सुनिश्चित करती है। इस वर्ष समिति ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति को पुन: रचित किया है। यह नीति इस बात को परिभाषित करती है कि किस प्रकार की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्थानीय अवसरंचना समितियों की संरचना कैसी हो, भूमि/भवन के अर्जन की नीति और प्रक्रिया, संकेतात्मक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुज्ञेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकारियों में निहित शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करती है, इसलिए वर्ष 2014 के पश्चात् से सभी अवसंरचना परियोजनाएं वित्त समिति की बजाए आईडीसी द्वारा अनुमोदित की जा रही हैं। अवसंरचना नीति को विरचित किए जाने के समय से ही आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं को आरंभ किया है :

नई अवसंरचना का क्रय	अनुमोदित संनिर्माण संबंधी प्रस्ताव
कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जैन, रतलाम, चेंगलपट्टू, अहमदाबाद, कोटा, एर्नाकुलम, हिमाचल प्रदेश, जामनगर, तिरुपति, रायपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु उपहार में दी गई संपत्ति, सीओई चेन्नई (1.19 एकड़) और सीओई गुवाहाटी।	अजमेर, सूरत, हुबली, भोपाल, राजमहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, गाजियाबाद, गोवा, मुरादाबाद, गुंटूर, आगरा, गुरुग्राम, रोहिणी, रतलाम, पटियाला, किशनगढ़, उज्जैन, पाली, सीओई कोलकाता, उपहार में दी गई संपत्ति बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेंगलपट्टू, एर्नाकुलम, रोहतक, सिलीगुड़ी, पटना, जबलपुर, जालंधर, आईसीओई चेन्नई कैंप कार्यालय।

आईसीएआई द्वारा अभी तक स्थापित कुल शाखाओं में से 168, 102 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं। 13 ने भूमि का उपापन किया है (मान में किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैंजो वर्त) शाखाओं, जहां या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या होने वाला है। ने अपने (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) शाखाओं 12 स्वयं की भूमि का उपापन किया है, जहां या तो संनिर्माण आरंभ कर दिया गया है या होने वाला है। शाखाओं के पास 53 जून 30 अपने स्वयं की भूमि या भवन नहीं है।, 2023 तक क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पणियां					
		डब्ल्यूआई आरसी	एसआई आरसी	ईआई आरसी	सीआई आरसी	एनआई आरसी	योग
1.	शाखाओं की कुल संख्या	**36**	**45**	**13**	**50**	**24**	**168**
2.	अपने स्वयं का परिसर रखने वाली शाखाओं की संख्या	21	34	6	31	10	**102**
3.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास भूमि है और जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	1	2	0	5	5	**13**
4.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास अपने परिसर के अलावा ऐसी भूमि भी है जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	4	2	1	5	0	**12**
5.	ऐसी शाखाओं की कुल संख्या, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन और जो किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं	14	9	7	14	9	**53**

8.4 अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति (आईएसी)

क्रियाकलाप

(I) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए आईएसी की पहलें

अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी उपस्थिति को उपदर्शित करने के लिए आईसीएआई, सदस्यों की अर्हताओं को परस्पर रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए वैश्विक लेखांकन निकायों के साथ अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करार कर रहा है। ये करार दो लेखांकन संस्थाओं के बीच कार्यकारी संबंधों की स्थापना करते हैं। ये करार वैश्विक रूप से कारबार के लिए दोनों ओर से नए आयामों को आरंभ करने के लिए वृत्तिकों के आदान-प्रदान में वृद्धि करने की ओर आगे बढ़ाया गया एक कदम है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आईसीएआई ने इंग्लैंड और वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ अपने करार का नवीकरण किया है।

आईसीएईडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण

24 अप्रैल, 2023 को लंदन में आईसीएईडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया गया। संबंधित संस्थानों की ओर से सुश्री जुलिया पेनी, अध्यक्ष, आईसीएईडब्ल्यू और अध्यक्ष, आईसीएआई ने उपाध्यक्ष, आईसीएआई और अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्यों और आईसीएईडब्ल्यू के वरिष्ठ कृत्यकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू के बीच परस्पर संबंध वर्ष 2008 में आरंभ हुए थे, जब दो निकायों के बीच पहले समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन का नवीकरण किए जाने से दोनों संस्थानों के उपयुक्त रूप

से अर्हित सदस्यों को, अपनी विद्यमान लेखांकन अर्हता के लिए उपयुक्त क्रेडिट प्राप्त करके दूसरे संस्थान में प्रवेश पाने में समर्थ बने रहेंगे और इसके परिणामस्वरूप यूके में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अनेकों वृत्तिक अवसर सामने आएंगे । इसके अतिरिक्त, आईसीएईडब्ल्यू के साथ परस्पर दिलचस्पी के विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चाएं की गई थी, जैसे कि शिक्षा और परीक्षा में सर्वोत्तम व्यवहारों का आदान-प्रदान, समकालीन क्षेत्रों जैसे कि प्रौद्योगिकी, वहनीयता, दिवाला, ईएसजी और अन्य उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान ।

(II) आईसीएआई की वैश्विक उपस्थिति में अभिवृद्धि

- **आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से वैश्विक रूप से सीए ब्रांड का संवर्धन**

  आईसीएआई के पास 46 विदेशी चैप्टर और 34 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जो विश्व भर में फैले हैं और जो उसे बेहतर रूप से भारतीय सीए की वैश्विक ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करके सदस्यों की बेहतर रूप से सेवा करने हेतु समर्थ बनाते हैं ; इसके अतिरिक्त, उनका प्रयोजन और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करना और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति सहायता करना है । आईसीएआई ने पूरे विश्व के 80 शहरों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है । इस अवधि के दौरान आईसीएआई ने 2 नए चैप्टरों का शुभारंभ किया, अर्थात् सिएटल और ऐरिजोना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में छह प्रतिनिधि कार्यालयों को भी आरंभ किया गया, अर्थात् ऐरिजोना, आस्टिन, लॉस एंजेलिस, मिशिगन, नार्थ केरोलिना और ओहाइयो, इन कार्यालयों का शुभारंभ सान फ्रांसिको चैप्टर द्वारा आयोजित "यूनाइट इन अमेरिका" शीर्षक वाले आयोजन के दौरान किया गया । ऐरिजोना प्रतिनिधि कार्यालय को एक चैप्टर में संपरिवर्तित किया गया । प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना का उद्देश्य उस अधिकारिता में आईसीएआई के चैप्टर के सृजन के प्रति कार्य करना है और इस प्रकार आईसीएआई विदेशों में स्थित अपने सदस्यों को एकसाथ लाकर तथा उन तक प्रभावी पहुंच को समर्थ बनाकर अपने सदस्यों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वह 'भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों' की एक 'ब्रांड' के रूप में छवि को विश्व भर में मजबूत करने में सहायता करता है तथा भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंटों के लिए अधिकाधिक वृत्तिक अवसरों के सृजन में योगदान देता है ।

➢ **आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कार, 2022**

  वर्ष 2013 से अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति (आईएसी) प्रत्येक वर्ष विदेशों में स्थित अपने चैप्टरों के लिए आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कारों का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य 'भारतीय सीए' की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने में चैप्टर का प्रबंध करने वाली समिति के प्रयासों की सराहना करना है और साथ ही इस बात के लिए भी उसकी अनुशंसा की जाती है कि वह सदस्यों को नेटवर्किंग हेतु एक मंच उपलब्ध करा रही है और इस प्रकार विदेशी जमीन पर सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का सृजन कर रही है । ये पुरस्कार चैप्टरों के विशिष्ट प्रयासों और उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं । सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर का चयन समय-समय पर यथा अनुमोदित परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है । इस वर्ष के लिए पुरस्कारों को आईसीएआई के वार्षिक दिवस समारोह के दौरान सम्यक् रूप से वितरित किया गया था ।

- **अंतर्राष्ट्रीय निकायों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व**

  - पूर्वाध्यक्ष, आईसीएआई नवंबर 2023 तक दो साल की अवधि के लिए एशिया और प्रशांत अकाउंटेंट परिसंघ (कापा) के उपाध्यक्ष हैं।
  - पूर्वाध्यक्ष, आईसीएआई नवंबर 2023 तक दो साल की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड (सीएडब्ल्यू) के बोर्ड के सदस्य हैं ।
  - पूर्वाध्यक्ष, आईसीएआई 01 जनवरी, 2023 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (साफा) के अध्यक्ष हैं ।
  - पूर्व परिषद सदस्य, आईसीएआई 01 जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए आईएफएसी के लघु और मध्यम व्यवसायियों (एसएमपी) सलाहकार समूह के सदस्य हैं ।
  - पूर्व परिषद सदस्य, आईसीएआई 01 जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाली दो साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स (आईईएसबीए) के सदस्य हैं ।
  - पूर्वाध्यक्ष, आईसीएआई, आईएफएसी के बोर्ड सदस्य हैं और उनका पहला कार्यकाल नवंबर 2023 तक है ।

- पूर्वाध्यक्ष आईसीएआई दिसंबर 2023 तक प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य हैं ।
- पूर्वाध्यक्ष, आईसीएआई, दिसंबर 2023 तक वृत्तिक लेखांकन संगठन विकास और सलाहकार समूह के सदस्य हैं ।
- परिषद सदस्य, आईसीएआई वहनीयता मानक सलाहकार मंच (एसएसएएफ) में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

- **आईसीएआई की ब्रांड साम्या का वैश्वीकरण**

  - **आईसीएआई के सदस्यों को सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईएससीए) के सहबद्ध सदस्य के रूप में मान्यता**

    आईएससीए, सिंगापुर ने आईसीएआई की अर्हता को आईएससीए की सहबद्ध सदस्यता के लिए वृत्तिक अर्हताओं में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है और यह स्वयं में इस बात का सबूत है कि वैश्विक रूप से वृत्ति की ब्रांड साम्या में अभिवृद्धि हो रही है । यह मान्यता ऐसे सभी सदस्यों के लिए फायदाप्रद होगी, जो सिंगापुर में निवास कर रहे हैं और जिनके पास सिंगापुर में स्थानीय रूप से कार्य करने का कम से कम छह मास का अनुभव है ।

  - **एमआईए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आईसीएआई की उपस्थिति**

    आईसीएआई 13-14 जून, 2023 के दौरान क्वालालम्पुर में "फीचर फीट प्रोफेशन : चार्टिंग ए बेटर टूमारो" विषय पर आयोजित एमआईए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्लैटिनम प्रायोजक था और उसने सम्मेलन में आईसीएआई पैवेलियन की स्थापना की थी जहां उसने जीएलओपीएसी और वैश्विक संगतता की अपनी अन्य विभिन्न पहलों का संवर्धन किया था । आईसीएआई ने पैवेलियन में अपने प्रकाशनों को भी प्रदर्शित किया । इससे आईसीएआई को मलेशिया में अपने कदम जमाने में सहायता प्राप्त हुई और आईसीएआई को प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं । इस आयोजन के साथ-साथ आईसीएआई ने 12 जून, 2023 को आईसीएआई कनेक्ट नामक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जिसमें मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त महामहिम बी.एन. रेड्डी, वाईबी सेनेटर सरस्वती कंदा स्वामी, उद्यम विकास और सहकारिता उप मंत्री, सुश्री असमा रेस मौकी, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन (आईएफएसी), मलेशियाई अकाउंटेंट्स संस्थान (एमआईए) का नेतृत्व और मलेशियाई इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एमआईसीपीए), अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई और मलेशिया (क्वालालम्पुर) चैप्टर, आईसीएआई की प्रबंध समिति के सदस्य भी सम्मिलित हुए । आईसीएआई कनेक्ट आयोजन की सभी प्रतिभागियों द्वारा सराहना की गई और इससे आईसीएआई को मलेशिया में अपनी ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने में सहायता प्राप्त हुई ।

    अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने आईएफएसी की अध्यक्ष सुश्री असमा रेस मौकी के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लिया, जिसकी मेजबानी मलेशियाई इंस्टीट्यूट्स आफ अकाउंटेंट्स (एमआईए) द्वारा की गई थी । यह आईसीएआई के लिए सुनहरा अवसर था, जहां आईसीएआई ने आईएफएसी के साथ नेटवर्किंग की और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निकायों और बीओए के साथ परस्पर क्रियाएं की । अध्यक्ष, आईसीएआई ने इस आयोजन के दौरान एक प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें उन्होंने आईसीएआई द्वारा वृत्ति के भविष्य के लिए संगत विभिन्न क्षमता और सक्षमता निर्माण प्रयासों के संबंध में प्रतिभागियों को जानकारी दी ।

  - **आईसीएआई द्वारा अफ्रीका कांग्रेस आफ अकाउंटेंट्स (एसीओए), 2023 में भाग लिया जाना**

    आईसीएआई सातवीं अफ्रीका कांग्रेस आफ अकाउंटेंट्स (एसीओए), 2023 में एक प्रमुख प्रायोजक था और यह समारोह पेन अफ्रीकन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (पाफा) का एक प्रमुख आयोजन है, जिसे आबिद जान, आइवरी कोस्ट में 15 से 18 मई, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था । 54 देशों से 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कांग्रेस में भाग लिया, जहां अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, तुरंत पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने विभिन्न सत्रों को संबोधित किया । आईसीएआई को एसीओए में एक सबसे बड़े पैवेलियन में प्रदर्शनी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां आईसीएआई की नवीनतम पहलों को प्रदर्शित किया गया और आईसीएआई को प्रतिभागियों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई ।

- **आईसीएआई का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल**

  - **इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैड एंड वेल्स से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक**

    अध्यक्ष, आईसीएआई ने उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) से आए श्री जान बोल्टन, निदेशक, नीति और सुश्री वंदना सक्सेना पोरिया, भारतीय सलाहकार से 16 मार्च, 2023 को आईसीएआई, नई दिल्ली में बैठक की । इस बैठक के दौरान दोनों संस्थानों ने परस्पर हित के क्षेत्रों में एक-दूसरे से भागीदारी और सहयोग करने का करार किया ।

  - **सीपीए आस्ट्रेलिया से एक प्रतिनिधि मंडल का आईसीएआई का दौरा**

    श्री लेसी लियो, महाप्रबंधक – उभरते बाजार, सीपीई आस्ट्रेलिया ने 18 अप्रैल, 2022 को आईसीएआई के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया । आईसीएआई की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा श्री एंड्रयू हंटर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीपीए आस्ट्रेलिया के नेतृत्व में सीपीए आस्ट्रेलिया के एक दल से 21 अप्रैल, 2022 को एक कांफ्रेस काल के माध्यम से वार्ता की थी । दोनों संस्थानों ने, उनके बीच पिछले 12 वर्षों से हस्ताक्षरित अर्हता को परस्पर मान्यता दिए जाने संबंधी करार के फायदों के संबंध में चर्चा की गई और साथ ही दोनों संस्थानों के परस्पर हित के विषयों पर संयुक्त अध्ययन करने तथा प्रकाशन निकालने के संबंध में भी वार्ताएं की गई ।

(III) तकनीकी सहयोग संबंधी करार

  - **आईसीएआई और सीए मालदीवस के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन**

    संघ के मंत्रिमंडल ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) और द इंस्टीट्यूट्स आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ मालदीवस (सीए मालदीवस) के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लेखांकन ज्ञान, वृत्तिक और बौद्धिक विकास, प्रत्येक संस्थान के अपने-अपने सदस्यों के हितों को अग्रसर करना तथा मालदीवस और भारत में लेखांकन वृत्ति के विकास में सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए परस्पर सहयोग को स्थापित करना है ।

  - **इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नाइजीरिया और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

    आईसीएआई ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नाइजीरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा उसने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन) के साथ अपने विद्यमान समझौता ज्ञापन को नवीकृत किया । ये दोनों समझौता ज्ञापन डब्ल्यूसीओए 2022 के आयोजन के दौरान हस्ताक्षरित किए गए और उक्त समझौता ज्ञापनों पर श्री देवेन्द्र फडनवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे । ये समझौता ज्ञापन नाइजीरिया और नेपाल में लेखांकन ज्ञान, वृत्तिक और बौद्धिक विकास, प्रत्येक संस्थान के अपने-अपने सदस्यों के हितों को अग्रसर करना तथा लेखांकन वृत्ति के विकास में सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए परस्पर सहयोग को स्थापित करना है ।

  - **पोलिश चैम्बर आफ स्टेट्यूटरी आडिटर्स (पीआईबीआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

    आईसीएआई ने 10 अगस्त, 2022 को पोलिश चैम्बर आफ स्टेट्यूटरी आडिटर्स (पीआईबीआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । आईसीएआई और पीआईबीआर के बीच हुए समझौता ज्ञापन से यह आशा की जाती है कि उससे यूरोप में हमारी उपस्थिति और सुदृढ़ होगी तथा आईसीएआई के सदस्यों को पौलेंड में और अधिक वृत्तिक अवसर प्राप्त होंगे । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईसीएआई और पीआईबीआर के सदस्यों के लिए परस्पर फायदाप्रद संबंधों को विकसित करने के लिए एक साथ कार्य करना है ।

  - **चेम्बर आफ आडिटर्स आफ द रिपब्लिक आफ अजरबाइजान (सीएआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

    आईसीएआई ने 16 सितंबर, 2022 को चेम्बर आफ आडिटर्स आफ द रिपब्लिक आफ अजरबाइजान (सीएआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । यह समझौता ज्ञापन संयुक्त कार्यक्रमों और

अनुसंधान पहलों के माध्यम से ज्ञान के अंतरण द्वारा लेखांकन वृत्ति के संवर्धन में परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करेगा।

- **नेशनल बोर्ड आफ अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया के पदधारियों के लिए प्रशिक्षण**

  आईसीएआई ने वैश्विक रूप से वृत्ति के विकास के योगदान में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शित करते हुए नेशनल बोर्ड आफ अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया के एक प्रतिनिधि मंडल के लिए आईसीएआई के प्रधान कार्यालय में एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन फरवरी 2022 में किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में परीक्षा प्रणाली सदस्यों और छात्र निदेशालय का कार्यकरण, यूडीआईएन और डिजीटल पठन केंद्र, छात्रों के लिए कैरियर संबंधी परामर्श, सीपीई, वहनीयता और नैतिकता जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रतिभागियों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी।

(IV) समिति द्वारा आयोजित समारोह

- **अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए) 2022 की मेजबानी के दौरान आयोजित की गई बैठकें**

  आईसीएआई ने 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान जिओ वर्ल्ड कन्वेशन केंद्र, मुबंई में आईसीएआई द्वारा मिश्रित पद्धति से अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए) 2022 के आयोजन के दौरान 14 नवंबर, 2022 से आरंभ करते हुए विभिन्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और मंचों की मेजबानी तथा समर्थन किया। अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए) को लोकप्रिय रूप से अंकाउंटेंटों के ओलम्पिक के रूप में जाना जाता है और कांग्रेस के 118 वर्षों के इतिहास में पहली बार इसका आयोजन भारत में किया गया। आईसीएआई द्वारा आयोजित 21वीं विश्व कांग्रेस में कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस संपूर्ण आयोजन में 120 से अधिक देशों से लगभग 10000 से अधिक प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज की। कांग्रेस के इतिहास में यह एक सबसे बड़ा लेखांकन और वित्तीय वृत्तिकों का मेला था। इस विश्व कांग्रेस में 40 सत्रों को सम्मिलित किया गया था, जिनका आयोजन 4 दिनों के दौरान किया गया और उनमें सर्वाधिक सुसंगत और समकालीन विषयों को सम्मिलित किया गया और इन सत्रों को 159 विख्यात अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वक्ताओं ने संबोधित किया। 36 भारतीय फर्मों ने भी इस आयोजन में भागीदारी की और उन्होंने विश्व को भारतीय लेखांकन वृत्ति की सुदृढ़ता का प्रदर्शन किया। कोविड-19 महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो कि स्वयं में एक ऐतिहासिक रिकार्ड है और पूरे विश्व भर से आए प्रतिभागियों ने इस संपूर्ण आयोजन की अनुशंसा की। इस आयोजन के दौरान आयोजित की गई अन्य बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

  - **डब्ल्यूसीओए 2022 के साथ-साथ कराए गए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन**

    आईएफएसी परिषद् और बोर्ड की बैठक – संस्थान ने 15 और 16 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई में परिषद् और इंटरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठकों की मेजबानी की। इन बैठकों के माध्यम से वैश्विक प्रवृत्तियों और ऐसी घटनाओं के संबंध में अंतदृष्टि प्राप्त हुई, जो वृत्ति को प्रभावित करती हैं और इन बैठकों के दौरान आगे की सुसंगत कार्ययोजना के संबंध में भी विचार किया गया।

    कापा परिषद् और बोर्ड की बैठक – आईसीएआई ने 16 और 17 नवंबर, 2022 को मुंबई में परिषद और एशिया तथा प्रशांत अकाउंटेंटों के परिसंघ के बोर्ड की बैठकों की मेजबानी की। इन बैठकों के दौरान क्षेत्र में वृत्ति के विकास के संबंध में परिचर्चाओं का आयोजन किया गया।

    साफा बोर्ड बैठक – दक्षिण एशियाई अकाउंटेंटों की फेडरेशन की 75वीं बोर्ड बैठक का आयोजन 17 नवंबर, 2022 को किया गया, जिसे सुश्री असमा रेस मौकी, अध्यक्ष, आईएफएसी द्वारा संबोधित किया गया। बोर्ड ने क्षेत्र में वृत्ति की सक्षमता और सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में विचार-विमर्श किया।

    पाफा आयोजन – पेन अफ्रीकन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (पाफा) ने 17 नवंबर, 2022 को अफ्रीका दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई द्वारा की गई। इस आयोजन में अफ्रीका से 135 प्रतिनिधियों और लेखांकन निकायों के अध्यक्षों ने भाग लिया। इस आयोजन में अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और अफ्रीका में अकाउंटेंटों के लिए संभाव्य वृत्तिक अवसरों को उपदर्शित किया गया।

एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज बैठक – 16 और 17 नवंबर, 2022 को मुंबई में एक्सबीआरएल इंटरनेशनल ने अपनी 11वीं एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज (एक्सएआरटी) बैठक का आयोजन किया। 17 नवंबर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष सुश्री माधबी पुरी बुच ने एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज बैठक को संबोधित किया और सेबी की ईएसजी संबंधी पहल के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया।

वृत्तिक लेखांकन संगठनों (पीएओ) के साथ गोलमेज बैठकें – संस्थान ने 18 नवंबर, 2022 को वैश्विक रूप से वृत्ति को सुदृढ़ करने के लिए पीएओ के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण के संबंध में एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया। पीएओ द्वारा इस पहल की अनुशंसा की गई और लगभग 30 पीएओ ने इस आयोजन में भाग लिया और परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग करने का करार किया। वहनीयता का समर्थन और संवर्धन करने के लिए वक्ताओं ने एक पौधा रोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया।

संघ के माननीय वाणिज्य और उद्योग, टैक्सटाइल और उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण मंत्री के साथ परस्पर क्रियाशीलबैठक - संघ के माननीय वाणिज्य और उद्योग, टेक्सटाइल और उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण मंत्री ने वैश्विक वृत्तिक निकायों के नेताओं के साथ मुलाकात की और परस्पर क्रियाएं की। इन बैठकों का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि इस संबंध में परिचर्चा की जा सके कि जिस समय भारत 1 दिसंबर, 2022 को "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य" विजन के साथ जी20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है तो किस प्रकार वैश्विक लेखांकन वृत्ति आर्थिक विकास के स्वप्न को साकार कर सकती है। माननीय मंत्री ने वैश्विक लेखांकन भ्रातृसंघ से वहनीयता ओर भविष्य के लिए नमनीय और सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग का आवाहन किया। इस बैठक में 70 से अधिक वैश्विक लेखांकन वृत्तिकों ने भाग लिया था।

- **77वीं साफा बोर्ड बैठक और 95वीं साफा सभा बैठक**

आईसीएआई ने 7 जनवरी, 2023 को होटल द ललित, नई दिल्ली, भारत में 77वीं साफा बोर्ड बैठक और 95वीं साफा सभा बैठक का आयोजन किया। आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष को औपचारिक रूप से इस बैठक के दौरान साफा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस बैठक में भौतिक रूप से बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीवस और भारत के साफा सदस्य निकायों के प्रतिनिधियों और अन्य सदस्य निकायों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष ने आईसीएआई के तत्कालीन उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और अध्यक्ष, साफा ने भी इस बैठक में भाग लिया।

(V) एमओयू/एमआरए भागीदारों के साथ आयोजन

- **आईसीएआई के सिंगापुर चैप्टर और आईएससीए द्वारा संयुक्त रूप से वेबीनार का आयोजन**

आईएससीए की सहबद्ध सदस्यता से संबंधित किन्हीं शंकाओं या चिंताओं का समाधान करने के लिए 8 जून, 2022 को आईसीएआई के सिंगापुर चैप्टर और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ सिंगापुर (आईएससीए) द्वारा संयुक्त रूप से एक वेबीनार का आयोजन किया गया, जिसे सदस्यों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई। आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी इस वेबीनार को संबोधित किया था।

- **सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई के सदस्यों के लिए सूचना सत्रों का आयोजन**

आईसीएआई का सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ अर्हता को परस्पर मान्यता संबंधी करार, अर्थात् एमआरए वर्ष 2009 से प्रवर्तन में है। सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ वर्तमान एमआरए वर्ष 2024 तक विधिमान्य है। यह एमआरए अर्हित सदस्यों के लिए एक परस्पर संबंधन तंत्र के माध्यम से एक-दूसरे के संस्थानों का सदस्य बनने को सुकर बनाता है। सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ किए गए इस एमआरए का आईसीएआई सदस्यों के बीच संवर्धन करने के लिए आईसीएआई ने सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए, जो आस्ट्रेलिया में अवसरों का लाभ लेने हेतु इच्छुक हैं, भारत के भिन्न-भिन्न नगरों में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया है ताकि सदस्यों को उक्त एमआरए के संबंध में और अधिक ब्यौरे उपलब्ध कराए जा सकें तथा आईसीएआई के सदस्यों की प्रवासन संबंधी शंकाओं का समाधान किया जा सके।

- **सीपीए आयरलैंड के सहयोग से आईसीएआई द्वारा एक वेबीनार का आयोजन**

  आयरलैंड में आईसीएआई के सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में सीपीए आयरलैंड के सहयोग से 4 मई, 2022 को एक वेबीनार का आयोजन किया गया था ताकि आईसीएआई के सदस्यों के बीच, आईसीएआई तथा सीपीए आयरलैंड के बीच हस्ताक्षरित एमआरए के अधीन आयरलैंड में विद्यमान विभिन्न वृत्तिक अवसरों के संबंध में जागरुकता का सृजन किया जा सके। इस आयोजन की शोभा महामहिम श्री अखिलेश मिश्रा और तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने उपस्थित होकर बढ़ाई थी। सीपीए आयरलैंड की ओर से श्री ऐमोन सिगिन्स, मुख्य कार्यपालक, सुश्री कैरोलिन मोलोनिख, कारबार विकास कार्यपालक और सुश्री केल्सिलारकिन, कारबार विकास प्रबंधक, वीजा फर्स्ट ने भाग लिया था।

- **आईसीएईडब्ल्यू के साथ संयुक्त सूचना सत्र**

  इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) ने आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से 8 और 10 फरवरी, 2023 को क्रमश: पुणे और मुंबई में आईसीएआई के सदस्यों के लिए समझौता ज्ञापन के संबंध में भौतिक रूप से सूचना सत्र का आयोजन किया था। इस आयोजन के प्रत्येक सत्र में 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

8.5 रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएंडएमसी)

रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएंडएमसी), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की गैर-स्थायी समितियों में से एक है, जिसका सृजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य एक प्रमुख रूप से केंद्रित और क्रियाशील संस्थान के रूप में आईसीएआई को रणनीति और अन्य उभरते क्षेत्रों में विकसित करने और एक व्यापक आधार प्रदान करने हेतु लेखांकन वृत्ति की मूल सक्षमताओं की पहचान करना, उन पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी खोज करना, उनके संबंध में विचार-विमर्श करना तथा उन्हें विकसित करना है। समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु लेखांकन वृत्ति के समावेशक विकास के लिए नीतिगत योजनाएं तैयार करती है और इस प्रक्रिया के दौरान वह पणधारियों को सशक्त बनाती है। रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के मूल कृत्यों हेतु एक नीतिगत योजना तैयार करने वाली और मार्गदर्शक इकाई के रूप में कार्य करती है और वह इस संबंध में रणनीति तैयार करती है कि किस प्रकार भारत और आईसीएआई की उपस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुदृढ किया जाए। समिति का उद्देश्य वैश्विक संदर्भ में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की संगतता को बनाए रखने तथा उसका संवर्धन करने के लिए वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना और आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और हैसियत में सतत रूप से सुधार करना है।

(I) क्रियाकलाप/पहलें :

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने 10 मार्च, 2023 को हैदराबाद में रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति के तत्ववाधान में एक नीतिगत बैठक का आयोजन किया था। यह बैठक अत्यधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस बैठक के दौरान आईसीएआई ने पिछले 75 वर्षों के दौरान की अपनी यात्रा का मानव संसाधनों, अवसंरचना और वित्तीय निबंधनों के अनुसार पुनर्विलोकन किया तथा आगामी 25 वर्षों के लिए अपने विजन के संबंध में विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान, प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों और नीतिगत विषयों पर परिचर्चा की गई, जो आईसीएआई के उद्देश्यों की पूर्ति और विजन 2049 को तैयार करने में उसकी सहायता करेंगे। समिति ने पिछली नीतिगत बैठकों के दौरान विचार-विमर्श किए गए कार्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की तथा उन क्षेत्रों का पुनर्विलोकन किया जहां पहलें की गई हैं। समिति ने विजन 2049 को तैयार करने में आईसीएआई की भावी रणनीति के संबंध में भी विचार-विमर्श किया ताकि देश के आर्थिक विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके और साथ ही आईसीएआई के पणधारियों की मांग को भी पूरा किया जा सके।

8.6 यूडीआईएन निदेशालय

यूडीआईएन .... अधिप्रमाणन की मोहर

भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी उत्कृष्टता, सटीकता, क्वालिटी और प्रतिबद्धता का प्रमाण चिह्न है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के पास जनता के विश्वास और राष्ट्र की सेवा की समृद्ध विरासत है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अत्यंत ईमानदारी, निष्ठा और दूरदर्शिता से निर्मित किया है। इसी दौरान हमारा भी यह उत्तरदायित्व है कि हम पूर्ण गौरव से इस विरासत को आगे बढ़ाएं और वित्तीय रिपोर्टिंग तथा कारबार व्यवहारों में जनता के विश्वास को सुनिश्चित करें और साथ ही लेखांकन वृत्ति की ख्याति को अक्षुण्ण बनाए रखें।

कारबार संगठन, उद्योग और सरकारें उत्तम वित्तीय लेखांकन, रिपोर्टिंग और प्रभावी वित्तीय प्रबंध के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए प्रमाणन और आश्वासन पर विश्वास करती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) वित्तीय शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सुदृढ़ विशेषज्ञता के साथ उच्च क्वालिटी की ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो अंततः अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद सिद्ध होती हैं। वे वृत्तिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं, अपने कार्यकरण में ईमानदारी और उत्कृष्टता को सर्वोपरि रखते हैं। तथापि, कभी-कभार गैर-सीए व्यक्ति स्वयं का दुर्व्यपदेशन करते हैं और वे सीए के रूप में दस्तावेजों का अधिप्रमाणन करते हैं और इस प्रकार वे पणधारियों को गुमराह करते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) सफलतापूर्वक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न बाधाओं, जिनके अंतर्गत सुधार और सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विधान भी हैं, से जुझने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आईसीएआई राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति सक्रिय रूप से प्रक्रिया में सहायता करने की अपनी भूमिका के भागरूप में तथा विनियमन के माध्यम से सुशासन के लिए पहली बार न केवल भारत में अपितु अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) की नवीन अवधारणा को सामने लाया। यह परिकल्पना की गई है कि यूडीआईएन आईसीएआई द्वारा अधिकथित प्रभावी अनुपालनों के लिए एक अन्य प्रभावी उपकरण के रूप में उभरेगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अपनी तारीख 2 अगस्त, 2019 की राजपत्र अधिसूचना में सभी प्रकार के प्रमाणनों, जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टों तथा व्यवसायी सदस्यों द्वारा किए जाने वाले आश्वासन और अधिप्रमाणन संबंधी कृत्यों, जो विभिन्न विनियामकों द्वारा अपेक्षित हैं, के लिए यूडीआईएन के सृजन को आज्ञापक बनाया है। यूडीआईएन की नवीनता को श्रीमती द्रोपदी मूर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने भी 1 जुलाई, 2023 को 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के उपलक्ष में दिए गए अपने भाषण में सराहा है।

(I) यूडीआईएन – विनियामको, बैंकों और अन्य पणधारियों के लिए निर्णय निर्धारक पैरामीटर

- पहली बार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने वर्ष 2023-24 से उसके द्वारा सीए फर्मों/एलएलपी को पैनलबद्ध किए जाने के प्रयोजन के लिए एक तत्व के रूप में प्रयोग किया है। सीएंडएजी ने यूडीआईएन डाटा पर आधारित पैनलीकरण के लिए अंक के तंत्र को उपलब्ध कराया है :

  "वर्ष 2023-24 के लिए, अंकों को आईसीएआई के वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के यूडीआईएन डाटा के आधार पर आबंटित किया जाएगा। अंततोगत्वा इसे वार्षिक आधार पर शनै-शनै एक वर्ष जोड़ते हुए 2026-27 तक 5 वर्षों तक ले जाया जाएगा।"

- केंद्रीय संसूचना ब्यूरो (सीबीसी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने यह मूल्यांकन करने के लिए यूडीआईएन पर प्रणालीगत विश्वास करने हेतु आईसीएआई से संपर्क किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा परिसंचरण तथा दरों के आधार पर समाचार अभिकरणों के पैनलीकरण हेतु विहित प्ररूप में प्रमाणित जानकारी की सत्यता का आधार क्या है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित जानकारी समाचार-पत्र अभिकरणों को पैनलबद्ध किए जाने का आधार बनती है। सीबीसी ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया है कि वह उनकी नई ईआरपी प्रणाली के लिए वेब एपीआई उपलब्ध कराएं। सीबीसी ने अपने इस आशय को अभिव्यक्त किया है कि वे अपनी नई ईआरपी प्रणाली के संबंध में यूडीआईएन सत्यापन के लिए वेब एपीआई का उपयोग करना चाहते हैं ताकि विभिन्न पैरामीटरों एमआरएन, सीएन के नाम, सीए के पते, सीए के मोबाइल नंबर, सीए की ईमेल आईडी आदि को प्रत्येक यूडीआईएन के संबंध में उनकी स्वचालित प्रणाली के साथ एकीकरण को अनुज्ञात किया जा सके।

- दूरसंचार विभाग, प्रधान संसूचना लेखा नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता ने यह संप्रेषित किया है कि आईएसपी (इंटर सेवा प्रदाताओं) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का पुनर्विलोकन और निर्धारण करते समय विभाग को यूडीआईएन – जो आईसीएआई की एक पहल है, का उपयोग करने से अत्यंत फायदा हुआ है।

- नेशनल बोर्ड अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी और अप्रैल, 2023 मासों के दौरान तंजानिया में यूडीआईएन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और प्रोटोकाल के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए यूडीआईएन निदेशालय के साथ कुछ बैठकें की थी।

- विभिन्न सरकारी विभाग और पणधारी भी दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिए यूडीआईएन पोर्टल की सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार के लोक संकर्म विभाग ने यह सूचित किया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने उनकी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्ररूप 2 (वित्तीय सामर्थ्य का निर्धारण करने हेतु) में यूडीआईएन के उल्लेख को आज्ञापक बनाया है। हाल ही में,

विभिन्न राज्य सरकारों जैसे कि पश्चिमी बंगाल सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ओडिशा सरकार ने भी उनके द्वारा प्राप्त दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिए यूडीआईएन को मान्यता प्रदान की है।

(II) सदस्यों के लिए पहलें

- ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्ररूप 15गख को वापस लिए जाने संबंधी कृत्यकरण : आय-कर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्ररूप 15गख के संबंध में यूडीआईएन को अद्यतन बनाने के लिए बड़ी संख्या में लंबित मामलों के कारण पोर्टल पर वापस लिए जाने की सुविधा को समर्थ बनाया गया है, जिससे सीए, उसमें उपयुक्त कारणों को लेखबद्ध करके प्ररूप 15गख को वापस लेने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार सीए को प्ररूप 15गख, उसे फाइल किए जाने के सात दिन के भीतर वापस लेना होगा।
- सीबीडीटी के निदेशों के निबंधनानुसार पांच आय-कर प्ररूपों, अर्थात् प्ररूप 10झज (आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन अकाउंटेंट द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाणपत्र), प्ररूप 10झठ, 3गन, (आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 9 के अधीन भारत में अवस्थित आस्तियों के कारण हुई आय के लिए), प्ररूप 5खक (नियम 8ख के उपनियम (6) के अधीन अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र) और संपरीक्षा रिपोर्ट एसडब्ल्यूएफ को यूडीआईएन के सृजन हेतु यूडीआईएन पोर्टल पर सम्मिलित किया गया है।
- निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन अद्यतन की अपेक्षा करने वाले लंबित प्ररूपवार ब्यौरे: प्ररूपवार लंबित मामलों को कम करने के लिए जैसा कि सीबीडीटी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, यूडीआईएन पोर्टल के होम पृष्ठ पर सदस्य के संबंध में कतिपय विन्यासों को क्रियान्वित किया गया है। ऐसे ठहराव सदस्यों का ऐसे प्ररूपों की ऐसी सूची से अवगत कराने में सहायता उपलब्ध कराते हैं, जिनके लिए सीबीडीटी के ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन को अद्यतन किया जाना लंबित है। यह डाटा केवल संबद्ध सदस्य को ही उपलब्ध होगा।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन को अद्यतन करने के लिए सीबीडीटी द्वारा विस्तारित समय-सीमा के लिए कतिपय प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया : आय-कर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अविधिमान्य यूडीआईएन की बढ़ती संख्या के कारण निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए यूडीआईएन पोर्टल पर कतिपय प्रौद्य़ोगिकी संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। तदनुसार, विधिमान्यकरण पैरामीटरों (निर्धारण वर्ष और प्ररूप आईडी) को यूडीआईएन पोर्टल से हटा दिया गया है ताकि ई-फाइलिंग पोर्टल पर निर्बाध रूप से यूडीआईएन को सत्यापित किया जा सके। सदस्यों को यह सलाह दी गई थी कि वे उन यूडीआईएन को अद्यतन बनाएं, जिन्हें पूर्व में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अविधिमान्य कर दिया गया था। इस शिथिलीकरण को आय-कर निर्धारितियों को ई-फाइलिंग पोर्टल पर तत्संबंधी यूडीआईएन के साथ फाइल करके विधिमान्यकरण की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु समर्थ बनाया गया है। यह सीबीडीटी द्वारा तारीख 26 नवंबर, 2020 को जारी प्रैस विज्ञप्ति के अनुरूप है। सीबीडीटी ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन को अद्य़तन करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर, 2022 तक विस्तारित किया है।
- यूडीआईएन पोर्टल का उद्देश्य सतत आधार पर सर्वाधिक सुसंगत और समकालीन सूचना के साथ स्वयं को समुन्नत करना है ताकि डिजीटल ग्राहक अनुभव पहलों में अभिवृद्धि की जा सके। यूडीआईएन निदेशालय ने इस वर्ष के दौरान पोर्टल में कुछ नई विशिष्टियों को कार्यान्वित किया है ताकि उपयोक्ताओं के अनुभव को समृद्ध बनाया जा सके। यूडीआईएन का सृजन करते समय कार्यान्वयन हेतु कुछ और प्रमुख विशिष्टियों को सम्मिलित किए जाने की परिकल्पना की जा रही है, जो निम्नानुसार हैं :
    - **सदस्यों के लिए जीयूआई (ग्राफिकल उपयोक्ता अंतरपृष्ठ) आधारित उपयोक्ता – बोर्ड :** इस अंतरपृष्ठ में, अन्य बातों के साथ, विभिन्न प्रवर्गों के लिए यूडीआईएन सांख्यिकी का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होगा जैसे कि संपरीक्षा और आश्वासन कृत्य, जीएसटी और कर संपरीक्षा तथा सदस्य द्वारा 2019 से सृजित किए गए प्रमाणपत्र। यह विशिष्टि सदस्यों की, उनके द्वारा सृजित यूडीआईएन का हिसाब रखने में सहायता करेगी।
    - **यूडीआईएन पर भरी गई विशिष्टियों का पीडीएफ में डाउनलोड समर्थ बनाना :** सदस्य अब यूडीआईएन के लिए भरे गए डाटा के संबंध में ब्यौरों को पीडीएफ में डाउनलोड करने में समर्थ होंगे। यह सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा कि यूडीआईएन का सृजन करने के लिए उनके द्वारा प्रणाली में सही डाटा प्रविष्ट किया गया है।
    - **सेव एंड कापी विकल्प :** प्रारूप को सेव करने तथा यूडीआईएन को कापी करने का विकल्प सदस्यों की कापी किए जाने संबंधी किसी संभावित त्रुटि के बिना यूडीआईएन के 18 अंकों को उल्लिखित करने में एक उत्तम अनुभव प्राप्त करने में सहायता करेगा।

- **यूडीआईएन पीडीएफ में क्यूआर कोड को समर्थ बनाना :** यूडीआईएन के सृजन के समय भरे गए डाटा के अतिरिक्त क्यूआर कोड के साथ डाउनलोड किए जाने हेतु समर्थ यूडीआईएन पीडीएफ को भी उपलब्ध कराया गया है। क्यूआर कोड की मैपिंग यूडीआईएन आईडी से की जाती है। क्यूआर कोड को स्कैन करने से उपयोक्ता को "यूडीआईएन सत्यापित करें" – लिंक खुलेगा। इस प्रकार, सत्यापन करने वाले व्यक्ति के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का अब एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा जो समकालीन है और शासन इको सिस्टम में आधुनिक विशिष्टियों से युक्त है।
- **सदस्यों को मासिक/त्रैमासिक मेल :** किसी विशिष्ट मास/त्रैमास में किसी फर्म के स्तर पर सृजित यूडीआईएन के ब्यौरे प्रत्येक मास/त्रैमास के अंत पर फर्म के प्रमुख को मेल किए जाएंगे।
- **आवधिक रूप से सृजित यूडीआईएन के ब्यौरे उपलब्ध कराना :** यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत सभी सदस्यों को सृजित यूडीआईएन की मासिक/त्रैमासिक संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।
- **प्रभावी खोज संबंधी कृत्य :** लगभग सभी क्षेत्रों में समुन्नत खोज संबंधी कृत्यों को आरंभ किया जाना, जिसमें संपूर्ण पाठ के संबंध में प्रविष्ट किए गए डाटा के आधार पर पूर्ण पाठ की खोज की जा सकेगी।

- 48 घंटे के भीतर यूडीआईएन के प्रत्याहरण को निर्बंधित करना – परिषद् ने 23 और 24 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी 420वीं बैठक में यह विनिश्चय किया है कि सृजन की तारीख से 48 घंटे के भीतर यूडीआईएन का प्रत्याहरण अब संभव होगा। पूर्वोक्त कृत्य के कार्यान्वयन को 23 जून, 2023 की अर्ध रात्रि से यूडीआईएन लाइव सर्वर पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इसके पश्चात् से सदस्य, यदि वे वांछा करते हैं तो यूडीआईएन के सृजन के समय से 48 घंटे की अवधि के भीतर उनका प्रत्याहरण करने में समर्थ होंगे।

(III) यूडीआईएन का प्रभाव

जबसे आईसीएआई ने यूडीआईएन को क्रियान्वित किए जाने संबंधी पहल की है तब से सभी प्रकार के प्रमाणन, जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टें और अन्य संपरीक्षा और अधिप्रमाणन कृत्य, जिन्हें व्यवसायरत सदस्यों द्वारा किया गया है, विभिन्न शासकीय विभागों और अन्य पणधारियों के बीच अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यूडीआईएन पोर्टल (https://udin.icai.org/) दस्तावेजों की प्रमाणिकता का सत्यापन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। आईसीएआई के एक उपकरण के रूप में यूडीआईएन ने अन्य बातों के साथ, वृत्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही में अभिवृद्धि की है। अन्य बातों के साथ, यूडीआईएन में यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग में साधारण जनता का विश्वास अक्षुण्ण बना रहे और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र में शासन में सुधार हो। यूडीआईएन की मौलिकता एक ऐसे सुगम इको सिस्टम को सामने लाई है, जो वृत्ति के लिए स्वतंत्रता, ईमानदारी और उत्कृष्टता को सुकर बना रहा है।

राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के लिए वित्तीय सक्षमता को अभिनिश्चित करने के आधार के रूप में यूडीआईएन संबंधी सूचना का अवलंब लिया जाना यूडीआईएन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है। यूडीआईएन न केवल शब्दों में अधिप्रमाणिकता के एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है बल्कि यह भावना में भी उसके उद्देश्य के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यूडीआईएन के कार्यान्वयन के पश्चात्, दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अनेक दुर्व्यवहारों की संख्या कम हो रही है क्योंकि उनका भेद खुल गया है। पणधारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें सीए के नाम से गैर-सीए द्वारा किए जा रहे कपटों का पता लग रहा है। यूडीआईएन को केवल सीए द्वारा हस्ताक्षर किए जाने संबंधी सत्यता को स्थापित करने के लिए विनियामकों/पणधारियों द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। चूंकि, सभी व्यवसायरत सीए के लिए यह आज्ञापक है कि वे उनके द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के लिए यूडीआईएन का सृजन करें, इसलिए 5 जुलाई, 2023 को 1.40 लाख से अधिक सीए ने यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण किया है और उनके द्वारा 5 जुलाई, 2023 तक 4.99 करोड़ से अधिक सक्रिय यूडीआईएन का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर, 2022 को किसी एकल दिन में सर्वाधिक बडी संख्या में यूडीआईएन के सृजन को रिकार्ड किया गया, 30 सितंबर, 2022 को 3,61,291 यूडीआईएन का सृजन किया गया था। 65.50 लाख से अधिक यूडीआईएन को प्राधिकारियों/विनियामकों/बैंकों/अन्यों द्वारा सत्यापित किया गया है।

(IV) प्रकाशन

- यूडीआईएन संबंधी रिपोर्ट (2022-23)
- यूडीआईएन क्रानिकल : मील के पत्थरों को दर्शित किया जाना

8.7 प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय

प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय, आईसीएआई के विभिन्न अतुलनीय प्रकाशनों के मुद्रण और उन्हें छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों तक पहुंचाने का कार्य करता है । आईसीएआई ने एक आनलाइन भांडागार पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम सीडीएस पोर्टल रखा गया है । विभिन्न पणधारियों को आनलाइन रूप से सभी सुसंगत प्रकाशनों और कलात्मक वस्तुओं का क्रय करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है । कोई भी व्यक्ति, जो इनमें दिलचस्पी रखता है, उक्त आनलाइन भांडागार पर अपना स्वयं का अकाउंट तैयार करके अपनी वस्तुओं को क्रय कर सकता है । निदेशालय अपने सीडीएस पोर्टल की सहायता से द्वार पर सेवाएं उपलब्ध कराकर अपने छात्रों और सदस्यों की मांगों की पूर्ति कर रहा है ।

संस्थान का प्रकाशन निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करता है :

- छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का मुद्रण और सदस्यों से संबंधित प्रकाशन ।
- केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रकाशनों का विक्रय और वितरण (सीडीएस)।
- स्टॉक लेखा, विक्रय लेखा को बनाए रखना और स्टॉक को सुमेलित करना ।

(I) निकाले गए नए प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 के दौरान प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) और अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशनों का मुद्रण किया, जिन्हें सीडीएस पोर्टल पर भी रखा गया ।

(II) केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली

जुलाई, 2017 से आईसीएआई के सभी प्रकाशन, जिनमें अध्ययन सामग्री, पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र और सदस्यों से संबंधित प्रकाशन सम्मिलित हैं, को केंद्रीय वितरण प्रणाली पोर्टल (www.icai-cds.org) के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से रजिस्ट्रीकृत छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों तथा सीडीएस पोर्टल पर क्रय आदेश देने वाले व्यक्तियों को प्रेषित किया जा रहा है । सीडीएस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के अनुस्मारक भी विद्यमान हैं, जैसे टाई, कफलिंक और लेपल पिन ।

(III) छात्रों से संबंधित प्रकाशन

अवधि	रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकें	विक्रय की गई पुस्तकें
01.04.2022 से 30.03.2023	पुस्तकों के प्रकार - 75 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा - 2356407	पुस्तकों का प्रकार – 153 विक्रय के लिए भेजी गई पुस्तकों की कुल मात्रा – 98921
01.04.2023 से 30.06.2023	पुस्तकों के प्रकार - 74 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा - 565570	पुस्तकों का प्रकार – 124 विक्रय के लिए भेजी गई पुस्तकों की कुल मात्रा - 9901

(IV) सदस्यों से संबंधित प्रकाशन और स्मृति चिह्न

अवधि	सदस्य प्रकाशन	स्मृति चिह्न
01-04-2022 से 31-03-2023	पुस्तकों के प्रकार - 280 विक्रय हेतु भेजी गई पुस्तकों की कुल मात्रा - 12009	स्मृति चिह्न के प्रकार - 23 विक्रय हेतु भेजे गए स्मृति चिह्नों की कुल मात्रा – 2327
01-04-2023 से 30-06-2023	पुस्तकों के प्रकार - 207 विक्रय हेतु भेजी गई पुस्तकों की कुल मात्रा - 3426	स्मृति चिह्न के प्रकार - 17 विक्रय हेतु भेजे गए स्मृति चिह्नों की कुल मात्रा - 469

(V) भावी प्रयास

निदेशालय के भावी प्रयासों में सीडीएस पोर्टल में सुधार और उसका उन्नयन करना तथा आदेश की गई सामग्री के परिदान के लिए टर्न अराउंड समय में कमी लाना है ।

8.8 संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय के लिए केंद्र

आईसीएआई ने वर्ष 2020 में संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय के लिए केंद्र (सीएक्यूडी) का गठन किया, जो मुख्य रूप से संपरीक्षा कृत्यों और संपरीक्षा क्वालिटी के गुणवत्ता संबंधी पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करता है । यह एक विशेष प्रयोजन निदेशालय है, जो सतत रूप से संपरीक्षा की क्वालिटी में सुधार सुनिश्चित करता है तथा इस प्रकार भारतीय फर्मों की वैश्विक ख्याति को बढ़ावा देता है । यह निदेशालय अनुसंधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी तैयार करने का प्रयास करता है और साथ ही संपरीक्षा क्वालिटी में अभिवृद्धि करने और उसे बनाए रखने के लिए मानदंड स्थापित करने हेतु अधिकाधिक अनुसंधान उन्मुख परियोजनाओं को आरंभ करता है । यह विभिन्न पणधारियों और विधि प्रवर्तन में अंतर्वलित विनियामकों के बीच परस्पर क्रियाओं को बढावा देकर संपरीक्षा क्वालिटी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करता है । संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय संबंधी केंद्र का उद्देश्य वृत्तिक अकाउंटेंटों और संपरीक्षकों के लिए समकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण में निरंतर रूप में निवेश करना है और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निदेशालय अल्पकालिक अवधि के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनके माध्यम से समकालीन क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल सेटों को विकसित किया जा सके । केंद्र संपरीक्षा दलों को, संपरीक्षा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए प्रभावी रूप से मूल कारण विश्लेषण आरंभ करने हेतु सहायता करने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करता है ।

(I) पहलें

- फर्मों के लिए, संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल (एक्यूएमएम) के अंकीय पाठ को विकसित करने संबंधी पहल
- पंद्रह क्वालिटी कैफे सत्रों का आयोजन - संपरीक्षा क्वालिटी पहलुओं संबंधी एक मासिक वर्चुअल श्रृंखला ।
- संकाय के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए एक्यूएमएम संबंधी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- पियर पुनर्विलोककों के लिए वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन ।
- सीएएक्यूडी के लिए एक ट्विटर हैंडल बनाया गया । सदस्य संपरीक्षा क्वालिटी पर मूल्यवान अंतदृष्टि प्राप्त करने के लिए @caq_icai को फ़ॉलो कर सकते हैं ।
- आईएएएसबी द्वारा जारी ढांचे की रूपरेखा के अनुसार प्रारूप संपरीक्षा क्वालिटी ढांचा तैयार करना ।
- सीएएक्यूडी ने सीएलसीजीसी के साथ संयुक्त रूप से "संपरीक्षा क्वालिटी - निगम शासन का एक प्रमुख स्तंभ" विषय पर 7 दिवसीय वर्चुअल सीपीई कार्यक्रम को तैयार किया और उसका आयोजन किया ।
- एक ई-प्रकाशन का विमोचन, सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर (एसएएम) – संपरीक्षा रायों, प्रमुख संपरीक्षा मामलों (केएएम), मामलों पर बल (ईओएम), अन्य विषय और सीएआरओ 2020 का एक संकलन ।
- विभिन्न शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों में एक्यूएम कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- 1 अप्रैल 2023 से एक्यूएमएम को आज्ञापक बना दिया गया है ।
- पियर पुनर्विलोकन के विस्तार क्षेत्र में एक्यूएमएम पुनर्विलोकन को शामिल करना ।
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम नए युग के संपरीक्षक विषय पर तीन वर्चुअल बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना ।
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम नए युग के संपरीक्षक विषय पर भौतिक बैच का शुभारंभ ।
- बैंक शाखा संपरीक्षाओं के लिए एक्ससेल उपयोगिता का सफलतापूर्वक शुभारंभ ।
- भौतिकता का अवधारध करने के लिए उपयोगिता का शुभारंभ ।
- 'उपांतरित रायों का विश्लेषण' शीर्षक वाले प्रकाशन का विमोचन ।
- 'मॉडल फर्म मैनुअल' शीर्षक वाले प्रकाशन का विमोचन ।
- 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय केंद्र से संबंधित 4 बैठकों का आयोजन ।

(II) क्वालिटी कैफे सत्रों – संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी एक वर्चुअल श्रृंखला का शुभारंभ

संपरीक्षाओं क्वालिटी निदेशालय संबंधी केंद्र ने अप्रैल, 2022 में अपनी सर्वप्रथम क्वालिटी कैफे मासिक श्रृंखला का शुभारंभ किया । यह संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी एक वर्चुअल श्रृंखला है, जिसकी अवधि कुल दो घंटे की है, जिसमें प्रत्येक मास ऐसे तत्वों के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है, जो संपरीक्षा क्वालिटी के प्रति योगदान करते हैं । हमें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि हमारे पास संपरीक्षा के विशेषज्ञ विद्यमान थे और साथ ही आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ । इन सत्रों की प्रतिभागियों द्वारा सराहना की गई है । अभी तक 15 क्वालिटी कैफे सत्रों का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 4700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और जिनमें विभिन्न सुसंगत विषयों को सम्मिलित किया गया ।

(III) एक्यूएमएम के संबंध में प्रशिक्षको को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन

सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक्यूएमएम के संकाय आधार में वृद्धि करने के लिए सीएक्यूडी द्वारा ऐसे सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपनी दिलचस्पी को अभिव्यक्त किया था, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

(IV) पियर पुनर्विलोककों के लिए एक्यूएमएम पुनर्विलोकन के संबंध में प्रशिक्षण

सीएक्यूडी द्वारा पियर पुनर्विलोककों के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया । एक्यूएमएम पुनर्विलोकन को पियर पुनर्विलोकन के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है और इसलिए पियर पुनर्विलोककों को एक्यूएमएम संबंधी कार्यान्वयन गाइड के अधीन दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार एक्यूएमएम में अंकन और मूल्यांकन तंत्र के बारे में स्पष्ट और एकसमान समझ स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

(V) संपरीक्षा क्वालिटी पहलूओं के संबंध में प्रशिक्षण

सीएक्यूडी ने 2 और 3 जून, 2023 के दौरान मुंबई में तथा 23 और 24 जून, 2023 के दौरान वदोदरा में 'संपरीक्षा क्वालिटी पहलूओं के संबंध में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' के संबंध में भौतिक बैचों का संचालन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियोजन के समय साफ्ट कौशलों ओर क्वालिटी संबंधी मानकों के प्रमुख पहलूओं तथा फर्म के स्तर को संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल (एक्यूएमएम) के साथ सम्मिलित किया गया ।

(VI) एक पृथक् ट्वीटर अकाउंट का सृजन

संपरीक्षा क्वालिटी के विभिन्न तत्वों के संबंध में जागरुकता के स्तर और समझ को बढ़ाने तथा वृत्ति के सदस्यों के साथ एक निजी संबंध का निर्माण करने के लिए सीएक्यूडी ने एक पृथक् ट्वीटर अकाउंट - @caq_icai का सृजन किया है । साधारण रूप् से इस अकाउंट पर साधारण रूप से दो साप्ताहिक पोस्ट डाली जाती हैं ।

(VII) प्रारूप संपरीक्षा क्वालिटी ढांचे का विकास

वर्ष 2022-23 की एक कार्ययोजना के रूप में तथा निर्देश निबंधनों के अनुसार सीएक्यूडी ने आईएएएसबी द्वारा जारी ढांचे की रुपरेखा के अनुसार संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी ढांचे को तैयार किया है ।

(VIII) निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन

सीएक्यूडी ने सीएलसीजीसी के साथ संयुक्त रूप से सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 की अपेक्षाओं, कंपनी अधिनियम की धारा 143 के उपबंधों, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण, तुलन-पत्र के प्रत्येक संघटक के संबंध में प्रमुख संपरीक्षा कार्रवाईयों और अर्हताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में संघटक-वार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 'संपरीक्षा क्वालिटी – निगम शासन का प्रमुख स्तंभ' विषय पर 7 दिवसीय वर्चुअल सीपीई कार्यक्रम को तैयार किया तथा उसका आयोजन किया ।

महत्वपूर्ण संपरीक्षा मामले (एसएएम) – संपरीक्षा रायों, प्रमुख संपरीक्षा मामलों (केएएम), मामले का बल (ईओएम), अन्य मामलों और सीएआरओ 2020 का एक संकलन

सीएक्यूडी ने महत्वपूर्ण संपरीक्षा मामले (एसएएम) - संपरीक्षा रायों, प्रमुख संपरीक्षा मामलों (केएएम), मामले का बल (ईओएम) आईएफसी और अन्य मामलों, जिनके अंतर्गत सीएआरओ 2020 के अनुसार संपरीक्षक की रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है, संबंधी एक ई-प्रकाशन का विमोचन किया है । यह संकलन अपनी संपरीक्षाओं के दौरान समान प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने वाले सदस्यों के लिए एक सुगम संदर्भ सिद्ध होगा । इस संकलन को 800 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है और इसे अद्वितीय रिपोर्टिंग तक सीमित किया गया है । समान प्रकृति और आवर्ती किस्म की रिपोर्टिंग को संकलन से बाहर रखा गया है ।

(IX) विभिन्न शाखाओं/ प्रादेशिक परिषदों में एक्यूएमएम संबंधी जागरुकता कार्यक्रम

- एक्यूएमएम और उसके क्रियान्वयन के संबंध में जागरुकता का प्रसार करना, एक्यूएमएम कार्यक्रमों को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्/शाखा पुरस्कारों के लिए मानदंडों में से एक के रूप में सम्मिलित किया गया था ।
- सीएक्यूडी ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों को यह अनुदेश जारी किया है कि वे एक वर्ष में एक्यूएमएम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में कम से कम दो कार्यक्रमों का आयोजन करें ।
- वर्ष के दौरान, विभिन्न शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों द्वारा एक्यूएमएम संबंधी 45 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

(X) संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल

[अ] 1 अप्रैल, 2023 से आज्ञापक बनाया गया : यद्यपि संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0 को जुलाई, 2021 में लाया गया था, फिर भी यह विनिश्चय किया गया था कि एक्यूएमएम नीचे उल्लिखित किए गए अनुसार संपरीक्षा अस्तित्वों की फर्मों के लिए 1 अप्रैल, 2023 से आज्ञापक बनेगा :

(क) क सूचीबद्ध इकाई ; या

(ख) सहकारी बैंकों के अलावा अन्य बैंक (बहु-राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर) ; या

(ग) बीमा कंपनियां ।

यद्यपि, केवल शाखा संपरीक्षा करने वाली फर्में इसके दायरे में नहीं आती हैं।

[आ] एक्यूएमएम पुनर्विलोकन को पियर पुनर्विलोकन के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना : परिषद् ने इस बात का अनुमोदन कर दिया है कि एक्यूएमएम पुनर्विलोकन को पियर पुनर्विलोकन के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए । 1 अप्रैल, 2023 के पश्चात्, निकाले गए स्कोर और स्तरों को पियर पुनर्विलोकन चक्र के साथ पियर पुनर्विलोकक के अध्यधीन किया जाएगा । स्व:मूल्यांकन माडल को किसी पियर पुनर्विलोकक द्वारा स्कोरों और स्तरों के पुनर्विलोकन के साथ सुमेलित किया गया है । तथापि, पश्चातवर्ती पुनर्विलोकन पियर पुनर्विलोकन चक्र के साथ किया जाएगा ।

[इ] आईसीएआई की वेबसाइट पर अभिप्राप्त स्तर को रखा जाना : पियर पुनर्विलोकन के पश्चात् निकाले गए स्कोरों और स्तरों को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा जाएगा ।

संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल (एक्यूएमएम) का अंकीयकरण

फर्मों के लिए स्व:मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक्यूएमएम के अंकीयकृत माडल को विकसित किया गया है, जिससे निम्नलिखित फायदे उपलब्ध होंगे :

- खंडवार स्कोरों की स्व:परिगणना ।
- स्वचालित स्तर मूल्यांकन ।
- भावी संदर्भ के लिए स्कोरों और स्तरों को सेव करना ।
- समर्थनकारी दस्तावेजों को संलग्न करने का उपबंध ।

(XI) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम नए युग के संपरीक्षक : वर्चुअल बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम नए युग के संपरीक्षक के तीन आनलाइन बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया । इन बैचों के लिए लगभग 150 सदस्यों ने नामांकन कराया । प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम की काफी सराहना की । पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु को दो भागों में तैयार किया गया है –

भाग क – लेखांकन और आश्वासन शासन संबंधी आधारिक जानकारी ; और

भाग ख – लेखांकन और अनुपालन में डिजीटल युग ।

(XII) बैंक शाखा संपरीक्षाओं के लिए एक एक्सएल उपयोगिता का शुभारंभ

सदस्यों को बैंक शाखा संपरीक्षा का सुचारू रूप से संचालन करने में सहायता करने के लिए सीएक्यूडी में एक एक्सएल उपयोगिता का शुभारंभ किया है । इस उपयोगिता को बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण और लॉग फोर्म संपरीक्षा रिपोर्ट संबंधी तकनीकी गाइड में उपवर्णित प्रक्रियाओं के आधार पर तैयार किया गया है । इससे सदस्यों को विभिन्न शीर्षों के अधीन प्ररूप पूरा होने और संबद्ध क्षेत्रों की प्रास्थिति का पता लगाने में सहायता मिलेगी । इस उपयोगिता को 10000 से अधिक सदस्यों द्वारा डाउनलोड किया गया है ।

(XIII) भौतिकता का अवधारण करने के लिए उपयोगिता का शुभारंभ

सीएक्यूडी ने फर्मों की संपरीक्षाओं के सुचारू संचालन में सहायता करने के लिए समर्थकारी उपाय के रूप में भौतिकता का अवधारण करने के लिए एक उपयोगिता को विकसित किया है । इस टैम्पलेट का उद्देश्य किसी उपयोक्ता, मुख्य रूप से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी अस्तित्व की कानूनी संपरीक्षा करते समय किसी अस्तित्व की कानूनी संपरीक्षा के लिए भौतिकता की अवसीमा का निर्धारण करने में समर्थ बनाना है । इस उपयोगिता को 4800 से अधिक सदस्यों द्वारा डाउनलोड किया गया है ।

(XIV) प्रकाशनों का विमोचन

- उपांतरित रायों का विश्लेषण
- आदर्श फर्म मैनुअल ।

8.9 भू-संपदा विकास निदेशालय

परिषद् ने 30 जून, 2022 से पूंजी अनुदान और संवितरण संबंधी नीति का अनुमोदन किया था । भू-संपदा विकास निदेशालय आईसीएआई के यूनिटों (प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं/डीसीओ/सीओई) को पूंजी अनुदान जारी किए जाने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख मरम्मत और नवीकरण संकर्म (स्वामित्व वाले और साथ ही किराए, दोनों प्रकार के परिसरों हेतु), विद्यमान भवनों आदि में लघु संनिर्माण/परिवृद्धियां, आंतरिक उपांतरण भी हैं, जिनकी लागत 200 लाख रुपए तक है ।

भू-संपदा विकास निदेशालय (ईडीडी) द्वारा लिए गए प्रमुख विनिश्चयों का संक्षिप्त विवरण

- पूर्व वर्षों के लिए लंबित मामलों सहित पूंजी बजट के प्रति अग्रिम/अंतिम अनुदान का जारी किया जाना ।
- यूनिटों को विशेष अनुदान का अनुमोदन ।
- 2022-23 के लिए संपत्ति कर की प्रतिपूर्ति ।
- अखिल भारत में ग्लोसाइनेज का प्रतिष्ठापन ।
- यूनिटों में अग्निरोधी उपकरणों, लिफ्टों, भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के प्रतिष्ठापन और वर्षा जल का संग्रहण संबंधी सुविधाओं की स्थापना ।
- भवनों की मरम्मत और नवीकरण :

  आईसीएआई भवन, विश्वास नगर, दिल्ली ।

  आईसीएआई भवन, ए-29, सेक्टर 62, नोएडा ।

  आईसीएआई भवन, सी-1, सेक्टर 1, नोएडा ।
- ब्रांड निर्माण – आईसीएआई @75

  ग्लोसाइनेज का प्रतिष्ठापन – आईसीएआई भवनों पर जी20 और बी20 : (i) प्रधान कार्यालय, आईपी मार्ग, नई दिल्ली, (ii) विश्वास नगर, दिल्ली, (iii) सी-1, सेक्टर 1, नोएडा और (iv) ए-29, सेक्टर 62, नोएडा ।

  पूरे भारत में आईसीएआई भवनों की रंगाई-पुताई ।

पूरे भारत में ग्लोसाइनेज का प्रतिष्ठापन ।

- पूर्ववर्ती वर्षों के लिए लंबित मामलों सहित पूंजी बजट के प्रति अनुमोदित/अग्रिम/अंतिम अनुदान को जारी किया जाना ।
- ईडीडी साफ्टवेयर :

  पूंजी अनुदान के लिए साफ्टवेयर

  भूमि और भवन अभिलेखों के लिए डीएमएस

  पर्यावरण अनुकूल भवनों के लिए डैशबोर्ड और स्वच्छ भवन पुरस्कार
- विशेष अनुदानों का अनुमोदन ।

8.10 निविदा मानीटरी निदेशालय

आईसीएआई निविदा संबंधी प्रक्रियाओं तथा निविदाओं के मूल्यांकन के संबंध में, विशेष रूप से वृत्तिक सेवाओं की दशा में सदैव चिंतित रहा है । वृत्तिक सेवाओं के लिए निविदाओं की मानीटरी, विश्लेषण और उनके सुव्यवस्थीकरण के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान परिषद् द्वारा एक पृथक् निदेशालय, अर्थात् "निविदा मानीटरी निदेशालय" का गठन किया गया है । यह निदेशालय निविदा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सीए द्वारा सभी अनुज्ञेय निविदाओं में कोट की गई बोलियों को मानीटर तथा उनका विश्लेषण करने का प्रयास करता है । यह निदेशालय उपयुक्त स्तरों पर विचलनों को भी निर्दिष्ट करता है । निविदा मानीटरी निदेशालय को सौंपा गया कार्य इससे पूर्व वृत्तिक विकास समिति के अधीन गठित एक समूह द्वारा किया जाता था ।

निदेशालय के क्रियाकलाप

- निदेशालय ने वृत्तिक सेवाओं संबंधी निविदाओं के लिए अपने स्वयं के पोर्टल – www.tmdicai.org का सृजन किया है, जिसका शुभारंभ परिषद् द्वारा 1 जुलाई, 2023 को किया गया । यह पोर्टल निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रस्थापना करता है :
  - निविदा अवसर ।
  - सदस्यों के लिए नवीनतम जानकारी ।
  - निविदाओं के संबंध में परिषद् के मार्गदर्शन सिद्धांत ।
  - न्यूनतम सिफारिश की गई फीस के स्केल के ब्यौरे ।
  - सदस्यों को प्रस्तुत की जाने वाली लागत शीट का प्रारूप ।
  - नैतिक संहिता के सुसंगत उपबंधों से उद्धरण ।
  - निदेशालय द्वारा निविदाकर्ताओं को किए गए अभ्यावेदन ।
  - बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर ।
  - शिकायत को प्रस्तुत किए जाने संबंधी तंत्र, अपनी पहचान को प्रकट करके या प्रकट किए बिना।
- निविदाकर्ताओं को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं जहां संपरीक्षा और अधिप्रमाणन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम फीस को विहित नहीं किया गया है या जहां पात्रता शर्तें अयुक्तियुक्त रूप से निर्बंधनकारी प्रतीत होती है या जहां निविदा में सम्मिलित की गई सेवाएं "स्वतंत्रता" संबंधी मुद्दों का सृजन करती हैं ।
- सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई बोली का अध्ययन किया जाता है और जहां कहीं यह महसूस किया जाता है कि बोली निम्न रकम पर की गई है तो वहां लागत शीटों की मांग की जाती है ।
- 18 मई, 2023 को एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक, निविदा मानीटरी निदेशालय और उपाध्यक्ष, वृत्तिक विकास समिति सम्मिलित थे, ने मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री पी.के. श्रीवास्तव के साथ उनके कार्यालय में बैठक की और साथ ही इस विषय पर ब्यौरेवार परिचर्चा की कि किस प्रकार चयन की सबसे कम लागत पर आधारित पद्धति से चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक सेवाओं को प्राप्त करने हेतु बचा जा सकता है और साथ ही क्वालिटी को भी अक्षुण्ण रखा जा सकता है । इस बैठक में सीवीसी के साथ श्री अरविन्द कुमार, सतर्कता आयुक्त,

सीए पी. डेनियल, सचिव, सीवीसी, श्री शैलेन्द्र सिंह, सीटीई और श्री राजीव वर्मा, निदेशक, सीवीसी भी सम्मिलित हुए थे ।

- व्यय विभाग, वित्त विभाग, भारत सरकार ने परामर्शी और अन्य सेवाओं के उपापन संबंधी मैनुअल (जून, 2022 तक अद्यतन) को जारी किया है, जिसमें उन्होंने उसके पैरा 3.8, जिसका शीर्षक "कीमत आधारित प्रणाली-न्यूनतम लागत चयन (एलसीएस)" के अधीन मानक या रुटीन प्रकृति के समनुदेशनों के वर्णन से "संपरीक्षा" को हटा दिया है । इस प्रकार, संपरीक्षकों को नियोजित करने के लिए न्यूनतम लागत चयन, अर्थात् एल 1 को अब उचित नहीं समझा जाता है ।

- फरवरी, 2023 में निदेशालय के गठन से 30 जून, 2023 तक की अवधि के दौरान निदेशालय ने निविदाकर्ता संगठनों को 82 अभ्यावेदन अग्रेषित किए, जिनमें या तो संपरीक्षा और अधिप्रमाणन सेवाओं के लिए न्यूनतम फीस को विहित नहीं किया गया था या जहां किसी विरोधाभास को पाया गया था, अर्थात् संपरीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए वृत्तिकों को नियोजित करते समय या जहां पात्रता शर्तों को अयुक्तियुक्त रूप से निर्बंधनकारी पाया गया था । उनमें से अनेकों ने अपनी निविदाओं को उपांतरित किया है तथा उनमें शुद्धिपत्र को जारी किया है । निदेशालय शेष संगठनों के साथ संपर्क में है । निदेशालय ने 102 सीए फर्मों को सूचनाएं भी जारी की, जिनके माध्यम से ऐसे मामलों में लागत शीटों की मांग की गई, जहां निम्न कोट पाए गए । उनका विश्लेषण किया गया तथा आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है ।

- समिति ने निदेशालय को इस बात के लिए प्राधिकृत किया है कि वह निम्न फीस कोट करने वाले सदस्यों से वित्तीय बोलियों के ब्यौरे मांग सकता है ।

- सदस्यों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित ईमेल आईडी – tender.enquiry@icai.in को भी स्थापित किया गया है ।

- टीएमडी को ट्विटर पर भी रखा गया है - @tmdicai

8.11 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है । भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश के अनुपालन में संस्थान द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है । आईसीएआई के आरटीआई प्रकोष्ठ को छात्रों, सदस्यों, अन्य पणधारियों तथा नागरिकों से बडी संख्या में आरटीआई प्राप्त हो रही हैं और उनका समयानुसार उत्तर प्रदान किया जाता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, कुल 1,66,892 (एक लाख छियासठ हजार आठ सौ बानवे) आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऐसे आवेदन भी सम्मिलित हैं, जिनमें आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष 52 सुनवाईयों में भाग लिया गया है और प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त हुए बड़ी संख्या में आदेशों का प्रत्युत्तर दिया गया है ।

8.12 एक्सबीआरएल

आईसीएआई द्वारा एक्सबीआरएल इंडिया के एक धारा 25 (जो वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तत्समान है) की कंपनी के रूप में निगमन को 2010 में सुकर बनाया गया है । इस कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारबार रिपोर्टिंग के मानक के रूप में एक्सबीआरएल के अपनाए जाने का संवर्धन और प्रोत्साहन करना है, यह कार्य वर्गीकरणों के विकास, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाकर पूरा किया जाता है । इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल की बढ़ती महता को ध्यान में रखते हुए, एक्सबीआरएल इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल फाइलिंग को सुकर बनाने तथा उसके संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु

एक्सबीआरएल इंटरनेशनल इंक की सदस्यता प्राप्त की है । एक्सबीआरएल इंडिया को एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की भारतीय अधिकारिता के रूप में स्थापित किया गया है । एक्सबीआरएल इंडिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरणों का विकास और अनुरक्षण कर रहा है ।

(I) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

वर्तमान में, कंपनियों को दो प्रकार के वर्गीकरण लागू हैं :

- इंड एएस वर्गीकरण
- वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण ।

एक्सबीआरएल इंडिया ने अपना ध्यान सदैव प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया है, अर्थात् कंपनी अधिनियम के अधीन वित्तीय विवरण फाइल करने के लिए वर्गीकरणों का विकास करना/उन्हें बनाए रखना । तद्नुसार, एक्सबीआरएल इंडिया ने पिछले वर्ष एमसीए को इंड एएस वर्गीकरण और सीएंडआई वर्गीकरण, दोनों वर्गीकरणों के अद्यतन पाठ को प्रस्तुत किया था ताकि कारपोरेट कार्य मंत्रालय उस पर आगे कार्रवाई कर सके । एक्सबीआरएल इंडिया ने नए वर्गीकरणों के कार्यान्वयन के संबंध में एमसीए के साथ बातचीत संबंधी अपने प्रयासों को जारी रखा । इसके अतिरिक्त, एक्सबीआरएल इंडिया ने एमसीए द्वारा तारीख 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 की अधिसूचना के कारण इंड एएस वर्गीकरण में अपेक्षित संशोधनों की पहचान करने का कार्य आरंभ किया है ।

(II) आउटरीच कार्यक्रम

- पणधारियों के बीच ज्ञान के प्रचार-प्रसार और उन्हें शिक्षित करने के विचार से 14 सितंबर, 2022 को आईसीएआई के वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) के परामर्श से "डिजीटल वहनीयता रिपोर्टिंग" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया था । वेबीनार में सम्मिलित सत्रों में निम्नलिखित विषयों को रखा गया था, अर्थात् भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वहनीयता प्रकटनों की डिजीटल रिपोर्टिंग : अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां/घटनाएं, आईएफआरएस वहनीयता प्रकटन वर्गीकरण का स्टाफ पेपर और कारबार उत्तरदायित्व तथा वहनीयता प्रकटन वर्गीकरण ।
- 16-17 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस 2022 के साथ-साथ मिश्रित पद्धति से 11वें एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज (एक्सएआरटी) सम्मेलन का आयोजन किया गया । 11वें एक्सएआरटी की मेजबानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा की गई थी और इसमें एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की 15 सदस्य अधिकारिताओं ने भाग लिया था । भारत से भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई स्टाक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज और नागरिकता तथा लोकतंत्र संबंधी जन आग्रह केंद्र ने फाइलकर्ताओं से उनकी रिपोर्टिंग के लिए भाषा के रूप में एक्सबीआरएल के उपयोग संबंधी अपने अनुभवों को साझा किया था । आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और आईएफएसी के बोर्ड सदस्यों तथा एक्सबीआरएल इंटरनेशनल ने माल और सेवाकर (जीएसटी) के अधीन ई-बीजकों और उनके अंकीयकरण के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया । केंद्रीय परिषद् सदस्य, जो बोर्ड के भी सदस्य हैं, ने एक्सबीआरएल इंडिया से संबंधित अद्यतन जानकारी को प्रस्तुत किया । भिन्न-भिन्न एक्सबीआरएल इंटरनेशनल अधिकारिताओं से लगभग 38 प्रतिभागियों ने भौतिक रूप से और 29 प्रतिभागियों ने वर्चुअल पद्धति के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया । कुछ अधिकारिताओं के सदस्यों ने अपनी अधिकारिताओं में एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी को साझा किया । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री माधबी पुरी बुच ने ईएसजी डिजिटल रिपोर्टिंग संबंधी सेबी की पहलों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया था । सुश्री रेवती रमनन, मार्गदर्शन प्रबंधक, एक्सबीआरएल इंटरनेशनल ने भारत में एक्सबीआरएल द्वारा समर्थित ईएसजी विश्लेषणों, जिसे सेबी द्वारा आगामी वर्ष के दौरान आरंभ किया जा रहा है, के संबंध में प्रारंभिक कार्यों को साझा किया ।

8.13 आईसीएआई – लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (एआरएफ)

आईसीएआई – लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) की स्थापना जनवरी, 1999 में की गई थी और इसे लेखांकन वृत्ति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, पठन, शिक्षा और समझ का प्रसार करने के लिए एक अकादमी के रूप में विकसित किया गया है । पिछले वर्ष के दौरान आईसीएआई एआरएफ द्वारा की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- **भारतीय रेल :** पिछले एक वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्य
    - 31.03.2017 को उत्तरी रेल के रोलिंग स्टॉक डाटा को रेल बोर्ड के साथ सुमेलित किए जाने संबंधी अग्रणी अध्ययन।
    - उत्तरी रेल की पट्टाधृत आस्तियों और स्वामित्व वाली आस्तियों की पहचान करने हेतु तंत्र विकसित करने हेतु अग्रणी अध्ययन।
    - वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए भारतीय रेल का एबीएफएस।
    - भारतीय रेल को विस्तारित आईटी उपयोजनों का विकास, परीक्षण और उनका रोल आउट।

  और फाउंडेशन निम्नलिखित के संबंध में कार्य कर रहा है :

    - 31 मार्च, 2017 को एफए–13 में प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी डाटा पर आधारित उत्तर रेल द्वारा नियंत्रण में लिए जाने हेतु एफएआर को अंतरण तथा सीडब्ल्यूआईपी के समाशोधन हेतु ढांचा विकसित करने के लिए अग्रणी अध्ययन।
    - वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए भारतीय रेल का एबीएफएस।
    - पिछले चार वर्षों के लिए डाटा के पुनर्विलोकन के आधार पर, जैसा कि संबद्ध वर्षों के लेखाओं पर टिप्पणों में उल्लिखित किया गया है, पूर्वावधि मदों की पहचान और समायोजन।

  सभी प्रदायों के संबंध में कार्य चल रहा है और उसे शीघ्र ही पूरा किए जाने की संभावना है।

- **खजाना और लेखा विभाग, तमिलनाडु सरकार :** आईसीएआई एआरएफ ने तमिलनाडु खजाना संहिता (जिल्द 1 और 2), तमिलनाडु लेखा संहिता (जिल्द 1, 2 और 3) तथा तमिलनाडु वेतन और लेखा कार्यालय मैनुअल का विद्यमान व्यवहारों और सभी परिवर्तनों के साथ आईएफएचआरएमएस के आधार पर पुनर्विलोकन करने और उन्हें पुनरीक्षित करने का कार्य हाथ में लिया है।
- **भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) :** आईसीएआई एआरएफ को प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और एमपीए (लेखा और संपरीक्षा) नियम, 2021 के अनुपालन के लिए 11 प्रमुख पत्तनों के लिए एकसमान लेखांकन ढांचा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
- **हथकरघा विभाग, तमिलनाडु सरकार :** आईसीएआई एआरएफ ने परिसमापनाधीन बुनाईकर्ता सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों के मौद्रीकरण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज को तैयार किया है।
- **नीति आयोग के लिए एक अध्ययन :** आईसीएआई, आईसीएआई एआरएफ लोक और शासकीय वित्तीय प्रबंध संबंधी समिति, आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से नीति आयोग के लिए/तत्ववाधान में प्रोदभवन लेखांकन के प्रति अंतरण : शहरी स्थानीय निकायों के लिए माडल और पठन विषय पर एक अनुसंधान अध्ययन कर रहा है।

8.14 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 प्राइवेट कंपनी है, जिसका गठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसरण में और उससे आनुषंगिक कृत्यों को करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों या मूल्यांकक सदस्यों को उसके सदस्य के रूप में नामांकित और उनका विनियमन करने के लिए किया गया है।

(I) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है :

- आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अपनी सदस्यता के आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके साथ ही अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए एक 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम का संचालन भी कर रहा है, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है तथा संगठन शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री को भी तैयार कर रहा है।
- इस दिशा में, 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 की अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ ने देश भर में 50 घंटे के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 ऑनलाइन बैचों का संचालन किया है।

- आज की तारीख तक इस शैक्षिक पाठ्यक्रम के कुल 67 बैचों का संचालन किया गया है।
- 30 जून, 2023 तक आईसीएआई आरवीओ द्वारा उसके 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के अधीन 4133 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(II) आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण :

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के अधीन 31 मार्च, 2023 तक कुल 2099 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण किया है, जिनमें से 1037 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं।

(III) आईसीएआई आरवीओ का पांचवां स्थापना दिवस

लोक हित की पांच वर्षों की यात्रा के पूरा होने के अवसर पर आईसीएआई आरवीओ ने 14-15 मई, 2023 के दौरान पार्क होटल, नई दिल्ली में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के साथ संयुक्त रूप से अपने पांचवें स्थापना दिवस को मनाया, उक्त समारोह के लिए "मूल्यांकन इको सिस्टम के माध्यम से लोक हित को वहनीय बनाना" विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भौतिक और वर्चुअल, दोनों पद्धतियों से मिश्रित रूप में किया गया और इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अर्जन कुमार सीकरी, भारत का उच्चतम न्यायालय, सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थे। आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी सम्मेलन के दौरान पणधारियों को संबोधित किया। इस सम्मेलन में मूल्यांकन इको सिस्टम से विभिन्न पणधारी एकसाथ उपस्थित हुए, अर्थात् नीति निर्माता, न्यायपालिका के सदस्य, उद्योग और विषय विशेषज्ञ और साथ ही मूल्यांकन, लेखांकन, वित्त और दिवाला वृत्तिक।

(IV) आईसीएआई आरवीओ पठन प्रबंध प्रणाली

आईसीएआई आरवीओ के पास अपनी पठन प्रबंध प्रणाली है, जो एक ई-पठन मंच है, जो ऐसी अध्ययन सामग्री के रूप में, जो बहु विकल्प वाले प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करने वाली मोक परीक्षा द्वारा संपूरित है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यचर्या की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। यह पठन प्रबंध प्रणाली ऐसे सदस्यों हेतु, जो आईसीएआई आरवीओ के प्राथमिक सदस्य हैं, आईबीबीआई मूल्यांकक परीक्षा की तैयारी को सुकर बनाती है। एलएमएस को नियमित आधार पर नई वीडियो, नई प्रस्तुतियों और प्रश्नों के माध्यम से अद्यतन बनाया जा रहा है।

(V) प्रकाशन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ने आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

- मूल्यांकन : वृत्तिक अंत:दृष्टि श्रृंखला 7
- 21 अप्रैल, 2022 को पियर पुनर्विलोककों के निष्कर्षों संबंधी अवधारणा पत्र कार्यशाला का आयोजन
- आईसीएआई आरवीओ का त्रैमासिक जर्नल (जिल्द 1, भाग 1) अक्तूबर, 2022
- आईसीएआई आरवीओ का त्रैमासिक जर्नल (जिल्द 1, भाग 2) जनवरी, 2023
- आईसीएआई आरवीओ का त्रैमासिक जर्नल (जिल्द 2, अंक 1) अप्रैल, 2023

(VI) सतत शैक्षिक कार्यक्रम

आईसीएआई आरवीओ ने अपने सतत शैक्षिक कार्यक्रमों के भागरूप में 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2023 की अवधि के दौरान अपने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न विषयों पर 60 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(VII) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सॉफ्ट कौशलों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआई आरवीओ ने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को व्यवसाय प्रमाणपत्र (सीओपी) प्रदान करने हेतु सॉफ्ट कौशलों संबंधी 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(VIII) "आत्मनिर्भर भारत" थीम के अधीन आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित वेबकास्ट

आईसीएआई आरवीओ ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित

देशव्यापी पहल आजादी का अमृत महोत्सव के भागरूप में “आत्मनिर्भर भारत” थीम के अधीन विभिन्न लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था। आयोजित वेबकास्टों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- 2 सितंबर, 2022 को आईसीएआई आरवीओ द्वारा ईएसओपी मूल्यांकन संबंधी लाइव वेबकास्ट।

(IX) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित सम्मेलन

- आईसीएआई आरवीओ ने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के साथ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के सहयोग से 18 अक्तूबर, 2022 को दिल्ली में “मूल्यांकन : 5 वर्ष की यात्रा और आगे की कार्ययोजना” विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- आईसीएआई आरवीओ और एसेसर्स एंड रजिस्ट्रर्ड वैल्युयर्स फाउंडेशन (एएआरवीएफ) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के सहयोग से 8 जनवरी, 2023 को चेन्नई में “वास्तविक मूल्य सम्मेलन – मूल्यांककों का संगम” विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- 4 मार्च, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में वर्चुअल सम्मेलन।

8.15 आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई)

आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) ने वर्ष 2022-23 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। संस्थान को भारत एक पहले दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। आईआईआईपीआई ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अधिवक्ता और प्रबंध संबंधी वृत्तिक भी हैं, सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आईआईआईपीआई ने अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से एक ओर पणधारियों की क्षमता निर्माण/ज्ञान आधार को व्यापक बनाने के लिए नेटवर्किंग की है और दूसरी ओर उसने आईबीसी के विधिक और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवर्धित नीति विषयक अंत:निवेश उपलब्ध कराएं हैं। 20 जून, 2023 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल 4297 दिवाला वृत्तिकों में से 2703 वृत्तिक आईआईआईपीआई से संबंधित हैं और इस प्रकार, उनका प्रतिशत बढ़कर 62.90 हो गया है। आईआईआईपीआई के सदस्यों ने अभी तक सीआईआरपी/परिसमापन/स्वैच्छिक परिसमापन के कुल समनुदेशनों में से 75% से अधिक मामलों में कार्यवाही की है, जिनके अंतर्गत बहुत बड़े-बड़े मामले भी हैं।

आईपीए के बीच सदस्यता का वितरण

तारीख 20-06-2023 को रजिस्ट्रीकृत आईपी सदस्यों की आईपीए-वार प्रास्थिति															
क्रम सं.	आईपीए का नाम	31 मार्च 2018	%	31 मार्च 2019	%	31 मार्च 2020	%	31 मार्च 2021	%	31 मार्च 2022	%	31 मार्च 2023	%	20 जून 2023	%
क	आईआईआईपीआई	1100	60.71	1518	61.71	1860	61.71	2184	62.05	2551	62.69	2696	63.02	2703	62.90
ख	आईपीए आईसीएसआई	562	31.02	738	30.00	903	29.96	1025	29.12	1142	28.07	1183	27.65	1192	27.74
ग	आईपीए लागत लेखाकार	150	8.28	204	8.29	251	8.33	311	8.84	376	9.24	399	9.33	402	9.36
	योग	1812	100	2460	100	3014	100	3520	100	4069	100.00	4278	100.00	4297	100.00

(I) सक्षमता निर्माण संबंधी पहलें :

किसी भी वृत्ति में वृत्तिक सदस्यों के सक्षमता निर्माण के लिए वार्तालाप और परिचर्चाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिवाला वृत्ति के संदर्भ में ये और अधिक आवश्यक हो जाती हैं, जो बहुविध पणधारियों को प्रभावित करती हैं और जिसे सर्वाधिक जटिल वृत्तियों में से एक माना जाता है। किसी दिवाला वृत्तिक के कंधों पर एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भांति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व टिके होते हैं और जो कभी-कभी निगमों के जीवन को बचाने की प्रक्रिया के दौरान अत्यंत क्रंतिक हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी सीमा तक आईबीसी का कार्यपालन आईपी के सक्षमता निर्माण से सीधा जुड़ा होता है। आईआईआईपीआई इस कार्य गति को बनाए रखने और साथ ही पणधारियों की प्रत्याशाओं पर खरे

उतरने के लिए उनकी सक्षमता निर्माण हेतु अनेक पहलों को भी आरंभ करने का प्रयास करता रहा है। संस्थान द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

- तीन कार्यकारी विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) का सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) के लिए आईपी हेतु आयोजन किया जा रहा है, अर्थात् :--
  - सीआईआरपी के अधीन प्रबंधकीय कौशल
  - आईबीसी के अधीन न्यायालय प्रक्रियाओं संबंधी विधिक कौशल
  - आईबीसी के अधीन अपवंचन संव्यवहारों संबंधी न्यायालयिक कौशल।
- अक्टूबर, 22 में एक ओपन हाऊस (भौतिक) सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें आईपी को अध्यक्ष, एनसीएलटी और सदस्यों, एनसीएलटी के साथ परस्पर क्रिया करने की अनुमति दी गई थी।
- नवंबर, 22 में एक ओपन हाउस (भौतिक) सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें आईपी को अध्यक्ष, आईबीबीआई के साथ परस्पर क्रिया करने की अनुमति दी गई थी। इसके पश्चात्, एफएक्यू तैयार किए गए थे और उन्हें आईबीबीआई के साथ साझा किया गया ताकि वह अस्पष्ट क्षेत्रों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करे।
- प्रबंधकीय कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईपी (आईआईआईपीआई के सदस्यों) के लिए आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आईआईएम, अहमदाबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ।
- आईआईआईपीआई के सदस्यों को इनसोल-यूके की सह-सदस्यता रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए इनसोल-यूके के साथ गठबंधन किया गया। इस सह-सदस्यता के लिए 332 सदस्यों ने अपना नामांकन कराया है।
- वृत्तिक प्रकृति की शंकाओं को उठाने/उनके संबंध में प्रतिक्रिया देने हेतु सदस्यों के लिए एक परिचर्चा मंच (वेब-आधारित पोर्टल) को प्रवर्तनशील बनया गया।
- विशेषज्ञ आईपी के पैनल द्वारा समर्थित प्रीपैक फ्रेमवर्क संबंधी एमएसएमई हेल्पलाइन (पीपीआईआरपी) को कार्यरत बनाया गया।
- मार्गदर्शन कार्यक्रम और ऑनलाइन पोर्टल को प्रवर्तनशील बनाया गया।
- पियर पुनर्विलोकन कार्यक्रम और ऑनलाइन पोर्टल को प्रवर्तनशील बनाया गया।
- 23 जून, 2023 को सम्मानित अतिथि श्री नवीन वर्मा, अध्यक्ष, रेरा (बिहार राज्य) की उपस्थिति में "भू-संपदा सीआईआरपी - चुनौतियां और समाधान" विषय पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- विभिन्न विधि/ प्रबंधन संस्थानों के छात्रों को लक्ष्यित करते हुए आईबीसी संबंधी राष्ट्रीय क्विज।
- जून, 22 के पहले 9 दिनों के दौरान 40 जिलों में एकेएएम कार्यक्रमों का आयोजन, जिनका समन्वयन आईआईआईपीआई द्वारा किया गया। पूरे देश भर के छात्रों के बीच आईबीसी और जीआईपी पाठ्यक्रम के संबंध में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए आईपी सदस्यों को स्थानीय संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क करने हेतु सम्मिलित किया गया।
- नवंबर, 2022 में, अन्यों के साथ, अध्यक्ष, आईबीबीआई और संयुक्त सचिव, एमसीए की गौरवान्वित उपस्थिति में छठे स्थापना दिवस का समारोह मनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- मार्च, 2022 मास में एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघ के मंत्री श्री भूपिंदर यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए थे।
- अनेकों अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में से उल्लेखनीय रूप से दो कार्यक्रमों का आयोजन सीमापार ढांचा, विषय पर यूकेएफसीडीओ के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इनमें से एक कार्यक्रम में संघ के पूर्व मंत्री श्री सुरेश प्रभु, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे।
- जून, 22 के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार को अंतर्राष्ट्रीय दिवाला संस्थान, यूएसए के सहयोग के साथ आयोजित किया गया। जहां यूएसए और यूके से आए पैनलबद्ध व्यक्तियों ने प्रतिभागिता की, जिसमें भारत के विशेषज्ञों के अलावा एक आसीन न्यायाधीश ने भी लाग लिया। अध्यक्ष, आईबीबीआई ने की-नोट भाषण प्रस्तुत

किया और इसके अतिरिक्त, एसबीआई के सीजीएम (तनावग्रस्त आस्तियां) ने भी विशेष संबोधन प्रस्तुत किया।

- मार्च 2023 में अपवंचन संव्यवहार – परिणामों में सुधार, विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (वेबीनार) का आयोजन किया गया, जिसकी शोभा यूके, हांगकांग, सिंगापुर और भारत से आए विशेषज्ञ वक्ताओं ने बढ़ाई। यूके और भारत के विनियामकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- 16 जून, 2023 को नई दिल्ली में "आईबीसी के अधीन उभरती चुनौतियों का सामना करने - आईपीए और आईपी की तैयारी" विषय पर एक भौतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए, जिनमें सदस्य-एनसीएलटी, संयुक्त सचिव–एमसीए, एमडी-एसबीआई और प्रादेशिक ईडी-आईबीबीआई शामिल थे।
- पिछले वर्ष (वर्षों) में अध्यक्ष-एनसीएलटी, सदस्यों-एनसीएलटी, सचिव-एमसीए, संयुक्त सचिव-एमसीए, सचिव-एमएसएमई, ईडी-आरबीआई, एमडी-एसबीआई, प्रादेशिक निदेशक-सेबी, रेरा (यूपी) के पदधारियों के साथ बैठकें/परिचर्चाएं की गई।

(II) अनुसंधान पहलें

- 11 अध्ययन आरंभ किए गए और उन्हें पूरा किया गया तथा 10 प्रकाशन निकाले गए। इनमें समूह दिवाला - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, सीओसी सर्वोत्तम व्यवहार, एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी के अधीन आईपी की भूमिका, एफएक्यू सहित, परिसमापन प्रक्रिया – सर्वोत्तम व्यवहार, सफल मामला अध्ययन, नैतिक संहिता संबंधी मार्गदर्शन, आईपी द्वारा क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शन, पियर पुनर्विलोकन नीति, व्यष्टिक दिवाला-पीजी से सीडी, आईबीसी के अधिक मूल्यांकन, प्रारंभिक चरण से समाधान के बाद तक समाधान की मूल्य श्रृंखला में आईपी की भूमिका शामिल हैं।
- चार चालू अध्ययन, अर्थात् अपवंचन संव्यहारों के लिए टेम्पलेट, आईबीसी में एक्सबीआरएल और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग, समाधान प्रक्रिया में आईपी की सकारात्मक भूमिका, सीआईआरपी/परिसमापन प्रक्रियाओं में विलंबों को समझना, मामला प्रबंध प्रणाली (एकीकृत सॉफ्टवेयर)।
- "आईबीसी 2.0 के लिए तैयारी" विषय पर उपायों की सिफारिश करने के लिए एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के अधीन, दो उप समूहों का गठन किया गया है, जो क्रमशः (i) आईबीसी में चुनौतियों का समाधान करना और भावी परिवर्तन, और (ii) भविष्य के लिए आईपीए और आईपी को तैयार करने संबंधी विचार-विमर्श करेंगे।
- अभी तक त्रैमासिक अनुसंधान जर्नल (द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल) के 12 संस्करणों को जारी किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रूप से ई-प्रचालित किया गया है और सदस्यों और पणधारियों से उन्हें सराहना प्राप्त हुई है।
- आईपीए में अपनी किस्म की प्रथम पहल के रूप में अनुसंधान निधि के साथ अनुसंधान समिति का गठन किया गया है, जिसमें 25 लाख रुपये का प्रारंभिक कोष रखा गया है। पहचान किए गए 28 क्षेत्रों में दिवाला इको सिस्टम के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिनके संबंध में 100 संस्थाओं को सूचित किया गया है। इस स्कीम के अधीन, निम्नलिखित विषयों पर 3 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है (उनके वित्तपोषण सहित) :

  - आईबीसी और रेरा के बीच अंतर की पहचान और विवाद समाधान
  - पीपीआईआरपी को कमतर रूप से उपयोग करने के लिए कारण और उपचार
  - भारतीय दिवाला विधि की प्रभाविकता बनाम अन्य देश

- अगले तीन वर्षों के दौरान, 12 लाख रुपए की लागत से आईबीसी संबंधी अनुसंधान करने के लिए एनएलयू-दिल्ली में एक पीएच.डी के स्थान को प्रायोजित करने हेतु एनएलयू-दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

(III) दिवाला वृत्तिकों की मानीटरी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उपविधियां और दिवाला वृत्तिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 के अनुसार आईआईआईपीआई से यह अपेक्षा की गई है कि वह वृत्तिक सदस्यों के वृत्तिक क्रियाकलापों तथा आचार की मानीटरी करे और यह सुनिश्चित करे कि वे संहिता, नियमों, विनियमों और तदधीन जारी दिशानिर्देशों, उपविधियों, आचार संहिता तथा शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दिवाला वृत्तिकों की मानीटरी, निगम दिवाला

समाधान प्रक्रिया और परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में सतत आधार पर की जाती है । ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही हैं, जिन्होंने लागू उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ।

(IV) जीआरसी/अनुशासन तंत्र

आईआईआईपीआई को 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान 97 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और शिकायत समाधान समिति ने इस अवधि के दौरान कुल 81 शिकायतों (जिसमें पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतें भी सम्मिलित थी) का समाधान किया है और 27 जून, 2023 को 16 जीआरसी मामले लंबित हैं । इसके अतिरिक्त, आईआईआईपीआई ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान 20 अनुशासनिक कार्यवाहियों को आरंभ किया था और 27 जून, 2023 तक 100 (एक सौ) मामलों का निपटारा कर दिया गया था ।

8.16 भारतीय सामाजिक संपरीक्षक संस्थान (आईएसएआई)

भारतीय सामाजिक संपरीक्षक संस्थान (आईएसएआई) को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के तत्ववाधान में 7 अक्तूबर, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, नैतिक तथा वैश्विक स्तर की सामाजिक संपरीक्षा वृत्ति का विकास करने, जो पणधारियों की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं के प्रति संवेदनशील हो, के लिए एक प्रमुख संस्था बनना है । आईसीएआई एक स्वतंत्र और पारदर्शी रीति में सामाजिक संपरीक्षकों का नामांकन, विनियमन और विकास करेगा और साथ ही सतत वृत्तिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षकों की सक्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करेगा ।

(I) सामाजिक संपरीक्षा की अवधारणा

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2019-2020 के बजट भाषण में पहली बार एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जो "सामाजिक कल्याण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर रहे सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक विस्तार क्षेत्र के भीतर सूचीबद्ध करेगा ताकि वे परस्पर निधि की भांति साम्या, ऋण या यूनिटों के रूप में पूंजी को जुटा सकें"। इसके पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तारीख 25 जुलाई 2022 की अपनी अधिसूचना द्वारा सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाओं का निर्गमन) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम"), सेबी (सूचीबद्ध किए जाने संबंधी बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") और सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 ("एआईएफ विनियम") को सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए व्यापक ढांचे का उपबंध करने के लिए संशोधित किया है । सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाओं का निर्गमन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 सामाजिक संपरीक्षकों को एक ऐसे व्यष्टि के रूप में परिभाषित करता है, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान या ऐसे किसी अन्य अभिकरण, जिसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के अधीन किसी स्व:विनियामक संगठन के साथ रजिस्ट्रीकृत है और जिसने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है और जो एक विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहा है ।

(II) आईएएसआई का शासी बोर्ड

आईएएसआई अपने शासी बोर्ड के माध्यम से कृत्य करता है, जो न्यूनतम 12 निदेशकों से मिलकर बनता है, अर्थात् :--

क) अध्यक्ष, जिसके पास सामाजिक क्षेत्र/प्रभाव निर्धारण में अनुभव है या जो किसी विख्यात शैक्षिक संस्था से है ।

ख) सुसंगत अनुभव रखने वाले आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के पांच सदस्य/वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड के पांच सदस्य ।

ग) एक व्यक्ति, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

घ) एक व्यक्ति, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)/गृह मंत्रालय (एमएचए)/सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

ङ) एक व्यक्ति, जिसे सक्षमता निर्माण निधि द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

च) एक व्यक्ति, जिसे सामाजिक स्टाक एक्सचेंज द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

छ) सामाजिक क्षेत्र के थीमेटीक क्षेत्रों से एक सदस्य ।

ज) एक ऐसा सदस्य, जिसके पास सामाजिक क्षेत्रों में प्रति क्षेत्रवार अनुभव है ।

(III) आईएसएआई की उप समितियां

एक अत्यधिक पारदर्शी और दक्ष रीति में कंपनी के कार्यकरण का विनियमन करने के लिए कंपनी की उप विधियों के निबंधनानुसार गठित की गई 7 उप समितियां । इन उप समितियों में शासी बोर्ड के सदस्य विद्यमान हैं और साथ ही उनमें बाजार के विशेषज्ञों को सलाहकारी भूमिका में सम्मिलित किया गया है । आईएसएआई की उप समितियां निम्नानुसार हैं :

I. सलाहकार समिति

II. सदस्यता समिति

III. मानीटरी समिति

IV. शिकायत समाधान समिति

V. अपीलीय समिति

VI. अनुशासन समिति

VII. संपादक बोर्ड

(IV) सामाजिक संपरीक्षकों का रजिस्ट्रीकरण

आईएसएआई 28 अप्रैल, 2023 को एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण पोर्टल, अर्थात् http://registration.isai.ca.in/ को आरंभ किया तथा उसने अपनी वेबसाइट https://isai.ca.in/ पर सामाजिक संपरीक्षकों का रजिस्ट्रीकरण आरंभ किया । एनआईएसएम श्रृंखला – 23 : सामाजिक संपरीक्षक प्रमाणन परीक्षा को अर्हित करने के पश्चात् आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आईएसएआई के साथ नामांकन कराए । आईएसएआई ने 300 से अधिक सामाजिक संपरीक्षकों को रजिस्टर किया है, जिनके ब्यौरे उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

(V) "एनआईएसएम श्रृंखला – 23 : सामाजिक संपरीक्षक प्रमाणन परीक्षा" विषय पर आनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आईएसएआई ने आईसीएआई के सदस्यों द्वारा "एनआईएसएम श्रृंखला – 23 : सामाजिक संपरीक्षक प्रमाणन परीक्षा" हेतु तैयारी करने में सहायता करने के लिए आनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी आरंभ किया है । एनआईएसएम अध्ययन सामग्री में विशेषज्ञ संकाय के साथ 21 अध्ययन घंटों को सम्मिलित करते हुए 11 अध्यायों को समाविष्ट किया गया है और साथ ही प्रत्येक अध्याय के लिए एफएक्यू, मामला अध्ययनों और दृष्टांतात्मक उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है । आईएसएआई ने सफलतापूर्वक "एनआईएसएम श्रृंखला – 23 : सामाजिक संपरीक्षक प्रमाणन परीक्षा" संबंधी आनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दो बैचों का संचालन किया है और उसने आईसीएआई के 142 सदस्यों को प्रशिक्षित किया है ।

8.17 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

केंद्रीय सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा क के अधीन28 उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा देश में प्रदान की जा रही सेवाओं की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करने के लिए तारीख 28 जून, 2007 को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी) का गठन किया था तथा बोर्ड की पुनर्विलोकन प्रक्रिया देश में उत्तम और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के विकास में योगदान देती है । क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के अधीन निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा :--

- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में परिषद् को सिफारिशें करना ;
- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पुनर्विलोकन करना, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा सेवाएं भी हैं ;
- संस्थान के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के पालन हेतु मार्गदर्शित करना ;
- संस्थान के सदस्यों या फर्मों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालनों, जो पुनर्विलोकनों के दौरान उसकी जानकारी में आए, संबंधी मामलों को समीक्षा हेतु अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित करना ।

तथापि, वर्ष 2018 में केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के सृजन के साथ क्यूआरबी के आज्ञापक कार्यों में परिवर्तन हुआ है । पुनरीक्षित आज्ञा के अनुसार वर्तमान में क्यूआरबी एनएफआर नियम, 2018 के नियम 3(1) के अधीन विहित अवसीमा से नीचे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों की संपरीक्षा

का चयन करने के लिए प्राधिकृत है और साथ ही वह एनएफआरए द्वारा क्यूआरबी को निर्दिष्ट अस्तित्वों की संपरीक्षा क्वालिटी का पुनर्विलोकन भी करेगा ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, क्यूआरबी ने संपरीक्षा क्वालिटी के 27 पुनर्विलोकनों को पूरा किया है । इन पूरा किए गए 27 पुनर्विलोकनों में से :

- ऐसे मामलों की संख्या, जहां क्यूआरबी ने संबद्ध संपरीक्षा फर्मों को संपरीक्षा सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने की सलाह दी है और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (ग) की अपेक्षाओं के निबंधनानुसार विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने की भी सलाह दी है = 20
- ऐसे मामलों की संख्या, जिन्हें क्यूआरबी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (घ) की अपेक्षाओं के निबंधनानुसार समीक्षा हेतु अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित किया है =1
- बंद किए गए मामलों की संख्या = 6

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् के कृत्यों में से एक कृत्य चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (क) के अधीन क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना भी है तथा उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाएंगे ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, उपरोक्त उपबंधों के अधीन, परिषद् को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से शून्य प्रतिनिर्देश प्राप्त हुआ था ।

उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं --:

- आईसीएआई की अनुशासन तंत्र के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य
- प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टिप्पणियां सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी किए जाने का निर्णय लिया गया - शून्य ।
- प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया – शून्य ।
- परिषद् के विचार हेतु लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य ।

9. अन्य मामले

9.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2022

1 जुलाई, 2022 को अत्यधिक उत्साह के साथ 74वां स्थापित दिवस मनाया गया । नई दिल्ली में आईसीएआई के प्रधान कार्यालय में आईसीएआई के झंडे के ध्वजारोहण के साथ ही समारोह को आरंभ किया गया, जिसके पश्चात् श्री कैलाश चौधरी, माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री की गौरवान्वित उपस्थिति में पौधा रोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । माननीय मंत्री ने एक लाइव वेबकास्ट के माध्यम से सीए भ्रातृसंघ को संबोधित किया तथा आईसीएआई की पर्यावरण अनुकूल पहलों की अनुशंसा की । सायंकाल के समय सीए दिवस के आयोजनों में श्री गिरिश चंद्र मूर्मू, भारत के माननीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया । उनके अलावा श्री राजेश वर्मा, आईएएस सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भी सम्मानित अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लिया । माननीय अतिथियों ने उनके अपने-अपने कार्यालयों तथा आईसीएआई के बीच ऊर्जा पूर्ण संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए वृत्ति की, राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में उसके प्रयासों की अनुशंसा की । इस ऐतिहासिक दिवस पर वैचारिक नेतृत्व को पोषित करने की परंपरा को जारी रखते हुए विविध समकालीन विषयों पर विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया गया ।

9.2 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है । इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है । पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है । यह इस

उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है । केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है ।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है । पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है । ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icai.org पर "सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध हैं ।

संस्थान के जर्नल के स्तंभ "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल में प्रकाशित किया जाता है । यह उल्लेखनीय है कि "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है । पुस्तकालय की निर्देश सेवा विभिन्न शोधकर्ताओं और अध्येताओं, संकाय और छात्रों तथा सदस्यों को प्रदान की जाती है ।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जिनके ब्यौरे www.icai.org-Central Council Library पर उपलब्ध हैं । पुस्तकालय ने इन ऑनलाइन ज्ञान डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में प्रतिष्ठापित किया है और सदस्यों, संकाय और अनुसंधान अध्येताओं द्वारा अपेक्षित सामग्री की तलाश को सुकर बनाने के लिए इन तक केवल आंतरिक रूप से पहुंच बनाई जा सकती है । पुस्तकालय द्वारा अनेक ई-जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है । केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमश: प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)

क्रम सं.	**शीर्षक**	**आंकड़े**
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	26
2.	ऑनलाइन संसाधन	19
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	232

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय, सेक्टर 62, नोएडा

क्रम सं.	**शीर्षक**	**आंकड़े**
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	13
2.	ऑनलाइन संसाधन	15
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	126

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य पणधारियों को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

9.3 संपादक बोर्ड

संपादक बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को नियमित रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है । जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 3,60,000 से अधिक है, जिसमें ई-जर्नल और मुद्रित प्रतियां, दोनों सम्मिलित हैं । द चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्तमान समय के सर्वाधिक लोकप्रिय वृत्तिक जर्नलों में से एक है । यह आईसीएआई की बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके पास संस्थान के सदस्यों, छात्रों और अन्य पणधारियों के लिए संस्थान की ख्याति की एक सुदृढ़ ब्रांड साम्या ईक्विटी मौजूद है । संपादक बोर्ड पाठकों और आईएसएआई सदस्यों को लेखांकन वृत्ति में हुई हाल ही की नवीनतम आधुनिक घटनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने संबंधी अपनी आज्ञा को पूरा करने का प्रयास करता है ताकि वृत्तिक ज्ञान को अग्रसर किया जा सके तथा आईएसएआई और लेखांकन वृत्ति के संबंध में नवीन विचारों, अंत:दृष्टि और सूचना का प्रसार किया जा सके ।

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान संपादक बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

(I) विकासशील राष्ट्रों के प्रति पहलें

संपादक बोर्ड अपने मासिक जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के माध्यम से वृत्तिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करके और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और विकासशील व्यवहारों के संबंध में प्रस्तावना प्रस्तुत करके इसके संघटकों की सक्षमता और सामर्थ्य में सुधार करते हुए राष्ट्र के विकास के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए सतत रूप से कार्य करता है ।

(II) लेखों के माध्यम से ज्ञान को समृद्ध बनाना:

अवधि के दौरान, विभिन्न और समकालीन वृत्तिक मुद्दों से संबंधित बड़ी संख्या में लेखों को आईसीएआई के जर्नल में सम्मिलित किया गया था । इसके अतिरिक्त, जर्नल में वृत्तिक हित के अन्य नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था । सदस्यों को नवीनतम वृत्तिक ज्ञान से अवगत कराने के आशय से वित्तीय साक्षरता, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, जीएसटी, वहनीयता, आईबीसी और अन्य तकनीकी विषयों के संबंध में विशेष अंक निकाले गए थे ।

(III) 'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल :

आईसीएआई के बहु आयामी वहनीयता अभियान के भागरूप में, सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को जर्नल के इलैक्ट्रानिक पाठों का विकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था । आईसीएआई का यह डिजीटल पाठ अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सदस्यों ने ई-जर्नल का विकल्प लिया है । मुद्रित प्रतियों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है और इन प्रतियों की संख्या, जो अप्रैल, 2022 में 85,878 थी, मार्च, 2023 में कम होकर मात्र 74,596 रह गई है ।

(IV) **सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें**

संपादक बोर्ड, अपने मासिक जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के ज्ञानवर्धन और वृत्तिक विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में क्वालिटी अंतर्वस्तु को सम्मिलित किया जाना :

विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना : अवधि के दौरान, आईसीएआई जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन और समकालीन मुद्दों के अधीन 143 लेखों का प्रकाशन किया गया । इसके अतिरिक्त, जर्नल में अन्य नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था, जिनमें आईसीएआई और इसके क्रियाकलापों, जो आईसीएआई की विभिन्न समितियों के समन्वयन के साथ किए गए थे, के संबंध में अद्यतन जानकारी को सम्मिलित किया गया था ।

- जुलाई, 2021 के आईसीएआई के जर्नल के अंक को विशेष संस्करण के रूप में निकाला जाना : सीए दिवस के उपलक्ष में जुलाई, 2022 के अंक को विशेष संस्करण के रूप में निकाला गया था । इस विशेष अंक में व्यापक रूप से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लेखांकन वृत्ति के संबंध में जर्नल हेतु विशेष रूप से लिखे गए 11 लेखों का प्रकाशन करके समारोह की भावना में अभिवृद्धि की गई थी । जर्नल में 10 महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से सीए दिवस से संबंधित प्रेरक संदेशों को भी प्रकाशित किया गया था, जिनमें श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ; श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ; श्री अमित शाह, भारत के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री ; श्री नारायण राणे, माननीय एमएसएमई मंत्री, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ; श्री राव इंद्रजीत सिंह, माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और योजना तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन, माननीय विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री, प्रोफेसर एस.पी. बघेल, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री और सीए. सुरेश प्रभु, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा सम्मिलित थे ।

- जुलाई 2022 अंक का मुख्य आकर्षण था : मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, उद्योग के नेता और वैश्विक लेखांकन निकायों के नेताओं द्वारा लिखे लेख, जिनमें अध्यक्ष, आईईएसबीए, आईएफएसी, अध्यक्ष, आईएएसबी, आईएफएसी, अध्यक्ष, आईएएसबी, अध्यक्ष, आईपीएसएएसबी, आईएफएसी, अध्यक्ष एसएमपी सलाहकार समूह, आईएफएसी, अध्यक्ष, पीएआईबी सलाहकार समूह के लेख सम्मिलित थे । अंक में 3 पूर्ववर्ती अध्यक्षों के परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने वाले लेखों को भी सम्मिलित किया गया था ।

- नवंबर, 2022 विशेष अंक : संस्थान के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जब संस्थान ने नवंबर, 2022 में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए) की मेजबानी की और इस शुभ अवसर पर नवंबर, 2022 के जर्नल को विशेष अंक के रूप में निकाला गया था। इस अंक में वैश्विक लेखांकन वृत्ति और भारत के विकास की कहानी से संबंधित विषयों पर बल दिया गया था। विशेष संस्करण में उद्योग और लेखांकन वृत्ति के प्रमुख नेताओं द्वारा लिखे गए 11 लेखों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें उन्होंने लेखांकन वृत्ति के भावी विकास के संबंध में अपनी परिकल्पना को साझा किया था। इसके अतिरिक्त, जर्नल में 12 प्रेरणादायक संदेशों को भी सम्मिलित किया गया था, जिन्हें महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भेजा गया था, अर्थात् श्री जगदीप धनखड़, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ; श्री ओम बिड़ला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ; श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल, श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री ; श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री ; श्री राजीव चन्द्रशेखर, माननीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; डॉ. भागवत कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री ; श्री एकनाथ संभाजी शिंदे, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ; श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ; श्रीमती माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ; डॉ. अजय भूषण पांडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण।
- **जर्नल का अद्यतन विधिक जानकारी संबंधी खंड :** जर्नल में मामला संबंधी रिपोर्टों को शीर्ष टिप्पणों के साथ प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही मामला विधियों के संपूर्ण विवरणों को संस्थान की वेबसाइट पर समिति के पृष्ठ के अधीन ऑनलाइन रूप से प्रकाशित किया गया था।

सदस्यों और छात्रों की सुविधा हेतु - द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अंकीय पाठों के अनेक रूपों का उन्नयन

- पीडीएफ प्ररूप में जर्नल : पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तु-वार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखे जाने को जारी रखा गया है। जुलाई, 2002 के आगे से अंकीय जर्नल के पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- डिजीटल पठन केंद्र पर जर्नल : जर्नल के इलैक्ट्रानिक पाठ को, जो ऑनलाइन रूप से उपयोक्ता मित्र ई-पत्रिका के रूप में आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर उपलब्ध है, डिजीटल पठन केंद्र के भाग रूप में सम्मिलित किया गया था। इससे आईसीएआई के वहनीयता अभियान को समर्थन देने के अलावा आईसीएआई की पठन प्रबंध प्रणाली के माध्यम से ज्ञान के प्रसार में सहायता प्राप्त हुई थी। फिल्प पुस्तक के रूप में भी ई-जर्नल को वेबसाइट पर रखा जाता है, जिसमें सौंदर्यबोधी रूप से आकर्षक अंतर्वस्तु उपलब्ध कराई जाती है।
- जर्नल हाईलाईट ईमेलर्स : जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को प्रपुंज में ई-मेल किया जाता है।
- मोबाइल पर जर्नल : यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को http://www.icai.org/ के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

10. सदस्य

10.1 सदस्यता

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 28,181 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2023 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 3,78,619 हो गई है।

पिछले वर्ष सम्मिलित किए गए 5,826 अध्येता सदस्यों की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2,559 सहबद्ध सदस्यों को अध्येता सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया।

1 अप्रैल, 2023 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	**अध्येता (1)**	**सहबद्ध (2)**	**स्तंभ (1) और (2) का योग**
पूर्णकालिक व्यवसाय में	93159	55843	149002
अंशकालिक व्यवसाय में	2146	5091	7237
जो व्यवसाय में नहीं हैं	16817	205563	222380
योग	**112122**	**266497**	**378619**

10.2 दीक्षांत समारोह 2022-23

संस्थान नवंबर, 2008 से नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है । वर्ष 2022-23 के दौरान, आईसीएआई ने सफलतापूर्वक 'दीक्षांत समारोह, 2022' का आयोजन किया था, जिसमें 1 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 के दौरान नामांकित नए सदस्यों को आमंत्रित किया गया था । इस समारोह का आयोजन 14 स्थानों, अर्थात् मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, कोलकाता, कानपुर, गाजियाबाद, इंदौर, जयपुर, लुधियाना और नई दिल्ली में किया गया ।

10.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की उभरती अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए विहित मानदंडों को पूरा किए जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कोविड 19 महामारी के दौरान, संस्थान ने जरुरतमंद पात्र सदस्यों या उनके आश्रितों, जो विपत्ति में थे, की सहायता करने का प्रयास किया तथा कोरोना रोग के उपचार के लिए वित्तीय सहायता को जारी किया और साथ ही मृतक सदस्यों के आश्रितों को एक समय अनुग्रहपूर्वक/मासिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई ।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2022 को कुल आजीवन सदस्य	1,39,875
2.	31 मार्च, 2023 को कुल आजीवन सदस्य	1,40,306
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2023 को यथाविद्यमान)	431

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

		31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	**31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)**
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	3,6651,000	11,91,64,000
2.	वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष	(1,37,93,000)	(9,00,10,000)
3.	निधि का अतिशेष	(4,85,86,000)	(3,47,93,000)
4.	कोरपस का अतिशेष	19,32,27,000	20,27,10,000

10.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2023 को निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 10,865 है । साधारण निधि के पास 31 मार्च, 2022 को 76,74,000/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2023 को 79,61,000/- रुपए का अतिशेष विद्यमान है ।

10.5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी । साधारण निधि के पास 31 मार्च, 2022 को 16,52,76,000/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2023 को 18,27,83,000/- रुपए का अतिशेष विद्यमान हैं ।

1.4.2023 को यथाविद्यमान सदस्यों के आंकड़

अध्येता :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	93159
	अंशकालिक व्यवसाय में	2146

	जो व्यवसाय में नहीं है	16817
		112122
सहबद्ध :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	55843
	अंशकालिक व्यवसाय में	5091
	जो व्यवसाय में नहीं है	205563
		266497
कुल सदस्यता :		378619

	अध्येता				**सहबद्ध**				
	व्यवसाय में				**व्यवसाय में**				
क्षेत्र	**पूर्णकालिक**	**अंशकालिक**	**जो व्यवसाय में नहीं है**	**योग**	**पूर्णकालिक**	**अंशकालिक**	**जो व्यवसाय में नहीं है**	**योग**	**सकल योग**
पश्चिमी	27447	591	4698	**32736**	18599	1778	70666	**91043**	**123779**
दक्षिणी	19627	575	3934	**24136**	10146	1171	42838	**54155**	**78291**
पूर्वी	8281	151	1484	**9916**	3672	360	14824	**18856**	**28772**
मध्य	19446	340	2532	**22318**	12559	836	38697	**52092**	**74410**
उत्तरी	18358	489	4169	**23016**	10867	946	38538	**50351**	**73367**
योग	**93159**	**2146**	**16817**	**112122**	**55843**	**5091**	**205563**	**266497**	**378619**

11. अध्ययन बोर्ड

11.1 अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक)

छात्रों के लिए पहलें

(I) शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम

नई शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम में निम्नलिखित विशिष्टियों को सम्मिलित किया गया है :--

- इंटर और फाइनल, प्रत्येक स्तर पर छह प्रश्नपत्रों के साथ पुन:परिभाषित पाठ्यचर्या
- दो वर्ष का निर्बाध व्यावहारिक प्रशिक्षण
- स्व:गतिमान आनलाइन माड्यूलों के साथ अनुभव प्राप्त पठन
- बहु विषयक विषय और विशेषज्ञता
- फाइनल स्तर पर सभी मूल विषयों में नैतिकता और प्रौद्योगिकी
- कारबार समाधान उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाने पर ध्यान केंद्रित करना
- उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण पर बल
- इंटर और फाइनल स्तर पर तीस प्रतिशत एमसीक्यू आधारित परीक्षा
- कारबार लेखांकन सहबद्ध (बीएए) के रूप में मान्यता – एक एग्जिट रूट
- देश विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण

स्कीम से संबंधित उद्घोषणाओं, अनुदेशिका, विद्यमान छात्रों के लिए निर्बाध रूप से नई स्कीम में अंतरण/संपरिवर्तन

संबंधी स्कीम तथा स्कीम के विभिन्न पहलूओं पर एफएक्यू को वेबसाइट पर रखा गया था। अध्ययन सामग्रियों को भी वेबसाइट पर रखा गया था। शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के संबंध में एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से आईसीएआई के नेतृत्व ने नई स्कीम की प्रमुख विशिष्टियों, एफएक्यू तथा छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के लिए संपरिवर्तन स्कीम को स्पष्ट किया था। इस वेबकास्ट के दौरान पणधारियों से प्राप्त हुई शंकाओं का भी समाधान किया गया था।

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी समय-सूची को नीचे उपदर्शित किया गया है।

विशिष्टियां	तारीख
परिषद् में सीआरईटी की सिफारिशों का अनुमोदन	10 फ़रवरी 2022
सीए विनियमों में प्रारूप संशोधनों के साथ प्रस्तावित स्कीम एमसीए को सौंपना	25 मार्च 2022
एमसीए के समक्ष प्रस्तुतिकरण	8 अप्रैल, 2022 और 7 मई, 2022
एमसीए से सैद्धांतिक अनुमोदन	26 मई 2022
आईसीएआई की केंद्रीय परिषद और अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के साथ प्रस्तावित स्कीम पर परस्पर क्रियाशील सत्र	30 मई 2022
आईसीएआई की प्रादेशिक परिषद के सदस्यों और शाखाओं के एमसीएम के साथ प्रस्तावित स्कीम पर परस्पर क्रियाशील सत्र	31 मई 2022
टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन	2 जून 2022
आउटरीच कार्यक्रम और लोक उदभासन	2 जून - 1 जुलाई, 2022 के बीच 102 कार्यक्रम
ऑनलाइन प्ररूप के माध्यम से प्राप्त प्रवर्ग-वार लोक टिप्पणियाँ	24,728
प्रवर्ग-वार लोक टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया और बोर्ड की बैठक में रखा गया	19 और 20 जुलाई, 2022
बोर्ड की सिफ़ारिशों को परिषद की बैठक में रखा गया/आस्थगित बैठक	12 से 14 अगस्त, 2022/ 28 से 29 अगस्त, 2022
विनियमों में संशोधनों में उपांतरणों के साथ परिषद की सिफारिशों संबंधी पत्र एमसीए को भेजा गया	17 सितंबर, 2022
एमसीए का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ	13 जून 2023
शिक्षा एवं प्रशिक्षण की नई स्कीम के संबंध में राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन	21 जून 2023
शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम का शुभारंभ	1 जुलाई, 2023

(II) शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के अधीन भिन्न-भिन्न विषयों के लिए पाठ्यचर्या की विरचना के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन

स्व:गतिमान माड्यूलों, सूचना प्रौद्योगिक और साफ्ट कौशलों संबंधी पाठ्यक्रमों सहित सभी विषयों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रस्तावित स्कीम के अधीन पाठ्यचर्या की विरचना करने के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूहों में केंद्रीय परिषद् के सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों, पूर्व परिषद सदस्यों और विषय के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया। काफी कम समय में, अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने विशेषज्ञ समूहों की 30 बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया तथा विशेषज्ञ समूहों से प्राप्त सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा उनका अनुमोदन किया गया। परिषद् ने बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया तथा पाठ्यचर्या को अनुमोदित किया।

(III) नई स्कीम के अधीन अध्ययन सामग्रियों को विकसित करना

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के अधीन सभी स्तरों पर, जिसके अंतर्गत स्व:गतिमान आनलाइन माडयूल सेट क और सेट ख भी हैं, अध्ययन सामग्रियों को तैयार किया गया तथा उनका पुनर्विलोकन करने के पश्चात् और शिक्षा तथा प्रशिक्षण की नई स्कीम के शुभारंभ के पश्चात् उन्हें संस्थान की वेबसाइट पर रखा गया । नई स्कीम के अधीन और अधिक चित्रों, फ्लो चार्टों और सारणियों को सम्मिलित करते हुए अध्ययन सामग्रियों में अनेक मूल्यवर्धित विशिष्टियों का निर्माण किया गया है ताकि छात्र अनुकूल रीति में अवधारणाओं और उपबंधों को स्पष्ट किया जा सके । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी फाउंडेशन स्तर पर प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित किया गया है ताकि छात्रों को उन घटनाओं के संबंध में अंत:दृष्टि प्राप्त हो सके, जिनके परिणामस्वरूप किसी विधान या नीति का विधायन किया जाता है । विषय – विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धनों में ऐसी कहानियों और परिदृश्यों को चुनिंदा विषयों में जोड़ा गया है ताकि उन विषयों को और अधिक दिलचस्प बनाया जा सके । वित्तीय विवरणों के उद्धरणों तथा लेखांकन नीतियों और लेखाओं संबंधी टिप्पणों को भी इंड एएस के संबंध में व्यवहारिक अंत:दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए सम्मिलित किया गया है । एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टि, जिसे अध्ययन सामग्रियों में सम्मिलित किया गया है, क्रास वर्ल्ड प्जल और रेपिड फायर क्विज के माध्यम से शिक्षा में गेमिंग को समाविष्ट किया गया है ताकि कर विधियों के पठन को और अधिक आनंदमय और समृद्ध बनाया जा सके । इन सभी विशिष्टियों को छात्रों के पठन अनुभव में अभिवृद्धि करने तथा उसे समृद्ध बनाने के लिए सम्मिलित किया गया है ।

(IV) बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) प्रश्न-पत्र अभ्यास निर्धारण

परिषद् की बैठक के दौरान अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) प्रश्न-पत्र अभ्यास निर्धारण डैश बोर्ड का शुभारंभ किया । इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को विषय के प्रत्येक अध्याय के संबंध में अपनी समझ और स्पष्टता का स्व:विश्लेषण करने के लिए इन प्रश्नों को हल करने में समर्थ बनाया जा सके । इस डैश बोर्ड की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :--

- यह छात्रों को सभी स्तरों – फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल के लिए बीओएस ज्ञान पोर्टल तथा आईसीएआई – बीओएस मोबाइल ऐप पर एक उपयोक्ता मित्र मंच उपलब्ध कराता है ।
- सभी स्तरों पर प्रश्न-पत्रवार/अध्यायवार कार्यपालन का लेखा-जोखा रखा जा सकता है ।
- एमसीक्यू आधारित और साथ ही मामला परिदृश्य पर आधारित प्रश्नों को हल किया जा सकता है ।
- छात्रों की तैयरी के अनुसार वे साधारण, मध्यम और कठिन एमसीक्यू/मामला परिदृश्यों का चयन कर सकते हैं ।
- 20 मिनटों में 20 एमसीक्यू का उत्तर दिया जाता है । अतिरिक्त समय, यदि लिया गया है, को छात्र की कार्यपालन रिपोर्ट में उपदर्शित किया जाएगा ।
- नए एमसीक्यू/मामला परिदृश्यों को समय-समय पर अपलोड किया जा सकता है और उन्हें छात्रों के डैश बोर्ड पर उपदर्शित किया जाता है ।

1 जुलाई, 2023 को फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल स्तर पर अभ्यास हेतु छात्रों के लिए उपलब्ध प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है :--

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या
फाउंडेशन	1000
मध्यवर्ती	1163
फाइनल	742

1 जुलाई, 2023 को छात्रों द्वारा बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू) पत्र अभ्यास निर्धारण तक स्तरवार पहुंच बनाए जाने संबंधी सांख्यिकी निम्नानुसार है : -

पाठ्यक्रम	छात्रों की संख्या
फाउंडेशन	2208
मध्यवर्ती	1993
फाइनल	841

(V) सारांश – अंतिम मील संदर्भिका

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने एक व्यापक सार-संग्रह तैयार किया है, अर्थात् सारांश – अंतिम मील संदर्भिका, जिसमें लेखांकन, संपरीक्षा, लागत और प्रबंध लेखांकन, नीतिगत लागत प्रबंध और कार्यपालन मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंध, नीतिगत प्रबंध और कंपनी विधि के मूल विषयों में महत्वूपर्ण अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए उनमें चित्रों, फ्लो चार्टों और सारणियों के माध्यम से सारवान ज्ञान उपलब्ध कराया गया है । इन 7 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों का विमोचन 7 फरवरी, 2023 को 73वें वार्षिक समारोह के दौरान किया गया था जबकि शेष 3 पुस्तकों का विमोचन अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा परिषद् की बैठक के दौरान किया गया था । ये पुस्तिकाएं छात्रों को परीक्षा से पूर्व अंतिम समय में तैयारी करने में सहायता करेंगी ।

(VI) लाइव पठन कक्षाएं

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) नि:शुल्क लाइव पठन कक्षाओं (एलएलसी) का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य आगामी सीए परीक्षाओं के लिए छात्रों को फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रमों हेतु तैयारी करने में सहायता करना है ।

उल्लेखनीय विशिष्टियां

- नि:शुल्क लाइव कक्षाएं ।
- इन कक्षाओं तक लाइव पहुंच बनाई जा सकती है या उन्हें बाद में भी देखा जा सकता है क्योंकि रिकार्ड किए गए व्याख्यानों को हाथ में धारण की जाने वाली युक्तियों जैसे स्मार्ट फोन, लैपटाप, आईपैड, टैबलेट आदि के माध्यम से किसी भी समय या कहीं से भी देखा जा सकता है ।
- असीमित पहुंच के साथ रिकार्ड किए गए व्याख्यान ।
- विख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए सत्र ।
- टिप्पणों/समनुदेशनों/एमसीक्यू के पृथक् खंड ।
- लाइव कक्षाओं के दौरान किन्हीं शंकाओं को सामने रखा जा सकता है तथा संकाय ऐसी शंकाओं का उत्तर प्रदान करेगा ।
- परीक्षा उन्मुख विशिष्ट दृष्टिकोण ।

आयोजित लाइव पठन कक्षाओं के बैच :

विशिष्टियां	**मई/जून, 2022 परीक्षा**		**नवंबर/दिसंबर, 2022 परीक्षा**		**मई/जून, 2023 परीक्षा**	
शुभारंभ	**बैच**	**दर्शकों की संख्या**	**बैच**	**दर्शकों की संख्या**	**बैच**	**दर्शकों की संख्या**
फाउंडेशन	8 दिसंबर, 2021 से 26 मार्च 2022 तक चौथा बैच	2,85,680	7 जुलाई से 30 अक्टूबर 2022 तक पांचवां बैच	2,70,339	21 नवंबर 2022 से 3 मार्च 2023 तक छठा बैच	6,39,814
मध्यवर्ती	25 अक्टूबर 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक चौथा बैच	4,38,221	15 मार्च से 30 सितंबर, 2022 तक पांचवां बैच	3,62,645	14 अक्टूबर 2022 से 30 मार्च 2023 तक छठा बैच	3,61,156
फाइनल	10 मई 2021 से 8 अक्टूबर 2021 (नवंबर 2021 और मई 2022 परीक्षा) तक तीसरा बैच	2,56,372	25 अक्टूबर 2021 से 25 जून 2022 (मई 2022 और नवंबर 2022) तक चौथा बैच	3,08,653	14 अक्टूबर 2022 से 30 मार्च 2023 तक पांचवां बैच	2,46,727

(VII) आपकी सफलता के लिए बीओएस - बीओएस संकाय द्वारा दिए गए व्याख्यान

बीओएस संकाय शैक्षिक पथ को सुचारु और सुगम बनाने के लिए सभी स्तरों पर प्रत्येक प्रश्न के संबंध में मोक परीक्षाओं का आयोजन करने के पश्चात् छात्रों को विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है । इन सत्रों से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) जून, 2023 की परीक्षा में बैठने वाले फाउंडेशन के छात्रों के लिए "आपकी सफलता के लिए बीओएस" सत्रों का पहली बार आयोजन फाउंडेशन स्तर के छात्रों के लिए 15 मई, 2023 से किया गया था । इन सत्रों में 12,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था ।

(ख) मई, 2023 की परीक्षा में बैठने वाले मध्यवर्ती और फाइनल के छात्रों के लिए "आपकी सफलता के लिए बीओएस" सत्रों का आयोजन मार्च, 2023 में किया गया था, जिनमें 15,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था ।

(ग) नवंबर, 2022 की परीक्षा में बैठने वाले मध्यवर्ती और फाइनल के छात्रों के लिए "आपकी सफलता के लिए बीओएस" सत्रों का आयोजन सितंबर, 2022 में किया गया था, जिनमें 12,700 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था ।

(VIII) बीओएस ज्ञान पोर्टल में सुधार

बोर्ड ने अपने बीओएस ज्ञान पोर्टल का उन्नयन किया है और इसके नए वर्जन को 1 जुलाई, 2022 को आरंभ किया गया था । अभी तक, 4.29 लाख से अधिक छात्रों ने बीओएस ज्ञान पोर्टल पर रजिस्टर किया है । बीओएस ज्ञान पोर्टल छात्रों के लिए छात्र अंतर्वस्तु का एक उत्तम भंडार गृह भी है । नया बीओएस ज्ञान पोर्टल अब निर्बाध पाठ्यक्रम तथा प्रश्न-पत्र-वार लाइव और रिकार्ड किए गए व्याख्यानों, पाठ्यचर्या, उदघोषणाओं, अध्ययन सामग्रियों, पुनरीक्षण, परीक्षा पत्रों, मोक परीक्षा पत्रों, अनुसूचियों, महत्वपूर्ण समाचारों, छात्र अनुस्मरणों, छात्र जर्नल, अन्य पोर्टल आदि तक पहुंच के लिए एकल मंच उपलब्ध कराता है ।

(IX) आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक), आईसीएआई द्वारा प्रारंभिक रूप से 1 जुलाई, 2021 को आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया, जो एकल क्लिक के साथ सभी पठन सामग्रियां प्राप्त करने के लिए एकल समाधान है । बोर्ड ने 1 जुलाई, 2022 को लैपटाप/डेस्कटॉप के माध्यम से बीओएस ज्ञान पोर्टल तक पहुंच स्थापित करने हेतु इसके वेब वर्जन को भी आरंभ किया है । मोबाइल ऐप और बीओएस ज्ञान पोर्टल की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

- एकल साइनओन – एसएसपी से अधिप्रमाणित ऐप्लीकेशन तक पहुंच ।
- उदघोषणाएं – बीओएस और परीक्षा संबंधी उदघोषणाएं ।
- पुश नोटिफिकेशन – रियल टाइम में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन ।
- लाइव पठन कक्षाएं, जहां छात्र चैट बॉक्स के माध्यम से संदेहों को लाइव रूप से निवारण कर सकते हैं ।
- सभी शैक्षिक अंतर्वस्तुएं – सभी अध्ययन सामग्रियों, आरटीपी, सुझाए गए उत्तरों, सुगम संदर्भों, मामला अध्यय सार-संग्रहों को उपलब्ध कराया गया है ।
- संकाय के टिप्पणों और समनुदेशनों का डाउनलोड – छात्र अध्ययन सामग्री दोहराने हेतु संकाय के टिप्पणों और समनुदेशनों को डाउनलोड कर सकते हैं ।
- आनलाइन एमसीक्यू निर्धारण – इस विशिष्टि के माध्यम से छात्र विषय-वार एमसीक्यू आधारित आनलाइन परीक्षा दे सकते हैं और अपने कार्यपालन का निर्धारण कर सकते हैं । छात्र के कार्यपालन के आधार पर अगली कक्षा में संकाय उसके संदेहों का निवारण करेगा ।
- रिकार्ड किए गए व्याख्यान । छात्र किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार चालू/पूर्ववर्ती बैचों के रिकार्ड किए गए व्याख्यानों को देख सकते हैं ।
- एमसीक्यू प्रश्न-पत्र अभ्यास निर्धारण – छात्र विषय के प्रत्येक अध्याय के संबंध में अपनी समझ और स्पष्टता का स्व:विश्लेषण करने के लिए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं ।

- अन्य पोर्टल – छात्र आईसीएआई के अन्य पोर्टलों पर जा सकते हैं ।
- शेयर ऐप – ऐप के डाउनलोड लिंक को स्वयं ऐप के माध्यम से साझा किया जा सकता है ।

मोबाइल ऐप और बीओएस ज्ञान पोर्टल उपयोक्ता

विशिष्टियां	आज की तारीख को सांख्यिकी
मोबाइल ऐप + बीओएस ज्ञान पोर्टल का उपयोग करने वाले छात्र	4,19,526
मोबाइल ऐप डाउनलोड करने वाले सदस्य	12,649
अपना प्रश्न पूछें, खंड में उत्तर देने वाले छात्र	14,891

(X) मोक परीक्षा संबंधी प्रश्न-पत्र (एमटीपी)

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) मई/नवंबर माह में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भौतिक और साथ ही वर्चुअल पद्धति से मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्तूबर माह में मोक परीक्षा प्रश्न-पत्रों का आयोजन करता है । ये मोक परीक्षाएं, परीक्षाओं का पूर्वाभ्यास हैं और ये छात्रों को अपनी तैयारी के स्तर का निर्धारण करने में समर्थ बनाती हैं । बोर्ड ने हाल ही में छात्रों के लिए आनलाइन मोक परीक्षा माड्यूल और साथ ही शाखाओं/क्षेत्रों में सुधार किया है ताकि छात्र प्रश्न-पत्रों और उत्तरों तक सुगम पहुंच बना सकें । सभी तीन स्तरों के छात्रों के पास बीओएस ज्ञान पोर्टल और साथ ही आईसीएआई बीओएस मोबाइल ऐप पर अपना स्वयं का डैश बोर्ड विद्यमान है, जहां वे मोक परीक्षा श्रृंखला की समय-सूची के संबंध में जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । आंबटित समय-सीमा के भीतर अपलोड किए गए प्रश्न-पत्रों और उत्तरों को छात्रों द्वारा डैश बोर्ड से डाउनलोड किया जा सकता है । मई, 2022, नवंबर, 2022 और मई, 2023 की परीक्षाओं के लिए आयोजित मोक परीक्षाओं के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए :

विशिष्टियां	मई, 2022		नवंबर, 2022		मई, 2023	
श्रृंखला I और II	**मार्च, 22**	**अप्रैल, 22**	**सितंबर, 22**	**अक्तूबर, 22**	**मार्च, 23**	**अप्रैल, 23**
शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों द्वारा आयोजित एमटीपी की संख्या	85	89	118	98	131	122

फाउंडेशन पाठ्यक्रम के छात्र के लिए

विशिष्टियां	जून, 2022		दिसंबर, 2022		जून, 2023	
श्रृंखला I और II	**मई, 22**	**मई, 22**	**नवंबर, 22**	**नवंबर, 22**	**अप्रैल, 23**	**मई, 23**
शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों द्वारा आयोजित एमटीपी की संख्या	92	80	97	89	107	110

(XI) डिजीटल पठन केंद्र संबंधी ई-पुस्तकें

बोर्ड ने आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम की पुरानी स्कीम के सभी तीन स्तरों के लिए श्रव्य समर्थित ई-पुस्तकों को जारी किया है । छात्र अपने एसएसपी लॉगिन ब्यौरों के माध्यम से इन ई-पुस्तकों तक पहुंच बना सकते हैं । छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी अध्याय को विशिष्ट रूप से उपदर्शित तथा उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं । नई स्कीम के लिए ई-पुस्तकों को विकसित किए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और वह प्रक्रियाधीन है ।

(XII) व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्धारण

कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सका था अत: अक्तूबर, 2020 से गृह आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण निर्धारण परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है । अभी तक इन निर्धारण परीक्षाओं में दोनों स्तरों के लिए लगभग 1,79,000 छात्र बैठें हैं । इसका प्रयोजन छात्रों के बीच अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के प्रति गंभीरता का सृजन करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा पढ़े जाने के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है । इन परीक्षाओं के दोनों स्तरों पर प्राप्त औसत ग्रेड को छात्रों को एक वर्चुअल प्रमाणपत्र पत्र के माध्यम से प्रदान किए जाता है ।

(XIII) अध्ययन बोर्ड की पहलों के संबंध में आनलाइन सर्वेक्षण का आयोजन

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली अध्ययन सामग्री, ई-पुस्तकों, लाइव कोचिंग कक्षाओं, मोबाइल ऐप, मोक परीक्षाओं, पूर्वाभ्यास प्रश्न-पत्रों, छात्र जर्नल आदि के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली पहलों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करने के लिए एक आनलाइन सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था । प्राप्् हुए सुझावों तथा प्रतिक्रियाओं के आधार पर अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) उनमें सुधार करने हेतु कार्यकरण कर रहा है ।

(XIV) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति पहलें

- **वाणिज्य और लेखांकन संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन (एनईएस-सीए)**
- अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने 6 और 7 जनवरी, 2023 के दौरान नई दिल्ली में दो दिवसीय वाणिज्य और लेखांकन संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन (एनईएस-सीए) का आयोजन किया, जिसका उदघाटन डा. सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री द्वारा किया गया तथा डा. भागवत किशन राव कराद, माननीय वित्त राज्य मंत्री ने मुख्य संबोधन प्रस्तुत किया । एनईएस-सीए का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के माध्यम से पूरे भारत में उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक स्तरों पर वाणिज्य और लेखांकन शिक्षा का मानकीकरण करना है । उदघाटन सत्र के दौरान, डा. सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री ने "आईसीएआई एग्जाम्पलर : प्रिपेयरिंग फ्यूचर रेडी कार्मस ग्रेजुएट" शीर्षक वाली आदर्श पाठ्यचर्या का विमोचन किया । इस शिखर सम्मेलन में 25 से अधिक राज्यों में स्थित शीर्ष वाणिज्यिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कुलपतियों, निदेशकों, संकायध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, विभाग प्रमुखों, अध्यक्षों और प्रोफेसरों तथा राज्य शिक्षा बोर्डों के सचिवों ने भाग लिया । आईसीएआई ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीबी) के साथ इस एनईएस – सीए शिखर सम्मेलन के लिए भागीदारी की ।
- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन**

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने बी.काम, बी.काम (आनर्स), एम.काम और वाणिज्य तथा प्रबंधन संकाय के अधीन प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान किए जाने के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को विस्तारित करने के उद्देश्य से और साथ ही परस्पर रूप से फायदाप्रद कार्यक्रमों के विकास हेतु सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुकर बनाने, जिससे दोनों संगठनों के बौद्धिक जीवन और सांस्कृतिक विकास में अभिवृद्धि होगी, के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं । आईसीएआई ने बी.काम, बी.काम (आनर्स), एम.काम और वाणिज्य तथा प्रबंधन संकाय के अधीन प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को विरचित करने में अपनी सहायता प्रदान करने के संबंध में सहमति दी है और इस प्रकार विरचित पाठ्यचर्या को संस्था में लागू किया जाएगा और साथ ही यदि विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा ऐसी वांछा की जाती है तो उसके संकाय को विषय से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा । देश भर से 37 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ ऐसे समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आईसीएआई, उनके संपर्क में है ।

- **सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता – पीएचडी कार्यक्रम करने हेतु**

112 भारतीय विश्वविद्यालयों, 7 आईआईएम और 2 आईआईटी (मद्रास और मुंबई), कुल 121 संस्थाओं ने देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्हता को उनके अपने-अपने विश्वविद्यालयों के पीएचडी कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की है ।

क्षेत्र	**संस्थानों की संख्या**
पश्चिमी क्षेत्र	23
दक्षिणी क्षेत्र	33
उत्तरी क्षेत्र	16
पूर्वी क्षेत्र	16
मध्य क्षेत्र	33
योग	121 (112 विश्वविद्यालय + 2 आईआईटी + 7 आईआईएम)

- **आईसीएआई के मृत सदस्यों के बालकों के लिए सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों पर रजिस्ट्रीकरण पाठ्यक्रम फीसमें 75 प्रतिशत की रियायत**

संस्थान की परिषद् ने 1 अप्रैल, 2022 से सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों को पूरा करने की वांछा करने वाले आईसीएआई के मृत सदस्यों के बालकों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उनकी वार्षिक कुटुंब आय पांच लाख रुपए है या पांच लाख रुपए से कम है, फीस में 75 प्रतिशत की रियायत दी है । रजिस्ट्रीकरण फीस के अलावा अन्य सभी फीसों का संदाय फायदा लेने वाले छात्र को स्वयं करना होगा।

- **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों और 8 पूर्वोत्तर राज्यों के अभ्यर्थियों/छात्रों के लिए सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम रजिस्ट्रीकरण फीस में 75 प्रतिशत फीस की रियायत का नवीकरण**
- संस्थान की परिषद् ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों और 8 पूर्वोत्तर राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों/छात्रों के लिए सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम रजिस्ट्रीकरण फीस में 75 प्रतिशत फीस की रियायत को 31 मार्च, 2025 तक विस्तारित किया है । इसके अतिरिक्त, परिषद् ने अंदमान और निकोबार द्वीप समूह से रजिस्टर करने वाले छात्रों को भी 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक फीस में 75 प्रतिशत रियायत की सुविधा प्रदान की है ।

(XV) प्रकाशनों/अध्ययन सामग्रियों का जारी किया जाना

- छात्र जर्नल की रजत जयंती ।
- छात्र जर्नल में पुनरीक्षण कैप्सूल ।
- शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के अधीन सभी स्तरों पर अध्ययन सामग्री और अन्य संबद्ध सामग्री ।
- सीए परीक्षाओं के लिए पूर्वाभ्यास प्रश्न-पत्र ।
- नवंबर, 2022 की परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तर ।

(XVI) सदस्यों के लिए पहलें

सदस्यों के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ – "आईसीएआई - बीओएस"

बोर्ड ने 1 जुलाई, 2022 को आईसीएआई के सदस्यों के लिए सीमित फीचर पहुंच के साथ अपनी मोबाइल ऐप्लीकेशन "आईसीएआई - बीओएस" का शुभारंभ किया है, जहां सदस्य रिकार्ड किए गए व्याख्यानों, शैक्षिक अंतर्वस्तु, त्वरित पूर्वाभ्यास के लिए संदर्भिका, महत्वपूर्ण परीक्षाओं और बीओएस की उदघोषणाओं तक पहुंच बना सकते हैं। वर्तमान में, 12,469 सदस्य आईसीएआई बीओएस मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं । सदस्य गूगल और ऐपल प्ले स्टोर के माध्यम से उक्त ऐप के एंड्रायड/आईओएस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं ।

(XVII) कार्यक्रम

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने 'प्लान, प्रिपेयर एंड प्रोफार्म', 'आपकी सफलता के लिए बीओएस', 'सीए परीक्षा की तैयारी कैसे करें - प्लान, प्रिपेयर एंड प्रोफार्म' विषयों पर तथा मध्यवर्ती/फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों को उनके द्वारा मई, 2022 की परीक्षा में की गई गलतियों के संबंध में मार्गदर्शित करने के लिए वेबकास्टों/वेबीनारों का आयोजन किया था । 6 मार्च, 2023 को एक जूम बैठक के माध्यम से प्रादेशिक परिषदों और उसकी शाखाओं के पदधारियों और प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ एक परस्पर क्रियाशील सत्र का आयोजन किया गया था, जिनका

उद्देश्य यह था कि अधिकतम संख्या में शाखाओं को मुख्य सीए परीक्षा से पूर्व मोक परीक्षाओं की दोनों श्रृंखलाओं का आयोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके ।

11.2 छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन)

चार्टर्ड अकाउंटेंसी का वृत्तिक पाठ्यक्रम सैद्धांतिक शिक्षा की एक सुदृढ़ नींव पर खड़ा है, जिसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण को समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है । छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (एसएसईबी) का चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्रों को विश्व स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गठित किया गया है, जो शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास करे । एसएसईबी सीए छात्रों को सक्षमता और वृत्तिक कौशल सेटों से लैस करने हेतु अनुकूलन, सूचना प्रौद्योगिकी, समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध तथा संसूचना संबंधी कौशल पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनकी कारबार गृहों द्वारा अपेक्षा की जाती है ताकि वे उनके कारबार को समृद्ध बना सकें । बोर्ड आईटी और साफ्ट कौशलों में प्रशिक्षण देने के अलावा अन्य विभिन्न क्रियाकलापों का भी आयोजन करता है, जैसे कि सम्मेलनों, संगोष्ठियों, राष्ट्रीय योग्यता खोज प्रतिस्पर्धाओं, छात्र समारोह, खेलकूद के क्रियाकलाप आदि ताकि छात्रों में अनिवार्य कौशल सेटों का संचार करके उनके सकल आत्मविश्वास के स्तर में अभिवृद्धि की जा सके । मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया के अंकीयकरण का सुव्यवस्थीकरण किया गया है । छात्र अब स्वसेवा पोर्टल (एसएसपी) पर लॉगिन करके आनलाइन रूप से छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं । छात्रों के लिए आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को सुकर बनाया जाएगा ।

(I) आईसीआईटीएसएस और एआईसीआईटीएसएस पाठ्यक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस), जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा अनुकूलन पाठ्यक्रम (ओसी) सम्मिलित हैं और सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्ट कौशलों संबंधी समुन्नत एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस), जिसमें समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (समुन्नत आईटी) तथा प्रबंध और संसूचना कौशल (एमसीएस) पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम 15 दिवस की अवधि का है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटकों में से हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के क्रमश: मध्यवर्ती और फाइनल स्तर के प्रत्येक छात्र को पूरा करना होता है । अवधि के दौरान, आईसीआईटीएसएस और एआईसीएआईटीएसएस पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित छात्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	बैचों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
एमसीएस पाठ्यक्रम	1014	38780
समुन्नत आईटीटी	1190	37779
सूचना प्रौद्योगिकी	2028	66453
अनुकूलन पाठ्यक्रम	1701	71141
सकल योग	**5933**	**214153**

(II) सीए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

एसएसईबी (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने 2-3 दिसंबर, 2022 के दौरान शिल्पकला वेदिका, हैदराबाद में "भविष्य का सामना, नव-परिवर्तन, एकीकरण, प्रोत्साहन" विषय पर सीए छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा द्वारा की गई । सीए छात्रों के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्रों को एक उत्कृष्ट मंच उपलब्ध कराया । इसके अतिरिक्त, श्रीलंका और नेपाल के छात्रों ने भी सम्मेलन में पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रतिभागिता की । श्रीमती डा. तिमिलीसाई सौंदर्याराजन, तेलंगाना की माननीय राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और महामहिम राज्यपाल ने आईसीएआई के नेतृत्व, आईसीएआई के तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, आईसीएआई के तत्कालीन माननीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय परिषद्, प्रादेशिक परिषद् सदस्यों और एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा की प्रबंध समिति के सदस्यों की गौरवशारली उपस्थिति में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया । माननीय राज्यपाल ने राष्ट्र निर्माण में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के योगदान तथा पूरे विश्व में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बढ़ती मांग की सराहना की । श्री पवन कल्याण, अभिनेता, फिल्म निर्माता और लोकोपकारक ने इस सम्मेलन के अंतिम सत्र के दौरान एक उत्साहवर्धक संबोधन प्रस्तुत किया । श्री पवन कल्याण ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की राष्ट्र निर्माण और साधारण रूप से समाज के प्रति योगदान की प्रशंसा की । पूरे देश से लगभगा 2800 चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों ने इस सम्मेलन के लिए रजिस्ट्रीकृत किया था ।

(III) सीए छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण माड्यूल

ऐसे सीए छात्रों, जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, व्यावहारिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलूओं के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा उसके मानकीकरण संबंधी एक पहल के रूप में छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने प्रत्येक रविवार प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक लाइव वेबीनारों की एक श्रृंखला को आयोजित करने का विनिश्चय किया, जिसमें लेखांकन, संपरीक्षा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी), कंपनी विधि के व्यवहारिक पहलूओं को सम्मिलित करते हुए सुसंगत विषयों पर विख्यात विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाती है। ऐसे प्रथम लाइव वेबीनार का आयोजन 8 मई, 2022 को किया गया और वर्ष 2022-23 के दौरान 40 ऐसे लाइव वेबीनारों का आयोजन किया गया है। साधारण रूप से छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर इन व्यावहारिक प्रशिक्षण माड्यूलों को वर्ष 2023-24 के लिए जारी रखा जा रहा है। लाइव वेबीनारों का आयोजन सीएआरओ व्यवावहारिक मुद्दे और रिपोर्टिंग, भीड भरे कैफे और खाली पुस्तकालय तथा अकादमी और गैर-अकादमी प्रयोजन के लिए सीए छात्रों के लिए ध्यान भटकाने वाले आज के डिजीटल युग में शीघ्र गति से पढने की कला जैसे विषयों को सम्मिलित करते हुए किया गया था। इन वेबीनारों को रिकार्ड किया गया और अब वे आईसीएआई के डीएलएच मंच पर भी उपलब्ध हैं।

(IV) जयपुर और हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्रों में 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड 19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका था। एसएसईबी ने सीए छात्रों के फायदे के लिए उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद और जयपुर में 9 मई, 2022 से इस 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के बैच का संचालन आरंभ किया। वर्ष 2022-23 के दौरान, छात्राओं के लिए 7 बैचों तथा छात्रों के लिए 7 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद और जयपुर में एसएसईबी द्वारा किया गया। अन्य अवस्थानों से बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करने के लिए ऐसी संस्थाओं की खोज करने के प्रयास किए गए थे, जहां 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के संचालन के लिए आवास सुविधा उपलब्ध है। इस संबंध में, असम रायल ग्लोबल विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के साथ गुवाहाटी स्थित उसके परिसर से 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के बैचों का संचालन करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप छात्राओं के लिए 2 से 28 जनवरी, 2023 के दौरान एक बैच का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान, एसएसईबी ने सफलतापूर्वक 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के कुल 14 बैचों का संचालन किया।

(V) सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा, 2022-23

संस्थान, एक संगत रीति में, जो सीए के छात्रों को उत्तम प्रौद्योगिकी ज्ञान से लैस करती है, देश भर में दुरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रमों को करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। सीए छात्रों को सर्वगुण संपन्न वृत्तिकों के रूप में स्थापित करने और उनके प्रस्तुतिकरण कौशलों तथा पाठ्यचर्या ऐतर क्रियाकलापों में अभिवृद्धि तथा सुधार करने के लिए विशेष प्रयास करने तथा एक विजन तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा का एसएसईबी द्वारा आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया गया ।

- **वक्तृता प्रतिस्पर्धा**

छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड - प्रचालन) ने सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 - वक्तृता प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रथमत: शाखा स्तर पर किया गया तथा शाखा स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदों द्वारा द्वितीय स्तर पर आयोजित प्रादेशिक स्तर की वक्तृता प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। अंतत: बोर्ड ने 8 जून, 2022 को नई दिल्ली में सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 के ग्रेंड फिनाले का आयोजन किया, जिसमें प्रादेशिक स्तरीय वक्तृता प्रतिस्पर्धा के 20 विजेताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 के ग्रेंड फिनाले के विजेताओं ने 13 फरवरी, 2023 को काठमांडु, नेपाल में साफा सचिवालय द्वारा आयोजित साफा वक्तृता प्रतिस्पर्धा में आईसीएआई के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया और साफा वक्तृता प्रतिस्पर्धा में एसएसईबी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वक्तृता प्रतिस्पर्धा के विजेता को चैंपियन घोषित किया गया।

- **क्विज प्रतियोगता और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी)**

एसएसईबी ने 8 अक्तूबर, 2022 को भोपाल में राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी) प्रतियोगिता का आयोजन किया। 1 से 20 सितंबर, 2022 के दौरान शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज

प्रतियोगता और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी) का आयोजन किया गया था, उसके पश्चात् शाखा स्तर के विजेताओं ने 23 सितंबर, 2022 से 2 अक्तूबर, 2022 के दौरान सभी प्रादेशिक परिषदों द्वारा आयोजित प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया और अंतत: वाद-विवाद प्रतियोगिता के प्रादेशिक स्तर के 20 विजेताओं और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी) के प्रादेशिक स्तर के 15 विजेताओं ने एसएसईबी द्वारा आयोजित सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता – क्विज प्रतिस्पर्धा तथा सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी) के ग्रेंड फिनाले में भाग लिया । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान जीतने वाली विजेता टीम ने 13 फरवरी, 2023 को काठमांडू, नेपाल में साफा सचिवालय द्वारा आयोजित साफा क्विज प्रतियोगिता में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया ।

- **सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा के अधीन आरंभ किए गए नए क्रियाकलाप**

शाखा और प्रादेशिक परिषद् के स्तर पर बडी संख्या में सीए छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी तथा उपदर्शित दिलचस्पी के आधार पर एसएसईबी ने सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा, 2022 के अधीन नए क्रियाकलापों जैसे कि निबंध, शतरंज, स्केचिंग और कविता प्रतियोगिताओं को आरंभ करने पर विचार किया और सफलतापूर्वक उनका आयोजन किया ।

- **छात्र दलों द्वारा निबंध प्रतियोगिता और नाटक**

सीए छात्रों के बीच लेखन कौशलों तथा अवधारणात्मक स्पष्टता को विकसित करने के विचार से सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अधीन एक नए क्रियाकलाप के रूप में वर्ष 2022-23 के दौरान निबंध प्रतियोगिता को आरंभ किया गया । छात्र दलों द्वारा शाखा स्तरीय निबंध प्रतियोगिता और नाटक का आयोजन 18 से 30 नवंबर, 2022 के दौरान किया गया, 5 प्रादेशिक परिषदों ने 9 से 15 दिसंबर, 2022 के दौरान प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया तथा निबंध प्रतियोगिता और छात्र दलों द्वारा नाटक प्रस्तुति का सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा के अधीन बोर्ड द्वारा 8 जनवरी, 2023 को एसआईआरसी की विशाखापट्टनम शाखा के सहयोग से आयोजन किया गया, जिसमें छात्र दलों द्वारा 30 नाटकों को प्रस्तुत किया गया तथा निबंध प्रतियोगिता के 15 विजेताओं ने अपनी संबंधित प्रादेशिक परिषद् का प्रतिनिधित्व किया । सीए छात्र दलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर (ग्रेंड फिनाले) के दौरान प्रस्तुत किया गया नाटक अति उत्तम था और उसकी छात्रों द्वारा अत्यधिक सराहना की गई ।

- **सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता, 2022 – वाद-विवाद और शतरंज प्रतिस्पर्धा**

छात्रों की बड़ी संख्या में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी विश्लेषणात्मक, समस्या का समाधान करने, सृजनशील और नीतिगत सोच संबंधी कौशल सेटों तथा अवधारणात्मक स्पष्टता को खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से विकसित करने के उद्देश्य से सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता, 2002 के अधीन एक क्रियाकलाप के रूप में शतरंज प्रतियोगिता को आरंभ करने का विनिश्चय किया गया । इन दो क्रियाकलापों को सर्वप्रथम 16 से 25 दिसंबर, 2022 के दौरान शाखा स्तर पर आयोजित किया गया और उसके पश्चात शाखा स्तर के विजेताओं ने आईसीएआई की 5 प्रादेशिक परिषदों द्वारा प्रादेशिक स्तर पर 1 जनवरी, 2023 से 7 जनवरी, 2023 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया । अंतत: प्रादेशिक स्तर के विजेताओं ने एसएसईबी (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) द्वारा 30 जनवरी, 2023 को आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की वदोदरा शाखा में सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता 2022 के अधीन आयोजित वाद-विवाद और शतरंज प्रतियोगिता के ग्रेंड फिनाले में भाग लिया । प्रादेशिक स्तर पर शतरंज प्रतियोगिता के 20 विजेताओं और वाद-विवाद प्रतियोगिता के 20 विजेताओं ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया ।

- **सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता, 2022 – आशु, स्केचिंग और कविता प्रतिस्पर्धाएं**

वर्ष 2022-23 के दौरान, सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता 2022 के अधीन आशु, स्केचिंग और कविता प्रतिस्पर्धाओं संबंधी 3 नए क्रियाकलाप आरंभ किए गए । इन क्रियाकलापों की शाखा स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन शाखाओं द्वारा 15-23 जनवरी, 2023 के दौरान किया गया । शाखा स्तर के विजेताओं ने आईसीएआई की 5 प्रादेशिक परिषदों द्वारा आयोजित प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिता में 29 जनवरी, 2023 से 1 फरवरी, 2023 के दौरान भाग लिया और अंतत: सीए छात्र राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आशु, स्केचिंग और कविता प्रतिस्पर्धाओं के उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में 4 फरवरी, 2023 को बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेंड फिनाले में भाग लिया ।

- **सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतियोगिता, 2023 – वक्तृता और पिचडैक प्रतिस्पर्धा**

वर्ष 2022-23 के दौरान, नए आरंभ किए गए क्रियाकलापों, अर्थात् निबंध प्रतियोगिता, शतरंज, आशु, स्केचिंग और कविता प्रतिस्पर्धाओं के सफलतापूर्वक आयोजन को ध्यान में रखते हुए एसएसईबी ने सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा के अधीन वर्ष 2023 के दौरान एक नए और क्रियाकलाप अर्थात् पिचडैक प्रतिस्पर्धा को आरंभ किया । वकतृता

और पिचडैक प्रतिस्पर्धाओं का तीन स्तरों पर आयोजन किया गया, प्रथम 16-20 जून, 2023 के दौरान शाखा स्तर पर उसके पश्चात् शाखा स्तर के विजेताओं ने आईसीएआई की 5 प्रादेशिक परिषदों द्वारा 16-20 जून, 2023 के दौरान आयोजित प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अंतत:, प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने 28 जून, 2023 को मुंबई में एसएसईबी द्वारा सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता प्रतिस्पर्धा – वक्तृता प्रतिस्पर्धा और पिचडैक प्रतिस्पर्धा के ग्रेंड फिनाले में भाग लिया।

(VI) 5 सितंबर, 2022 को अध्यापक दिवस समारोह का आयोजन

बोर्ड ने, हमारी वृत्ति में और साथ ही साधारण रूप से समाज में अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए 5 सितंबर, 2022 को अध्यापक दिवस के अवसर पर "मेरे जीवन में गुरु की भूमिका" थीम वाले एक विशेष कार्यक्रम का अखिल भारतीय स्तर पर अपनी 93 शाखाओं में आयोजन किया। इस अवसर पर आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने बीकेसी, मुंबई में बोर्ड द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक दिवस कार्यक्रम में सीए छात्रों को संबोधित किया।

(VII) शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों में छात्र संबंधी क्रियाकलाप

छात्र क्रियाकलाप पोर्टल छात्रों को प्रादेशिक परिषदों तथा शाखाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न छात्र संबंधी कार्यक्रमों हेतु रजिस्टर करने में सहायता करता है। यह कार्यक्रम आयोजक इकाईयों के स्तर से लेकर छात्र कौशल समृद्धि बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) तक छात्र क्रियाकलापों का प्रणालीगत प्रबंध करने में सहायता प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, पोर्टल पर कुल 1355 कार्यक्रमों को रजिस्टर किया गया।

(VIII) आनलाइन छात्रवृत्ति प्रक्रिया और छात्रवृत्ति अनुदान का वितरण

छात्र स्वसेवा पोर्टल (एसएसपी) पर लॉगइन करके छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के चयन के लिए मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूर्णतया ऑनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जाने को सुकर बनाया गया है। स्वचालित छात्रवृत्ति प्रक्रिया ने विभिन्न प्रवर्गों, अर्थात् योग्यता, योग्यता-सह-आवश्यकता और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आवश्यकता आधारित प्रवर्गों के अधीन छात्रों का चयन किया। आज की तारीख तक इस स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन कुल 10303 छात्रों को फायदा प्रदान किया गया और त्रैमासिक आधार पर छात्रवृत्ति किस्तों के माध्यम से दस करोड़ रूपए की राशि को जारी किया गया है।

(IX) सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और सीए छात्र सम्मेलन

एसएसईबी द्वारा आयोजित किसी सम्मेलन में सीए छात्र पत्र प्रस्तुतकर्ता, एक स्वयंसेवक या एक प्रतिभागी के रूप में भाग लेकर समकालीन विषयों के संबंध में अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकते हैं और साथ ही विख्यात वक्ताओं और वृत्ति के नेताओं के समकालीन विषयों, भावी अवसरों और चुनौतियों के संबंध में विद्वतापूर्ण शब्दों को सुन सकते हैं। सीए छात्रों को भविष्य के नेताओं के रूप में सुसज्जित करने के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने पूरे भारत वर्ष में छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की संबद्ध शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों द्वारा की गई। बोर्ड द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की हैदराबाद शाखा द्वारा की गई और इसके साथ ही 15 राष्ट्रीय सम्मेलनों और 25 बृहत सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी, आईसीएआई की ईआरईआरसी, आईसीएआई की एनआईआरसी, आईसीएआई की एसआईआरसी, आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी, आईसीएआई की भोपाल शाखा, बैंगलोर शाखा, अहमदाबाद शाखा, लुधियाना शाखा, पुणे शाखा, औरंगाबाद शाखा, वदोदरा शाखा, जयपुर शाखा, गुंटूर शाखा और गुरुग्राम शाखा द्वारा की गई।

बोर्ड द्वारा आयोजित 25 बृहत्त सम्मेलनों की मेजबानी आईसीएआई की गुवाहाटी शाखा, मैंगलोर शाखा, फ़रीदाबाद शाखा, नागपुर शाखा, ग़ाज़ियाबाद शाखा, चंडीगढ़ शाखा, विजयवाड़ा शाखा, पिंपरी चिचवाड़ शाखा, वसई शाखा, भुवनेश्वर शाखा, त्रिचूर शाखा, इंदौर शाखा, कोझिकोड शाखा, तिरुपुर शाखा, सूरत शाखा, मदुरै शाखा, कोयंबटूर शाखा, राजकोट शाखा, रांची शाखा, अहमदनगर शाखा, भिलाई शाखा, एर्नाकुलम शाखा, ठाणे शाखा, गौतमबुद्ध नगर शाखा और पांडिचेरी शाखा द्वारा चेंगलपट्टू और सलेम शाखा के साथ संयुक्त रूप से की गई। इन सम्मेलनों में लगभग 35,000 हजार छात्रों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन एर्नाकुलम, इंदौर, मंगलौर और कोलकाता में किया गया। सीए छात्रों के बृहत्त सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी और नागपुर में किया गया।

(X) "राज्य स्तरीय सीए छात्र सम्मेलन" नाम के अधीन सम्मेलन के एक नए रूप को आरंभ किया जाना

आईसीएआई की लघुतर शाखाओं के सीए छात्रों का संवर्धन करने और उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के लिए एसएसईबी ने वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजन करने हेतु "राज्य स्तरीय सीए छात्र सम्मेलन" नाम के अधीन सम्मेलन के एक नए रूप को आरंभ किया । एसएसईबी ने इस नए आरंभ किए गए रूप के अधीन सम्मेलन के आयोजन के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा उसे आयोजित किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया । इस नए आरंभ किए गए रूप के अधीन राज्य स्तरीय सीए छात्र सम्मेलनों का आयोजन जून, 2023 के दौरान अमरावती और मेरठ में किया गया ।

12. कैरियर परामर्श समिति

आईसीएआई की कैरियर परामर्श समिति को कक्षा 8, 10वीं, 11वीं/12वीं के और स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वाणिज्यिक शिक्षा के संवर्धन के लिए गठित किया गया है । समिति का मुख्य उद्देश्य कक्षा 8 से स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए कैरियर संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है ।

उपलब्धियां

(I) एशिया बुक आफ रिकाड्र्स

आईसीएआई के नाम को सुपर मेगा कैरियर परामर्शी कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में छात्रों की भागीदारी के लिए एशिया बुक आफ रिकाड्र्स में सम्मिलित किया गया है । 9वीं कक्षा से स्नातक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों में से कुल 1,60,648 छात्रों ने, अपनी-अपनी संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अध्यापकों और कैरियर परामर्शियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया । इस अभियान का उद्देश्य देश के कोने-कोने तक पहुंच कर कैरियर संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा संस्थान और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के संबंध में जागरुकता में अभिवृद्धि करना था । एशिया बुक आफ रिकाड्र्स की ज्यूरी ने इस प्रयास हेतु 18 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को सम्मानित किया ।

(II) जोरहाट, असम में कैरियर परामर्शी केंद्र का खोला जाना

आईसीएआई ने जोरहाट, असम में अपने पहले परामर्शी केंद्र को आरंभ किया है और इसके लिए जोरहाट सीपीई चैप्टर, आईसीएआई और राष्ट्र भाषा विद्यालय, जोरहाट, असम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने तथा कैरियर परामर्शी केंद्र के उदघाटन के अवसर पर ईआईआरसी के सभी प्रबंध समिति सदस्य, सीपीई चैप्टर, जोरहाट के संयोजक और उप संयोजक तथा विद्यालय प्रबंध मंडल, प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र भी उपस्थित हुए थे । इस कैरियर परामर्शी केंद्र को खोले जाने का उद्देश्य ऐसे स्थानों पर आईसीएआई की उपस्थिति का सृजन करना है, जहां आईसीएआई की शाखाएं विद्यमान नहीं हैं और साथ ही आईसीएआई के चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के संबंध में जागरुकता का सृजन करना है ।

(III) कैरियर/मेगा कैरियर परामर्शी कार्यक्रम

समिति ने संपूर्ण भारत में 3488 कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया और साथ ही आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से 869922 छात्रों को कैरियर संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया गया । कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य कक्षा 8वीं, 10वीं, 11वीं/12वीं के और, स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है ।

(IV) आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन

कैरियर परामर्शी संबंधी समिति ने यह अनुकल्पित किया कि कैरियर परामर्शियों, जो वर्तमान में पैनलबद्ध परामर्शी हैं या जो आईसीएआई के कैरियर परामर्शी बनने के लिए इच्छुक हैं, के लिए परामर्शी कार्यक्रम शीर्षक के अधीन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए । इस परामर्शी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी पीओयू के परामर्शी सत्रों में एकसमान मानक वाले परामर्श को प्रदान किए जाने की कल्पना को साकार करना है । वर्तमान में परामर्शी सत्रों का संचालन करने वाले व्यक्ति/ ऐसे व्यक्ति, जो कैरियर परामर्शी सत्रों का संचालन करने के लिए इच्छुक हैं, से पूर्णरूपेण कैरियर परामर्शी बनने के लिए यह अपेक्षित है कि उन्हें प्रक्रिया की भंलीभाति जानकारी हो । समिति ने पूरे भारत वर्ष में ऐसे 35 परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

(V) आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा कैरियर/शिक्षा मेलों का आयोजन

कैरियर परामर्शी संबंधी समिति का गठन 8वीं, 10वीं, 11वीं/12वीं के और, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों के बीच, विद्यालयों और महाविद्यालयों में कैरियर परामर्शी सत्रों का आयोजन करके वाणिज्यिक शिक्षा का संवर्धन करने के लिए किया गया है । उपरोक्त के संबंध में, समिति ने विभिन्न शिक्षा/कैरियर मेलों में भाग लिया, अर्थात् टीवी 9 शिक्षा एक्सपो, भारतीय – वैश्विक शिक्षा समारोह (दूसरा आईजीईएफ), दीनामलार – वाजीकाटी कैरियर मेला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और कैरियर मेला, दैनिक भास्कर शिक्षा और कैरियर मेला, शिक्षा – रोटरी शिक्षा – एक्सपो, सकल विद्या शिक्षा एक्सपो, लोकमत कैरियर मेला आदि ।

(VI) उच्चतर शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक

आईसीएआई की कैरियर परामर्शी संबंधी समिति ने अमृतसर में उच्चतर शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया, जिसमें आईसीएआई तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, पंजाब सरकार के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने के लिए निदेशक, शिक्षा, उप निदेशक, शिक्षा, उप कुलपतियों, सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विभागाध्यक्षों ने भाग लिया । इस बैठक के परिणामस्वरूप निम्नलिखित घटनाएं हुई—

- बी.काम के छात्रों के लिए सीए के अधीन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण को आरंभ किया जाएगा ।
- आईसीएआई पंजाब में स्थित महाविद्यालयों के लिए सर्वोत्तम और नवीनतम वाणिज्यिक पाठ्यचर्या को तैयार करने तथा अध्ययन सामग्री को अद्यतन बनाने के लिए पंजाब सरकार की सहायता करेगा ।
- आईसीएआई पंजाब के महाविद्यालयों के अध्यापकों और छात्रों को जीएसटी और आय-कर तथा अन्य संबद्ध विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा ।
- पंजाब के महाविद्यालयों और विद्यालयों में सीए पाठ्यक्रम और वाणिज्यिक शिक्षा का संवर्धन करने के लिए कैरियर परामर्शी और परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन ।

(VII) विभिन्न राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आईसीएआई की कैरियर परामर्शी संबंधी समिति ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के बीच वाणिज्यिक शिक्षा और सीए पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं । इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संबंध में सीए पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वाणिज्यिक शिक्षा का संवर्धन करने हेतु संकाय का विकास करना है । वर्ष 2022-23 के दौरान समिति द्वारा निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए :

- विद्यालय शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर सरकार के साथ 1 अप्रैल, 2022 को ।
- विद्यालय शिक्षा निदेशालय, जम्मू सरकार के साथ 12 अप्रैल, 2022 को ।
- विद्यालय शिक्षा विभाग, मिजोरम सरकार के साथ 19 अगस्त, 2022 को ।

(VIII) आईसीएआई वाणिज्यिक क्विज

कैरियर परामर्शी समिति ने 19 जून, 2022 को सफलतापूर्वक आईसीएआई वाणिज्यिक क्विज का आयोजन किया, जिसके लिए 91,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्टर किया । इस क्विज का मुख्य उद्देश्य छात्रों की योग्यता की पहचान करने तथा उन्हें वाणिज्यिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उनके कौशलों, सामर्थ्य और ज्ञान का मूल्यांकन करना है ।

(IX) आईसीएआई वाणिज्य जादूगर

स्तर 1 के लिए 8 जनवरी, 2023 को तथा स्तर 2 के लिए 29 जनवरी, 2023 को आईसीएआई वाणिज्य जादूगर कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया ।

(X) समर्पित नि:शुल्क नंबर

समिति ने, एक समर्पित नि:शुल्क नंबर, अर्थात् 1800 202 8371 के माध्यम से शंकाओं का समाधान करना आरंभ किया है । इस नि:शुल्क नंबर का प्रयोजन यह है कि छात्र, माता-पिता, विद्यालय, अध्यापक आदि चार्टर्ड अकाउंटेसी पाठ्यक्रम के संबंध में फोन काल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उक्त विषयों के संबंध में उनकी शंकाओं का भी समाधान किया जा सकता है ।

(XI) कृत्रिम बुद्धिमता चैटबोट

समिति ने, एक एआई चैटबोट सुविधा आरंभ की है, जिसे समिति के आनलाइन पोर्टल ccg.icai.org के माध्यम से समर्थ बनाया गया है और जहां छात्रों और पणधारियों के बीच शंकाओं का समाधान किया जाता है।

(XII) समाचार-पत्र के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम का संवर्धन

समिति ने विभिन्न समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और हिन्दी के समाचार-पत्रों के माध्यम से भी सीए पाठ्यक्रम का संवर्धन किया है । इस संबंध में टाइम्स आफ इंडिया समाचार-पत्र के सभी संस्करणों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे।

बस स्टॉपों पर होर्डिंगों के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम का संवर्धन

(XIII) समिति ने 16 जून, 2022 से 1 जुलाई, 2022 के दौरान दिल्ली में अवस्थित 15 भिन्न-भिन्न बस स्टॉपों पर होर्डिंग लगाकर सीए पाठ्यक्रम का संवर्धन किया है।

(XIV) "चार्टर्ड अकाउंटेंट : थींकर, ब्लीवर, एचीवर" शीर्षक वाली प्रेरणादायक वीडियो श्रृंखला

समिति ने, जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से चार्टर्ड अकाउंटेटों की प्रेरणादायक वीडियो की श्रृंखला को रिकार्ड किया है । इस प्रेरणादायक वीडियो में भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सम्मिलित किया गया है जैसे कि जनजाति, पिछड़ा वर्गों के सीए, निर्धन परिवारों, दूरस्थ क्षेत्रों के सीए तथा विशिष्ट रूप से समर्थ सीए आदि।

(XV) चार्टर्ड अकांउटेंसी पाठ्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने के लिए "मेरे हस्ताक्षर" शीर्षक वाली एक लघु डाक्यूमेंट्री

सीए पाठ्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने के लिए "मेरे हस्ताक्षर" शीर्षक वाली एक लघु डाक्यूमेंट्री को तैयार किया गया है, जिसमें सम्मिलित किया गया वीडियो ऐसे बालक की कहानी बताता है, जो एक सुनहरे भविष्य का स्वप्न देखता है । उसके पश्चात् वह इस प्रकार सत्रों को पार करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को करने हेतु प्रेरित होता है और अंतत: वह एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है । इस डाक्यूमेंट्री का उद्देश्य ब्रांड के संबंध में और अधिक जागरुकता का सृजन करना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना और साथ ही विद्यालयों और महाविद्यलयों में पढ़ने वाले युवा मेधावी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है, जो उन्हें उनके भावी कैरियर विकल्प के संबंध में विनिश्चय करने में सहायता करेगी ।

(XVI) रेडियो के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के बारे में जागरुकता में अभिवृद्धि करना (श्री नीलेश मिश्रा की आवाज में कहानी)

श्री नीलेश मिश्रा की आवाज में कहानी के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया गया है । इन कहानियों का प्रसारण 48 नगरों में, पांच कहानी – पांच दिन, शीर्षक वाले कार्यक्रम के अधीन 10 अक्तूबर, 2022 से प्रत्येक सोमवार और बुद्धवार को किया गया ।

(XVII) 6-13 अगस्त, 2022 के दौरान रेडियो मिर्ची पर 8 दिवसीय रेडियो अभियान

समिति ने आईसीएआई और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के संबंध में 6 अगस्त, 2022 से 13 अगस्त, 2022 के दौरान रेडियो मिर्ची के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया । इस अभियान का प्रसारण 23 नगरों में किया गया और इसे 10 प्रादेशिक भाषाओं में अनुदित करके संबद्ध प्रादेशिक रेडियो स्टेशनों पर भी प्रसारित किया गया ।

13. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं (आरबीए निदेशालय)

प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में स्थित हैं । इस समय इसके पास पूरे भारत में 168 शाखाएं हैं ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र संघों की शाखाएं

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों के बीच सक्रिय रूप से भ्रातृत्व की भावना को विकसित करने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बोद्धिक विकास का संवर्धन करने के विचार से संस्थान की परिषद् ने सदैव चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र संघों की शाखाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है । इस प्रक्रिया में अभी तक छात्र संघों की 138 शाखाओं को स्थापित किया गया है ।

सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं । ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2022 के लिए ये पुरस्कार 7 फरवरी, 2023 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को प्रदान किए गए :--

वर्ग	पुरस्कार	इकाइयों का नाम
सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद	प्रथम पुरस्कार	डब्लूआईआरसी एवं एसआईआरसी (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	ईआईआरसी
सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ	प्रथम पुरस्कार	डब्ल्यूआईसीएएसए
	द्वितीय पुरस्कार	सीआईसीएएसए
प्रादेशिक परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मेगा श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	इंदौर
	द्वितीय पुरस्कार	अहमदाबाद और बैंगलोर (संयुक्त रूप से)
प्रादेशिक परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	लुधियाना
	द्वितीय पुरस्कार	वडोदरा
प्रादेशिक परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	विजयवाड़ा
	द्वितीय पुरस्कार	आगरा
प्रादेशिक परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (लघु श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	सलेम
	द्वितीय पुरस्कार	तिरुपुर
प्रादेशिक परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	शिवकाशी
	द्वितीय पुरस्कार	बिलासपुर
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मेगा श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	अहमदाबाद और पुणे (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	बैंगलोर
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	इंदौर
	द्वितीय पुरस्कार	कोयंबटूर
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	वडोदरा और औरंगाबाद (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	राजकोट एवं जोधपुर (संयुक्त)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (छोटी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	अहमदनगर
	द्वितीय पुरस्कार	जलगांव और सिलीगुड़ी
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	आनंद
	द्वितीय पुरस्कार	बिलासपुर

अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य वार्षिक बैठक (एआईएमएम) -2023

प्रादेशिक परिषद् सदस्यों और शाखाओं के प्रबंध समिति सदस्यों की अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य वार्षिक बैठक (एआईएमएम) -2023 का आयोजन 13 और 14 मार्च, 2023 के दौरान मुंबई में किया गया ताकि उन्हें आईसीएआई

के दृष्टिकोण और पद्धतियों से सुमेलित किया जा सके और साथ ही परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके ।

यह एक ऐसा कार्यक्रम था, जिसमें 10 सत्रों को 40 प्रस्तुतियों के साथ सम्मिलित किया गया था, जिनके दौरान अधिकांश समितियों और विभागों को शामिल किया गया था, जिनके अंतर्गत प्रतिभागियों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों/शंकाओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों द्वारा ब्रेकआउट और परस्पर क्रियाशील सत्रों का भी आयोजन किया गया था । पूरे भारत वर्ष से आईसीएआई की शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों से 1000 से अधिक नेताओं ने भाग लिया था ।

एआईएमएम एक ऐसी उत्कृष्ट पहल थी, जिसने वृत्ति के सामान्य मुद्दों से संबंधित विषयों पर परस्पर क्रिया करने के लिए एक अद्वितीय मंच उपलब्ध कराया और साथ ही इसके माध्यम से प्रतिभागियों को आईसीएआई की विभिन्न समितियों/विभागों के कार्यकरण के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई और साथ ही शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों से पणधारियों की प्रत्याशाओं के संबंध में भी परिचर्चा की गई । प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया ।

14. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2023 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद द्वारा सम्यकत: अनुमोदित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं ।

15. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और वह प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों तथा गैर-सदस्यों, जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में परिषद् की सहायता की, के प्रति भी आभार व्यक्त करती है ।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए ।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में केंद्रीय और विभिन्न प्रादेशिक राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है ।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है ।

सांख्यिकी एक दृष्टि में

सदस्य रजिस्ट्रीकरण

(1 अप्रैल, 2007 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682

	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	अध्येता	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	योग	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	अध्येता	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	योग	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	अध्येता	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	योग	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	अध्येता	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	योग	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	अध्येता	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	योग	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	अध्येता	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	योग	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1 अप्रैल, 2018	सहयुक्त	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	अध्येता	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	योग	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1 अप्रैल, 2019	सहयुक्त	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	अध्येता	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	योग	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1 अप्रैल, 2020	सहयुक्त	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	अध्येता	28860	21495	9295	19017	20816	99483

	योग	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1 अप्रैल, 2021	सहयुक्त	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	अध्येता	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	योग	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1 अप्रैल, 2022	सहयुक्त	83875	47065	17363	46271	46301	240875
	अध्येता	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	योग	115835	70624	27154	67851	68974	350438
1 अप्रैल, 2023	सहयुक्त	91043	54155	18856	52092	50351	266497
	अध्येता	32736	24136	9916	22318	23016	112122
	योग	123779	78291	28772	74410	73267	378619

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

वर्ष (को यथाविद्यमान)	**सहयुक्त**	**अध्येता**	**योग**
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106

1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307
1 अप्रैल, 2018 को	1,90,104	92,089	2,82,193
1 अप्रैल, 2019 को	1,92,857	98,841	2,91,698
1 अप्रैल, 2020 को	2,07,755	99,483	3,07,238
1 अप्रैल, 2021 को	2,23,344	1,03,737	3,27,081
1 अप्रैल, 2022 को	2,40,875	1,09,563	3,50,438
1 अप्रैल, 2023 को	2,66,497	1,12,122	3,78,619

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	फाउंडेशन/सीपीटी		पीसीसी/आईपीसीसी और आईआईपीसी/मध्यवर्ती			फाइनल/नया फाइनल		एटीसी	योग
	फाउंडेशन	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपीसीसी	मध्यवर्ती	फाइनल	नया फाइनल		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140		77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392		81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,859
2022-23	1,25,460	-	-	-	77,652	-	21,944	-	2,25,056

परिषद् की संरचना - (2022-23)

	परिषद् के सदस्य	
अध्यक्ष	**निर्वाचित सदस्य**	
	पश्चिमी क्षेत्र	
सीए. अनिकेत सुनील तलाटी	सीए. (डॉ.) राजकुमार सत्यनारायण अदुकिया	मुंबई
	सीए छाजेड़ पीयूष सोहनराजजी	मुंबई
	सीए. चिताले चन्द्रशेखर वसंत	पुणे
	सीए. विशाल दोशी	वडोदरा
उपाध्यक्ष	सीए. दुर्गेश कुमार काबरा	मुंबई
सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल	
	सीए. पुरूषोत्तमलाल हुकमीचंद खंडेलवाल	अहमदाबाद
	सीए. मंगेश पांडुरंग किनारे	थाइन
	सीए. प्रीति सावला	मुंबई
	सीए. उमेश रामनारायण शर्मा	औरंगाबाद
	सीए. अनिकेत सुनील तलाटी	अहमदाबाद
	दक्षिणी क्षेत्र	
	सीए. दयानिवास शर्मा	हैदराबाद
	सीए. श्रीधर मुप्पाला	हैदराबाद
	सीए. प्रसन्ना कुमार डी	विशाखापत्तनम
	सीए. राजेंद्र कुमार पी.	चेन्नई
परिषद् के सचिव	सीए. कोथा एस श्रीनिवास	बेंगलुरु
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. श्रीप्रिया कुमार	चेन्नई
सचिव	**पूर्वी क्षेत्र**	
	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	कोलकाता
	सीए. सुशील कुमार गोयल	कोलकाता
	सीए. (डॉ.) देबाशीष मित्रा	गुवाहाटी
	मध्य क्षेत्र	
	सीए. रोहित रुवतिया	जयपुर
	सीए. अभय कुमार छाजेड़	भोपाल
	सीए. (डॉ.) अनुज गोयल	गाज़ियाबाद
	सीए. ज्ञान चंद्र मिश्रा	वैशाली
	सीए. प्रकाश शर्मा	जयपुर
	सीए. केमिशा सोनी	इंदौर

उत्तरी क्षेत्र

सीए. संजय कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
सीए. (डॉ.) राज चावला	नई दिल्ली
सीए. हंसराज चुघ	नई दिल्ली
सीए. प्रमोद जैन	नई दिल्ली
सीए. चरणजोत सिंह नंदा	नई दिल्ली
सीए. (डॉ.) संजीव कुमार सिंघल	नई दिल्ली

सरकार के नामनिर्देशिती

सरकार के नामनिर्देशिती	श्री संजय कुमार अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री ऋत्विक रंजनम पांडे संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री दीपक कपूर, महानिदेशक (वाणिज्यिक-II) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय	नई दिल्ली
	श्री राकेश जैन, आईए और एएस, उपनियंत्रक एवं महालेखा . (सेवानिवृत्त) परीक्षक	जयपुर
	डॉजैन .सी.पी ., सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एसआरसीसी, दिल्ली विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
	अधिवक्ता विजय कुमार झालानी	नई दिल्ली
	श्री चन्द्र वाधवा सीएमए, पूर्व अध्यक्ष (आईसीओएआई)	नई दिल्ली

अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स	एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंटस	चार्टर्ड अकाउंटेंटस
105, एफएफ, साउथ एक्स। प्लाजा - 1, 389,	मित्तल हाउस,
मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,	ई-29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,
नई दिल्ली - 110049	नई दिल्ली - 110049

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2023 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी भी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्तीय विवरण कहा गया है), जिसमें उस तारीख के समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संगमों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के शाखा संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित विवरणियों को भी सम्मिलित किया गया है ।

हमारी राय में पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (आज की तारीख तक यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित रीति में अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है और वे भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तारीख 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति और उसके अधिशेष तथा नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं ।

राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है । उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों संबंधी खंड में वर्णित किया गया है । हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है । हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (अधिनियम) के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय लेना और प्राक्कलन करना, जो सुसंगत और विवेकपूर्ण हों तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, को तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत हैं, जो संस्थान के कार्य के संबंध में सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं तथा जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं ।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है ।

प्रबंधमंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए उत्तरदायी है ।

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासनों को प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण और ऐसी संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट को जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो । युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं करता है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान कथनों का उस समय पता लगाने में समर्थ होगी, जब वे विद्यमान होते हैं । मिथ्या कथन, कपट या त्रुटि, किसी भी कारण से उदभूत हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से उनसे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे ।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं । हम:

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते

हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, मिथ्या प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है।

- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है ।
- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं ।
- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें । हमारे निष्कर्ष, हमारे संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं । तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे ।
- वित्तीय विवरणों की सकल प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत प्रकटन भी है और यह सुनिश्चित करना कि क्या वित्तीय विवरण ऐसी रीति में आधारभूत संव्यवहारों और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति के उद्देश्य की पूर्ति हो ।

हम ऐसे व्यक्तियों से परस्पर संपर्क करते हैं, जिन्हें अन्य विषयों के साथ संपरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार क्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित विषयों को शासित करने का प्रभार सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हम हमारी संपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं ।

हम ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर शासन संबंधी प्रभार है, ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमने उन्हें अपने ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य विषयों की संसूचना प्रदान की है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहाँ कहीं लागू है हमने संबद्ध सुरक्षोपायों के संबंध में भी संसूचित किया है ।

अन्य विषय

(क) भारत में और विदेशों में बड़ी संख्या में अध्ययन सर्कल और अध्ययन चैप्टर विद्यमान हैं, जिन्हें संस्थान ने प्राधिकृत किया है । संस्थान ने हमें यह निवेदन किया है कि चूंकि ये अध्ययन सर्कल/चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं इसलिए उनके लेखाओं को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है । हमने इस निवेदन को स्वीकार किया है ।

(ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और विदेशी शाखाओं सहित उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 1,13,799 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 15,824 लाख रुपए का कुल राजस्व और 31 मार्च, 2023 को कुल 5,250 लाख रुपए के नकद और बैंक अतिशेषों को उपदर्शित करते हैं । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं । इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है ।

हमारी राय को उपरोक्त मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है ।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

ख) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं, जहां हमने दौरा नहीं किया है, से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;

ग) संस्थान की शाखाओं के लेखाओं, जिनकी संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, संबंधी रिपोर्टों को हमें अग्रेषित किया गया है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनके संबंध में उपयुक्त रूप से कार्यवाही की है ;

घ) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है और वे ऐसी शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के भी अनुरूप है, जिनका हमने दौरा नहीं किया है ।

कृते अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 003917एन
ह./-
सीए. अरुण कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 082899
यूडीआईएन : 23082899बीजीएक्सएक्सआईबी4862

कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001135एन
ह./-
सीए. एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. 072290
यूडीआईएन : 23072290बीजीवाईवीईपी1132

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 04 सितंबर, 2023

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

तुलन पत्र **(रुपए लाख में)**

	विशिष्टियां		टिप्पण सं.	31 मार्च, को यथा विद्यमान	
				2023	**2022**
I	**निधियों के स्रोत :**				
	i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां				
	क	आरिक्षितियां और अधिशेष	3	1,83,169	1,63,899
	ख	उद्दिष्ट निधियां	4	1,25,532	1,16,048
	ii. गैर चालू दायित्व				
	क	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	1,166	1,838
	ख	दीर्घकालिक प्रावधान	6	5,786	29,718
	iii. चालू दायित्व				
	क	व्यापार संबंधी देय	7	6,177	6,730
	ख	अन्य चालू दायित्व	8	28,909	24,708
	ग	अल्पकालिक प्रावधान	6	1,522	1,376
		योग		**3,52,261**	**3,44,317**

II निधियों का उपयोजन				
i. गैर चालू आस्तियां				
क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9	70,427	67,369
ख	अमूर्त आस्तियां	10	235	414
ग	चालू पूंजी संकर्म	11	3,597	3,569
घ	गैर-चालू निवेश	12	1,93,975	1,84,307
ङ	अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	5,980	5,806
च	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	14	1,696	3,774
छ	अन्य गैर चालू आस्तियां	15	323	5,096
ii. चालू आस्तियां				
क.	चालू निवेश	12	5,443	14,432
ख.	अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	39,110	38,627
ग.	वस्तु-सूचियां	16	792	801
घ.	नकद और नकद समतुल्य	17	11,575	11,042
ङ.	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	8,019	4,351
च.	अन्य चालू आस्तियां	15	11,089	4,729
योग			**3,52,261**	**3,44,317**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 28 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	सीए. अनिकेत सुनील तलाटी
अपर सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 003917एन
ह./-
सीए. अरुण कुमार अग्रवाल
सदस्यता सं. 082899, भागीदार

कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001135एन
ह./-
सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 072290, भागीदार

स्थान: नई दिल्ली
तारीख : 04 सितंबर, 2023

आय और व्यय लेखा

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां		टिप्पण सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
			2023	2022
I	**आय**			
	क) फीस	18	72,789	67,642
	ख) संगोष्ठियां	19	7,308	2,319
	ग) अन्य आय	20	25,891	18,853
	कुल आय		**1,05,988**	**88,814**

II	**व्यय**			
	क) संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम	21	10,073	2,593
	ख) कर्मचारी फायदा व्यय	22	15,668	14,913
	ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		7,672	5,246
	घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस		12,610	10,511
	ङ) अवक्षयण और परिशोधन व्यय	9-10	3,280	3,648
	च) अन्य व्यय	23	27,980	22,753
	कुल व्यय		**77,283**	**59,664**
III	**शुद्ध अधिशेष (I-II)**		**28,705**	**29,150**
IV	**निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:**			
	क) शिक्षा निधि [देखें टिप्पण 2.06(ii)]		7,621	7,164
	ख) कर्मचारी कल्याण निधि [देखें टिप्पण 2.06(iii)]		100	94
	ग) उद्दिष्ट निधियां और अन्य निधियां (व्ययों का शुद्ध)		7,478	6,879
	घ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [देखें टिप्पण 2.06(vii)]		1,410	1,462
	ङ) सिंकिंग निधि [देखें टिप्पण 2.06(viii)]		1,761	2,075
	च) अवसंरचना आरक्षिती (दाखिला एवं प्रवेश शुल्क) [देखें टिप्पण 2.06(iv)]		534	-
	छ) भवनों के लिए प्राप्त दान [देखें टिप्पण 2.06(i)]		101	-
	ज) साधारण आरक्षिती		9,700	11,476
	योग		**28,705**	**29,150**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 28 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	सीए. अनिकेत सुनील तलाटी
अपर सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स	कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 003917एन	फर्म रजि. सं. 001135एन
ह./-	ह./-
सीए. अरुण कुमार अग्रवाल	सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 082899	सदस्यता सं. 072290
भागीदार	भागीदार

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 04 सितंबर, 2023

नकद प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
		2023	2022
I.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	28,705	29,150
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	- अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	3,280	3,648
	- ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(4,342)	(22)
	- कर्मचारी सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान	(17,457)	1,862
	- शाखा कर्मचारी स्कीम के लिए प्रावधान	(5,036)	700
	- संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	(608)	38
	- अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	45	294
	- आरक्षितियों को अंतरित सुमेलन प्रभाव	-	180
	- भवन के लिए दान रसीद	(101)	-
	- ब्याज संबंधी आय	(17,355)	(15,762)
	- सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आबंटित किया गया है	-	462
	कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	**(12,869)**	**20,550**
	कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		
	प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
	- वस्तु सूचियां	9	(370)
	- दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	1,539	134
	- अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(3,105)	(446)
	- अन्य चालू आस्तियां	(732)	(1,535)
	प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
	- अन्य दीर्घकालिक दायित्व	(672)	355
	- दीर्घकालिक प्रावधान	(1,681)	(230)
	- व्यापार संबंधी देय	3,789	366
	- अन्य चालू दायित्व	4,166	8,329
	- अल्पकालिक प्रावधान	388	-
		(9,168)	**27,153**
	आय-कर (संदत्त)/प्राप्त (शुद्ध)	539	(39)
	प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	**(8,629)**	**27,114**
II.	**निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(9,668)	(45,965)
	- चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	8,989	(3,428)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय [सीडब्ल्यूआईपी सहित (शुद्ध)]	(6,293)	(5,729)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम	141	9
	- अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	(657)	392
	- प्राप्त ब्याज आय	16,500	14,962

	निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	**9,012**	**(39,759)**

(रुपए लाख में)

III.	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- भवनों के लिए प्राप्त संदान	101	-
	- प्राप्त अभिदाय	49	172
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)	**150**	**172**
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	533	(12,473)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	11,042	23,515
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**11,575**	**11,042**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 28 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

टिप्पण : नकद और नकद समतुल्य हाथ में नकदी तथा बैंकों में अतिशेष राशि और तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा को उपदर्शित करते हैं (टिप्पण सं. 17 देखें)।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव अपर सचिव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा सचिव	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष	सीए. अनिकेत सुनील तलाटी अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की की रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स	कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 003917एन	फर्म रजि. सं. 001135एन
ह./-	ह./-
सीए. अरुण कुमार अग्रवाल	सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 082899	सदस्यता सं. 072290
भागीदार	भागीदार

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 04 सितंबर, 2023

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई"), जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन और विकास करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली में प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 2 उत्कृष्टता केंद्रों, 168 शाखाओं और दुबई तथा सिंगापुर में 2 विदेशी कार्यालयों का भी गठन किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.01 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण, उन पर टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों सहित, के अनुसार तैयार किया जाता है । यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उदघोषणाएं सम्मिलित हैं । वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है । वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं ।

2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं । प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं । वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वे कार्यान्वित किए जाते हैं ।

2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशन, अध्ययन सामग्रियां, लेखन सामग्रियां और अन्य भंडार सम्मिलित होते हैं । इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं ।

2.04 नकद और नकद समतुल्य

नकद में, हाथ में नकदी अंतर्विष्ट है । नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं ।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है । संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है ।

2.06 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

i) भवनों के लिए प्राप्त संदानों को सीधे अवसंरचना आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है ।

ii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है ।

iii) सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को प्रोदभवन आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है ।

iv) प्रवेश और दाखिला फीस:

-- सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस के भाग को अवसंरचना आरक्षित खाते में डाला जाता है ।

v) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) अनुसंधान भवन निधि लेखांकन से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से संबंधित भवन निधियों में अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जो़ड़ा जाता है । इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है ।

vii) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य आरक्षितियों में अंतरित किया जाता है ।

viii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी आरक्षिती को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है ।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कथन संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से पश्चातवर्ती रूप से वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षत: जोड़ा जा सकता है । आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य अनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है ।

2.08 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर किया जाता है । किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों के शुद्ध के रूप में सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है तथा किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है । अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है ।

2.09 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है । इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं ।

2.10 अवक्षयण और परिशोधन

क) आस्तियों के संबंध में अवक्षयणीय रकम आस्ति की लागत या लागत के रूप में प्रतिस्थापित अन्य रकम है ।

संपत्ति/संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर मासिक रूप से अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है ।

	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग	**अवक्षयण की दर**
i)	भवन	5%
ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
iii)	कंप्यूटर	60%
iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
vi)	वाहन	20%
vii)	वर्ष के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय की पुस्तकों पर 100% अवक्षयण दिया जाता है ।	

ख) पट्टाधृत भूमि पर भवनों की अग्रनीत रकम का परिशोधन पट्टे की अवधि के आधार पर किया जाता है ।

ग) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्ष तक स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है ।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रमों की अवधि के आधार पर अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है ।

ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है । कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबंद्ध लागतों को उपगत किया जाता है ।

iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ।

iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ।

v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुन: स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है ।

सदस्य के नाम को पुन: प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है ।

(ख) प्रवेश और दाखिला फीस :

सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस को प्रवेश के समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

vi) छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्र को पाठ्यक्रम में दाखिला प्रदान किया जाता है ।

vii) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से प्राप्त राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं ।

2.12 अन्य आय

क) प्रकाशन और अन्य सबद्ध मदों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यत: माल के परिदान के समय होता है ।

ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है ।

ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है ।

घ) ब्याज संबंधी आय को अनुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है ।

ङ) वर्ष के दौरान भवनों के लिए प्राप्त संदानों को उनकी प्राप्ति के वर्ष में मान्यता प्रदान की जाती है ।

च) छात्रों से छात्र पंजीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् पंजीकृत छात्रों की बाबत 250/- रुपए प्रति छात्र की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र कल्याण निधि में जमा की जाती है ।

छ) सदस्यों से चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफ) के मद्दे प्राप्त संदानों को संदेय के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसी प्रकार सदस्यों को उनके दावों के मद्दे उसकी ओर से संदत्त वित्तीय सहायता को प्राप्यों के रूप में लेखबद्ध किया जाता है। सीएबीएफ के साथ लेखाओं का नियमित आधार पर सुमेलन किया जाता है ।

ज) प्रमाणपत्र /अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व उसके रद्द हो जाने की दशा में 10% फीस की कटोती की जाती है और पाठ्यक्रम के प्रारंभ हो जाने की दशा में किसी भी प्रकार से फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को यह विकल्प दिया जाता है कि वह पश्चातवर्ती बैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा कर सकता है।

2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं ।

ख) निवेशों को एएस 13, निवेशों के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है । दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है । तीन मास तक की अवधि के सावधि निक्षेपों को नकद और नकद समतुल्य माना जाता है ।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा ब्याज की प्राप्ति के प्रति किया जाता है।

घ) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश का उपयोग मुक्त रूप से परिषद् के विवेक पर उपलब्ध है, सिवाय उद्दिष्ट निधियों के योग की सीमा तक।

ङ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रनीत किया जाता है। उचित मूल्य का अवधारण व्यष्टिक आधार पर किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को प्राय: लागत पर अग्रनीत किया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न कोई कमी होती है तो कमी को मान्यता प्रदान करने के लिए अग्रनीत मूल्य को कम किया जाता है। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से ब्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुन: कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय और व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदे सम्मिलित हैं।

i) **अल्पकालिक कर्मचारी फायदे**

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बट्टा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के बारह मास के भीतर उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

क) संचयित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं ; और

ख) गैर-संचयित एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

ii) **नियोजन पश्च फायदे**

नियोजन पश्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पश्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पश्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को किन्हीं नियत अभिदायों का संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक्

अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं हैं । दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पश्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

परिभाषित फायदा योजनाएं

क) उपदान

उपदान और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है । बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं । पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है । मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो । इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है । उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है ।

ख) भविष्य निधि

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब पात्र कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं । इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है और वह ऐसे दावों का समाधान करता है, जब कभी वे उदभूत होते हैं । भविष्य निधि न्यास के बीमांकिक दायित्व से उदभूत किसी कमी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान निवेश से फायदों में किसी कमी का न्यास द्वारा दावा किया जाता है तथा उसका संदाय संस्थान द्वारा किया जाता है ।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) – 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याकंनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है ।

ग) पेंशन स्कीम

संस्थान अपने पात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है । तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है । पेंशन संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तपोषित किया जाता है ।

घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है ।

ङ) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे – प्रतिपूरित अनुपस्थिति

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् बारह मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक

मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.16 पट्टे

संस्थान लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए पट्टों को वित्त और प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत करता है । ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है । पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुन: संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है। पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है ।

2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है । यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रनीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है । वसूलनीय रकम, वह शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है । उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है । जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.18 आय पर कर

संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन आय-कर से छूट के लिए रजिस्ट्रीकृत है । इस प्रकार, चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

2.19 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है ।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है ।

टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	साधारण		शिक्षा		अवसंरचना		अन्य*		योग	
	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	**96,772**	**85,650**	**51,006**	**46,842**	**7,448**	**6,962**	**8,673**	**6,701**	**1,63,899**	**1,46,155**
जोड़ें: आय और व्यय विवरण से विनियोग	9,700	11,476	-	-	534	-	1,410	1,462	**11,644**	12,938
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण	50	-	-	-	29	-	(79)	-	**-**	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	4,500	(335)	3,025	4,164	-	-	-	335	**7,525**	4,164
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें (टिप्पण सं. 2.06(iv) देखें)	-	-	-	-	-	462	-	-	**-**	462
भवन के लिए प्राप्त संदान	-	-	-	-	101	-	-	-	**101**	-
(उपयोग)/परिवृद्धियां	-	(19)	-	-	-	24	-	175	**-**	180
वर्ष के अंत में अतिशेष	**1,11,022**	**96,772**	**54,031**	**51,006**	**8,112**	**7,448**	**10,004**	**8,673**	**1,83,169**	**1,63,899**

* अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षिती, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) आरक्षिती और विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिती आदि सम्मिलित हैं।

टिप्पण : #4. उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च को यथाविद्यमान	अनुसंधान निधियां	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	शिक्षा निधि	मेडल और पुरस्कार निधि	छात्रों की छात्रवृत्ति निधि	सदस्य कल्याण निधि	आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि	अन्य निधियां	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2023	**3,382**	**1,187**	**53,734**	**378**	**11,491**	**1,410**	**32,588**	**11,878**	**1,16,048**
	2022	**3,140**	**1,082**	**47,085**	**341**	**11,043**	**1,236**	**28,335**	**11,566**	**1,03,828**
आय और	2023			7,621			100	1,761		9,482

व्यय के विवरण से विनियोग	2022			7,164			94	2,075		9,333
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	2023	-	-	(3,025)	-	-	-	-	(4,500)	(7,525)
	2022	-	-	(4,164)	-	-	-	-	-	(4,164)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धियां	2023	-	-	-	39	8	-	-	2	49
	2022	-	-	-	37	1	-	-	134	172
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	2023	257	91	4,116	21	815	108	2,496	89	7,993
	2022	242	105	3,649	22	825	96	2,178	179	7,296
वर्ष के दौरान उपयोजित	2023	-	-	-	(18)	(492)	(5)	-	-	(515)
	2022	-	-	-	(22)	(378)	(16)	-	(1)	(417)
वर्ष के अंत में अतिशेष	**2023**	**3,639**	**1,278**	**62,446**	**420**	**11,822**	**1,613**	**36,845**	**7,469**	**1,25,532**
	2022	**3,382**	**1,187**	**53,734**	**378**	**11,491**	**1,410**	**32,588**	**11,878**	**1,16,048**

टिप्पण : 1. 1,25,532 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 1,16,048 लाख रुपए) की उद्दिष्ट निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों में धारित किया गया है (टिप्पण 12 और 13 देखें)

2. डब्ल्यू सी ओ ए के लिए आरक्षिती से 4,500/- लाख रुपए को साधारण आरक्षिती में अंतरित किया गया है। (टिप्पण 24;11 देखें)

(रुपए लाख में)

टिप्पण #5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2023	2022
अग्रिम में प्राप्त फीस		
i) शिक्षा फीस	**1,166**	**1,831**
ii) जर्नल का अभिदाय	**-**	**7**
योग	**1,166**	**1,838**

(रुपए लाख में)

टिप्पण #6 : प्रावधान	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2023	2022	**2023**	2022
	दीर्घकालिक	**दीर्घकालिक**	**अल्पकालिक**	**अल्पकालिक**
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
क) नियोजन पश्च फायदे				
i) उपदान	**-**	497	**-**	48
ii) पेंशन	**-**	16,530	**-**	667

iii) भविष्य निधि (टिप्पण 2.15(ii)(ख) देखें)	**-**	178	**-**	-
ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**5,786**	5,410	**570**	661
ग) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.08 देखें)	**-**	5,600	**564**	-
घ) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.10 देखें)	**-**	1,503	**388**	-
योग	**5,786**	**29,718**	**1,522**	**1,376**

टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2023	2022
व्यापार संबंधी देय :		
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल बकाया शोध्य (टिप्पण 24.15 देखें)	**1,125**	**1,410**
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न के कुल बकाया शोध्य	**5,052**	**5,320**
योग	**6,177**	**6,730**

(रुपए लाख में)

(रुपए लाख में)

टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व			**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
			2023	2022
क)	**अग्रिम में प्राप्त फीस**			
	i)	सदस्यता फीस	**1,338**	1,352
	ii)	शिक्षा फीस	**11,717**	11,984
	iii)	परीक्षा फीस	**7,777**	7,322
	iv)	जर्नल अभिदाय	**7**	16
	v)	अर्हता पश्च पाठयक्रम फीस	**101**	152
	vi)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम फीस	**163**	106
	vii).	संगोष्ठी फीस :		
		क) संगोष्ठी सदस्य	**153**	129
		ख) संगोष्ठी छात्र	**7**	55
	viii)	कक्षा प्रशिक्षण फीस	**883**	779
	ix)	कोचिंग कक्षा फीस	**105**	102
	x)	अन्य फीस	**90**	126
		कुल योग (अ)	**22,291**	**22,123**
ख)	**अन्य दायित्व**			
	i)	पूंजी मदों के लिए देय	**75**	40
	ii)	देय भविष्य निधि और वृत्तिक कर	**468**	139
	iii)	उपदान और पेंशन के लिए देय [टिप्पण 2.15(ii)(क और ग) देखें]	**2,316**	-
	iv)	प्रतिधारण कर	**708**	699

v)	संदेय जीएसटी	**984**	437
vi)	प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन	**711**	567
vii)	संदेय प्रतिधारण धन	**272**	131
viii)	अन्य	**1,084**	572
	कुल योग (आ)	**6,618**	**2,585**
	योग (अ+आ)	**28,909**	**24,708**

टिप्पण #9 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर **(रुपए लाख में)**

विशिष्टियां	सकल ब्लॉक					अवक्षयण ब्लॉक				वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य
	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ के संचयी अवक्षयण	वर्ष के लिए प्रभारित	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2023	19,602	1,658	(64)	**21,196**	-	-	-	**-**	**21,196**
	2022	18,671	931	-	**19,602**	-	-	-	**-**	**19,602**
पट्टाधृत भूमि	2023	12,846	765	-	**13,611**	1,426	182	-	**1,608**	**12,003**
	2022	10,352	2,494	-	**12,846**	1,063	363	-	**1,426**	**11,420**
भवन	2023	44,019	2,098	-	**46,117**	14,021	1,677	-	**15,698**	**30,419**
	2022	40,897	3,122	-	**44,019**	12,198	1,823	-	**14,021**	**29,998**
लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	2023	2,696	124	(8)	**2,812**	1,597	118	-	**1,715**	**1,097**
	2022	2,416	292	(12)	**2,696**	1,487	114	(4)	**1,597**	**1,099**
कंप्यूटर	2023	7,509	636	(36)	**8,109**	7,054	413	(35)	**7,432**	**677**
	2022	7,458	88	(37)	**7,509**	6,603	512	(61)	**7,054**	**455**
फर्नीचर और फिक्सचर	2023	5,878	251	(22)	**6,107**	3,163	278	(6)	**3,435**	**2,672**
	2022	5,360	538	(20)	**5,878**	2,900	274	(11)	**3,163**	**2,715**
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	2023	6,433	628	(73)	**6,988**	4,381	352	(27)	**4,706**	**2,282**
	2022	6,092	371	(30)	**6,433**	4,063	329	(11)	**4,381**	**2,052**
वाहन	2023	153	78	(42)	**189**	125	19	(36)	**108**	**81**
	2022	138	15	-	**153**	121	4	-	**125**	**28**

(रुपए लाख में)

पुस्तकालय की पुस्तकें	2023	1,101	24	(3)	**1,122**	1,101	24	(3)	**1,122**	**-**
	2022	1,089	14	(2)	**1,101**	1,089	14	(2)	**1,101**	**-**
योग	**2023**	**1,00,237**	**6,262**	**(248)**	**1,06,251**	**32,868**	**3,063**	**(107)**	**35,824**	**70,427**
	2022	**92,473**	**7,865**	**(101)**	**1,00,237**	**29,524**	**3,433**	**(89)**	**32,868**	**67,369**

टिप्पण-क) पट्टाधृत भूमि में भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली (विद्यमान प्रधान कार्यालय के साथ लगी) में भूमि के प्लाट के लिए संदत्त 6.17 लाख रुपए सम्मिलित है। कार्यालय उक्त भूमि के संबंध में करार ज्ञापन और पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए प्राधिकरण से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

टिप्पण-ख) डीएमआरसी ने यह सूचित किया है कि आईसीएआई भवन, फरीदाबाद की 225 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली भूमि का हुडा से अर्जन किया गया है और प्रतिपूर्ति की रकम को हुडा के माध्यम से समायोजित किया गया है । हुडा से

वसूली/समयोजन के लंबित रहने के कारण प्रभाव का लेखांकन अंतिम समाधन के वर्ष में किया जाएगा। हुडा द्वारा दावा की गई 434 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

टिप्पण-ग) सोलापुर शाखा के लिए 63.55 लाख रुपए की भूमि, जो संस्थान के कब्जे में नही है, के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

टिप्पण-घ) अन्य बातों के साथ, वर्ष के अवक्षयण में पूर्व वर्ष में भवनों/पट्टाधृत भूमि के संबंध में अवक्षयण/परिशोधन से संबंधित 148 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है।

(रुपए लाख में)

टिप्पण #10. अमूर्त आस्तियां	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2023	**2022**
वर्ष के प्रारंभ में लागत	**1,400**	836
परिवृद्धियां	**38**	583
अंतरण/विलोपन	**(2)**	(19)
वर्ष के अंत में लागत	**1,436**	**1,400**
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	**986**	793
वर्ष के लिए प्रभार	**217**	215
अंतरण/विलोपन	**(2)**	(22)
वर्ष के अंत में परिशोधन	**1,201**	**986**
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	**235**	**414**
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	**414**	**43**

(रुपए लाख में)

टिप्पण #11. चालू पूंजी संकर्म	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2023	**2022**
प्रारंभिक अतिशेष	**3,569**	6,292
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	**5,865**	1,219
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम	**(5,836)**	(3,942)
अंतिम अतिशेष	**3,597**	**3,569**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : #12. निवेश		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2023	**2022**	**2023**	**2022**
		गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
क	**केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां**				
	कोट की गई प्रतिभूतियां				
1.	7.40% भारत सरकार 2035 (1)	**529**	532	**-**	-
2.	7.40% भारत सरकार 2035 (2)	**537**	540	**-**	-
3.	8.83% सरकारी स्टॉक 2041	**1,234**	1,247	**-**	-
4.	9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (1)	**1,248**	1,260	**-**	-
5.	9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (2)	**1,248**	1,260	**-**	-

6.	9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (3)	**6,312**	6,375	-	-
7.	9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (4)	**2,510**	2,535	-	-
8.	8.17% सरकारी स्टॉक 2044	**5,725**	5,758	-	-
9.	7.16% भारत सरकार 2050	**1,076**	1,079	-	-
10.	8.24% सरकारी स्टॉक 10-11-2023	**5,687**	5,752	-	-
11.	8.30% जीएस 2042 (1)	**4,058**	4,086	-	-
12.	8.30% जीएस 2042 (2)	**1,739**	1,751	-	-
13.	8.30% भारत सरकार-2040	**5,172**	5,211	-	-
14.	7.69% भारत सरकार 17/06/2043	**3,322**	3,338	-	-
15.	7.26% जीएसईसी 14 जनवरी 2029	**7,810**	7,864	-	-
16.	7.57% जीएस 2033	**5,428**	5,470	-	-
17.	8.33% भारत सरकार 2036 (1)	**1,164**	1,177	-	-
18.	8.33% भारत सरकार 2036 (2)	**2,213**	2,236	-	-
19.	8.24% भारत सरकार 2033	**569**	576	-	-
20.	7.73% भारत सरकार 2034	**555**	559	-	-
21.	7.69% भारत सरकार 2043	**2,733**	2,745	-	-
22.	8.17% भारत सरकार 2044	**2,876**	2,893	-	-
23.	8.30% भारत सरकार 2042	**2,309**	2,324	-	-
24.	8.33% भारत सरकार 2036 (3)	**2,826**	2,851	-	-
25.	8.30% भारत सरकार 2042 (1)	**1,152**	1,160	-	-
26.	8.30% भारत सरकार 2042 (2)	**577**	581	-	-
27.	8.83% भारत सरकार 2041 (1)	**1,203**	1,214	-	-
28.	8.83% भारत सरकार 2041 (2)	**1,804**	1,820	-	-
29.	6.67% भारत सरकार 2050 (1)	**2,469**	2,468	-	-
30.	6.67% भारत सरकार 2050 (2)	**2,878**	2,874	-	-
31.	6.67% भारत सरकार 2050 (3)	**1,890**	1,886	-	-
32.	6.67% भारत सरकार 2050 (4)	**968**	967	-	-
33.	6.67% भारत सरकार 2050 (5)	**7,151**	7,138	-	-
34.	6.67% भारत सरकार 2050 (6)	**2,889**	2,885	-	-
35.	6.67% भारत सरकार 2050 (7)	**4,649**	4,636	-	-
36.	6.67% भारत सरकार 2050 (8)	**1,394**	1,391	-	-
37.	6.67% भारत सरकार 2050 (9)	**4,648**	4,635	-	-
38.	6.76% भारत सरकार 2061	**973**	972	-	-
39.	7.72% भारत सरकार 2049	**5,449**	5,466	-	-
40.	6.69% भारत सरकार 2051	**2,330**	-	-	-
41.	7.54% भारत सरकार 2036 1	**2,042**	-	-	-
42.	7.54% भारत सरकार 2036 2	**1,531**	-	-	-
	कुल योग - 1	**1,14,877**	**1,09,512**	**-**	**-**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : #12. निवेश*	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022	2023	2022
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
कोट न की गई प्रतिभूतियां				
1 8.00% भारत सरकार कराधेय बंधपत्र - संचयी	**11,200**	11,200	-	-
2 8% बचत (कराधेय) बंधपत्र 2003-गैर संचयी	**44,000**	44,000	-	-
कुल योग - 2	**55,200**	**55,200**	-	-
बही मूल्य (क) (1+2)	**1,70,077**	**1,64,712**	-	-
बाजार मूल्य				
कोट की गई	**1,09,537**	1,05,782	-	-
कोट न की गई (बही मूल्य)	**55,200**	55,200	-	-
	1,64,737	**1,60,982**	-	-

(रुपए लाख में)

टिप्पण : #12. निवेश	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023 गैर-चालू	2022 गैर-चालू	2023 चालू	2022 चालू
ख. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां				
कोट की गई प्रतिभूतियां:				
1. 8.44% उत्तर प्रदेश उदय 2023	-	-	-	1,001
2. 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	**3,017**	3,027	-	-
3. 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	**2,011**	2,018	-	-
4. 8.45% पंजाब एसडीएल 2023	-	-	-	2,514
5. 8.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2023	-	-	-	503
6. 7.93% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2024	-	1,508	**1,504**	-
7. 8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	**45**	45	-	-
8. 8.25 उत्तर प्रदेश उदय बंधपत्र 2023	-	502	**500**	-
9. 8.27 राजस्थान एसडीएल एसपीएल2023	-	193	**192**	-
10. 8.37% ओड़िशा एसडीएल 2022	-	-	-	1,000

11. 8.45% गुजरात एसडीएल 2023	**-**	2,526	**2,508**	-
12. 8.86% पंजाब एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	1,002
13. 8.90% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	2,503
14. 8.92% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	1,002
15. 8.95% असम एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	1,503
16. 8.97% बिहार एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	502
17. 9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	**507**	512	**-**	-
18. 9.01% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	501
19. 9.13% गुजरात एसडीएल 9/5/2022	**-**	-	**-**	2,401
20. 8.51% उत्तर प्रदेश उदय 2023	**-**	743	**739**	-
21. 6.61% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037	**495**	495	**-**	-
22. 6.68% हरियाणा एसडीएल	**2,444**	2,441	**-**	-
23. 7.88% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2031	**1,069**	1,077	**-**	-
24. 6.80% जम्मू-कश्मीर एसडीएल 2035	**502**	502	**-**	-
25. 6.99% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2036	**507**	508	**-**	-
26. 7.08% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2035	**1,008**	1,008	**-**	-
27. 7.43% हरियाणा 09/03/2041	**505**	505	**-**	-
28. 6.96% तमिलनाडु एसडीएल 2056	**976**	975	**-**	-
29. 7.86% असम एसडीएल 2032 2	**2,080**	-	**-**	-
30. 7.94% हरियाणा एसडीएल 2034 2	**1,952**	-	**-**	-
31. 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 1	**2,007**	-	**-**	-
32. 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 2	**1,003**	-	**-**	-
33. 7.85% मध्य प्रदेश एसडीएल 2032 3	**2,560**	-	**-**	-
कुल योग – 2	**17,615**	8,766	**739**	3,404
बही मूल्य (ख)	**22,688**	**18,585**	**5,443**	**14,432**
बाजार मूल्य	**22,206**	**18,743**	**5,450**	**14,716**

देखें टिप्पण संख्या-24.05

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 12: निवेश	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022	2023	2022
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
ग. समनुषंगियों की साम्या लिखतों में निवेश (पूर्णरूपेण समादत्त)				
i. आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान 100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 सामान्य शेयर	**1,000**	1,000	**-**	-
ii. आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन निवेश 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 सामान्य शेयर	**10**	10	**-**	-
iii भारत के सामाजिक लेखापरीक्षक संस्थान में निवेश 100 रुपए प्रत्येक के 1,99,990 सामान्य शेयर	**200**	-	-	-
बही मूल्य (ग)	**1,210**	**1,010**	**-**	**-**
योग (क+ख+ग)	**1,93,975**	**1,84,307**	**5,443**	**14,432**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : # 13 अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022	2023	2022
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
बैंकों में सावधि निक्षेप	**5,980**	5,806	**39,110**	38,627
योग	**5,980**	**5,806**	**39,110**	**38,627**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 14 ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माने गए)	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022	2023	2022
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क) प्रतिभूति निक्षेप	**88**	71	**392**	385
ख) स्रोत पर कर कटौती	**-**	2,028	**1,489**	-

ग) इनपुट कर प्रत्यय	-	-	3,093	1,951
घ) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी	-	-	341	277
ङ) अन्य ऋण और अग्रिम				
i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	1,608	1,431	-	-
ii) अन्य प्राप्य	-	244	3,385	1,811
घटाएं : संदेहास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	-	(681)	(73)
योग	1,696	3,774	8,019	4,351

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022	2023	2022
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क) प्रोदभूत ब्याज				
i) बैंकों के साथ सावधि जमा पर	-	-	691	574
ii) निवेशों पर	-	4,821	9,557	3,370
iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	309	260	-	-
ख) पूर्व संदत्त व्यय	14	15	841	785
योग	323	5,096	11,089	4,729

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर)	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022
क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	995	1,045
घटाएं : अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	(249)	(294)
ख) लेखन सामग्रियां और भंडार	46	50
योग	792	801

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 17 : नकद और नकद समतुल्य	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022
क) हाथ में नकदी	21	22
ख) बैंकों में बचत और चालू खातों में अतिशेष	8,554	7,020
ग) ऐसे सावधि निक्षेप, जिनकी परिपक्वता में तीन मास से कम समय है	3,000	4,000
योग	11,575	11,042

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 18 : फीसें	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2023	2022

क)	दूरस्थ शिक्षा	**30,483**	28,655
ख)	छात्र पंजीकरण	**818**	765
	घटाएं:-सीएएसबीएफ में योगदान टिप्पण 2.12(च) देखें	**-**	(189)
ग)	कक्षा प्रशिक्षण	**10,423**	8,567
घ)	कोचिंग	**822**	590
ङ)	परीक्षा	**16,171**	15,942
च)	सदस्यता	**13,952**	13,267
	घटाएं :- ई-जर्नल पर बट्टा	**(1,651)**	(1,397)
छ)	प्रवेश और दाखिला फीस : देखें टिप्पण संख्या 2.11 (v)(ख)	**743**	164
ज)	अर्हतापश्च पाठयक्रम	**291**	458
झ)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम	**737**	820
	योग	**72,789**	**67,642**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 19: संगोष्ठी आय		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2023	**2022**
क)	सदस्य	**5,355**	1,534
ख)	छात्र	**503**	212
ग)	अन्य	**1,450**	573
	योग	**7,308**	**2,319**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 20 : अन्य आय		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2023	**2022**
क)	ब्याज आय		
	i. अन्य निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर	**2,332**	2,085
	ii. निवेशों से	**6,942**	6,308
	iii. उद्दिष्ट निधियों में धारित निवेशों से	**7,993**	7,296
	iv. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	**88**	73
ख)	प्रकाशनों का विक्रय	**914**	1,055
ग)	न्यूजलेटर	**22**	112
घ)	जर्नल अभिदाय	**35**	36
ङ)	कैम्पस साक्षात्कार	**1,466**	1,359
च)	विशेषज्ञ सलाहकार फीस	**58**	61
छ)	अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	**4,342**	22

ज)	प्रकीर्ण आय	1,534	355
झ)	आय समर्थन सेवाएं	20,303	6,149
	घटाएं :- व्यय समर्थन सेवाएं	(20,303)	(6,149)
ञ)	पूर्वाविधि आय	165	91
	योग	**25,891**	**18,853**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 21: संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2023	**2022**
क)	सदस्य	8,000	1,969
ख)	छात्र	1,971	535
ग)	छात्र क्रियाकलाप व्यय	102	89
	योग	**10,073**	**2,593**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 22 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2023	**2022**
क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	14,046	13,885
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	1,441	885
ग) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	181	143
योग	**15,668**	**14,913**

(रुपए लाख में)

(टिप्पण # 23 : अन्य व्यय		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2023	**2022**
क)	डाक और टेलीफोन	3,060	2,962
ख)	किराया, दरें और कर	7,064	7,078
ग)	घरेलू यात्रा	1,952	854
घ)	विदेशों से संबद्ध व्यय		
	i) विदेश यात्रा	203	26
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	775	691
	iii) अन्य	168	70
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	4,210	3,144
च)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	4,227	2,649
छ)	कोचिंग कक्षा व्यय	64	81
ज)	विज्ञापन और प्रचार	635	265
झ)	बैठक व्यय	688	156
ञ)	योग्यता छात्रवृत्ति	196	128
ट)	संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय	16	15
	अन्य कार्यालय	78	60

ठ)	उद्दिष्ट निधियों से संदाय	**515**	417
ड)	व्ययों पर जीएसटी	**1,196**	1,299
ढ)	संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	**634**	38
ण)	अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	**249**	294
त)	पूर्वावधि व्यय	**78**	373
थ)	निर्वाचन व्यय	**183**	1,017
द)	अन्य अस्तित्वों के व्यय	**215**	193
ध)	सीएएसबीएफ को संदान टिप्पण 2.12(च) देखें	**201**	-
न)	बैंक की कमीशन	**272**	221
प)	प्रकीर्ण व्यय	**1,101**	722
	योग	**27,980**	**22,753**

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

24.01 **आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :**

क. आकस्मिक दायित्व	**(रुपए लाख में)** **2022-23**	**2021-22**
i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	**987**	**2,084**

ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में, संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुई । संस्थान की यह राय है कि वह सेवाकर का दायी नहीं है और उसने अप्रैल, 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3957/2019 फाइल की । अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्चि ने अक्तूबर, 2019 में पूर्वोक्त रिट याचिका में प्रति शपथपत्र फाइल किया था और उसके विरुद्ध संस्थान ने दिसंबर, 2019 में प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया था । कोविड 19 महामारी के कारण यह मामला न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगित हुआ और उसके पश्चात् जुलाई, 2022 में इसकी सुनवाई की गई, जिसके दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिए कि प्रत्यर्थी को चार सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र और उसके पश्चात् प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया जाना चाहिए तथा अगली सुनवाई 1 नवंबर, 2023 के लिए नियत की गई है ।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं : **(रुपए लाख में)**

	2022-23	**2021-22**
पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	**8,506**	**7,560**

24.02 **टिप्पण # 14** दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं ।

अपील संख्या 39/2014 में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे ने अपने तारीख 3 जुलाई, 2023 के निर्णय द्वारा तारीख 3 अगस्त, 2012 के अनुपूरक विक्रय करार, जिसे तारीख 17 सितंबर, 2012 को रजिस्ट्रीकृत किया गया, पर स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के मद्दे 46.75 लाख रुपए के पूर्ण प्रतिदाय का आदेश दिया है ।

इसके अतिरिक्त, अपील संख्या 38/2014 में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे ने उसी तारीख, अर्थात् तारीख 3 जुलाई, 2023 के एक अन्य निर्णय द्वारा 152.66 लाख रुपए की राशि के स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय को मुंजूर किया है । तथापि, 44.34 लाख रुपए के दावे को भूमि में पट्टा-धृति अधिकारों के समनुदेशन के विरुद्ध

हकदारी न होने के कारण नामंजूर कर दिया गया था । अत:, कुल 199.41 लाख रुपए की रकम का प्रतिदाय करने का आदेश दिया गया है ।

विधिक विभाग की राय के आधार पर, प्रबंधमंडल का यह मत है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि संस्थान 44.34 लाख रुपए की शेष रकम की वसूली कर लेगा । तद्नुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि 44.34 लाख रुपए की नामंजूर की गई रकम का उस पर ब्याज सहित दावा बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल करके किया जाए ।

24.03 संस्थान ने, "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट एक परियोजना को आरंभ करके अपने संपूर्ण गतिविधियों के अंकीयकरण के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ किया । इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है । 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है ।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार अंकीयकरण का विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने संविदा को रद्द कर दिया था और जून, 2015 मास में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याह्वान और नकदीकरण किया था तथा 572 लाख रुपए की शेष रकम को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया था ।

विक्रेता ने फरवरी, 2017 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा संस्थान से 807 लाख रुपए के संदाय की अपेक्षा की गई थी, जिसके अंतर्गत नकदीकरण की गई बैंक गारंटी की रकम भी सम्मिलित थी, जिसे संस्थान द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और सेवा प्रदाता के साथ करार को समाप्त कर दिया गया । संविदा को समाप्त करने के पश्चात् से विक्रेता से किसी प्रकार की कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान ने विक्रेता को तारीख 31.10.2018 की एक विधिक सूचना भेजी है, जिसमें उससे, परियोजना का निष्पादन न किए जाने के मद्दे संस्थान को हुई हानि के प्रति लागू ब्याज सहित 2140.79 लाख रुपए की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी । विक्रेता ने अपने तारीख 20.03.2019 के प्रत्युत्तर द्वारा यह दावा किया है कि संस्थान का दावा समय द्वारा वर्जित है । विधिक सलाहकार से प्राप्त हुई राय विचाराधीन है ।

आईसीएआई के पास आगे और कार्रवाई करने के लिए कोई मामला नहीं है क्योंकि दोनों पक्षकारों के दावे और प्रतिदावे परिसीमा विधि के कारण समय द्वारा वर्जित हैं । तदनुसार, 40.50 लाख रुपए के उपबंध, जो अब अपेक्षित नहीं है, को वापस लेखा बहियों में सम्मिलित किया जा रहा है।

24.04 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और संबद्ध उद्दिष्ट निवेशों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुन: संरचित किया जा सके, जो अभी जारी है।

24.05 शासकीय प्रतिभूतियों में कोट किए गए निवेशों को दीर्घकाल हेतु किया गया है । इन बंधपत्रों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर ऊपर-नीचे होता है और चूंकि संस्थान का आशय दीर्घकाल तक इन प्रतिभूतियों को धारण करने का है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के मूल्य में इनकी लागत के प्रति अस्थायी कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि दीर्घकाल में इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनकी लागत से अधिक होगा ।

24.06 आस्तियों और दायित्वों से संबंधित अंत: यूनिट लेखाओं की दशा में, असुमेलित अंतर का योग नामे में 437 लाख रुपए तथा जमा में 396 लाख रुपए है । 41 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को अन्य दायित्वों में 'अंत: शाखा के लिए प्रावधान' के अधीन सम्मिलित किया गया है ।

24.07 अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है ।

24.08 शाखा मानव संसाधन स्कीम (बीएचआरएस), 2022 को तैयार किया गया और उसे 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी बनाया गया । पात्र शाखा कर्मचारियों के मद्दे अनुमोदित सेवानिवृत्ति फायदों के बदले प्रतिपूर्ति की कुल रकम की गणना 2317 लाख रुपए के रूप में की गई है, जिसमें से 31.03.2023 को यथाविद्यमान 564 लाख रुपए के अतिशेष के साथ उत्तरोत्तर समाधान किए जा रहे हैं ।

तद्नुसार, 3283 लाख रुपए के प्रावधान की अतिशेष रकम, जो अब अपेक्षित नहीं है, को वापस लेखाबहियों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

बीएचआरएस, 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार भविष्य निधि अभिदाय की, 139.56 लाख रुपए के ब्याज के साथ अद्यतन रकम का उपयोग पात्र शाखा कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिपूर्ति का संदाय करने के लिए किया गया है ।

24.09 अपात्र इनपुट कर प्रत्यय, छूट प्राप्त प्रदायों के कारण उदभूत इनपुट प्रत्यय को 'जीएसटी संबंधी व्ययों' शीर्ष के अधीन आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है ।

24.10 वर्ष के दौरान, छुट्टी नकदीकरण के शोध्यों का समाधान किया गया था । समाधान के लिए 388 लाख रुपए के उपदान की रकम की भी संगणना की गई है और 743 लाख रुपए के अतिशेष प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं है, को वापस लेखा बहियों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

24.11 वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए प्राक्कलनों के अनुसार, 2018-19 से 2020-21 तक के अधिशेष से 4500 लाख रुपए (प्रत्येक वर्ष 1500 लाख रुपए) की रकम का विनियोग नवंबर, 2022 में आयोजित की जाने वाली अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस के आयोजन संबंधी वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया था । इस संबंध में, व्यय की पूर्ति भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त फीस और प्रायोजन शुल्क से की गई, अत: पूर्व में विनियोजित 4500 लाख रुपए की रकम को अब साधारण आरक्षिती में अंतरित कर दिया गया है ।

24.12 कतिपय इकाईयों के लिए भूमि की पट्टा अवधि का अवसान हो गया है, जिसके नवीकरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं । सुसंगत प्राधिकारियों से अभिपुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् नवीकरण पट्टा प्रीमियम शोध्य हो जाएगा ।

24.13 संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(**iv**) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसलिए चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना अपेक्षित नहीं समझा गया है ।

24.14 वर्ष के दौरान, संस्थान ने सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस के दो-तिहाई भाग के विनियोग की पद्धति में परिवर्तन किया है और इसे अब आय और व्यय लेखा के माध्यम से किया जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप, आय में 534 लाख रुपए की वृद्धि हुई है और पूर्व वर्षों की तुलना में उस रकम का पारिणामिक विनियोग टिप्पण सं. 2.06(iv) के माध्यम से किया गया है ।

24.15 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन से संबंधित प्रक्रिया, जिसे पूर्व में आरंभ किया गया था, के भागरूप में संस्थान को प्रधान कार्यालय स्थित कतिपय विक्रेताओं से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी प्रास्थिति को सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रेता के रूप में दर्शित किया गया है ।

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार हैं :

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	2022-23	2021-22
1	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को **शोध्य मूलधन** और जो वर्ष के अंत पर असंदत्त रह गया है	1,125	1,410
2	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को **शोध्य ब्याज** और जो वर्ष के अंत पर असंदत्त रह गया है	0.84	0.40
3	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को **संदत्त मूलधन,** जो वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे विद्यमान था	407	213
4	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अधीन से भिन्न **संदत्त ब्याज,** जो वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे विद्यमान था	शून्य	शून्य
5	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अधीन **संदत्त ब्याज,** जो वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे विद्यमान था	शून्य	शून्य
6	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को पहले से किए गए संदायों के लिए **शोध्य और संदेय ब्याज**	0.84	0.40
7	**इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों के लिए शेष शोध्य और संदेय ब्याज**	शून्य	शून्य

शाखाओं और अन्य अवस्थानों पर विद्यमान विक्रेताओं के लिए, विक्रेताओं की पहचान आदि को स्थापित करने के लिए पहले ही उपाय आरंभ कर दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् शीघ्र ही उनका अनुपालन किया जाएगा।

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

25. कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 913 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 740 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

25.1 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	**बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान**				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	**4,250**	**4,480**	4,003	3,905
	ख. चालू सेवा लागत	**464**	**449**	429	279
	ग. ब्याज लागत	**292**	**284**	257	272
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(270)**	**(422)**	180	208
	ङ. संदत्त फायदे	**(390)**	**(541)**	(389)	(661)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यता	**4,346**	**4,250**	4,480	4,003

2.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,705**	**3,694**	4,171	3,513
	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**266**	**256**	268	303
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	**3**	**13**	6	(57)
	घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय	**224**	**141**	49	961
	ङ. संदत्त फायदे	**(421)**	**(399)**	(800)	(549)
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,777**	**3,705**	3,694	4,171
3.	**योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान**				
	क. बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	**4,346**	**4,250**	4,480	4,003
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,777**	**3,705**	3,694	4,171
	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	**(569)**	**(545)**	(786)	168

25.1 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे (जारी....)

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
4.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**464**	**449**	429	279
	ख. ब्याज लागत	**292**	**284**	257	272
	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**(266)**	**(256)**	(268)	(303)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(273)**	**(435)**	174	265
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**217**	**42**	592	513
5.	**निवेशों के ब्यौरे**	**निवेश का %**	**निवेश का %**	निवेश का %	निवेश का %
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	**100**	**100**	100	100
6.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.36%**	**7.20%**	6.75%	6.75%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	**7.37%**	**7.16%**	7.07%	7.80%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल/डीए : 10%**	**मूल/डीए : 10%**	मूल/डीए 10%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	**2%**	**2%**	2%	2%
	ङ नश्वरता सूची	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

25.2 सेवानिवृत्ति के बाद की योजना का विवरण

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**17,196**	**15,529**	14,840	12,363
	ख. ब्याज लागत	**1,221**	**1,027**	980	920
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(450)**	**1,304**	351	2,085
	घ. संदत्त फायदे	**(731)**	**(664)**	(642)	(528)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**17,236**	**17,196**	15,529	14,840

25.2 सेवानिवृत्ति के बाद की योजना का विवरण (जारी....)

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
2.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	क. वर्ष के प्रारम्भ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**	-	-
	ख. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	**73**	**-**	-	-
	ग. बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-**	**-**	-	-
	घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय	**15,600**	**-**	-	-
	ङ. संदत्त फायदे	**(184)**	**-**	-	-
	च. वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**15,489**	**-**	-	-
3.	**योजना आस्तियों और दायित्व के उचित मूल्य का समाधान**				
	क. दायित्व का वर्तमान मूल्य	**17,236**	**17,196**	15,529	14,840
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**15,489**	**-**	-	-
	ग. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम	**(1,747)**	**(17,196)**	(15,529)	(14,840)
4.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. ब्याज लागत	**1,221**	**1,027**	980	920
	ख. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	**(73)**	**-**	-	-
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(450)**	**1,304**	351	2,085
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**698**	**2,331**	1,331	3,005
5.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.41%**	**7.25%**	6.75%	7.60%
	ख. नश्वरता सूची	**एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा**	**एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा**	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा

25.3 कर्मचारी लाभ (जारी..)
छुट्टी नकदीकरण का विवरण

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**6,071**	**5,638**	5,535	5,104
	ख. चालू सेवा लागत	**390**	**403**	397	410
	ग. ब्याज लागत	**426**	**369**	366	374
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(248)**	**10**	(434)	39
	ङ संदत्त फायदे	**(283)**	**(349)**	(226)	(392)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**6,356**	**6,071**	5,638	5,535
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**6,356**	**6,071**	5,638	5,535
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	**(6,356)**	**(6,071)**	(5,638)	(5,535)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**390**	**403**	397	410
	ख. ब्याज लागत	**426**	**369**	366	374
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(248)**	**10**	(434)	39
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**568**	**782**	329	823
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.36%**	**7.20%**	6.75%	6.75%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल/डीए : 10%**	**मूल/डीए : 10%**	मूल/डीए : 10%	मूल 3%: डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	**2%**	**2%**	2%	2%
	घ. नश्वरता सूची	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

26. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम

1 जून, 2018 को या उसके पश्चात् नियोजित सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

27. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन" तक सीमित हैं और यह मुख्यत: भारत में प्रचालन करता है। अत:, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थांतगर्त एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

28. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: समूहित/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव अपर सचिव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा सचिव	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष	सीए. अनिकेत सुनील तलाटी अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में
कृते अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 003917एन
ह./-
सीए. अरुण कुमार अग्रवाल
सदस्यता सं. 082899
भागीदार
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 04 सितंबर, 2023

कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001135एन
ह./-
सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 072290
भागीदार

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./453/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

[Set up by an Act of Parliament]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

No.1-CA(5)/74/2023.—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31st March 2023 is hereby published for general information.

74th Annual Report

As the Country is celebrating its 75 years of Independence and Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of it's people, culture and achievements and is embarking on a new journey in the Amrit Kaal, ICAI is also contributing towards this ceremony to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0, fuelled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. The Institute of Chartered Accountants of India also celebrated its 75th Foundation day on 1st July 2023. The ICAI supports the theme of India's G20 Presidency – "Vasudhaiva Kutumbakam" or "One Earth – One Family – One Future". Also, for India, the G20 Presidency marks the beginning of "Amritkaal" the 25-year period beginning from the 75th anniversary of its independence on 15th August, 2022, leading up to the centenary of its independence, towards a futuristic, prosperous, inclusive and developed society making India Vishwa guru Bharat.

This emerging India is now becoming a driving force for global growth and the ICAI is always committed to contribute towards the economic development of India and it will continue to be the custodian of public interest and welfare as Partner in Nation Building. Today ICAI has achieved global recognition for maintaining highest standards in technical, ethical areas and for sustaining stringent education and examination standards. Chartered Accountants are indeed having been key pillars in the growth history of emerging India. The Profession has been making significant contribution to Indian Economy as a crusader of public interest which has been recognised and acknowledged by the entire stakeholders of community. The Council acclaims its members and students for the respect which the Chartered Accountancy profession commands today in the society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along. The Indian chartered accountants have succeeded in meeting the rapidly changing demands of Nation as a whole to achieve the dreams of 5 Trillion US Dollar Economy.

The Council of ICAI takes immense pleasure in presenting its 74th Annual Report for the year ended 31st March 2023. At the time of inception of the Institute on 1st July 1949 by an Act of Parliament, the Chartered Accountancy profession was founded with about 1,700 members. The Institute has reached at 3.8 lakhs members as on 31st March, 2023. This Report highlights the important activities of the Council and its various Committees during the year 2022-2023, besides the accounts of the Institute for the year ended on 31st March 2023. The Council acclaims its members and students for the respect, recognition, reputation which the Chartered Accountancy profession commands today in the society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along focussing on ethics, innovation, sustainability, technology leading to moving forward transforming the entire accountancy profession globally.

A summary of the key activities are presented below:

1. The World Congress of Accountants (WCOA) popularly known as the 'Olympics of Accountants' was successfully hosted by ICAI in partnership with the International Federation of Accountants (IFAC) from 18 - 21 November, 2022 at Jio World Convention Centre, Mumbai in hybrid mode. The event in hybrid mode was held for the first time in India in more than 118 years history of the Congress. India is the first country in South Asia to host this mega event. The event witnessed the participation of over 10000 delegates from 120 countries (including virtual participation) and this has been the highest number of participations coinciding with the 75 years of AKAM celebrations of India's Independence. This is one of the biggest events organised under AKAM celebration by any organisation.

2. Collaboration with the Government towards Ease of Doing Business through Digital Transformation and lending crucial support for MCA for Version 3 of MCA 21 Portal-MCA Support Project for Version 3 launch is a flagship initiative for the year 2022-23. This is a first of its kind project where ICAI is working closely with MCA, on a daily basis for enabling smooth transition and is helping MCA for providing User Acceptance Testing and Help and Engagement support for the MCA Portal Version 3 pertaining to LLP and Company Form Filings. Towards this, various actions have been undertaken such as organizing 5 Helpline for all working days, organized awareness seminars, Set up exclusive Google Form links, where the members can report their issues, organised Train the Trainer Event etc.

3. The ICAI has actively participated in the Swachh Bharat Abhiyan, aligning itself with the national movement to promote cleanliness and hygiene across the country, its offices, Regional offices, Branches and during various events and has actively participated in the Swachh Bharat Abhiyan, aligning itself with the National movement to promote cleanliness and hygiene across the country.

4. Atmanirbhar Bharat, which translates to 'self-reliant India' or 'self-sufficient India', is a policy formulated by Prime Minister of India for making India a self reliant nation. The aim is to make the country and its citizens independent and self-reliant in all senses. Five pillars of Aatma Nirbhar Bharat are Economy, Infrastructure, System, Vibrant Demography and Demand. Accordingly to educate people on basics of tax laws, accounting and various aspects of the financial system in India and the ways to manage personal finances, financial well-being and tax compliances with the goal of increasing compliance and reducing the knowledge gap in the society, the Institute launched a Financial and Tax Literacy Drive - Vitiya Gyan – ICAI Ka Abhiyaan. Under this programme, the ICAI is reaching out to various stratum of the society to encourage finance and tax literacy in 12 vernacular languages using different tools/ mediums to ensure the success of the program. With the Ministry of Corporate Affairs as a knowledge partner during 2022-23, completed 75 episodes of Live Tele–lecturing series on Gyandarshan Channel. Towards developing Aatmanirbhar Bharat, 100 facilitation centres for GST & MSME were also launched. Various Committees, Regional Councils, Branches, CPE Study Chapters and Circles etc. has organised various programmes for creating awareness among its members regarding MSME & Ease of doing business, IFSC, Gift City, SEZs etc. and for enhancing their knowledge in different areas related to the profession. ICAI is organizing Tax Clinics all across India through its 168 branches.Thereby the members of ICAI are also helping public at large by imparting their knowledge in establishing startups which contributes to achieve motto of AatmaNirbhar Bharat.

5. MSMEs empowerment is one of the key focus areas in ICAI and various initiatives are taken in this direction by the ICAI. MSME Yatra initiative by ICAI has been inducted in the prestigious India Book of Records. This feat was achieved, when ICAI conducted MSME programmes in maximum cities during nationwide 'ICAI MSME SETU' and 'ICAI MSME YATRA' campaigns covering 75 cities across 22 States of the nation in 75 days for promoting entrepreneurship as well as to boost job creation and develop the economy. The campaign was held from August 18, 2022 till November 18, 2022. ICAI recently got inducted into Asia Book of Records as well for its ICAI MSME Yatra and MSME SETU initiatives.

6. ICAI has taken several initiatives to promote the export of CA services globally such as signing of Mutual Recognition Agreements (MRAs) with various professional accounting bodies across the world, capacity building and skill development of its members through training programs, workshops, and seminars,e stablishing overseas chapters and representative offices, leveraging technology to provide online platforms and resources to facilitate the export of CA services. With continuous inputs for the bilateral trade agreements be it FTA, CEPA, EPTA and other Joint Trade Commissions, ICAI has been instrumental in promoting export of CA services in assisting in removal of artificial barriers for easier movements of accounting professionals including its initiatives for conducting overseas campus placement drive on annual basis.

7. ICAI has taken several initiatives to position India as a hub for accountancy and finance outsourcing. One of the key initiatives is the accounting outsourcing services portal which ICAI is planning to launch soon for attracting global clients. Additionally, ICAI has been in touch with IFSCA for notifying accounting , bookkeeping and taxation services under the head 'financial services' thereby attracting FDI to India and making India Accounting and finance hub.

8. Since September, 2019, the Institute, in order to encourage students from the newly formed Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh and from 8 North-Eastern States has exempted 75% registration fees at all level of CA Course i.e. Foundation, Intermediate and Final for the students registering from Union Territories and States. The said exemption was valid upto 31st March, 2022 and has been extended till 31st March, 2025. The Institute is also extending the same fee concession to the students registering from Andaman and Nicobar Islands as well from 1st April, 2022.

9. Taking forward India's economic growth story, the ICAI has become a prime partner with B20 dialogue which is under G20 Secretariat which reflects our commitment to support the Government in making India Vishwaguru Bharat.

10. The Institute conducts Investor Awareness Programmes under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to create awareness amongst the public at large and to ensure investors protection. More than 7500 Investor Awareness Programmes (IAP) have been organized till now.

11. For regulation and development of Social Auditors in an independent and transparent manner, ICAI incorporated "Institute of Social Auditors of India" (ISAI) as a Section 8 company.

12. ICAI is providing training to Govt. officials in the area of IND AS, GST, Taxation and Accounting.

13. ICAI is doing conversion of accounts of Indian Railways from single entry to double entry.

14. Over 200 seminars/ programmes in hybrid mode have been organised since September, 2021 propagating the message of AKAM and more programmes are in progress under the banner.

15. ICAI has always aimed to provide its women stakeholders an opportunity to express their professional potentials, the confidence to face their professional challenges and eventually bringing a sea change in the social fabric of our nation. As on date there are 1,04,398 women Chartered Accountants which account for more than 28.6% of the total member base (3,65,368) and also 3,39,020 female students which account for an impressive 42.86% of the total student base (7,90,974) while also achieving better results consistently

16. ICAI is assisting countries in capacity building and institutionalization of accountancy profession in different countries. In past, support has been provided to Nepal, Bhutan, Djibouti, Mongolia, CPA PNG etc.and currently has collaborative agreements with 15 accounting bodies worldwide in areas of joint programs, research, knowledge sharing activities etc.

17. The Institute is supporting the Government in implementation of accounting reforms in Government. In order to address the issue of lag in preparation of accounts and its audit in Local Bodies and to enable them to avail XVth Finance Commission grants, ICAI is supporting the office of C&AG to make available trained personnel in this arena.

18. ICAI has decided to develop a Vision 2049 so as to keep pace with the economic development of the country and also meet the demand of the stakeholders from ICAI. ICAI Vision 2049 would aim to chart a transformative path for the accounting profession and foster sustainable economic growth and seeks to establish a future where chartered accountants play a pivotal role in shaping financial systems, driving innovation, and upholding the highest standards of professional integrity.

19. ICAI, the largest Professional Accounting body worldwide, is actively engaged in effectively implementing the National Education Policy (NEP) 2020. The ICAI New Scheme of Education and Training was launched by Honourable President of India. Smt. Droupadi Murmu on 1st July, 2023. In its New Scheme of Education and Training, ICAI has introduced several features in line with the recommendations of NEP, 2020. Technology enabled learning and assessment for Self-paced Online Modules and MCQ dashboard for students for self-assessment are some of the significant features in harmony with NEP, 2020. The objective of ICAI's Scheme of Education and Training is to build "global ready" professionals by equipping aspiring chartered accountants with the requisite competencies through enriched learning methodologies, cogent and holistic skill assessment, effective and focused practical training, industry orientation and multi-disciplinary approach.

Index to the Report

S. No.	Particulars
1.	The Council
2.	Committees of the Council
3.	Auditors
4.	Standing Committees

4.1	Executive Committee
4.2	Finance Committee
4.3	Examination Committee
5.	Disciplinary Directorate
6.	Technical and Professional Development
6.1	Accounting Standards Board
6.2	Auditing and Assurance Standards Board
6.3	Committee for Members in Practice
6.4	Continuing Professional Education Committee
6.5	Corporate Laws and Corporate Governance Committee
6.6	Direct Taxes Committee
6.7	Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory
6.8	Digital Accounting and Assurance Board
6.9	Ethical Standards Board
6.10	Expert Advisory Committee
6.11	Financial Reporting Review Board
6.12	GST and Indirect Taxes Committee
6.13	Board of Internal Audit and Management Accounting
6.14	Committee on International Taxation
6.15	Committee for Members in Industry and Business
6.16	Peer Review Board
6.17	Professional Development Committee
6.18	Committee on Public and Government Financial Management
6.19	Public Relations Committee
6.20	Research Committee
6.21	Sustainability Reporting Standards Board
6.22	Committee on Financial Markets and Investors' Protection
6.23	Audit Committee
6.24	Digital Re-Engineering and Transformation Committee
6.25	Management Committee
6.26	Valuation Standards Board
6.27	Taxation Audits Quality Review Board
6.28	Committee on Insolvency and Bankruptcy Code
6.29	Women Members Empowerment Committee
6.30	Committee on MSME & Start-up
7.	Committee for Development of International Trade, Services and WTO
8	Activities by Other Non Standing Committees
8.1	Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services
8.2	Legal Directorate
8.3	Infrastructure Development Committee
8.4	International Affairs Committee
8.5	Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee

8.6	UDIN Directorate
8.7	Publication & CDS Directorate
8.8	Centre for Audit Quality Directorate
8.9	Estate Development Directorae
8.10	Tender Monitoring Directorate
8.11	Right to Information Act, 2005
8.12	XBRL
8.13	ICAI- Accounting Research Foundation
8.14	ICAI Registered Valuers Organisation
8.15	Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI
8.16	The Institute of Social Auditors of India
8.17	Quality Review Board
9.	Other Matters
9.1	Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2022
9.2	Central Council Library
9.3	Editorial Board
10.	Members
10.1	Membership
10.2	Convocation 2022-23
10.3	Chartered Accountants' Benevolent Fund
10.4	S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund
10.5	Chartered Accountants Student's Benevolent Fund
11	Board of Studies
11.1	Board of Studies (Academic)
11.2	Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations)
12.	Committee on Career Counselling
13.	Regional Councils and their Branches (RBA Directorate)
14.	Finance and Accounts
15.	Appreciation
	Composition of the Council (2023-2024)
	Audited Annual Accounts

1. THE COUNCIL

The Twenty-Fifth Council was constituted on 12th February 2022. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Composition of the 25th Council is disclosed separately. 10 Council meetings were held during duing financial year 2022-23.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 constitutes every year on 12th February; various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to regulate and develop the profession of Chartered Accountancy. During the financial year ended 31st March 2023, 416 meetings of the said Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups were held.

3. AUDITORS

M/s Arun K Agarwal & Associates & M/s S. K. Mittal & Co were the joint auditors of the Institute for the financial year 2022-23 appointed from the panel maintained by Comptroller and Auditor General of India. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

The Council of ICAI has the following Standing Committees:

4.1 Executive Committee

4.2 Finance Committee

4.3 Examination Committtee

4.1 Executive Committee

The functions of this Committee include matters relating to articled and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices. The Executive Committee met 9 times during the year.

4.2 Finance Committee

This Finance Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both Revenue and Capital Nature. The Finance Committee met 5 times during the year.

4.3 Examination Committee

All functions of the Council of ICAI relating to the Examination are being performed by the Examination Committee. The Committee conducted the Chartered Accountancy Exams through out the Country as well as aborad in flawless manner. The details of the examinations are given below:

(I) Examination

May/June 2022

Examinations for, Intermediate, Final Course and International Taxation Assessment Test (INTT-AT) under Post Qualification Course were smoothly conducted all over the country and abroad in 572 centres with social distancing norms and following the Covid Guidelines from 14th May 2022 to 30th May 2022 and Foundation exam was held on 24th, 26th, 28th and 30th June 2022. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, and Final Examination and passed, were as follows:

	Appeared and Passed Group I only		Appeared and Passed Group II only		Appeared and Passed Both Groups	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate	80605	10717	63777	7943	24475	1337
Final	66575	14643	63253	13877	29348	3695

November 2022

Examinations for, Intermediate, and Final Course were smoothly conducted all over the country and abroad in 553 centres with social distancing norms and following the Covid Guidelines from 1st November 2022 to 17th November 2022 and Foundation exam along with International Taxation Assessment Test (INTT-AT) and Insurance and Risk Management Technical Examination (IRM) under Post Qualification Course was held on 14th, 16th, 18th and 20th December 2022. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate and Final Examination and passed, were as follows:

	Appeared and Passed Group I only		Appeared and Passed Group II only		Appeared and Passed Both Groups	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate	100265	21244	79292	19380	37428	4759
Final	65291	13969	64775	12053	29242	3243

	Appeared	Passed
Foundation Examination, June 2022	93729	23693
Foundation Examination, December 2022	126015	36864

Information Systems Audit Assessment Test (ISA -AT) for post qualification course was held successfully in July and December 2022 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations

and passed, were as follows:

	Appeared	Passed
ISA – AT, January 2022 (Old Course)	2465	1203
ISA – AT, January 2022 (New Course)	1182	247
ISA – AT, July 2022 (Old Course)	2643	378
ISA – AT, July 2022 (New Course)	1998	166
ISA – AT, December 2022 (Old Course)	2106	57
ISA – AT, December 2022 (New Course)	1880	267

Insurance and Risk Management Technical Examination was held successfully in November 2022 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

	Appeared	Passed
IRM – Technical Examination, November, 2022	30	1

The International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members was held successfully in May and November 2022. The total numbers of candidates, who appeared and passed in this examination, were as follows:

	Appeared	Passed
INTT – AT held in May 2022	184	27
INTT – AT held in November 2022	203	27

OPEN BOOK METHOD EXAMS FOR INTERNATIONAL TAXATION ASSESSMENT TEST (INTT AT) UNDER POST QUALIFICATION COURSE:

W.e.f. November 2022, International Taxation Assessment Test (INTT – AT) of Post Qualification Course Examination is of 4 hours which is held on open book methodology. In this regard, it was decided as follows:

- Under the Open Book Method for International Taxation (INTT -AT) exam, Candidates are permitted to bring their own material to the exam hall and consult them for answering the questions in the exam. Such material may include study materials, practice manuals, revisionary test papers supplied by ICAI, textbooks, bare Acts, notes by students or any other reference material.
- Candidates are not permitted to bring mobile phones, I pads, or any other electronic devices into the exam hall.
- Exchange of any material amongst candidates are not permitted inside the examination hall/room.

During the year Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS) were successfully conducted as per details given below:

AICITSS-AITT Date	No of Examination Centres	No of Places (cities) where Examination Centre were set up	No. of candidates appeared	No. of candidates passed
25-Feb-22	99	81	6802	6681
20-Mar-22	80	76	3933	3911
23-Apr-22	84	77	4515	4401
22-Jul-22	105	83	8098	8088
27-Aug-22	83	80	3804	3769
24-Sep-22	74	73	2912	2898
24-Dec-22	71	71	1933	1919
21-Jan-23	73	72	3165	3153
25-Feb-23	81	78	3907	3902
25-March-23	95	89	6021	6007

NUMBER OF EXAMINATION CENTRES WHERE CHARTERED ACCOUNTANT EXAMINATIONS WERE CONDUCTED DURING 2022 - 2023 IN INDIA AND ABROAD.

Examinations	May / June 2022	November / December 2022
Foundation Course	508	541
Main i.e., Final & Intermediate	572	553
Post Qualification Course – International Taxation – Assessment Test	118	118
Post Qualification Course – Insurance and Risk Management (IRM)	-	59
Post Qualification Course – Information System Audit – Assessment Test	73	114

STATISTICS OF STUDENTS ADMITTED IN THE EXAMINATIONS OF THE INSTITUTE HELD IN THE YEAR 2022

Examinations	May / June 2022	November / December 2022
Foundation Course	104427	136020
Intermediate	151817	176818
Final	118771	121068
Post Qualification Course – International Taxation – Assessment Test	403	438
Post Qualification Course – Insurance and Risk Management (IRM)	NA	93
Post Qualification Course – Information System Audit – Assessment Test	6005	4883

The Institute has continuously been improving its Examination Process right from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system, which is well known for around more than seven decades, are maintained and further strengthened and developed.The Institute's examinations test, the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession. By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, Institute's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

(II) INTEGERATION OF ICAI EXAMINATION APPLICATION FORMS WITH SELF SERVICE PORTAL (SSP):-

In order to facilitate the students, the ICAI Examination Application Forms is integrated with Self Service Portal (SSP) from the other standalone portal. The integration was done from CA November 2022 examinations. The integration enables the students to effortlessly fill the CA exam forms at Self Service Portal (SSP) where student details i.e photograph, signature, exemption etc are auto filled and it helps in establishment of eligibility of student to appear for the exam (as per ICAI eligibility criteria for exams) at form filling stage itself. Apart from applying for the exam, student can change his city/group/medium of examination (via Correction window) and can download his/her admit card for the exams as these activities are also integrated in the Self Service Portal (SSP).

(III) SPECIAL EXAM UNDER MRA / MoU: -

The Chartered Accountant Special Examination for Members of Institutions with whom ICAI had entered into Mutual Recognition Agreement (MRAs) / Memorandum of Understanding (MOUs) was held smoothly from June 13^{th} to 15^{th}, 2022.

(IV) WEB-INTERFACE ON STUDENTS EXAM LIFE CYCLE MANAGEMENT: -

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password, can access various examination related services, including application for duplicate marksheets / pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc. from exam to exam.

(V) NEW FORMAT OF ANSWER BOOKS FOR STUDENTS: -

Replacement of award cage on the cover sheet of the answer books with OMR fields capturing correct option of

the MCQs in all the paper of CA Examinations w.e.f. December 2021 and continued in May/June and November/December 2022 for convenience of the students and other stakeholders.

(VI) DIGITAL MARKING/DIGITAL EVALUATION: -

Continuing on the path of 100% Digitalization approx. 30.65 lakh answer books were digitally evaluated in the year 2022-2023. Complete Digitization of evaluation is helping the Institute in faster evaluation, error-free result and as well as ease and convenience for examiners.

(VII) DIGITAL WORKSHOP/WEBCAST FOR EXAMINERS: -

Continuing on the path of conducting examiners workshop in Digital Mode, Approx 9000 examiners attended Digital Workshop in the year 2022-2023. Digital Workshops are resulting in huge cost savings as well as ease and convenience for examiners helping them to attend the Workshops from their place of living who otherwise had to travel from long distances to attend the physical workshop. Programme(s) for enhancing the quality & consistency of evaluation of answer books through webcast for examiners were successfully conducted for May / June 2022 and November / December 2022 Examinations. This initiative is expected to go a long way in improving the quality of evaluation.

(VIII) ELIGIBILITY TEST FOR EXISTING AND NEW EXAMINERS: -

Eligibility test were conducted for existing examiners whereby only those existing examiners are allotted examinership assignment who pass the mandatory eligibility test. Similarly new applicants have to pass the mandatory eligibility test who want to empanel as an examiner. A large exercise was carried out in year 2022-23 to empanel large number of new examiners as well as to renew the examinership of those examiners whose 3 years validity period was getting completed. As a result of this exercise approx. 2210 new and existing examiners passed the test and became part of examiners panel.

(IX) WEBCAST FOR EXAMINATION FUNCTIONARIES/WEBCAST FOR CENTRES & OBSERVERS:-

Webcast on guidelines for observers, examination centres, Bank of Baroda, Examination Co-ordinators were successfully done for May/ June 2022 and November / December 2022 Examinations.

(X) OPENING OF NEW EXAMINATION CENTERS

Recognizing the hardship of the students and in view of the ongoing COVID-19 pandemic and in the interest of the well - being of students & members and to mitigate their hardships, as a proactive measure for the benefit and welfare of the students & members, Institute has opened additional examination center at Thimpu (Bhutan) w.e.f. June 2022 Examinations.

(XI) OBSERVER WEB PORTAL & MOBILE APP (ANDROID/IOS)

A web portal http://observers.icaiexam.icai.org for facilitating all activities relating to Observers, appointed in examination centres, including registration, hosting of details of assignments allotted, submission of acceptance letters/daily reports/claims for honorarium etc., development of Observer Portal and Mobile App was put in place. Introduction of Mobile app became very helpful in ensuring collection of sealed packets of correct code meant for the day.

(XII) CENTRE WEB PORTAL

A web portal http://centres.icaiexam.icai.org was put in place for capturing of absentee data online, on the day of the exam, on a daily basis.

(XIII) ONLINE EXAMINATION APPLICATION FORM FOR PQC EXAMS:

For appearing in the Post Qualification Course Examinations i.e. International Taxation – Assessment Test (INTT – AT) and Insurance and Risk Management (IRM) Technical Examination (which is open to the members of the Institute), the members are applying on-line at pqc.icaiexam.icai.org by remitting examination fee on-line by using VISA or MASTER or MAESTRO Credit / Debit Card / Rupay Card / Net Banking / Bhim UPI.

(XIV) GUIDELINES TO EXAMINATION CENTRES/EXAMINEES RELATED TO COVID - 19

The advisory was issued to Examination Centers and Examinees to ensure strict adherence of directions of the Government of India among all the examination functionaries at all the time. Due to Covid 19 pandemic, candidates were permitted to enter the examination premises at 1 PM onwards and allowed to leave the examination hall at 4 PM onwards. In November/December 2022 Examinations candidates were allowed to leave the Examination Hall only after conclusion of the Examination.

5. Disciplinary Directorate

The Disciplinary Directorate investigates into matters of Professional and/or Other Misconduct alleged against members, received either in the form of a Formal Complaint or through the ― Information route as provided under the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases), Rules, 2007.

Under the disciplinary mechanism, a mandatory duty has been cast upon the Disciplinary Directorate of ICAI to look into any alleged lapses/irregularities committed by its members so that not only the stakeholdersand public at large continue to repose its trust on the profession but also provide a yardstick of acceptable professional conduct to the members of the profession at large. While, most of the members of the profession are providing selflessdedicated services through their professional expertise and experience to the society and world at large, yet through itsrobust Disciplinary mechanism there is a constant need to caution and to correct the negligible few who inadvertently fall on the wrong side of the law.

The disciplinary mechanism functions through its two quasi-judicial arms constituted as per the provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 namely:

- Board of Discipline and
- Disciplinary Committee

The disciplinary mechanism and the processes involved are designed in such a manner which ensures transparency and thereby, enhances the confidence of the stakeholders and the public at large and at the same time, provides fair and equitable justice to the members charged with allegations of Professional and/or Other Misconduct.

In order to further strengthen the accountability of the practitioners and firms and to ensure that justice is delivered in a reasonable span of time, the Chartered Accountants Act, 1949 has been amended in 2022. Although, the date with effect from which the disciplinary provisions shall be applicable is yet to be notified, yet, steps have already been initiated to ensure that public accountability and speedier disposal of justice as envisaged in the amended Act are put into place. The draft rules pertaining to disciplinary mechanism and Regulations arising out of the Chartered Accountants, Cost & Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022 have been submitted to the Ministry on 4th July, 2022.

During the current Council year, four Benches of the Disciplinary Committee i.e. Bench I, Bench II, Bench III and Bench IV and one Bench of the Board of Discipline were constituted to have an expeditious disposal of cases under enquiry apart from the consideration of the Prima Facie Opinion formed by the Director (Discipline). In addition, the Disciplinary Committee under Section 21D headed by the President, ICAI was also constituted to look into any residual old cases that are/may be referred back.

(I) SALIENT INITIATIVES/ACHIEVEMENTS

- Successful conduct of E-hearings with the effective participation of the members of the Board of Discipline/ Disciplinary Committee. It has acted as a boon as besides being time and cost-effective, it has ensured that parties to the case appear before the Board of Discipline/Disciplinary Committee without having to worry about the travel costs. The effectiveness of e- hearing is clearly reflected in the volume of cases that has been disposed of in the meetings of the Board of Discipline and Disciplinary Committee as stated in subsequent paras.

- The details of disciplinary cases decided by the Board of Discipline/Disciplinary Committee as well as the Cause list of cases amongst other things are also being hosted on the dedicated web portal of Disciplinary Directorate so as to create more awareness amongst various stakeholders and to provide a one stop point for dissemination of information pertinent to the Disciplinary Directorate.

- For digitisation of the records of Disciplinary Directorate, the scanning of the physical records of the Disciplinary Directorate is already in place leading to provide access to even old disciplinary records.

- As on date, all residual cases under old Disciplinary mechanism (under Section 21D) stands heard and concluded by the Disciplinary Committee. Recently, Hon'ble Madras High Court vacated the stay in a matter pending under Section 21(4) for award of punishment.

(II) BOARD OF DISCIPLINE

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered AccountantsAct, 1949 so as to look into matters of Professional and Other Misconduct by members falling under First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT Guilty of any misconduct by Director (Discipline). During the period (i.e. 1st April, 2022 to 30th June, 2023), the Board of Discipline held 78 meetings at various places including meetings through physical/video conference. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 98 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

Sl. No.	Particulars	No. of Cases
a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	78
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	456
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years)	98
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years.	36

(III) Disciplinary Committee

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of Professional Misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule or both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949. During the period (i.e. 1st April, 2022 to 30th June, 2023), Disciplinary Committee (all benches) held 84 meetings including meetings through physical/video conference. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 129 cases, which included cases referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

Sl. No.	Particulars	No. of Cases
a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	84
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	252
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	129
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	118

(IV) Disciplinary Committee under Section 21D

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21D]

Since all the residual cases were already heard and concluded by the Disciplinary Committee in 2018, during the period under review, no meeting of this Committee was held. During the aforesaid period, no report of the Disciplinary Committee was pending for consideration before the Council. Further, in respect of misconduct falling under First Schedule, an order has been passed by the Council after providing an opportunity of hearing (could not be taken earlier due to stay in the matter) to the Respondent under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949 (unamended).

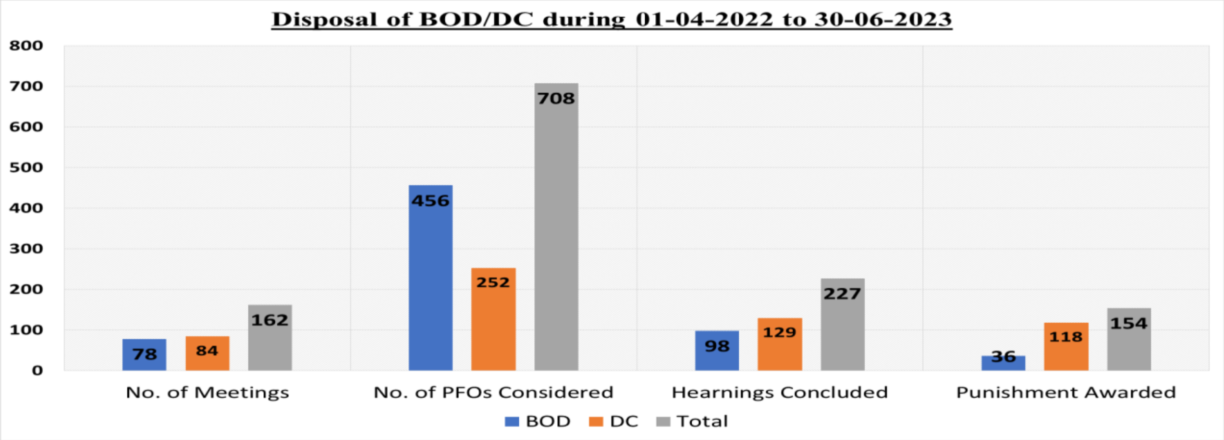

6. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

6.1 Accounting Standards Board (ASB)

The Accounting Standards Board (ASB) was constituted by the ICAI in 1977 with a view to formulate Accounting Standards to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system and to harmonise the diverse accounting policies and practices in India. The ASB, since its inception, has been constantly working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Standards in line with the International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB with a view to provide guidance on the uniform applications of the Accounting Standards in increasingly complex business environment, changing economic confitions and regulatory requirements, also issues various guidance materials from time to time. ICAI through ASB formulates Accounting Standards for Companies as per Section 133 of the Companies Act, 2013. The ICAI also formulates and issues Accounting Standards applicable for noncompany entities.

The following are the major activities undertaken by the Accounting Standards Board (ASB) during the period under Report:

(I) Financial Reporting Standards:

- **Amendments to Ind AS** - Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules, 2022, notified by the MCA on March 23, 2023, as recommended by ICAI under section 133 of the Companies Act, 2013, has been notified by the MCA.
- Recommendations on the Accounting Standards for Limited Liability Partnerships (LLPs) recommended to National Financial Reporting Authority.
- Continued its efforts to revise the existing Accounting Standards and in this regard Revised AS 108, *Segment Reporting* and AS 113, *Fair Value Measurement* submitted to National Financial Reporting Authority. With this, 30 standards out of 32 standards under revised set of AS have been completed.
- As a part of Ind AS Implementation initiatives, Education Materials on Ind AS 34, *Interim Financial Reporting* and Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates* were released. Also, fourteen (14) batches of online course of Certificate Course on Ind AS have been conducted through the Digital Learning Hub (DLH) platform of ICAI.

(II) International initiatives: Forging long lasting partnership

- Submission of Comments on the various consultative documents (Exposure Drafts/Discussion Papers/Tentative Agenda Decisions) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and IFRS (IC).
- Participation at the 14th Annual AOSSG meeting virtually on November 15-16, 2022. Deliberations were held on various Technical sessions.
- Participation by ICAI representatives attended Emerging Economies Group (EEG) meetings, IFASS meetings and World Standards Setters (WSS) conference held during the year.

(III) Building robust relationship with Regulatory Bodies:

- Submission of views on the various accounting issues referred by various Regulators (such as, Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India) and, wherever felt appropriate, various accounting issues were taken up with the relevant Regulators.

(IV) Conduct of various webcasts/webinars/outreach meetings to create awareness and dissemination necessary

knowledge on Accounting Standards and Ind AS formulated by the ASB.

(V) Other Initiatives:

- *Accounting Standards Day* was celebrated on 21st April 2023 at New Delhi to propagate the use and importance of Accounting Standards & financial statements on growth of the nation and its impact on GST, Income tax and on financial statements as a whole.
- A Twitter handle launched to share with members the latest developments on Accounting aspects and knowledge dissemination activities.
- A comprehensive version of Ind AS in 'Hindi' has been made available on the websites of ICAI and ASB for supporting initiative of Government of India for progressive use of Hindi language.
- HTML pages of Accounting Standards/Indian Accounting Standards created with the Facility of hyperlinking for quick reference to other relevant sections of Standards to help the readers in ease of reference to other relevant provisions of Standards without losing track of the main content.
- Short videos on *Role of Accounting Standards and Financial Statements* to highlight the importance of preparation of financial statements complying with relevant Accounting Standards and *How to Read Financial Statements* (in Hindi and English) were prepared.
- An Accounting Quiz was organised by the Accounting Standards Board jointly with Expert Advisory Committee at World Congress of Accountants 2022 held on November 18-21, 2022, at Mumbai for creating awareness and knowledge dissemination on accounting.
- The Accounting Quiz created as an educational tool to simplify accounting & finance topics, so that stakeholders can learn and propel their understanding on the same.
- All the Publications of the ASB and video lectures on AS and Ind AS have been uploaded on Digital learning Hub.

(VI) Publications released

- Compendium of Indian Accounting Standards 2023
- E-version of Ind AS Guidance Material
- Indian Accounting Standards (Ind AS): Disclosures Checklist (Revised November, 2022)
- Ind AS: An Overview (2023)
- Accounting Standards (AS): Disclosures Checklist (Revised October, 2022)
- Technical Guide on Financial Statements of Limited Liability Partnerships
- Technical Guide on Financial Statements of Non-Corporate Entities
- Technical Guide on Accounting for Not-for-Profit Organisations (NPOs).
- Educational Material on Ind AS 34, *Interim Financial Reporting*
- Educational Material on Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*

6.2 Auditing and Assurance Standards Board (AASB)

Audit plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to growing complexity of business environment and business models and their geographical spread, the auditing profession is witnessing a quantum leap in the expectations from the various stakeholders. The ICAI recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively.

ICAI through its Auditing and Assurance Standards Board develops high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. These Standards not only codify the best practices in audit, they also provide the benchmark against which the performance of the auditors can be measured. The Board also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing, with the prime objective of providing guidance to the auditors. These documents, after a rigorous due process of the Board, are issued under the authority of the Council of the ICAI. The auditing standards issued by the ICAI are harmonized with the International Standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers which are issued under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance to the members in the implementation of Standards on Auditing, the

Board also brings out Implementation Guides to those Standards. The following is a comprehensive overview of important achievements of the Board till date:

(I) Representations/ suggestions to Ministries, Regulators

- The Board submitted ICAI recommendations on 35 Standards on Auditing to NFRA for their notification under Companies Act, 2013.
- The Board jointly with Digital Accounting and Assurance Board submitted a representation to SEBI requesting them to provide access of various portals e.g. GSTN, DGFT, EPFO to auditors.

(II) Publications issued

- Checklist on Standards on Auditing
- Audit Working Paper Templates
- Technical Guide on Disclosure and Reporting of Key Performance Indicators (KPIs) in Offer Documents
- Implementation Guide on Reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014
- Guidance Note on Audit of Banks 2023 Edition
- Implementation Guide to SA 580, Written Representations
- Technical Guide on Digital Assurance
- Implementation Guide to SA 230, Audit Documentation (Revised 2022 Edition)
- Guidance Note on the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 (Revised 2022 Edition)

(III) Initiatives for the Members

- The Board organized various seminars, workshops, webcasts, virtual CPE meetings, and awareness programmes on auditing standards, bank audit and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members.
- This year also, the Board constituted an online panel of experts to address the members' queries regarding bank branch audits for the financial year 2022-23 like earlier years. The panel resolved the members' queries from April 1, 2023 till April 15, 2023.
- This year, the Board has constituted an online panel of experts for addressing queries related to statutory audit pertaining to auditing aspects for the financial year 2022-23. The Panel will address the queries till 30th September 2023.
- The Board jointly with the Professional Development Committee issued an announcement on External Confirmations through Third Party Vendors.

(IV) Contribution at International Platform

- Chairman, AASB and Vice-Chairman, AASB attended virtually the International Auditing and Assurance Standards Board- National Standard Setter (IAASB-NSS) meeting held in June 2023.

6.3 Committee for Members in Practice (CMP)

The Committee for Members in Practice (CMP) of the Institute of Chartered Accountants of India is a non-standing Committee formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949 to address the issues of profession and challenges faced by the CA Firms & Members in Practice. It aims to encourage and enhance close links between the Institute and the Chartered Accountants, so as to provide them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in their professional growth. The Committee works towards addressing the challenges faced by the CA Firms & Members in Practice, for strengthening and developing the capacity of CA Firms/Practitioners by enhancing their competence and improving their visibility amongst the business community.

The Committee had taken following initiatives to arrange for Beneficial Products and/or services for Skill Development, Knowledge Management, Personal/Professional Security/Benefits etc. and such other products/services for professional growth and Development of Members, in association with various entities:

(I) List of products provided for the benefits of members of ICAI:

Insurance Products

- ICAI LIC Group Term Insurance
- Professional Indemnity Insuranceby New India Assurance
- Motor Vehicle Insuranceby New India Assurance

- House Holder Insurance by New India Assurance
- Personal Accident Insurance
- Office Protection Shield Insurance by New India Assurance
- Medical Insurance by New India Assurance
- HDFC Group Poorna Suraksha

Software Products

- Practice Management Software for CA Practitioners & CA Firms:- (Free of Cost for Members of ICAI)
- Tally Software Solutions
- Integrated GRC Product Suit Software
- Simplify Practice Management Software
- Papilio Software for the Practitioners
- XBRL Software Practitioners & CA Firms by KDK Software
- Antivirus Protection Facility
- GST Annual Return Software for Members in Practice/CA Firms by KDK Software
- All-in-One Accounting Software
- Eff Factor Software Practitioners & CA Firms
- TDS Software by KDK Software
- CORDL Practice Management Software
- Research Map Software
- Automating Account Confirmations and Reconciliation Software
- GST Software
- Zoho Accounting Software
- Count Magic Software
- Access to NeSL IU for Audit: An initiative of the Committee for Members in Practice
- Arrangement for XBRL Software for Members in Practice from Microvista Technologies
- Arrangement GST Software for Members in Practice from Microvista Technologies
- Cloud Based Ecosystem of Business Accounting Software
- RazorpayX - Banking, Payroll & Other Finances for Members in Practice
- Access to Probe42 platform: An initiative of the Committee for Members in Practice

Publications

- Commercial Law Publishers Combo Offers on Publications
- Bharat's Law House Discounted Publications

Loan Facilities

- BOB Credit Card
- ONLINE PSB LOANS (OPL)
- SME Finance for Chartered Accountants under CLP By SBI

Healthcare Services

- Healthy Benefit Plan -by Truworth Wellness
- Healthcare Benefits provided by Max Health care for the Members, Student and Employees of ICAI & their dependents.
- Discounted Health Care Services provided by Medanta for the Members of ICAI & their dependents

- Discounted Diagnostic and Related Healthcare Tests by Dr. Lal Path Labs for the Members of ICAI & their dependents.

Commercial and Travel Benefits

- Exclusive offer on Products from Samsung Electronics
- Exclusive Deals on Travel & Hotel Bookings

Details of above arrangements are available at **https://cmpbenefits.icai.org/**

(II) Capacity Building Measures:

Development of Digital Audit Tools:

- The Practice Management Software was launched on 21st January 2023 by the Hon'ble President & Vice President, ICAI in the "SHREYAN" Two days National Conference held on 20th& 21st January 2023 organized by the Committee for Members in Practice hosted by Jaipur Branch of CIRC of ICAI at Birla Auditorium, Jaipur.

Status on Practice Management Software

Total No. of Registrations of Practicing Management Software were 5501. The region wise users of said software are as follows:

Particulars	**Northern Region**	**Western Region**	**Eastern Region**	**Southern Region**	**Central Region**	**Total**
Proprietor	4	10	1	64	2	81
Partnership	671	2082	259	1223	1185	5420
Total	675	20922	260	1287	1187	5501

- Audit Analytics Tool - It is an useful tool for analysing entire populations of data, rather than just engaging in audit sampling. An auditor can use data analytics in every phase of an audit, from risk assessments through forming an overall conclusion.
- Audit Documentation Tools Software - Bring process automation and ease of doing audit in organizing its various audit activities like, client engagement, analytical procedures, Ensuring compliances with Accounting Standards, Auditing Standards, Corporate Laws, documentation of various audit processes, reporting, etc.
- Online Digital Library - Provides statutory acts, notification, press release & judgements related to it at one place. The identified topics of content database including – Direct Taxes/International Taxation, Goods & Service Tax (GST), Insolvency & Bankruptcy law, Transfer Pricing and Corporate Laws to be provided to Members of ICAI.

(III) Virtual Certificate Courses

- Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning (30 Structured CPE Hours).
- Certificate Course on Working Paper Management (30 Structured CPE Hours).
- Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies (30 Structured CPE Hours).
- Promoting Networking & other consolidation measures of CA firms.

(IV) Programmes/Seminar/Conference/Orientation Programmes/National Networking Summit/Networking Workshop

The Committee has conducted various Workshops/Programmes/ Conferences/Seminars/Orientation Programmes/National Networking Summit/VCM/Webinar on GST & capacity Building, Current issues in Practice, Accelerating & Maximizing Practice, CA Practice Growth Strategies, Networking: Connect Share and Grow Domestic, International, Corporate form of Practice, CA Connect, etc., Sunrise Areas of Practice: GST/IBC /Valuation/ Forensic/ Govt. Accounting/ Internal Audit/KPO/ Cooperatives/ System Audit etc, Min fees Recommendations, Fees as per New Code of Ethics, Tender Guidelines, Role of Tender Monitoring Group, Cost Sheet etc, Capacity Building of the Firm: Firm to Smart Firm, and Panel Discussion • Young Practice Members • Woman Practice Members • Middle Practice Members • Large Firms Partnerships • Senior Practice Members etc.

6.4 Continuing Professional Education Committee (CPEC)

The ICAI, through its Continuing Professional Education (CPE) Committee has always been proactive to the emerging needs of its members enabling them to acquire contemporary knowledge and skills to face the challenges effectively and to provide opportunities to their members to keep themselves updated with professional awareness.

(I) Significant Achievements and Recent Initiatives of the CPE Committee

- **Completion of CPE Hours by Members on Calendar year basis**

The members are required to complete their CPE hours requirements on the calendar year basis from the year 2023 onwards in accordance with the CPE hours requirements. From Calendar Year 2023 onwards and the block/rolling period concept of three years is done away with.

- **Revised CPE Hours requirements from Calendar Year 2023 onwards**

Contemporary with Global requirements & Practices, the CPE Credit Hours requirements for various categories of members as applicable from the Calendar year 2023 are as under:-

Category of Member	CPE Hours requirement
Members (aged less than 60 years) who are holding Certificate of Practice (except all those members who are residing abroad)	a. Complete at least 40 CPE credit hours in each Calendar Year. b. Complete minimum 20 CPE credit hours of structured learning during the calendaryear. c. Balance 20 CPE credit hours can be completed either through Structured orUnstructured learning (as per Member's choice).
Members (aged 60 years & above) who are holding Certificate of Practice	a. Complete at least 30 CPE credit hours of either structured or unstructured learning (as per member's choice) during the calendar year.
Members (aged less than 60 years) who are not holding Certificate of Practice; and all the members who are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not)	a. Complete at least 20 CPE credit hours of either structured or unstructured learning (as per Member's choice) during the calendar year.

- **"Train the Trainer (TTT)" programmes for development of faculty database by CPE jointly with CECLEA Committee:**

CPE Committee jointly with CECLEA has organised 'Train the Trainer' programmes on PAN India basis on online/offline mode to train the faculty to provide quality learning in Programmes of the Committee with an objective to provide the Country with trained faculties and speakers. 11 TTTs have been organised during the last Council year.

Programmes under Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM):

As planned by Government of India, country wide Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) started last year to commemorate and celebrate 75 years of India's Independence, its glorious history and progressive growth track. ICAI as a Partner in National Building, has been organising various CPE programmes in online/offline mode on Pan-India basis through its various CPE POUs.

- **In-house Executive Development Programme (IHEDP):**

CPE Committee is also engaged in imparting training to employees of PSUs, Government Companies, National banks and insurance companies etc. In this regard, proposals were sent to these organizations to organise In-house Executive Development Programme (IHEDP) for their employees on different topics related to Accounting and other allied areas such as Corporate Laws, Business and Economic Laws, Financial Management and Analysis, Information Technology for various compliances in Corporate Laws, A to Z of Export provisions, Accounting, Auditing, Taxation etc.

(II) IT Initiatives undertaken by the CPE Committee for Members & CPE Programme Organising Units (CPE POUs)

- **Complete Automation of CPE Portal by making it more User & Techno Friendly and Development of Mobile Application**

CPE Portal manages entire gamut of CPE of ICAI for grant of Structured and Unstructured CPE Hours to members. In pursuit of excellence, the CPE Committee is focusing majorly on integration of IT tools in CPE activities including redesigning/revamping of CPE Portal, single sign-in facility into portal and improved monitoring of attendance system. CPE Portal is meant to develop the knowledge hub providing information regarding latest developments relating to the profession and to promote various ICAI initiatives for Chartered Accountants.

- **Enhancement of CPE approval mechanism**

To ensure the quality of education in continuing professional education programmes and their proper monitoring & structuring of Programmes, selection of topic, faculty etc. for further improvement of CPE system, the CPE Committee is in process of developing an advanced CPE Portal which will emphasize on better monitoring and improved control system on CPE Programmes with regard to their organization and attendance. CPEC has adopted stronger and stricter regulatory mechanism for regulating and overseeing the organisation of CPE Programmes and other CPE related compliances by CPE POUs.

- **Improved faculty feedback or review system**

To increase the quality of CPE Programmes in terms of CPE Learning & Delivery Mechanism, the CPEC aims for development of good faculties and to have their review system. Now, Faculty Feedback/review has become mandatory for getting attendance of CPE Programme, Session PPT or faculty profile uploading option, Quality Checks of Learning of Members by Random selection, and feedback in portal.

(III) Initiative towards Partner in Nation Building

- **Connecting with Members:-**

The CPE Committee of ICAI has a strong network base of 658 CPE POUs spread in all over India and Abroad for organisation of CPE programmes and also for helping the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities. It is proposed by CPE Committee of ICAI to open 5600+ POUs in all States/Districts/Tehsils in India to facilitate all members of the ICAI residing in far flung areas of the country. For better dissemination of knowledge and to reach every Member of ICAI, the Committee is requesting members to come together and volunteer themselves for opening new CPE POUs while to identifying the areas where CPE POUs (CPE Study Circles, CPE Study Chapters and CPE Study Groups) may be opened.

- **Knowledge dissemination:-**

Seminars/ Webinars/workshops/RRCs:

For continuous learning and to update the knowledge of members, CPE Committee is organising programmes on traditional and non-traditional areas on regular basis. In addition to imparting training on technical topics, the Committee is also focusing on updating public speaking skills of members and mentoring them to become thought leader. The programmes being organised revolves around:

- o Disseminating knowledge on the theory and practice on various Technical and current professional topics.
- o Enhancing role of members in diversified areas of profession.
- o Providing networking opportunity to members.

Mentorship Programme:

The Committee organised the mentorship programme for members to educate them in non-traditional areas to enable them to become global practitioner, successful, CFOs and CEOs. The progamme is also focused to educate students as well. In the last Council year, 12 Mentorship Programmes were organised in Physical mode and 7 in Virtual mode.

Interactive meet with :

- o **Faculty/ Moderator**
- o **Chairmen & Vice-Chairmen of Regional Councils & Branches and Convenor & Deputy Convenor of CPE Study Circle/Chapter/Group of all the regions of ICAI**

The Committee had organised interactive meetings with faculty/moderator to exchange knowledge and ideas in order to promote learning and improving teaching skills and soft skills. The CPE Committee has also organised various interactive meetings with the Chairmen & Vice-Chairmen of Regional Councils & Branches and also with the Convenor & Dy. Convenor of all CPE Study Circles and CPE Study Chapters and CPE Study Groups, Region-wise in Online mode, seeking suggestions for further improvement in the Continuing Professional Development policies and programmes, to educate them about various policies, guidelines and initiatives of CPE Committee as well as to understand expectation/to get feedback of CPE POUs for improvisation of CPE Programmes etc.

The CPE Committee had organised 14 interactive meetings with the members. Further, based on the suggestions received from the Members during these online interactive meets, for the first time the CPE Committee has organised the Orientation Programmes cum Interactive meetings for the Convenor and Dy. Convenor of CPE Study Circles, CPE Study Chapters & CMIB (Members in Industry) Study Circles of Western Region of ICAI in physical mode

- **CPE Bulletin:**

The Committee has issued its E-newsletter to create awareness on the recent developments in CPE hours compliances

and other decisions amongst its members and showcase the initiatives of the Committee and details of its programmes etc which is hosted on the CPE page of Institute's Website and also on CPE Portal at the link https://www.icai.org/post/e-newsletter-of-the-continuing-professional-education-committee

(IV) Major Events undertaken directly by CPE Committee:-

- *Online CPE Learning events*- CPE Committee is organising online CPE events regularly and continuously for the learning and upgradation of members for grant of Unstructured CPE hours.
- *National Conferences* - 8 National Conferences were organised on GST & Code of Ethics, Gyan ka Amrit Mahotsav, "Abhyudaya, Abhinav: Dream, Dare, Deliver, Pratibaddhata Committed to Excellence, Vivechna "Exploring The Future" etc.

(V) Members Education and Capacity Building:-

- *CPE Programmes directly by the CPE Committee*- 176 Physical and Virtual Programmes were organised for the members to empower and enhance learnings in diversified fields by adding to their skillsets they can offer.
- *CPE Programmes by its POUs- 8801 CPE programmes were organised by its POUs*
- *CPE Programmes for the benefit of Members*- 8801 CPE Programmes (including 6006 CPE Programmes in Physical mode) were organised for the Members across the country by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interest.
- *Refresher Courses- 80* Refresher Courses were organised by Central Committees/Board on various topics i.e., GST, FEMA, Accounting Standards, Income Tax Appellate Proceedings, Advanced Excel & Data Dashboard, Data/Forensic Analytics using CAAT Tools, Technology Audit in SAP Environment, Practical Guide to ISA & Data Analysis and Visualisation with Microsoft Excel Power Tools and Power BI.
- *National Level Programmes and other Important Events*-933 National Level Programmes and other Important Events were ogainsed

(VI) Supporting Society – Commitment to Nation :-

ICAI organised 3146 other CPE programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of the Country through its strong network base of CPE Program Organising Units on GST and GST Audit, MSME, Ease of doing Business in India, Start-ups, Standards on Auditing, Faceless Assessment etc.

6.5 Corporate Laws and Corporate Governance Committee (CL&CGC)

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee aspires to empower the profession and promote a fair corporate regime through global best practices. Collaborating with the government, the Committee actively strengthens the regulatory framework by engaging with the Ministry of Corporate Affairs and providing regular representations and suggestions on matters pertaining to the Companies Act 2013. With a focus on knowledge enhancement, the Committee ensures its members stay updated on corporate laws, enabling them to navigate the evolving landscape of corporate governance successfully.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Representations/Suggestions/Recommendations to MCA/SEBI during the year 2022-23 (April 2022 to June 2023)

The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. The Committee submitted the following representations/ inputs/ opinions/ suggestions to the Ministry of Corporate Affairs.

Representations

- Representation on the Inconsistency between the Provisions of Companies (Accounts) Rules 2014 and Companies (Audit & Auditors) Rules 2014.
- Representation in relation to data requirements of Struck off Companies and LLP.
- Proposal in connection to provide 150 Chartered Accountants for Central Processing Centre Activities of MCA.
- Representation in relation to data requirements of Companies to analyse requirement of Independent Directors and Women Directors and enable compliance.
- Representation in relation to data requirements of Struck off Companies.
- Relaxation of reporting requirements by IFSC companies in foreign currency instead of the Indian Rupee.

- ICAI Suggestions on the letter received from National Real Estate Development Council (NAREDCO) regarding anomaly in the method of calculation of dividend for distribution under Section 123 (2) of the Companies Act, 2013 and REIT Regulations, 2016.
- ICAI Suggestions/ Recommendations on the Report of the Company Law Committee.
- Suggestions regarding the Server to be kept in India as per Section 128 of the Companies Act 2013 and International Position.
- Suggestions submitted to the Ministry of Corporate Affairs on the Fractional Aircraft Ownership Guidelines.

(II) Membership of various Committees and Groups

- ICAI is a member of the Working Committee for streamlining working under the Companies Act, 2013.
- ICAI is a member of the Sub-Group (2) to examine the suggestions about streamlining the Companies Act, 2013.
- ICAI is a member of Steering Committee of the National CSR Awards.
- ICAI is a member of the Social Responsibility Sectional Committee, MSD-10 under the Management and Systems Division Council (MSDC) constituted by Bureau of Indian Standard.
- ICAI is a member of Governing Council of the National Foundation for Corporate Governance (NFCG) in ex-officio capacity.
- ICAI is a member of the Expert Group on Secretarial Standards of ICSI.

(III) Supporting Ministry of Corporate Affairs in smooth transition and functioning of MCA 21 v3 Portal

The MCA Support Project for Version 3 launch is an important initiative undertaken by the CL&CGC in the year 2022-23. This project signifies a unique collaboration between the ICAI and the Ministry of Corporate Affairs (MCA), working closely on a daily basis to facilitate a seamless transition. The Version 3 release of the project introduces substantial enhancements in governance requirements, addressing the contemporary needs of the corporate landscape. As a significant business process change, the implementation of Version 3 poses certain challenges that need to be effectively addressed. In this regard, the following are completed / in progress:

- **User Acceptance Testing (UAT)**
  - ✦ Rigorous User Acceptance testing of Forms where issues in the Company forms are communicated daily to MCA/LTI.
  - ✦ A google link has been set up wherein issues are logged in on a daily basis.
  - ✦ Identified unique issues and updation of same.
  - ✦ Defect Excel is submitted on daily basis for addressal of issues.
  - ✦ Status check of issues reported.
  - ✦ Weekly Presentation on total Forms tested successfully in UAT and key suggestions

- **Review Meeting with MCA with respect to MCA 21 Version 3 Portal for LLP Filings/Company Filings**

Weekly Meetings are being held with Secretary/ Joint Secretary MCA to discuss the progress/activities to be further undertaken to enable smooth implementation of MCA-21 Version -3 Portal for LLP Filings/Company Filings and to expedite filings for timely compliance. Such meetings are generally attended by JS MCA, Chairperson CL&CGC and Vice Chairperson CL&CGC.

- **Addressal of Members' Issue**

Stakeholders' Consultation Meeting

Under the explicit directives of the Hon'ble Finance & Corporate Affairs Minister and the Secretary, MCA, Stakeholders' Consultation meetings were conducted in cities across India in June 2023. The primary aim of these meetings was to provide an effective platform for open dialogue and find appropriate solutions to the challenges faced by the stakeholders pertaining to MCA 21 V3. The Stakeholder Consultation meetings served as crucial platforms for stakeholders to actively engage in the discussions and contribute their valuable insights on pertinent matters. The meetings involved direct, in-person interactions with stakeholders, allowing the MCA and ICAI team to gain a comprehensive understanding of the challenges faced. With over 1800 attendees, the ICAI provided support to the Government in organising these Stakeholders meetings at the ICAI Premises at various locations. The CL&CGC team under the guidance and leadership of the Chairperson and the Vice Chairman, CL&CGC, worked in taking forward the issues faced by the stakeholders on the MCA 21 Version 3 portal with MCA for resolution.

- **<u>Open House/ Helplines/Chat Rooms</u>**

The Committee has been organizing separate helplines and open house discussion for members facing issues related to Log-in, LLP, Companies Forms, Incorporation I and Incorporation II. These helplines have been operational since 23rd September 2022 from Monday to Friday.

Google Link/Dedicated mail id for addressing LLP, Company and Login Issues-

A dedicated google link has been set up for collating general and specific issues of the user based on the calling feedback receive where in members and users can log in their complaints. In this regard, a substantial number of queries have been received on the dedicated email id and the google link. Team ICAI made calls to such members for understanding their Queries and took the same forward for resolution. Daily meetings with MCA / LTI were conducted for escalation and resolution of issues.

- **Meetings with Elected Representative of ICAI and Stakeholders**

Branch Elected Representatives meet with the then President ICAI and JS MCA

Branch Elected Representatives Meet was conducted wherein the then President ICAI and the Joint Secretary, MCA interacted with all the Elected Branch Representatives of ICAI to enable smooth implementation of MCA-21 Version -3 Portal for LLP Filings and to expedite filings for timely compliance.

Train the Trainer Event to create awareness on the MCA 21 Version 3 Portal for LLP filings

With the objective of creating a large base of professional trainers to create awareness on the MCA 21 Version 3 Portal for LLP filings, the Committee sent a mass mail with Google form requesting the members to volunteer for the train the trainer event. A huge number of members volunteered for the said event. Joint Secretary MCA addressed the people who attended the event. Presentation was made by Chairperson, CL&CGC. A Pool of trainers was developed who were able to spare their time to further train the members on new version of MCA 21 Portal. The details of the shortlisted trainers were circulated amongst the Branches of ICAI and were invited to take sessions on V3 Portal for resolving basic issues and creating more awareness amongst the members.

Meeting with Chairmen of Regional Councils of ICAI with Chairperson CL&CGC For MCA -21 V3 Portal-

A meeting was organised with Chairmen of Regional Councils of ICAI to make them aware that ICAI has also been attempting to familiarise with the various forms on V3 portal and further to assist in this matter requested them to inform members in their respective regions that ICAI gas set up a google form link wherein members can report "any issues" that you come across when you attempt to access and use LLP FORMS.

(IV) Representation on the Inconsistency between the Provisions of Companies (Accounts) Rules 2014 and Companies (Audit & Auditors) Rules 2014

The Committee had requested MCA through a representation to issue clarification about the applicability of Rule 11(g) to the auditors for the financial year commencing on or after 1st April, 2023 by way of an amendment to the Companies (Audit & Auditors) Rules 2014.

(V) Representation in relation to data requirements of Companies to analyse the requirement of Independent Directors and Women Directors and Enable Compliance.

To assist the MCA in ensuring that the Companies are adhering to the provisions of the Companies Act 2013 with regard to appointment of Independent Directors and the Women Directors, the Committee submitted the Representation to the MCA to provide total list of entities which are required to comply with such requirements to enable the above actions.

(VI) Development of Format for maintaining Register for Property, Plant & Equipment (PPE) and Intangible Assets

The Committee received a letter from the Ministry of Corporate Affairs, requesting suggestions for amendments to the Companies Act 2013 regarding the standardization of procedures for maintaining fixed assets or PPE (Property, Plant, and Equipment) Register by companies. The Committee deliberated on the matter and prepared a format for the Register in consultation with the Chairperson and Vice-Chairman of CL&CGC. The suggestions for amendments in the Companies Act 2013 concerning the standardization of procedures for maintaining fixed assets or PPE Register by Companies will be submitted to the Ministry of Corporate Affairs for further action.

(VII) ICAI Suggestions/Recommendations on the Report of the Company Law Committee submitted to MCA

The Company Law Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs issued its Report on 12th April 2022 wherein suggestions were invited up to 6th May 2022. The Report was discussed at the joint meeting with AASB and based on the same the ICAI Suggestions/ Recommendations on the Report of the Company Law Committee were submitted to MCA.

(VIII) International Study on Section 128 of the Companies Act, 2013 submitted to MCA

The MCA desired ICAI to submit a brief note on International Practices for Books of Account under various Countries. In this regard, the Committee prepared and submitted the study for the Countries viz. UK, US - Delaware Australia and Singapore.

(IX) Letter received from the Ministry of Corporate Affairs seeking inputs on the Fractional Aircraft Ownership Guidelines

The Ministry of Civil Aviation had provided a draft document on Fractional Ownership Guidelines comparable to accounting & tax at practice, as well as an indicative list of issues about the creation of the appropriate enabling framework for the rollout of the Fractional Ownership model in the Civil Aviation sector. The draft guidelines document on fractional aircraft ownership was given to the ICAI, along with a list of potential difficulties, and it was requested to review it and provide comments or feedback as soon as possible. The response was prepared and submitted to MCA by the ICAI's Corporate Laws & Corporate Governance Committee and Accounting Standards Board.

(X) Development of Illustrative Format of Change Refund Form in case users are facing pre-fill data-related issues to be given to ROC

The Committee in order to support the MCA and the members of the Institute in resolving issues related to updating the master data from the backend, has developed an Illustrative Format of Change Refund Form, which a member can use and submit to the Jurisdictional ROC in case they are facing pre-fill or data related issue that is to be rectified by the ROC.

(XI) Suggestions to National Real Estate Development Council (NAREDCO)

The Committee had submitted suggestions for a letter received the from National Real Estate Development Council (NAREDCO) regarding an anomaly in the method of calculation of dividends for distribution under Section 123 (2) of the Companies Act, 2013 and REIT Regulations, 2016.

(XII) National CSR Awards- announced by MCA wherein ICAI is a Designated Authority to submit nominations of eligible Companies

The National CSR Awards — 2022 were announced by the Ministry of Corporate Affairs on 17th June 2022, which seeks to recognize outstanding CSR projects/programs in the following three categories as per the Scheme of National CSR Awards-2022:

- 4 awards for excellence in CSR, based on CSR spend (one award is reserved for MSME)
- 5 awards for CSR projects in Aspirational Districts / Difficult Terrains (one award is reserved for MSME)
- 11 Awards for CSR projects in National Priority Areas (one award is reserved for MSME)

For these awards, ICAI was nominated as one of the Designated Authority to submit nominations of eligible Companies. As a nominating designated organization, ICAI had invited companies to submit their nominations for National CSR Awards at the designated email id by sending mass mail across the Country. 16 nominations were received. All applications received were nominated for further consideration. A broad review of Annual Reports and websites was undertaken to confirm the broad eligibility of the applicants. The process for nomination did not constitute any audit of the data contained therein. The nominations as received were submitted and uploaded to the designated portal.

National CSR Awards- Meeting of the Steering Committee of the National CSR Awards, 2022 under the Chairmanship of Secretary, MCA

The Committee participated in the first meeting of the Steering Committee for National CSR Awards, 2022, under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs. The main agenda was to discuss the Notification for the 3rd cycle of awards (NCSRA – 2022), the Constitution of the Grand Jury for the Awards, the Empanelment of Expert Institutions for carrying out Field Visits/ Verifications, Budget proposal for NCSR. The Committee also participated in the 2nd meeting held on 7th February 2023 to discuss the proposed scheme of National CSR Awards – 2023.

(XIII) Webinar for Madras Chamber of Commerce (MCCI)

A webinar was held with the Madras Chamber of Commerce (MCCI) on 23rd December 2022 to address the difficulties being faced by them in the new V3 MCA portal. Certain issues were clarified during the webinar and members were requested to mention their difficulties so that a meeting could be scheduled for the resolution of issues.

(XIV) Training program for the CFOs and Company Secretaries of all PSUs / Statutory Boards of the State of Tamil Nadu

The CL&CGC committee of ICAI on the request of Finance Department of the Tamil Nadu Government, organized one day training program along with Finance Bureau of Public Enterprises (BPE) Department, Tamil Nadu, which was attended by the CFOs and Company Secretaries of all PSUs/Statutory Boards of the state. Thiru N Muruganandam, Additional Chief Secretary of Finance in Tamil Nadu Government was the chief guest for the event. The highlights of the training program were the technical sessions by the experts, covering the various aspects of financial reporting, requirement of internal audit controls, requirement to follow other statutory compliances for mitigating the frauds in the organization and correct reporting to Government. Also, the discussions on recent

amendments in the Companies Act 2013 and other regulations were part of the technical sessions.

(XV) Relaxation of reporting requirements by IFSC companies in foreign currency instead of the Indian Rupee

The MCA had requested ICAI to examine the feasibility to make amendments in certain e-forms to allow companies operating in the IFSCs, to report their financial statements or file their various returns, in freely convertible foreign currency instead of Indian Rupees in light of existing Accounting Standards/ Ind AS or otherwise. In this direction, two meetings were held with the Authority.

(XVI) Capacity building program for Directors of Central Public Sector Enterprises in the area of Audit Committee Effectiveness

The Committee had received a request from the Department of Public Enterprises, Ministry of Finance to organize a Capacity building program for Directors of Central Public Sector Enterprises in the area of "Audit Committee Effectiveness". In this direction, ICAI jointly with the Department of Public Enterprises and Ministry of Finance had organized a Capacity Build Program for Directors of Central Public Sector Enterprises in the area of "Audit Committee Effectiveness". The Committee had organized the training during the year 2022-23 wherein around 300 Independent Directors of various PSUs had participated.

(XVII) Publications released by the Committee

- Guidance Note on Division I – Non-Ind AS Schedule III to the Companies Act 2013
- Guidance Note on Division II - Ind AS Schedule III to the Companies Act 2013
- Guidance Note on Division III to Schedule III to the Companies Act 2013 for NBFC that is required to comply with IND AS
- Technical Guide on Filing Forms for LLPs and Companies # 1: Form-11 (Annual Return of LLPs) to comply with Ind AS.

(XVIII) Programmes/Conferences/Webcast/Courses:

Sl.No	Programmes/Conferences/Webcast/Courses	No.
1	National Conferences on Company Law, Corporate Laws etc	4
2	Virtual CPE meetings on CARO 2020, Forensic Audits, Corporate Law etc	11
3	Seminars/Refrehser Courses/Workshops on Company Law, Audit Tand its practical implication, Recent Amendments under Companies Act etc	25
4	Series of Webinars- Manthan	6
5	Webinars organised jointly with MCA.	16

6.6 Direct Taxes Committee (DTC)

The Direct Taxes Committee (DTC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is one of the important Committees of the ICAI which is engaged in the matters related to direct taxes and makes representations to the Government, Central Board of Direct Taxes and at other appropriate forums from time to time on various legislative amendments and issues concerning direct taxes. One of the main activities of the Committee is to disseminate knowledge and honing skills of the membership in the area of direct taxation by way of bringing out new publications and revise the existing publications, organizing seminars, webinars, conference programs etc.

(I) Representations/ interactions with Government

- For process for receiving Orders of Appeals under Faceless Appeals Scheme 2020, it was suggested that statistics of age wise pendency of appeals with the CIT(A) be released. Further, expeditious measures for receipt of appellate orders from office of the CIT(A) should be initiated. Mechanism for issuing orders by the CIT(A) in a timely manner be decided and implemented.
- Request to CBDT to enable rectification/revision window on the e filing portal for Orders issued by CIT(Appeals).
- Request to enable rectification/revision window on the e-filing portal for Orders issued by National Faceless Appeal Centre/CIT(Appeals).
- Submission of ICAI's Inputs on Form No. 3CD.
- Request to rectify online efiling utility of Form No. 3CD wherein a particular clause 35 is not in line with Notified Form 3CD.
- Concerns of ICAI on applicability of clause 30C and clause 44 of Form No. 3CD for Assessment Year 2022-23.

- Difficulty being faced in e-filing the ITR Forms and uploading Tax Audit Reports (TAR) due to non-working/ slow speed of the e-filing website in last few days of filing ITR.
- Request to consider hardships faced by taxpayers in furnishing return of income for AY 2022-23 and providing adequate relief by proactively taking all possible & suitable steps for protecting taxpayers/stakeholder's interest.
- Request to address the concerns arising from automatic processing under section 143(1) of the Act by the CPC considering solely information provided in Clause 16 of Form 3CD while ignoring income computation which is causing double addition of same income.
- Request to address the issue of apparent incorrect calculation of interest under section 234C of the Income-tax Act, 1961 as employed by the Income-tax e filing utilities of ITR forms.
- Request to consider thorough revision of Form No. 10B (Audit report under section 12A(1)(b)(ii) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions).
- Request to rectify certain errors in official e-filing utility of ITR Form No. 7 applicable for AY 2022-23.
- Request to rectify the apparent processing error made by CPC in ITR Form 5 in a case where there is a retiring partner and salary is paid/payable to him.
- Request to address certain concerns in filing of Form No. 10B and Form ITR-7.
- Submission of suggestions pertaining to Direct Taxes for the Pre-budget Memorandum, 2023
- Submission of Post Budget Suggestions pertaining to Direct taxes for inclusion in the Post-Budget Memorandum 2023.
- Inputs on the draft rule 11UA for implementing the amendment made by the Finance Act, 2023 submitted to CBDT.
- A meeting of UDIN directorate, ICAI & Direct Taxes Committee, ICAI with the officials of Income Tax Department was held on 5th May, 2022 (virtually) wherein the issues pertaining to invalidation owing to erroneous AY & Form ID were discussed at length.
- A meeting was held with CBDT Chairman on 20th July, 2022 which was joined by President, Vice-President and Chairman, DTC. During the meeting the Chairman, CBDT was apprised of the significant initiatives taken at ICAI in areas of disciplinary, technical, regulatory and tax related. It reassured to extend full support and cooperation for all the initiative taken by CBDT and Government and also offer technical assistance/ support for training to officials of income tax department on topics like Virtual Digital Assets and other emerging areas. CBDT was requested to provide inputs on the exposure Draft of revised Guidance Note on Tax Audit under section 44AB of the Income Tax Act, 1961 and consideration of various Representations submitted by ICAI particularly the Clause 30C and Clause 44.
- A virtual meeting with the Income tax department (Systems) team was held on 20th September, 2022 to discuss the problems being faced by the members in completing Tax Audit Returns. Various issues relating to ITR of charitable institutions, mismatch of data of members not being able to register on IT portal, issues in ITR-7, various problems in filing tax audit report and other statutory forms etc were discussed. Several issues which were faced by the members while uploading the Tax Audit Report on the last due date of uploading, 30th September, 2022 was communicated to the officials of CBDT. Accordingly, department took cognizance of the same and extended due date by 7th October, 2022.
- A pre-budget meeting was held on 23.11.2022 at North Block, New Delhi with Chairman CBDT & other CBDT officials wherein major suggestions pertaining to Direct Tax and International taxation were discussed and PPT containing important points related to Direct Taxes were presented by Chairman, Direct Taxes Committee.
- A Virtual meeting with the Capacity Building Commission (CPC) team was held on 13th January 2023 to distil concrete proposals on the following two issues:

✦ Issues in current grievance redressal mechanism of the income tax authorities;

✦ Inputs on training needs for the income tax officers/ staff to equip them to effectively resolve grievances within a stipulated timeline including certain case studies which can be used as teaching aids.

(II) Conferences/Seminars/Workshops/VCM/Webinars/Refresher Course

The Direct Taxes Committee organized various number of Seminars/Conference/VCMs/Webcasts etc. on topics related to Direct Taxes during the period.

(III) Other initiatives

- The Committee has contributed articles on Proposed Amendments in Respect of International Taxation

under Union Budget, 2023, Analysis of Budget 2023- Certain sections related withholding taxes and Transfer Pricing, Business Income and Business Income Taxation, Budget Analysis – Sections 115 onwards except NRI taxation, Comments / Views on the (some specific Provisions) Finance Bill 2023 and Direct Tax Proposals relating to Co-operative Societies, in Budget issue of the Journal (March, 2023).

- Regular updation of the ICAI website on matters pertaining to the Direct Taxes like circulars, notifications, press releases, orders etc. notified by CBDT from time to time.
- Release of Tax Times on Monthly basis.
- Contribution of significant circulars, notifications, press releases, orders etc. issued by CBDT in the CA Journal every month.

6.7 Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEA&NPO)

ICAI strives to play a pivotal role in shaping the future of the accountancy profession, fostering excellence, and serving as a trusted partner in the financial ecosystem. Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEA&NPO) of ICAI strives to create awareness among chartered accountants about the professional opportunities available to them in contributing to economic growth by combining analytical foresight with commercial acumen, members can assist organizations in navigating complexity and driving positive impacts. The Committee also places emphasis on knowledge dissemination and professional development. It organizes various programs on contemporary issues, inviting experts and thought leaders to share insights and best practices. Additionally, CCLEA&NPO offers certificate courses enabling members to enhance their expertise in these areas and expand their professional horizons.By leveraging the collective expertise of its members, the Committee actively contributes to the development of policies and regulations that promote a conducive business environment and facilitate economic growth.

Significant Achievements and Initiatives

Partner in Nation Building:-

- The Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative, organized a nation-wide virtual discussion on the notifications under PMLA dated 3rd May & 9th May on 10th May from 5:30 PM onwards, which was addressed by the Hon'ble President & Vice-President, ICAI, Chairman and Vice Chairman of CCLEA&NPO and experts on the subject. More than 3000 members attended this programme and the recording of the same is uploaded on ICAI TV. The same has also been posted on Twitter Account of ICAI.
- The Committee organized an Interactive online meet exclusively to discuss “The Competition (Amendment) Bill, 2022” on August 26, 2022 with members of ICAI, external experts and other stakeholders, the views of the committee after collating inputs from experts(including comparison between the Act & the Bill and professional opportunity for CAs) were submitted.
- The Committee organized Physical Training Programme for Police Officers in Crime Branch on “Understanding Business environments and Accounting systems in crime investigations- A case study-based approach” on 3rd May 2023 hosted by SIRC of ICAI.

Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) Activities:

As part of the country wide initiatives of the Government of India - Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM), to commemorate and celebrate the 75 years of India’s Independence, the Committee organized many virtual programs for the benefit of the members and other stakeholders covering Schemes & opportunities in MSME Sector and MSME financing & Restructuring, ADR practices/arbitration/mediation,The mathematics & economics of banking, Detailed Analysis of NEW Overseas Investment Regime, Legal metrology provisions & opportunities and Authorized Economic Operator (AEO), Opportunities in environmental laws, Compounding under FEMA, Recent changes in labour laws, Importance of knowing SARFAESI law, Professional opportunities in intellectual property rights, Role of FTAs,PTAs ,CEPAs ,CECAs in Indian economy and international trade agreements,etc.

Members Education and Capacity Building:-

(i) Webinars for grant of Unstructured CPE hours

Post Covid-19 situation, all Central Committees continued to organize webinars for grant of Unstructured CPE Hours only. The Committee organized a total of 81 Webinars during April’ 22 to June’ 23. During the Council year 23-24 the Committee organized “Know Your Law series” on a weekly basis on every Thursday, Some of the topics which have been covered in these sessions are given below:

RERA- Overview Interplay with other laws and Professional Opportunities	Economic backdrop of a globally resurgent India
Money Laundering- Offence, Attachment and Adjudication Proceedings	Introduction to Intellectual Property & Role of Chartered Accountants
Overseas Investment by Resident Individuals	Drafting Construction Contracts : Issues & Resolutions
Basics of Alternate Dispute Resolution	Multi State Cooperative Societies - Registration, Management, Compliance & Latest Supreme Court Judgement
Recent laws relating to FCRA	Overview & Understanding Benami Law
Supreme Court decision in PMLA	SEBI Powers &Functions, penalties, Adjudication, settlement and SAT & SC Appeals etc.
Outbound Investment under FEMA	Schemes & Opportunity in MSME Sector and MSME financing & Restructuring

A total of 81 webinars have been organised by the Committee granting Unstructured CPE hours to the members of ICAI.

(ii) Virtual CPE meetings for grant of Structured CPE hours

During the Council year 22-23, the Committee organized various VCMs for members covering areas of Economic & Commercial laws and Economic Advisory, such as Benami &Anti-Money Laundering Laws, RERA, ODR - The Way Forward, Intellectual Property Rights (IPRs), Opportunities in Mergers & Amalgamations, Global Professional Opportunities in Agriculture Industry and Various Agriculture Sectors, Comprehensive Approach to FEMA, Role of CAs in Food Industry, Health Awareness, Food safety laws & Global opportunities, Corporate Governance, Overview of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, Critical aspects of the Indian Contract Act 1872, Human resource management & Labour laws, etc. A total of 43 Virtual CPE Meetings have been organised by the Committee granting a total of 71,876 Structured CPE hours to 34,444 members of ICAI.

(iii) Refresher Courses

The Committee organized the Three Days Residential Refresher Course on “Professional Opportunities in Commercial Laws” on 28th -30th April, 2023 at Centre of Excellence, Hyderabad, hosted by Hyderabad Branch of SIRC of ICAI, granting 18 CPE hours to 53 praticipants.

(iv) Certificate Courses

Sl.No.	Name of Certificate Course	Batches	No. Members passed/Registered for Course
1	Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti Money laundering Specialists)	20th Batch of Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) – 3rd Batch in Online mode- from 18th July – 10th August 2022.	49
		21st batch of Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) – 4th Batch in Online mode - from 13th September – 17th November 2022.	68
		22nd batch of Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) – 5th Batch in Online mode - started from 22nd November 2022 onwards.	74
		23rd batch of Certificate Course on Anti-Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) – 6th Batch in Online mode - started from 31st March, 2023 onwards.	121
2	Online Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation)	26th batch of Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation – 3rd in online mode - from 12th September – 25th November 2022.	44
		27th batch of Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation – 4th in online mode - from 28th November 2022 onwards.	54

3	Online Certificate Course on IPR Laws (Intellectual Property Rights laws)	1st Batch of Certificate Course on IPR Laws (Intellectual Property Rights Laws) in online mode – from 2nd December 2022 onwards.	51
4	Online Certificate Course on Cooperatives (Currently running)-	2nd Batch of Certificate Course on Cooperatives in online mode – from 5th June, 2023 onwards.	96 (registered for Course)
5	Online Certificate Course on Not-For-Profit Organizations(Currently running)	3rd Batch of Certificate Course on NPO in online mode – from 6th June, 2023 onwards.	92 (registered for Course)

(v) Physical Seminars

During the said period, the Committee organized various seminars at different places on various topics like RERA, FEMA, IPR, AML, Competition Laws, Labour Laws, etc.

(vi) Celebrating International & State Days

The Committee has organised CPE programmes to mark International & State days to provide focused learning and creating awareness on most relevant and contemporary topics for modernizing knowledge of members of our fraternity.

(vii) Programs with Authorities/Regulators

The Committee organised full day Seminar on "Competition & Consumer Laws", in collaboration with Competition Commission of India, hosted by WIRC of ICAI on 27th May 2022 at ICAI Tower, Bandra-Kurla Complex, Mumbai.

(viii)Series of Virtual Events on Specific Topics

The Committee organised Series of Virtual Events to provide comprehensive & focussed learning on Virtual Series on Research, Comprehensive Approach to FEMA and Human Resource Management & Labour Laws

(ix) Interactive Faculty Meets

The Committee conducted physical/virtual Interactive meetings with members of ICAI to encourage them to become Speakers/Moderators/Writers/Reviewers for exchange of knowledge at various places i.e. at Delhi, Hyderabad & Mumbai and also in online mode.

(x) Views on various Bills/Laws

- The Committee submitted its inputs/views on various Laws/Bills i.e The Competition(Amendment) Bill, 2022, National Logistics Policy, Telecom Bill, Inputs/Views on notifications under Prevention of Money Laundering Act, 2002 dated 3rd May & 9th May, 2023.

(xi) Train the Trainers' events

The Committee jointly with CPE Committee has been organising 'Train the Trainers' programmes on PAN India basis on online/offline mode to train the faculty to provide quality learning in Programmes of the Committee with an objective to provide the Country with trained faculties and speakers,. A total of 11 Train the trainer programmes (Physical/Virtual) have been organised by the Committee at Hyderabad, Chennai, Raipur, Mumbai, Panchgani, Puri, Manesar, etc. thereby training approx. 430 members of ICAI.

6.8 Digital Accounting and Assurance Board (DAAB)

Strengthening the role of Chartered Accountants as information governance, control, security and audit professionals, ICAI in the year 2018 merged Committee on Information Technology (CIT) with Digital Accounting and Assurance Board (DAAB). DAAB is developing knowledge base through position papers and articles on issues related to impact of technology on accounting and assurance. Research on potential impact of Artificial Intelligence, Robotics Process Automation, Blockchain, Cloud Computing and Big Data on accounting and assurance is being undertaken to develop concept papers. The purpose is to help chartered accountants expand their knowledge and enhance their skills in new areas of digital era.

(I) Significant Achievements

- **Post Qualification Course on Information Systems Audit**

Post Qualification Course on Information System Audit (DISA), conducted by the Board, was started in the year 2001 to upskill Chartered Accountants in Information Systems Audit which was in increasing demand. DISA course combined technology, information assurance and information management expertise that enabled a DISA qualified Chartered Accountant to become trusted Information Technology advisor and provider of Information Security

Assurance services. From 2001 till date more than 33030 members have qualified this Course. DISA was also conducted at Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and Institute of Chartered Accountants of Nepal. Digital Accounting and Assurance Board had also updated the syllabus for the Post Qualification Course on Information Systems Audit. A total of 28 Virtual/ Physical batches were organized during the period 1st April 2022 to 30th September 2022.

- **Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection**

The Board conducts "Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection", and till date around 12042 members have qualified this Course. The objective of this specialized Course is to help the chartered accountants attain skill of utilizing accounting, auditing, CAATs/ Data Mining Tools, and investigative skills to detect fraud/ mistakes. 49 batches had been conducted during the period 1st April 2022 to 30th June 2023.

(II) Publications Issued

- Compendium on Forensic Accounting and Investigation Standards (mandatory from 1st July 2023).
- Implementation Guide on Forensic Accounting and Investigation Standards (As on 1st July 2023)-
- Concept Papers on:
- Robotic Process Automation- Opportunities and challenges for Accountancy Profession (2021)
- Blockchain Technology- Adoption and implications for Accountancy Profession (2021) Ø ABCD of Technology Ø A Guide to Internet of Things- Basics & Applications Ø Guide to Cloud Computing (July 2021)

(III) Launch of eLearning Modules

The Board had launched the following eLearning capsule courses at Digital learning hub of ICAI:

- Data Consolidation and Analysis in Microsoft Excel
- Tabular Data to Table in Excel
- Excel beyond numbers
- Logical to Lookups in Excel
- Pivot Tables in Excel
- Gamified series on Post Qualification Course on Information Systems Audit 3.0
- Fundamental of Blockchain
- Fundamentals of Digital Forensics

(IV) Conferences/Webinars/Refresher Course/Training Programmes/Eligibility Test/Assessment Test/Workshop/Seminars

The Board conducted various Conferences/Webinars/Refresher Course/Training Programmes/Eligibility Test/Assessment Test/VCM on Overview of Forensic Accounting and Investigation Standards, Opportunities in Data Analytics for Chartered Accountants, Digital Assurance, Cyber Security, Advance Excel and Data Dashboard, Automation in Financial Reporting, Automation and Transformation in CA profession etc.

6.9 Ethical Standards Board (ESB)

The Institute of Chartered Accountants of India, towards its endeavours to uphold the highest standards of ethics, constituted the Ethical Standards Committee (now called as Ethical Standards Board) in 1976, which was especially charged with the task of evolving appropriate ethical standards and providing guidelines with regard to the observance of the standards by members. The objective of Ethical Standards Board is to set up ethical standards for Chartered Accountants, converge with the International best practices on ethics, subject to local laws, thereby enhancing the quality and consistency of services provided by Chartered Accountants and strengthening the public confidence in the profession. The Ethical Standards Board works towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of `*excellence, independence, integrity*' as also to protect the dignity and interests of the members". The Ethical Standards Board, besides the formulation of ethical principles, also works towards their implementation and adoption. The Board takes steps towards enforcing ethical behaviour among the Chartered Accountants. It reviews the 'Code of Ethics' for members from time to time, and publishes revised editions. The other publication of the Board, namely, 'FAQ on Ethical Issues' is also revised from time to time. Various other one-time publications on issue of professional ethics are also issued by the Board.

(I) Significant Achievements

- Issued booklet on Important Decisions of the Ethical Standards Board/Council. Ethical Standards Board has summarised some of the important clarifications and decisions and has accordingly issued the booklet on

Important Decisions of the Ethical Standards Board / Council. The Booklet contains selected ESB decisions and Council decisions on ethical issues, and applicable provisions and reasoning /justification on the said decisions.

- The three provisions namely Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (Sections 260 and 360), Fees-Relative Size (Paragraphs 410.3 to R410.6) and Tax Services to the Audit Clients (Subsection 604) contained in Volume-I of Code of Ethics, 2019 were deferred from 1st July, 2020 till 30th September, 2022 in the wake of situation prevailing due to Covid-19 at that time, have been made applicable from 1st October 2022 with certain amendments.
- Volume-III of the Code of Ethics has been updated and contains shortlisted important disciplinary cases upto March 2022.
- As per the provision of Volume-II of Code of Ethics, the Chartered Accountant firms may sponsor the events conducted by POUs of the Institute provided the event has the approval of CPE Directorate of the Institute. In pursuance of this, for giving level playing field to the firms and bringing opportunities for academic and professional exchange and opportunities were given to CA firms to *inter alia* sponsor the said event.
- Comments on the Exposure Drafts, Questionnaires and other Pronouncements- The comments on various pronouncements issued by International Ethics Standards Boards for Accountants (IESBA) of International Federation of Accountants were sent by ESB.

(II) Other Activities

- Regularly provides ethics awareness column 'Know your Ethics' in the CA Journal issued every month.
- Presence on Twitter wherein creative of important topics/matter covering the revised code of Ethics are being regularly shared for awareness of members. The objective behind this is to achieve optimum adoption and implementation of revised Code of Ethics by members.
- Issued various clarifications and Frequently Asked Questions on various topics of Ethical issues and uploaded videos presentation on various topics of Ethical issues.
- Organized 9 Virtual CPE programmes and webinars for making members aware on the provisions of revised Code of Ethics.
- Examined and considered three complaints of members against their unjustified removal as auditors as per procedure evolved and taken necessary steps.
- Issued Advisory on use of designation "Chartered Accountant" or prefix "CA" by members while expressing views on professional/non-professional matters publicly including on social media.
- Meeting with Chairperson of International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) was held on 20th November, 2022 at the side-lines of WCOA at Jio Convention Centre at Bandra Kurla Complex, Mumbai. The issues pertaining to sustainability reporting, proposed changes in definition of "public interest entity", NOCLAR adoption and implementation and certain other ethical issues of professional interest were discussed at the Meeting.
- Took various measures to make the CA Connect popular among members and stakeholders. CA Connect Portal is an indigenous system of listing of CA Firms/Individual CA Practitioners on the platform of ICAI. The objective of this Website/Portal is to provide an effective platform for listing. It provides the essential bridge between clients/service receiver/stakeholders and Chartered Accountants.
- Seven Meetings of International Ethics Standards Board (IESBA) were held and attended by ICAI representatives in the relevant period.

(III) Some important clarifications by Ethical Standards Board

The Ethical Standards Board clarifies the issues on professional ethics raised by members and other stakeholders. A total of 50 ethical issues have been clarified by the Board in accordance with the provisions of the Code of Ethics pertaining to independence of auditor, permissible professional services to members in practice, conflict of interest, engagement in other business /occupation, holding of other designation/positions, advertisement & solicitation, etc. Besides, more than 300 queries of members on various professional ethical issues were addressed and resolved by the Secretariat and further reply to enquires made by the Government Agency like Central Bureau of Investigation (CBI), RBI, Economic Offences Wing(EOW), SEBI, CDSL etc. were also made.

Clarifications

- It was clarified that the statutory auditor of an entity is not permitted to engage in assignment of compilation engagement as per SRS 4410.

- It is permissible for members in practice to charge fees on a percentage of utilization amount of an educational Institute for certifying the amount (utilization) spent by an educational Institute out of grant.
- It is permissible for a member in practice to become a partner in an Insolvency Professional Entities/Registered Valuer Entities being a partnership firm or LLP registered with IBBI and also he may become a Whole Time Director/Managing Director in an Insolvency Professional Entities/Registered Valuer Entities after taking prior and specific permission of the Council.
- The Board was of the view that Auditor of a Provident Fund and Pension Fund Trust should not provide investment advisory services to the said trust since the Audit of trust requires the auditor to comment on how funds have been utilized/invested by the trust. Giving an advisory on the same would create the threat of self-review and dilute the independence of auditor.
- It was clarified that members in practice are allowed to take license/registration of investment advisors from SEBI. However, members are not allowed to engage in services of broking, underwriting, portfolio management and cannot take agency of mutual funds etc. The statutory auditor cannot provide investment counselling services to the audit clients as the same is not permissible in terms of the provisions of Companies Act, 2013.
- It was clarified that members in practice can become professional director in Board of Management of a Co-operative Bank.
- It was clarified that members in practice are permissible to accept the position of Honorary special invitee in Board of studies of a university.
- It was clarified that firm of Chartered Accountants can have vision and mission statements provided it should not lead to advertisement or solicitation directly or indirectly. Firm is not permitted to publish its vision or mission statement on letter head, visiting card or stationery etc. The vision and mission statement may be printed on firm profile and may be provided in response to a specific request.

6.10 Expert Advisory Committee (EAC)

The Expert Advisory Committee constituted in the year 1975 is providing relevant and reliable guidance on issues related to application of accounting/ auditing principles. Since its inception, the Committee has been diligently providing opinions on the issues referred to it by the members of the Institute across all industries as well as by the regulatory and government bodies such as, Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Securities and Exchange Board of India (SEBI) etc. In the current era of continuous growth of economy and diversification of business, newer transactions are taking place, wherein accounting professionals sometimes encounter tricky situations concerning application of accounting and/or auditing principles. In this scenario, the role of Expert Advisory Committee becomes significant in providing solutions on complex issues that accountants face while preparing and presenting financial statements.

(I) Expert Opinions

The Committee answers queries in accordance with Advisory Service Rules. According to the Rules, it answers queries relating to accounting and/or auditing principles and does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments. The Committee also does not answer queries involving professional misconduct or on a matter pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. These Rules are available on the website of the ICAI, at its hyperlink, https://www.icai.org/new_post.html?post_id=495&c_id=142 or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

The Expert Advisory Committee finalises an opinion considering the specific facts and circumstances of the query, as supplied by the querist in the light of the relevant laws/ statutes and considering the applicable accounting/auditing principles. Each EAC Opinion contains the date of its finalisation and should be read in the light of any amendments/developments subsequent to such date.

(II) Opinions finalised during the period

The Committee has finalised opinion on 50 queries on various accounting issues.

(III) Compendium of Opinions/Dissemination of knowledge

The opinions issued by the Committee during a Council Year are regularly published as a volume of Compendium of Opinions. So far, 42 volumes of the Compendium of Opinions have been published. These volumes are extensively referred to and relied on by the professionals. For easy reference, these opinions have also been compiled and hosted in the form of an advanced search application on the website of the ICAI. Some of the opinions of the Committee are published in every issue of the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the website of the Institute. In order to disseminate knowledge and to create awareness amongst the members and other stakeholders about EAC opinions, the Expert Advisory Committee

organised a Webinar on 'Recent EAC Opinions' on November 02, 2022 which was attended by almost 1500 participants.

(IV) Activities in Detail

The opinions on the following subjects have been finalised during the period 01.04.2022 to 30.06.2023:

- Timing of capitalisation of transmission lines and sub-stations as an item of Property, Plant and Equipment from capital-work-in-progress and also in case of modernisation work.
- Classification of 'stock of track' as inventory or property, plant and equipment.
- Presentation of accrued interest in the Statement of Cash Flows.
- Applicability of Ind AS 108, 'Operating Segments' on section 25 company of the Companies Act, 1956 (now, section 8 of the Companies Act, 2013).
- Accounting treatment of the transactions related to billing, collection and disbursement (BCD) in the capacity as Central Transmission Utility (CTU).
- Applicability of Ind AS 114 and Presentation of Deferred Tax Liabilities on 'Regulatory Deferral Accounts'.
- Disclosure of changes in inventory of scrap in the Statement of Profit and Loss.
- Accounting treatment of stressed investments of Exempted PF Trusts in the financial statements of the Company.
- Accounting treatment of true-up value arising as per Rate Regulations.
- Adoption of 'Net Book Value' method as one of the valuation technique to measure the fair value of investments in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market.
- Accounting treatment of delayed payment charges.
- Accounting treatment of energy generation during trial run and used internally in manufacturing of final products.
- Classification of PPE under refurbishment, depreciation thereon and its impairment.
- Classification of loan assets and collateral repossessed under SARFAESI Act, 2002 as 'Non-current Assets Held for Sale' as per Ind AS 105.
- Accounting treatment for advance payment made towards way leave charges as a part of laying city gas distribution network.
- Classification of Rail Corridor Asset in the books of account of the Company as tangible/intangible asset and its depreciation/amortisation. *(Include 2 Opinions)*
- Timing of capitalisation of Lignite Handing System and depreciation thereon.
- Preparation of Statement of Profit and Loss in a non-revenue generating organisation.
- Accounting for securitisation arrangement and investments in PTC securities.
- Accounting treatment for upfront/advance payment made towards Hooking-Up Charges as a part for laying City Gas Distribution Network.
- Principal vs. agent relationship for recognition of revenue.
- Timing of capitalisation of irrigation assets.
- Accounting treatment of export incentives. *(Include 2 Opinions)*
- Revenue recognition in case of an implementing agency of the State Government.
- Recognition of miscellaneous scrap items generated in the plant and scrapped assets awaiting disposal under Ind AS Framework.
- Presentation of cash and cash equivalents kept on behalf of clients under Ind AS Framework.
- Recognition of interest on mobilisation advance against project contracts under Ind AS Framework.
- Accounting treatment of subsequent expenditure as per Ind AS 16, 'Property, Plant and Equipment'.
- Classification of Lease Receivables.
- Accounting treatment of revenue on conversion of leasehold land to freehold land under Ind AS framework.
- Accounting for CSR Expenditure under AS framework.

- Treatment of Government Grant under AS framework.
- Accounting treatment of similar leasehold assets held by parent and subsidiary company with different functional currencies and consolidation thereof under Ind AS framework. *(Include 2 Opinions)*
- Presentation of amounts received under Channel Financing Facility as per the requirements of Schedule III to the Companies Act, 2013.
- Accounting treatment of Concession Agreement under AS framework.
- Recognition of Leased Project Assets as Identified Assets as per Ind AS 116.
- Presentation of financials of Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC) Business, in the financials of the Corporation.
- Classification/Presentation of amount paid for acquisition of Land as Inventory or Advance under Ind AS framework.
- Residual Value of Natural Gas/ LPG Transmission Pipeline under Ind AS framework.
- Accounting treatment of Spectrum Charges, Project Promotion Expenses, and Research & Development Expenditure incurred for construction of High Speed Rail Project by the Company, under Ind AS framework. *(Include 3 Opinions)*
- Presentation of Trade Receivables realised by way of discounting of bills in the Financial Statements under Ind AS framework.
- Presentation of standby, stoppage and allied costs incurred during force majeure in the project in the Statement of Profit and Loss.
- Accounting for interest income earned on fixed deposits (FD) made out of Qualified Institutional Placement (QIP) funds and QIP issue expenses, under Ind AS framework.
- Accounting treatment of other income (Bank Interest on Funds invested out of advance received from Ministry of Railways (MoR) termed as External Aided Project (EAP)) under Ind AS framework.
- Presentation of Financials of various Schemes and Funds sponsored by the Government of India (GoI) and managed by Life Insurance Corporation of India (LIC) in the financials of LIC of India.

6.11 Financial Reporting Review Board (FRRB)

The Financial Reporting Review Board (FRRB) is playing a paramount role in improving the financial reporting practices prevailing in India. It was constituted in July 2002, by the ICAI as its non-standing committee as a proactive measure to improve the financial reporting practices in the Country and to improve the quality of audit by the Chartered Accountants. The FRRB reviews the general-purpose financial statements of various enterprises with a view to determine, to the extent possible, compliance with the generally accepted accounting principles in preparation and presentation of financial statements, compliance with the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes/rules and regulations relevant to the enterprise and compliance with the reporting obligations of the enterprise as well as the auditor. The Board comprises of members of the Central Council of the ICAI including Government of India nominee. The Board had also the privilege of the representations from the office of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Board of Indirect taxes and Customs (CBIC), Central Board of Direct taxes (CBDT), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and Central Electricity Authority (CEA) during this period.

Accomplishments of the year:

(I) Undertaken review (Review of Cases selected on suo motto basis or as Special)

The Board has completed the review of 125 cases selected on suo motto basis or as special case. It includes review of 23 financial statements undertaken as special cases and 88 Ind-AS Financial Statements. Out of these 125 cases, 14 cases have been referred to concerned regulators and Director (Discipline) for further action and in 78 cases, Board decided to issue advisory to the auditor of the enterprise.

(II) Contribution to Society – Commitment to Nation

In its endeavour to support regulators as well as to bring transparency in financial reporting, during the period the FRRB has undertaken, as special cases, review of 29 general purpose financial statement and auditor's reports thereon of various enterprises as referred by regulators, based on media reports and other references received which are on different stages of review.

- **Status of review of cases referred by Regulators**
  - ✦ The Board was requested by Election Commission of India to undertake review of the annual audited accounts of at least 6 National political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 Crore. Accordingly, ECI has sent the annual audited accounts of those parties every year. During the period, 1 annual audited accounts of a political party has been sent to FRRB which would be considered by the Board.
  - ✦ A list of CA firms was shared by Office of the Comptroller & Auditor General of India with ICAI, which were identified as "Unsatisfactory Performance as auditors of Public Sector Undertakings". The FRRB has undertaken review of the general purpose Financial Statements of 6 enterprises audited by the same auditor, out of which Board has completed the review of 4 cases and remaining 2 cases would be considered by the Board.
  - ✦ Based on the list of companies under liquidation received from Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), the Board has considered the review of 15 selected companies during the period. Out of these cases, 6 cases have been referred to Director (Discipline) for further investigation and in 4 cases, Board decided to issue advisory to the auditor of the enterprise.

(III) Launching of Web Portal of FRRB: Automation of FRRB workflow using Rule based Analytics

The FRRB web portal was launched in January 2022 with the objective to automate the workflow of FRRB and to identify common non-compliances on the basis of XBRL financial statements using rule-based analytics.The data has been entered for past years review cases so as to create repository of non-compliances. After providing extensive online training to Technical Reviewers and members of Financial Reporting Review Groups (FRRGs), the reviews of during the given period cases, were carried out through portal which are on different stages.

(IV) Publication

The Board has released the Volume II of ‘Study on Compliance with Financial Reporting Requirement (IND AS Framework) in October 2022 with an objective to educate the preparers of financial statements, auditor and other members about the compliance with various financial reporting requirements thus paving the way for enhancing the quality of the financial statements as well as quality of services rendered by the members. It contains pertinent observations of the Board in context of Ind AS, Standards on Auditing and applicable Guidance Notes as well as other

relevant Laws and Statutes. This publication would provide guidance to the members and other stakeholders, so as to enable them to implement these Standards (Ind AS) in the spirit in which these have been formulated.

(V) Article in Journal

With a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the non-compliances observed during the review, the Board initiated a series of articles in journal regarding ‘Non-Compliance with various Reporting Obligations'. In view of the same, 7 articles on ‘Non-Compliance with Reporting Obligations' have been published in the Institute’s Journal, ‘The Chartered Accountant’, in the issue of April, 2022, May 2022, June 2022, September 2022, October 2022, January 2023 and February 2023. These articles covered ‘’Role of FRRB as Improving Financial Reporting Practices’’ and Board’s observation pertaining to ‘’Asset side of Balance Sheet’’, ‘’Equity and Liabilities in Balance Sheet’’, ‘’Components of Profit and Loss’’, ‘’Statement of Cash Flows’’, ‘’Other Disclosures’’ and on CARO 2016. The content under FRRB Update (in ICAI Journal) was well received by the readers.

(VI) Other Articles: Spreading Awareness among members through mass mail

A new initiative has been taken to update the members on various non-compliances observed during the review of the Financial Statements. A mass mail is being sent to members from time-to-time basis. Three mass mails have been sent to members on ‘’Commonly found Non-compliances in Financial Statements of Banks’’ in February 2023, May 2023 and "Commonly found Non-compliances in Financial Statements of Companies – Auditor’s Report and CARO, 2016” in June 2023.

(VII) Twitter Handle-FRRB

In order to spread awareness among the members regarding the non-compliances observed by FRRB and to give regular updates on the same, a twitter account for FRRB has been created in August 2020 wherein 'Did you know?' series is going on with 3,830 followers as on date. Till date, 396 tweets on the errors observed on the compliance related to Accounting Standards (Ind AS and IGAAP) have been posted.

(VIII) Important Event

- **21st World Congress of Accountants – ICAI Pavilion - FRRB**

  21st World Congress of Accountants was a momentous event for the global accountancy profession which,

interalia, exhibited ICAI Pavilion showcasing roles of ICAI in six zones. These zones were namely 'ICAI Regulating the CA Profession', 'ICAI – Partner in Nation Building', 'ICAI Standards Setter', 'ICAI for Fiscal Discipline', 'ICAI – Educator par Excellence'. The ICAI pavilion proved to be a good branding exercise for ICAI and provided an opportunity to various committees of ICAI to showcase their activities of global relevance. FRRB-ICAI has also contributed in ICAI pavilion under the aegis of ''ICAI Regulating the CA profession''. To encourage the delegates and make it interactive, quiz has been conducted through flashcard mode, wherein questions related to common non-compliances observed in context of IGAAP, Ind AS, CARO, Standards on Auditing, Companies Act were asked. The FRRB's publication ''Study on Compliances with Financial Reporting Requirements (Ind AS Framework) – Volume II has been given to delegates to enable improvement in the financial reporting practices and as a token of remembrance of this mega event.

- **2 Day Training Programme for Technical Reviewers and FRRG Members as AKAM activity at Mumbai for Western region, Hyderabad for Southern and Eastern region, and Amritsar for Northern and Central region-** To update the Technical Reviewers (TRs) and members of Financial Reporting review Group (FRRGs) on Ind ASs and equip them with the necessary skills required to review the Ind AS based financial statements '2 Day Residential Workshop for Technical Reviewers and FRRG Members' were organized by FRRB on May 12-13, 2022, at Mumbai, August 25-26, 2022, at Hyderabad, June 2-3, 2023, at Amritsar.

- **Webinars, Seminars, VCMs and Programme**

The Board conducted Virtual CPE Meeting and Seminars/Programme on 'Commonly Found Non-compliances of Financial Reporting Requirements' and Financial Reporting Practices" respectively.

6.12 GST and Indirect Taxes Committee (GST & IDTC)

GST & Indirect Taxes Committee of ICAI is known for supporting the Government, through its rich intellectual and technical prowess, in establishing a fair and simple indirect tax regime in India. The contribution of the Committee during the implementation of GST has been acknowledged by the Government. The Committee is also widely acclaimed for its deep connect with the members. During the year, the Committee made noteworthy contributions in both the areas of its functional domain namely partnering with the Government and empowering the members.

(I) Partnering the Government in Nation Building

Enabling the Centre, States and Union Territories to deliberate and share experiences of the GST journey- National GST Symposium 2022 - Reinforcing Synergy

The Committee hosted a National GST Symposium, 2022 for CGST, SGST and UTGST Officers on 15th and 16th December, 2022 at Chennai. The Hon'ble Minister for Finance and Human Resources Management, Government of Tamil Nadu, Dr. Palanivel Thiaga Rajan inaugurated the Symposium. The Symposium was organised to bring together the Central Tax, State Tax and Union Territory Tax Officers on one platform to foster synergy, discussions and exchange of ideas and to flag issues and brainstorm resolutions. High-ranking officers like Commissioners, Additional Commissioners, Joint Commissioners from GST Council, GSTN, CBIC and Central GST Commissionerates and State Commercial Tax Departments from 20 States and 2 Union Territories participated in the Symposium.

Collaboration with Government of Jammu & Kashmir for organising "Kartavya', a tax awareness programme for taxpayers, trade associations, and other stakeholders

The State Taxes Department, Jammu and Kashmir in collaboration with GST & Indirect Taxes Committee of ICAI organised "Kartavya: A Tax Awareness Initiative" for bulk awareness of taxpayers, trade associations and other stakeholders on 1st March, 2023 at Convention Centre, Jammu. The programme was attended by approx. 450 participants comprising of officers of State Taxes Department, J&K, Drawing & Disbursing officers, taxpayers, chartered accountants and representatives from trade associations etc. Hon'ble Lieutenant Governor of J&K, Shri Manoj Sinha, inaugurated the programme. Chief Secretary, J&K, Dr. Arun Kumar Mehta, Advisor to Lieutenant Governor, Shri Rajeev Rai Bhatnagar and Commissioner, State Taxes, J&K, Dr. Rashmi Singh attended the inaugural session.

Reinforcing GST policy making, implementation and research - Technical inputs

Suggestions on draft Form GSTR-3B: The Committee submitted its suggestions on Draft Form GSTR-3B issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) on 15th September, 2022. Further, the suggestions so submitted were explained to Mr. Sanjay Mangal, Principal Commissioner, GST Policy Wing, CBIC at North Block in a personal meeting on 20th September, 2022. Pursuant to the discussion in the meeting, additional suggestions on how to account for the mismatches in Form GSTR-1 & Form GSTR-3B, and changes that may be required in Form GSTR-9 and Form GSTR-9C to align them with the amended Form GSTR-3B, were submitted to the Principal

Commissioner, CBIC on 4th October, 2022.

(i) **Concept Note on Aggregate Turnover under GST:** The Committee examined the term "aggregate turnover" under the GST/VAT legislations of various countries and summarised its findings and recommendations in a 'Concept Note on Aggregate Turnover' and the same was submitted to the Government for its consideration on 4th July, 2022. It was recommended that the exempt supplies be excluded from the definition of aggregate turnover.

(ii) **Suggestions regarding Removal of Difficulties Order, 2022:** Section 172 of the Central GST Act empowers the Central Government to make such provisions, by issuing a general or special order, as may be necessary for the purpose of removing the difficulty arising in giving effect to any provisions of this Act. Suggestions highlighting certain matters for which removal of difficulty orders may be issued were submitted to the Government on 29th June, 2022 as the power to issue such order was set to expire on 30.06.2022.

(iii) **Review of GST Audit SOP and Manual of Madhya Pradesh:** Based on the request received from the Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh, the Committee reviewed the GST Audit SOP and Manual of the Department.

Striving to make indirect tax laws in the country simple, transparent, certain and equitable - Representations to the Government

(i) Representation to issue a circular on the lines of Internal Circular issued by the Office of Commissioner of State Tax, Maharashtra providing guidelines on legal issues pertaining to return scrutiny for tax periods 2017-18 and 2018-19.

(ii) Representation to include Chartered Accountants as Technical Member of GST Appellate Tribunal.

(iii) Representation to GSTN for configuring the new formula for refund of input tax credit under inverted rate structure as provided under the amended rule 89(5) of the CGST Rules, 2017, at GST portal.

(iv) Representation for empanelment of Chartered Accountants for special audit under Madhya Pradesh SGST Act, 2017

Enriching Agenda of the Union Budget

Pre-Budget Memorandum, 2023 - Indirect Taxes- The Committee submitted its Pre-Budget Memorandum, 2023 containing suggestions on issues relating to customs law to the Government on 30th November, 2022.

Capacity Building Programmes for Officials of Central GST, State GST and Other Government Departments & PSUs- During the reporting period, the Committee organised thirty Capacity Building Programmes for the Officials of the GST Departments of Central Government, State Governments, other Government Departments and PSUs upskilling more than 2600 officers.

Meetings with Legislators

The then Chairman, GST & Indirect Taxes Committee met Hon'ble Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant on 6th July, 2022 and Hon'ble Finance Minister, Government of Odisha, Shri Niranjan Pujari on 27th July, 2022.

The Five-Day Capacity Building Programme organised by the Committee from 25th to 29th April, 2022 for the officers of the Commercial Taxes Department, Bihar was inaugurated by Hon'ble Deputy Chief Minister of Bihar, Mr. Tarkishore Prasad. The National GST Symposium 2022 hosted by the Committee on 15th & 16th December, 2022 was inaugurated by Hon'ble Minister for Finance and Human Resources Management, Government of Tamil Nadu, Dr. Palanivel Thiaga Rajan. The Hon'ble Minister also inaugurated the Two-Day Capacity Building Programme organised for the Officers of Treasuries and Accounts Department, Government of Tamil Nadu on 30th and 31st January, 2023 at Chennai.

The Ministers appreciated the capacity building initiatives being undertaken by the ICAI through its GST & Indirect Taxes Committee for the GST Departments of various State Governments as also the contribution made by the Committee towards GST Knowledge Dissemination.

Meetings with Functionaries of the State Governments

The Committee has been making consistent efforts in reaching out to both Centre and State Governments and discussing ways and means through which the Committee can provide proactive support to them in the policy and implementation of GST. Several meetings were held during the reporting period with various Commissioners of State Tax/GST and the other senior officers of various Central and State Governments to apprise them about the various initiatives taken by the ICAI with regard to GST and discuss ways and means through which the GST & IDT Committee can offer proactive support to the Government in the area of GST.

Meeting with Revenue Secretary

The Chairman and Vice-Chairman, GST & Indirect Taxes Committee attended the meeting convened by GST Policy Wing, Central Board of Indirect Taxes and Customs on 17th June, 2023 to discuss the measures to curb the menace of fake ITC and fake registrations. The meeting was chaired by the Revenue Secretary, Mr. Sanjay Malhotra.

(II) Empowering Members

E-Initiatives

- **10 Point GST Series – A new initiative towards GST Knowledge Dissemination:** 10 point GST Series, a short video series, has been developed with the objective of creating awareness and spreading knowledge of GST amongst all stakeholders. GST law is explained in the simplest possible manner in the short videos so that the general public can also get a basic understanding of GST. Different aspects of GST law are being covered in this video series, with each aspect being explained in 10 points in one video. The series is an ongoing feature where videos are being uploaded at regular intervals. A total of 15 short videos have been developed and hosted on the Committee website and the ICAI Digital Learning Hub.

- **Live Webcasts/Webinars/VCMs:** During the reporting period, the Committee organised 12 live webcasts/webinars and 7 virtual CPE meetings on various contemporary topics in GST which were attended by 12,384 delegates.

- **ICAI Newsletter on GST:** During the reporting period, four editions of the ICAI –Newsletter on GST have been published. As per the practice, 3000 copies of each of the edition were printed and sent to Members of Parliament, GST Council Members, State Cabinet Minister and Government Officials.

  - **GST Updates:** GST law is an extremely dynamic law with multitude of notifications / circulars /orders / instructions being issued frequently. With a view to keep the members abreast with such frequent changes, GST Updates containing the summary of such changes are prepared by the Committee as and when any notification / circular / order / instruction etc. is being issued by the CBIC and mailed to over 50,000 users registered on the website of the Committee as also uploaded on the website of the Committee.

  - **E-Publications – a tool to update members:** The Committee has uploaded all its publications, all the issues of its GST Newsletter etc. on its website which can be downloaded by any stakeholder free of cost. Over 15,000 copies of such publications have been downloaded by various stakeholders during the reporting period.

  - **E-learning on GST and UAE VAT:** E-learning covering various important aspects of GST has been hosted at ICAI Digital Learning Hub. This facility is available to all members free of cost facilitating them in learning anytime & from anywhere. 13,636 members have subscribed to this e-learning. E-learning on UAE VAT covering various important aspects of UAE VAT has been hosted at ICAI Digital Learning Hub. This facility is available to all members free of cost facilitating them in learning anytime & from anywhere. 2,182 members have subscribed to this e-learning.

  - **Website of the Committee:** The Committee has its website https://idtc.icai.org/ which works as a one stop solution for everyone looking for any information on indirect taxes and GST. All the technical publications developed/revised by the Committee are uploaded on the website for free download by all stakeholders. The website also provides information about other initiatives of the Committee like GST Updates, Pre & Post Budget Memoranda, Suggestions and Representations submitted to the Government, Certificate Course on GST, CPE events and other programmes organised by the Committee etc. The website has been subscribed to by over 50,000 users and on an average, 300 users (approx) visit the website of the Committee every day.

(III) International Initiatives

- **Certificate Course on UAE VAT:** The Committee, through Dubai Chapter, organised two batches of Certificate Course on UAE VAT at Dubai and Oman training 20 members. Further, an Assessment Test for the Certificate Course on UAE VAT was conducted online on 11th December, 2022 wherein 13 members successfully passed the Assessment Test.

- **Webinar on Progressive VAT:** The Committee organised a webinar on Progressive VAT on 9th June, 2022 which was attended by 1400 members. The Webinar was addressed by Professor Rita De La Feria, Chair in Tax Law at the School of Law, University of Leeds.

(IV) Publications - A Research Initiative

- Background Material on GST – April (11th) 2023 Revised Edition
- GST Act(S) and Rule(S) - Bare Law - April 2023 Revised Edition

- Handbook on Blocked Credit under GST – January, 2023 - New
- Significant Judicial and Advance Rulings in GST - A Compilation – December, 2022 - New
- Handbook on Inspection, Search, Seizure and Arrest under GST – August, 2022 - New
- Handbook on Exempted Supplies under GST - January, 2023 - Revised Edition
- Handbook on Invoicing under GST - December, 2022 - Revised Edition
- Handbook on Returns and Payments under GST – October, 2022 - Revised Edition
- Handbook on Annual Return under GST – October, 2022 - Revised Edition
- Handbook on Composition Scheme under GST – Augst, 2022 - Revised Edition
- Handbook on Accounts and Records under GST – June, 2022 - Revised Edition

(V) Programmes and Courses

- **Certificate Course on GST**

  The Committee has organised twelve physical batches of Certificate Course on GST during the reporting period across India which were attended by 418 members. Further, 209 members have passed the Assessment Test of the Course organised by the Committee during the reporting period and awarded Certificate.

- **CPE Events on GST**

  With a view to update the members with the latest developments in GST & other indirect taxes, the Committee has organised 49 physical CPE events (national conferences, workshops, seminars etc.) during the reporting period upskilling more than 8,591 members.

6.13 Board of Internal Audit and Management Accounting (BIAMA)

Internal Audit is one of the most important pillars of the governance framework in any organisation. The Institute of Chartered Accountants of India foresightedly realised the growing importance of the Internal Audit in profession, and 19 years ago in February 2004 constituted the "Committee for Internal Audit". This Committee was subsequently, in November 2008, renamed as "Internal Audit Standards Board", when the importance of issuing Internal Audit Standards was recognised. Since then, the Board has been doing exemplary work in the Internal Audit Profession and, in addition, overseeing the whole Concurrent Bank Audit agenda. A total of 22 Standards have been issued so far, along with Technical and Generic Guides on Internal Audit covering various topics and industries. Certificate Courses on Concurrent Audit, Internal Audit and Risk Management have also been commended by the Board over a period of time. Further, the Committee on Management Accounting is merged with Internal Audit Standards Board and the Board is renamed as Board of Internal Audit and Management Accounting.

(I) Standards on Internal Audit (SIAs)

Standards on Internal Audit (SIAs) represent a codification of the best practices for internal auditors. The Board has issued following six Standards during the period:

- SIA 130, Risk Management
- SIA 520, Internal Auditing in Information Technology Environment
- SIA 530, Third Party Service Provider
- SIA 140, Governance
- SIA 150, Compliance with Laws and Regulations
- SIA 250, Communication with Those Charged with Governance

The following Standards are in Draft stage:

- SIA 710, Conducting Operational Reviews
- SIA 740, Review of Performance by Staff and Management

(II) Industry Specific and Generic Internal Audit Guides

The Board had issued following Guide on Internal Audit:

- Technical Guide on Internal Audit of Retail Industry
- Technical Guide on Internal Audit of Educational Institutions
- Technical Guide on Internal Audit of Textile Industry

The Board is finalising Technical Guide on Internal Audit of Coal Industry for printing.

The Board has constituted study groups for following projects:

- Internal Audit Checklist
- Technical Guide on Internal Audit of Hotel Industry
- Internal Audit of Pharmaceutical Industry

(III) Diploma on Management and Business Finance (DMBF)

The Board of Internal Audit and Management Accounting of the ICAI is conducting Post Qualification Course- Diploma on Management and Business Finance (DMBF) to enable the members to gain acumen, expertise and in-depth knowledge in the areas of Management and Business Finance. It also allow the members to gain deep strategy and leadership insights and enhance their decision-making abilities as well as strengthen their managerial competencies and skills so that they can contribute to the clients/ organizations/ firms they work for, more effectively and diligently. During the period 2022-23, the Board has completed the 3rd batch of DMBF Course and from January 28, 2023, the Board started conducting its 4th batch of DMBF Course including completion of 100 hours of Online Classroom Training Sessions and Three Weekends Online Program in association with Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies (JBIMS), Mumbai through Digital Learning Hub.

(IV) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board of Internal Audit and Management Accounting of the ICAI is conducting Certificate Course on Concurrent Audit of Banks to enable members to supplement the effort of the banks in carrying out internal check of the transactions and other verifications and compliance with the procedures laid down, improve the effectiveness of concurrent audit system in banks, improve quality and coverage of concurrent audit reports and understand the intricacies of concurrent audit of banks. The Board had organised 16 batches of Virtual Certificate Course on Concurrent Audit of Banks during the period and around 2260 participants have successfully completed the course.

(V) Certificate Course on Internal Audit

Internal Audit is a vibrant, rapidly growing, globally recognised profession that is helping organisations manage their risk, governance and compliance processes. The Institute is committed to develop its members as internal audit professionals by providing them with the knowledge, skills and expertise essential to succeed in the profession. The Institute has much to offer in the area of best-practice tools, techniques and practices, which can be deployed to help organisations achieve their objectives. Certificate Course on Internal Audit has been completely revamped by Board of Internal Audit and Management Accounting, ICAI with new topics and heavy dose of information technology, being launched in a contemporary format to serve the needs of all stakeholders. The Board has conducted first batch of Certificate Course on Internal Audit in December 2022 in online mode and 41 members have successfully completed the said Course. The Board is conducting 2nd Batch of the Course from July 7, 2023 through Digital Learning Hub.

(VI) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform of dissemination of knowledge among members, the Board has organized 40 webinars and 18 Virtual CPE Programs on Internal Audit with the special theme - "Standards on Internal Audit-Keeping Pace with Reforms", " Global Trends in Internal Audit- A Look Ahead", Building an Effective Internal Audit- Industry wise", "Compliance & Audit in the Digital Era - Opportunities and Challenges", "Internal Audit of Banking, Financial Services and Insurance Sector" in virtual mode, National Conferences on Internal Auditor, The New Age Value Creator for Businesses" (in Hybrid Mode), Faculty Development Program-September, Seminar on Internal Audit 4 Days' Capacity Building Programme on Standards on Internal Audit (SIAs).

(VII) Training Program on Internal Audit for PSUs

The Board has conducted Training Program on Internal Audit for BHEL in March 2023. Total 20 officials of BHEL attended the said program.

(VIII) Meetings with Officials of Comptroller and Auditor General of India

The Chairman, Board of Internal Audit and Management Accounting, ICAI has a meeting with officials of Comptroller & Auditor General on April 3, 2023 at Delhi.

(IX) The Board has participated and set up the ICAI Pavilion on the Standards Setting zone at the "World Congress of Accountants" held at Mumbai on November 18- 21, 2022.

(X) E- Learning on Internal Audit – At present 3228 members have joined this course**.**

6.14 Committee on International Taxation (CITAX)

The Committee on International taxation helps members to build their working knowledge on the provisions

of International Taxation and to acquire an analytical approach to apply this working knowledge to specific problem areas in a variety of practical situations. This is done through publications on important topics, organising Diploma Course on International Taxation (including transfer Pricing), organising Workshops, Seminars, Conferences, Refresher Courses, and Residential Refresher courses, e-learning or similar programmes. The Committee also examine the Tax Laws, Rules, Circulars, Notifications, DTAA etc. relating to International Taxation which may be enacted or issued by the Government or other institutions from time to time and send suitable representation to appropriate authorities.

(I) Representations/ interactions with Government

- Submission of suggestions pertaining to International taxation for the Pre-budget Memorandum, 2023
- Submission of Post Budget Suggestions pertaining to International taxation for inclusion in the Post-Budget Memorandum 2023
- As a partner in nation building, the following interactions had been taken place with tax authorities to find out the ways to minimize litigation between Taxpayers and Tax Authorities to find out the ways to increase the tax base of the Country ; to mitigate the tax evasion; to extend invitation to address seminars /conferences /webcasts /Diploma courses/Refresher courses/capsule courses etc. so as to provide opportunities to the members to listen and interact with tax policy makers to understand Government's views as well as share their thoughts:

✦ Vice-Chairman, CITAX met Mr. Sunil Mathur, DGIT (Inv.), Chennai, Mr. Premanand J Additional CIT-I (Intl. Tax) and Mr. Sivashankar, Additional CIT-I (Intl. Tax) on 27.4.2022.

✦ One of members of CITAX met wih Ms. Renu Jauhari, DGIT (Inv.), Jaipur on 2.5.2022.

✦ One of members of CITAX met with Shri Ravindra Kumar, Pr. CCIT, Gujarat on 16.06.2022.

(II) Representations/ suggestions on draft OECD/UN papers on different subjects

- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of Public Consultation on the Globe Implementation Framework (Pillar 2)
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope under Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Questionnaire in respect of Crypto-Asset Reporting Framework and Common Reporting Standard Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope under Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Extractives Exclusion under Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation on Pillar One – Amount A: Regulated Financial Services Exclusion
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation on BEPS 2.0 Pillar One – A Tax Certainty Framework for Amount A and Tax Certainty for issues related to Amount A
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation on the technical design of Amount A.
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation on the Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation Document on Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures of Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation Document on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

(III) Conferences/Seminars/Workshops/Webcasts on International Taxation/Refresher Course

The Committee organised 3 Seminars on International Taxation, 3 National Conferences on International Taxation, 7 Live Webinars on 'Panel Discussion – Impact of recent developments in tax laws of India regarding digital transactions and OECD's proposals on Pillar 1 & 2 – jurisdictional issues, tax incidence and TDS provisions', 'Panel Discussion – Topic 1 - Tax treatment and challenges for Indian investment in Oman – Key areas to be kept in mind and Topic 2 - Tax incentives by India for foreign investments and areas to be kept in mind while making

investment abroad – special reference to the DTAA between India and Oman', 'Panel Discussion on Tax treatment and challenges for Indian investment in Canada – Key areas to be kept in mind and Tax incentives by India for foreign investments and areas to be kept in mind while making investment abroad – special reference to the DTAA between India and Canada', Panel Discussion on Important Developments in Transfer Pricing of Intangible, Panel Discussion - Tax treatment and challenges for Indian investment in Singapore – Key areas to be kept in mind and Tax incentives by India for foreign investments and areas to be kept in mind while making investment abroad – special reference to the DTAA between India and Singapore, Highlights of tax proposals of Union Budget 2023-24", Panel Discussion on Union Budget 2023 (Taxation), 3 Virtual CPE meetings, 1 workshop on Budget Viewing Session (Union Budget 2023-24) and 5 days virtual refresher course on International Taxation.

(IV) Post Qualification Diploma in International Taxation/Certificate Course on UAE Corporate Tax

The Committee has conducted following batches of Diploma Course in International Taxation:

Diploma in International Taxation through Online and Physical Mode

Batch No.	**Batch Place**	**Date of commencement of the batch**	**No. of Participants**	**Status**
Ninth	Online	20.06.2022	140	Completed
Tenth	Online	20.03.2023	182	Completed
26th	Ahmedabad	28.01.2023	40	Completed
27th	Delhi	29.04.2023	65	Ongoing

The Committee has launched Certificate Course on UAE Corporate Tax in February, 2023.

Certificate Course on UAE Corporate Tax – Physical Mode

Batch No.	**Batch Place**	**Date of commencement of the batch**	**No. of Participants**	**Status**
1st	Abu Dhabi	4.02.2023	16	Completed
2nd	Dubai	5.02.2023	41	Completed

(V) Other initiatives

- The Committee has launched its new course viz. Certificate Course on UAE Corporate Tax at Abu Dhabi and Dubai on 4th February, 2023 and 5th February, 2023 respectively.
- Examination Pattern of International Taxation Assessment Test (INTT-AT) has been changed to make it open book case study based INTT-AT.
- The Committee has revised its following publications:

✦ Technical Guide on Expatriates Taxation

✦ Technical Guide on Royalty and Fees for Technical Services

✦ Guidance Note on Report under Section 92E of the Income Tax Act, 1961 (Transfer Pricing) (Based on the law as amended by the Finance Act, 2022)

✦ Background Material of Diploma in International Taxation consisting of

Paper 1 International Tax - Transfer pricing

Paper 2 - International Tax - Practice (Part I and Part II)

- The Committee has finalized and released its new publication titled Technical Guide on Royalty and Fees for Technical Services.
- The Committee participated in the event Pravasiya Bharat Sammelan and Global Investment Summit held in Indore, Madhya Pradesh with booth allotted to Taxation.
- The Committee has entered in the MOU with Capital Market which has agreed to grant licenses of Capitaline AWS TP corporate database (upgraded version) for next three years to the practicing Chartered Accountants and CA firms at a special discounted offer as below:

✦ Capitaline AWS TP (Cloud and Browser based) – Rs. 25,000/- per login per annum plus GST for one year

- ✦ Capitaline AWS TP (Cloud and Browser based) - Rs.55,000/-per login plus taxes if, taken for 3 years with upfront payment.
- Regular updates on the subjects of international taxation and transfer pricing to ICAI members to keep them abreast of the changes happening in the area.

6.15 Committee for Members in Industry and Business (CMI&B)

Campus Placement Programme (held twice a year) provides a platform to both the Newly Qualified Chartered Accountants (NQCAs) and the organizations looking to hire the best available talent to fulfil their Human Resource requirement. This programme, being a one stop solution, offers a unique opportunity to the employers to interact with the NQCAs, peruse the particulars of a huge pool of promising professionals and recruit the suitable one(s) who is found to be better than the best.

55th edition of Campus Placement Programme – February-March 2022

The 55th edition of Campus placement Programme covered the candidates who had passed final examination held in December, 2021 examinations. The interviews were successfully completed at 21 centres (9 major and 12 smaller). The statistical information of (55th edition) is as under:

Campus Placement Programme	Campus February-March 2022
No of Qualified CAs	14186
Number of candidates registered	10197
Total number of companies participated	173
Number of interview teams formed by the participating organisations	504
Number of Jobs Offered by the participating companies	7360
Number of Jobs accepted by participating candidates	5538
Highest salary (cost to company) offered	Rs.30.30 LPA by Deutsche CIB Centre for domestic posting
Average salary	INR 10.57 LPA

A combined Virtual Orientation Programme was held on 9th April, 2022 for the candidates registered at 12 smaller centres (Bhubaneshwar, Chandigarh, Coimbatore, Durgapur, Ernakulam, Indore, Kanpur, Nagpur, Noida, Rajkot, Thane & Visakhapatnam).

56th edition of Campus Placement Programme - August-September 2022

The 56th edition of Campus placement Programme covered the candidates who had passed final examination held in May, 2022 examinations and Candidates who passed final examination at the immediate previous examination, but did not register for the then campus programme, were allowed to register. The interviews were successfully completed at 27 centres (9 major and 18 smaller) and 6 new smaller centres were added (Bhopal, Lucknow, Patna, Raipur, Ranchi & Vadodara). All 9 bigger centres premier day slot were given, instead of the earlier practice of 5 bigger centres i.e. Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai & Kolkata. Minimum CTC threshold was increased from Rs.6 LPA to Rs. 9 LPA at all existing 21 centres. For 6 new centres, minimum CTC was kept at Rs.7.2 LPA. The statistical information of (56th edition) is as under:

Campus Placement Programme	Campus August-September 2022
Total Registered Candidates	10253
Total No. of Organizations participated	135
Total declared vacancies	8595 at 9 bigger centres 3033 at 18 smaller centres
Total shortlisted candidates	10150 at 9 bigger centres 6033 at 18 smaller centres
Number of Jobs Offered by the participating companies	5194
Number of Jobs accepted by participating candidates	3521
Highest salary paid for Domestic Posting	D.E. Shaw India Pvt. Ltd. – Rs.31.50 lakhs per annum
Highest salary paid for International Posting	Swiss Singapore India Pvt Ltd – Rs.41 lakhs per

	annum
Average salary	Rs.12.48 lakhs per annum

An Orientation Programme was organized in physical mode at the 9 bigger centres from 3rd August to 9th August, 2022 and mock interview in virtual mode at 9 bigger centres from 22nd to 27th August, 2022.

(I) Career Ascent Programme for placement of experienced Chartered Accountants

CMI&B offers a customized Campus Placement Programme for the experienced Chartered Accountants which provides a platform to the Chartered Accountants to secure career advancement in leading organisations and excellent opportunity for organisations to recruit best of finance and accounts professionals. This drive is an extended dimension to the existing campus placement programme, being regularly undertaken by CMI&B for the Newly Qualified Chartered Accountants, twice a year. A snapshot of the programme for June, 2022 is given below:

Career Ascent programme	2022
Number of Organizations	98
Number of members registered	2241
Number of vacancies offered	4654

(II) First Placement Programme for Women CAs

ICAI has been taking several measures to develop capacities of women members to effectively utilize their professional knowledge and expertise. In the spirit of empowering women members, the ICAI has been keeping women-member specific initiatives high on its agenda. CMI&B to extend its support in the agenda of ICAI organized First Placement programme for Woman CAs jointly with Woman Member Empowerment Committee (WMEC). First Placement Programme for Women CAs jointly with Woman Member Empowerment Committee was held virtually at 9 bigger and 12 smaller centres on 31st October and 1st November, 2022. The recruiters and candidates were given option of flexi-timings, part time and work from home. The Brief statistics is as below:

Total Registered members	1613
Total No. of Organizations	81
Total no. of Interview Teams	133
Declared Vacancies	1179
Shortlisted candidates	1376
Consented candidates	1039
Total Unique offered candidates	97
Total offer accepted candidates	50

(III) Overseas Campus Placement Programme

Overseas HR Meet, Dubai & Abhu Dhabi on 31st October, 2022

CMIB jointly with CDITS&WTO organized an Overseas HR Meet on 31st October, 2022 at Dubai and Abu Dhabi which was a precursor to the Overseas Campus placement programme planned on physically-cum-virtually mode in Jan-Feb 2023. The programme was supported by 4 overseas chapters in UAE viz. Dubai, Abu Dhabi, Fujairah and Ras Al Khaima. CMI&B organized Overseas Campus Placement programme Jointly with Committee for Development of International Trade, Services & WTO in January-February 2023. A total of 2579 members had registered for the programme, 222 in Abu Dhabi and 2357 in Dubai. 36 organizations participated in the programme, offering 150 vacancies to potential members. These organizations were mainly from the Middle East.

(IV) Annual Awards to recognise CA achievers in industry and business

The ICAI had instituted ICAI Awards way back in the year 2007 to recognize the members who have demonstrated excellence and portrayed an abiding commitment to achieve heights as CA professional. These awards seek to honour individuals who possess excellent skills, dedication, enthusiasm, leadership, and the ability to deliver the best that we all strive to emulate. This year, the Award process had started on 28th September, 2022 with registration of nominations under 9 main categories.178 nominations were received online for above categories and 3 nominations were received offline for Jury Award categories viz. CA in Public Service and CA Hall of Fame. Among

178 nominations 132 nominations were found eligible and were placed before the Nomination Committee comprising of below mentioned members met on 20th December, 2022 at New Delhi and had shortlisted 47 names under various categories for placing before the Jury.

The Jury Meet was held on 28th December, 2022 at Mumbai having the Jury Chairman, Shri Dilip Shanghvi, Managing Director, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. and selected 20 awardees under various categories of awards. The 16th ICAI Awards along with the Leadership Summit, 2023 was organized on 10th January, 2023, Taj Bengal, Kolkata. Shri C.V. Ananda Bose, Hon'ble Governor, West Bengal was the Chief Guest at the event. The Leadership Summit was organised on pertinent topics relevant to the CA Profession in which industry experts, thought leaders, entrepreneurs and professionals participated. Various eminent speakers participated in Panel discussions on "Sustainability & Scalability", "Digital Transformation" and "Future of Finance".

(V) Programmes and Events organized by CMI&B during the Year

Production and telecast of Talk Show series Season 2 on T V channel titles, " Chartered Accountants: The Growth Gears:

The CMI&B produced a Talk Show and telecast the same on Zee Business TV as a serial named, "Chartered Accountants: The Growth Gears". Each of the episodes of the Talk Show featured one prominent Chartered Accountant of great intellect and eminence, a high achiever who had through his/ her hard work and dedication, crossed several milestones and attained a high level of professional accomplishments. Such talk shows showcase the profession and motivate members to achieve greater heights. This show inspired budding professionals and new entrants of the profession. The show was telecast on Zee Business TV on Sundays at 11:26 am.

Season-2

Episodes	Date of telecase	Featuring prominent CA
1st	14th August, 2022	CA. Keki M Mistry, Vice Chairman & CEO, Housing Development Finance Corporation
2nd	28th August, 2022	CA. Nilesh Shah, MD & CEO, Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
3rd	11th September, 2022	CA. Tajender Luthra, IPS, Chief of Police of Union Territory of Chandigarh, Govt. of India
4th	25th September, 2022	CA. Vibha Padalkar, MD & CEO, HDFC Life Insurance Co. Ltd.
5th	9th October, 2022	CA. Zarin Daruwala, CEO, Standard Chartered Bank-India
6th	23rd October, 2022	CA. Ranjan Kumar Sharma, IPS, DIG, CID, Pune
7th	13th November, 2022	CA. Deepak Kedia, IPS, Inspector General (IG), National Security Guard (NSG), Ministry of Home Affairs
8th	27th November, 2022	CA. Shekhar Bhandari, President – Global Transaction Banking, Kotak Mahindra Bank Ltd.
9th	11th December, 2022	CA. Anuj Dayal Mathur, MD & CEO, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
10th	25th December, 2022	CA. George Alexander Muthoot, MD, The Muthoot Group of Companies
11th	15th January, 2023	CA. Subhash Chand Aggarwal, CMD, SMC Group
12th	29th January, 2023	CA. Sanjiv Mehta MD & CEO, Hindustan Unilever Limited.

(VI) Management Development Programme for CA final rank holders

CMI&B organised 7th Batch of Management Development Programme for May 2022 examination rank holders to improve their managerial & leadership skills, to enable them to attain good pay packages. This batch was organized from 3rd August to 13th August 2022 in collaboration with IIM Lucknow, on Physical mode and The 8th Batch for Nov 2022 examination rank holders was organized from 30th January 2023 to 9th February 2023 in collaboration with IIM, Raipur (Chhattisgarh), on Physical mode.

(VII) Executive Development Programme for newly qualified persons

CMI&B started a new initiative of conducting EDPs for the newly qualified persons, as hitherto, MDPs were being conducted only for rank holders. There was no similar programme for non-rank holders, who also need to upgrade their skills so as to present themselves better in the job market. We had successfully organized 10 batches last year. This year, the Committee organized an 11th batch for July 2021 CA final examination pass-outs. It was a 7-day

programme with 2-hour sessions on each day, and was held from 17th to 23rd April 2021.

(VIII) Management Development Programme for Middle level Managers

CMI&B started a new initiative of specially designed Management Development Programme for Middle Level Managers specifically designed for CAs in terms of various managerial and leadership abilities that will enhance their overall understanding of the business in addition to their strong technical proficiency and help them in upscaling their competence to reach top positions in their organisation. The Committee had organized two batches last year and this year, the 3rd Batch was organised as a 3-Day Residential Management Development Programme from 7th to 9th December, 2021 at the Srinagar campus of IIM Jammu.

(IX) Interactive Meets with CFOs

Sl.No	CFO Meet	Date and Venue	Theme	Chief Guest
1	Virtual interactive Meet of CFOs(having 2 Structures CPE Hours)	11th June, 2022 (11 am to 1 pm)	Job 2.0 Rebooting to Meta Era	--
2	An interactive Meet of CFOs	26th August, 2022 at Hotel Radisson Blu, Ranchi, Jharkhand	--	Shri Hemant Soren, Hon'ble Chief Minister of the State of Jharkhand as Chief Guest of the programme and Smt. Vandana Dadel, IAS, Principal Secretary, Department of Industries, Government of Jharkhand, and Shri Jitendra Kumar Singh, IAS, Director, Department of Industries, Government of Jharkhand as Guests of Honor.
3	CFOs Meet jointly by CMI&B, SAFA and WBIDC	14th October 2022 at ITC Royal Bengal, Kolkata	S^3: Sustainability, Scalability and Strategy	Hon'ble Dr. Sashi Panja, Minister of Industries, Commerce & Enterprises and Public Enterprises & Industrial Reconstruction and Women, Child Development & Social Welfare of the Government of West Bengal, inaugurated the event with top industry leaders.
4	Interactive meet of CFOs	21st October, 2022 at Hotel Le-Meridien, Delhi	--	CA. M.P. Mehrotra, CMD of VLS Finance Ltd.
5	Interactive meet of CFOs	4th November, 2022 at Hotel Taj Skyline, Ahmedabad	--	The then Vice President, ICAI along with the then Chairman, CMI&B, Central Council Member, ICAI, the then Vice Chairman, CMI&B, ICAI, the then Chairman, Ahmedabad Branch of ICAI, and the then Secretary, Ahmedabad Branch of ICAI.
6	CFO Meet	19th November 2022, from 4:00 P.M. onwards at the Council Hall, ICAI, BKC, Mumbai	Transition from CFO to CEO	Past President, ICAI and Member, PAIB, IFAC, along with the then President, ICAI, the then Vice President, ICAI, and the then Chairman, CMI&B, ICAI.
7	CFO Meet	24th November 2022 at Hotel Le-Meridien, Gurugram	S^3: Sustainability, Scalability and Strategy	The then Vice Chairman, CMI&B ICAI and three Central Council Members, ICAI
8	CFO Meet	23rd November 2022 at the Hotel Fortune Inn,	S^3: Sustainability, Scalability and Strategy	The then Vice Chairman, CMI&B, ICAI, , Three Central Council Members,

		Noida		ICAI, the then Chairman, Gurugram Branch, NIRC of ICAI and the then Secretary, Gurugram Branch, NIRC of ICAI.
9	CFO Meet	8th December, 2022 at the Hotel Pride, Nagpur	^3: Sustainability, Scalability and Strategy	The then Vice President, ICAI along with Past President, ICAI, the then Chairman, CMI&B, ICAI, the then Vice Chairman, CMI&B, ICAI, the then Chairman, Nagpur Branch, WIRC of ICAI, the then Vice Chairman, Nagpur Branch, WIRC of ICAI and the then Secretary, Nagpur Branch, WIRC of ICAI.
10	CFO Meet	23rd December, 2022 at M K Hotel, Amritsar	S^3: Sustainability, Scalability and Strategy	--
11	CFO Meet	6th January,2023 at J W Marriot Hotel, Chandigarh	S^3: Sustainability, Scalability and Strategy	CA. Sanjay Tandon, CMD, Competent Group, the then Vice Chairman, CMI&B, ICAI, the then Chairman, Chandigarh Branch, NIRC of ICAI, the then Vice Chairman, Chandigarh Branch, NIRC of ICAI and the then Treasurer, Chandigarh Branch, NIRC of ICAI.

(X) Other Programmes

Sl.No	Programme	Topic	Date and place
1	Meet	Impact of Inflation on Indian Industries	4th July, 2022 at Kolkatta
2	Webinar	NOCLAR and other applicable provisions of Code of Ethics to Members in Service	30th July, 2022
3	Conclave	Members of the Industry Conclave	24th September, 2022 at Indore
4	Seminar	One Day Members in Industry Seminar	24th December, 2022 at Jamnagar
5	Competition	Three-tier competition for Members in industry & business, under the theme "Ideas@75"	--

(XI) Signing of MOU Between ICAI and SCOPE, Scope Auditorium, New Delhi on 14th July, 2022

A Memorandum of Understanding was signed between the Institute of Chartered Accountants of India and Standing Conference of Public Enterprises at a ceremony held on 14th July, 2022 at SCOPE Auditorium, New Delhi.

(XII) Study Report on performance of industries of various states

CMI&B has collaborated with the reputed institutions namely St. Xavier's College, Kolkata, Management Development Institute, Gurugram, IIM Lucknow, and Loyola Institute of Business Administration, Tamil Nadu for conducting the study on the performance of Industries in various states. In this regard, virtual discussions with economists and academicians on the study report on the industries of West Bengal were organized on 19th December, 2022 and that on the Study report on the industries of Haryana were organized on 26th December, 2022.

(XIII) Recognition of 40 CA Business Leaders under the age of 40 –Event titled "40 UNDER 40 – CA BUSINESS LEADERS"

In recognition of their onerous contributions and to reward young outstanding performers amongst members, on the eve of 75 years of India's Independence, CMI&B decided to organise an event in association with CNBC-TV 18 titled, 'CA Business Leaders - 40 Under 40. Through these awards, CMI&B celebrates the spirit of excellence of young and dynamic Chartered Accountants under the age of 40, across diverse fields ranging from industry to entrepreneurship to public service. 40 CAs were awarded in an event 'CA 40 Under 40 Awards' held on 16th March, 2023, New Delhi.

6.16 Peer Review Board (PRB)

Established in the year 2002, the Board is progressing since inception and is continuously providing guidance to the members to enhance the efficiency of assurance services rendered by them. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

The Peer Reviewed firms have also been given recognition even by the regulators as stated below:-

- SEBI with effect from April 1, 2010, has made it mandatory for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.
- The Comptroller and Auditor General of India (C & AG) has revised the Policy of Empanelment of CA Firms/LLPs and appointment of auditors of Companies under Section 139(5) and 139(7) of the Companies Act 2013 and of Statutory Corporations/Autonomous Bodies as per the provisions of their respective acts. A maximum of 25 points have been allotted to firms which hold a Peer Review Certificate on the date of making an application for empanelment.

(I) Peer Review of Practice Units:

The Board has been making continuous efforts to make the Peer Review mechanism more effective to cover more practice units being peer reviewed. The level of awareness created during the last 21 years has indeed brought about an overall improvement in the quality of attest services rendered by our members. The Peer Review Board has considered and issued 15255 Peer Review Certificates till June 30, 2023.

(II) Deferment of phase II of the Peer Review Mandate

The second phase of the mandate was earlier applicable w.e.f April 1, 2023 for the Practice Units which propose to undertake Statutory Audit of unlisted public companies having paid-up capital of not less than rupees 500 crores or having annual turnover of not less than rupees 1000 crores or having, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits of not less than rupees 500 crores as on the 31st March of immediately preceding financial year OR Practice units rendering attestation services and having 5 or more. Considering that some of the Practice Units which require to get themselves Peer Reviewed under the 2nd phase of the Peer Review mandate were not ready for the same, the Council decided to defer the applicability of the second phase of the mandate by three months to be made effective from July 1, 2023. However, as most of the firms covered under 2nd phase of the mandate were not yet Peer Reviewed, the Council further decided to extend the applicability of the mandate to be applicable w.e.f 31st March 2024.

(III) Training & Empanelment of Peer Reviewers:

- **Training Programme for Peer Reviewers:**

The Board conducts training programmes for members to empanel them as Peer Reviewers with the Board. The training sessions guide them the about the methodology of conducting Peer Reviews. During the period from April 1 2022 till June 30, 2023, the Board has organized 67 Peer Review training programmes physically and 9 training programmes through Virtual mode.

- **Online Tests for empanelment of Peer Reviewers:**

Online tests for empanelment of Peer Reviewers are being conducted every alternate week for the members who have attended the training and are eligible to become Peer Reviewers. Final Assessment Tests are organized every alternate Fridays. In addition to this, Mock Tests are organized for every Final Tests on each preceding Fridays. These tests are being organised twice every Friday- one in the morning and the other in the afternoon. Accordingly, 52 Final and 52 mock tests are targeted to be organised in a year. Total 2679 members have cleared the online test held by the Board till now.

6.17 Professional Development Committee (PDC)

The Professional Development Committee was established in 1962 with a mission to enhance skill sets of the members of our Institute in the existing and new areas. PDC conducted its 250th meeting on 18th April 2023, wherein discussions were held on creating the new opportunities for the members in areas like banking, financial services, insurance, etc. It was also envisaged to strengthen the existing and conventional areas of practice jointly with the synergy of other non-standing committees of Institute. Further, keeping in mind the dynamics of the working environment primarily swept by the artificial intelligence, it was felt that the time has come to tap the areas of non-financial audit ranging from process audit to performance audit, from measuring the checks and balances to measuring the efficacy of the policies or schemes among others.

(I) MEETINGS WITH VARIOUS REGULATORS AND OTHER OUTSIDER BODIES:

The PDC in its efforts to explore the unchartered areas for professional opportunities interact with the Government, regulatory authorities etc. requesting them to avail the expertise of the Chartered Accountants and utilize their services in various areas.

- **Meeting with Hon'ble CVC:** A meeting was held with Hon'ble CVC on 8th April, 2022 wherein ICAI submitted for issuance of suitable guidelines so that minimum fee of professional assignments be mentioned in the tenders and also that statutory audit services be assigned using the Quality & Cost Based selection instead of least cost method. Also, during the meeting ICAI agreed to Support to Ministry for preparing a uniform framework for Cooperatives across states. Afterwards, the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India has issued the Manual for Procurement of Consultancy & Other Services (updated June, 2022) wherein they have dropped "audits" from the description of assignments of standard or routine nature under Para 3.8 thereof titled, "Price based System - Least Cost Selection (LCS). Thus, Least Cost Selection i.e. L-1 is no longer considered suitable for engaging auditors.

- **Meeting with Shri Gyanesh Kumar, I.A.S., Secretary, Ministry of Cooperation:** On 17th May 2022 a meeting was held with Secretary, Ministry of Cooperation, Shri Gyanesh Kumar, I.A.S. During the meeting ICAI offered to prepare an updated accounting and training manual for the Ministry and also provide training to the officers of the Ministry.

- **Meeting with Ms. Kim Guite, General Manager, Department of Supervision, RBI on 1st August 2022:** A virtual meeting was held with Ms. Kim Guite, General Manager, Department of Supervision and Shri Subhendu Bhattacharyya, General Manager, Department of Supervision on 1st August, 2022 wherein discussions were held on the eligibility norms of Statutory Branch Auditors in Public Sector Banks, the definition of the term 'Standing of the firm' as mentioned in the Norms on Eligibility, Empanelment, and Appointment of Statutory Branch Auditors among others.

- **Meeting with NABARD, West Bengal:** A meeting with NABARD, West Bengal was held on 25th August 2022 wherein NABARD West Bengal, has requested ICAI's inputs on ROC Compliance, Audit, Other issues faced by farmer Producer Organizations (FPOs)/ Farmer Producer Companies (FPCs) and further assistance was sought by NABARD for creating awareness about relevant Compliances under the Producer Companies Act, others, and timely submissions; training of FPO personnel on accounting, bookkeeping, Fund management techniques/processes; development/ Arrangement of suitable software application for system generated (automation) challans or reports on accounting, purchase, stocks, sale, etc; business plan preparation for any business activity for credit support/assistance from Govt.; Basic charges for different returns filed by CAs among others.

- **Meeting of "Audit Board for Central Public Sector Undertakings'' organized by the O/o C&AG:** A meeting of "Audit Board for Central Public Sector Undertakings'' organized by the O/o C&AG held on 6th September 2022 wherein the ICAI submitted its suggestions on the new empanelment norms for appointment of auditors in the Public Sector Undertakings to O/o C&AG.

- **Meeting with NABARD, Mumbai on Common Accounting System for PACS:** A meeting was held on 19th September, 2022 with NABARD, Mumbai and ICAI wherein NABARD, Mumbai have requested ICAI's inputs on Common Accounting system for all the Cooperatives in the country which could be adopted and incorporated into the National PACS Software for ensuring that the software be equipped with an appropriate accounting system which be compliant with all applicable Accounting Standards.

- **Initiative for creating awareness among the women entrepreneur has been taken up by NITI Ayog and ICAI:** An initiative to address information asymmetry and create a robust entrepreneurial ecosystem for women entrepreneurs has been taken by NITI Ayog jointly with ICAI. On 24th January, 2023 a meeting was held between ICAI and NITI Ayog (WEP) wherein the modalities and the deliverables were discussed and are being worked out mutually and accordingly a SoI will be signed in between the ICAI and NITI Ayog.

- **Meeting with Shri T K Rajan, CGM, Department of Supervision, RBI in Mumbai on 28th February 2023:** A meeting was held with Shri T K Rajan, CGM, Department of Supervision, RBI in Mumbai on 28th February 2023 wherein deliberations were held on a need of developing a separate governing body for the entire IS Audit Professionals (whether members or non-members). In the meeting, the ICAI further took up matters like non-standardization in reporting of IS Audits, abysmally low fees structure for undertaking the IS Audit among others.
- **Meeting held with Shri R G Viswanathan, Dy. C&AG and Ms. Kavita Prasad, Director General on 20th June 2023:** A meeting was held Shri R G Viswanathan, Dy. C&AG and Ms. Kavita Prasad, Director General on 20th June 2023 wherein they were informed about an issue regarding the mismatch of UDIN data in C&AG Empanelment. To address this issue, it was decided that PDC will develop a functionality wherein applicants will be given One time Redressal Window and will be allowed to modify the information only pertaining to UDINs generated during the period 01/04/2020 to 31/03/2022 under the specified categories already announced by O/o C&AG.
- **Round Table Meet with RBI held on 28th June 2022:** A structured periodical interaction between RBI and ICAI was convened on Tuesday, June 28, 2022 wherein the discussions were held on the various matters of professional relevance and strategic significance. Also, various recent developments in audits and accounting in India and across the globe were also discussed during the meeting.
- **ICAI's inputs on the questionnaire of RBI for Study the impact of circular dated April 27, 2021:** ICAI has provided its inputs on the study carrying out by the RBI, on the audit market and on the respective Regulated Entities (REs) which was based on the RBI's circular dated April 27, 2021 on the subject of Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs). In the said study the ICAI has provided its views on the various matters related to process of appointment of Statutory Central Auditors (SCA), Independence of Statutory Auditors, Statutory Audit Quality, Joint audit system, Tenure and rotation of auditors and Restrictions on non-audit work by SCAs/SAs).
- **State Level Coordination Committee (SLCC):** During the year more than 40 SLCC meetings were held by RBI and were attended by the representatives of ICAI.

(II) ACHIEVEMENTS

- **Revised Circular dated 24th April 2023(para 4):** RBI had issued a circular Ref.DoS.CO.ARG/S8213/08.91.001/2022-23 dated 6th March 2023 on (i) Revised Guidelines for Appointment / Re-appointment of Statutory Branch Auditors of Public Sector Banks; and (ii) Norms on Business Coverage under Statutory Branch Audit of Public Sector Banks, on which various concerns had been raised by the members on the applicability of Paragraph 4 of the said circular. A representation was made by the ICAI to the RBI on the same and RBI has issued a revised instruction on Paragraph 4 of the said circular to the Public Sector Banks on 24th April 2023, which does not preclude an audit entity from accepting appointment as SCA of a PSB after its resignation as SBA of another PSB."
- **Revision in the Appointment Letter owing acute timeframe:** Public Sector Bank (Bank of India) had issued the appointment letter to the SBAs whereby it was mentioned to complete the statutory audit of branches preferably on or before 6th April 2023 and in no case, the completion of branch audit is permitted beyond 8th April 2023. A representation was made by the ICAI to the Bank of India on the same and accordingly, revised letter was issued thereof.
- **Advisory issued to SCAs and CFOs regarding fixation of the fees for all other items of work done on 31st March 2023:** A circular was issued by RBI No.: DOS. CO. ARG. No. S8056/08.92.001/2022-23 dated 1st March 2023 in respect of "Remuneration payable to the Statutory Central Auditors (SCAs) and Statutory Branch Auditors (SBAS) of Nationalized Banks (NBs) from FY 2022-23" wherein Para no 2.3 which is related to "Fees for all other items of work done by Statutory Auditors". Post the issue of the said circular, the Revised recommended scale of fees issued by the Council, an Advisory was prepared and issued to Statutory Central auditors and CFOs on 31st March, 2023. The advisory has been well received by the Banks.
- **17th Pravasi Bharatiya Divas, 8-10th January 2023, Indore, Madhya Pradesh:** Madhya Pradesh Government organized Pravasi Bharatiya Divas graced by the Hon'ble Prime Minister from 8th to 12th January 2023 in Indore, Madhya Pradesh. wherein ICAI marked its presence. Further, ICAI's Pavilion at the event was popular among the NRIs, State government officials and other exhibitors. Besides its aesthetic design, it was lauded for being intelligently crafted catering to the dynamic needs of the in-person delegates. The Pavilion through its three expert zones viz. taxation, MSMEs & START-Up and Compliances served the onsite resolution of the queries of the NRIs through its domain experts. The experts at the Pavilion served array of queries of the delegates ranging from taxation, accounting, legal compliances to sector specific investment avenues.

- **Global Investors' Summit 2023, 11th-12th January, 2023, Madhya Pradesh, Indore:** Madhya Pradesh Government organized Global Investors' Summit 2023, 11th- 12th January, 2023 in Indore wherein ICAI's Session on Access Madhya Pradesh (AMP) - Complete Business Solution was held on 12th January, 2023 in Indore through its Professional Development Committee.
- **Multipurpose Empanelment Form (MEF) 2022-23:** On 6th October 2022, the MEF 2022-23 was hosted with the last date for submission of online form as 28th October, 2022. Further, the MEF portal has also been revamped this year giving it a complete overhaul of the look and feel with Evolutionary Site Redesign (ESR) concept.

✦ **Functionality to examine the red flags:** An automated system to examine the financial data of the MEF applicants and criteria for generating red flags (exceptions) has been developed. The audit of the MEF application received for the year 2022-23 was carried out on the specific red flags which are linked to the various parameters.

✦ **Frequently Asked Questions (FAQs) on MEF 2022-23:** In an endeavour to facilitate the frequently asked queries of the members which they have while filling the MEF, more than 50 questions have been added and the FAQs have been updated for the MEF 2022-23. The additional questions have been framed keeping in mind the different caselets received by the office from time to time. The same have also been uploaded at the MEF portal for a handy and quick reference.

- **Release of revised PD Publications:** The PDC has released its following revised publication during the year:

✦ Quick Insights on Professional Opportunities for Chartered Accountants (Revised July 2022).

✦ Tendering of Professional Services- All that you should know (Revised 2022).

✦ Booklet on MP (Edition 2023).

✦ A toolkit for SHG Facilitator (Revised 2023).

✦ Frequently Asked Questions (FAQs) for NPOs on FCRA LAWs (Revised 2023).

- **Submission of Panel to Various Authorities:** The Panel of Chartered Accountants/Firms has been provided to other authorities/agencies. A list of Panel submitted from 1st April 2022 to 30th June 2023 is given below:

Sl.No.	Date of submission of Panel	Authorities/Agencies
1	27th May, 2022	Shri Pabitra Kumar Das, Manager, Department of Supervision, RBI, Bhubaneswar
2	30th June, 2022	Shri Joginder Singh (REG-DRO), National Stock Exchange of India Limited
3	30th June 2022	The DIG (Welfare), FHQ BSF, New Delhi
4	26th August, 2022	Shri Pravin Kumar Bothra, Assistant General Manager (I&A), Indian Bank, Chennai
5	7th September, 2022	Smt. Nirmala Vincent, Asstt. Registrar (IC), NCLT, Principal Bench, New Delhi
6	9th September, 2022	Smt. Nirmala Vincent, Asstt. Registrar (IC), NCLT, Principal Bench, New Delhi
7	9th September, 2022	Sh. V.Sivakumar, Assistant General Manager, Inspection & Audit Department, Tamil Nadu Grama Bank, Head Office –Salem
8	8th December 2022	Chief Executive Officer, Sundargarh DCC Bank Ltd
9	16th Feb, 2023	Shri B. Ramachandraiah, General Manager, The Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd, Vijayawada
10	16th February, 2023	Dr. Samir R Samantara, NABARD, Odisha Regional Office Bhubaneswar
11	21st February,2023	Shri. Mahendra Ojha, Deputy General Manager– Accounts, Mumbai Metro Rail Corporation, Mumbai

12	3rd March, 2023	Assistant Registrar (Hqr), Cooperative Societies, J&K
13	21st March, 2023	Smt. Vasud Torsekar, Deputy Director, FIU-India, New Delhi
14	13th April, 2023	Shri H.R. Patel, Chief Executive Officer, Supervision & Audit Committee Co-op Dept., Gujarat State, Ahmedabad
15	2nd May, 2023	Dr. K. N. Kher, Registrar, Gujarat Technological, University, Gandhinagar Highway, Chandkheda, Ahmedabad
16	23rd June, 2023	Shri Pritam Dutta, Deputy Secretary to Govt. of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), (National Skill Development Fund), New Delhi
17	15th June, 2023	Ms. Rajani Agadi, Deputy General Manager - Division 2, SEC Vertical - Investment Management Department, Securities and Exchange Board of India, Mumbai-400051
18	6th June, 2023	Director (Administration), The Institution of Engineers (India), 8 Gokhale Road, Kolkata
19	31st May, 2023	The Dy. General Manager, Indian Bank, Chennai
20	26th May, 2023	The Punjab State Cooperative Bank Ltd, Chandigarh

(III) OTHER ACTIVITIES:

- **Programmes and Certificate Courses:**

✦ **Interactive Meet with MDs and CEOs, EDs (In charge of Audit & Accounts), CFOs of Banks:** The Committee has conducted an Interactive Meet with Directors, Audit Committee Chairmen, and Members & CFOs of Commercial Banks on 20th December 2022 in Mumbai and was inaugurated by the Chief Guest, Shri Satish Kashinath Marathe, Hon'ble Director on the Central Board, Reserve Bank of India. The Meet had an overwhelming response which proved the ICAI's instrumental role in providing a platform for knowledge sharing & latest developments in the current economic scenario amongst the key people who hold significant positions in the banking sector in India. Nevertheless, the Meet provided new insights to the delegates for marching towards professional excellence in the banking sector.

✦ **Central Statutory Auditors Meet:** An Interactive meet for Statutory Central Auditors of Banks was organized on 14th March 2023 in Mumbai in the Hybrid mode wherein more than 100 participants attended in person and 50 attended through virtual mode.

✦ **Certificate Courses/Post Qualification Course**

- *Certificate Course on Cooperatives*: The Committee organised 1st online batch on Certificate Course on Cooperatives from 21st May 2022- 18th June 2022 and Approximately 80 participants joined the batch. The examination for the same was held on 07th August 2022. 64 participants appeared the examination, out of which 63 cleared the examination.
- *Certificate Course on NPOs*: The Committee organised 1st online batch on Certificate Course on NPO from 9th July 2022 - 6th August 2022 and Approximately 60 participants joined the batch. The examination for the same will be held on 06th November 2022. The Committee organised 2nd online batch on Certificate Course on NPO from 26th November 2022 - 24th December 2022 and 80 participants joined the batch. The Committee will conduct the Virtual examination of 2nd online batch on Certificate Course on NPO on 28th January 2023.
- *DIRM Course*: The Committee had conducted online Eligibility Tests for members pursuing Post Qualification Course on 17th March & 12th May 2023. The Committee has issued Eligibility Certificates to 19 members who had passed online eligibility tests. The members have now become eligible to appear in the Technical Examination to be held in November 2023 onwards. The Committee administers a Post Qualification Course on Diploma in Insurance and Risk Management. The Committee is taking up appropriate measures to popularize the DIRM Course amongst the members of the Institute. As on 18th May 2023, there were 5496 registrations to the Course whose Region-wise break-up is given herein below:

Members registered to the Course upto 18th May 2023					Total
Central Region	Eastern Region	Northern Region	Southern Region	Western Region	
1177	668	825	1552	1274	5496

Out of 5496 registered members, there are 1023 members to have qualified the Course, another 95 members have passed the Technical Examination but yet to undergo the Orientation Programme.

6.18 Committee on Public and Government Financial Management (CP&GFM)

The ICAI keeping into consideration its mission and vision constituted the Committee on Public & Government Financial Management (CP&GFM) that strives to assist Central & State Governments and Local Bodies in improving accounting, financial reporting and management in all tiers of Government in India including local bodies. Apart from formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs), the Committee focuses on capacity building of the finance officials of various tiers of Government by several means such as Training Programmes, Webinars, e-learning modules, etc. The Committee also runs Certificate Course on Public Finance & Government Accounting that can be attended by Government officials as well. This is an initiative of ICAI to meet its social obligations by providing professional services of CAs beyond corporate sector and to the public at large, by being true to its role of being a partner in nation building.

(I) Publications released

- Revised Edition of *Commonly Used Terms in Public Finance and Government Accounting* (July 1, 2022)
- Research Study on "*Transition to Accrual Accounting: Models & Learnings for Urban Local Bodies*" jointly by ICAI (CP&GFM) and ICAI ARF with NITI Aayog (January 24, 2023)

(II) Issuance of Accounting Standard for Local Bodies (ASLB)

- ASLB 40, '*Entity Combinations*'

(III) Technical Comments Submitted:

- On the following drafts of International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB):

✦ Exposure Draft 82, *Retirement Benefit Plans*

✦ Exposure Draft 83, '*Reporting Sustainability Program Information - RPGs 1 and 3: Additional Non-Authoritative Guidance*

✦ Exposure Draft 84, *Concessionary Leases and Right-of-Use Assets In-kind* (Amendments to IPSAS 43 and IPSAS 23)

✦ Consultation Paper on *Advancing Public Sector Sustainability Reporting; and*

✦ Consultation Paper on *'Natural Resources*'

- On the following GASAB documents / draft Standards:

✦ Agenda of 36th Board Meeting of GASAB

✦ Draft IGAS 10 on '*Public Debt and Other Liabilities of Governments: Disclosure Requirements*'

✦ Recognition of Revenue Receipts: from non-exchange and exchange transactions; and

✦ Draft 'Disclosure on Disinvestments of Public Assets'

✦ Strategic Development Plan (SDP) 2023-26

(IV) Training Programmes:

The Committee organised various training programmes for Urban Local Bodies (ULBs) and other training programmes on Provisions of GST/Accounting Standards applicable to CMWSSB, Provisions of Direct Tax, Capacity Building Programme on GST/ on Accounting in ICT environment etc

(V) Webinars/ Virtual CPE Meeting (VCM):

Various Webinars/VCMs were organised by the Committee under Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) on Local Government Taxation Matters.

Status and Compliances (Part I & II).

- Audit of Welfare Schemes of the Government.

- Applicability of Accounting Standards in Local Bodies.
- Use of Digital Technologies in Enhancing Transparency & Accountability in Government Financial Reporting & Management, E-gramswaraj.
- Accounting and Auditing of Panchayats.
- Professional Opportunities for Chartered Accountants in Public Finance & Government Accounting.
- Accounting & Auditing in PRIs.
- Insights of Public Debt.
- How Transparency in Accounting/Auditing can help Government with tough decisions, specially post COVID-19,
- Insights of Public Finance.
- Recommendations of the Research Study on Transition to Accrual Accounting.
- Models and Learnings for Urban Local Bodies etc.

(VI) E-learning Modules for Local Bodies

The Committee hosted e-lectures on the ICAI TV on Applicability of Income Tax and Goods and Service Tax in Local Bodies: Status and Compliance Requirements and How Cities Can Become Atam Nirbhar

(VII) Short Videos

The Committee got developed short videos on the following and made them available on ICAI & Committee's website as well as DLH Platform of ICAI:

- Activities of Committee on Public and Government Financial Management
- Opportunities for Chartered Accountants in Local Bodies
- Applicability of Accounting Standards in Local Bodies
- Overview of Government Accounting
- Municipal Bonds for an Atmanirbhar Urban India

(VIII) Certificate Course on Public Finance & Government Accounting

- **Revision of Course Structure and Course Material of Certificate Course** incorporating two new modules namely Public Financial Management System (PFMS) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) to assimilate the latest updates and innovations in the Public Finance & Government Accounting. The revised course structure and course curriculum were launched on the occasion of 74th CA Day on 1st July, 2022.
- **Opened for Officials of Government and Autonomous bodies:** On the request of various Government Departments, Certificate Course has been opened for the officials of Government departments and autonomous bodies under the administrative control of a Government Ministry.
- **Online Batches-** Seven batches of the Certificate Course on Public Finance & Government Accounting were organised during the period.
- **Online Examination-** Six online examinations of the Certificate Course were conducted.

(IX) Meetings held with various Stakeholders:

SI. No.	Name of the Dignitaries	Date
1	Mr. Vijay Kumar, Deputy Secretary, Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and Mr. Subodh Gurjar, Consultant, MoPR	25th August, 2022
2	Shri R. M. Johri, Addl. Dy C&AG & ADAI (GASAB)	15th September, 2022, 13th January, 2023 & 30th May, 2023
3	Ms. Mamta Varma, Joint Secretary, MoPR	22nd September, 2022
4	Shri Manoj Sethi, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports	14th October, 2022
5	Shri Naveen Jain, IAS, Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Rajasthan and Shri Devki	15th November, 2022

	Nandan Sharma, Financial Advisor	
6	Shri Joga Ram, IAS, Secretary, Department of Local Self Government, Rajasthan	15th November, 2022
7	Shri Kunji Lal Meena, IAS, Principal Secretary, Urban development and Housing Department, Government of Rajasthan	15th November, 2022
8	Shri. Kundan Kumar, IAS, Advisor, NITI Aayog	16th November, 2022 and 20th January, 2023
9	Ms. D Thara, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)	20th March, 2023
10	Shri Subir Mallick, Deputy C&AG (Local Bodies)	22nd March, 2023
11	Shri Sanjeet, Joint Secretary & Financial Advisor, MoHUA	28th April, 2023
12	Shri Neeraj Mandloi, IAS, Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Madhya Pradesh	1st May, 2023
13	Shri Bakki Kartikeyan, IAS, Deputy Secretary and Director, Local Fund Audit, Government of Madhya Pradesh	1st May, 2023
14	Shri E.V. Bhaskar IRS, PS to Minister of Development of North Eastern Region	8th May, 2023
15	Mr. V. Kezo, Commissioner & Secretary, Finance, Land Resources, Government of Nagaland	23rd May, 2023

(X) Support to Government

- The Committee is providing technical assistance to O/o C&AG for their project of adaption of Cash basis International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) in Government Accounts on pro-bono basis. In this regard, a Joint Committee was constituted by the O/o C&AG including the representatives of ICAI and its meeting was held on March 22, 2023.
- The Committee is also providing support to O/o C&AG to improve accounting and auditing in panchayats/ municipal bodies in India.
- The project of study of existing accounting and auditing system of panchayats of Rajasthan has also been initiated to organise customised trainings for panchayats of Rajasthan.

(XI) Representations/Technical Inputs to Government

Representations were submitted to:

- Urban Development Authorities (UDAs): emphasising the need of Capacity Building programmes for the officials of Urban Local Bodies, amendments in their respective Municipal Acts with respect to implementation of accrual accounting in the local bodies, and pilot projects for implementation of accrual accounting and ASLBs in ULBs.
- Finance Department of all States proposing to enter into a Memorandum of Understanding for skill development of the officials of Finance Department of the respective States.

6.19 Public Relations Committee (PRC)

The mission of the Public Relations Committee is to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India through various ways and means, as considered appropriate within the framework of the CA Act. The PR Committee further endeavors to foster good relations and aims to bridge the perception gap, to provide better networking opportunities and to enhance the visibility of ICAI.

Significant Initiatives/Achievements

(I) Chartered Accountants Day 2022

The CA Day 2022 was publicized widely through medium of Print/Electronic and Radio:-

- *Print Media*: To create awareness among masses and for publicizing CA Day, a pre-event advt. and another advt. on July 1st was published in financial/ mainline publications.

- *Electronic Media*: CA Day was also publicized by airing promos on various Business/News Channels. Zee Business was associated for capturing the excerpts of the CA Day event and thereafter the same was telecast on the channel as half-an hour episode.
- *Radio*: CA Day 2022 was publicized on 5 radio channels through airing of spots on June 29th, 30th & July 1st.
- *Goodwill Messages*: The goodwill messages were sought from eminent dignitaries and shared with E-board for publishing in special issue of ICAI Journal i.e. July ,2022 issue.
- *Social Media*: The CA Day was also publicized on social media platforms.
- *CA Day Video message*- The messages of President & Vice-President were recorded and the video clip was shared with all RCs & Branches requesting to play the same during the CA Day celebrations. The video clip was also uploaded on ICAI website.

(II) Har Ghar Tiranga Campaign- Publicity

The Committee publicised "Har Ghar Tiranga" as this was an apt opportunity to show ICAIs' commitment towards propagating various campaigns of the Govt. Accordingly, the following actions were undertaken to publicize and widely promote the campaign.

- A communication was shared with all RCs/ Branches advising to undertake specified/ appropriate activities to promote the campaign.
- A quarter page color advt. was published through DAVP covering 41 publications PAN India.
- A quarter page color advt. was also published in ET- Metro editions.
- Mass Mail & SMS to all India Members.
- The initiative was also publicized through Social Media Platforms

(III) MSME Yatra- Publicity & Promotion

The Committee publicized the MSME Yatra through various media. Accordingly, on the day of flagging off the MSME Yatra i.e. on August 18, 2022, a quarter page color advertisement was published. Thereafter, the advertisements were published through DAVP on the day whenever the MSME Yatra entered a new State. Also, the MSME Yatra was publicised in every State through the medium of Radio as well.

(IV) World Congress of Accountants (WCOA) 2022- Publicity & Promotion

For publicity & promotion of WCOA, following activities were undertaken by the Committee being a part of Branding and Promotion Sub Committee of WCOA.

Advertisements- A Pre-Event full page advt. was published on Nov 12, 2022 & on Inaugural Day another full page advt. was published on November 18, 2022 in major publications.

- *Economic Times*- 7 full page advt.s were published in Economic Times on Nov 12th , 14th, 15th, 18th & 22nd 2022.
- *Radio Campaign*: 7 days campaign promoting WCOA was aired on Big FM & Fever FM all across major
- Radio Stations.
- *Campaign on Electronic Media*: A campaign on 3 Business channels i.e. CNBC Tv 18, CNBC Tv 18 HD, CNBC Awaaz, Zee Business, NDTV Profit and Aajtak + India Today TV was aired.
- *Outdoor Publicity*- Creatives towards branding building of ICAI and WCOA were placed at different strategic locations through Hoardings at ITO, HO, Pragati Maidan & nearby areas.
- *Press releases* of the 4 days events were issued to media from Nov 18-21, 2022 on daily basis. The news was widely covered by the media.
- *The WCOA event* was also popularised on social media through hosting of various creatives, tweets etc.
- *Audio Visuals*- Four AVs were developed on various important topics that were hosted on social media platforms and also played during the WCOA event.
- *Airport Publicity*- Creatives promoting WCOA were also displayed at Hoardings / Screens located in Mumbai, Ahmedabad and Guwahati airports.
- *Post Event Episodes*- The important sessions were recorded and aired on CNBC Tv 18 and Zee Business as half an hour episode.
- *Media Interactions*: During the event, the media interaction of President, ICAI was scheduled with Hindu Business Line, New Indian Express and ET Now.

(V) Photo Frames & Coffee Table Books

A collage of photographs was developed wherein the selected photographs of WCOA event were chosen. The photo frames with collages were shared with all Central Council Members and other dignitaries. A Coffee Table Book of all important photographs of the dignitaries/speakers at the WCOA event was brought out. As the event is an historic moment in the history of ICAI, hence the photographs were preserved as memories.

(VI) Virtual Medical Awareness Programme on Heart Health and Stress Management

. To address the issue being faced nowadays in Cardiovascular Disease, the Committee organized a "Virtual Medical Awareness Programme on Heart Health and Stress Management" on January 30, 2023 to sensitize and educate members, students & their families and society at large regarding Heart Health and Stress Management. With an objective of creating a healthier society through improved preventive measures, the Committee in association with medical professionals from WHO Collaborating Centre for Emergency and Trauma Care and Jai Prakash Narayan Apex Trauma Center, Department of Emergency Medicine, All India Institute of Medical Sciences organized the mega free virtual nation-wide "Medical Awareness Programme" under the initiative of AKAM *"Azadi Ka Amrit Mahotsav".* The Experts demonstrated pre-emptive steps to prevent heart disease/stroke, emergency assistance, Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR), and stress management advice.

(VII) Annual Function

- *Print Media*- 73rd ICAI Annual Function was publicized by PR Committee through Print media. A half page color advt. was published in major publications.
- *Audio Visual on Significant Achievements of ICAI*- The said AV covering significant achievements of ICAI during the year 2022-23 was developed by the Committee. The same was played during the Annual Function.
- *Year Book: 2022-23*- Every year, the important activities undertaken by ICAI through its Committees / Departments / Regions & Branches during the year are documented in the publication "Year Book". The Committee collated, edited and proof read information received from all Committees/Branches/Regional Offices and brought out "Year Book: 2022-23" which was launched during the Annual Function.

(VIII) ICAI Press Conference-Media Interaction at Delhi

The PR Committee arranged a Media interaction of the newly elected President & Vice President on April 20th at New Delhi. Various eminent correspondents from Print/Electronic/ Digital media had attended the said Press Conf. During the interaction, the Action Plan and priority areas for the year were shared and widely covered by the dailies prominently and got published in more than 50 publications / online portals.

(IX) Prime Partnership of ICAI with Confederation of Indian Industry (CII) for B20

ICAI has become a prime partner with CII for B20. The ICAI is poised to provide leadership for auditing, sustainability reporting standards, and digital accountancy for international trade and services development. Through this partnership ICAI will be a part of ESG Action Council and will be involved in various policy making initiatives of B20. For publicizing this major initiative of ICAI, following activities has been undertaken by the Committee:

- *Advt. publicizing the initiative*- The designs of half page advt. was published in major Publications
- *Press Release*- To create awareness on the matter, a Press release - ICAI join hands with CII as a Prime partner for B20 was issued to the media. The same was also hosted on ICAI website.
- In Partnership Conference booklet of CII, a creative was published by the PR Committee

In the series, CII AGM scheduled in the month of May at New Delhi, various branding opportunities have been provided to ICAI in the publicity material. Also, speaking slots on technical sessions for ICAI representatives were provided in the AGM.

(X) India Today- Coffee Table Book

Every year The India Today group brings out a Coffee Table Book (CTB) which is distributed to A-listers, Conclave invitees over the years. The copies of this Coffee Table book are also placed at the Airport lounges & leading book stores. Towards brand building of the Institute and to target industry/media, a double spread advertorial was published in the CTB.

(XI) Media Residential Meet- Agra

With an objective to enhance the brand image and build trust amongst the media, stakeholders and public at large, the Committee organised a one-day Residential Meet for Media in Agra on June 04, 2023. The aim of this residential meet was to sensitize the media on various important subjects being dealt by the Institute and highlight the

role ICAI is playing as a Partner-in-Nation Building and towards the growth of the economy. Various technical sessions were meticulously planned to give a simple and clear understanding of technical matters, new initiatives and achievements undertaken by ICAI. This Media Residential Meet was a success, as almost 19-eminent national media groups (Print / Electronic / Online) from Delhi participated in this and reported on various aspects, few local media also joined the event. More than 25 print & online positive news stories got published and also opened an avenue to engage with the Media.

(XII) Lapel Pins – Management Committee Members of RCs & Branches

Uniform branding is of the utmost importance for creating a unique identity, gain competitive advantage and create positive impression in the minds of all stakeholders. Accordingly, Lapel Pins have been specially designed and developed by PR Committee and distributed to the 'Management Committee Members' of all 5 Regional Councils & 168 Branches.

(XIII) 9th International Day of Yoga

ICAI, as Partner in Nation Building has been celebrating International Day of Yoga (IDY) and also encouraging its members and students to make Yoga a part of their daily lifestyle. This year the journey to IDY 2023 is more special as India is proudly hosting the G-20 summit with the theme "*Vasudhaiva Kutumbakam*" which also resonates to the theme of 9th International Day of Yoga i.e. "*Yoga for Vasudhaiva Kutumbkam*".The Institute organised a major programme in Indira Gandhi Stadium on June 21st 2023 jointly with NIRC. The Yoga Gurus addressed more than 350 physical participants & the event was webcast live across the country. The video feed of all branches practicing Yoga at respective locations was also displayed on the wide screen during the event held in Delhi.

(XIV) Sustainable World Conclave organised by BW Business World

ICAI being a pioneer institute for promoting Sustainability Reporting in India has associated as a knowledge partner for the 3rd edition of Sustainable World Conclave organised by BW Business World. The two-day event took place on 20th & 21st June 2023 at The Park, New Delhi. The conclave witnessed the confluence of experts, industry leaders, policymakers, and activists from across the country to discuss the theme of "India's big leap with the G20 presidency". Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Union Cabinet Minister, Environment, Forest & Climate Change, Labour & Employment, Govt. of India was the Chief Guest of the Plenary Sessions on June 20, 2023. Taking forward ICAI initiatives towards achieving sustainable development, the Chairman, PR Committee and Vice-Chairman, Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) addressed a session on "ICAI: Building Trust Enabling Sustainability".

6.20 Research Committee

The Research Committee of The Institute of Chartered Accountants of India, set up in 1955, is one of the oldest technical committees that aims to create and support a research culture which will enhance and enrich the quality of services rendered by the profession. The primary objective of Research Committee is to undertake research and strengthen the institutional capacity in the domain of accounting and other affiliated areas with a view to benefit the profession and nation at large. Research Committee also seeks to create a conducive environment for promoting Research & Innovation activities in the profession through its various Research projects, programmes, workshops, seminars etc. The Committee is dedicated to sharing and developing strategies to promote collaborative global research in the various areas of international importance. The Committee also undertakes approved research projects on current and continuous basis in various areas which are generally published in the form of Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Monographs, etc. on generally accepted accounting principles and practices.

(I) Project in Progress

- Guidance Note on Accounting Treatment of Capital Reserve under Ind-AS
- Taxation on Non-Resident sportsmen or sports association- Domestically and Internationally

(II) Publications released during the year

- The Emerging role of Auditors and CFOs in addressing Risk Management: A New Perspective
- Finance and Tax Literacy Start-ups

(III) Awards

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

Research Committee has been making sustained efforts since 1958 to promote high quality reporting through the annual awards competition 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' wherein the entities are being recognized for following sound reporting practices. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short-listed annual report by Shield Panel and final review by External Jury.

Jury meeting for the competition year 2021-22 was chaired by Shri Sujeet Kumar, Member of Parliament, Odisha. The award function to honor the awardees for the year 2021-22 was held on January 20, 2023 at Varanasi. Shri Daya Shankar Mishra, Minister of State in the Ministry of Aayush (Independent Charge), Govt. of Uttar Pradesh and Shri Daya Shankar Singh, Minister of State, Transport (Independent Charge), Govt. of Uttar Pradesh graced the occasion as Guest of Honours. A total of 36 awards – Seven Gold Shield, Sixteen Silver Shields and Thirteen Plaques were given away.

ICAI International Research Award

These Awards could be considered as the World's Largest Cross Border Competition, with an objective to encourage and provide recognition to researches across the globe and their contribution in fostering research studies leading to innovation and value creation. This award is being held with the objective to acknowledge the contribution made in research activities in the area of Accounting, Auditing, Finance, Economics and Taxation. The Jury Meeting for 'ICAI International Research Awards 2022' was chaired by Mr. Alan Johnson, President, IFAC (2022). The other members of the Jury were: Ms. Asmaa Resmouki, Deputy President, IFAC(2022), Mr. Voravit Janthanakul, President, AFA(2022-23), Mr. H M Hennayake Bandara, President, SAFA(2022), Ms. Lebogang Senne, Technical Director, PAFA(2022), the then President, ICAI & the then Vice-President, ICAI. The award function to honor the awardees was held on October 21, 2022. A total of 13 awards were given in five categories.

(IV) Schemes

ICAI Doctoral Scholarship Scheme

ICAI Doctoral Scholarship Scheme seeks to provide requisite support by way of monthly scholarship to the eligible candidates with outstanding academic credentials, intellectual curiosity and needed discipline to make scholarly contribution. It is open for all the members of the Institute who are pursuing PhD and are not more than 40 years of age on the last date of application. ICAI Doctoral Scholarship Scheme provide requisite support to the eligible candidates with outstanding academic credentials, intellectual curiosity and needed discipline to make scholarly contribution. Their contributions will extend not only to business practices, but also to public policy and governance. Under ICAI Doctoral Scholarship Scheme 2023, scholarship of Rs. 75,000 per month for a maximum period of 3 years is eligible to be given to 5 scholars annually.

ICAI Research Projects Scheme

ICAI Research Project Scheme aims to encourage researchers who are keen to undertake research projects on contemporary topics and to further enhance studies in the field of accounting and allied domains. It is open for researchers having experience of more than 10 years either in practice or in employment or experienced research scholars. The maximum amount of Rs. 10 lacs is eligible. The applicants will be given the time duration of 6 months for completing the research projects after the research proposal is approved by the Research Committee. The scheme is open round the year. Since its introduction, various projects have been awarded and completed under the Scheme as follows –

1. Internal Control System in State Owned Universities A Study to Formulate Internal Control Manual
2. Impact of Digital Transformation Strategies on Financial Performance in the Indian Manufacturing Sector
3. How Indian Companies can play a pivotal role in the supply chain to Australia?
4. Inching towards Tax Certainty: Neoteric Domestic Dispute Mechanism for Cross-Border Taxation
5. Analysis and evaluation of Indian Startups in non-metropolitan areas and selected metropolitan areas-An Untold Story
6. Money laundering and scams "THROUGH" Multi-State Urban Cooperative Credit Societies in India
7. Taxation aspects of circulars issued by Regulatory Authorities- A study of IRDA Circulars
8. Evaluating the effect of scientific meditation on employee burnout: A multinational study
9. The emerging role of auditors and CFOs in adressing Risk Management : A New perspective
10. Finance & Tax Literacy for Start-Ups

Also, a few projects are in pipeline.

Short Term Research Studies – Call for Research Proposal

This scheme has been introduced in the month of May, 2023. It aims to provide a platform for sharing new ideas, innovative research findings and thought-provoking insights on various contemporary topics to the members of the Institute. The weightage would be given to applicant having experience of at least 5 years in the Research domain and a PhD Holder. The Permissible Honorarium of Rs. 1,00,000 would be provided. The applicants will be given the time duration of One month for completing the research projects. The scheme is open round the year. Three projects

have been approved under the scheme for the following topics which are under process –

1. Need to identify Greenwashing
2. Investigating Tools for Harnessing & Strategically Utilizing the Catalytic Potential of SSE for Revolutionizing Social Finance in India
3. Tax evasion- Methods and ways for its prevention

(V) Seminars/Workshops/Residential Refresher Courses /National Conference

5 knowledge sharing Seminars & Workshops, 2 Residential Refresher Course and 1 National Conference were conducted during the period by the Committee on Sharing Research Findings on complexities of Form 3CD and way forward/ on issues and way forward in Direct Taxes, Recent Intricacies of Direct Taxes, Sharing Research Findings on issues of foreign trade policy and direct taxes, Preparation of Financial Statements as per Best Financial Reporting for the professionals in Public Sector enterprises etc.

(VI) Virtual CPE Meeting/Webinars

Research Committee had organised 4 Virtual CPE Meetings and 6 Webinars during the period which covered the contemporary topics like What is research?; Understanding Economic Cooperation & Trade Agreement (ECTA) between India and Australia in light of Research Study on How Indian Companies can play a vital role in supply chain on Australia; Importance of Data Analysis in Research; Research on Property Market in New Zealand for Investment" and "Tax implications on various Real Estate Transactions; Contemporary Academic Research – Challenges and contributions; Series of Webinar on "Excellence in Financial Reporting - Lessons Learnt, Best Practices & Commonly Found Errors": Manufacturing Sector, Service Sector, Banking Sector, Insurance Sector, Financial Services.

6.21 Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)

Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) has been constituted by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in February 2020, with the mission to formulate comprehensive, globally comparable, and understandable standards for measuring and disclosing non-financial information about an entity's progress towards United Nations Sustainable Development Goals (SDG) 2030. The Board is working relentlessly to identify and develop opportunities for chartered accountants in Sustainability Reporting, develop audit guidance for non-financial reporting, take adequate steps to enhance knowledge of members and other stakeholders by conducting certificate course, workshops, and seminars and courses, publish technical literature on various important topics within sustainability domain and interact with International and National Bodies as well as Regulators to promote policies and regulations towards achieving sustainable development. Further, in its endeavour to benchmark global best practices in Sustainability Reporting formulate Sustainability Reporting Awards to recognize and reward excellence in businesses which are seeking ways to be more sustainable and inclusive in their activities.

Significant Achievements and Initiatives

Publications/Standards Issued :

- Development of Sustainability Reporting Maturity Model (SRMM) Version 2.0 .
- FAQs on Sustainability Reporting – Heart of Good Governance
- A Primer on the concept of Social Stock Exchange.
- Compendium of Social Audit Standards.
- Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000 - Assurance Engagements on Sustainability Information

Meetings/ Interactions with Regulators and International Bodies:

- Chairman, SRSB (CY 2022-23) chaired the 39th session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting.
- Chairman, SRSB (CY 2022-23) participated in Consultative Group meeting on national infrastructure for high quality sustainability reporting organised by The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) from 2-3 March, 2022.
- Chairman, SRSB (CY 2022-23) had a seat on the table at COP 27 held in November 2022.
- Vice Chairperson, SRSB (CY 2022-23), holds Chair of the Committee on Sustainability Reporting and Assurance of the South Asian Federation of Accountants (SAFA).
-

Capacity Building Initiatives :

- Certificate Course on Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR):

The Board has successfully conducted fifteen batches of Online Certificate Course on Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) with participation of more than 1300 members. The objective of the course is to understand the current regulatory framework of Business Responsibility and Sustainability Reporting, analyse disclosures made by Indian companies, assurance aspects and discuss best practices adopted.

- Webinars/Seminars/Programmes :

✦ Seminar on Demystifying Sustainability - Opportunities in ESG, SSE & Social Audit.

✦ Webinar onTransforming Global Sustainability Reporting and Assurance Landscape.

✦ Seminar on "Practical ideas to go green and make our planet sustainable**"** as part of the ICONIC Day Programme on June 8, 2022.

✦ Webinar on " Sustainable finance and ESG Ratings**.**

✦ Outreach programme for CAs for Building trust and enabling sustainability in New Delhi, Ahmedabad, Indore, Bhopal and Vadodara branches**.**

- ICAI International Sustainability Reporting Awards :

The ICAI International Sustainability Reporting Awards were introduced in 2020-21 to recognize entities for their outstanding contribution to Sustainable Development Goals. The ICAI Sustainability Reporting awards for the year 2021-22 were held in January 2023 with awards given in 3 Categories. The objective of the awards was to encourage excellence in sustainability reporting by entities, both corporate and non-corporate, and to share best practices with investors and other stakeholders. The awards recognized entities that have made significant efforts in sustainability reporting and have demonstrated a commitment to sustainability in their operations and practices.

The National Awards had three categories:

- Integrated Reporting – Manufacturing, Service and Public Sector undertaking.
- New Entrants in Integrated Reporting
- Reporting on Sustainable Development Goals

International Category had two categories:

- Gender Equality
- Climate Change

Distinguished members from renowned organizations such as the United Nations Development Program (UNDP), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the World Meteorological Organization (WMO), as well as prominent corporate entities and banking institutions of India, formed the esteemed jury panel for the International & National Sustainability Reporting Annual Awards.

Business Responsibility and Sustainability Reporting Back Testing :

ICAI and SEBI collaborated on a joint initiative to back test the key performance indicators (KPIs) of the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Core with eight listed companies from diverse sectors. The analysis of sub-parameters from annual reports, integrated reports, and BRSR reports by a technical team provided valuable insights into the reporting practices of the companies involved. Such testing processes are crucial in ensuring the reliability and comparability of sustainability reports and can help to build trust with stakeholders

- ICAI Sustainability Literacy Drive**:**
- The World Congress of Accountants was organized by ICAI from November 18-21, 2022, at Mumbai. The Board helped ICAI in organizing the first ever a carbon-neutral Congress. Where more than 10,000 members participated – 6,000 in physical & 4,000 on virtual mode. The WCOA was a carbon neutral event wherein 18000 mt. ton was offset.
- Conducted Countrywide Tree Plantation Drive – "Go Green" towards sustainable future**.**
- Conducted Online Competition – "Take the ICAI Sustainability Challenge" for school and college students**.**
- ESG Talk Shows**:**

SRSB has initiated 'Sabka Vikas, Satat Prayas' ESG Talk Show. 10 such shows were broadcasted on 'Zee Business' channel. Eminent speakers were part of these talk shows.

ESG Roundtables:

SRSB, jointly with NISM, organized a series of ESG Roundtables across India for Independent Directors and CFOs. The purpose of these roundtables is to build awareness of ESG/ Sustainability culture among the decision-makers. In this line SRSB of ICAI conducted an outreach program on the topic “Roundtable on ESG and Sustainability: Opportunities for CAs” on March 30, 2023, at Hotel Sahara Star, Mumbai. The outreach program consisted technical sessions on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR), Roadmap to carbon Neutrality, Initiatives of SRSB and ESG around the World and GCI. Eminent speakers for Panel discussions were Deputy President, CAPA and Past President, ICAI, Mr. Richard Bolwijn, Director, Investment Research UNCTAD and CA. Raj Mullick, VP, Reliance Industries Ltd apart from Chairperson SRSB and Vice Chairman SRSB.

6.22 Committee on Financial Markets and Investors' Protection (CFM&IP)

The Committee on Financial Markets and Investors’ Protection provide suggestions on various Bills, Notifications, Circulars and other documents related to Financial Markets to the Government and Regulators. Besides this, the Committee regularly interacts with MCA, RBI, SEBI, Insurance Regulatory and Development Authority, Non- Finance companies – NBFCs (Department of Non-Banking Finance companies of RBI), Forward Markets Commission and Stock Exchanges on the issues relating to Financial Markets, role of CAs and Investors’ Protection.

(I) Partner in Nation Building

To create awareness amongst the public at large and to ensure investors protection, the Committee conducts Investor Awareness Programmes through various Resource Persons (RP) and Programme Organizing Units of ICAI i.e. Branches/Regional Councils/Study Circles, under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs (MCA). To create awareness amongst the public at large and to ensure investors protection, the Committee conducted 913 Investor Awareness Programmes through various Resource Persons (RP) and Programme Organizing Units of ICAI i.e. Branches/Regional Councils/Study Circles, under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs (MCA). In association with the Border Security Force (BSF) organized the several Investor Awareness Programmes (IAPs) for Border Security Force on PAN India Basis. And also Committee conducted many Investor Awareness Programme for Indian Army Personnel for create awareness as to their financial protection, to enhance the ability of investors to understand broad developments of the Financial Markets.

Promoting Financial literacy through Gyandarshan Channel

The Committee on Financial Markets and Investors Protection (CFMIP) of The Institute of Chartered Accountant of India has successfully completed 75 episodes of Live Tele–lecturing series on Gyandarshan Channel which aimed to create awareness and disseminate the importance of the need to update the knowledge of Financial Literacy to Public at large with amongst with the Ministry of Corporate Affairs as a knowledge partner during 2022-23.

(II) Comments/Suggestions on Securities and Exchange Board of India (SEBI)

- Comments/suggestions were submitted by the committee to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on the consultation paper dated 12th May 2023 on Regulatory Framework for Micro, Small & Medium REITs (MSM REITs). This consultation paper sought comments/suggestions/views on the proposals for regulating platforms offering fractional ownership of real estate assets, by bringing them under the ambit of SEBI (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 as MSM REITs.
- Comments/suggestions were submitted by the committee to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on the consultation paper dated 20th May 2023 on Institutional Mechanism for Asset Management Companies for deterrence of possible market abuse and fraudulent transactions. The paper sought comments/views on the Proposal of setting up of adequate surveillance and internal control systems by Asset Management Companies, and making the AMCs and their senior management personnel accountable by implementing institutional Mechanism to ensure monitoring and compliance on an ongoing basis and to deter possible market abuse and fraudulent transactions in securities related to AMCs’ Transactions.

(III) Initiatives for the Members

National Stock Exchange of India (NSE) has announced its latest circular (Circular NSE/INSP/ 54080 dated October 14, 2022) to include the ICAI’s Certificate Course on Financial Markets & Securities Laws (FMSL) as an eligibility criterion for Internal Auditors for Stockbrokers Certification to conduct the Internal Audit of Trading/Clearing Members. The Committee on Financial Markets and Investors’ Protection (CFMIP) has successfully conducted

Refresher Course on Forex and Treasury Management on 4th February 2023. This Refresher Course was conducted for Qualified Members for the knowledge and brush up on changes/amendment taking place in the domain which is necessary to complete in dynamic scenario.

Certificate Courses

To enhance the skills of our members and to empower them suitably, the Committee conducts a 4 Certificate Course as

- Certificate Course on Forex and Treasury Management (FXTM)
- Certificate Course on Derivatives
- Certificate Course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research
- Certificate Course on Financial Markets and Securities Laws (FMSL)

The Committee has successfully conducted 8 Online batches through Digital Learning Hub of the Certificate Course on Forex & Treasury Management, Certificate course on Derivatives, Certificate Course on Financial Markets & Securities laws and Certificate course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research. Wherein total 637 Members of ICAI has enrolled in the said Certificate Courses. And also conducted Virtual Training Programme/Certificate Course for Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) Executives on Forex & Treasury Management (FXTM) course.

(IV) National Conferences/Seminars/Workshop/Webcast/ Residential Refresher Course (RRC) for professional enhancement of members

The Committee has disseminated knowledge among members by way of various Virtual CPE Meetings and webinars. The Committee on Financial Markets and Investor's Protection conducted National Conferences, Seminars, Workshops and Residential Refresher Course with support of Branches of ICAI.

6.23 Audit Committee

Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the Institute to ensure that the financial statements are true and fair. It appoints auditors for the various units of the Institute, reviews the audit reports, takes follow up and recommends appropriate actions on the reports submitted by the Auditors of various units of the Institute. As per the revised procedure, the panel of the firms of Chartered Accountants is being taken from the office of Comptroller & Auditor General of India for appointment of statutory auditors of various units of the Institute. Audit Committee ensures the independence and integrity while appointing auditors at various units of the Institute from the names given by CAG office. Audit Committee operates through five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

6.24 Digital Re-Engineering and Transformation Committee (DR&TC)

(I) ICAI Digital Learning Hub - https://learning.icai.org/iDH/icai/

- Single Source of Knowledge Repository of both professional and academic learning
- Logo is Registered Trademark

(II) Digitization of ICAI Records at Pan India Locations of ICAI

- Digitize all the hard copy documents present in ICAI Head Office and ICAI Regional Offices
- Records are available on the fly anytime, anywhere and this will help in reducing the turnaround time for efficient services to all stakeholders.

(III) New Digital Identity for Members and Students - mail.CA.IN mailboxes.

(IV) Successful Launch of Whatsapp Services by ICAI – One Way Communication to all Members and Students

(V) ICAI Social Media Paltforms-

ICAI Social Media Platofrms have been instrumental in popularization of various ICAI's events key ICAI achievements and initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakehoders of ICAI. ICAI Social Media Networking presence is continuously increasing, and total number of Followers has crossed 2 million (20 Lakhs) users. Under the able guidance of Digital Re-Engineering & Transformation Directorate, the follower count has increased manifold, and more will be added in the year 2023-24. Link for Download - https://www.icai.org/followus

(VI) ICAI Mobile App ICAI Now - www.icai.org/mobile

- Official Mobile App of ICAI.
- Launch of New Improved Version 2.0 on iOS and Android.
- Logo is Registered Trademark
- The app has been downloaded by more than 9 lakhs of Users.

Link for Download - https://www.icai.org/mobile/

(VII) Faciliated online mode of Service Delivery for Members, Students and Internal ICAI Stakeholders

- Delivery of Certificate courses and Student Lectures in online mode
- Promoting anywhere and anytime learning through the ICAI Digital Learning Hub.
- Ensures Uptime of ICAI in Pandemic Times by launching new modes of Virtual Meeting and Webcasts
- Ensures Service delivery mechanism of ICAI does not stop.
- Great benefits from these Virtual Meeting Modes in ICAI Governance.

(VIII) Successful conduct of events- Support provided

- **WCOA 2022**

❖ **Technology**

- WCOA 2022 Mobile App – Downloaded by more than 6500 delegates.
- WCOA 2022 Virtual Platform – Accessed by more than 3500 delegates.
- Robotics Display at WCOA 2022 was widely appreciated by one and all.
- Other Technological Initiatives.

❖ **Social Media**

- Trending of WCOA Hashtag #wcoa2022 were trending at number 3 in India on Twitter on 18th November, 2022 and number 1 in Business Category on 19th November, 2022.
- Paid Promotion on ICAI HO & WCOA Accounts on all social media platform of ICAI HO & WCOA Accounts Total Reach/Views:1,41,72,918.
- Organic Content: Organic Content has been created and published on ICAI HO and WCOA Accounts Total Organic post: 1450+ Total Reach/Views: Approximately 5 Crore+
- It is estimated that 85 % of Total users visited on visited on WCOA Website https://www.wcoa2022mumbai.org/ routed from social media (Organic Post + Paid promotion)

- **Pravasi Bhartiya Diwas and Global Investment Summit held in Indore – Technological and Social Media Support.**
- **ICAI CA Day 2022 held in New Delhi.**
- **ICAI Annual Day 2023 held in New Delhi.**

(IX) IT Infrastructure Initiatives

- Video wall and side panels installation at ITO
- New VC system installation at Mumbai for WCOA 2022
- New Wi-Fi solution at Mumbai Office for WCOA 2022
- New VC system installation at Ahmedabad office
- Replaced Data Center Servers
- Mass SMS and email cost halved with new tendering
- iPad and accessories procurement
- Complete network restructuring at ITO
- New IIL commissioned in All ICAI locations.
- New Desktops / Laptops / Printers and other accessories to Users
- Upgradation of existing hardware and infra
- Providing Data Card to Users

(X) Technological Support provided to other Department/Committees of ICAI

- Successfully launched LIMBS (Legal Information Management and Briefing System) in Legal Department Free of Cost
- Tracker.icai.org – Payment tracking portal is up and running in ICAI HO.
- Office has developed Dashboard for Members and Students related Statistical information.
- Office has successfully created the administrative setup of Gem Buyer account for ICAI on Government e-Procurement (GeM) Portal
- Office has developed Dashboard for Members and Students related Statistical information.

6.25 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members/CA firms/LLPs/mergers/demergers/networking related matters and proposals received from other committees/departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

6.26 Valuation Standards Board

The Valuation Standards Board aspires to align Valuation Standards in India (ICAI Valuation Standards, 2018) with the best global standards. To achieve this vision, the Board focuses on developing, enhancing, raising awareness and encouraging implementation of ICAI Valuation Standards 2018, both within India and globally. Additionally, the Board aims to promote Valuation profession and actively explores opportunities for its members in the field of Valuation Standards, both domestically and internationally. In addition to disseminating knowledge, the Board collaborates closely with the Government to support their initiatives and contribute to their vision.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Facilitating the Law-Making Process with the Government

- **Engagement with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)**

The Board is actively engaged with the Insolvency and Bankruptcy Board of India with a view to work on the Regulatory aspects and to create awareness around Valuation Profession. The Board organised webcasts and VCMs on "Valuation – Key Aspect under IBC 2016 and Mega conclave on IBC & Valuation **.**

(II) Representation/ Suggestions/ Inputs to Government/Regulatory Bodies

- **Representation to Reserve Bank of India to request for adoption of ICAI Valuation Standards for valuation by Registered Valuers.**

ICAI Valuation standards have been formulated on the basis of a detailed study of global practices followed, subject to required modifications as per prevalent law in the country. Therefore, in order to have uniform practice across the country, ICAI requested RBI to adopt ICAI Valuation Standards instead of International Valuation Standards, for valuation by Registered Valuers in India and also to give directions to the Banks accordingly. In this regard, a meeting was also requested to discuss about the journey of formulation of ICAI Valuation Standards and its distinguishing features vis a vis International Valuation standards.

(III) Initiatives for the Members/Students

- **E-learning modules/courses developed on ICAI Valuation Standards 2018 and uploaded on ICAI Digital Learning Hub.**

With a view to promoting and creating awareness of the ICAI Valuation Standards 2018, the Valuation Standards Board in its 10th meeting decided to upload e-learning courses on ICAI Valuation Standards 2018 on ICAI Digital Learning Hub. The e-learning course contains an interactive presentation on the Standards along with machine audio, Frequently Asked Questions and Multiple-Choice Questions for self-assessment with each Standard. ATQ Series-15 "Inventory Valuation- Accounting vis a vis Valuation", has been uploaded on ICAI DLH for learning and benefit of the members.

- **Webcast conducted on "Valuation of Inventory – Accounting vis-à-vis Valuation Aspects**.

The Valuation Standards Board of ICAI had organized a Live Webcast on "Valuation of Inventory – Accounting vis-à-vis Valuation Aspects" on 12.04.2022, jointly with Accounting Standards Board to discuss accounting and valuation aspects of inventory. The webcast was well attended by members.

- **Webcast conducted on Valuation – Key Aspect under IBC 2016**

The Valuation Standards Board of ICAI had organized a Live Webcast on "Valuation- Key Aspect under

IBC 2016" on 19.04.2022 jointly with the Committee on Insolvency & Bankruptcy Code. The webcast was well attended by members.

- **Training Program on Valuation and ICAI Valuation Standards 2018**

The Valuation Standards Board of ICAI had organized a training program on 28.05.2022 at Thiruvananthapuram, jointly with the Thiruvananthapuram branch of SIRC of ICAI, on Valuation approaches and methods and to discuss case studies along with Do's and Don'ts of Valuation.

(IV) Supporting International Accounting Bodies and Important International Meetings / Conclaves.

- **Membership of International Valuation Standards Council, UK**

ICAI has been a member of the International Valuation Standards Council.

(V) Research Projects/Program in progress:

- To develop and bring out new ICAI Valuation Standards/Technical Guide/Concept Papers in the following areas within the asset class Financial Assets and Securities:

  - Non- Financial Liability

  - Biological Assets

  - Contingent Consideration

- To develop Valuation Standards for the other two Asset classes i.e. Plant & Machinery and Land & Building.
- To undertake awareness programmes with BRICS, SAFA & CAPA countries and to make them adopt and use ICAI Valuation Standards, 2018.
- Valuation course to be conducted for ICLS officers jointly with ICLS Academy of Ministry of Corporate Affairs.
- Educational Material to be published on remaining ICAI Valuation Standards 2018 to make understanding and implementation of the Standards easy.

(VI) Publications

- Valuation: Professionals' Insights Series -7
- Technical Guide on Valuation of Business in Telecom Tower Industry
- Valuation: VCM ATQ's Series:15 – "Inventory Valuation – Accounting vis a vis Valuation"
- Judicial Pronouncements in Valuation-Series 2
- Technical Guide on Valuation of Assets in Extractive Industries
- Quarterly E-Newsletter for Valuation Standards

(VII) Programmes/Conferences/Webcast/Courses

The Valuation Standards Board of ICAI had organized the Webcasts and training programs on Valuation of Inventory – Accounting vis-à-vis Valuation Aspects", "Valuation – Key Aspect under IBC 2016, Valuation and ICAI Valuation Standards 2018, Mega Conclave on IBC & Valuation, Weekly Webinars on Valuation Manthan Sessions On the occasion of 5th Foundation Day of ICAI Registered Valuers Organisation (wholly owned subsidiary of the Institute of Chartered Accountants of India), ICAI RVO jointly with the Valuation Standards Board of ICAI has organized a 2 Days Conference on "Sustaining Public Interest through Valuation Ecosystem.

6.27 Taxation Audits Quality Review Board (TAQRB)

The Taxation Audits Quality Review Board was constituted by the Institute in the year 2018 in order to improve the reporting of compliances under various taxation laws (both Direct as well as Indirect). It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

ACTIVITIES/ INITIATIVES:

- **Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2018-19 & 2020-21:**

  The Board selected 100 companies for review of their Tax Audit reports (pertaining to AY 2022-23) on suo motto basis. So far, 74 Tax Audit Reports have been received for review by the Board.

Based on the review:

- Advisories are being issued to members to ensure that such mistakes are not committed again.
- Suggestions have been identified to be conveyed to CBDT for changes in the Tax Audit Report e-filing utility.
- Suggestions have been identified which was incorporated in the latest edition of Guidance Note on Tax Audit.
- Commonly found irregularities/ non- compliances committed while furnishing Tax Audit Reports have been identified for the purpose of creating awareness amongst the members.
- **Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2023-24.**

The Board during the Council Year 2023-24 selected 100 companies for review of their Tax Audit reports Pertaining to AY 2022-23 on suo motto basis. So far, 74 Tax Audit report have been received for review by the Board.

Initiatives for the Members

(I) Seminars

The Board conducted 8 Seminars on Tax Audit, Common Non-Compliances & Issues in Tax Audit u/s 44AB, Income Tax Audit, Safeguard of Chartered Accountants in Tax Audit & Tax Audit Quality, Discussion on Issues under Tax Audit, Direct Tax and other Tax Matter.

(II) Webinars

To create awareness amongst the members, the Board organised 4 Live Webinars on 'Practical Aspects of Tax Audit under Income Tax Act -1961', 'Tax Audit Practice Session 1- Tax Audit Programme', 'Tax Audit Practice Session 2- Standards on Auditing consideration in Tax Audit' and 'Tax Audit Practice Session 3- Tax Audit Documentation'.

(III) Launch of Web Portal of the Board

- *Systematic identification of common non-compliances on the basis of Tax Audit reports by using rule-based analytics.*
- *Automation of various workflows of TAQRB between various review levels including empanelment of Technical Reviewers.*
- *Maintenance of repository the non-compliances observed by the Board.*
- *Monitoring the progress of review work.*
- *Maintenance of the database of TAQRGs as well as TRs.*
- *Making available publications of TAQRB, TAQRB's articles in Journal; details of seminars/webcast of TAQRB, Did you know series etc.*

(IV) Orientation Programme

The Board organised 3 Orientation Programmes for the members of Taxation Audits Quality Review Groups

(V) Launch of Official Twitter Handle of the Board

The official Twitter handle of the Board was launched on 1st July, 2022 on the occasion of the Chartered Accountants Day 2022 as @TAQRBICAI. The Board also launched the 'Did you know 'series on it, to apprise the members of the compliances to be taken care of.

(VI) Publication

To guide the member of the Institute in enhancing and improving the quality of Tax Audits conducted by them, the Board released a publication on 'Study on Compliances in reporting in Tax Audit report' on the occasion of the Chartered Accountants Day 2022 on 1st July. 2022. The steps taken above are expected to improvise the quality of tax audit conducted by the members.

(VII) Other Activities

Recording of short e-learning videos on various non-compliances/common errors identified in respect of various clauses of tax audit reports for DLH portal of ICAI.

- Presence of TAQRB was included in ICAI pavilion along with the other regulatory Boards of ICAI e.g., QRB, FRRB, PRB and CAQ under the theme '*Robust regulatory framework*' in the World Congress of Accountants 2022 held in Mumbai from 18th – 21st November 2022.
- For the inaugural of the iconic week under *'Azadi ka Amrit Mahotsav'* organized by the Ministry of Finance, nominations to attend the same was sought from all the Taxation Committees of ICAI. The same was attended by the representatives from all the Taxation Committees of ICAI.

- During the celebration of Iconic Week under '*Azadi ka Amrit Mahotsav*' by Ministry of Finance, one of the events planned during the week was conducting *Cyclothon* covering historic monuments in the city. For the same volunteers were sought from ICAI. More than 100 participants volunteered from ICAI.

6.28 Committee on Insolvency and Bankruptcy Code (CI&BC)

The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI has been constituted to give specific focus on Insolvency and Bankruptcy Laws. It is an emerging area, and it has created a new professional opportunity for the members. The Committee aims to bring in awareness about this new area of practice in the Insolvency Resolution sphere to the members at large and facilitates in educating the members on the practical aspects and procedures of the Law.

Towards Partner in Nation Building

ICAI is contributing as a member of the Insolvency Law Committee as constituted by Government of India as Standing Committee for review of implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Sl.No.	Issue of Discussion Paper/Notice by IBBI/MCA seeking public comments	Date of uploading ICAI suggestions on IBBI Portal
1	IBBI issued Disussion Paper dated 15th February, 2022 on Engagement and appointment of professionals in a corporate insolvency resolution process and solicited public comments on a proposed amendment in Regulation 27 of the CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) Regulations which had to be submitted electronically by 30th March, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 30th March, 2022.
2	(IBBI) issued a Discussion Paper dated 31st March, 2022 on "Review of Redressal and Enforcement Mechanism" and sought public comments on the same to be submitted electronically by 21st April, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 21st April, 2022.
3	IBBI issued a Discussion Paper dated 8th April, 2022 on "Enhancing effectiveness of Information Utility" and sought public comments on the same to be submitted electronically by 29th April, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 28th April, 2022.
4	IBBI issued a Consultation Paper dated 13th April, 2022 on issues related to reducing delays in the corporate insolvency resolution process and sought public comments on the same to be submitted electronically by 3rd May, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 2nd May, 2022.
5	IBBI issued a Discussion Paper dated 9th June, 2022 on Remuneration of an Insolvency Professional and sought public comments on the same to be submitted electronically by 30th June, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 30th June, 2022.
6	IBBI issued a Discussion Paper dated 14th June, 2022 on "Enabling entities to become insolvency professional" and sought public comments on the same to be submitted electronically by 5th July, 2022	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 5th July,2022.
7	IBBI issued a Discussion Paper dt. 14th June, 2022 on "Streamlining the Liquidation Process" and sought public comments on the same to be submitted electronically by 5th July, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 5th July, 2022.
8	The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a notice dated 14th June, 2022 on issues related to Effective and expeditious resolution of Real Estate Projects and had sought public comments on the same to be submitted at the Email ID provided by IBBI by 5th July, 2022	ICAI Suggestions were submitted to IBBI at the said Email ID on 5th July, 2022.
9	IBB issued a Discussion Paper dated 24th June, 2022 on "Financial Self-Sufficiency of the Insolvency and Bankruptcy Board of India" and sought public comments on the same to be submitted electronically by 15th July, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 15th July, 2022.
10	The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Discussion Paper dt. 27th June, 2022 on "Changes in the corporate insolvency resolution process to reduce delays and improve the resolution value" and had sought public comments on the same to be submitted electronically by 17th July, 2022.	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 17th July, 2022.

11	MCA vide notice dated 18th January 2023 issued a Notice inviting comments from the Public on changes being considered to the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and had sought comments on the same to be submitted online by 5:30 PM on 7th February 2023	ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal on 7th February, 2023.

(I) Release of Publications

- Handbook on Enterprise Management of Corporate Debtor by Resolution Professional
- Judicial Pronouncements under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Series 4
- Summary of Amendments in Regulations under The Insolvency and Bankruptcy Code in 2022
- Meetings of Committee of Creditors- A Handbook for the Guidance of Insolvency Professionals

(II) IBC Case Laws Update

The Committee had taken the initiative to bring IBC Case Laws Update on a regular basis covering important Case Analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Committee has brought out 23 Case Laws Update from March 2021 to January 2023.

(III) Launch of Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Looking at the importance of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the professional opportunities therein, the Committee has launched Certificate Couse on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 for the benefit of the members at large. The Committee has conducted so far five batches of Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 through Online Mode. From third batch onwards, course is being conducted by the Committee in association with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).

(IV) Residential Refresher Course

Residential Refresher Course (RRC) on Insolvency and Bankruptcy Code was conducted at Goa and Pench, Madhya Pradesh during the year. The Committee had organized Four Days Refresher Course on IBC from 26th to 29th May 2022 hosted by Aurangabad Branch of WIRC of ICAI jointly with Pimpri- Chinchwad, Akola and Ahmednagar Branch of WIRC of ICAI

(V) Specialised Course

Preparatory Virtual Course conducted for Limited Insolvency Examination jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code (CIBC) of ICAI and Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) have jointly organized Seven batches of Preparatory Virtual Course for Limited Insolvency Examination.

(VI) Details of Conclave/Interactive Meeting held

- The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code and Valuation Standards Board of ICAI in association with ICAI RVO and hosted by WIRC of ICAI organized the Mega Conclave on IBC & Valuation on 5th February 2023 at ICAI BKC Mumbai as part of the country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives.
- The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI had organized an Interactive Meeting of Insolvency Professionals with Executive Director, IBBI, hosted by WIRC of ICAI on 8th July 2022 at ICAI BKC Mumbai.
- The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), in association with the three Insolvency Professional Agencies organised a Conclave of Insolvency Professionals on 20th January 2023 at ICAI Bhawan, Chennai. The conclave was co-hosted by Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI.

(VII) Details of Seminars/Workshops organized by the Committee as part of the country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives

- The Committee had organized a Seminar on Insolvency & Bankruptcy Code on 20th August 2022 at Kolkata and hosted by EIRC of ICAI. The Programme was addressed by Hon'ble NCLT Members.
- The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code (CIBC) of ICAI and Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) had jointly organized the Seminar on Insolvency and Bankruptcy Code at Jammu on 28th January 2023 and hosted by Jammu and Kashmir Branch of NIRC of ICAI. The Seminar was addressed by Shri Rohit Kapoor, Hon'ble Member (J), National Company Law Tribunal.
- The Committee had organized Seminars on Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 at Ahmedabad and Lucknow, IBC-Explore opportunities under IBC Law, three Days Workshop for the Preparation of IBBI Limited Insolvency Examination at Ajmer and Raipur

(VIII) Details of Conference held as part of the country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives

The Committee had organized National Conference on Insolvency & Bankruptcy Code on 9th and 10th December 2022 at Pune and hosted by Pimpri Chinchwad Branch of WIRC of ICAI & co-hosted by Pune Branch and Aurangabad Branch of WIRC of ICAI. The programme was addressed by Executive Director, IBBI.

(IX) Webcast/Virtual CPE Meetings (VCMs) organized by the Committee as part of the country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives

(i) Virtual CPE Meetings:

The Committee organised 4 Virtual CPE Meetings on 'Valuation - Key Aspect under IBC, 2016', 'Voluntary Liquidation Process under IBC -Important Aspects', 'Liquidation Process under IBC – Important aspects' and 'Resolution Plan under IBC – Important aspects'.

(ii) VCM Series

The Committee oraginsed 4 VCM Series on IBC, Series 1 - Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), Series 2 - Pre-Packaged Insolvency, Series 3 - Opportunities in Stressed Assets and funding of Stressed Assets + Resolution Plan, Series 4 – Liquidation.

(iii) Webinars

The Committee organised 5 webinars on GST Compliance for Companies under Insolvency and Bankruptcy Code, Meetings of Committee of Creditors, Taxation Aspects for Companies under IBC, Voluntary Liquidation Process under IBC-Important Practical Insights and Resolution Plan-The Key for Success in IBC. The Committee also orgainsed Series of Webinars on Case Studies of successful resolution cases under IBC i.e Case Study of Assam Company India Resolution under IBC and Case Study of Sai Wardha Power Generation Resolution under IBC Participation by the Committee at the ICAI Pavilion at WCOA 2022 at Mumbai

(X) Participation by the Committee at ICAI Pavilion at WCOA 2022 at Mumbai

The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI had participated in the Zone 1- 'Partner in Nation Building' at the ICAI Pavilion at WCOA 2022 at Mumbai. A Quiz on Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 was conducted at the Pavilion and large number of delegates had enthusiastically participated in the quiz.

6.29 Women & Young Members Excellence Committee (WYMEC)

As a true partner in nation building, ICAI has setup the Women & Young Members Excellence Committee (erstwhile Women Members Empowerment Committee) which is a non-standing Committee of the ICAI formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. The Committee was formed in the Year 2014 and thereafter has been working under the nomenclature of Women Members Empowerment Group, Women Members Empowerment Directorate, Women Members Empowerment Committee. With the inclusion of the Young members within the ambit of the Committee, the Committee has widened its scope to effectively work towards empowerment and upskilling of both women & young member in the dynamic and challenging work environment. WYMEC especially work towards promoting the fulfilment of Women & Young Member's potential through capacity building initiatives, skill development activities, providing awareness of various employment opportunities and by other similar means.

(I) First Ever Placement Programme for Flexi-time/ Part-time/ Work from Home Job Opportunities for Women Chartered Accountants:

Committee organized Placement drive exclusively for women members jointly with Committee for Members in Industry & Business (CMIB) to explore more dedicated placement opportunities for experienced women Chartered Accountants who want to work on a flexi-time/part-time/ work from home basis on 31st October & 1st November, 2022. The programme was held virtually at 9 bigger and 12 smaller centres. The facilitation covered flexi-time/ part-time/work-from-home options and was an excellent opportunity for women members not holding full-time COP and having standing of more than 1 year, to explore job opportunities as per their ease and comfort ability. An enthusiastic response from 81 Companies with 1179 vacancies to offer flexi-time/ part-time/work-from-home job options for women members was received. 1613 women members registered for the said placement program out of which 1376 candidates were shortlisted by companies. 97 Unique offers were made by the recruiters wherein 50 offers were accepted by the women members.

To help Women CAs registered for First Placement Programme, prepare them for interview and to address their queries and doubts, Committee organized Orientation Programme on 28th October, 2022. Eminent speakers addressed on pertinent topics to guide and mentor members before selection interview/test.

(II) WCOA Pavilion:

The Committee contributed in the ICAI Pavilion at WCOA 2022 at Mumbai. The purpose of participating in the ICAI Pavilion was to create awareness about the various initiatives of the Committee undertaken for the benefit of Women Chartered Accountants and to take valuable feedback from the WCOA Participants. Various initiatives of the Committee were highlighted during interaction with the visiting delegates. Women CAs were encouraged for their active participation in the programs/ seminars/ webinars/ VCMs of the Committee and to visit Women Portal regularly so that they are aware of the upcoming initiatives of the Committee. A quiz consisting of 30 questions was conceptualised and framed keeping in mind both International and domestic participants. Attractive Flash Cards were designed for each question and the same were printed for distribution to the interested participants of the quiz. Along with Action plan of the Committee, sustainable gift items were distributed to generate awareness and interest in the Committee activities to Indian as well as foreign delegates who participated in the quiz and showed interest. Approx 1000 women professionals from across the world visited the pavilion and enquired about Committee initiatives.

(III) Networking Meet on Lead to Empower with Automation and Passion:

Committee organised Networking Meet on Lead to Empower with Automation and Passion (LEAP) on 16th November, 2022 at ICAI Auditorium, BKC, Mumbai as a side line event of WCOA. Ms. Kate Boorer, President CA ANZ, Ms. Gladeys Jill A. Santos, National President, ACPAPP and CA. Sandhya Sharma, CFO, Schindler India Pvt. Ltd were the eminent speakers during the meet. The then President-ICAI, the then Vice President- ICAI, Past President & Chairman, Executive Committee- WCOA, Central Council members addressed the participants and also graced the event. Approx. 80 women members physically participated in the meet.

(IV) Sky High Symposium Wednesday programs:

The Committee organises Sky High Symposium programs every week. It is a Wednesday series of programs conducted by the Committee for women & young members of the Institute. It is one of the Women & Young Members Excellence Committee’s initiatives to not only disseminate information to women & young members on technical updation and non technical skills but also to empower and inspire them to come at forefront and realise their verbal skills at public forum. Till date 58 programs under Sky High Symposium virtual weekly series have been organised, wherein opportunity has been provided to over 116 women members to become speakers on technical / non-technical topics and over 230 women members to become coordinators in the program. More than 27,000 participants were empowered during the program with average participation of over 500 members.

(V) Youth Excellence Symposium:

The Committee organises Youth Excellence Symposium programs which is a Friday series program for young members of the Institute to support and guide Young members in their professional growth and to increase acumen of young members with the latest developments in the profession. The Committee has started this Friday series from 25th March 2023 and 13 programs have been organised till date wherein more than 6000 members participated with average participation of over 460 members.

(VI) Virtual Series on Unleash Your Potential…Learn-Upskill-Excel:

The Committee organised a Virtual Series on Unleash Your Potential…Learn-Upskill-Excel. This series is one of Women & Young Members Excellence Committee’s initiatives to augment the knowledge and overall confidence building of the members presently working in Industry/Corporate but aiming to switch to practice, members who are on career break but want to resume their professional career, or members aiming to widen their area of expertise in respective professional domains. This series is also helpful for members at large in enriching their knowledge & overall confidence building by keeping them abreast with the latest amendments in diverse fields. Till date 9 programs have been organised under this series covering Direct Tax & Indirect Tax modules.

(VII) International Women’s day Celebration

To commemorate International Women’s Day i.e. 8th March, 2023, the Committee undertook following activities-

- *Global Webinar- Special Sky High Symposium:* The Committee organized a Global Sky High Symposium webinar on the occasion of International Women’s Day ie 8th March 2023 wherein deliberations on various Initiatives undertaken/ to be taken by ICAI under the aegis of WYMEC for capacity building and empowerment of Women & Young Members were done by the President ICAI, Vice President ICAI, Chairperson –WYMEC and Vice-Chairman-WYMEC. The eminent speakers of the Webinar included Ms. Kate Boorer, Past President, CA ANZ, Ms. Fiona Pearman, Founder- Quantum Impact Group and CA Kala Subramanian, Past Chairperson, ICAI Singapore Chapter. The webinar was attended by around 1000 participants.

- *Women’s Day Celebration by branches:* In response to the WYMEC mass email to branches to promote and conduct events for the benefit of women members at large, more than 50 ICAI branches across the country conducted Women Empowerment programme under the aegis of WYMEC during the month of March 2023.

- *Video bytes:* Video bytes of President, ICAI and Vice-President, ICAI were recorded and uploaded on social media platforms of the Institute, Committee page & women portal for motivating and inspiring women & young members across the country.

(VIII) Azadi Ka Amrit Mahotsav- Iconic Day Event:

As part of country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives, envisaged by Government of India, to commemorate and celebrate 75 years of India's Independence, the Committee organised a seminar on the theme "Women- From Empowerment to Excellence- Contemporary Perspective" as a part of "Iconic Day Event" on 8th June 2022 at Hotel Lalit, Delhi. The seminar had eminent and renowned speakers- Ms Pallavi Kumar- Executive Director- Multi Organ Harvesting Aid Network (MOHAN) Foundation-Delhi NCR; and Dr Bornali Bhandari- Senior Fellow at National Council of Applied Economic Research (NCAER). Apart from the physical participation from the members, the program witnessed around 18000 virtual participation.

(IX) Virtual Mentorship Programme for Women Members:

Committee organised Virtual Mentorship Programme for Women Members jointly with CPE Committee on 25th August 2022. Following topics were covered- Online Opportunities for Women Members, How to develop Growth Mindset, Importance of health - both physical and mental (emotion management - enthusiasm - bouncing back - mindfulness - always energetic - fearless soul), Taking break - sabbatical or long inactive break from professional or entrepreneur life as positive rather than setback, Action - coming out of comfort zone, Subsidies - State - National and International - WTO Practice, Entrepreneurship- Virtual Global Consultancy & How to create Online Course and Technology for Teaching. Eminent speakers were invited in the program to deliberate on these pertinent topics. The Committee organised 1st Virtual National Conference for Women Members which was hosted by Pune branch of WIRC of ICAI. All the Sessions of the Conference were deliberately chosen taking into account the dynamic external work environment, contemporary practise areas and to motivate & guide women members. The Conference received overwhelming response from the participants.

(X) Residential Refresher Courses:

The Committee also organised various Residential Refresher Courses for Women members & Young members which were hosted by:

- Bhopal branch of CIRC of ICAI on 17th & 18th June 2023 for Women members covering the topics- Professional Opportunities for Women CAs under various allied laws, GST Recent Amendments, Professional Ethics for Chartered Accountants, Insider Trading in Stock Market, IT Threats & Securities, Work Life Balance, etc
- Pimpri Chinchwad Branch of WIRC of ICAI on 24th & 25th June 2023 for Young members on the topics- Incredible India & Sustainability, Importance & ways of Networking, Embracing Self & Success Hacks, Know your Buddies - An Ice breaking session, Fireside Chat: Startup & Angle Investor, Leveraging AI for Professional Efficiency, Novel Opportunities in CA Profession, etc
- Gorakhpur Branch of CIRC of ICAI on 25th, 26th & 27th June 2023 for Women members wherein topics discussed were GST Compliances, Incorporation Process for a Pvt Ltd Co., Overview of Guidance note on Financial statements, Potential for Growth & Success, Tax Planning, Penalties and offences under GST, Art of Public Speaking, etc

Apart from Women Empowerment program during the month of March 2023, the Committee also organised physical seminars on Remote Working Ideas for Women Professionals, Basics of Income Tax, Updates on GST, Excelled with Excel Tips, Emerging Opportunities for Women Chartered Accountants, Capital Gain for Non Resident Indians, Basics of GST, Work Life Balance, Opportunities for Women CAs in Sustainability Reporting and Social Audit, Opportunities for Women CAs in Social Audit, ICAI Guidelines for Social Media Publicity, Communication & Soft skills for Women CAs to build Report and Trust, Professional Grooming, Sustainability Reporting, Social Stock Exchange, Career Opportunities, Passion, Entrepreneurship, Start-ups, Work life, Boon or Bane and Global scenario- AI enabled audit techniques, future of profession with advancement of technology, Health, Hygiene and grooming etc

6.30 Committee on MSME & Start-up

Realising the need of an hour to strengthen the MSME sector the Institute has constituted Committee on MSME & Startup as one of the prominent non-standing Committees of the ICAI. The main objective of the Committee is to undertake capacity building measures by developing a sustainable framework for the MSMEs & Startups.

Initiatives

- **ICAI Startup Gateway**

To enhance the capacity building measures of Startups, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)through the Committee on MSME & Start-up launched various initiatives on Start-up.

- **Startup Sphere 2023**

The Institute of Chartered Accountants of India organised a magnificent event for Start-up community titled Start-up Sphere, aimed to foster innovation, collaboration, and entrepreneurship within the local startup ecosystem. The event took place at the World Jio Centre in Mumbai on 27th & 28th June, 2023. This highly anticipated event brought together the startup community, partners, unicorns, influencers, founders, investors, leaders, and entrepreneurs to discuss a wide range of topics related to startups was witnessed by 7000 attendees from all over the Country. The event comprised of series of sessions by over 120 industry specialists who are passionate about empowering entrepreneurs. Around 60 Startups were offered the opportunity to pitch their unique ideas at Investors pitch which brought Investors and Investees face to face. More than 20 mega Venture funds participated in the event to invest in the most innovative ideas. 150 startups participated as exhibitors and seized the opportunity to connect with a diverse community of like-minded individuals, fellow entrepreneurs, angel investors, venture capitalists, and potential partners.

The Start up Sphere was inaugurated by Shri Uday Samant, Hon'able Minister of Industries, Government of Maharashtra, he congratulated ICAI for hosting this magnificent event for encouraging startup ecosystem in the Country. The second day of the event began with special address and blessings of Shri Ram Nath Kovid, Hon'ble former President of India – A symbol of leadership and excellence. He said that our talented youth should become owners of enterprises instead of being employees of startup entities, Indian youth should move up the ladder of the economic value chain. The highlights of Startup Sphere 2023 was the lineup of esteemed keynote speakers and panelists i.e CA. Aman Gupta, Mr. Nithin Kamath, Mr. Deepak Sahni, CA. Deena Jacab, CA. Ankit Fatehpuria, Ms. Lisa Ray and CA. Gaurav Samdaria who shared their expertise and insights with the audience. They shed light on emerging technologies, market trends, and strategies for success.

The two-day event was full of inspiration, insights and networking featuring panel discussion on unique topics which have never been talked like Impact of Metaverse into real life Business case, CBDC and its impact on Global economy, Block chain and its recent development, Cyber security issues of Web 3.0. Participants witnessed driven individuals who are passionate about bringing unusual ideas to life and impacting the society. Carefully curated sessions on Art and Science of Startup Valuation, Investing in People Vs Investing in Ideas, Incubation and Innovation in Startup attracted many the startup aspirants. Startups that participated in the event gained visibility, secured funding, and forged strategic partnerships. The success of Start up Sphere 2023 has set a new benchmark for future start-up events, inspiring organizers to strive for excellence and adopt innovative approaches in their planning and execution. The Startup Sphere 2023 successfully ignited a spirit of innovation and collaboration among attendees. It served as a catalyst for aspiring entrepreneurs to realize their vision and provided a glimpse into the future of the startup landscape. As the event concluded, participants left with newfound motivation, actionable insights, and a network of invaluable connections. The Startup Sphere 2023 undoubtedly left a lasting impact on the entrepreneurial community and is bound to be a milestone for startups in the years to come.

- **ICAI Startup Samvad** : ICAI to help in establishing the Bridge among the various stakeholders & Startups.

The Committee on MSME & Startup of the Institute of the Chartered Accountants of India has always endeavoured for the Capacity Building of Startups. The Committee has immense pleasure to inform that the month of January, 2023 will be celebrated as Startup Month named ICAI Startup Samvad. The Startup Programme will be organized for an entire month in various Branches/ Regional Councils located in various cities in India for the Capacity Building of Startups & to promote Innovation, New ideas developed by Buddy Startups. The ICAI Startup Samvad Programme will be kicked off through the branches / RCs in January, 2023. The entire celebrations will be presented at large, particularly for Startups, Investors, Mentors, Buddy Startups, Students, Chartered Accountants, Incubators, Innovators etc. Technical Session on Startup will be included such as Introduction to Startup, Go to Market Strategy, How to Value Startup/ Startup Valuation, Business Model-Case studies of Successful startup, Startup Funding: Angel/ VC/Seed Funding

- **Start-up portal i.e. https://startup.icai.org/**

The Committee has launched a dedicated portal https://startup.icai.org/ to facilitate various exchange services within the constituents namely – Startups, Chartered Accountants(Business consultants), Mentors, Venture Capitalist and Incubation Centres.

The features of the Web portal included Mentors for providing mentoring services to the startups and their empanelment on our portal, Ventures Capitalist for providing financing services to the startups and their empanelment on our portal, Member of ICAI as a business consultant to provide various business consultancy services

like Corporate Laws, Valuation, Indirect Tax etc. to the startup registered with ICAI, Expression of interest to associate with ICAI startup ecosystem, Startup success stories of Chartered Accountants to motivate and encourage other members to join the league and many more features with regard to Start-up ecosystem

- **Start-up Incubation Centres**

Taking the journey forward to develop the startup ecosystem within ICAI, we have identified the following Startup Incubation Centres to facilitate start up ideas towards fostering the entrepreneurial spirit and abilities of the Chartered Accountants, initial proposed Incubation Centres are Indore, Bhubaneshwar, Nashik, Kanpur, Surat, Guwahati, Rajkot, Ahmedabad, Mumbai and Pune.

- **Certificate course on Startup**

The Certificate Course is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into Startup space themselves; to help achieve the national objectives. The Certificate course will make the Members of ICAI enable to be a business solution providers for Startup Sector.

- **Master Class on Startup**

The Master Class on Startup is intended to equip Chartered Accountants to provide Knowledge based specialized modules to enhance their expertise in Startup;

- **Startup Summit**

The Committee on MSME and Start-up organised a Startup Summit Programme on 8th October, 2022 at Hotel Shangri-La Eros, New Delhi. Start-up Summit where the Members of ICAI participated along with the community of start-ups, partners, Influencers, Founders, Investors and Entrepreneurs discussed on How VCs think + Skill of preparing Pitch Deck for Investors, Startup - Idea Generation to MVP, Startup India Scheme & its benefits & Valuation in Startups along with the 2 minute Idea Pitch with Angle Investors, future of start-ups, venture capital, artificial intelligence, fintech, and other aspects of Startups. Around 250 participants physically participated in the said summit.

- **ICAI MSME Ecosystem**

To enhance the capacity building measures of MSMEs, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up arranged various initiatives pertaining to the MSME Ecosystem.

(I) ICAI MSME Yatra

The ICAI MSME Yatra an initiative to support, facilitate and respond to MSME Needs was flagged of on 18th August, 2022 from Mumbai. The initiative aspires to promote the spirit of entrepreneurship amongst MSMEs as well as support MSMEs in enhancing their portfolio and by spreading the awareness about the various State and Central Government Schemes, Subsidies and Incentives available thereof. MSME Camp is also organised, wherein the Grievances raised by the MSMEs resolved in real-time basis and real time Udyam registration of MSMEs also facilitated through ICAI MSME Setu. The Knowledge enhancement sessions on different areas of MSMEs also organised during the ICAI MSME Yatra Programme. The MSME Yatra, since its launch has covered more than 80 cities cities of the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir ,Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telengana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka & Goa. Under the ICAI MSME Yatra, awareness is being created towards capacity and competence building of MSMEs for catalysing the growth of the sector to boost job creation and development of economy. The MSME Yatra initiative received overwhelming support from the respective State Governments and the events at various places were attended by state ministers, Local Member of Parliament, Member of Legislative Assembly at respective state. The ICAI MSME yatra programme at Shimla was graced as Chief Guest by Shri Rajendra Vishwanath Arlekar Hon'ble Governor, Himachal Pradesh.

(II) ICAI MSME Setu Programme: Transformation of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up to establish the linkage between ICAI & Prospective MSMEs in a key strategy for enhancing the Portfolio of MSMEs in the country. With the state as the main driver, the program focuses on the strengths of each district, identifies unmanageable fruits for improvement, and measures progress with the aid of Convergence of the Government Schemes & Co-operation of the MSMEs by supporting their needs through ICAI MSME Ecosystem. The various districts of the states such as Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir ,Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telengana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka & Goa is covered during the ICAI MSME Setu.

MSME Yatra initiative by ICAI has been inducted in the prestigious India Book of Records. This feat was achieved, when ICAI conducted MSME programmes in maximum cities during nationwide 'ICAI MSME SETU' and 'ICAI MSME YATRA' campaigns covering 75 cities across 22 States of the nation in 75 days for promoting

entrepreneurship as well as to boost job creation and develop the economy. The campaign was held from August 18, 2022 till November 18, 2022. ICAI recently got inducted into Asia Book of Records as well for its ICAI MSME Yatra and MSME SETU initiatives.

(III) ICAI MSME Saathi

The Committee on MSME & Satrtup, ICAI has onboarded latest IT tools of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) for providing assistance and solutions to the issues of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The Committee has implemented AI & ML on its robust Query Redressal System 'ICAI MSME Sathi'. It has emerged as one of the solution provider platforms for the MSMEs in a very short span of time.

(IV) National Small Industry Day

The National Small Industry Day to be observed throughout India with the curated programme on 30th August, 2023 with the Objective to promote Micro & Small businesses across the nation through the Committee on MSME & Startup, ICAI. The day motivates and shapes through our curated programme to enhance the portfolio of the small-scale sector. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are an integral part of the value chain and foster the MSME ecosystem. The day also marks the various other possibilities and opportunities that the sector creates for individuals working in the urban and rural sectors of India.

(V) International MSME Day

Committee on MSME and Start-up organised a series of programmes focussing on the various needs of MSMEs of India and role played by the CA fraternity in bridging those needs of MSMEs on the International MSME Day on 27th June, 2023.

(VI) MSME ExCHANGE

MSME ExCHANGE is conceptualized to facilitate a robust platform for value creation in various dimensions vital for the development and sustainability of MSMEs. The platform offers excellent networking, knowledge sharing, skill development, query resolution opportunities and expert guidance to the constituents of the MSME ecosystem.

- **CA Services Exchange**

In order to address the specialised needs of the MSMEs, the Institute of Chartered Accountants of India through its Committee on MSME and Startup has taken an initiative to bring the expert services of the Chartered Accountants within the reach of any MSME with a click of mouse. CA Service Exchange is a platform through which any Indian MSME can register with the ICAI MSME ECOSYTEM and search from an array of expert services offered by Chartered Accountants.

- **MSME Helpdesk**

The MSME HELPDESK is one of the significant initiatives taken by the Committee under ICAI MSME Exchange to bring the expertise of the large pool of the ICAI members to the MSME doorstep in their local city. The Branches and Regional Councils which are extended wings of ICAI facilitate the MSME HELP DESK in branch premises where dedicated experts (qualified and experienced Chartered Accountants) address the issues of local MSME cluster.

- **MSME Illumination**

MSME Illumination is an initiative under ICAI MSME ExCHANGE to facilitate the expert advice on any specific issue faced by MSME registered with the ICAI. The MSME can submit its issues online after following a simple registration process. The said programmes will be oragnaised wherein the common issues faced by the MSME will be addressed by the Experts. The MSME can participate in these programmes to interact with the experts for seeking expert advise.

(VII) ICAI MSME Portal i.e https://msme.icai.org/

ICAI launched a dedicated portal to provide an enabled ecosystem for networking, knowledge sharing, query resolution mechanism and exchange of services where any MSME can be benefited from the expertise of the Chartered Accountants.

(VIII) Certificate course on MSME

The Certificate Course is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into MSME space themselves; to help achieve the national objectives. The Certificate course will make the Members of ICAI enable to be a business solution providers for MSME Sector.

(IX) State Specific Books on MSME

The Committee has released the state specific Books on MSME. These book focus on MSME Schemes, Industrial Schemes relevant for MSMES, Incentives available in various Schemes, Subsidies available in various

schemes, Schemes in various clusters across the specific state. The said book includes insights to budding entrepreneurs to help organise new and established firms to infuse entrepreneurial intentions in the specific state as well as opportunities available for CAs in the specific state.

(X) State Specific Refresher Course on MSME

The Committee has organized the state specific Refresher Course on MSME. The said course will enhanced the knowledge base of state specific MSME & Industrial schemes, Incentives/ Subsidy available in various schemes across the specific state.

(XI) MOUs

(i) MoU with IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre, Noida, Gujarat Student Startup and Innovation Hub (i-Hub), BIL-RYERSON Technology Startup Incubator Foundation, AIC-Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar, Odisha, AIC Mahamana Foundation for Innovation and Entrepreneurship IM BHU, Varansi for Capacity Building of Startups through ICAI Startup Gateway. The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed the MoU with IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre, Noida, Gujarat Student Startup and Innovation Hub (i-Hub) , BIL-RYERSON Technology Startup Incubator Foundation, AIC-Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar, Odisha, AIC Mahamana Foundation for Innovation and Entrepreneurship IM BHU, Varansi are registered under Section 8 of the companies Act 2013, are envisioned to be centre for all Startup stakeholders to develop an end-to-end innovation and entrepreneurial ecosystem in the State of Uttar Pradesh, Gujarat & Maharashtra by creating pathways from "Mind-to-Market". i-Hub is a vibrant incubation setup established under SSIP by the Education Department, Government of Gujarat at Ahmedabad on 03.09.2022 for the capacity building of Startups in the state of Gujurat. The MoU has been exchanged on behalf ICAI by the then Vice President, ICAI & the CEO, i-hub in presence of Committee on MSME & Startup, ICAI during the special event organised for the same. The said arrangement aims to promote startups and support the government of India's vision for entrepreneurship development, innovation culture and mutual integration of Startup Ecosystem.

(ii) MoU with the Government of Kerala through Directorate of Industries and Commerce and Various Boards and Undertakings thereunder for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem in the State of Kerala

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed an MoU with the Government of Kerala through the intervention of the Directorate of Industries and Commerce and Various Boards and Undertakings thereunder at Ernakulum on 01.04.2023 for the capacity building through ICAI MSME Ecosystem in the state of Kerala. The MoU has been exchanged on behalf ICAI by the Chairman, Committee on MSME & Startup, ICAI and Central Council member with the Officials of the Government of Kerala in presence of Hon'ble Shri. P. Rajeeve, Minister for Law, Industries and Coir during the MSME Summit held on 01.04.2023 at Ernakulum, Kerala.

(iii) MoU with the Government of Odisha through the Micro, Small & Medium Enterprises Department for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem in the State of Odisha

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed an MoU with the Government of Odisha through the Micro, Small & Medium Enterprises Department at Bhubaneswar on 15.04.2023 for the capacity building in the state of Odisha. The MoU has been exchanged on behalf ICAI by the Vice President, ICAI in presence of the Chairman, Committee on MSME & Startup, ICAI and central council member with the Principal Secretary along with the Officials of the Department of MSME, Government of Odisha in presence of Hon'ble Shri Pratap Keshari Deb, Cabinet Minister of Industries, Micro, Small & Medium Enterprises, Energy, Government of Odisha during the MSME Summit held on 15.04.2023 at Bhubaneswar, Odisha.

(iv) MoU with the autonomous agency Facilitating MSMEs Tamil Nadu of the Government of Tamil Nadu for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem

The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee on MSME & Startup has signed an MoU with the autonomous agency Facilitating MSMEs Tamil Nadu of the Government of Tamil Nadu at Tirupur on 25.08.2022 for the capacity building in the state of Tamil Nadu. The MoU has been exchanged on behalf ICAI by the Chairman, Committee on MSME & Startup, ICAI and Central Council Member, ICAI in presence of Hon'ble Chief Minister of the State of Tamil Nadu Shri M.K. Stalin during the Regional MSME's Meet.

(v) MoUs with the State Governments for Capacity Building of MSMEs

The Committee will carry out the Capacity Building of MSMEs though the Signing of MoUs of ICAI with the State Government Concerned with the objective of Encouraging exchange of information and experiences in policy setting and research on the development of MSMEs in areas of mutual interest; To provide the knowledge base endeavours for Capacity Building of MSMEs in the State specific; Stimulating the development of industrial potential surveys and feasibility studies to identify thrust areas and opportunities for development of MSMEs in the State

specific; Providing MSME Exchange Programme i.e. MSME Help Desk, MSME Illumination & CA Exchange services for MSMEs in the State specific; Any other endeavour for Development of MSMEs in areas of mutual interest;

(vi) MoUs with the Universities , IIMs, IITs, State Governments , various departments of Central Government, State Government, organisations of repute, and other entities.

The Committee will facilitate the Incubation centres & gearing up for proposed tie up with Universities, IIMs, IITs, State Governments , various departments of Central Government, State Government , organisations of repute, and other entities for the facilitating of the same.

(XII) Programmes

The Committee has organized various Programmes for the Members of ICAI/ MSMEs/Startups such as Workshops, Seminars, Conferences, Residential Refresher Course & other programmes.

7. COMMITTEE FOR DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE, SERVICES AND WTO (CDITS & WTO)

Committee for Development of International Trade, Services and WTO (CDITS & WTO) aims at promoting and facilitating international trade, services, to educate members of ICAI about the rules and regulations of the World Trade Organization (WTO), engage in advocacy efforts, representing the interests of chartered accountants and the business community in discussions related to international trade and services at both national and international levels. It also extends its support in capacity building of various stakeholders in matters related to international trade, services, and WTO and offer guidance on compliance with international trade and WTO regulations, thereby helping businesses and professionals navigate complex international trade-related laws and agreements.

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through the Committee, plays a pivotal role in India's economic landscape, providing expertise in international trade and commerce. A key contribution is its involvement in Free Trade Agreements (FTAs), as evidenced by its approval of an offer for accounting, auditing, and bookkeeping services in the United Kingdom (UK) and Canada, in response to proposals from the Ministry of Commerce and Industry. This move establishes a reciprocity scheme, aiming to create a level playing field for Indian Chartered Accountants in these countries. Aligned with India's goal of becoming a $5 trillion economy, this initiative will enhance opportunities, support liberalized sectors, and increase the export of accounting services. ICAI's active participation reflects its commitment to informed decision-making and ensuring India's interests in trade negotiations. By providing expert opinions, ICAI contributes to shaping trade policies that can benefit the nation's economy, businesses, and consumers while fostering international cooperation and economic growth.

Supporting and assisting Government

- Meeting with Shri. Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary, Industries & Commerce (I&C) Department, & Information Technology and Shri Sandeep Sultania, IAS, Panchayat Raj Department, Government of Telangana on 29th July, 2022 – Discussed for participation at event organized on the topic “Exploring Business and Startup Opportunities (Inbound & Outbound) organized by LUXEMBOURG CHAPTER OF ICAI on 1st October 2022, at Luxembourg
- Meeting with Mr. Anant Singhania, President, IMC Chamber of Commerce and Industry and Ms. Aparna Ranadive, Executive Director, Global Chamber, Mumbai to be held on 4th August 2022 – To support MSME Yatra.
- Meeting with Ms. Harsha Bangari's, MD, Exim Bank on 8th August, 2022 – To join as a partner to support MSME Yatra for creating awareness on the export initiatives for MSME
- UAE-India Business Council meeting with Mr. Mukesh Kalra, Head Business Development on 8th September 2022 – on the future events – Collaborating on the future events
- Meeting with Shri Darpan Jain, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry on 26th December 2022 – To update on the council decision with regard to market access offer on reciprocity with UK and Canada during ongoing FTA negotiations. During the discussion a reference was also made with regard to MRA with US for which another virtual meeting under his leadership was scheduled on 27th December 2022.
- Meeting with Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA on 13th January, 2023 - To discuss opportunities for ICAI members for possible collaboration abroad with IFSCA (Gift City).
- Meeting with Ms. Priya Nair, Director, Department of Commerce on 20th January, 2023 - To discuss Article on Recognition and Mutual Recognition Agreement (MRA) Guidelines on Professional Services w.r.t. India Canada EPTA and India EU FTA.

- An interactive meet with ICAI Overseas Chapter Representatives was also held on 20th November 2022 to discuss business & investment opportunities in India through network of ICAI Chapter
- Meeting with Deputy Chief of Mission and Trade and Investment Representative of Embassy of Estonia on 3rd February, 2023
- Chairman and Vice-Chairman of the Committee attended 10th Anniversary of Estonian Embassy in New Delhi held on 20th February, 2023 at New Delhi.
- Meeting with Managing Committee Members of following Chapters of ICAI abroad to discuss possible areas of cooperation for enhancement of export of services and the challenges being faced by the Indian CA in their jurisdiction :

Chapter Name	**Date**
Thailand	21st February, 2023
Hongkong	9th March, 2023
Japan	10th March, 2023
Uganda	21st March, 2023

Representations / Technical Inputs to Government (other than taxation area)

- Trade Monitoring Report for the period mid October, 2021 – May, 2022
- India Canada Comprehensive Economic Cooperation WTO Partnership (CEPA) negotiations – Trade in Services
- India-US Trade Policy Forum 2022
- Professional bodies on India- AUS and India- Canada FTAs
- Digital Trade Chapter for ongoing India-UK FTA negotiations.
- India-Ghana Joint Trade Commission (JTC)
- India – UK FTA negotiations on Trade in services – barriers faced by Indian professionals.
- G20 ACWG Questionnaire- Public Participation and Anti-Corruption Education Programmes
- ICAI Contact point for India -UAE FTA and India Australia FTA.
- India Canada EPTA/CEPA : Presentation on Professional services
- India – Mauritius High Powered Joint Trade Commission (HPJTC) and Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA)
- Mutual Recognition of Qualification/MRAs with counterpart professional bodies in US.
- Formation of dedicated cell for possible reform measures under OECD – Services Trade Restrictiveness Index – and its Inputs
- MRA/MOU in accountancy services with Japan
- India-Russia Joint Working Group on Trade and Economic Cooperation
- India’s preferential treatment to Least Developed Countries (LDCs) in trade in services at the WTO
- Update on 11 schemes of ICAI under the Champion Services Sector Scheme (CSSS)
- EU’s proposed text - Article X.36 on Professional Qualifications along with Guidelines for Mutual Recognition Arrangements
- India –UK FTA negotiations on Accountancy and auditing.
- India’s trade in services with New Zealand for India-NZ Joint Trade Committee
- Market access offer of Ministry for UK and Canada in Accounting, book keeping and auditing services on reciprocity basis after fulfilling certain conditions under FTA negotiations

- Article on Recognition under Trade in Services chapter of India Canada EPTA
- India-ASEAN Business Summit scheduled to be held in Malaysia
- 13th India Thailand JTC : Service sector issues : Accounting and finance services
- MoU/MRA with Australian Counterparts
- India-Australia CECA negotiations
- India US TPF Services Working Group
- India- Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA)
- Contact points: Pathway for recognition of Accountancy services (India US TPF)
- Mutual Recognition Agreement with EU
- 16th Session of India-Austria JEC for discussion on Trade in Services
- Updates of the status of engagement with the UAE side that have been taken up by the professional bodies from India.
- Details of focal point for discussion on 13th India Thailand JTC: Action Point_Cooperation in the service sector

(II) Initiatives for the Members/Students

Promoting Foreign Language amongst members

ICAI has made tie ups with official cultural language center for foreign Embassies in India for delivery of Online foreign language courses for our members and students in order to make them more acceptable to foreign opportunities. The status of courses undertaken till date since inception is as under :

- Online Spanish Language Courses through Instituto Cervantes, Spanish Embassy Cultural Centre - 31 batches with 612 candidates of A1.1 Level and 12 batches with 122 candidates of A1.2 Level.
- Online French Language Learning Course through Alliance Française De Delhi - 14 batches with 347 candidates for A1 Level.
- Online Japanese Language Learning Course through the Japan Foundation- 16 batches with 323 candidates for A1 Katsudoo Level, 5 batches with 87 candidates for A1 Rikai Level and 1 batch with 17 candidates for A2.1 Katsudoo & Rikai
- Online Business English Language Course- 16 batches with 526 candidates

Survey for seeking preference for foreign language course from ICAI members and students

Survey was launched for ICAI Members and Students on 28th February, with the last date as 15th April, 2023 to give their preference for learning foreign language. 6343 members/students gave their response with respect to learning foreign languages, which would help in ICAI in opening up of future batches of foreign language courses.

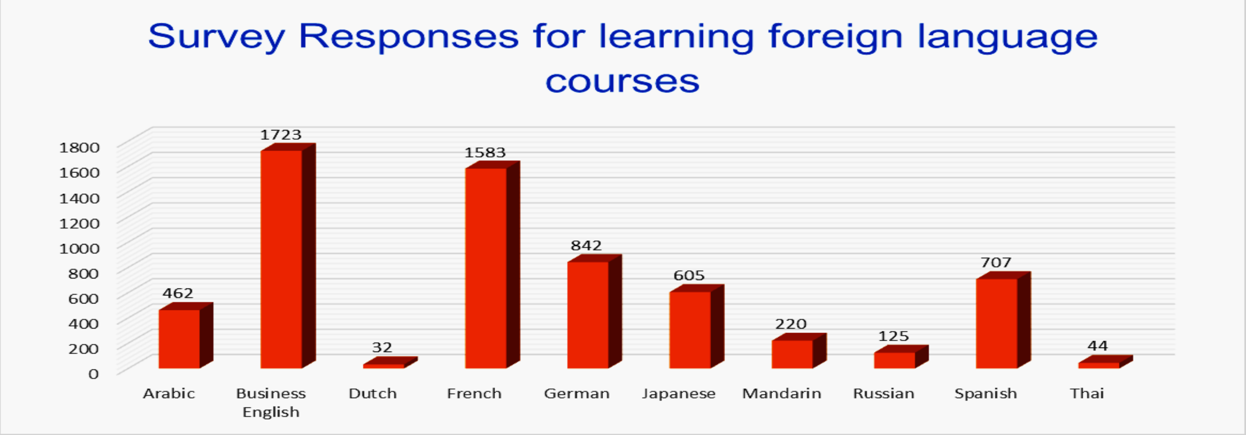

III. Capacity Building Programme for members

During the period, apart from above initiatives, the Committee had organized 5 Webinars/Seminars on 'Networking & Scope of Indian CA in Dubai', 'Opportunities in GIFT – IFSC, at Gift City, Gandhinagar', 'Global Professional Opportunities in WTO regime', 'Introduction of Corporate Tax in UAE - An overview', 'New Avenue for Accounting Profession & Leveraging Fintech services for Exports' and 'Foreign Trade Policy 2023- Opportunities for the profession'.

Export Entrepreneurship Training Program

During the year the Committee has organized 3 days Training Program in the era of International Trade Laws & WTO (ITL WTO). Three batches of 3 days Training program on 'Export Entrepreneurship' on DLH Platform of ICAI held on 5th to 7th July, 2022, 29th November, 2022 to 1st December, 2022 and 17th to 19th January, 2023 respectively.

MoU (extension) signed with Invest India

Signing of the MoU (extension) between ICAI & Invest India was held on 10th February, 2023 in continuation to earlier MoU dated 4th February, 2019 aimed to promote sustainable economic growth and investments in India, collaborate and promote business investments in India and Indian investments outside India thereby facilitating India as an investment friendly destination. This initiative would further assist in promoting innovation, start up India initiatives, investment facilitation across globe, creating job opportunities and alike to carry forward the mandate of promoting inbound/outbound investments relating to Accounting & Finance Services as identified under Champion Sector.

Interactive Ambassadors' Meet

An Interactive Ambassadors' Meet was organized to promote Inbound and Outbound Investments, make India investment friendly destination, collaborate with International Accounting Bodies for strengthening global financial 4ecosystem, promote accounting profession globally to align with the vision of the Hon'ble Prime Minister Modiji who has identified Accounting and Finance as one among the 12 champion sector services to boost export potential on 10th February, 2023 at New Delhi. Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Minister of State for External Affairs & Education has graced the occasion as Chief Guest. The Ambassador Meet was attended by Ambassadors/High Commissioner/Embassy representatives from Mongolia, Myanmar, Republic of the Sudan, Syrian Arab Republic, Republic of Cuba, Republic of Peru, Estonia, Jamaica, Republic of Fiji, Republic of Gabon, Republic of Madagascar, Republic of Nigeria, Russia, Republic Of Yemen, Republic of Guinea, Republic of Guinea, Republic of Rwanda , Republic of Korea, Zambia, Zimbabwe, Republic of Togo and Guyana along with Vietnam Embassy.

Presence of ICAI through Committee at International Platforms :

- Participating as Speaker at two sessions during "Accounting and Business Expo" in Melbourne on the 14th – 15th March 2023
- Accountex Australia 2023 at Sydney on 16th March, 2023

Delegation Tour to Estonia & Netherlands

There was a Delegation Tour to Estonia & Netherlands for Inbound and Outbound Investments from 23rd to 29th May, 2023 with a group of 13 people. The primary purpose of this delegation tour was to pursue investment opportunities in Estonia, with a particular focus on leveraging the Latitude59 program, which serves as a flagship platform for startups in Estonia. Additionally, the delegation aimed to showcase the expertise of Indian accounting professionals in cross-border investments, mergers and acquisitions, as well as provide mentorship to startups and assist fund houses in identifying suitable investments. The Estonian embassy efficiently coordinated a series of engagements for the delegation, including a meeting with Defence Demo, a comprehensive briefing at the E-Estonia Briefing Centre, a productive interaction with the Indian Embassy in Tallinn, active participation at Latitude59, engaging with the Beamline Accelerator, and networking opportunities on the sidelines of the Latitude event on 24th and 25th May 2023. Additionally, ICAI Netherlands chapter and IDFC jointly organized an event titled "Mobilizing Startup Ecosystem" between India and the Netherlands, scheduled for 26th May, 2023.

IV. Publications

- Doing Business in India by Foreign Companies
- Export Promotion Measures in India
- Export Incentives in India – Evolution of Export Incentives and their Future Outlook

8. ACTIVITIES BY OTHER NON STANDING COMMITTEES

8.1 Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services (CME&PS)

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service provides a link between the ICAI and the members who are in Entrepreneurship or in Public Service. The Committee is working on various initiatives for

promoting members who wish to be successful entrepreneurs or civil services aspirants; the Committee also recognises the achievements of members who have performed well in their respective careers such as successful entrepreneurs, or as Parliamentarian, Judiciary, IAS, IPS, IRS, ICOAS, IRAS, IRAAS, IRPS, representing various ministries & Government Department like Department of Expenditure, Ministry of Finance, Ministry of Railways, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Environment Forest & Climate Change, Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Corporate Affairs, Mistry of External Affairs, Ministry of Law & Justice, Ministry of Defense, CBI, Members from Appellate Tribunal like other ITAT, NCLT, other regulatory bodies SEBI, IRDA, RBI etc. CAs are continuously contributing to the development of the Nation. The main aim of Committee is to create mutually advantageous live connect between the ICAI and the Members in Entrepreneurship or Public Services with an objective to enhance the efficacy of ICAI by holding various work programs and to explore new avenues and opportunities for the Members of the Institute.

The Committee organizes Residential Meet/Summit for ICAI members in Public Service with the objective of soliciting suggestions of ICAI Members in Public Service to identify matters of National importance and providing various research on it. Till now 12 Residential Meets have been organised by CMEPS. Apart from this, Committee is continuously exploring the various opportunities that lies in Entrepreneurship for its members. For encouraging aspiring CAs in Entrepreneurship and Public services the CMEPS Committee is organizing various Mentorship/Orientation/Training Programmes /Webinar/ Seminar/ Regional Meets/ Interactive Meets for CA Members time to time. These programmes aims to provide CA Members a framework and guidance to promote new enterprises, capacity building and inculcating entrepreneurial culture in the Country.

Glimpses of Initiatives/ Interactive meets/ Webinars/ Seminars

(i) Programmes/Regional Meets

Sl.No	Programme/Regional Meet	Date and place
1	Civil Services Orientation & Mentorship Programme for CA Members and CA Students aspiring to join Civil Services (Online 1st Batch)	9th, 10th, 16th , 17th , 23rd , 24th, 30th April 2022 and 1st May 2022 (Saturday-Sunday) And 14th, 15th and 16th October 2022 at New Delhi
2	Regional Meet of ICAI Members in Public Service	8th September 2022 at New Delhi
3	Regional Meet of ICAI Members in Public Service	7th October 2022 at Mumbai
4	Three days Residential Training Programme for Chartered Accountants on Entrepreneurship Thinking for Contribution for Economic Development	21st, 22nd and 23rd December 2022 at Manesar, Gurugram.

(ii) Residential Meets

(a) Residential Meet of ICAI Members in Public Services held on 24th-26th June 2022 at Ooty (Tamil Nadu).

The Residential Meet of CA Members in Public Service was organized by the Committee from 24th -26th June 2022 at Ooty. The Meet was attended by 51 Members in Public Service from varied areas of Politics/Judiciary, IAS IFS, IPS, IRS, Cost and other Regulatory Services. The Residential Meet was graced by CA. K Rahman Khan, Hon'ble Former Deputy Chairman, Rajya Sabha and Former Union Ministry of Minority Affairs, CA. Suresh Prabhu, Former Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha & Founding Chancellor of Rishihood University, Justice (CA.) Anil R Dave, Hon'ble Retired Judge, Supreme Court of India, Justice CA. (Dr.) Vineet Kothari, Hon'ble Advocate Supreme Court of India, Retired Acting Justice of Gujarat High Court, Justice (CA.) Dinesh Mehta, Hon'ble Judge, Rajasthan High Court, Jodhpur, CA.(Dr.) Ashok Kumar Mishra, Hon'ble Technical Member, National Company Law Appellate Tribunal, CA. Rajesh Sharma, Hon'ble Member (Technical), National Company Law Tribunal.

(b) 12th Residential Meet of ICAI members in Public Service was organised from June 17th – 19th, 2023 at Srinagar, J&K

The Residential Meet of ICAI Members in Public service was organised at Srinagar, J&K wherein around 100 Members in Public Service (the highest in number of any residential meet held so far) comprising of Member of Parliament (CA. Thomas Chazhikadan, Judiciary, (Justice CA Samir Jain, Justice CA Dinesh Mehta) IAS, IPS, IRS, ICoAS, IRAS, IRPS, representing various Ministries & Government Department like Department of Expenditure, Ministry of Finance, Ministry of Railways, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Environment Forest & Climate Change, Ministry of Health & Family Welfare, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of law & Justice, Ministry of Defense, CBI, Members from Appellate Tribunal like ITAT, NCLT, other Regulatory authorities, SEBI etc. attended the said Residential Meet at Srinagar. Shri Manoj Sinha, Hon'ble Lieutenant Governor, J&K, graced the occasion as Chief Guest and addressed the ICAI Members in Public Service during the inaugural session. The meet had been organized with the objective of soliciting the

suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.

(iii) Interactive Meets

Sl.No.	Meet	Date and place	Theme	No of participants
1	Interactive Meet of ICAI members in Indian Cost Accounts Service	6th May, 2022	--	--
2	Entrepreneurship Interactive Meet	1st May 2023 at Srinagar	Acquiring Skills to be A Global Professional, as an entrepreneur, as Practitioner, as CEO	55
3	Interactive Meet	18th May 2023 at New Delhi	Global Entrepreneurship & Professional Opportunities	20
4	Entrepreneurship Interactive Meet	19th May, 2023 at Goa	Acquiring Skills to be a Global Professional	
5	Interactive Meet ICAI Members in Public Service	24th May 2023 at New Delhi	--	50
6	Interactive Meet with ICAI Members in Public Service (Ahmedabad, Gujarat)	31st May, 2023 at Ahmedabad	--	12
7	Interactive Meet of ICAI Members in Public Service	8th June 2023 at Mumbai	--	15 The Interactive Meet was graced by Senior Members in Public Service namely; CA. Pramod Kumar, Vice-President, Income Tax Appellate Tribunal, Alok Ranjan, Assistant Director (Cost), CA. Prasoon Kabra,IRS, Additional Commissioner , Income Tax, Mumbai, CA. Sarika Jain,IRS, Deputy Commissioner of Income Tax, Mumbai.

(iv) Webinars

Sl.No	Theme	Date	Address by	No of Participants
1	Dynamic Dashboard Creation	10th March 2023	CA. Alok A. Sethi	772
2	UPSC Toppers Tips to Clear Civil Services Exam on First Attempt	24th March 2023	CA. Rahul Kumar	775
3	The Green Blue & Brown Economy – Overview & Opportunities	28th March 2023	CA. Sushil Sharma	442
4	Emerging Virtual CPO (Chief Process Officer) Opportunities	31st March 2023	CA. Pratik Kumar Bathwal	1053
5	Youth Entrepreneurship: Need & Challenges	12th April 2023	CA. Jitin Kapoor	417

6	Making of Indian Constitution & its Salient Features	14th April 2023	---	362
7	Exploring the Future of Personalized Virtual Assistant with Chat GPT: Opportunity & Challenges	20th April 2023	CA. Vikram Pandya, CA. Shivani Gupta, Mr. Prasanna Lohar as speakers & CA. Narendra Seksaria & CA. Shaliesh Wadhawania as Session Moderator	750
8	Entrepreneurship - Perspectives of Value Creation & Value Capture for 'Practice Development'"	22nd April 2023	Chairman, CMEPS and Dr. Nakul Parameswar, Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Management, IIT Hyderabad. ICAI Past President also graced the occasion as Chief Guest.	--
9	Creating Dynamic Dashboards & Use of Artificial Intelligence for Entrepreneurs & Other Professionals	28th April 2023	CA. Alok A. Sethi	--
10	New Opportunities New World & PMLA - For Entrepreneurs & Other Professionals	29th April 2023	Chairman, CMEPS, ICAI, Mr. Pawan Singh Tomar, Advocate AC Singh & CA. Pankaj Baldeo Dara as speakers & CA. Rajendra Bagade as programme coordinator.	--
11	Celebration Environment Day – A to Z of Climate Change Mitigation – Professional Opportunity – Beat Plastic	5th June 2023	CA. Shri DG Phonekar, Dr. Sugandha Shetye, Dr. Dhanya Nambiar & V. Vishnuprasad.	--

(v) Webcasts

Sl.No.	Topics	Date
1	Success Stories of Chartered Accountants as Civil Servants	8th April, 2022
2	Business Model Innovation: From Creativity to Entrepreneurship Specialization	10th May, 2022
3	Engaging CAs in Social Leadership	14th July, 2022
4	New Opportunity in Recruitment to Indian Railway Management Service (IRMS)	18th December, 2022

8.2 Legal Directorate

(I) Income Tax Exemption case of ICAI

The Income Tax Department has filed an SLP in the Supreme Court challenging the judgment of the Division Bench of the High Court of Delhi which issued directions to DGIT (Exemptions) to recognize the Institute as eligible u/s 10(23C)(iv) of the Act as an Institution established for charitable purposes.

A three judge Bench of the Supreme Court pronounced a landmark judgment on Exemptions claimed by Charitable Institutions under the Income Tax Act. Vide its judgment dated 19.10.2022, Supreme Court has held as under:

195. These provisions of the Act (CA Act) clarify beyond a doubt that the Institute performs statutory functions in the larger public interest of regulating the standards of education, leading up to the profession of Chartered Accountancy and also prescribing standards of professional etiquette, behaviour, and discipline of its members. No other entity or body has the authority in law to perform the functions that the Institute does. Although the Act regulating Chartered Accountancy came into force prior to the Constitution of India, the subject (of regulating professions, etc.) appears to be relatable to the exercise of legislative power under Entry 25 and 26 of the Concurrent List149. Furthermore, they also appear to conform to Entry 65 of the Union List (which has been adverted to in Entry

25 of the Concurrent List). As things stand, the Institute is the only body which prescribes the contents of professional education and entirely regulates the profession of Chartered Accountancy. There is no other body authorised to perform any other duties which it performs. It, therefore, clearly falls in the description of a charity advancing general public utility. Having regard to the previous discussion on the nature of charities and what constitutes activities in the 'nature of trade, business or commerce', the functions of the Institute ipso facto does not fall within the description of such 'prohibited activities'. The fees charged by the Institute and the manner of its utilisation are entirely controlled by law. Furthermore, the material on record shows that the amounts received by it are not towards providing any commercial service or business but are essential for the providing of service to the society and the general public. The Revenue Appeals against ICAI are dismissed and for the same reasons, the Appeals filed by the ICAI are hereby allowed.

(II) Usage of acronym "ICAI" by the Institute of Cost Accountants of India.

In a civil suit filed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the infringement of its Trademark 'ICAI', by the Institute of Cost Accountants of India the Hon'ble High Court of Delhi by way of injunction restrained the Institute of Cost Accountants of India from using 'ICAI' as an acronym for its Institution or for the services provided by it. The Hon'ble High Court has further directed that the Institute of Cost Accountants of India shall also take steps to ensure that the acronym 'ICAI' is removed from all physical and virtual media/websites where the Institute of Cost Accountants of India has its presence including all websites on the Internet as well as its social media platforms within 3 months.

(III) Delhi HC quashes CCI investigation against ICAI

The Delhi High Court held that regulatory powers exercised by ICAI is not subject to competition Commission's jurisdiction and quashed the investigation ordered by CCI against ICAI.

ICAI had filed petition in Delhi High Court challenging the CCI direction under Section 26(1) in 2014 to conduct an investigation into the matter relating to the Continuing Professional Education (CPE) programme being conducted by ICAI.

It was contended by the complainant that only ICAI and its organs are conducting the structured learning activities and that ICAI has not affiliated or recognized any other body to conduct such learning activities. Violation of Section 4 of Competition Act was alleged.

While setting aside the CCI order directing investigation against ICAI, the Delhi High Court held as under:-

"This Court is unable to accept that the jurisdiction of the CCI extends to compelling a statutory body to outsource functions that it performs in discharge of its statutory duties notwithstanding that the same may fall within the sphere of economic activity. It would be erroneous to assume that if any activity falls within the broad definition of economic activity, it would be necessary to create an open market for the same. This Court is unable to accept that the CCI can compel an organisation or an enterprise to outsource its activities."

(IV) Amendments to Prevention of Money Laundering Act (PMLA)

On 3rd May, 2023, the Finance Ministry by exercising powers under Section 2(6) of the Prevention of Money Laundering Act notified amendments in Section 2(sa) of the PMLA including Chartered Accountants, Company Secretaries and Cost Accountants in the list of "persons carrying on designated business or profession." The following activities carried on by CAs on behalf of their clients in the course of their profession are now included:

a) buying and selling of any immovable property;

b) managing of client money, securities or other assets;

c) management of bank, savings or securities accounts;

d) organization of contributions for the creation, operation or management of companies; creation, operation or management of companies, limited liability partnerships or trusts, and buying and selling of business entities.

8.3 Infrastructure Development Committee (IDC)

In the year 2014, Infrastructure Development Committee was formed as a non-standing Committee of the Institute. Since 2014, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. This year, Committee has re-formulated the Infrastructure Policy for Branches and Regional Councils/Offices. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/ building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute. Since the policy itself defines the financial powers, all infrastructure projects from the year 2014 onwards are being approved by IDC, instead

of the Finance Committee. Since formulation of Infrastructure policy, the ICAI has initiated following projects:

Purchase of new Infrastructure	Construction proposals approved
Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur, Patiala, Ujjan, Ratlam, Chengalpattu, Ahmedabad, Kota, Ernakulam, Himachal Pradesh, Jamnagar, Tirpuati, Raipur, Guwahati, Bengaluru Gifted Property, COE Chennai (1.19 Acres) & COE Guwahati.	Ajmer, Surat, Hubli, Bhopal, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa, Moradabad, Guntur, Agra, Gurugram, Rohini, Ratlam, Patiala, Kishangarh, Ujjain, Pali, COE Kolkata, Bengaluru Gifted Property, Ahmedabad, Chengalpattu, Ernakulam, Rohtak, Silliguri, Patna, Jabalpur, Jalandhar, ICOE Chennai Camp office

Out of total 168 Branches set up by the ICAI so far, 102 branches are having their own premises. 13 Branches (presently functioning from Rented Premises) who have procured land on which construction is either commenced or construction is under-way. 12 Branches (functioning from own premises) have procured land where either construction has started or construction is under-way. 53 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up as on 30th June, 2023 is as under:

S.	Particulars	Remarks					
No.		WIRC	SIRC	EIRC	CIRC	NIRC	Total
1	Total Nos. of Branches	**36**	**45**	**13**	**50**	**24**	**168**
2	Nos. of Branches having own Premises	21	34	6	31	10	**102**
3	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started (functioning from rented premises)	1	2	0	5	5	**13**
4	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started besides the own premises (functioning from own premises)	4	2	1	5	0	**12**
5	Total nos. of Branches having neither land or building and functioning from rented premises	14	9	7	14	9	**53**

8.4 International Affairs Committee (IAC)

Activities:

(I) Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

In order to spread its wings internationally, ICAI has been entering into qualification reciprocity agreements with accounting bodies globally to recognize qualification of members at either ends. These agreements foster working relations between the two accounting institutes. These agreements are a step forward in increased mobility to professionals at both end and herald a new dimension for business globally. During the period under report, ICAI renewed its agreement with the Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

Renewal of MoU with ICAEW

The MoU with the ICAEW was renewed on April 24, 2023 in London. Ms. Julia Penny, President, ICAEW and the President, ICAI signed the MoU, on behalf of respective Institutes, in presence of the Vice President, ICAI along with other Council Members from ICAI and senior functionaries of ICAEW. The association between ICAI & ICAEW dates back to 2008 when the first MoU was signed between the two bodies. The renewal of this MoU would continue to enable appropriately qualified members of either institute to join the other institute by receiving appropriate credit for their existing accountancy qualification and bring a lot of professional opportunities for Indian CAs in UK. Further discussions were held with ICAEW on various issues of mutual interest like sharing of best practices in education and examination; Joint research in contemporary areas such as Technology, Sustainability, Insolvency, ESG and other emerging areas.

(II) Enhancing ICAI's Global Footprints

- **Enhancing Brand CA Globally through ICAI Overseas Chapters & Representative Offices**

ICAI has 46 Chapters and 34 Representative Offices spread across the globe in order to be able to serve the members better by positioning the Brand India CA globally; to create more professional avenues; to assist in informational resource. ICAI has now etched its presence in 80 cities of the world. During the period, ICAI launched 2 Chapters in Seattle and Arizona and launched 6 Representative Offices in the United States of America at Arizona, Austin, Los Angeles, Michigan, North Carolina, and Ohio at an event "Unite in America" organized by San Francisco

Chapter. The Arizona Representative Office was converted into a Chapter. The objective of setting up of the Representative Office is to work towards formation of an ICAI Chapter in that jurisdiction thus bringing together ICAI members abroad and enabling effective reach and service to its members, thus aiding to positioning the 'Indian Chartered Accountant' as a 'Brand' worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants.

- **ICAI Best Overseas Chapter Awards 2022**

Since 2013, the International Affairs Committee (IAC) has been organizing ICAI Best Chapter Awards for its Chapters overseas which are awarded at the ICAI Annual Function every year as a token to appreciate the efforts of the Chapter Managing Committee in enhancing the 'Indian CA' brand and providing members a platform for networking thus creating a feeling of belongingness amongst members in foreign soil. They recognize the distinguished efforts and exemplary achievements of Chapters in furtherance of the horizon of the Chartered Accountancy profession. The best overseas Chapters are selected on the basis of defined parameters as approved from time to time. The Awards for this year were duly distributed at the ICAI Annual Day function.

- **ICAI's Representatives on International Bodies**
- Past President, ICAI is the Deputy President of Confederation of Asia and Pacific Accountants (CAPA) for a period of two years till November 2023.
- Past President, ICAI is the Board Member of Chartered Accountants Worldwide (CAW) for a period of two years till November 2023.
- Past President, ICAI is the President, South Asian Federation of Accountants (SAFA) for a period of one year commencing from January 01, 2023.
- Past Council Member, ICAI is the Member of the Small and Medium Practices (SMP) Advisory Group of IFAC for a period of three years commencing from January 01, 2022.
- Past Council Member, ICAI is the as Member of International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) for a period of two years commencing from January 01, 2022.
- Past President ICAI is the Board Member of IFAC. His first term is till November 2023.
- Past President ICAI is the Member, Professional Accountants in Business Advisory Group till December 2023.
- Past President ICAI, is the Member, Professional Accountancy Organization Development & Advisory Group till December 2023.
- Council Member, ICAI representing ICAI at Sustainability Standards Advisory Forum (SSAF).
- **Globalizing ICAI's Brand Equity**
- **Recognition of ICAI member as Associate member of Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA)**

ISCA, Singapore has recognised ICAI qualification as one of the professional qualifications for associate membership of ISCA, another testimony of increasing brand equity of the profession globally. The recognition will be beneficial for all those members who are residing in Singapore and having six months of local work experience in Singapore.

- **ICAI's presence at the MIA International Conference**

ICAI was the 'Platinum Sponsor' at the MIA International on the theme "Future Fit Profession: Charting a Better Tomorrow" held from June 13-14, 2023 at Kuala Lumpur and had set up ICAI's pavilion at the Conference where it promoted GloPAC and its various initiatives of global relevance. ICAI also showcased its publications at the pavilion. This assisted ICAI to strengthen ICAI's foothold in Malaysia and ICAI received good response from delegates. Coinciding with the event, ICAI organized an ICAI Connect event on June 12, 2023 wherein His Excellency B. N. Reddy, Indian High Commissioner to Malaysia; YB Senator Saraswathy Kandasami, Deputy Minister of Entrepreneur Development & Cooperatives; Ms. Asmaa Resmouki, President, International Federation of Accountants (IFAC); Leadership of Malaysian Institute of Accountants(MIA) & Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA), President, ICAI, Vice President, ICAI and members of Managing Committee of Malaysia (Kuala Lumpur) Chapter of ICAI were present. This event "ICAI Connect" was highly appreciated by the participants and helped ICAI in enhancing its brand image in Malaysia.

The President and Vice President, ICAI also attended the 'Roundtable Engagement with IFAC President Ms.

Asmaa Resmouki hosted by Malaysian Institute of Accountants(MIA). This was an opportunity for ICAI to network with IFAC and engage with other PAOs, both local and international bodies. President, ICAI gave a presentation at the event wherein he enlightened participants on the various capacity & competency building efforts taken by ICAI for the future relevance of the profession.

- **ICAI's participation at the Africa Congress of Accountants (ACOA) 2023**

ICAI was the 'Top Grade' Sponsor at the 7th Africa Congress of Accountants (ACOA), a premier event of the Pan African Federation of Accountants (PAFA) held in Abidjan, Ivory Coast from 15th to 18th May 2023. More than 2000 delegates from 54 countries attended the Congress where the President, ICAI, Vice President ICAI, Immediate Past President ICAI and Council Member ICAI addressed in various sessions. ICAI had the opportunity to exhibit the largest pavilion in ACOA wherein the latest initiatives of ICAI were displayed and appreciated by the delegates.

- **Delegations visiting ICAI**
- **Meeting with delegation from the ICAEW**

The President, ICAI alongwith Vice President, ICAI met with Mr. John Boulton, Director Policy and Ms. Vandana Saxena Poria, from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) on 16th March 2023 at ICAI, New Delhi. During the meeting, the two Institutes agreed to partner and collaborate with each other in the areas of mutual interest.

- **Visit of delegation from CPA Australia to ICAI**

Mr. Leslie Leow, General Manager – Emerging Markets, CPA Australia, visited ICAI on 18th April 2022 at ICAI HO, New Delhi. A Conference call was also held between President & Vice President of ICAI and the leadership team of CPA Australia lead by Mr. Andrew Hunter, Chief Executive Officer of CPA Australia on 21st April 2022. The two Institutes discussed the benefits of Qualification Recognition Agreement signed between the two Institutes for the past 12 years and held discussions to conduct Joint Studies and Publications on topics of mutual interest of both the Institutes.

(III) Technical Co-operation Agreements

- **Cabinet approval of MoU between ICAI and CA Maldives**

The Union Cabinet chaired by Hon'ble Prime Minister of India has approved the Memorandum of Understanding between Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and The Institute of Chartered Accountants of Maldives (CA Maldives). The MoU aims to establish mutual co-operation for the advancement of Accounting Knowledge, Professional and Intellectual Development, Advancing the interests of respective members of each institute and positively contributing to the development of the Accounting Profession in Maldives and India.

- **MoU Signed with Institute of Chartered Accountants of Nigeria and Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)**

ICAI entered into MoU with the Institute of Chartered Accountants of Nigeria and renewed existing MoU with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN). Both the MoUs were signed on side-lines of the WCOA 2022 and were exchanged in the presence of Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Dy. Chief Minister, Maharashtra. The MoUs will establish mutual co-operation for the advancement of accounting knowledge, professional and intellectual development, advancing the interests of the membership and positively contributing to the development of the accounting profession in Nigeria and Nepal.

- **MoU signed with Polish Chamber of Statutory Auditors (PIBR)**

ICAI has signed an Memorandum of Understanding (MoU) with the Polish Chamber of Statutory Auditors (PIBR) on August 10, 2022. The MoU between ICAI and PIBR, Poland, is expected to strengthen our presence in Europe by providing prospects for the ICAI Members to get professional opportunities in Poland. The aim of MoU is to work together to develop a mutually beneficial relationship for the members of ICAI and PIBR.

- **MoU signed with Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan (CAAR)**

ICAI has signed an MoU with Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan (CAAR) on September 16, 2022. The MoU shall strengthen cooperation in areas of mutual interest promoting accounting profession by way of knowledge transfer through joint programs and research initiatives.

- **Training for officials from National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania**

With its commitment to the development of profession globally the ICAI conducted a five day training at ICAI Headquarters for the delegation of National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania on areas such as Examination system, functioning of Members and Students Directorate, UDIN & Digital Learning Hub, Career Counselling for students, CPE, Sustainability and Ethics in February 2022. The training was highly appreciated by the delegates.

(IV) Events organized by the Committee

- **Sidelines meetings hosting during World Congress of Accountants (WCOA) 2022**

ICAI hosted and supported various other International meetings and forums commencing from 14th November, 2022 during the sidelines of the World Congress of Accountants, 2022 hosted by ICAI from November 18-21, 2022 at Jio World Convention Centre, Mumbai in hybrid mode. The World Congress of Accountants (WCOA), popularly known as the 'Olympics of Accountants' was held for the first time in India in more than 118 years history of the Congress. The 21st World Congress hosted by ICAI witnessed a record attendance in the history of the Congress with the event witnessing presence of about 10,000 delegates from over 120 countries. This was the largest conglomeration of accounting and finance professionals in the Congress's history. The World Congress had 40 sessions spread over the four days covering the most relevant and contemporary topics and were addressed by 159 eminent international and national thought leaders. 36 Indian Firms also participated at the event showcasing the strength of the Indian Accountancy profession to the world. Despite the challenges posed by COVID-19, the event witnessed a historic record of participation and was appreciated by the participants from across the globe. Following are the details of the sideline meetings:-

- **International Engagements on the sidelines of the WCOA 2022**

IFAC Council and Board Meeting -The Institute had the privilege to host the Council and Board meetings of International Federation of Accountants on 15th & 16th November, 2022 in Mumbai. These meetings provided insights on the global trends and developments impacting the profession and the way forward to be relevant.

CAPA Council and Board Meeting-ICAI hosted the Council and Board meetings of Confederation of Asia & Pacific Accountants on 16th & 17th November, 2022 in Mumbai. During the meetings deliberations were held regarding development of the profession in the region.

SAFA Board Meeting- The 75th Board meeting of South Asian Federation of Accountants was held on 17th November, 2022 which was also addressed by Ms. Asmaa Resmouki, President IFAC. The Board deliberated on measures to augment the competence and capability of the profession in the region.

PAFA Event -The Pan African Federation of Accountants (PAFA) celebrated the Africa Day on 17th November, 2022. The programme was hosted by ICAI. The event was attended by about 135 delegates and heads of accounting bodies from Africa. The event showcased the African economy and potential professional opportunities for Accountants in Africa.

XBRL Asia Round Table -XBRL International held its 11th XBRL Asia Round Table (XART) on 16th & 17th November, 2022, at Mumbai. On 17th November, 2022, the Chairperson of Securities and Exchange Board of India (SEBI) Ms. Madhabi Puri Buch addressed the XBRL Asia Round Table and presented SEBI's initiatives on ESG.

Round Table Meeting with Professional Accounting Organizations (PAO) -The Institute organised a Round Table meeting on Collaborative approach amongst PAOs for strengthening the profession globally on 18th November, 2022. The initiative was applauded by the PAOs and about 30 of them attended the event and agreed to collaborate in areas of mutual interest. The thought leaders participated in a Tree plantation programme to support and promote sustainability.

Interactive Meeting with Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry, Textiles and Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry, Textiles and Consumer Affairs, Food & Public Distribution met and interacted with the leaders from global professional accounting bodies was organised to discuss about how the global accountancy profession can play a pivotal role in galvanizing economic development as India takes up the presidency of G-20 from 1st December, 2022 with the vision "One Earth, One Family, One Future". The Hon'ble Minister called for collaboration amongst the global accounting fraternity in achieving the agenda of sustainability and building resilient economies of the future. The meeting was attended by more than 70 Global Accounting Professionals.

- **77th SAFA Board meeting and 95th SAFA Assembly meeting**

ICAI hosted the 77th SAFA Board meeting and 95th SAFA Assembly meeting on January 7, 2023 at Hotel The Lalit, New Delhi, India. Past President, ICAI was formally inducted as the President, SAFA in this meeting. The meeting was physically attended by representatives from member bodies of SAFA from Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and India and the representatives of other member bodies attended the meeting virtually. The then President, ICAI along with the then Vice- President, ICAI, Past President, ICAI and President, SAFA attended the meeting from ICAI.

(V) Events with MoU/MRA partners

- **Webinar organized jointly by Singapore Chapter of ICAI & ISCA**

In order to address any queries or concerns related to ISCA Associate membership, a webinar was organized by the Singapore Chapter of ICAI and the Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) on June 8, 2022 which was highly appreciated by the members. President & Vice President ICAI also addressed the webinar.

- **Information sessions for ICAI members jointly with CPA Australia**

ICAI has Qualification Recognition Agreement i.e. (MRA) with CPA Australia since 2009. The current MRA with CPA Australia is valid till 2024. The MRA facilitates qualified members to become members of each other Institutes through a bridging mechanism. To promote the MRA with CPA Australia amongst ICAI members, CPA Australia jointly with ICAI has been organizing various sessions in different cities of India for ICAI members looking for opportunities in Australia to provide more details on the MRA and address migration related queries of ICAI members.

- **Webinar organised by ICAI in association with CPA Ireland**

A webinar on Professional Opportunities for ICAI Members in Ireland was organised in association with CPA Ireland on May 4, 2022 to create awareness amongst ICAI members on the various professional opportunities in Ireland under the MRA signed between ICAI and CPA Ireland. The event was graced by H.E. Mr. Akhilesh Mishra and the then Vice President, ICAI. From CPA Ireland, Mr. Eamonn Siggins, Chief Executive, Ms. Caroline Moloney, Business Development Executive and Ms. Kellsie Larkin, Business Development Manager, Visa First were present.

- **Joint Information Session with ICAEW**

The Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) jointly with ICAI had organised physical information session on MoU for ICAI members in Pune and Mumbai on 8th and 10th February 2023 respectively. The event was attended by more than 60 members in each session.

8.5 Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPP&MC)

Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. The objective of this committee is to identify, focus, explore, discuss and develop core competencies of the Accounting Profession in strategic and emerging areas in order to develop and broaden the institute of Chartered Accountants of India as a focused and vibrant Accountancy Institute. The Committee aims to devise strategic plans for the inclusive growth of the Accountancy Profession by encompassing and empowering the stakeholders in the process. Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee act as a strategic planning and guiding unit to the core functions of The Institute of Chartered Accountants of India and to strategize how to increase India's and ICAI's thought leadership internationally. The committee also aims to work with organizations globally to maintain and increase the relevance of ICAI in global context and continue to improve the international reputation and position of the Institute of Chartered Accountants of India.

(I) Activities/Initiatives:

The Institute of Chartered Accountants of India held a Strategy Meeting under the aegis of Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee on 10th March 2023 at Hyderabad. The meeting was of paramount importance as it reviewed the journey of ICAI during its last 75 Years in terms of Human Resource, infrastructure and financial and the vision for the next 25 Years. During the course of the meeting deliberations were held on key focus areas and strategic matters which would held ICAI achieving its goals and coming out with a vision 2049. The Committee discussed the action points discussed during the last Strategic meetings and reviewed the areas where initiatives have been taken. The Committee also discussed the future strategy of ICAI to develop a vision 2049 so as to keep pace with the economic development of the country and also meet the demand of the stakeholders from ICAI.

8.6 UDIN Directorate

UDIN.... SEAL OF AUTHENTICATION

Chartered Accountancy in India is the hallmark of the excellence, precision, quality and commitment. The profession of Chartered Accountancy has a rich legacy of public trust and service to the nation bestowed upon us by our able predecessors with utmost integrity, diligence and foresightedness. At the same time, we bear the responsibility to carry this legacy forward with grace and in ensuring public trust in financial reporting and business practices and upholding the reputation of Accountancy Profession.

The business organizations, Industry and the Governments rely upon the certification and assurance given by the Chartered Accountants for sound financial accounting, reporting and effective financial management. Chartered Accountants (CAs) with their strong expertise in various areas of financial governance, render high quality services that ultimately benefit the economy. They work with professional independence, upholds the Integrity and excellence

in their functioning. Sometimes, however, non-CAs misrepresent themselves and authenticate documents as CAs thereby misleading the stakeholders. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has been playing a pioneering role in steering the Indian economy successfully through various interventions including through reforms and legislations by the Government from time to time.

The ICAI, as a part of its role in aiding proactive process towards partner in nation building and for better governance through regulation, for the first time ever not only in India but also in the international horizon brought to the forefront an innovative concept of Unique Document Identification Number (UDIN). It is envisaged that UDIN will emerge as another instrumentality for effective compliances set out by the ICAI. The Institute of Chartered Accountants of India, in its Gazette notification dated 2nd August, 2019, had made generation of UDIN mandatory for all kind of Certifications, GST and Tax Audit Reports and other Audit, Assurance and Attestation functions made by practicing members as required by various regulators. The novelty of the UDIN has been lauded by Smt. Droupadi Murmu, the Hon'ble President of India in her speech at 75th Chartered Accountants Day on 1st July, 2023.

(I) UDIN- A decision making parameter for the Regulators, Banks and Other Stakeholders

- For the first time, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) used the UDINs as one of the elements for the purpose of empanelment of CA firms/LLPs by them for the year 2023-24. CA&G provided the scoring mechanism for empanelment based on UDIN data:

  "For the year 2023-2024, points will be awarded on the basis of UDIN data of ICAI for the years 2020-2021 and 2021-2022. This will eventually be scaled to 5 years by 2026-2027 by gradually adding one year on annual basis."

- Central Bureau of Communication (CBC), Ministry of Information and Broadcasting, Government of India approached the ICAI for placing systematic reliance on UDIN to assess the veracity of the information certified by Chartered Accountants in the prescribed format for the empanelment of the news agencies based on circulation and rates. The certified information by a Chartered Accountant becomes a basis for empanelment of the news agencies. CBC has requested ICAI for providing WEB APIs for their new ERP system. CBC has expressed their intent to use web APIs for UDIN validation in respect of their new ERP system to allow the various parameters MRN, CA Name, CA Address, CA Mobile, CA Email id etc., in respect of each of UDINs to be integrated in their automated system.

- Department of Telecommunications, Office of the Principal Controller of Communication Accounts,, Kolkata has conveyed that while reviewing and assessing the Documents submitted by ISPs (Internet Service providers) the department has benefited immensely using UDIN – an initiative of ICAI.

- A delegation from National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania held a couple of meetings with UDIN Directorate in the months of February and April, 2023 to discuss the process and protocols for implementation of UDIN in Tanzania.

- Various Government Departments and stakeholders have also been actively utilizing the services of UDIN Portal to verify the authenticity of the documents. The Public Works Department of the Government of West Bengal has informed that Govt of West Bengal has mandated mentioning UDIN in Form II (for judging financial capability) submitted by the bidders participating in their tender process. Recently, various State Governments like Govt. of West Bengal, Govt. of Maharashtra and Govt. of Odisha have recognized by way of verification of the authenticity of the documents received by them.

(II) Initiatives for the Members

- Withdrawal functionality for 15CB on e-filing portal: Owing to large pendency in updation of UDINs with respect to the 15CB form on e-filing portal of Income Tax Department, withdrawal facility has now been enabled on the portal, facilitating the CAs to withdraw the 15CB forms by recording appropriate reasons, therein. The CAs have to thus withdraw the form 15CB within 7 days of its filing.
- In terms of the directions of the CBDT, inclusion of Five Income Tax forms namely 10-IJ (Certificate to be issued by accountant under clause (23FF) of section 10 of the Income-tax Act, 1961), 10-IL, 3CT (for the Income attributable to assets located in India under section 9 of the Income-tax Act, 1961), 5BA (Certificate of an accountant under sub-rule (6) of rule 8B) and Audit Report SWF have been incorporated on the UDIN portal for UDIN generation.
- Form wise pending details requiring UDIN updation on e-filing portal for AY 2021 – 2022: In order to reduce form wise pendency, as reported by CBDT, certain configuration on the member's home page on the UDIN Portal has been carried out. Such arrangements facilitated the members to keep themselves abreast of the list of forms for which UDINs were pending for updation at the e-filing portal of CBDT. This data is visible only to the concerned member.
- Certain technological changes were incorporated for extended timeline by CBDT for updating UDINs at e-filing portal: Owing to several instances of invalidated UDINs on the e-filing portal of Income Tax

Department, certain technological changes have been made on the UDIN portal for AY 2021-2022. Accordingly, the validation parameters (AY and Form ID) have been pulled down on the UDIN portal so that UDINs on the e-filing portal can be seamlessly verified. The Members were advised to update those UDINs, which had been invalidated earlier at the e-filing Portal. This relaxation has enabled Income Tax Assesses to get the process of validation completed by filing with the corresponding UDINs on the e-filing portal. This is in line with the Press Release of CBDT dated 26th November 2020. CBDT has extended the last date for updating UDINs at the e-filing portal till 30th November, 2022.

- UDIN portal aims to upgrade itself on a continuous basis with the most relevant and contemporary information for enhancing the digital customer experience initiatives. UDIN Directorate, have implement some new features during this year in the portal, so as to enhance the user experience. Some of the salient features while generating the UDIN, which are being contemplated for implementation are as under:

❖ **GUI (Graphical User Interface) based user dashboard for the Members**: The interface among others will present the summary UDIN statistics for various categories namely, Audit & Assurance Functions, GST and Tax Audit, and Certificates generated by a member since 2019. This feature will be extremely useful for the members to keep track of total UDINs generated by them.

❖ **Downloadable filled-in UDINs in PDF**: Members will now be able to download PDF having details regarding filled- in data for UDINs. This will be useful for the members to ensure that the correct data has been entered into the system for generating UDIN.

❖ **Save and Copy Option**: Save draft and Copy UDIN option will help the members for flawless experience on mentioning the 18 digit UDINs without any possibility of copying error.

❖ **Enabled QR code in UDIN PDF:** The downloadable UDIN PDF has been provided with QR code, in addition to the filled in data at the time of UDIN generation. The QR code is mapped with the UDIN ID. Scanning of the QR code would lead to users to "Verify UDIN" link. The verifiers, now will have additional option of scanning the QR Code, which is contemporary and a modern feature in the governance ecosystem.

❖ **Monthly/Quarterly mails to the members**: UDIN Generated at Firm's level of a particular month/quarter, will be mailed to Firm's head at the end of every month/quarter.

❖ **Providing details of periodically generated UDINs**: Monthly/Quarterly numbers of UDIN generation will be made available to all registered members at UDIN portal.

❖ **Effective search functionality**: Enhanced search functionality on almost all the fields with full text search on the basis of entered data on textfield.

- Restricting revocation of the UDINs within 48 hours - The Council in its 420th meeting held on 23rd & 24th March, 2023, decided that revocation of UDINs would now be possible within 48 hours after their date of generation. The implementation of the aforementioned functionality was given effect to at the UDIN live server with effect from the midnight of 23rd June, 2023. This means, now onwards the members will be able to revoke the UDINs if they so desire, but only within 48 hours from the time they were generated.

(III) Impact of UDIN

Since ICAI took the initiative of Implementing UDIN for all kind of Certifications, GST and Tax Audit Reports and other Audit, Assurance and Attestation functions undertaken by practicing members has gained increasing significance among various Government Departments and other stakeholders. The UDIN Portal (https://udin.icai.org/) has become one of the important venues for verifying the authenticity of document. UDIN, as one of the instrumentalities of ICAI, has *inter alia* has infused transparency and accountability in the profession. UDIN among others has ensured public trust in financial reporting leading to an improved governance in the financial stream. The originality of UDIN has brought to the forefront a favourable ecosystem facilitating the profession for Independence, Integrity and Excellence.

State Governments and their agencies' reliance on UDIN related information, as a basis of ascertaining financial soundness for the finalization of Tenders, is perhaps one of the most significant impact of UDIN. It is acting as a tool of authentication not only in words but also in true spirit. Besides, implementation of UDIN, has resulted in the surfacing the complaints of malpractices to a large extent, which were tried by wrongdoers. Several complaints are being received from stakeholders, wherein frauds done by non-CAs in the name of CAs have been reported. UDINs are being verified by the regulators / stakeholders for establishing the authenticity of being signed by CAs only. As generation of UDIN is mandatory for all the Practicing CAs for all the documents issued by them, as on 5th July, 2023 more than 1.40 lakhs CAs have registered at UDIN Portal and have generated more than 4.99 Cr active UDINs till 5th July 2023. Besides, 30th September, 2022, recorded the highest number of UDINs generation, ever on a single day, i.e. on 30th September a total of 3,61,291 UDINs were generated. More than 65.50 lakhs UDINs have been verified by the Authorities/ Regulators / Banks / Others.

(IV) Publications

- Report on UDIN (2022-23)
- UDIN Chronicle: Depicting Milestones.

8.7 Publication & CDS Directorate

The Publication & CDS Directorate undertakes the task of printing of ICAI various priced publications and dispatching the same to its students, members and other stakeholders. ICAI has developed an online store portal named CDS Portal. The option is provided to various stakeholders to purchase all relevant publications and artefacts online. Anyone interested can generate his/her own accounts and place his/her orders on online store. The Directorate is catering to the demands of its students and members with the help of its CDS Portal by providing the doorstep service.

The Publication Directorate of Institute primarily caters to following three areas:

- Printing of study materials for students and member-related publications.
- Sale and distribution of publications through Centralized Distribution System (CDS).
- Maintaining Stock account, sales account, and reconciliation of stock.

(I) NEW PUBLICATIONS BROUGHT OUT

During the period i.e. from 1st April, 2022 till 30th June, 2023, the Publication Directorate printed various new publications on behalf of Board of Studies (Academics) and other Committees, which are also hosted on the CDS Portal.

(II) CENTRALIZED DISTRIBUTION SYSTEM

Since July 2017, all publications of ICAI including study materials, Revision Test Papers and member-related publications and various kinds of mementoes such as ties, Tie Pin, cuff links and lapel pins are dispatched centrally through Central Distribution System Portal (www.icai-cds.org) to the Students, Members and other Stakeholders based on the orders received on the CDS Portal.

(III) STUDENT RELATED PUBLICATIONS

Period	Books dispatched against registration	Books sold
01.04.2022 to 30.03.2023	Type of Books **– 75** Total Quantity of dispatched Books Against Registration - **2356407**	Type of Books – **153** Total Quantity of dispatched Books for Sale - **98921**
01.04.2023 to 30.06.2023	Type of Books – **74** Total Quantity of dispatched Books Against Registration – **565570**	Type of Books – **124** Total Quantity of dispatched Books for Sale - **9901**

(IV) Members related Publications and Mementos

Period	Member Publication	Mementos
01-04-2022 to 31-03-2023	Type of Books - **280** Total Qty. of dispatched books for sale - **12009**	Type of Mementos - **23** Total Qty. of dispatched Mementos for sale - **2327**
01-04-2023 to 30-06-2023	Type of Books - **207** Total Qty. of dispatched books for sale - **3426**	Type of Mementos - **17** Total Qty. of dispatched Mementos for sale - **469**

(V) FUTURE ENDEAVORS

The future endeavors of the Directorate include to revamp and upgrade the CDS Portal and reduce the Turnaround time for delivery of orders.

8.8 Centre for Audit Quality Directorate

The ICAI established the Centre for Audit Quality Directorate ("CAQD") in 2020, primarily focusing on the qualitative aspects of the audit function and audit quality. It is a Special Purpose Directorate, ensuring consistent improvement in audit quality and boost in Indian firm's global standing. It also seeks to provide a conducive environment for research and to take up more research-oriented projects to set the criteria for enhancing and maintaining the Audit Quality. It supports research programs on Audit Quality by enhancing interactions among various stakeholders and regulators involved in law enforcement. The Centre for Audit Quality Directorate is aiming at continuous investment in the contemporary education and training for professional accountants and auditors through

Special short term duration courses for participants to induct the requisite skill set on the contemporary areas. It strives to develop guidance and training programmes to assist audit teams to undertake effective root cause analysis for audit quality improvement.

(I) Initiatives

- Initiative regarding development of a digitized version of Audit Quality Maturity Model (AQMM).
- Conducted fifteen Quality Café Sessions -a monthly virtual series on Audit Quality Aspects.
- Organised Training of Trainer (ToT) program on AQMM to increase faculty base.
- Conducted virtual program for the Peer Reviewers.
- A Twitter Handle for CAQD was created. Members may follow @caq_icai for valuable insights on audit quality.
- Development of Draft Audit Quality Framework on the lines of Framework issued by the IAASB.
- CAQD jointly with the CLCGC had designed and organised the 7 days virtual CPE Program on "Audit Quality – A Key Pillar of Corporate Governance".
- Released an E-Publication, Significant Audit Matter (SAM)- A Compilation of Audit opinions, Key Audit Matters (KAM), Emphasis of Matter (EOM), Other Matters & CARO 2020.
- Conducted awareness programmes on AQMM program in various branches / Regional Council.
- AQMM has been mandated w.e.f. 1st April 2023.
- Inclusion of AQMM Review in the Scope of Peer Review.
- Successful completion of three Virtual Batches of Certificate Course- Executive Master Program New Age Auditors.
- Launched the Physical Batch of the Certificate Course - Executive Master Program - New Age Auditors.
- Successfully launched an Excel Utility for Bank Branch Audits.
- Launched a Utility for Determining Materiality.
- Release of Publication titled 'Analysis of Modified Opinions'.
- Release of Publication titled 'Model Firm Manual'.
- 4 meetings were held during 1st April 2022 to 31st March 2023 pertaining to the Centre for Audit Quality Directorate.

(II) Launch of Quality Café sessions - A Virtual Series on Audit Quality

Centre for Audit Quality Directorate launched its first monthly series of the Quality Café in April 2022. It is a virtual Series on the Audit Quality with a duration of two-hours wherein the elements that contribute to audit quality are discussed once every month. We had the privilege to have the experts from auditing and also the past presidents of ICAI. The sessions are being well appreciated by the participants. So far, fifteen Quality Café session have been organised covering the following topics having more than 4700 participants in total.

(III) Training of Trainer (ToT) program on AQMM

In order to increase faculty base of the AQMM for imparting training to the members, the CAQD organised a Training of Trainers (ToT) program for the members who had expressed their interest.

(IV) Training on AQMM Review for Peer Reviewers

A virtual Program for the peer reviewers was organised by the CAQD. AQMM Review being included in the scope of Peer Review, the peer reviewers were invited to have a clear and uniform understanding of scoring of AQMM, evaluation mechanism as per the guidance given under the implementation guide on AQMM.

(V) Training on Audit Quality Aspects

The CAQD conducted physical batches of 'Training for Trainers on Audit Quality Aspects' at Mumbai on 2nd & 3rd June 2023 and at Vadodara on 23rd & 24th June 2023. The training covered soft skills and key aspects of standards on quality at engagement and firm level along with the Audit Quality Maturity Model (AQMM).

(VI) Creation of a Separate Twitter Account

In order to raise the level of awareness and understanding on various elements of audit quality and to build a

personal connect with the members of the profession, CAQD has created a separate twitter account @caq_icai. Two weekly posts are made on the account generally.

(VII) Development of Draft Audit Quality Framework

Being one of the Action plans of the Year 2022-23 and as per the term of reference, the CAQD has developed the Framework on Audit Quality on the lines of Framework issued by the IAASB.

(VIII) Virtual CPE program jointly with the Corporate Laws and Corporate Governance Committee

The CAQD jointly with the CLCGC has designed and organised the 7 days virtual CPE Program on "Audit Quality – A Key Pillar of Corporate Governance" to provide a component wise training on the financial Statements for educating the members on the requirements of the Schedule III of the Companies Act, 2013, Section 143 of the Companies Act, Internal Control over Financial Reporting, Key Audit Actions & Qualifications w.r.t. each component of the Balance Sheet.

Significant Audit Matter (SAM)- A Compilation of Audit opinions, Key Audit Matters (KAM), Emphasis of Matter (EOM), Other Matters & CARO 2020

CAQD has released an E-Publication on Significant Audit Matters (SAM), a compilation of Key Audit Matters (KAM), Emphasis on Matters (EOM), IFC and Other Matter including reporting as per CARO reported in the Auditor's Report. The compilation would be of ease of reference for the members dealing with a similar situation during their audits. The compilation has been prepared from the annal reports of 800 plus companies listed companies and limit itself to unique reporting. Similar nature and recurring types of reporting have been excluded from the compilation.

(IX) Awareness programmes on AQMM in various branches / Regional Council

- To spread awareness on AQMM and its implementation, the AQMM programmes was included as one of the criteria for Best Regional Council/Branch awards for the year 2022-23.
- CAQD has instructed to the branches and regional councils to have at least 2 programmes in a year on AQMM and its implementation.
- More than 45 Programmes on AQMM have been conducted by various branches/Regional Councils during the year.

(X) Audit Quality Maturity Model

A] Mandated w.e.f. 1st April 2023: Though the Audit Quality Maturity Model v 1.0 was launched in July 2021, however, it was decided that AQMM shall become mandatory w.e.f. 1st April 2023 for the firms auditing entities as mentioned below:

(a) A listed entity; or

(b) Banks other than co-operative banks (except multi-state co-operative banks); or

(c) Insurance Companies.

However, firms doing only branch audits are not covered.

[B] Inclusion of AQMM Review in the Scope of Peer Review : The Council approved the inclusion of the AQMM Review in the scope of Peer Review. The Scores and the level arrived at shall be subject to review by the Peer Reviewer alongside the peer review cycle which falls anytime on or after 1st April 2023. The self-evaluation model has been coupled with the review of the scores and level by a Peer Reviewer. However, subsequent review shall be alongside the peer review cycle.

[C] Hosting of level obtained on the ICAI Website : The scores and level arrived after the peer review, shall be hosted on the ICAI's website.

Digitization of Audit Quality Maturity Model (AQMM)

In order to ease the self - evaluation process for the firms, the digitized model of AQMM has been developed which would provide the following benefits.

- Automated calculation of section wise scores.

- Automatic Level evaluation.
- Saving of the scores and level for the future reference.
- Provision to attach the supporting documents.

(XI) Certificate Course- Executive Master Program New Age Auditors: Successful Completion of Virtual Batches

Three Batches of Online Certificate Course Executive Master Program - New Age Auditors were successfully completed. Approximately 150 members enrolled in these batches. The Course was well appreciated by the participants. The course content is developed in two parts –

Part A - Basics of Accounting and Assurance Governance; and

Part B- Digital Era in Accounting and Compliance.

(XII) Launched an Excel Utility for the Bank Branch Audits

To help the members in smooth conduct of the bank branch audits, CAQD released an Excel Utility. The utility has been developed based on the procedures outlined in the Guidance Note on Audit of Banks and the Technical Guide on the Long Form Audit Report. It would help the members in tracking the status of the completion and concern areas under various heads. There are more than 10,000 downloads of this utility.

(XIII) Launched a Utility for Determining Materiality

The CAQD developed a utility for determining materiality as a handholding measure for assisting the firms in the smooth conduct of audits. The objective of this template is to enable a user, primarily a Chartered Accountant, performing a Statutory Audit of an entity to assess and gauge the Materiality Threshold for a Statutory Audit of an entity. There are more than 4,800 downloads of this utility.

(XIV) Release of Publications

- Analysis of Modified Opinions
- Model Firm Manual

8.9 Estate Development Directorate

The Policy on processing and disbursement of Capital Grant was approved by Council w.e.f. 30th June 2022. The Estate Development Directorate deals with the matters related to release of Capital Grant to Units of ICAI (Regional Councils/Branches/DCOs/COEs) including major Repair and Renovation works (of both owned as well as Rented Premises), small Constructions/additions, internal modifications in the existing Building etc. costing up to Rs.200 Lakhs.

Brief of Major Decisions taken by Estate Development Directorate (EDD)

- Release of Advance/Final Grant against Capital Budget including pending cases for earlier years.
- Approval of Special Grants to Units.
- Reimbursement of Property Tax for 2022-23
- Installation of Glow Signage, Pan India
- Installation of Firefighting, Lift, facilities for differently abled persons and Rainwater harvesting at Units
- Repair & Renovation of Buildings :

  ICAI Bhawan, Vishwas Nagar, Delhi

  ICAI Bhawan, A-29, Sector-62, Noida

  ICAI Bhawan, C-1, Sector-1, Noida
- Brand Building - ICAI @ 75

Installation of Glow Signage - G20 & B20 at ICAI Buildings : (i) HO, IP Marg, New Delhi, (ii) Vishwas Nagar New Delhi, (iii) C-1, Sec-1, Noida and (iv) A-29, Sec-62, Noida

Painting of ICAI Buildings PAN India

Installation of Glow Signage, PAN India

- Approved/Release of Advance/Final Grant against Capital Budget including pending cases for earlier years.
- EDD Software :

  Software for Capital Grant

DMS for Land and Building records.

Dashboard for Green Building and Swatch Bhawan Award.

- Approval of Special Grants

8.10 Tender Monitoring Directorate

The ICAI has been concerned about the tendering process and evaluation of tenders especially in case of Professional Services. In order to monitor, analyze and streamline tendering for professional services, a Directorate namely "Tender Monitoring Directorate" has been constituted by the Council during the year 2023-24. The Directorate endeavours to streamline the process of tendering and to monitor the bids quoted by CAs in all the permissible tenders and analyze them. The Directorate further refers the deviations at appropriate level. The task assigned to Tender Monitoring Directorate was earlier looked after by a Group constituted under the Professional Development Committee.

Activities of the Directorate

- The Directorate created its own Portal for tenders on professional services which was launched by the Council on 1st July, 2023 – www.tmdicai.org. The Portal offers following features:

✦ Tender opportunities
✦ Latest information for members
✦ Council Guidelines on tenders
✦ Details of minimum recommended scale of fees
✦ Format of cost sheet to be submitted to members
✦ Extract from relevant provisions of Code of Ethics
✦ Representations made by Directorate to the tenderers
✦ Answers to Frequently Asked Questions
✦ Grievance posting mechanism, with or without disclosing identity.

- Representations are being made to tenderers where minimum fees is not prescribed in respect of audit & attestation services, or where eligibility conditions appear to be unreasonably restrictive or where the services tendered create “independence” issues.
- Bids submitted by members are studied and cost sheets are called for wherever it is felt that the bid is for low amount.
- A delegation comprising of President, Vice President, Convenor, Tender Monitoring Directorate and Vice Chairman, Professional Development Committee met the Chief Vigilance Commissioner Shri P.K. Srivastava at latter’s office on 18th May, 2023 and had detailed discussions on how Least Cost method of selection can be avoided in hiring of professional services of Chartered Accountants and at the same time, quality can be maintained. At this meeting, the CVC was accompanied by Shri Arvinda Kumar, Vigilance Commissioner, CA. P. Daniel, Secretary CVC, Shri Shailendra Singh, C.T.E. and Shri Rajiv Verma, Director, CVC.
- The Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India has issued the Manual for Procurement of Consultancy & Other Services (updated June, 2022) wherein they have dropped “audits” from the description of assignments of standard or routine nature under Para 3.8 thereof titled, “Price based System - Least Cost Selection (LCS). Thus, Least Cost Selection i.e. L-1 is no longer considered suitable for engaging auditors.
- Since formation of the Directorate in February, 2023 till 30th June, 2023, the Directorate sent 82 representations to tendering organisations wherein either minimum fees was not prescribed for audit and attestation services, or where conflict was noticed i.e. hiring for audit and other services, or where eligibility conditions were found to be unreasonably restrictive. Many of them have modified their tenders and issued corrigendum. The Directorate is pursuing with rest of the organisations. The Directorate also issued notices to 102 CA firms asking for cost sheets, where low quotes were noticed. The same are analysed and necessary actions have been initiated.
- Council has authorised the Directorate to call for details of financial bids from members quoting low fees.
- A dedicated email ID: tender.enquiry@icai.in has been set up for redressing grievances of members.
- TMD has been put on twitter - @tmdicai

8.11 Right to Information Act, 2005

The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, to acclaim transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a

statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under Section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA) and Transparency Officer. A large number of RTIs is being received by RTI Cell, ICAI from the students, members, other stakeholders and citizen and the same have been responded.

Disclosure under Section 4(1) (b) of the Right to Information Act, 2005

Further, in terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icai.org and the same are updated from time to time. During the period 2022-23, it is to note that total 1,66,892 (one lakh sixty six thousand eight hundred and ninety two) applications have been received which include the applications requesting for certified copies of various examinations conducted by the ICAI. Besides a good number of RTIs pertaining to Disciplinary functions and HRD & Administration is also received. Further, 52 number of hearings of the Central Information Commission have been attended and a good number of orders of First Appellate Authority have been responded.

8.12 XBRL

XBRL India was incorporated by the ICAI in 2010 as a section 25 company under erstwhile Companies Act 1956 (currently under Section 8 of Companies Act, 2013). The main objective of the Company includes *viz.* promoting and encouraging the adoption of XBRL in India as the standard for electronic business reporting in India through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL. Also, considering the growing importance of XBRL internationally, XBRL India has taken membership of XBRL International Inc. to facilitate and get updates of XBRL filing globally. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International. XBRL India is developing and maintaining XBRL taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA).

(I) XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA):

Currently, there are two Taxonomies which are applicable to the companies:

- Ind AS Taxonomy
- Commercial and Industrial (C&I) Taxonomy

XBRL India always focused on its key area of operations i.e. development/ maintenance of Taxonomies for filing of financial statements under Companies Act. Accordingly, XBRL India had submitted the updated taxonomies, both the Ind AS Taxonomies and C&I Taxonomies, last year to the MCA for further action at their end. XBRL India continued its efforts to dialogue with the MCA with regard to the implementation of the new taxonomies. Further, the XBRL India also started exploring the amendments required in Ind AS Taxonomy due to notification of Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules 2023 notified by the MCA on March 31, 2023.

(II) Outreach Program:

- With a view to educate and for dissemination of the knowledge amongst the stakeholders, a webinar was organized on “Digital Sustainability Reporting” on September 14, 2022, in consultation with Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) of the ICAI. The sessions in the webinar included Digital Reporting of Sustainability Disclosures: International Trends/Developments, Staff paper of IFRS Sustainability Disclosure Taxonomy and Business Responsibility & Sustainability Disclosures Taxonomy for listed Companies in India.
- 11th XBRL Asia Round Table (XART) was held on November 16-17, 2022, at Mumbai in hybrid mode in conjunction with World Congress of Accountants 2022. 11th XART was hosted by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and was attended by around 15 member jurisdictions of XBRL International. From India, representative from Reserve Bank of India, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange and Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy shared their experiences of use of XBRL as a language for their reporting from the fillers. Past President, ICAI and Board member of IFAC and XBRL International presented his views on E-invoicing under Goods and Services Tax (GST) and its Digitalising. Central Council member who is a Board member presented the updates of XBRL India. Around 38 participants from different XBRL International jurisdictions participated physically and around 29 participants attended through virtual mode. Some of the jurisdiction members shared updates on the XBRL reporting in their jurisdictions. Securities and Exchange Board of India (SEBI) Chairperson Ms. Madhabi Puri Buch presented SEBI’s initiatives on ESG Digital Reporting. Ms. Revathy Ramanan Guidance Manager, XBRL International shared some initial work on XBRL drives ESG analytics in India that SEBI is introducing next year.

8.13 ICAI- Accounting Research Foundation (ARF)

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 to be developed as an academy for imparting, spreading and promoting knowledge, learning, education and understanding in the various

fields related to the profession of accountancy. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF during the last year:

- **Indian Railways:** Work completed in the last one year
- ✦ Pilot Study to reconcile Rolling Stock Data of NR with Railway Board as on 31.03.2017.
- ✦ Pilot study to develop mechanism for identification of lease assets and owned assets at Northern Railway.
- ✦ ABFS of Indian Railways for the years 2019-20 and 2020-21.
- ✦ Development, Testing and Rollout of extended IT application over Indian Railways.

and is working on the following:

- ✦ Pilot Study to develop framework for Clearance of CWIP and transfer to FAR to be undertaken over NR based on the CWIP data received in FA-13 as on 31st March 2017.
- ✦ ABFS of Indian Railways for the year 2021-22 and 2022-23
- ✦ Identification, and adjustment of prior period items based on a review of data for the last four years mentioned in the notes to accounts of the respective years.

Work is going on all the deliverables and is expected to be completed shortly.

- **Treasuries and Accounts Department, Government of Tamil Nadu** : ICAI ARF has initiated work for been given the task to review and revise Tamil Nadu Treasury Code (Volume I and II); Tamil Nadu Account Code (Volume I, II and III) and Tamil Nadu Pay and Accounts Office Manual along with on the basis of present practices and IFHRMS with trail of all changes.
- **Indian Ports Association (IPA)**: ICAI ARF has been assigned the task to prepare common accounting framework for 11 major ports for compliance with Major Ports Authorities Act, 2021 and MPA (Accounts & Audit) Rules, 2021
- **Department of Handloom, Government of Tamil Nadu**: ICAI ARF has developed Standard Operating Procedure (SOP) document for monetisation of assets of Weavers' Cooperative Societies under Liquidation.
- **A study for NITI Aayog:** A Research Study on Transition to Accrual Accounting: Models and Learnings for Urban Local Bodies for/under the aegis of NITI Aayog, organised by ICAI ARF jointly with the Committee on Public & Government Financial Management, ICAI.

8.14 ICAI Registered Valuers Organisation

ICAI Registered Valuers Organisation is a section 8 Private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate Registered Valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

(I) Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- ICAI Registered Valuers Organisation has been focusing on building its membership base and conducting 50 hours of educational course for its valuer members which is a precondition for becoming Registered Valuers and preparing educational material for the Educational Course.
- In this direction, from 1st April 2022 to 30th June 2023 ICAI RVO has conducted 12 online batches for the 50 hours training for members across the country.
- Till date a total of 67 batches of Educational Course have been conducted.
- As on 30th June 2023, 4133 members have been trained by ICAI RVO for its Educational course of 50 hours.

(II) Registration of Registered Valuers with IBBI for the Asset Class Securities or Financial Assets:

The Insolvency and Bankruptcy Board of India under the Asset Class Securities or Financial Assets has registered a total of 2099 Registered Valuers and out of which, 1037 Registered Valuers are ICAI RVO members as on 31st March 2023.

(III) Fifth Foundation Day of ICAI RVO

On the occasion of the completion of its five-years journey of public interest, ICAI RVO commemorated its 5th Foundation Day during 14th - 15th May 2023 at the Park Hotel, New Delhi jointly with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), by organizing a 2 day conference on the theme *"Sustaining Public Interest through Valuation Ecosystem".* The event was held in both hybrid and virtual mode and was graced by Hon'ble Mr. Justice (Retd.) Arjan Kumar Sikri, Supreme Court of India as the Chief Guest and Shri Jayanti Prasad, Whole Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India as the Guest of Honour. President ICAI and Vice President ICAI also

addressed the stakeholders at the conference which brought together various stakeholders from the valuation ecosystem viz Policy Makers, Regulators, Judiciary Members, Industry & Subject Experts along with Valuation, Accounting, Finance and Insolvency Professionals.

(IV) Learning Management System of ICAI RVO

ICAI RVO has its Learning Management System which is an e-learning platform which delivers the concepts of the syllabus prescribed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India in the form of study material and supplemented by mock test in Multiple Choice Questions format. This Learning Management System facilitates the members who are primary members of ICAI RVO, in preparing for IBBI Valuation Examination. The LMS is updated on a regular basis with new videos, presentations and questions.

(V) Publications

ICAI Registered Valuers Organisation jointly with the Valuation Standards Board of ICAI has issued the following Publications:

- Valuation: Professionals' Insights Series -7
- Concept paper on findings of the Peer Review workshop held on 21st April 2022
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Vol.-1, Part-1) October 2022
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Vol.-1, Part-2) January 2023
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Vol.-2, Issue-1) April 2023

(VI) Continuous Educational Program

As a part of its Continuous Educational Program ICAI RVO has organised 60 training programs on various topics related to valuation for its Registered Valuers for the Period 1st April 2022 to 30th June 2023.

(VII) Training Program on Soft Skills for granting COP to Registered Valuers.

The ICAI RVO has organised 9 training programs on Soft Skills for granting Certificate of Practice (COP) to Registered Valuers.

(VIII) Webcasts conducted by ICAI RVO under the theme "Atmanirbhar Bharat".

ICAI RVO had conducted the various live webcasts under the theme "Atmanirbhar Bharat", as part of country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives, envisaged by the Government of India, to commemorate and celebrate 75 years of India's Independence. Details of the webcasts conducted are as follows:

- Live webcast on ESOP Valuation by ICAI RVO on 2nd September, 2022

(IX) Conferences organised by ICAI RVO

- National Conference on "Valuation: Five Years of Journey and the Way Forward" by ICAI RVO along with Registered Valuers Organisation in association with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) on 18th October 2022 at Delhi.
- International Conference on "REAL VALUE CONFERENCE-The Confluence of Valuers" by the ICAI RVO and Assessors and Registered Valuers Foundation (AaRVF), in association with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) on 8th January 2023 at Chennai.
- Virtual Conference on International Women's Day on 4th March 2023.

8.15 Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) has completed a successful year of 2022-23. It was awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister Shri Arun Jaitley on 28th November 2016 at Delhi. IIIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountants, Company Secretaries, Cost Accountants, Advocates and Management Professionals. IIIPI has also networked with other national and international bodies in furtherance of capacity/knowledge building of stakeholders on one hand and providing value-added policy inputs for evolving law and practice of IBC, on the other. Out of total 4297 Insolvency Professionals registered with IBBI as on 20th June 2023, 2703 members, i.e., 62.90% are from IIIPI. IIIPI's members have so far handled, 75% of the overall assignments of CIRP/Liquidation/Voluntary Liquidation, including many of the largest cases.

Distribution of membership between IPAs

IPA wise Reg. IP's Member's status as on date 20-06-2023																
Sl. No.	**Name of IPA**	**31st March 2018**	**%**	**31st March 2019**	**%**	**31st March 2020**	**%**	**31st March 2021**	**%**	**31st March 2022**	**%**	**31st March, 2023**	**%**	**20th June, 2023**	**%**
A	**IIIPI**	1100	60.71	1518	61.71	1860	61.71	2184	62.05	2551	62.69	2696	63.02	2703	62.90
B	**IPA ICSI**	562	31.02	738	30.00	903	29.96	1025	29.12	1142	28.07	1183	27.65	1192	27.74
C	**IPA Cost Accountant**	150	8.28	204	8.29	251	8.33	311	8.84	376	9.24	399	9.33	402	9.36
	Total	**1812**	**100**	**2460**	**100**	**3014**	**100**	**3520**	**100**	**4069**	**100.00**	**4278**	**100.00**	**4297**	**100.00**

(I) Capacity Building Initiatives:

The dialogues and deliberations are crucial to the capacity building of professional members in any profession. It is even more pertinent in the context of the insolvency profession, which impacts multiple stakeholders and is considered one of the most complex professions. On the shoulders of an insolvency professional as an important pillar, lie critical responsibilities, which are onerous at times, during and around the process of rescuing the corporate lives. In this backdrop it can be said that the performance of the IBC ecosystem, to a great extent, is directly linked to the capacity building of IPs. As the key focus, IIIPI's endeavour has been to not only sustain the momentum but also keep launching several capacity building initiatives to meet the expectations of our stakeholders. Following are some of the key initiatives:

- Three Executive Develop. Programs (EDPs) being imparted to IPs for continuous professional education (CPE) viz. on

✦ Managerial Skills under CIRP

✦ Legal Skills on Court Processes under IBC

✦ Forensic Skills on Avoidance Transactions under IBC.

- An open house (physical) session was held in Oct.'22 allowing IPs to interact with President-NCLT and Members NCLT.
- An open house (physical) session was held in Nov.'22 allowing IPs to interact with Chairman, IBBI. Afterwards, FAQs were generated and shared with IBBI for preparing responses around grey areas.
- MoU signed with IIM-Ahmedabad, for launching residential management development program for IPs (members of IIIPI), to focus on managerial skill development.
- Alliance formalized with INSOL International-UK, for providing INSOL-UK's co-membership to IIIPI's members at significantly concessional terms. About 332 members have enrolled themselves.
- Discussion forum (web-based portal) for members to raise/respond queries of professional nature operationalized.
- MSME Helpline on Prepack Framework (PPIRP) supported by panel of expert IPs, operationalized.
- Mentorship program and online portal operationalized.
- Peer Review program and online portal operationalized.
- A virtual conference was held on the topic "Real Estate CIRPs – Challenges & Solutions" on June 23rd, 2023, in the presence of Guest of Honour, Sh. Naveen Verma, Chairman, RERA (Bihar State).
- National Quiz on IBC was launched targeting students across law/management institutes.
- AKAM programs across 40 districts coordinated by IIIPI over the first 9 days of June'22. IP members were involved for tying with local institutions or universities, to spread awareness of IBC and GIP Course among students across country.
- 6th Foundation Day was celebrated in Nov.'22 via virtual program graced by Chairman IBBI and Jt. Secretary, MCA among other dignitaries.

- An international conference was organized virtually in m/o March'22 which was helmed as chief guest by Union Minister Sh. Bhupinder Yadav, among other dignitaries.
- Noteworthy among many other capacity building programs, two programs jointly with UKFCDO on cross border framework. In one of these, Former Union Minister, Sh. Suresh Prabhu appeared as chief guest.
- Another important international webinar during June'22, joining hands with International Insolvency Institute, USA. Where panellists from USA and UK including one sitting judge, besides experts from India. Chairperson IBBI delivered keynote, in addition to special address from CGM (Stressed Assets) at SBI.
- An international conference (webinar) was conducted in March'23 on the Avoidance Transactions – Improving Outcomes graced by expert speakers from UK, Hongkong, Singapore and India. Regulators from UK and India joined too.
- A physical conference on "Overcoming Emerging Challenges under IBC - Preparing IPA & IPs" was held in New Delhi on June 16th, 2023, joined by dignitaries including, Member-NCLT, Jt. Secretary-MCA, MD-SBI and ED-IBBI.
- Meetings/Discussions held with President-NCLT, Members-NCLT, Secretary-MCA, Jt Secretary-MCA, Secretary-MSME, ED-RBI, MD-SBI, Regional Director-SEBI, Officials of RERA (UP) in previous year(s)

(II) Research Initiatives

- 11 Studies have been carried out and completed, and 10 publications, released. These are Group insolvency – International Experience, COC's Best Practices, Role of IPs under PPIRP for MSMEs including FAQs, Liquidation Process - Best Practices, Successful case studies, Guidance on Code of ethics, Guidance on Quality control by IPs, Peer Review Policy, Individual Insolvency-PG to CD, Valuation under IBC, Roles of IPs across value chain of resolution from incipient stage to post resolution.
- Four ongoing studies viz. Templates for Avoidance Transactions, Usage of XBRL and other Technologies in IBC, Positive Roles of IPs in Resolution process, Understanding delays in CIRPs/Liquidation Processes, Case Management System (Integrated software) for IPs.
- A board level committee has been formed for recommending measures on "Preparing for IBC 2.0". Under the said committee, two sub-groups have been constituted for carrying out deliberation on (i) Addressing challenges and futuristic changes in IBC and (ii) Preparing IPA and IPs for future, respectively.
- 12 editions of quarterly research journal (The Resolution Professional) released so far, e-circulated nationally/internationally, well received by the members and stakeholders.
- A Research Committee has been constituted, as first of its kind initiative across IPAs with Research Fund with initial corpus of Rs.25 lacs having been created. The research program across 28 identified areas for development of insolvency ecosystem, has been launched informing 100s of institutions. Under the scheme, 3 projects having been approved (including funding thereof) on the subjects:

✦ Gap identification & Conflict Resolution between IBC and RERA

✦ Reasons and Remedies for underutilization of PPIRP

✦ Efficacy of Indian Insolvency Law Vs. Other Countries

- MoU signed with NLU-Delhi, for sponsoring PhD seat at NLU-Delhi for carrying out research on IBC, at a cost of Rs.12 lacs over next 3 years.

(III) Monitoring of Insolvency Professionals:

As per Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Byelaws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, IIIPI is required to monitor the professional activities and conduct of professional members for their adherence to the provisions of the Code, Rules, Regulations and Guidelines issued there-under, the byelaws, the Code of Conduct and directions given by the Governing Board. Insolvency Professionals are monitored on an ongoing basis with respect to Corporate Insolvency Resolution Process and Liquidation Process. Actions are being taken against the members who have not complied with the applicable provisions.

(IV) GRC /Disciplinary Mechanism:

IIIPI has received 97 Grievances during the period from 1st April 2022 to 31st March 2023 and a total of 81 Grievances (including Grievances from previous year) were redressed during the period by the Grievance Redressal Committee and as on 27th June 2023 there are pendency of 16 GRC matters. Further, 20 disciplinary proceedings were initiated by the IIIPI during the period from 1st April 2022 to 31st March 2023 and as on 27th June 2023, 100 (hundred) matters were disposed of.

8.16 The Institute of Social Auditors of India (ISAI)

The Institute of Social Auditors of India (ISAI) is incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 on October 07, 2022 under the aegis of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as Self-Regulatory Organization with prime objective to be a leading institution for developing an independent, ethical and world-class Social Auditors profession responding to needs and expectations of the stakeholders. ISAI will enroll, regulate and develop the Social Auditors in an independent and transparent manner and will also work on capacity building of the social auditors through continuous professional education and training.

(I) Concept of Social Auditors

The Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman in the Budget speech of 2019-2020 for the first time proposed the concept of a Social Stock Exchange which will be "under the regulatory ambit of Securities and Exchange Board of India (SEBI) for listing social enterprises and voluntary organizations working for the realization of a social welfare objective so that they can raise capital as equity, debt or as units like a mutual fund." Subsequently, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its notification dated 25th July 2022 has amended the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations") and SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 ("AIF Regulations") to provide a broad framework for Social Stock Exchange. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 defines Social Auditors as an individual registered with a Self Regulatory Organization under the Institute of Chartered Accountants of India or such other agency, as may be specified by the Board, who has qualified a certification program conducted by National Institute of Securities Market and holds a valid certificate.

(II) Governing Board of ISAI

ISAI functions through its Governing Board which comprises of minimum of Twelve Directors i.e

a) Chairperson, having rich experience in social sector/ impact assessment or he may be from a renowned academic institution.

b) Five Central Council members of ICAI/ Sustainability Reporting Standards Board with relevant experience

c) One person to be nominated by Securities and Exchange Board of India (SEBI)

d) One person to be nominated by Ministry of Corporate Affairs (MCA)/ Ministry of Home Affairs (MHA)/ Ministry of Social Justice & Empowerment

e) One person nominated by Capacity Building Fund

f) One person nominated by Social Stock Exchange

g) One member from thematic areas of the social sector

h) One member having cross sectoral experience in social sectors

(III) Sub-Committees of ISAI

There are 7 Sub-Committees constituted in terms of the bye-laws of the Company to regulate the working of the Company in the most transparent and efficient manner.These sub committee comprises of members of the Governing Board and also market experts in the advisory role. Following are the sub committees of ISAI:

I. Advisory Committee
II. Membership Committee
III. Monitoring Committee
IV. Grievance Redressal Committee
V. Appellate Committee
VI. Disciplinary Committee
VII. Editorial Board

(IV) Registration of Social Auditors

ISAI launched the separate registration portal on April 28, 2023 http://registration.isai.ca.in/ and started registering Social Auditors on its website https://isai.ca.in/. After qualifying NISM Series-XXIII: Social Auditors Certification Examination, the applicant is required to enroll with the ISAI. ISAI has registered more than 300 Social Auditors, the details of which are available on its website.

(V) Online Training Course on "NISM Series XXIII: Social Auditors Certification Examination

ISAI has also started online training course to facilitate preparations of the members of ICAI in preparation of "NISM Series XXIII: Social Auditors Certification Examination".The online classes cover all 11 chapters of the NISM Study material covered in 21 study hours with expert faculties, FAQs for each chapters, case studies and

illustrative examples. ISAI has successfully completed 2 batches of online training course and have trained 142 members of ICAI for the "NISM Series XXIII: Social Auditors Certification Examination".

8.17 Quality Review Board (QRB)

In exercise of the powers conferred u/s 28A of the Chartered Accountants Act, 1949, Central Government of India has constituted the Quality Review Board (QRB) on 28th June, 2007 as an independent body to review the quality of services rendered by chartered accountants in the country and its review process contributes towards an increasingly robust and transparent financial reporting system in the country. As per Sec. 28B of the Chartered Accountants Act, 1949, the Quality Review Board shall perform the following functions:-

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute;
- To review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services;
- To guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements;
- To forward cases of non-compliance with various statutory and regulatory requirements by the members of the Institute or firms, noticed by it during the course of its reviews, to the Disciplinary Directorate for its examination.

However, with the formation of National Financial Reporting Authority (NFRA) by the Central Government in the year 2018, the mandate of QRB has undergone a change. Under revised mandate, QRB is now authorized to select audits of private limited companies, unlisted public companies below the thresholds prescribed under Rule 3(1) of NFRA Rules, 2018 and entities referred to QRB by NFRA for carrying out audit quality reviews of such entities.

During the period covered by the Report, QRB completed 27 reviews of audit quality. Out of these 27 completed reviews:

- Number of cases where QRB issued advisories to concerned Audit firms for improvement of the quality of audit services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements in terms of the requirements of clause (c) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949 = 20
- Number of cases forwarded by the QRB to the Disciplinary Directorate for its examination in terms of the requirements of clause (d) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949 = 1
- Number of cases closed = 6

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made under clause (a) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949 and the details of action taken thereon in its Annual Report.

In accordance with the abovesaid provisions, during the period under Report, the Council received NIL references under Section 28B(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members of the Institute.

The following is the details of action taken thereon:-

- Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI – Nil
- Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members / firms – Nil
- Number of references which were decided to be closed – Nil
- Number of references pending for consideration of the Council – Nil

9. OTHER MATTERS

9.1 Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2022

74th Foundation Day was celebrated with great exuberance on 1st July, 2022. The celebrations commenced with the unfurling of ICAI Flag at the ICAI Head office in New Delhi followed by tree plantation in the august presence of Shri Kailash Choudhary, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare. The Hon'ble Minister addressed the CA fraternity through a live webcast and lauded the ICAI Go Green initiative. The CA Day event in the evening was graced by Chief Guest Shri Girish Chandra Murmu, Hon'ble Comptroller and Auditor General of India and Guest of Honour Shri Rajesh Verma, IAS, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Stressing on the synergistic relationship between their respective offices and ICAI, the Honourable Guests lauded the profession for its efforts as being a Partner in Nation Building. Continuing the tradition of nurturing thought leadership on this momentous day, various publications on diverse contemporary topics were released.

9.2 Central Council Library

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under "Central Council Library"-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column "Accountants Browser", an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal "The Chartered Accountant". One may note that The "Accountants Browser" is an index of important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library and can be accessed in house only, to facilitate the search for required material by the Members, Faculties and Research Scholars. Several e-journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council library at Head office and Noida library respectively for the financial year 2022 – 23 are mentioned as under.

CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print)- national & International	26
2.	Online Resources	19
3.	No. of new arrival Books added during the period	232

CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print) - national & International	13
2.	Online Resources	15
3.	No. of new arrival Books added during the period	126

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest & upto date knowledge and information.

9.3 Editorial Board

The Editorial Board is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with a MISSION to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession through the journal `The Chartered Accountant'. The Journal empowers members by enriching their professional knowledge and it is immensely valued amongst the members with circulation at more than 3,60,000 that include e-journal and printed copies. The Chartered Accountant is now one of the top professional journals. It is a representation of the ICAI's intellectual capability and has a strong brand equity of the Institute's reputation for its members, students, and other stakeholders. The Editorial Board strives to fulfil its mandate to inform readers and ICAI members about the most recent advancements in the accounting profession in order to advance professional knowledge and to spread fresh ideas, insights and information about the ICAI and the accounting profession.

The following are the most significant achievements of the Editorial Board during the period 1st April 2022 to 31st March 2023:

(I) INITIATIVES TOWARDS DEVELOPING NATION

The editorial board by disseminating professional knowledge, as well as introducing international trends and developing practices through its monthly journal, 'The Chartered Accountant', has steadfastly worked towards advancing the development of nation by improving competence and capability of its constituents

.

(II) Knowledge Enrichment through Articles:

During the period articles on diverse and contemporary professional topics were published in the ICAI Journal, in addition to other regular features of professional interest. With an intent to keep members abreast of latest professional knowledge, special issues were brought out on Financial Literacy Startups, MSMEs, GST, Sustainability, IBC and other technical subjects.

(III) 'I GO GREEN WITH ICAI' Initiative

Members and other readers of The Chartered Accountant journal were encouraged to opt for different electronic versions of the publication to reduce hard copy as part of a multifaceted sustainability effort. The ICAI Journal's digital edition is becoming increasingly popular. As a result of these efforts, a huge number of members are choosing for e-journals. There is a significant drop in the number of printed copies from 85,878 in April 2022 to 74,596 in March 2023.

(IV) Members/Students Initiatives

The Editorial Board has been proactively working for the knowledge upgradation and professional enrichment of the Members and Students through its monthly journal, *The Chartered Accountant*. Some important initiatives in this regard are as under:

Qualitative coverage in *The Chartered Accountant* Journal:

Blend of themes covered: During the period, 143 articles on the various themes and professional topics were included in the ICAI Journal. In addition, the journal also included other regular features that covered updates about the ICAI and its activities in coordination with various ICAI Committees.

- **July 2022 Issue brought Out as Special Edition:** On the eve of the CA Day, The July 2022 issue, was brought out as Special Edition. The special issue exemplified the essence of celebrations by publishing as many as 11 articles specially authored by widely acclaimed personalities related to accountancy profession. The journal also carried inspiring CA Day messages from ten important dignitaries that included Shri M. Venkaiah Naidu, Hon'ble Vice-President of India; Shri Om Birla, Hon'ble Speaker, Lok Sabha; Shri Amit Shah, Hon'ble Minister of Home Affairs & Cooperations; Shri Narayan Rane, Hon'ble Minister of MSME; Shri Girish Chandra Murmu, Comptroller & Auditor General of India; Shri Rao Inderjit Singh, Hon'ble Minister of State (IC) of Statistics and Programme Implementation; MoS(C) for Planning & MoS for Corporate Affairs; Shri V. Muraleedharan, Hon'ble Minister of State for External Affairs & Minister of State for Parliamentary Affairs; Shri Pankaj Chaudhary, Hon'ble Minister of State for Finance; Prof. S.P. Singh Baghel, Hon'ble Minister of State for Law & Justice; CA. Suresh Prabhu, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha.

  Main attraction of the July 2022 issue were articles from Chief Economic Advisor, Govt. of India, Industry leader and leaders of global accounting bodies including articles from Chair, IESBA, IFAC, Chair, IAASB, IFAC, Chair, IASB, Chair, IPSASB, IFAC, Chair SMP Advisory Group, IFAC, Chair, PAIB Advisory Group. Articles covering perspectives of three Past Presidents were also included in the issue.

- November, 2022, Special Edition: In view of the historic moment for the Institute as host of World Congress of Accountants (WCOA), the November 2022 journal was brought as Special Edition. The edition impressed upon Global Accounting Profession and India's growth story. The special edition had 11 articles from leaders of the industry and accountancy profession sharing the future evolution of the accountancy profession. Further the journal carried 12 inspiring messages from the important dignitaries namely Shri Jagdeep Dhankhar, Hon'ble Vice-President of India; Shri Om Birla, Hon'ble Speaker, Lok Sabha; Shri Bhagat Singh Koshyari, Hon'ble Governor of Maharashtra, Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and Labour and Employment; Shri Pralhad Joshi, Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines; Shri Rajeev Chandrasekhar, Hon'ble Minister of State for Skill Development & Entrepreneurship and Electronics & Information Technology; Dr. Bhagwat Karad, Hon'ble Minister of State for Finance; Shri Eknath Sambhaji Shinde, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra; Shri Girish Chandra Murmu, Comptroller & Auditor General of India; Shrimati Madhabi Puri Buch, Chairperson, Securities and Exchange Board of India; Dr. Ajay Bhushan Pandey, Chairperson, National Financial Reporting Authority

  Legal Update section of the journal: Case reports in the journal were made succinct with the introduction of headnotes. Simultaneously, complete summaries of the case laws were published online on the Committee page on Institute's website.

Many Aspects of Digital Versions of *The Chartered Accountant-* Journal Upgraded for the convenience of Members and Students:

- *Journal in PDF format:* As a valued added alternative to readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format. The archives of digital journal are available

on ICAI website from July, 2002 onwards.

- *Journal on Digital Learning Hub:* The electronic version of Journal, is available online on ICAI website www.icai.org as user-friendly e-magazine, is included in the Digital Learning Hub. This helped in providing knowledge through ICAI Learning Management System, besides supporting the Sustainability Drive of the ICAI. E-journal in form of flip-book is also hosted providing aesthetically attractive content.
- *Journal Highlight Emailers:* The highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are mass-emailed to all the members.
- *Journal on Mobile:* The e-journal is also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. The same can be accessed at http://www.icai.org/ under 'e-journal' tab. The e-journal is also available on ICAI Mobile App.

10. MEMBERS

10.1 Membership

During the year ended 31st March, 2023, 28,181 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 3,78,619 as on 1st April, 2023.

During the year ended 31st March, 2023, 2,559 Associate members were admitted as fellows, in comparison to the figure of 5,826 in the previous year.

Total Members as on 01.04.2023

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	93159	55843	149002
In Part-time Practice	2146	5091	7237
Not in Practice	16817	205563	222380
Total	**112122**	**266497**	**378619**

10.2 Convocation 2022-23

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. During the year 2022-23, ICAI has successfully organized "Convocation 2022" inviting members enrolled from 1st September, 2021 to 30th September, 2022 at 14 places at Mumbai, Pune, Ahmadabad, Aurangabad, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Kanpur, Ghaziabad, Indore, Jaipur, Ludhiana and New Delhi.

10.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy members of the Institute as well as their dependents on meeting the prescribed criteria, for maintenance of their emergent educational and medical needs etc.

During Covid-19 Pandemic times, the Institute has also tried to help eligible members or their dependents who were in distress and released financial assistance for treatment of Corona Disease and also one-time Ex-gratia/ Monthly financial assistance to the dependents of the deceased members.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31st March, 2022	1,39,875
2.	Total Life Members as on 31st March, 2023	1,40,306
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31st March, 2023)	431

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31st March, 2023(Rs.)	During the year ended 31st March, 2022 (Rs.)
1. Total Assistance provided	3,6651,000	11,91,64,000
2. Surplus of the Fund during the year	(1,37,93,000)	(9,00,10,000)
3. Balance of the Fund	(4,85,86,000)	(3,47,93,000)
4. Balance of Corpus	19,32,27,000	20,27,10,000

10.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of life membership of the Fund as on 31st March, 2023 is 10,865. The balance in the credit of the Fund was Rs.79,61,000/- as on 31st March, 2023 as against Rs.76,74,000/- as on 31st March, 2022.

10.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The balance in the credit of the general fund was Rs.18,27,83,000/- as on 31st March, 2023 as against Rs. 16,52,76,000/- as on 31st March, 2022.

STATISTICS MEMBERS AS ON 01/04/2023

FELLOWS :	In Full Time Practice	93159
	In Part-time Practice	2146
	Not in Practice	16817
		112122
ASSOCIATES :	In Full Time Practice	55843
	In Part-time Practice	5091
	Not in Practice	205563
		266497
TOTAL MEMBERSHIP :		**378619**

	FELLOWS				**ASSOCIATES**				
	In Practice				**In Practice**				
Region	**Full Time**	**Part Time**	**Not In Practice**	**Total**	**Full Time**	**Part Time**	**Not In Practice**	**Total**	**Grand Total**
Western	27447	591	4698	**32736**	18599	1778	70666	**91043**	**123779**
Southern	19627	575	3934	**24136**	10146	1171	42838	**54155**	**78291**
Eastern	8281	151	1484	**9916**	3672	360	14824	**18856**	**28772**
Central	19446	340	2532	**22318**	12559	836	38697	**52092**	**74410**
Northern	18358	489	4169	**23016**	10867	946	38538	**50351**	**73367**
TOTAL	**93159**	**2146**	**16817**	**112122**	**55843**	**5091**	**205563**	**266497**	**378619**

11. BOARD OF STUDIES

11.1 BOARD OF STUDIES (ACADEMIC)

Initiatives for the Students

(I) New Scheme of Education and Training

The New Scheme of Education and Training has the following features:-

- Redefined Curriculum with 6 papers each at Inter & Final Level
- 2 Years of Uninterrupted Practical Training
- Experiential Learning with Self-paced Online Modules
- Multi-disciplinary Subjects and Specialisation

- Ethics & Technology in all Core Subjects at Final Level
- Focus on Strategic Decision Making for Providing Business Solutions
- Emphasis on Emerging Technologies Training
- 30% MCQ based examination at Inter and Final Level
- Recognition as Business Accounting Associate (BAA) – An Exit Route
- Country Specific International Curriculum & Training

The Announcement related to the Scheme, the Prospectus, the Transition/Conversion Scheme for existing students to seamlessly transit to the New Scheme and the FAQs on various aspects of the Scheme were webhosted. The Study Materials were also webhosted. A live webcast of the New Scheme of Education and Training was organized through which the ICAI leadership explained the significant features of the New Scheme, the FAQs and the Transition Scheme to the students, members and other stakeholders. They also addressed the queries received from the stakeholders.

Implementation Schedule of New Scheme of Education and Training is presented below:-

Particulars	Date
Approval of CRET recommendations in the Council	February 10, 2022
Proposed Scheme with draft amendments in CA Regulations submitted to MCA	March 25, 2022
Presentations made before MCA	April 8, 2022 and May 7, 2022
In-principle approval received from MCA	May 26, 2022
Interactive Session on proposed scheme with members of Central Council and Board of Studies of ICAI	May 30, 2022
Interactive Session on proposed scheme with Regional Council Members and MCM of Branches of ICAI	May 31, 2022
Notification published in Gazette of India for seeking comments	June 2, 2022
Outreach Programmes and Public Exposure	102 Programmes between June 2 – July 1, 2022
Category-wise Public Comments received through Online Form	24,728
Category-wise Public Comments analysed and place before in the Board Meeting	19th and 20th July, 2022
Recommendations of Board placed in Council Meeting/ Adjourned Meeting	12th to 14th August, 2022/ 28th to 29th August, 2022
Letter sent to MCA with the recommendations of the Council along with modifications in the amendments in the Regulations.	17th September, 2022
Received MCA final approval on	13th June, 2023
Published Gazette Notification w.r.t. New Scheme of Education and Training	21st June, 2023
New Scheme of Education and Training Launched on	1st July, 2023

(II) Constitution of Expert Groups for different subjects to formulate the syllabi under New Scheme of Education and Training.

Expert Groups were constituted for all subjects including Self-Paced Modules, Information Technology and Soft skill courses to formulate the syllabi under Proposed Scheme of Education and Training. The Expert Groups comprised of Central Council Members, Past Presidents, Past Council Members and subject experts. In a short span of time, the BOS (A) had successfully conducted 30 expert group meetings and the recommendations of the Expert Groups were considered and approved by the Board. The Council considered the recommendations of the Board and approved the syllabi.

(III) Development of Study Materials under the New Scheme

The Study Material under the New Scheme of Education and Training at all levels including Self-Paced

Online Modules SET-A & SET-B were developed, reviewed and webhosted at Institute's website after the launch of New Scheme of Education and Training. Value-added features have been built in the Study Materials under the New Scheme, by including more diagrams, flow charts and tables to explain concepts and provisions in a student-friendly manner. Historical background has been incorporated in the papers at the Foundation level to help students gain insight into the events that led to formulation of a legislation or a policy. Subject-specific value additions include stories and scenarios which have been added in select subjects to make the topics more engaging and interesting. Extract of financial statements, accounting policies and notes to accounts have been included to provide a practical insight on IndASs. Another feature is the incorporation of gamification in education through Crossword Puzzles and Rapid-fire Quizzes to make learning tax laws more enjoyable and enriching. These features have been embodied in the Study Materials to enhance and enrich the learning experience of students.

(IV) Multiple-Choice Questions (MCQ) Paper Practice Assessment

Multiple-Choice Questions (MCQ) Paper Practice Assessment Dashboard launched by the President, ICAI and Vice-President, ICAI during meeting of the Council. The objective of the same is that students can attempt these questions to self-analyze their understanding and clarity on each chapter in the subject. The salient features of the Dashboard is as under: -

- It provides a user-friendly platform at BOS Knowledge Portal and ICAI-BOS Mobile app to students at all the levels – Foundation, Intermediate, and Final.
- Paper-wise / Chapter-wise performance can be tracked at all levels.
- Attempt MCQ based as well as Case Scenario based Questions.
- Can select Simple, Medium and Difficult MCQs/Case Scenarios as per their preparation.
- 20 MCQs to be attempted in 20 Minutes. Extra time, if taken, would be reflected in the Performance Report.
- New MCQs/Case Scenarios to be uploaded from time to time will be reflected in the Student's Dashboard.

No. of Questions available for Students at Foundation, Intermediate and Final level for Practice, as on 1st July, 2023, is as under:-

Course	No. of Question
Foundation	1000
Intermediate	1163
Final	742

Level-wise access by the students, as on 1st July, 2023, of Multiple-Choice Questions (MCQ) Paper Practice Assessment statistics are as under: -

Course	No. of Student
Foundation	2208
Intermediate	1993
Final	841

(V) SARANSH – Last Mile Referencer

The BoS (Academic) has come out with a comprehensive Repository viz. SARANSH – Last Mile Referencer wherein the significant concepts dealt with across topics in core subjects of Accounting, Auditing, Cost and Management Accounting, Strategic Cost Management and Performance Evaluation, Financial Management, Strategic Management and Company Law are captured by way of diagrams, flow charts and tables. Out of these seven books, 4 were released during the 73rd Annual Function held on 7th February, 2023 and remaining 3 booklets were launched by the President, ICAI and the Vice-President, ICAI during meeting of the Council. These booklets will help the students in the last minute preparation before the examination.

(VI) Live Learning Classes

The Board of Studies (Academic) is conducting free Live Learning Classes (LLC) targeting ensuing CA examinations for the students of Foundation, Intermediate and Final courses.

Notable Features

- Free Live Classes
- Classes can be accessed live or viewed later as recorded lectures through hand-held devices such as smart phones, laptops, iPads, tablets, etc. anytime anywhere.

- Recorded Lectures with Unlimited Access.
- Sessions taken by Renowned Subject Experts.
- Separate section of Notes/Assignment/MCQs.
- Ask doubt during live classes and faculty will answer the queries.
- Exam oriented focused approach

Batches conducted of Live Learning Classes:

Particulars	May/June, 2022 Examination		November/ December, 2022 Examination		May/June, 2023 Examination	
Launched	**Batch**	**Viewership**	**Batch**	**Viewership**	**Batch**	**Viewership**
Foundation	4th Batch on 8th December, 2021 to 26th March 2022	2,85,680	5th Batch on 7th July to 30thOctober 2022	2,70,339	6th Batch on 21st November 2022 to 3rd March, 2023.	6,39,814
Intermediate	4th Batch on 25th October 2021 to 1st April, 2022	4,38,221	5th Batch on 15th March to 30th September, 2022	3,62,645	6th Batch on 14th October 2022 to 30th March 2023	3,61,156
Final	3rd Batch on 10th May 2021 to 8th October, 2021 (Nov 2021 & May 2022 Examination)	2,56,372	4th Batch on 25th October 2021 to 25th June 2022 (May 2022 & November 2022)	3,08,653	5th Batch on 14th October 2022 to 30th March 2023	2,46,727

(VII) BOS for Your Success – Lectures taken by BOS Faculty

BoS faculty providing specific guidance to the students after conducting the Mock Test Papers with respect to each paper at all levels for making their academic path smooth and easy. The details of these Sessions are as under:-

(a) "BoS for Your Success" sessions for Foundation students appearing in June 2023 examination were also held from 15th May 2023, for the first time, at Foundation level. 12000 plus students joined the sessions.

(b) "BoS for Your Success" sessions were held in March, 2023 for the Intermediate and Final students appearing in May 2023 examination where 15,000 plus students joined the sessions.

(c) "BoS for Your Success" sessions were held in September, 2022 for the Intermediate and Final students appearing in November 2022 examination. Where 12700 Plus students joined the sessions.

(VIII) Revamping of BOS Knowledge Portal

The Board has upgraded the BoS knowledge portal to the new version which was launched on 1st July, 2022. So far 4.29 lakhs plus students have registered in BoS Knowledge Portal. BoS Knowledge Portal is a repository of study content for students. The new BoS knowledge portal will provide a single platform for seamless course and paper wise access of live and recorded lectures, syllabus, announcement, study materials, revision test papers, mock test papers, schedule, important news, students testimonials, student journal, other portals etc.

(IX) ICAI-BOS Mobile App

The Board of Studies (Academic) had initially launched its mobile application "ICAI BOS" on 1st July 2021 which is a one-stop solution to get all learning material with a single click. Further, Board has launched its web version as BoS Knowledge Portal to access through Laptop/Desktop on 1st July 2022. The Salient features of Mobile App and BoS Knowledge Portal are as under: -

- Single sign-on - To access Application authenticated from SSP.
- Announcements – BoS and Exam related announcement
- Push Notification – Realtime important notification.
- Live Learning Classes - whereat students can remove the doubts live through chat box.

- All Education Contents – made available all Study Material, RTPs, Suggested Answers, quick reference, Case Study Digest, etc.
- Download Faculty Notes and Assignment – Students can download faculty notes and assignment for their revision.
- Online MCQ assessment – Through this feature, student can attempt topic-wise MCQ based online test and assess his/her performance. Based on the students' performance the faculty at his/her next class will remove their doubts.
- Recorded Lectures – Student can view recorded lectures of current/Previous Batch as per his/her convenience at any point of time.
- MCQ Paper Practice Assessment - students can attempt these questions to self-analyse their understanding and clarity on each chapter in the subject.
- Other Portals- student can navigate to ICAI's other portals.
- Share App- App's download link can be shared from the App itself.

Mobile App and BoS Knowledge Portal Users:

Particulars	Statistics as on date
Students utilizing the Mobile App + BOS Knowledge Portal	4,19,526
Members downloaded the Mobile App	12,649
Replied Ask Your Query	14,891

(X) Mock Test Papers (MTPs)

The Board of Studies (Academic) organizes Mock Test Papers in the months of March, April, September and October in physical as well as virtual mode, for the students appearing in May/November Examinations. These Mock Tests serve as dress rehearsals exams and enable students to assess their level of preparedness. The Board has recently revamped its Online Mock Test Module for students as well as branches/regions for easy access of Question Papers and Answers. Students of all 3 levels are having their own Dashboard for Mock Test Series on BoS Knowledge Portal as well as ICAI BOS Mobile App where they can access the Schedule of Mock Test Series. Questions Papers and Answers, uploaded within the allotted time period, can be downloaded by the students from the Dashboard. The statistics of Mock Test Papers conducted for May 2022, November, 2022 and May, 2023 examinations are as under:-

For Intermediate and Final Course Students:

Particulars	May, 2022		November, 2022		May, 2023	
Series I & II	March, 22	April, 22	September, 22	October, 22	March, 23	April, 23
Number of branches / Regional Councils organized MTPs	85	89	118	98	131	122

For Foundation Course Students:

Particulars	June, 2022		December, 2022		June, 2023	
Series I & II	May,22	May,22	Nov,22	Nov,22	April,23	May,23
Number of branches / Regional Councils organized MTPs	92	80	97	89	107	110

(XI) e-Books on Digital Learning Hub

The audio-enabled e-Books for all the three levels of CA Course for Old Scheme have been uploaded on ICAI Digital Learning Hub. Students may access the same through their SSP login credentials. Students can highlight, annotate and listen to the chapter as per their convenience. The work towards developing the e-Books for New Scheme of Education and Training has been started and is under process.

(XII) Practical Training Assessment

Due to COVID-19 pandemic, centre-based Practical Training tests could not be conducted, therefore, home-based Practical Training Assessment tests are being conducted from October, 2020 onwards and fourteen such tests have been conducted so far wherein around 1,79,000 students had appeared at both the levels. The purpose is to create seriousness amongst the students for pursuing their Practical Training and also to ensure that the training is imparted in all important areas required for a student to learn. The average grade of both levels of these tests is being awarded to the students in the form of a virtual certificate.

(XIII) Conducted Online Survey for Board of Studies Initiatives

An Online survey was conducted to evaluate the effectiveness of the initiatives Study material, E -books, Live coaching classes, Mobile app, Mock test Paper, Revision test paper, Student Journal etc. being provided to the students by Board of Studies (Academic). Encouraging response has been received from the students. Based on the feedback and suggestions received, BOS(A) is working to improve on the same.

(XIV) Initiatives towards Partner in Nation Building

- **National Education Summit on Commerce and Accountancy (NES-CA)**

The Board of Studies (Academic) has organised 2-Day National Education Summit on Commerce & Accountancy (NES-CA) on 6th & 7th January, 2023 at New Delhi which was inaugurated by Dr. Subhas Sarkar, Hon'ble Minister of State for Education and Dr. Bhagwat Kishanrao Karad, Minister of State for Finance delivered a keynote address. NES-CA aims to standardize Commerce & Accounting education at Higher Secondary and Undergraduate levels of schools/colleges/universities across India. During the Inaugural Session, Dr. Subhas Sarkar, Hon'ble Minister of State for Education released the Model Curriculum titled “ICAI Exemplar: Preparing Future Ready Commerce Graduates”. This Summit was attended by Vice Chancellors, Directors, Deans, Principals, HODs, Chairmen, & Professors from top Commerce universities & colleges and Secretaries of State Education Boards from over 25 States. ICAI has partnered with the Association of Indian Universities (AIU), the National Council of Educational Research and Training (NCERT), and the National Council for Teacher Education (NCTE) for this NES-CA Summit.

- **Memorandum of Understanding (MoU) with Universities/Institutions**

The Board of Studies (Academic) enters into the Memorandum of Understanding (MoU) with Universities/Institutions with the objective to extend Academic co-operation in the degree programme of B.Com, B. Com (Honours), M.Com and Certificate and Diploma courses under the Faculty of Commerce and Management and to stimulate and facilitate the development of collaborative and mutually beneficial programs, which will serve to enhance the intellectual life and cultural development in both organizations. The ICAI agrees to extend its support in framing the Syllabus for the courses in B.Com, B. Com (Honors), M.Com and Certificate and Diploma courses under the Faculty of Commerce and Management to be introduced in the Institution and to impart subject related training to its faculty, if sought by Universities/Institution. 37 Universities/Institutions across the country are in touch with ICAI to finalise these MoUs.

- **Recognitions for CA Course - Pursuing Ph. D Programme**

112 Indian Universities, 7 IIMs and 2 IITs (Madras & Bombay) total 121 institutions in the country have recognized Chartered Accountancy qualification for the specific purpose of registration to Ph.D. programme of respective universities.

Region	Number of Institutions
Western Region	23
Southern Region	33
Northern Region	16
Eastern Region	16
Central Region	33
Total	121 (112 Universities + 2 IIT’s + 7 IIM’s)

- **75% Concession in Registration Course Fee for all levels of CA Courses for the wards of demised members of ICAI.**

The Council of the Institute has extended 75% fee concession on registration fees to the wards of demised members of ICAI w.e.f. 1st April, 2022 for pursuing the CA Course at all levels subject to annual income of family is

Rupees Five Lakh or less than Rupees Five Lakh. All other Fees except the registration fee will have to be paid by the beneficiary student.

- **Renewal of 75% Concession in Registration Course Fee for all levels of CA Courses for the Candidates/ Students from Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh and for 8 North-Eastern States.**

The Council has renewed 75% Concession in Registration Course Fee for all levels of CA Courses for the Candidates/Students residing in Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh and 8 North-East States, namely, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura till 31st March, 2025. The Council has also extended 75% fee concession to the students registering from Andaman and Nicobar Islands from 1st April, 2022 till 31st March, 2025 as well.

(XV) Release of Publications/Study Material

- Silver Jubilee of Student Journal
- Revision Capsules in Students Journal
- Study Material under New Scheme of Education and Training at all levels and other related material
- Revisionary Test Papers for CA Examination
- Suggested Answers for November, 2022 exams

(XVI) Initiatives for the Members

Launch of Mobile App for Members – "ICAI-BOS"

The Board has launched its mobile application "ICAI BOS" with limited feature access for members of ICAI on 1st July 2022 wherein members can access recorded lectures, educational contents, reference for quick revision, important exam and BoS announcement etc. 12,649 Members are using the ICAI BOS Mobile App. Members can download Android and iOS versions of this mobile app from Google and Apple Play Stores.

(XVII) Events

The Board of Studies (Academic) organized the Webcast(s)/Webinar(s) on 'Plan, Prepare & Perform", 'BoS For Your Success", "How to face CA Exam - Plan, Prepare and Perform', guiding Intermediate/Final Students about their mistakes committed in May, 2022 Examination. An Interactive Session was organized with Office Bearers and Managing Committee Members of Regional Councils and its Branches on 6th March, 2023 through zoom meeting with the objective that maximum number of Branches may conduct both series of Mock Test Papers before the main CA examination.

11.2 Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations)

The professional course of Chartered Accountancy is built on a strong edifice of theoretical education blended with hands on practical training. Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) was set up to impart world class training to Chartered Accountancy Students for overall growth of the personality besides academic excellence. SSEB organizes Orientation, Information Technology, Advanced Information Technology and Management & Communication Skills courses to equip CA students with competencies and professional skillsets looked up by business houses in view of the ever-evolving business environment. The Board also conducts various activities apart from conducting the IT and soft skills training such as Conferences, Seminars, National Talent competitions, students' festival, sports activities, etc. for imbibing essential soft skills to enhance the overall confidence of the students. The digitalization of Scholarship process has also been streamlined for the Intermediate and Final Students of ICAI. At present, the students can apply online for the Scholarship grant by login at Self Service Portal (SSP). The students have been facilitated to submit online application.

(I) ICITSS and AICITSS Courses

The Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) consisting of Information Technology (IT) and Orientation Course (OC) and Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS), consisting of Advanced Information Technology (Advanced IT) and Management and Communication Skills (MCS) Course, each of 15 days duration, forms one of the most important component of the Chartered Accountancy course, which every student has to undergo at intermediate and final level of the Chartered Accountancy course respectively. Students trained for the ICITSS & AICITSS courses during the period are as under:

Course	No. of Batches	No. of Students trained
MCS Course	1014	38780
Advanced ITT	1190	37779

Information Technology	2028	66453
Orientation Course	1701	71141
Grand Total	**5933**	**214153**

(II) International Conference for CA Students

The International Conference for CA Students on the theme "FACING THE FUTURE – INNOVATE, INTEGRATE, MOTIVATE" was organized by SSEB (BoS- Operations) and hosted by the Hyderabad Branch of SIRC at Shilpakala Vedika, Hyderabad on 2nd -3rd December, 2022. The International Conference for CA Students provided an excellent platform to chartered accountancy students across the country. Students from Sri Lanka and Nepal have also participated to present Papers in the Conference. Smt. Dr. Tamilisai Soundarajan, Hon'ble Governor of Talengana was invited as Chief Guest and Her Excellency inaugurated the International Conference in the esteemed presence of ICAI Leadership, the then Hon'ble President ICAI, the then Hon'ble Vice President ICAI, among other dignitaries were learned Central Council Members, Regional Council Members and Management Committee Members of Hyderabad Branch of SIRC. While delivering her inaugural address, Her Excellency appreciated the contributions of Chartered Accountants in national building and demands of Indian Chartered Accountants across the globe. Shri Pawan Kalyan, actor, filmmaker and philanthropist was also invited as motivational speaker during the Valedictory Session. Shri Pawan Kalyan also appreciated the Chartered Accountancy profession for its contribution to national building and society at large. Around 2800 chartered accountant students' registered for the Conference across the country.

(III) Practical Training Modules for CA Students

As an initiative to aid and standardize the practical aspects of Practical Training for CA Students undergoing Articleship, a series of live Webinars were organized by Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) on every Sunday from 10.30 AM to 1.00 PM on practical aspects of Accounting, Auditing, Direct Taxes, Indirect Taxes (GST), Company Law wherein relevant topics were dealt by eminent expert. First of such Live Webinar commenced on 8th May, 2022 and during the year 2022-23, 40 such live webinars were organized. Based on feedback received from students at large, these practical training modules are being continued for the year 2023-24. Live webinars were conducted covering modules on CARO Practical Issues & Reporting, Crowded Cafes Empty Libraries and Art of Fast Reading for Academic & Non-Academic purpose in the age of Digital Distraction for CA students. These Webinars were recorded and now also available on ICAI DLH platform.

(IV) Four Weeks Residential Programmes organised at Centre of Excellence Jaipur and Hyderabad

Due to Covid-19 pandemic, the batches of Four Weeks Residential Programme could not be launched during 2020 and 2021. The batch of Four Weeks Residential Programmes for the benefits of CA Students were launched by SSEB with effect from 9th May, 2022 at Centre of Excellence Hyderabad and Jaipur. During the year 2022-23, 7 batches for girl students and 7 for boy students were successfully conducted by the SSEB at CoE, Hyderabad and Jaipur. With a view to attract more students from other locations, efforts were made in searching Institutions having residential facility to conduct Four Weeks Residential Programme. In this regard, a MoU was entered with The Assam Royal Global University, Guwahati for conducting the batches of Four Weeks Residential Programme at their campus at Guwahati and a batch for girl student was conducted from 2nd – 28th January, 2023. During the year a total of 14 batches of Four Weeks of Residential Programmes were successfully conducted by SSEB.

(V) CA Students National Talent Contest, 2022-23

The Institute since its inception has been imparting education to students pursuing Chartered Accountancy courses through distance education mode across the country in a consistent manner that equips them with sound technical knowledge. For grooming CA Students as all-round professionals, it has been felt that special efforts and vision need to be put in to improve their communication and presentation skills and extra-curricular activities for the overall development of their personality. Keeping this objective in mind, various activities under the CA Students National Talent Contests are being conducted by SSEB. During 2022-23, the following activities were conducted under the banner of CA. Students National Talent Contest:

- **Elocution Contest**

The Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) organized CA Students National Talent Search, 2022 – Elocution. This activity was organized first at Branch Level and Winners of Branch level competition participated in Regional Level Elocution Contest at second level organized by five Regional Councils of ICAI. Finally, the Grand Finale of CA Students' National Talent Search, 2022 was conducted by the Board at New Delhi on 8th June, 2022 wherein 20 Winners from five Regional Councils participated. Further, the Winners of Grand Finale of Elocution Contests conducted by Board under the banner of CA Students National Talent Search, 2022 represented ICAI in SAFA Elocution Contest organized SAFA Secretariate held on 13th February, 2023 at Kathmandu, Nepal and the 1st winner of National Level Elocution Contest conducted by SSEB declared Champion at SAFA Elocution Contest.

- **Quiz Contest and Best Presenter (PPT)**

National Level of Quiz Contest and Best Presenter (PPT) Competition were conducted by the SSEB on 8th October, 2022 at Bhopal. Branch level of Quiz Contest & Best Presenter (PPT) was organized by Branches from 1st – 20th September, 2022, the winners of Branch Level then participated at Regional Level organized by all Regional Councils of ICAI from 23rd Sept., 2022 to 2nd October, 2022 and finally the 20 winners of Debate Competition and 15 winners of Best Presenter (PPT) of Regional Level Competition participated in the Grand Finale of CA Students' National Talent - Quiz Competition and Best Presentation (PPT) conducted by the SSEB. Further, 1st winner team of Quiz Contest of National Level conducted by Board represented the ICAI in SAFA Quiz Contest conducted by SAFA Secretariate held at Kathmandu, Nepal on 13th February, 2023.

- **New Activities introduced under the banner of CA Students National Talent Contest**

Based on the active participation and interest shown by CA students in large numbers across Branches and Regional Councils, SSEB considered to introduce new activities under the banner of CA Students National Talent Contest, 2022 such as Essay, Chess, Extempore, Sketching & Poetry Competitions and successfully organized the same.

- **Essay Competition and Drama by Students Teams**

With a view to develop writing skills and conceptual clarity among CA Students, Essay Competition was introduced as a new activity under the banner of CA Students National Contest during the year 2022-23. The Branch Level of Essay Competition and Drama by Students Teams were organized between 18th - 30th Nov., 2022, Regional Level Competitions were organized by five Regional Councils between 9th - 15th December, 2022 and the Grand Finale of Essay Competition and Drama by Students Teams under the banner of CA Students National Talent Contest, 2022 was organized by the Board on 8th January 2023 at Visakhapatnam Branch of SIRC wherein 30 participants of Drama by Students Teams and 15 Winners of Essay Competition represented their respective Regional Council. The Act of Drama played by CA Students Teams at National Level (Grand Finale) was wonderful and appreciated by students' fraternity.

- **CA Students' National Talent, 2022 - Debate and Chess Competitions**

Taking into consideration the overwhelming participation of CA Students and with an objective to develop analytical, problem-solving, creative and strategic thinking skill sets and conceptual clarity by way of sport activities it has decided to introduce Chess Competition as an activity under CA Students National Talent 2022. These two activities, first organized at Branch level from 16th December, 2022 to 25th December, 2022. The winners of Branch Level, then participated at Regional Level organized by five Regional Councils of ICAI from 1st January, 2023 to 7th January, 2023 and finally the winners of Regional Level participated in the Grand Finale of Debate and Chess Competitions conducted under the banner of CA Students National Talent, 2022 by SSEB (Board of Studies-Operations) on 30th January, 2023 at Vadodara Branch of WIRC of ICAI. 20 Winners of Chess Competition and 20 Winners of Debate Competition participated in National Level.

- **CA Students' National Talent, 2022 - Extempore, Sketching and Poetry Competitions**

Extempore, Sketching and Poetry Competitions, three new activities were introduced under the banner of CA Students National Talent during the year 2022-23. The Branch level competitions of these activities were conducted by the Branches from 15th - 23rd January, 2023. The winners of Branch Level, then participated at Regional Level Competition organized by five Regional Councils of ICAI from 29th January, 2023 to 1st February, 2023 and finally the winners of Regional Level participated in the National Level (Grand Finale) CA Students National Contest - Extempore, Sketching and Poetry Competitions conducted by Board on 4th February, 2023 at CoE, Hyderabad.

- **CA Students National Talent Contest, 2023 - Elocution and Pitch Deck Competition**

Considering the successfully conduct of newly introduced activities during 2022-23 i.e. Essay Competition, Chess, Extempore, Sketching and Poetry Competitions, SSEB introduced Pitch Deck Competition as a new activities under the banner of CA Students National Talent Contest during 2023. Elocution and Pitch Deck Competitions were conducted at three level, first at Branch level 16th - 20th June, 2023, then the winners of Branch Level participate in Regional Level from 16th - 20th June, 2023 organized by five Regional Councils and finally the winners of Regional Level participated in National Level (Grand Finale) of CA Students National Talent Contest – Elocution Contest and Pitch Deck Competition conducted by SSEB on 28th June, 2023 at Mumbai.

(VI) Teachers' Day Celebration on 5th September, 2022

The Board conducted Teachers' Day Celebration, a special programme which was organized on pan India level across 93 branches on the theme "Role of Guru in My Life" as a mark of respect to the Teachers in our profession as well as society at large. On this occasion the then President and the then Vice President, ICAI addressed the CA Students at the Teacher's Day Programme organized by Board at held at BKC, Mumbai.

(VII) Students Activities at Branches & Regional Councils

The Student Activity Portal helps the students to register for various students' programmes being organised by Regional Councils and Branches. It helps in the systematic management of student activity at the level of programme organising units and Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations). During the period of the report, 1355 Programmes have been registered on the portal.

(VIII) Online Scholarship Application Process & disbursement of scholarship grant

The students can apply online for the Scholarship grant by login at Self Service Portal (SSP). The students will be facilitated to submit online application with no manual intervention for selection of Scholarship. The automated Scholarship process selected the students under various categories namely Merit, Merit cum Need and Need based for Economically Weaker Students. As of now, total 10303 students have been benefitted from the Scholarship scheme through this automated process and more than Rs.10 Crores has been released to beneficiaries through scholarship instalments on quarterly basis.

(IX) National Conference and CA Student Conference for CA students

In Conference organized by SSEB, CA students can participate as a paper presenter, a volunteer or a participant to sharpen their knowledge on contemporary topics and at the same time listen the words of wisdom of eminent speakers and leader of profession on contemporary topics, opportunity and challenges emerging ahead. Carrying this objective to groom CA Students as future leaders, Students Skill Enrichment Board (Board of Studies-Operations) organized Student Conference all over India which were hosted by the respective Branches and Regional Councils of ICAI. International Conference was successfully organised by the Board which was hosted by Hyderabad Branch of ICAI along with 15 National Conference and 25 Mega Conference.

The National Conference were hosted by CIRC of ICAI, EIRC of ICAI, NIRC of ICAI, SIRC of ICAI, WIRC of ICAI of ICAI, Bhopal Branch, Bangalore Branch, Ahmedabad Branch, Ludhiana Branch, Pune Branch, Aurangabad Branch, Vadodara Branch, Jaipur Branch, Guntur Branch, Gurugram Branch of ICAI.

25 Mega Conference of CA Students organised by the Board were hosted by Guwahati Branch, Mangalore Branch, Faridabad Branch, Nagpur Branch, Ghaziabad Branch, Chandigarh Branch, Vijayawada Branch, Pimpri Chichwad Branch, Vasai Branch, Bhubaneswar Branch, Trichur Branch, Indore Branch, Kozhikode Branch, Tirupur Branch, Surat Branch, Madurai Branch, Coimbatore Branch, Rajkot Branch, Ranchi Branch, Ahmednagar Branch, Bhilai Branch, Ernakulam Branch, Thane Branch, Gautam Budh Nagar Branch and Pondichery Branch jointly with Chengalpattu and Salem Branch of ICAI. The Conferences were attended by around 35000 students at large. National Conferences were conducted at Ernakulam, Indore, Mangalore and Kolkata. Mega Conference of CA Students conducted at Guwahati and Nagpur.

(X) New format of conference introduced under the nomenclature "State Level CA Students Conference"

To promote and provide opportunities to CA Students from smaller branches of ICAI, the SSEB considered and decided to introduce a new format of the conference called "State Level CA Students Conference" to be conducted in the year 2023-24. The SSEB deliberated, finalized the guidelines for conducting the conference under this newly introduced format. Under this newly introduced format, State Level CA Students Conferences were organized at Amravati and Meerut in the month of June, 2023.

12. COMMITTEE ON CAREER COUNSELLING

The Committee on Career Counselling of ICAI is constituted to promote the Commerce Education with special focus on CA course amongst the students of class VIII, Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/Post-Graduate. The prime objective of the committee is to be provide Career guidance to the students studying from class VIII uptill Graduation/Post-graduation.

ACHIEVEMENTS

(I) Asia Book of Records

ICAI enters in Asia Book of Records for Maximum Number of Students Participation in Super Mega Career Counselling Programme. A total of 1,60,648 students from classes IX till Graduation participated in the programme along with the Principals, Teachers and Career Counsellors. The objective of this drive was to reach the nook and corner of the country and provide career guidance and increase awareness about the Institute and Chartered Accountancy Course. The jury of Asia Book of Records felicitated The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi on 18th January, 2023 for this attempt.

(II) Opening of Career Counselling Center in Jorhat, Assam

ICAI has opened his first Career Counselling Center at Jorhat, Assam and entered MOU between Jorhat CPE Chapter, ICAI and Rashtra Bhasha Vidyalaya, Jorhat, Assam. During signing of MOU and inauguration of the Career Center, all the Management Committee Members of EIRC, Convenor & Deputy Convenor of Jorhat CPE Chapter & School Management, Principals, Teachers & Students were also present. The objective of opening of Career Counselling Centers is to create presence of ICAI where there are no branches of ICAI and create awareness about the Course.

(III) Career/ Mega Career Counselling Programmes:

Committee has organized 3488 Career Counselling Programmes PAN India and counselled 869922 students through Regional Councils & Branches of ICAI. The objective of the organizing Career Counselling Programmes is to provide Career guidance to the students with special focus on CA course amongst the students of class VIII, Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/Post- Graduate

(IV) Mentorship Programme conducted by the Regional Councils and Branches of ICAI

The Committee on Career Counselling envisaged to organize Train the Trainers Programmes titled Mentorship Programme for Career Counsellors who are presently the empaneled Counsellors/ are willing to become Career Counsellors of ICAI. The objective of the Mentorship Programme is to standardize uniform delivery of the counselling sessions all across POUs. The Career Counsellors who are presently taking counselling sessions/ are willing to take sessions in Career Counselling are required to be acquainted with the process. The Committee has organized 35 Mentorship Programmes across India.

(V) Career/ Education Fair conducted by the Regional Councils and Branches of ICAI.

The Committee on Career Counselling is constituted to promote Commerce Education with special focus on CA Course amongst the students of class VIII, Secondary, Higher Secondary, Graduate and Post-Graduate by conducting Career Counselling Sessions in Schools and Colleges. In context to the above, the Committee participated in the Education/ Career Fairs i.e TV9 Education Expo, Indi-Global Education Festival (2nd IGEF), Dinamalar-Vazhikaati Career Fair, India International Education & Career Fair, Dainik Bhaskar Education & Career Fair, Education Fair – Rotary Edu-Expo, Sakal Vidya Education Expo, Lokmat Career Fair etc.

(VI) Interactive Meeting with Higher Education Department, Government of Punjab

Committee on Career Counselling of ICAI at Amritsar organised an interactive meeting with Higher Education Department, Government of Punjab, where Director Education, Deputy Director education, Vice Chancellors, Principals & HOD of all govt colleges participated for execution of MOU between ICAI & Higher Education Department of Punjab. The meeting had the following output-

- Summer internship under CA will be introduced for B.Com. students.
- ICAI will help Punjab Govt to design best and latest commerce curriculum for colleges in Punjab and update the study material.
- ICAI will train Teachers and students of colleges in GST & Income Tax and other allied Laws.
- To do career counselling and mentorship programmes in colleges and schools of Punjab to promote commerce education and CA course.

(VII) MOUs signed with Education Department of various State Government

The Committee on Career Counselling of ICAI has signed MOU’s with various State Governments Education Department for promoting Commerce Education and promotion of CA Course amongst Government and Government Aided Secondary and Higher/Senior Secondary School students. The objective of these MoU’s to promote Commerce Education with special focus on CA course and faculty development of the Secondary and Higher Secondary Schools. Following MOUs signed by the Committee in 2022-23.

- Directorate of School Education, Government of Srinagar on 1st April, 2022.
- Directorate of School Education, Government of Jammu on 12th June, 2022.
- School Education Department, Government of Mizoram on 19th August, 2022.

(VIII) ICAI Commerce Quiz

The Quiz was successfully conducted on 19th June, 2022 in which more than 91,000 students registered.The primary objective of the quiz is to gauge the skills, abilities and knowledge of students, to identify their talent and to encourage them towards Commerce Education.

(IX) ICAI Commerce Wizard

Level-I was successfully conducted on 8th January,2023 and Level-II held on 29th January,2023.

(X) Dedicated Toll-Free Number

The Committee has started addressing queries through the dedicated Toll-Free number 1800 202 8371. The purpose of toll-free no. is that students, parents, schools, teachers etc. can call and seek information about Chartered Accountancy Course and any of the queries related to it can be addressed too.

(XI) AI Chatbot

The Committee has started AI Chatbot facility that has been enabled through the committee’s online portal ccg.icai.org which resolves the queries of the students & stakeholders.

(XII) Promotion of CA Course through Newspaper

Committee has promoted CA Course through various Newspapers, Magazine and vernacular Newspaper also. Advertisement published in Times of India Newspaper in all editions.

(XIII) Promotion of CA Course through Hoardings at Bus Shelters

Committee has promoted CA Course through Hoarding at Bus Shelters in 15 different locations in Delhi during 16th June, 2022 to 1st July, 2022.

(XIV) Motivational Videos series titled "Chartered Accountants: Thinkers, Believers, Achievers"

The Committee has recorded the series of Motivational Videos of Chartered Accountants from different walks of life. The motivational videos covers the Chartered Accountants from varied backgrounds such as tribal, backward class, humble family, remote area, specially abled, etc.

(XV) Short Documentary: "Mere Hastakshar" for propagation of Chartered Accountancy Course

To propagate the CA course a short documentary tilted "Mere Hastakshar" has been developed wherein the video shares the story of a child dreaming to have a bright future. How he gets motivated to do Chartered Accountancy Course by overcoming the threats and finally becoming a successful Chartered Accountant. The objective of this documentary is to create more brand awareness, propagation of Chartered Accountancy Course and also as a source of inspiration for the young aspirants studying in schools & Colleges which will help them in deciding about their future career option.

(XVI) Increasing Awareness about Chartered Accountancy Course through the medium of Radio (Story telling by Shri Neelesh Misra's voice)

The propagation of Chartered Accountancy Course has been done through the medium of storytelling in Shri Neelesh Misra's voice. The stories were aired on Big FM in 48 cities, 5 stories, 5 days from 10th October, 2022 on every Monday & Wednesday.

(XVII) 8 Days Radio campaign on Radio Mirchi from 6th- 13th August, 2022

The Committee propagated about ICAI & Chartered Accountancy Course through Radio Mirchi from 6th August, 2022 to 13th August,2022. The campaign was aired covering 23 cities and was transcribed in 10 regional languages aired on the respective regional stations.

13. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES (RBA DIRECTORATE)

REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. The total number of branches of Regional Councils is 168.

Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the Institute has always been encouraging for setting up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 138 Branches of Students' Association have been set up.

Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association

These awards are given by the Institute every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2022, these awards were given at the Annual Function held on 7th February, 2023 to the following winners:-

Category	Prize	Name of Units
Best Regional Council	1st Prize	WIRC & SIRC (Jointly)
	2nd Prize	EIRC
Best Students' Association	1st Prize	WICASA
	2nd Prize	SICASA
Best Branch of Regional Council (Mega Category)	1st Prize	Indore
	2nd Prize	Ahmedabad & Bangalore (Jointly)
Best Branch of Regional Council (Large Category)	1st Prize	Ludhiana
	2nd Prize	Vadodara
Best Branch of Regional Council (Medium Category)	1st Prize	Vijayawada
	2nd Prize	Agra

Best Branch of Regional Council (Small Category)	1st Prize	Salem
	2nd Prize	Tirupur
Best Branch of Regional Council (Micro Category)	1st Prize	Sivakasi
	2nd Prize	Bilaspur
Best Branch of Students' Association (Mega Category)	1st Prize	Ahmedabad & Pune (Jointly)
	2nd Prize	Bangalore
Best Branch of Students' Association (Large Category)	1st Prize	Indore
	2nd Prize	Coimbatore
Best Branch of Students' Association (Medium Category)	1st Prize	Vadodara & Aurangabad (Jointly)
	2nd Prize	Rajkot & Jodhpur (Joint)
Best Branch of Students' Association (Small Category)	1st Prize	Ahmednagar
	2nd Prize	Jalgaon & Siliguri
Best Branch of Students' Association (Micro Category)	1st Prize	Anand
	2nd Prize	Bilaspur

All India Managing Committee Members Annual Meet (AIMM)- 2023

All India Managing Committee Members Annual Meet- 2023 for the Regional Council Members and the Managing Committee Members of Branches was organised on 13th and 14th March 2023 at Mumbai to align them with approach and methodology of ICAI and for achieving the goals and objectives of the Council.

It was a program wherein 10 sessions with 40 Presentations were given covering most of the Committees and Departments including breakout and Interactive sessions by the officers to resolve various issues/queries of participants. More than 1000 leaders from Branches and Regional Councils of ICAI across India participated.

AIMM was an excellent initiative which provided a unique platform for interaction on the issues pertaining to common cause of Profession and also to update the participants about the functioning of various Committees, Departments of ICAI and expectation from the Branches and Regional Councils. Participants actively participated and discussed various issues.

14. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2023 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council duly audited along with auditors' report are enclosed.

15. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the special invitees and non-members who assisted the Council during the year 2022-23 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2022-23.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2022-23 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288

	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1st April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1st April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1st April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1st April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1st April, 2015	Associate	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	Fellow	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	Total	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1st April, 2016	Associate	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	Fellow	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1st April, 2017	Associate	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	Fellow	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	Total	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1st April, 2018	Associate	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	Fellow	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	Total	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1st April 2019	Associate	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	Fellow	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	Total	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1st April 2020	Associate	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	Fellow	28860	21495	9295	19017	20816	99483
	Total	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1st April 2021	Associate	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	Fellow	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	Total	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1st April 2022	Associate	83875	47065	17363	46271	46301	240875
	Fellow	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	Total	115835	70624	27154	67851	68974	350438
1st April 2023	Associate	91043	54155	18856	52092	50351	266497
	Fellow	32736	24136	9916	22318	23016	112122
	Total	123779	78291	28772	74410	73267	378619

MEMBERS

(From 1st April, 1950)

TABLE II

Year (As on)	Associate	Fellow	Total
As on 1st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1st April, 1951	1,285	672	1,957

As on 1st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1st April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307
As on 1st April, 2018	1,90,104	92,089	2,82,193
As on 1st April, 2019	1,92,857	98,841	2,91,698
As on 1st April, 2020	2,07,755	99,483	3,07,238
As on 1st April, 2021	2,23,344	1,03,737	3,27,081
As on 1st April, 2022	2,40,875	1,09,563	3,50,438
As on 1st April, 2023	2,66,497	1,12,122	3,78,619

STUDENTS REGISTERED

(From 31st March, 2010)

During the year	Foundation / CPT		PCC/IPCC & IIPCC/ Intermediate			Final / New Final		ATC	Total
	Foundation	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	Intermediate	Final	New Final		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140		77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392		81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289

2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,859
2022-23	1,25,460	-	-	-	77,652	-	21,944	-	2,25,056

COMPOSITION OF THE COUNCIL

President

CA. Aniket Sunil Talati

Vice-President

CA. Ranjeet Kumar Agarwal

Secretary to the Council

CA. (Dr.) Jai Kumar Batra

Secretary

Members of the Council

Elected Members

Western Region

CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia	Mumbai
CA Chhajed Piyush Sohanrajji	Mumbai
A.1.1 CA. Chitale Chandrashekhar Vasant	Pune
A.1.2 CA. Vishal Doshi	Vadodara
CA. Durgesh Kumar Kabra	Mumbai
CA. Dheeraj Kumar Khandelwal	Mumbai
CA. Purushottamlal Hukamichand Khandelwal	Ahmedabad
CA. Mangesh Pandurang Kinare	Thane
CA. Priti Savla	Mumbai
CA. Umesh Ramnarayan Sharma	Aurangabad
CA. Aniket Sunil Talati	Ahmedabad

Southern Region

CA. Dayaniwas Sharma	Hyderabad
CA. Sridhar Muppala	Hyderabad
CA. Prasanna Kumar D	Visakhapatnam
CA. Rajendra Kumar P.	Chennai
CA. Cotha S Srinivas	Bengaluru
CA. Sripriya Kumar	Chennai

Eastern Region

CA. Ranjeet Kumar Agarwal	Kolkata
CA. Sushil Kumar Goyal	Kolkata
CA. (Dr.) Debashis Mitra	Guwahati

Central Region

CA. Rohit Ruwatia	Jaipur
CA. Abhay Kumar Chhajed	Bhopal
CA. (Dr.) Anuj Goyal	Ghaziabad
CA. Gyan Chandra Misra	Vaishali
CA. Prakash Sharma	Jaipur
CA. Kemisha Soni	Indore

Northern Region

CA. Sanjay Kumar Agarwal	New Delhi

	CA. (Dr.) Raj Chawla	New Delhi
	CA. Hans Raj Chugh	New Delhi
	CA. Pramod Jain	New Delhi
	CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
	CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal	New Dehli
	Government Nominee	
Government Nominee	Shri Sanjay Kumar	New Dehli
	Additional Secretary & Financial Advisor,	
	Ministry of Corporate Affairs	
	Shri Ritvik Ranjanam Pandey	New Delhi
	Joint Secretary	
	Ministry of Finance	
	Shri Manoj Pandey, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	New Delhi
	Shri Deepak Kapoor, Director General (Commercial-II) O/o Comptroller & Auditor General of India	New Delhi
	Shri Rakesh Jain,	Jaipur
	IA & AS, Dy. C&AG (Retired)	
	Dr. P.C. Jain, Retired Principal	New Delhi
	SRCC, Delhi University	
	Adv. Vijay Kumar Jhalani	New Delhi
	Shri Chandra Wadhwa	New Delhi
	CMA, Former President (ICoAI)	

ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
105, FF, South Ex. Plaza – 1, 389,
Masjid Moth, South Extension Part-II,
New Delhi – 110049

S.K. MITTAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Mittal House,
E-29, South Extension Part-II,
New Delhi – 110049

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Council of,

The Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India (“the Institute”), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2023, the Statement of Income and Expenditure, the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as “financial statements”) in which are incorporated the Returns for the year ended on that date audited by the branch auditors of the Institute’s Decentralized offices, Computer Centres, Students Associations, Regional Councils and their Branches.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Chartered Accountants Act, 1949 (as amended upto date) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at 31 March 2023, its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 ("the Act"). This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieve fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

a) There are number of study circles, study chapters authorized by the Institute to operate in India and abroad. The Institute has represented that these study circles/chapters are separate entities and accordingly their financials statements are not required to be consolidated. We have relied on this representation.

b) We did not audit the financial statements/information of the Institute's decentralized offices, computer Centers, students associations, regional councils and their branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs.1,13,799 Lakhs as at 31 March 2023, total revenue of Rs. 15,824 Lakhs for the year ended 31 March 2023 and cash & cash equivalent of Rs.5250 Lakhs as at 31 March 2023 as considered in the financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by branch auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us.

c) The reports on the accounts of the branches of the Institute audited by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

d) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us.

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N
CA Arun Kumar Agarwal
Partner
M. No.: 082899
UDIN : 23082899BGXXIB4862

For S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N
CA S Murthy
Partner
M. No. : 072290
UDIN : 23072290BGYVEP1132

Place: New Delhi

Date: 04.09.2023

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

BALANCE SHEET

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
I	**SOURCES OF FUNDS**			
	i SURPLUS AND EARMARKED FUNDS			
	a. Reserves and surplus	3	1,83,169	1,63,899
	b. Earmarked funds	4	1,25,532	1,16,048
	ii. NON - CURRENT LIABILITIES			
	a. Other long-term liabilities	5	1,166	1,838
	b. Long-term provisions	6	5,786	29,718
	iii. CURRENT LIABILITIES			
	a. Trade payables	7	6,177	6,730
	b. Other current liabilities	8	28,909	24,708
	c. Short-term provisions	6	1,522	1,376
	TOTAL		**3,52,261**	**3,44,317**

II	**APPLICATION OF FUNDS**			
	i. NON - CURRENT ASSETS			
	a. Property, plant and equipment	9	70,427	67,369
	b. Intangible assets	10	235	414
	c. Capital work-in-progress	11	3,597	3,569
	d. Non-current investments	12	1,93,975	1,84,307
	e. Assets held for other funds	13	5,980	5,806
	f. Long-term loans and advances	14	1,696	3,774
	g. Other non-current assets	15	323	5,096
	ii. CURRENT ASSETS			
	a. Current investments	12	5,443	14,432
	b. Assets held for other funds	13	39,110	38,627
	c. Inventories	16	792	801
	d. Cash and cash equivalents	17	11,575	11,042
	e. Short-term loans and advances	14	8,019	4,351
	f. Other current assets	15	11,089	4,729
	TOTAL		**3,52,261**	**3,44,317**

Significant accounting policies and accompanying notes 1 to 28 form part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava	**CA (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA Ranjeet Kumar Agarwal**	**CA Aniket Sunil Talati**
Additional Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates

Chartered Accountants

FRN : 003917N

CA Arun Kumar Agarwal

Membership No. 082899

Partner,

<u>or S K Mittal & Co.</u>

Chartered Accountants

FRN : 001135N

<u>A S.Murthy</u>

Membership No. 072290

Partner,

Place: New Delhi

Dated: 4th September, 2023

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

	Particulars	**Note No.**	**For the year ended March 31, 2023**	**2022**
I	**INCOME**			
	a) Fees	18	72,789	67,642
	b) Seminars	19	7,308	2,319
	c) Other income	20	25,891	18,853
	Total income		**1,05,988**	**88,814**
II	**EXPENSES**			
	a) Seminars and training programmes	21	10,073	2,593
	b) Employee benefit expenses	22	15,668	14,913

	c) Printing and stationery		7,672	5,246
	d) Professional fees paid to examiners and consultants		12,610	10,511
	e) Depreciation and amortisation expense	9-10	3,280	3,648
	f) Other expenses	23	27,980	22,753
	Total expenses		**77,283**	**59,664**
III	**Net surplus (I-II)**		**28,705**	**29,150**
IV	**Appropriation to funds / reserves:**			
	a) Education Fund [Refer Note 2.06 (ii)]		7,621	7,164
	b) Employees Benevolent Fund [Refer Note 2.06 (iii)]		100	94
	c) Earmarked funds and other funds (Net of expenses)		7,478	6,879
	d) Information Technology Training Reserves [Refer Note 2.06 (vii)]		1,410	1,462
	e) Sinking Fund [Refer Note 2.06 (viii)]		1,761	2,075
	f) Infrastructure Reserve (Entrance & Admission fees) [Refer Note 2.06 (iv)]		534	-
	g) Donation received for buildings [Refer Note 2.06 (i)]		101	-
	h) General Reserve		9,700	11,476
	TOTAL		**28,705**	**29,150**

Significant accounting policies and accompanying notes 1 to 28 form part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava	**CA (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA Ranjeet Kumar Agarwal**	**CA Aniket Sunil Talati**
Additional Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N
CA Arun Kumar Agarwal
Membership No. 082899
Partner,

or S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

A S.Murthy
Membership No. 072290
Partner,

Place: New Delhi
Dated: 4th September, 2023

STATEMENT OF CASH FLOWS

(₹ in Lakhs)

	Particulars	For the year ended March 31,	
		2023	**2022**
I	**Cash Flow from operating activities**		
	Net surplus after prior period adjustments	28,705	29,150
	Adjustments for:		
	-Depreciation and amortisation expense	3,280	3,648
	-Provision no longer required written back	(4,342)	(22)
	-Provision for employee retirement benefits	(17,457)	1,862
	-Provision for branch employee scheme	(5,036)	700
	-Provision for doubtful advances	(608)	38
	-Provision for obsolete publication stock	45	294
	-Reconciliation impact transferred to reserves	-	180
	-Donation Receipt for building	(101)	-
	-Interest income	(17,355)	(15,762)

	-Entrance fees from members directly allocated to reserves	-	462
	Operating surplus before Working Capital changes	**(12,869)**	**20,550**
	Changes in working capital:		
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
	-Inventories	9	(370)
	-Long-term loans and advances	1,539	134
	-Short-term loans and advances	(3,105)	(446)
	-Other current assets	(732)	(1,535)
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
	-Other long-term liabilities	(672)	355
	-Long-term provisions	(1,681)	(230)
	-Trade payables	3,789	366
	-Other current liabilities	4,166	8,329
	-Short-term provisions	388	-
		(9,168)	**27,153**
	Income tax (paid) / received (net)	539	(39)
	Cash generated from operating activities (A)	**(8,629)**	**27,114**
II	**Cash Flow from Investing Activities**		
	-Sale / redemption / (purchase) of non-current investments	(9,668)	(45,965)
	-Sale / redemption / (purchase) of current investments	8,989	(3,428)
	-Capital expenditure on Property, Plant and Equipment (including CWIP (net)	(6,293)	(5,729)
	-Proceeds from sale of Property, Plant and Equipment	141	9
	-Increase/ (Decrease) in Assets held for other funds	(657)	392
	-Interest income received	16,500	14,962
	Cash (used in) investing activities (B)	**9,012**	**(39,759)**
III	**Cash Flow from financing Activities**		
	-Donation received for buildings	101	-
	-Contribution received	49	172
	Cash from financing activities (C)	**150**	**172**
	Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	533	(12,473)
	Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	11,042	23,515
	Cash and Cash Equivalents at closing of the year	**11,575**	**11,042**

Significant accounting policies and accompanying notes 1 to 28 form part of the financial statements

Notes: Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks and fixed deposit with maturity of less than three months (Refer Note. 17).

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava	**CA (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA Ranjeet Kumar Agarwal**	**CA Aniket Sunil Talati**
Additional Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

CA Arun Kumar Agarwal
Membership No. 082899
Partner,

or S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

A S.Murthy
Membership No. 072290
Partner,

Place: New Delhi
Dated: 4th September, 2023

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 along with the amendments from time to time for the purpose of regulation and development of the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the taskof managing the affairs of the Institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 2 Centre of Excellence Offices,168 branches and 2 overseas offices in Dubai & Singapore.

2. Significant Accounting Policies

2.01 Basis of Preparation

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, Cash Flow Statement and Notes thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act,1949 along with amendments from time to time. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.The financial statementsare prepared on historical cost convention,going concern and on accrual basis unless other wise stated. The accounting polices adopted in the preparation of the financial statements are consistentwith those followed in the previous year,unless stated otherwise.

2.02 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires theManagement to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

2.03 Inventories

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value afterproviding for obsolescence and other losses, where considered necessary.
Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

2.04 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand.Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.05 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

2.06 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

i) Donations received for buildings are directly credited to the Infrastructure reserve account.

ii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year istransferred to Education Fund.

iii) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) due on accrual basis istransferred to the Employees' Benevolent Fund.

iv) Entrance & Admission Fee:

- 2/3rd portion of the entrance fee from Associate members and Admission Fee from Fellow Members is taken to Infrastructure Reserve Account ;

v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:

a) From Accounting ResearchBuilding Fund	100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund.
b) From Education Fund	50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets

vi) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds.The income is allocated based on opening balances of the respective earmarked funds on weighted average basis.

vii) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee

received during the year is transferred to Other Reserves for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.

viii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Reserve) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.

2.07 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price netof any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.

2.08 Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discountsand rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the futurebenefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

2.09 Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties, non-refundable taxes, if any, and directly attributable costs.

2.10 Depreciation and amortisation

A) Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost.

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided monthly prorata on the written down value method at the following rates as approved by the Council.

	Class of Property, Plant and Equipment	Rate of Depreciation
i)	Buildings	5%
ii)	Lifts, electrical installations and fittings	10%
iii)	Computers	60%
iv)	Furniture and fixtures	10%
v)	Air conditioners and office equipments	15%
vi)	Vehicles	20%

vii) Library books purchased during the year are depreciated at 100%

B) Carrying amount of building on Leasehold land is amortised over the lease term .

C) Intangible assets are amortised on straight line method over three years.

2.11 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

i) Distance education fee received from the students is recognised pro-rata over the duration of the respective courses.

ii) Class room training fee comprises fee received for Management Communication Skills Course ("MCS"), Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP").The income for classroom training and coaching classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.

iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the examinations are conducted.

iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the seminars are conducted.

v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:

a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it

becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.

b) Entrance & Admission Fee:

- Entrance fee from associate members and admission fee from fellow members is recognisedas income at the time of admission.

vi) Student registration fees is recognised when student is admitted for the course.

vii) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in whichservices are rendered.

2.12 Other income

a) Income from sale of publications and other related items are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods.

b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.

c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.

d) Interest Income is recognised on a time apportionment basis.

e) Donations received during the year for buildings are recognised in the year of receipt.

f) Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

g) Contributions received from Members towards Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) is recorded as payable and likewise disbursements made to members towards claims of financial assistance paid on its behalf is recorded as receivable. Accounts with CABF are settled on a regular basis.

h) In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course/Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member is given an option to attend remaining part of the course in subsequent batches.

2.13 <u>Investment</u>

a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with scheduled banks domiciled in India and shares in Not-for-Profit entities.

b) Investments are classified as current and long term investments in accordance with AS 13 Investments. Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A long term investment is an investment other than a current investment. Fixed Deposits of up to three months duration are considered as cash and cash equivalent.

c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against receiptof interest.

d) Investments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked funds.

e) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. Thefair value is determined on an individual basis. The long term investments are usually carried at cost. However,when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. The premium paid at thetime of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments.

2.14 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year-endrates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

2.15 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service wards,pension scheme and post-employment medical benefits.

i) **Short term employee benefits**

The undiscounted amount of short-term employee benefits (i.e. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the eligible employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

a) In case of accumulated compensated absences, when employees render the service thatincrease their entitlement of future compensated absences; and
b) In case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

ii) **Post-employment benefits**

Post-employment benefits are the benefits to eligible employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post-employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBP) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

Defined Benefits Plans

a) **Gratuity**

For defined benefit plans in the form of gratuity, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Incomeand Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present valueof available refunds and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

b) **Provident Fund**

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan and charged asan expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the eligible employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute and settles claim of the employees as and when they arise. Any shortfall arising out of actuarial liability of the PF Trust and any shortfall in return on investment during theyear as per the valuation report is claimed by the trust and is paid by the Institute.

The present value of the defined benefit obligations are ascertained by an independent actuary as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

c) **Pension Scheme**

The Institute offers its eligible employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation. Pension liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

d) **Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse**

The Institute offers employee benefits to its retired employees in the form of medical scheme.

e) **Other Long-term employee benefits- Compensated Absences**

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

2.16 Leases

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as finance leases.

The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.
Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

2.18 Taxes on income

The Institute is registered under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

2.19 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.
Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

NOTE # 3 RESERVES AND SURPLUS

Particulars	General As at March 31,		Education As at March 31,		Infrastructure As at March 31,		Others* As at March 31,		Total As at March 31,	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Balance at the beginning of the year	**96,772**	**85,650**	**51,006**	**46,842**	**7,448**	**6,962**	**8,673**	**6,701**	**1,63,899**	**1,46,155**
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	9,700	11,476	-	-	534	-	1,410	1,462	**11,644**	12,938
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	50	-	-	-	29	-	(79)	-	-	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	4,500	(335)	3,025	4,164	-	-	-	335	**7,525**	4,164
Admission fees and allocated Entrance fees (Refer Note 2.06 (iv)	-	-	-	-	-	462	-	-	-	462
Donation received for buildings	-	-	-	-	101	-	-	-	**101**	-
(Utilization)/Addition	-	(19)	-	-	-	24	-	175	-	180
Balance at the end of	**1,11,022**	**96,772**	**54,031**	**51,006**	**8,112**	**7,448**	**10,004**	**8,673**	**1,83,169**	**1,63,899**

* Others include Library Reserve, Information Technology Training (ITT) Reserve, Foreign Currency Translation Reserve etc.

NOTE # 4 EARMARKED FUNDS

Particulars	As at March 31,	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Employees Benevolent Fund	Sinking Fund for Repair and Replacement of Assets	Other Funds	Total
Balance at the beginning of the year	**2023**	**3,382**	**1,187**	**53,734**	**378**	**11,491**	**1,410**	**32,588**	**11,878**	**1,16,048**
	2022	**3,140**	**1,082**	**47,085**	**341**	**11,043**	**1,236**	**28,335**	**11,566**	**1,03,828**
Appropriation from Statement of Income andExpenditure	2023			7,621			100	1,761		9,482
	2022			7,164			94	2,075		9,333
Transfer from / (to) Reserves and Surplus	2023	-	-	(3,025)	-	-	-	-	(4,500)	(7,525)
	2022	-	-	(4,164)	-	-	-	-	-	(4,164)
Contribution received / Addition during the year	2023	-	-	-	39	8	-	-	2	49
	2022	-	-	-	37	1	-	-	134	172
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	2023	257	91	4,116	21	815	108	2,496	89	7,993
	2022	242	105	3,649	22	825	96	2,178	179	7,296
Utilised during the year	2023	-	-	-	(18)	(492)	(5)	-	-	(515)
	2022	-	-	-	(22)	(378)	(16)	-	(1)	(417)
Balances at the end of the year	**2023**	**3,639**	**1,278**	**62,446**	**420**	**11,822**	**1,613**	**36,845**	**7,469**	**1,25,532**
	2022	**3,382**	**1,187**	**53,734**	**378**	**11,491**	**1,410**	**32,588**	**11,878**	**1,16,048**

Note-

1.Total earmarked funds of ₹.125532/- Lakhs (Previous year ₹ 1,16,048/- Lakhs) are held in Government Securities (Refer Note 12 & 13).

2.Reserve for WCOA ₹ 4,500/- Lakhs has been transferred to General Reserve. (Refer Note 24.11)

(₹ in Lakhs)

NOTE # 5: OTHER LONG-TERM LIABILITIES	**As at March 31,**	
	2023	**2022**
Fees received in advance		
i) Education fees	**1,166**	1,831
ii) Journal subscription	-	7
Total	**1,166**	**1,838**

NOTE # 6: PROVISIONS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Long-term	**Long-term**	**Short-term**	**Short-term**
Provisions for employee benefits :				
a) Post employment benefits				
i) Gratuity	-	497	-	48
ii) Pension	-	16,530	-	667
iii) Provident Fund [Refer Note 2.15(ii)(b)]	-	178	-	-

b)	Provision for leave encashment	**5,786**	5,410	**570**	661
c)	Provision for Branch Employees (Refer Note-24.08)	**-**	5,600	**564**	-
d)	Provision for Pay Revision (Refer Note-24.10)	**-**	1,503	**388**	-
	Total	**5,786**	**29,718**	**1,522**	**1,376**

NOTE # 7: TRADE PAYABLES	As at March 31,	
	2023	**2022**
Trade payables:	**1,125**	1,410
-total outstanding dues of micro, small and medium enterprises (Refer Note 24.15)	**5,052**	5,320
-total outstanding dues of other than micro, smalland medium enterprises		
Total	**6,177**	**6,730**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 8: OTHER CURRENT LIABILITIES	As at March 31,	
	2023	**2022**
A) Fees received in advance		
i) Membership fees	**1,338**	1,352
ii) Education fees	**11,717**	11,984
iii) Examination fees	**7,777**	7,322
iv) Journal subscription	**7**	16
v) Post qualification courses fees	**101**	152
vi) Certificate courses fees	**163**	106
vii) Seminar fees :		
a) Seminar Members	**153**	129
b) Seminar Students	**7**	55
viii) Class room training fees	**833**	779
ix) Coaching class fees	**105**	102
x) Other fees	**90**	126
Sub Total (A)	**22,291**	**22,123**
B) Other liabilities		
i) Payable for Capital Items	**75**	40
ii) Provident fund and professional tax payable	**468**	139
iii) Payable for gratuity and pension [Refer Note 2.15(ii)(a & c)]	**2,316**	-
iv) Withholding taxes	**708**	699
v) GST Payable	**984**	437
vi) Security and earnest money deposit	**711**	567
vii) Retention money payable	**272**	131

viii) Others	**1,084**	572
Sub Total (B)	**6,618**	**2,585**
Total (A+B)	**28,909**	**24,708**

NOTE # 9:Property, Plant and Equipment **(₹ in Lakhs**

Particulars	Gross Block					Depreciation Block				Net book value at endof the year
	As at March 31,	Cost at the beginning of the year	Additions during the year	Transfers/ Deletions during the year	Cost at the end of the year	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Charged for the year	Transfers/ Deletions during the year	Accumulated depreciation at the end of the year	
Freehold land	2023	19,602	1,658	(64)	**21,196**	-	-	-	-	**21,196**
	2022	18,671	931	-	**19,602**	-	-	-	-	**19,602**
Leasehold land	2023	12,846	765	-	**13,611**	1,426	182	-	**1,608**	**12,003**
	2022	10,352	2,494	-	**12,846**	1,063	363	-	**1,426**	**11,420**
Buildings	2023	44,019	2,098	-	**46,117**	14,021	1,677	-	**15,698**	**30,419**
	2022	40,897	3,122	-	**44,019**	12,198	1,823	-	**14,021**	**29,998**
Lifts, electrical installations & fittings	2023	2,696	124	(8)	**2,812**	1,597	118	-	**1,715**	**1,097**
	2022	2,416	292	(12)	**2,696**	1,487	114	(4)	**1,597**	**1,099**
Computers	2023	7,509	636	(36)	**8,109**	7,054	413	(35)	**7,432**	**677**
	2022	7,458	88	(37)	**7,509**	6,603	512	(61)	**7,054**	**455**
Furniture and fixtures	2023	5,878	251	(22)	**6,107**	3,163	278	(6)	**3,435**	**2,672**
	2022	5,360	538	(20)	**5,878**	2,900	274	(11)	**3,163**	**2,715**
Air conditioners & office equipments	2023	6,433	628	(73)	**6,988**	4,381	352	(27)	**4,706**	**2,282**
	2022	6,092	371	(30)	**6,433**	4,063	329	(11)	**4,381**	**2,052**
Vehicles	2023	153	78	(42)	**189**	125	19	(36)	**108**	**81**
	2022	138	15	-	**153**	121	4	-	**125**	**28**
Library books	2023	1,101	24	(3)	**1,122**	1,101	24	(3)	**1,122**	-
	2022	1,089	14	(2)	**1,101**	1,089	14	(2)	**1,101**	-
Total	**2023**	**1,00,237**	**6,262**	**(248)**	**1,06,251**	**32,868**	**3,063**	**(107)**	**35,824**	**70,427**
	2022	**92,473**	**7,865**	**(101)**	**1,00,237**	**29,524**	**3,433**	**(89)**	**32,868**	**67,369**

Note - A) Leasehold land includes ₹ 6.17 lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi. Office is following up the Authority for execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed for the said land.

Note - B) DMRC has informed that the Land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, has been acquired from HUDA and compensation has been adjusted through HUDA. Pending realization/adjustment with HUDA, the impact would be accounted for in the year of finality.

Provision for additional demand of Rs 434 lakhs claimed by HUDA has been provided for in the books of accounts.

Note - C) Land at Solapur branch for 63.55 lakhs not in possession of the Institute has been provided for in the books of accounts.

Note - D) Depreciation for the year interalia includes of ₹ 148 lakhs related to depreciation/amortization on buildings/leasehold land of earlier years.

₹ in Lakhs)

NOTE # 10: INTANGIBLE ASSETS	**As at March 31,**	
	2023	**2022**
Cost at the beginning of the year	**1,400**	836
Additions	**38**	583
Transfers/Deletions	**(2)**	(19)
Cost at the end of the year	**1,436**	**1,400**
Amortisation at the beginning of the year	**986**	793
Charge for the year	**217**	215
Transfers/Deletions	**(2)**	(22)
Amortisation at the end of the year	**1,201**	**986**
Net book value at the end of the year	**235**	**414**
Net book value at the beginning of the year	**414**	**43**

NOTE # 11: CAPITAL WORK IN PROGRESS	**As at March 31,**	
	2023	**2022**
Opening balance	**3,569**	6,292
Add: Addition during the year	**5,865**	1,219
Less: Amount capitalised/adjusted during the year	**(5,836)**	(3,942)
Closing balance	**3,597**	**3,569**

₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
A. Central Government Securities				
Quoted Securities				
)% Government Of India 2035 (1)	**529**	532	-	-
)% Government Of India 2035 (2)	**537**	540	-	-
3 8.83% GOVT.STOCK 2041	**1,234**	1,247	-	-
4 9.23% GOI 23/12/2043 (1)	**1,248**	1,260	-	-
5 9.23% GOI 23/12/2043 (2)	**1,248**	1,260	-	-
6 9.23% GOI 23/12/2043 (3)	**6,312**	6,375	-	-
7 9.23% GOI 23/12/2043 (4)	**2,510**	2,535	-	-
8 8.17% GOVT STOCK 2044	**5,725**	5,758	-	-
9 7.16% GOI 2050	**1,076**	1,079	-	-
10 8.24% GOVT STOCK 10-11-2033	**5,687**	5,752	-	-
11 8.30% GS 2042 (1)	**4,058**	4,086	-	-
12 8.30% GS 2042 (2)	**1,739**	1,751	-	-
13 8.30%GOI-2040	**5,172**	5,211	-	-
14 7.69% GOI 17/06/2043	**3,322**	3,338	-	-
15 7.26% GSEC 14 JAN 2029	**7,810**	7,864	-	-
16 7.57% GS 2033	**5,428**	5,470	-	-
17 8.33% GOI 2036 (1)	**1,164**	1,177	-	-
18 8.33% GOI 2036 (2)	**2,213**	2,236	-	-
19 8.24% GOI 2033	**569**	576	-	-

20 7.73% GOI 2034	**555**	559	-	-
21 7.69% GOI 2043	**2,733**	2,745	-	-
22 8.17% GOI 2044	**2,876**	2,893	-	-
23 8.30% GOI 2042	**2,309**	2,324	-	-
24 8.33% GOI 2036 (3)	**2,826**	2,851	-	-
25 8.30% GOI 2042 (1)	**1,152**	1,160	-	-
26 8.30% GOI 2042 (2)	**577**	581	-	-
27 8.83% GOI 2041 (1)	**1,203**	1,214	-	-
28 8.83% GOI 2041 (2)	**1,804**	1,820	-	-
29 6.67% GOI 2050 (1)	**2,469**	2,468	-	-
30 6.67% GOI 2050 (2)	**2,878**	2,874	-	-
31 6.67% GOI 2050 (3)	**1,890**	1,886	-	-
32 6.67% GOI 2050 (4)	**968**	967	-	-
33 6.67% GOI 2050 (5)	**7,151**	7,138	-	-
34 6.67% GOI 2050 (6)	**2,889**	2,885	-	-
35 6.67% GOI 2050 (7)	**4,649**	4,636	-	-
36 6.67% GOI 2050 (8)	**1,394**	1,391	-	-
37 6.67% GOI 2050 (9)	**4,648**	4,635	-	-
38 6.76% GOI 2061	**973**	972	-	-
39 7.72% GOI 2049	**5,449**	5,466	-	-
40 6.99% GOI 2051	**2,330**	-	-	-
41 7.54% GOI 2036 1	**2,042**	-	-	-
42 7.54% GOI 2036 2	**1,531**	-	-	-
Sub-Total-1	**1,14,877**	**1,09,512**	-	-

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
Unquoted Securities				
1 8.00% Government of India TaxableBonds-cumulative	**11,200**	11,200	-	-
2 8% Saving (Taxable) Bond 2003-noncumulative	**44,000**	44,000	-	-
Sub-Total-2	**55,200**	**55,200**	-	-
Book Value (A) (1+2)	**1,70,077**	**1,64,712**	-	-
Market Value				
Quoted	**1,09,537**	1,05,782	-	-
Unquoted(Book value)	**55,200**	55,200	-	-
	1,64,737	**1,60,982**	-	-

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
B. State Government Securities				
Quoted Securities :				
1 8.44% Uttar Pradesh Uday 2023	-	-	-	1,001
2 8.45% Karnataka SDL 2024	**3,017**	3,027	-	-
3 8.45% Karnataka SDL 2024	**2,011**	2,018	-	-
4 8.45% Punjab SDL 2023	-	-	-	2,514
5 8.62% Maharashtra SDL 2023	-	-	-	503

6 7.93% Chattisgarh SDL 2024	**-**	1,508	**1,504**	-
7 8.18% Haryana SDL UDAY 2024	**45**	45	**-**	-
8 8.25% Uttar Pradesh UDAY BOND 2023	**-**	502	**500**	-
9 8.27% Rajasthan SDL SPL 2023	**-**	193	**192**	-
10 8.37% Odisha SDL 2022	**-**	-	**-**	1,000
11 8.45% Gujarat SDL 2023	**-**	2,526	**2,508**	-
12 8.86% Punjab SDL 2022	**-**	-	**-**	1,002
13 8.90% Andhra Pradesh SDL 2022	**-**	-	**-**	2,503
14 8.92% Himachal Pradesh SDL 2022	**-**	-	**-**	1,002
15 8.95% Assam SDL 2022	**-**	-	**-**	1,503
Sub-Total-1	**5,073**	**9,819**	**4,704**	**11,028**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	As at March 31,		As at March 31,	
	2023	2022	2023	2022
	Non-current	Non-current	Current	Current
16 8.97% Bihar SDL 2022	**-**	-	**-**	502
17 9.01% Karnataka SDL 2024	**507**	512	**-**	-
18 9.01% West Bengal SDL 2022	**-**	-	**-**	501
19 9.13% Gujarat SDL 9/5/2022	**-**	-	**-**	2,401
20 8.51% UP UDAY 2023	**-**	743	**739**	-
21 6.61% MP SDL 2037	**495**	495	**-**	-
22 6.68% Haryana SDLs	**2,444**	2,441	**-**	-
23 7.88% AP SDL 2031	**1,069**	1,077	**-**	-
24 6.80% JK SDL 2035	**502**	502	**-**	-
25 6.99% WB SDL 2036	**507**	508	**-**	-
26 7.08% AP SDL 2035	**1,008**	1,008	**-**	-
27 7.43% HR 09/03/2041	**505**	505	**-**	-
28 6.96% TN SDL 2056	**976**	975	**-**	-
29 7.86% Assam SDL 2032 2	**2,080**	-	**-**	-
30 7.94% Haryana SDL 2034 2	**1,952**	-	**-**	-
31 7.50% Himachal Pradesh SDL 2036 1	**2,007**	-	**-**	-
32 7.50% Himachal Pradesh SDL 2036 2	**1,003**	-	**-**	-
33 7.85% Madhya Pradesh SDL 2032 3	**2,560**	-	**-**	-
Sub-Total-2	**17,615**	**8,766**	**739**	**3,404**
Book Value (B) (1+2)				
	22,688	**18,585**	**5,443**	**14,432**
Market Value	**22,206**	**18,743**	**5,450**	**14,716**

Refer Note No-24.05

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	As at March 31,		As at March 31,	
	2023	2022	2023	2022
	Non-current	Non-current	Current	Current
C. Investment in equity instrumentsof subsidiaries - (fully paid up)				
i. Institute of Insolvency Professionals of ICAI 10,00,000 ordinary shares of Rs. 100 each	**1,000**	1,000	-	-
ii. Investment ICAI Registered Valuers Organisation 10,000 ordinary shares of Rs. 100 each	**10**	10	-	-

iii. Investment in Institute of Social Auditors of India 1,99,990 ordinary shares of Rs 100 each	200	-	-	-
Book Value (C)	**1,210**	**1,010**	**-**	**-**
Total (A+B+C)	**1,93,975**	**1,84,307**	**5,443**	**14,432**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 13: Assets held for other funds	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
Fixed deposits with banks	**5,980**	5,806	**39,110**	38,627
Total	**5,980**	**5,806**	**39,110**	**38,627**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 14: LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good)	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
a) Security deposits	**88**	71	**392**	385
b) Tax deducted at source	**-**	2,028	**1,489**	-
c) Input Tax Credit	**-**	-	**3,093**	1,951
d) GST on advances received from members	**-**	-	**341**	277
e) Other loans and advances				
i) Loans and advances to employees	**1,608**	1,431	**-**	-
ii) Other receivables	**-**	244	**3,385**	1,811
Less: Provision for doubtful receivables	**-**	-	**(681)**	(73)
Total	**1,696**	**3,774**	**8,019**	**4,351**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 15: OTHER ASSETS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
a) Interest accrued				
i) on fixed deposits with banks	-	-	**691**	574
ii) on investments	-	4,821	**9,557**	3,370
iii) on loans to employees	**309**	260	-	-
b) Prepaid expenses	**14**	15	**841**	785
Total	**323**	**5,096**	**11,089**	**4,729**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 16: INVENTORIES (At lower of cost and net realisable value)	As at March 31,	
	2023	2022
a) Publications and study materials	**995**	1,045
Less: Provision for obsolete publication stock	**(249)**	(294)
b) Stationery and stores	**46**	50
Total	**792**	**801**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 17: CASH AND CASH EQUIVALENTS	As at March 31,	
	2023	2022
a) Cash on hand	**21**	22
b) Balances with banks in savings and current accounts	**8,554**	7,020
c) Fixed deposits with maturity of less than three months	**3,000**	4,000
Total	**11,575**	**11,042**

NOTE # 18: FEES	For the year ended March 31,	
	2023	2022
a) Distance education	**30,483**	28,655
b) Students registration	**818**	765
Less:- contribution to CASBF Refer Note 2.12 (f)	**-**	(189)
c) Class room training	**10,423**	8,567
d) Coaching	**822**	590
e) Examination	**16,171**	15,942
f) Membership	**13,952**	13,267
Less:-Discount on E Journal	**(1,651)**	(1,397)
g) Entrance & Admission Fees : Refer Note No. 2.11 (v) (b)	**743**	164
h) Post qualification courses	**291**	458
i) Certificate courses	**737**	820
Total	**72,789**	**67,642**

NOTE # 19: SEMINAR INCOME	For the year ended March 31,	
	2023	2022
a) Members	**5,355**	1,534
b) Students	**503**	212
c) Others	**1,450**	573
Total	**7,308**	**2,319**

NOTE # 20: OTHER INCOME	For the year ended March 31,	
	2023	2022
a) Interest income		
i) on bank deposit held in other funds	**2,332**	2,085
ii) from investments	**6,942**	6,308
iii) from investments held in earmarked funds	**7,993**	7,296
iv) on loans to employees	**88**	73
b) Sale of publications	**914**	1,055

c)	News letters	**22**	112
d)	Journal subscription	**35**	36
e)	Campus interview	**1,466**	1,359
f)	Expert advisory fee	**58**	61
g)	Provision no longer required written back	**4,342**	22
h)	Miscellaneous income	**1,534**	355
i)	Income support services	**20,303**	6,149
	Less:- Expense support services	**(20,303)**	(6,149)
j)	Prior period income	**165**	91
	Total	**25,891**	**18,853**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 21: SEMINARS AND TRAINING PROGRAMMES	For the year ended March 31,	
	2023	2022
a) Members	**8,000**	1,969
b) Students	**1,971**	535
c) Students activity expenses	**102**	89
Total	**10,073**	**2,593**

NOTE # 22: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES	For the year ended March 31,	
	2023	2022
a) Salary, pension and other allowances	**14,046**	13,885
b) Contribution to provident and other funds	**1,441**	885
c) Staff welfare expenses	**181**	143
Total	**15,668**	**14,913**

NOTE # 23: OTHER EXPENSES	For the year ended March 31,	
	2023	2022
a) Postage and telephone	**3,060**	2,962
b) Rent, rates and taxes	**7,064**	7,078
c) Domestic travelling	**1,952**	854
d) Overseas expenses:		
i) Overseas travelling	**203**	26
ii) Membership fees for foreign professional bodies	**775**	691
iii) Others	**168**	70
e) Repairs and maintenance	**4,210**	3,144
f) Class room training expenses	**4,227**	2,649
g) Coaching class expenses	**64**	81
h) Advertisement and publicity	**635**	265
i) Meeting expenses	**688**	156
j) Merit scholarship	**196**	128
k) Audit fees : Head office	**16**	15
: Other offices	**78**	60
l) Payments from earmarked funds	**515**	417
m) GST on expenses	**1,196**	1,299
n) Provision for doubtful advances	**634**	38
o) Provision for obsolete publication stock	**249**	294
p) Prior period expenses	**78**	373
q) Election expenses	**183**	1,017

r) Expenses of other entities	**215**	193
s) Contribution to CASBF Refer Note 2.12 (f)	**201**	-
t) Bank Commission	**272**	221
u) Miscellaneous expenses	**1,101**	722
Total	**27,980**	**22,753**

Disclosure under Accounting Standards

24 Additional Notes to the Financial Statements

24.01 Contingent liabilities and commitments

(₹ in Lakhs)

a. Contingent liabilities	**2022-23**	**2021-22**
i) Claims against the Institute not acknowledged asdebts	**987**	**2084**

ii) In financial year 2018-19,The Institute received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax and filed writ petition No. 3957/2019 in High Court of Delhi in April 2019. Additional Director General, DGCEI, Kochi filed a Counter affidavit against the aforesaid writ petition in October 2019 against which the Institute filed a rejoinder affidavit in December 2019. Due to Covid-19 pandemic, the matter being adjourned from time to time was heard in July 2022 wherein Hon'ble High Court gave directions that the respondent should file the Counter Affidavit within four weeks and rejoinder affidavit thereafter.The next hearing is scheduled on 1st November, 2023.

b. Capital Commitments	**2022-23**	**2021-22**
Capital Commitments (Net of advances)	**8506**	**7560**

24.02 Other Receivables in Note 14 # under long term loans and advances include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur.

Vide judgment dated 03.07.2023, the Chief Controlling Revenue Authority, Pune has ordered full refund of Rs.46.75 lakhs in Appeal No. 39/2014 towards refund of stamp duty on the supplementary sale agreement dated 03.08.2012 registered on 17.09.2012.
Further, vide another judgment of the same dated 03.07.2023 in Appeal No. 38/2014 the Chief Controlling Revenue Authority has granted refund of stamp duty amount of Rs.152.66 lakhs. However, the claim of Rs. 44.34 lakhs was declined due to non-entitlement against assignment of lease hold rights in land. Therefore, an amount of Rs. 199.41 lakhs has been ordered to be refunded.
Based on the opinion of the legal department, the management is of the view that the Institute has a fairly good chance to recover the balance amount of Rs 44.34 lakhs. Accordingly it has been decided to file a Writ Petition in the Bombay High Court to claim the inadmissible amount of Rs.44.34 lakhs together with interest thereon

24.03 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider (vendor) supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of ₹ 3,981 lakhs. A sum of ₹ 867 lakhs was incurred up to March 31, 2015.

Since the service provider did not carry out the development of digitization as per the requirement even after extended periods, the Institute cancelled the contract and encashed the bank guarantee of ₹ 295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of ₹ 572 lakhs was written off in the year ended March 31, 2015.

The vendor submitted a proposal requiring the Institute to pay ₹ 807 lakhs including the amount encashed Bank Guarantee which has been rejected by the Institute and the agreement with service providers in February, 2017. No communication has been received from the vendors after contract was terminated.

During 2018-19, Institute had sent a legal notice dated 31.10.2018 to the vendor requiring itto pay an amount of ₹ 2,140.79 lakhs along with applicable interest towards loss incurred on account of non execution of the project. The vendor in its response dated 20.03.2019 has contested that claim of Institute is time barred. The opinion from the legal advisor is considered.

There is no case for ICAI to proceed any further as the claims and counter claims of both the parties are time barred by law of limitation. Accordingly a provision of Rs 40.50 lakhs, which is no longer required, is written back in the books of accounts.

24.04 A detailed review of the various reserve funds and earmarked funds created in the earlier years and related earmarked investments is under progress to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

24.05 The quoted investments in Government securities have been made for the long term. The market price of these bonds fluctuate on a day to day basis, since the intention of the Institute is to hold these securities for long term, any temporary decline in the value of these securities against the cost is not provided for as the management is confident that in the long run the market price of these securities will be more than its cost.

24.06 In the case of inter unit accounts relating to assets and liabilities, the unreconciled differences aggregate to ₹ 437 Lakhs in debit and ₹ 396 Lakhs in credit. The net differenceof ₹ 41 Lakhs has been included under 'Provision for Inter Branch' in Other Liabilities.

24.07 The study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

24.08 The Branch Human Resources Scheme (BHRS) 2022 was formulated and made effective from 01st January 2023. The total amount of compensation in lieu of terminal benefits approved towards eligible branch employees has been arrived at Rs 2317 lakhs from which settlements are progresseively being made with a balance of Rs 564 lakhs as on 31.03.23.

Accordingly balance amount of Provision of Rs 3283 lakhs, which is no longer required, hasbeen written back into the books of accounts.

As per the decision in the BHRS 2022, the updated amount of PF Contribution with interest of Rs 139.56 lakhs has been utilized to pay the aforesaid compensation to the eligible branch employees.

24.09 Ineligible input tax credit, input credit attributable to exempted supplies has been chargedoff to the Income and Expenditure Account under 'GST on expenses'.

24.10 Leave encashment dues were settled during the year. The computation of gratuity for Rs 388 lakhs has also been worked out for settlement and the balance provision of Rs 743 lakhs,which is no longer required, has been written back in the books of accounts.

24.11 As per the estimates made in FY 2018-19, out of surplus from 2018-19 till 2020-21, ₹ 4,500 lakhs (₹1,500 Lakhs each year) was appropriated to meet the financial requirements for organising the World Congress of Accountants which was succesfully conducted in November 2022.The expenditure for the same has been met made out of participation fees and sponsorship, hence, ₹ 4,500 lakhs appropriated earlier has now been transferred to General Reserve.

24.12 Lease period of land for certain units have expired, for which steps are being taken to renew the same. Renewal Lease Premium shall become due once confirmation is received from the relevant authorities.

24.13 The Institute is registered under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

24.14 During the year, the Institute has changed the method of appropriation for 2/3rd of Entrance fees from Associate members and Admission Fees from Fellow Members by routing it through Income and Expenditure Account. This has resulted in increase of income by Rs 534 lakhs and consequential appropriation of same amount below the line as compared to previous year vide Note No. 2.06 (iv).

24.15 As part of the process regarding compliance with Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006.initiated earlier, the Institute has received information from certain vendors at head office stating their status as vendors registered with notified authority under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006.

The disclosure required under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 is givenas under :

(₹ in Lakhs)

S No	Particulars	2022-23	2021-22
1	**Principal amount due** to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	1,125	1,410
2	**Interest due** to suppliers registered under the MSMED Act andremaining unpaid as at year end	0.84	0.40
	Principal amounts paid to suppliers registered under the MSMEDAct, beyond the		

3	appointed day during the year	407	213
4	**Interest paid,** other than under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed dayduring the year	Nil	Nil
5	**Interest paid,** under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day duringthe year	Nil	Nil
6	**Interest due and payable** towards suppliers registered under MSMED Act, for payments already made	0.84	0.40
7	**Further interest remaining due and payable for earlier years**	Nil	Nil

With regard to the vendors at branches and other locations, steps have already been initiated for the identification etc of vendors and the same will be complied with once the process is complete.

Disclosure under Accounting Standards

25 Employee Benefits

Defined Benefit plans

The Institute has recognised an amount of ₹ 913 lakhs for the year ended March 31, 2023(Previous year ₹ 740 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employeesGratuity : Funded

Post retirement Pension : Funded

Compensated Absence: Non-Funded

25.01 **Details of the Gratuity Plan are as follows**

(₹ in Lakhs)

	Description	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	**4,250**	**4,480**	4,003	3,905
	b. Current service cost	**464**	**449**	429	279
	c. Interest cost	**292**	**284**	257	272
	d. Actuarial (gain)/loss	**(270)**	**(422)**	180	208
	e. Benefits paid	**(390)**	**(541)**	(389)	(661)
	f. Obligation as at end of the year	**4,346**	**4,250**	4,480	4,003
2.	**Change in fair value of plan assets**				
	a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	**3,705**	**3,694**	4,171	3,513
	b. Expected return on plan assets	**266**	**256**	268	303
	c. Actuarial gain/(loss)	**3**	**13**	6	(57)
	d. Contributions made by the Institute	**224**	**141**	49	961
	e. Benefits paid	**(421)**	**(399)**	(800)	(549)
	f. Fair value of plan assets as at end of the year	**3,777**	**3,705**	3,694	4,171
3.	**Reconciliation of fair value of plan** assets and obligations				
	a. Present value of obligation	**4,346**	**4,250**	4,480	4,003
	b. Fair value of plan assets	**3,777**	**3,705**	3,694	4,171
	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	**(569)**	**(545)**	(786)	168

Details of the Gratuity Plan (Contd…)

	Description	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
4.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Current service cost	**464**	**449**	429	279
	b. Interest cost	**292**	**284**	257	272
	c. Expected return on plan assets	**(266)**	**(256)**	(268)	(303)
	d. Actuarial (gain)/loss	**(273)**	**(435)**	174	265
	e. Expenses recognised during the year	**217**	**42**	592	513
5.	**Investment details**				
		% invested	**% invested**	**% invested**	**% invested**
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	**100**	**100**	100	100
6.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	**7.36%**	**7.20%**	6.75%	6.75%
	b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	**7.37%**	**7.16%**	7.07%	7.80%
	c. Rate of escalation in salary	**Basic / DA :10%**	**Basic / DA : 10%**	Basic / DA : 10%	Basic 3%: DA 6%
	d. Attrition rate	**2%**	**2%**	2%	2%
	e. Mortality table	**IAL 2012-14 Ultimate**	**IAL 2012-14 Ultimate**	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

25.02 **Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd…)**

	Description	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	**17,196**	**15,529**	14,840	12,363
	b. Interest cost	**1,221**	**1,027**	980	920
	c. Actuarial (gain)/loss	**(450)**	**1,304**	351	2,085
	d. Benefits paid	**(731)**	**(664)**	(642)	(528)
	e. Obligation as at end of the year	**17,236**	**17,196**	15,529	14,840
2.	**Change in fair value of plan assets**				
	a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	-	-	-	-
	b. Expected return on plan assets	**73**	-	-	-
	c. Actuarial gain/(loss)	-	-	-	-
	d. Contributions made by the Institute	**15,600**	-	-	-
	e. Benefits paid	**(184)**	-	-	-
	f. Fair value of plan assets as at end of the year	**15,489**	-	-	-

Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd..)

(₹ in Lakhs)

	Description	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
3.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	**17,236**	**17,196**	15,529	14,840
	b. Fair value of plan assets	**15,489**	**-**	-	-
	c. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	**(1,747)**	**(17,196)**	(15,529)	(14,840)
4.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Interest cost	**1,221**	**1,027**	980	920
	b. Expected return on plan assets	**(73)**	**-**	-	-
	c. Actuarial (gain)/loss	**(450)**	**1,304**	351	2,085
	d. Expenses recognised during the year	**698**	**2,331**	1,331	3,005
5.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	**7.41%**	**7.25%**	6.75%	7.60%
	b. Mortality table	**LIC 2012-14 Ultimate**	**LIC 2012-14 Ultimate**	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

25.03 **Employee Benefits (Contd..)**

Details of Leave Encashment

	Description	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	**6,071**	**5,638**	5,535	5,104
	b. Current service cost	**390**	**403**	397	410
	c. Interest cost	**426**	**369**	366	374
	d. Actuarial (gain)/loss	**(248)**	**10**	(434)	39
	e. Benefits paid	**(283)**	**(349)**	(226)	(392)
	f. Obligation as at end of the year	**6,356**	**6,071**	5,638	5,535
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	**6,356**	**6,071**	5,638	5,535
	b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	**(6,356)**	**(6,071)**	(5,638)	(5,535)
3.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Current service cost	**390**	**403**	397	410
	b. Interest cost	**426**	**369**	366	374
	c. Actuarial (gain)/loss	**(248)**	**10**	(434)	39
	d. Expenses recognised during the year	**568**	**782**	329	823

Details of Leave Encashment (Contd..)

(₹ in Lakhs)

	Description	2022-23	2021-22	Ultimate	Ultimate
4.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	**7.36%**	**7.20%**	6.75%	6.75%
	b. Rate of escalation in salary	**Basic / DA : 10%**	**Basic / DA : 10%**	Basic / DA : 10%	Basic 3%: DA 6%
	c. Attrition rate	**2%**	**2%**	2%	2%
	d. Mortality table	**IAL 2012-14 Ultimate**	**IAL 2012-14 Ultimate**	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

26 **National Pension Scheme**

All employees who have joined on or after 01st June 2018 are covered under National PensionScheme

27 **Segment Reporting**

The Institute's operations are confined to "regulation of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

28 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspondwith the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Sudeep Shrivastava	**CA (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA Ranjeet Kumar Agarwal**	**CA Aniket Sunil Talati**
Additional Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

CA Arun Kumar Agarwal
Membership No. 082899
Partner,

or S K Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

A S.Murthy
Membership No. 072290
Partner,

Place: New Delhi
Dated: 4th September, 2023

CA (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

ADVT.-III/4/Exty./453/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.10 19:41:11 +05'30'